


राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर

-:बैठक कार्यवाही विवरण:-

नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती 2023 में आवेदन करने हेतु राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 05.05.2023 के संदर्भ में ऑनलाइन आवेदन पत्रों के दस्तावेज सत्यापन उपरान्त भर्ती एजेंसी द्वारा तैयार की गई अंतरिम वरीयता सूची 07.10.2023 का प्रकाशन किया जाकर ऑनलाईन परिवेदनाएँ आमंत्रित की गई थीं। जिसके क्रम में राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर से प्राप्त नर्सिंग ऑफिसर अभ्यर्थियों की कुल 2187 परिवेदनाओं (डुप्लीकेट परिवेदनाओं को गणना में सम्मिलित नहीं करते हुये) के निस्तारण हेतु संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की अध्यक्षता में गठित परिवेदना निस्तारण समिति की बैठक दिनांक 15.11.2024 को राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (शिफू), जयपुर में आयोजित की गई जिसमें निम्नांकित अधिकारियों ने भाग लिया:-

1	निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर	
2	निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर	सदस्य सचिव
3	रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर	सदस्य
4	संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित), मुख्यालय	सदस्य
5	संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), मुख्यालय	सदस्य
6	रजिस्ट्रार, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर	सदस्य
7	उप विधि परामर्शी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय	सदस्य
8	उप विधि परामर्शी, मुख्यालय	सदस्य

बैठक में प्राप्त ऑनलाइन परिवेदनाओं पर चर्चा कर एवं सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-



Sr. No.	Applicant's Name	Application ID	परिवेदना का विवरण -	वस्तुपरक टिप्पणी	परिवेदना समिति का निर्णय
1	ANITA CHOUDHARY	NO194136	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये डाटा के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जा चुका है। किन्तु अभ्यर्थी द्वारा उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन नहीं कराया गया है। अनपस्थित रहे अभ्यर्थियों को पुनः दस्तावेज सत्यापन हेतु अवसर प्रदान किया जा चुका है किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अवसर का लाभ नहीं उठाया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2	KOMAL SHARMA	NO114006	अभ्यर्थिया ने अनारक्षित महिला वर्ग में दिव्यांगजन श्रेणी में आवेदन किया है एवं स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 50.24 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की दिव्यांगजन श्रेणी की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये डाटा के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जा चुका है। किन्तु अभ्यर्थी द्वारा उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन नहीं कराया गया है। अनपस्थित रहे अभ्यर्थियों को पुनः दस्तावेज सत्यापन हेतु अवसर प्रदान किया जा चुका है किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अवसर का लाभ नहीं उठाया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
3	KOSHYA KUMARI KUMAWAT	NO109814	अभ्यर्थिया ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में विवाह विच्छेद से संबंधित शपथ पत्र संलग्न किया गया है, डिकी संलग्न नहीं की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये डाटा के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जा चुका है। किन्तु अभ्यर्थी द्वारा उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन नहीं कराया गया है। अनपस्थित रहे अभ्यर्थियों को पुनः दस्तावेज सत्यापन हेतु अवसर प्रदान किया जा चुका है किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अवसर का लाभ नहीं उठाया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
4	RAM KISHOR VAISHNAV	NO147635	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर विशेष रूप से सक्षम वर्ग श्रेणी में आवेदन कर प्रोविजनल सूची में चयन नहीं होने का उल्लेख कर दस्तावेज सत्यापन के संबंध में स्वीकृति एवं चयनित सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये डाटा के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जा चुका है। किन्तु अभ्यर्थी द्वारा उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन नहीं कराया गया है। अनपस्थित रहे अभ्यर्थियों को पुनः दस्तावेज सत्यापन हेतु अवसर प्रदान किया जा चुका है किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अवसर का लाभ नहीं उठाया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
5	REKHA SALVI	NO107193	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी का 30 सितम्बर को दिव्यांगता परीक्षण कांक्टिया हॉस्पिटल में निर्धारित था परन्तु अभ्यर्थी की गुड़िया को आईसीयू से डिस्चार्ज नहीं होने के कारण अभ्यर्थी कांक्टिया हॉस्पिटल में निर्धारित समय से 01 घण्टा लेट पहुंची तथा डॉक्टर चले गये और अभ्यर्थी का दिव्यांगता परीक्षण नहीं हो सका। अभ्यर्थी का नाम अंतरिम वरियता सूची और परिणाम रोके गये की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया जबकि अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 40 प्रतिशत है एवं अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों के नाम सूची में हैं। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये डाटा के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जा चुका है। किन्तु अभ्यर्थी द्वारा उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन नहीं कराया गया है। अनपस्थित रहे अभ्यर्थियों को पुनः दस्तावेज सत्यापन हेतु अवसर प्रदान किया जा चुका है किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अवसर का लाभ नहीं उठाया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
6	SUDESH RANI	NO198603	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.925 जो की ईडब्ल्यूएस महिला	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये डाटा के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जा चुका है। किन्तु अभ्यर्थी द्वारा उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन नहीं कराया	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर


			कट ऑफ 55.84 से अधिक होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर साथ ही पूर्व में तहसीलदार हांसी जिला हिसार द्वारा पूर्व में जारी प्रमाण पत्र के संबंध में शपथ पत्र एवं दिनांक 25.08.2023 को जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	गया है। अनपुस्थित रहे अभ्यर्थियों को पुनः दस्तावेज सत्यापन हेतु अवसर प्रदान किया जा चुका है किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अवसर का लाभ नहीं उठाया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	निस्तारित की जाती है।
7	SUNITA	NO103838	अभ्यर्थियां ने परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न कर अवगत कराया है कि डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन के समय प्रार्थी डेगू से पीड़ित हो गयी थी जिस कारण डीवी में उपस्थित नहीं हो पायी थी। अब रोग प्रमाण पत्र संलग्न कर डीवी करवाने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये डाटा के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जा चुका है। किन्तु अभ्यर्थी द्वारा उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन नहीं कराया गया है। अनपुस्थित रहे अभ्यर्थियों को पुनः दस्तावेज सत्यापन हेतु अवसर प्रदान किया जा चुका है किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अवसर का लाभ नहीं उठाया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
8	Sunny kumawat	NO209573	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल ऑनलाईन आवेदन फार्म संलग्न किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये डाटा के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जा चुका है। किन्तु अभ्यर्थी द्वारा उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन नहीं कराया गया है। अनपुस्थित रहे अभ्यर्थियों को पुनः दस्तावेज सत्यापन हेतु अवसर प्रदान किया जा चुका है किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अवसर का लाभ नहीं उठाया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
9	VIJAY JAKHAR	NO181016	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल विकलांगता प्रमाण पत्र एवं रोग उपचार प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये डाटा के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जा चुका है। किन्तु अभ्यर्थी द्वारा उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन नहीं कराया गया है। अनपुस्थित रहे अभ्यर्थियों को पुनः दस्तावेज सत्यापन हेतु अवसर प्रदान किया जा चुका है किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अवसर का लाभ नहीं उठाया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
10	vinod kumar bamberwal	NO134833	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज 12वीं की अंकतालिका की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये डाटा के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जा चुका है। किन्तु अभ्यर्थी द्वारा उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन नहीं कराया गया है। अनपुस्थित रहे अभ्यर्थियों को पुनः दस्तावेज सत्यापन हेतु अवसर प्रदान किया जा चुका है किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अवसर का लाभ नहीं उठाया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
11	BIRBAL RAM	NO102636	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो विज्ञप्ति की शर्त एवं नियमानुसार राज्य सरकार के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थान नहीं है एवं अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता सक्षम अधिकारी नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीवी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। नियमानुसार केवल राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थान में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को ही बोनस अंको का लाभ देय है। चूंकि एम्स, जोधपुर राज्य सरकार के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थान नहीं है अतः एम्स के कार्यानुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

12	CHANDRA VEER SINGH BHATI	NO129550	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल वर्ग में आवेदित होना बताते हुये 12वीं अंक तालिका अनुसार 48.15 प्रतिशत जीएनएम में कुल अंक 76.3 प्रतिशत एवं एम्स जोधपुर से कोविड में काम करने सहित कुल 2064 दिवस का जीएनएम नर्सिंग से कार्य करने का अनुभव भी प्राप्त है जिसक कुल 30 बोनस अंक देय होना बताते हुये स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है साथ ही एम्स जोधपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र का लाभ लेने हेतु (रिट संख्या 12551/2023) से भी अवगत करवाया है।	सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो विज्ञप्ति की शर्त एवं नियमानुसार राज्य सरकार के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थान नहीं है एवं अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता सक्षम अधिकारी नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। नियमानुसार केवल राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थान में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को ही बोनस अंको का लाभ देय है। चूंकि एम्स, जोधपुर राज्य सरकार के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थान नहीं है अतः एम्स के कार्यानुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश दिनांक 2.1.2024 द्वारा प्रकरण में याचिकाकर्ता के संबंध में पद रिक्त रखने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। माननीय न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले अन्तिम निर्णय अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
13	CHATAR SINGH	NO120614	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 77.350 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो विज्ञप्ति की शर्त एवं नियमानुसार राज्य सरकार के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थान नहीं है एवं अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता सक्षम अधिकारी नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। नियमानुसार केवल राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थान में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को ही बोनस अंको का लाभ देय है। चूंकि एम्स, जोधपुर राज्य सरकार के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थान नहीं है अतः एम्स के कार्यानुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
14	CHOTU SINGH	NO124290	परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं है परन्तु दस्तावेज संलग्न (एम्स जोधपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र)	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो विज्ञप्ति की शर्त एवं नियमानुसार राज्य सरकार के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थान नहीं है एवं अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता सक्षम अधिकारी नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। नियमानुसार केवल राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थान में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को ही बोनस अंको का लाभ देय है। चूंकि एम्स, जोधपुर राज्य सरकार के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थान नहीं है अतः एम्स के कार्यानुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
15	GANESH PAL	NO205790	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल श्रेणी में आवेदन कर 12वीं में 51.54 जीएनएम प्रथम वर्ष में 78.20 द्वितीय वर्ष में 84.80 और तृतीय वर्ष में 87.55 सभी को जोड़कर 84.36 प्रतिशत अंक होने एवं एम्स जोधपुर से कोविड में काम करने सहित कुल 2290 दिवस का जीएनएम का कार्य करने का अनुभव प्राप्त होने का उल्लेख कर चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। साथ ही एसबी सिविल रिट नं. 19436/2022 में याचिका दायर कर दी है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो विज्ञापित की शर्त एवं नियमानुसार राज्य सरकार के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थान नहीं है एवं अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता सक्षम अधिकारी नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। नियमानुसार केवल राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थान में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को ही बोनस अंको का लाभ देय है। चूंकि एम्स, जोधपुर राज्य सरकार के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थान नहीं है अतः एम्स के कार्यानुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
16	KULDEEP CHETIWAL	NO162699	अभ्यर्थी ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 30 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 72.035 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने 2042 दिवस का कोविड अवधि में कार्य करने हेतु बताया है किन्तु उससे संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है। अभ्यर्थी ने स्वयं का परिणाम कोर्ट केस होने के बावजूद होल्ड की सूची में नहीं होने से अवगत कराया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है। रिट संख्या 19408/2022 संलग्न।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो विज्ञापित की शर्त एवं नियमानुसार राज्य सरकार के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थान नहीं है एवं अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता सक्षम अधिकारी नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। नियमानुसार केवल राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थान में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को ही बोनस अंको का लाभ देय है। चूंकि एम्स, जोधपुर राज्य सरकार के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थान नहीं है अतः एम्स के कार्यानुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
17	MANOHAR RAM	NO205768	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर याचिका संख्या 19436/2022 का उल्लेख करते हुए एवं एम्स जोधपुर में कार्यरत अनुभव के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अंतरिम सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो विज्ञापित की शर्त एवं नियमानुसार राज्य सरकार के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थान नहीं है एवं अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता सक्षम अधिकारी नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। नियमानुसार केवल राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थान में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को ही बोनस अंको का लाभ देय है। चूंकि एम्स, जोधपुर राज्य सरकार के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थान नहीं है अतः एम्स के कार्यानुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

18	NIRMAL SINGH	NO163548	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस श्रेणी में बोनस अंको का लाभ दिया जाकर कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत अंतरिम कटऑफ प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है ना ही परिणाम रोके गये सूची में सम्मिलित किया गया है। अभ्यर्थी की माननीय न्यायालय में याचिका संख्या 12551/2023 भी विचाराधीन है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो विज्ञप्ति की शर्त एवं नियमानुसार राज्य सरकार के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थान नहीं है एवं अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता सक्षम अधिकारी नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। नियमानुसार केवल राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थान में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को ही बोनस अंको का लाभ देय है। चूंकि एम्स, जोधपुर राज्य सरकार के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थान नहीं है अतः एम्स के कार्यानुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश दिनांक 21.2024 द्वारा प्रकरण में याचिकाकर्ता के संबंध में पद रिक्त रखने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। माननीय न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले अन्तिम निर्णय अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
19	RAHUL CHETIWAL	NO178403	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि 63.557 प्रतिशत प्राप्तांक है साथ ही एम्स जोधपुर का 2042 दिन का जीएनएम का कार्य करने का अनुभव है, जिसका कुल औसत 30 प्रतिशत है। अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित नहीं किया गया है, लेकिन उससे कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम है एवं कोर्ट केस से संबंधित आवेदक को परिणाम रोकने वाली सूची में भी सम्मिलित नहीं किया गया है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय में एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 19408/2022 विचाराधीन है। जिसमें प्रार्थी का नाम क्रम संख्या 5 पर अंकित है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर कारण बताते हुए अंतरिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो विज्ञप्ति की शर्त एवं नियमानुसार राज्य सरकार के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थान नहीं है एवं अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता सक्षम अधिकारी नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। नियमानुसार केवल राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थान में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को ही बोनस अंको का लाभ देय है। चूंकि एम्स, जोधपुर राज्य सरकार के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थान नहीं है अतः एम्स के कार्यानुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
20	RAJU RAM BISHNOI	NO205493	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उससे कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम चयन सूची में सम्मिलित किया है एवं कोर्ट केस से संबंधित आवेदक को परिणाम रोकने वाली सूची में भी सम्मिलित नहीं किया गया है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय में एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 19436/22 विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी का नाम क्रम संख्या 11 पर अंकित है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर परिणाम रोकने वाले और अंतरिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो विज्ञप्ति की शर्त एवं नियमानुसार राज्य सरकार के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थान नहीं है एवं अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता सक्षम अधिकारी नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। नियमानुसार केवल राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थान में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को ही बोनस अंको का लाभ देय है। चूंकि एम्स, जोधपुर राज्य सरकार के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थान नहीं है अतः एम्स के कार्यानुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ देय नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

			करने का निवेदन किया है।	इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
21	SHAHEEN	NO158764	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल 12वीं की अंकतालिका, आरएनसी रजिस्ट्रेशन एवं अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो विज्ञप्ति की शर्त एवं नियमानुसार राज्य सरकार के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थान नहीं है एवं अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता सक्षम अधिकारी नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। नियमानुसार केवल राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थान में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को ही बोनस अंको का लाभ देय है। चूंकि एम्स, जोधपुर राज्य सरकार के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थान नहीं है अतः एम्स के कार्यानुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
22	VIRENDRA SINGH	NO171832	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस कैटगरी में है। अभ्यर्थी से कब प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम प्रोविजनल सूची में है किन्तु अभ्यर्थी का नाम नहीं है। एस.वी.सी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 19408/2022 विचाराधीन है। कोर्ट फेस से संबंधित अभ्यर्थियों के परिणाम रोके जाने वाली सूची में भी अभ्यर्थी का नाम नहीं है। अतः अभ्यर्थी का नाम सूची में सम्मिलित किया जाये। संलग्न अंकतालिकाएँ, आरएनसी सर्टिफिकेट	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो विज्ञप्ति की शर्त एवं नियमानुसार राज्य सरकार के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थान नहीं है एवं अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता सक्षम अधिकारी नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। नियमानुसार केवल राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थान में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को ही बोनस अंको का लाभ देय है। चूंकि एम्स, जोधपुर राज्य सरकार के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थान नहीं है अतः एम्स के कार्यानुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी ने अधीक्षक मथुरा दास माथुर अस्पताल द्वारा जारी 21.07.2022 से 22.11.2022 की अवधि का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है। जो एक वर्ष से कम अवधि का एवं कोविड अवधि के बाद का है। अतः बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
23	ASHISH TANWAR	NO169150	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर एमबीबीएस एनसीएल श्रेणी में आवेदन कर अवगत कराया है कि प्रार्थी के दस्तावेज सत्यापन के समय 15 बोनस अंक के अनुसार कुल प्रतिशत 66.020 दर्ज है तथा उक्त पश्चात जारी अंतरिम वरीयता सूची में 30 बोनस अंको के अनुसार कुल प्रतिशत 81.023 है अतः इनमें से जो भी 15 अथवा 30 बोनस अंक है को नियमानुसार सही हो उसे देकर अंतिम वरीयता सूची	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में 547 दिवस का कोविड अवधि सहित जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं जिसके आधार पर अभ्यर्थी के 15 बोनस देय है। इस प्रकार अनुभव प्रमाण पत्रों को पुनर्सत्यापन के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंको सहित भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित



24	DEEPAK CHOUHAN	NO173293	में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी श्रेणी की कट ऑफ 70.21 प्रतिशत से स्वयं के प्राप्तांक प्रतिशत 74.230 ज्यादा होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित नहीं करने का उल्लेख कर नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है साथ ही उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय संख्या एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 10432/2023 के आदेश के क्रम में सत्यापन होने का भी उल्लेख किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
25	MAHENDRA KUMAR MEENA	NO197434	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में 22.12.2022 का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर द्वारा 517 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। अनुभव जारी करने हेतु निर्धारित परिशिष्ट 'अ' में स्पष्ट अंकित है कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर द्वारा जारी कुल 368 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनमें अभ्यर्थी का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण इन्हे बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
26	PAVAN PURI SADHU	NO127344	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में आरएनसी रजिस्ट्रेशन दिनांक 29.09.2011 से वैद्य, आरएनसी स्लिप 02.03.2016, आरएनसी रजिस्ट्रेशन स्लिप 10.09.2020, आरएनसी रजिस्ट्रेशन 10.03.2022 से वैद्य, अनुभव प्रमाण पत्र पदनाम जीएनएम (1222) की प्रतियां संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल में 30 प्रतिशत बोनस अंक सहित	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।




			कुल औसत प्राप्तांक 72.080 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
27	PAWAN KUMAR SHARAMA	NO189085	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में सीएचए पद का अनुभव प्रमाण पत्र (262 दिवस), लैब सहायक पद का अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 70.50 अंतरिम कटऑफ प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा दो अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये गये हैं। जिसमें एक प्रमुख चिकित्सा अधिकारी रतनगढ द्वारा जून 2018 में जारी मुख्यमंत्री निःशुल्क जॉब योजनान्तर्गत लैब सहायक के पद पर कार्य का है। जो निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा समान कार्य के अनुभव हेतु जारी नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। अतः इस अनुभव प्रमाण पत्र का बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है
28	SANGEETA DADHICH	NO135446	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 129 दिवस का सीएचए पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र भी संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 396 दिवस का कोविड अवधि सहित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर अभ्यर्थिया को पूर्व में दिये गये 30 प्रतिशत बोनस अंकों के स्थान पर 15 प्रतिशत बोनस अंकों सहित भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
29	SARTAJ AHMED	NO103359	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 72.759 जो की ईडब्ल्यूएस मेल श्रेणी की प्रतिशत लगभग 72.366 से अधिक होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल व फाईनल लिस्ट में जोड़ने के संबंध में निवेदन किया है।	ऑनलाईन आवेदन में 24.01.2023 का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टॉक द्वारा 255 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। अनुभव जारी करने हेतु निर्धारित परिशिष्ट 'अ' में स्पष्ट अंकित है कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। एक अन्य प्रमाणपत्र बंसल हॉस्पिटल का है जो निजी क्षेत्र का होने से नियमानुसार मान्य नहीं है। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
30	SUNITA	NO202378	अभ्यर्थिया ने एमबीबीएस एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है। स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 64.910 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 133 दिवस (7900 प्रतिमाह दर) का सीएचओ पद एवं 489 दिवस का जीएनएम पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र	अभ्यर्थिया द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द द्वारा जारी उपस्वास्थ्य केन्द्र डूंगरखेडा पर 25000/- प्रतिमाह वेतन पर सीएचओ के पद पर क्लिनिकल कार्य का 401 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कोविड अवधि के बाद का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः उपस्वास्थ्य केन्द्र पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण इन्हे बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। शेष संलग्न अनुभव प्रमाणपत्रों के आधार पर इन्हे 15 प्रतिशत बोनस अंकों का ही लाभ देय है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
31	SURESH	NO204838	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में 30 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है जबकि अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है। साथ ही अभ्यर्थी के संबंध में याचिका संख्या 19436/2022 माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के उपरांत भी कोर्ट केस के कारण परिणाम रोके गये सूची में भी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो विज्ञप्ति की शर्त एवं नियमानुसार राज्य सरकार के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थान नहीं है एवं अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता सक्षम अधिकारी नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। नियमानुसार केवल राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थान में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को ही बोनस अंकों का लाभ देय है। चूंकि एम्स, जोधपुर राज्य सरकार के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थान नहीं है अतः एम्स के कार्यानुभव के आधार पर बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थी को पूर्व में दिये गये 30 प्रतिशत बोनस अंकों प्रत्याहरित किया जाना प्रस्तावित है।	चूंकि वर्तमान भर्तियों में नियमानुसार एम्स के कार्यानुभव के बोनस अंक प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है, अतः अभ्यर्थी को बोनस अंक प्रदान किये बिना मेरिट सूची में यथा-स्थान सम्मिलित किया जाये।
32	VISHNU PRATAP	NO171576	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी का अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। अतः अनुभव का लाभ देकर प्रोविजनल सूची में सम्मिलित किया जावे। संलग्न:- EMT एवं हैल्थ एडवाजरी सर्विसेज के अनुभव प्रमाण ।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
33	ANITA RATHOR	NO136619	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कोविड अवधि में कार्य किये जाने पर 15 प्रतिशत बोनस अंकों को जोड़कर ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में स्वयं क कुल प्राप्तांक 67.210 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन ओबीसी एनसीएल श्रेणी में किया गया एवं 2016 का जारी ओबीसी एनसीएल प्रमाणपत्र संलग्न किया गया जिसके आधार पर इन्हे ओबीसी सीएल (अनारक्षित) श्रेणी में ही माना गया है। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ 14.09.2023 का जारी ओबीसी एनसीएल वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो की अंतरिम वरीयता सूची जारी होने के उपरान्त त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकता है अतः आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् जारी होने के कारण मान्य नहीं है। फलस्वरूप अभ्यर्थी के प्राप्तांक 67.210 प्रतिशत अनारक्षित महिला श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 60.245 प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन नहीं हुआ है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
34	ANJU KUMARI VIJAYVARGIYA	NO160138	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थियां द्वारा सामान्य वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थियां द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थियां के कुल प्राप्तांक 50.710 प्रतिशत बनते हैं जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनारक्षित वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थियां के कुल प्राप्तांक 68.610 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना के साथ ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र 07.08.2023 का जारी संलग्न किया है जो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है। स्पष्ट है कि आवेदन के समय अभ्यर्थियां ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं थी। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.22 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है व आवेदन के समय सम्बन्धित जाति वर्ग में नहीं थे, त्रुटि संशोधन के नाम पर उनका जाति वर्ग परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः अभ्यर्थिया को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार एवं डी.बी अपील सं 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार के अनुसार आवेदित श्रेणी में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
35	ANKITA	NO164290	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर दस्तावेज सत्यापन के दौरान सहवनवश ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र के स्थान के स्थान पर ओबीसी सीएल का प्रमाण पत्र बन गया था जो दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करते हुये ओबीसी एनसीएल में माने जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था। परिवेदना के साथ ओबीसी एनसीएल वर्ग का नवीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुये स्वयं को ओबीसी एनसीएल में सम्मिलित करते हुये अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग से किया गया है किन्तु दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी सीएल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। अब परिवेदना के साथ अभ्यर्थिया द्वारा दिनांक 04.09.2023 को जारी ओबीसी एनसीएल का नवीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो कि विज्ञप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् जारी किया होने से विज्ञप्ति की शर्ता एवं कार्मिक विभाग के निर्देशानुसार मान्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना के साथ अभ्यर्थिया द्वारा दिनांक 04.09.2023 को जारी ओबीसी एनसीएल का नवीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो कि विज्ञप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् जारी किया होने से विज्ञप्ति की शर्ता एवं कार्मिक विभाग के निर्देशानुसार मान्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
36	ANURADHA RAJPUT	NO173212	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ईडब्ल्यूएस श्रेणी की कट ऑफ से ज्यादा प्राप्तांक होने के बाद चयन नहीं होने एवं नया ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न कर जीएनएम ओर इन्टर्नशीप में 1900 में से 1464 अंक सही दर्ज करने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ईडब्ल्यूएस वर्ग से किया गया है किन्तु अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान ईडब्ल्यूएस श्रेणी का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्थिया को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया गया। अब परिवेदना के साथ अभ्यर्थिया द्वारा दिनांक 11.09.2023 को जारी ईडब्ल्यूएस श्रेणी का नवीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। जो कि विज्ञप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् जारी किया होने से विज्ञप्ति की शर्तानुसार मान्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना के साथ अभ्यर्थिया द्वारा दिनांक 11.09.2023 को जारी ईडब्ल्यूएस श्रेणी का नवीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। जो कि विज्ञप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् जारी किया होने से विज्ञप्ति की शर्तानुसार मान्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
37	ASHA AMETA	NO204007	अभ्यर्थिया द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नाम जोड़ने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थी ने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है जिसमें इनके प्राप्तांक प्रतिशत 64.544 बनते हैं जो कि अनारक्षित श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत 69.245 से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। इन्होंने ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र 14.10.2023 का जारी संलग्न किया है जो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है। स्पष्ट है कि आवेदन के समय अभ्यर्थिया ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं थी। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.22 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है व आवेदन के समय सम्बन्धित जाति वर्ग में नहीं थे, त्रुटि संशोधन के नाम पर उनका जाति वर्ग परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः अभ्यर्थिया को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार एवं डी.बी अपील सं	स्पष्ट है कि आवेदन के समय अभ्यर्थिया ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं थी। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.22 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है व आवेदन के समय सम्बन्धित जाति वर्ग में नहीं थे, त्रुटि


				7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार के अनुसार आवेदित श्रेणी में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	संशोधन के नाम पर उनका जाति वर्ग परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः अभ्यर्थिया को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार एवं डी.बी अपील सं 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार के अनुसार आवेदित श्रेणी में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
38	BABITA DEVI	NO157712	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.92 जो कि अनुसूचित जाति फिमेल श्रेणी की कट ऑफ 63.61 से अधिक होने का उल्लेख कर विवाह के पश्चात अन्य राज्य के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र का लाभ देने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान पति के नाम सहित जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अब अभ्यर्थिया ने परिवेदना के साथ हरियाणा राज्य का जारी जाति प्रमाणपत्र संलग्न किया है। नियमानुसार जातिगत आरक्षण का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासियों को ही देय है। समान प्रकरण विशेष अनुमति याचिका संख्या 8425/2013 रंजना बनाम राजस्थान राज्य को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्य राज्य का निवासी होने के आधार पर जातिगत आरक्षण की मांग को खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार अभ्यर्थिया को अनुसूचित जाति वर्ग में नहीं माना जाकर अनारक्षित वर्ग में माना गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.927 प्रतिशत बनते हैं जो कि अनारक्षित महिला वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.245 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	नियमानुसार जातिगत आरक्षण का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासियों को ही देय है। समान प्रकरण विशेष अनुमति याचिका संख्या 8425/2013 रंजना बनाम राजस्थान राज्य को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्य राज्य का निवासी होने के आधार पर जातिगत आरक्षण की मांग को खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार अभ्यर्थिया को अनुसूचित जाति वर्ग में नहीं माना जाकर अनारक्षित वर्ग में माना गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.927 प्रतिशत बनते हैं जो कि अनारक्षित महिला वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.245 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में




					सम्मिलित नहीं किया गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
39	BABITA KUMARI	NO203216	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ऑनलाईन फार्म भरते समय ईडब्ल्यूएस के स्थान पर सामान्य श्रेणी त्रुटीवश भरने का उल्लेख कर सामान्य श्रेणी से ईडब्ल्यूएस श्रेणी में परिवर्तित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है जिसमें इनके प्राप्तांक प्रतिशत 63.460 बनते हैं जो कि अनारक्षित श्रेणी में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.610 से कम होने के दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। इन्होंने ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र 06.10.2023 का जारी संलग्न किया है जो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है। स्पष्ट है कि आवेदन के समय अभ्यर्थिया ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं थी। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.22 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है व आवेदन के समय सम्बन्धित जाति वर्ग में नहीं थे, त्रुटि संशोधन के नाम पर उनका जाति वर्ग परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः अभ्यर्थिया को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार एवं डी.बी अपील सं 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार के अनुसार आवेदित श्रेणी में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	स्पष्ट है कि आवेदन के समय अभ्यर्थिया ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं थी। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.22 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है व आवेदन के समय सम्बन्धित जाति वर्ग में नहीं थे, त्रुटि संशोधन के नाम पर उनका जाति वर्ग परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः अभ्यर्थिया को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार एवं डी.बी अपील सं 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार के अनुसार आवेदित श्रेणी में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
40	BIMLA	NO190965	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 12वीं एवं इन्टर्नशिप के सही प्राप्तांक जोड़ने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया मूलतः अनुसूचित जाति की हरियाणा राज्य की निवासी है। अतः इन्हे अनारक्षित श्रेणी में पात्र माना गया है। अभ्यर्थिया द्वारा आवेदन पत्र में स्वयं के 1800 में से 1289 अंक भरे गये एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थिया के स्वयं के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर समान अंक प्रदान किये गये हैं जिसकी पुनः जाँच कर ली गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
41	DEEPESH JOSHI	NO130765	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 30 बोनस अंक जोड़कर 74.970 प्रतिशत होने का उल्लेख कर जाति वर्ग को सामान्य श्रेणी से EWS कटेगरी में परिवर्तित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है जिसमें इनके प्राप्तांक प्रतिशत 74.969 बनते हैं जो कि अनारक्षित श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत 75.517 से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। इन्होंने ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र 12.10.2023 का जारी संलग्न किया है जो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है। स्पष्ट है कि आवेदन के समय अभ्यर्थिया ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं थी। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17	स्पष्ट है कि आवेदन के समय अभ्यर्थिया ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं थी। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.22 के अनुसार




			10.22 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है व आवेदन के समय सम्बन्धित जाति वर्ग में नहीं थे, त्रुटि संशोधन के नाम पर उनका जाति वर्ग परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः अभ्यर्थिया को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार एवं डी.बी अपील सं 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार के अनुसार आवेदित श्रेणी में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है व आवेदन के समय सम्बन्धित जाति वर्ग में नहीं थे, त्रुटि संशोधन के नाम पर उनका जाति वर्ग परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः अभ्यर्थिया को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार एवं डी.बी अपील सं 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार के अनुसार आवेदित श्रेणी में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।	
42	KAVITA JAT	NO110322	अभ्यर्थिया ने परिवेदना देकर स्वयं को सामान्य परित्यक्ता श्रेणी से अन्य पिछड़ा वर्ग परित्यक्ता श्रेणी में परिवर्तन हेतु निवेदन किया है। इस हेतु दिनांक 22.08.2023 को जारी जाति प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी ने सामान्य श्रेणी विच्छिन्न विवाह वर्ग में आवेदन किया है जिसमें इनके प्राप्तांक प्रतिशत 49.829 बनते हैं जो कि अनारक्षित श्रेणी में अंतिम विच्छिन्न विवाह वर्ग में चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत 60.936 से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। इन्होंने ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग का प्रमाणपत्र 22.08.2023 का जारी संलग्न किया है जो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है। स्पष्ट है कि आवेदन के समय अभ्यर्थिया ओबीसी एनसीएल वर्ग में नहीं थी। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.22 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है व आवेदन के समय सम्बन्धित जाति वर्ग में नहीं थे, त्रुटि संशोधन के नाम पर उनका जाति वर्ग परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः अभ्यर्थिया को ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार एवं डी.बी अपील सं 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार के अनुसार आवेदित श्रेणी में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	स्पष्ट है कि आवेदन के समय अभ्यर्थिया ओबीसी एनसीएल वर्ग में नहीं थी। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.22 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है व आवेदन के समय सम्बन्धित जाति वर्ग में नहीं थे, त्रुटि संशोधन के नाम पर उनका जाति वर्ग परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः अभ्यर्थिया को ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार एवं डी.बी अपील सं 7840/2019 सोनल त्यागी



					बनाम सरकार के अनुसार आवेदित श्रेणी में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
43	KAVITA SHARMA	NO144630	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आवेदन के समय ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण अनारक्षित श्रेणी से आवेदन किया था किन्तु अब दिनांक 11.10.2023 का ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र संलग्न कर स्वयं को श्रेणी परिवर्तन हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने समान्य श्रेणी वर्ग में आवेदन किया है। एवं परिवेदना के साथ 11.10.2023 का जारी ईडब्ल्यूएस वर्ग का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना 17.10.2023 एवं प्राप्त निर्देशानुसार मान्य नहीं किया जा सकता। माननीय माननीय न्यायालय द्वारा एस.बी. याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार बनाम सरकार एवं डी. बी. याचिका 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार को, श्रेणी परिवर्तन की माँग अस्वीकार करते हुए, राज्य पक्ष में निस्तारित किया है। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। फलस्वरूप अभ्यर्थिया की परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	अभ्यर्थिया ने समान्य श्रेणी वर्ग में आवेदन किया है। एवं परिवेदना के साथ 11.10.2023 का जारी ईडब्ल्यूएस वर्ग का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना 17.10.2023 एवं प्राप्त निर्देशानुसार मान्य नहीं किया जा सकता। माननीय माननीय न्यायालय द्वारा एस. बी. याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार बनाम सरकार एवं डी.बी. याचिका 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार को, श्रेणी परिवर्तन की माँग अस्वीकार करते हुए, राज्य पक्ष में निस्तारित किया है। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। फलस्वरूप अभ्यर्थिया की परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।
44	KHARADI DAKSHABAHEN LAKSHMANBH	NO201599	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 66.140 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 237 दिवस का सीएचए पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन अनुसूचित जनजाति वर्ग से किया गया तथा ऑनलाइन आवेदन में गुजरात राज्य द्वारा जारी जातिप्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि अन्य राज्य का होने के कारण अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत अनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन अनुसूचित जनजाति वर्ग से किया गया तथा ऑनलाइन आवेदन में गुजरात राज्य द्वारा जारी जातिप्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि अन्य राज्य का होने के कारण अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। इस प्रकार अभ्यर्थिया




					के कुल प्राप्तांक प्रतिशत अनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।
45	KHUSHBU MANSURI	NO188786	अभ्यर्थिया ने ओबीसी-एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 20 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 68.960 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 319 दिवस एवं 398 दिवस का जीएनएम यूटीबी पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र एवं मध्यप्रदेश राज्य का जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को ओबीसी-एनसीएल श्रेणी का लाभ देकर नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा संलग्न जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश राज्य का केन्द्र सरकार की भर्तियों हेतु जारी है जिसके आधार पर इन्हे अन्य राज्य मूल निवासी होने के कारण जातिगत आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इन्हे सामान्य अनारक्षित श्रेणी में पात्र माना गया है जिसमें इनके प्राप्तांक अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	अभ्यर्थिया द्वारा संलग्न जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश राज्य का केन्द्र सरकार की भर्तियों हेतु जारी है जिसके आधार पर इन्हे अन्य राज्य मूल निवासी होने के कारण जातिगत आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इन्हे सामान्य अनारक्षित श्रेणी में पात्र माना गया है जिसमें इनके प्राप्तांक अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
46	KIRAN RATHOD	NO105259	अभ्यर्थिया न अनारक्षित महिला वर्ग से आवेदन किया है। परिवेदना के साथ दिनांक 15.09.2023 का जारी आर्थिक पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र संलग्न कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है। इन्होंने परिवेदना के साथ ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र 15.09.2023 का जारी संलग्न किया है जो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.22 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है व आवेदन के समय सम्बन्धित जाति वर्ग में नहीं थे, त्रुटि संशोधन के नाम पर उनका जाति वर्ग परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अभ्यर्थिया द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे सिद्ध होता हो कि अभ्यर्थिया आवेदन के समय ईडब्ल्यूएस श्रेणी में थी। अतः स्पष्ट है कि आवेदन के समय अभ्यर्थिया ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं थी। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.2022 एवं प्राप्त निर्देशानुसार मान्य नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	अभ्यर्थी ने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है। इन्होंने परिवेदना के साथ ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र 15.09.2023 का जारी संलग्न किया है जो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.22 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है व आवेदन के समय सम्बन्धित जाति वर्ग में नहीं थे, त्रुटि संशोधन के नाम पर उनका जाति वर्ग परिवर्तित नहीं






					किया जा सकता। अभ्यर्थिया द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे सिद्ध होता हो कि अभ्यर्थिया आवेदन के समय ईडब्ल्यूएस श्रेणी में थी। अतः स्पष्ट है कि आवेदन के समय अभ्यर्थिया ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं थी। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.2022 एवं प्राप्त निर्देशानुसार मान्य नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।
47	KIRANDEEP KOUR	NO162152	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को ओबीसी-एनसीएल श्रेणी का लाभ देने हेतु निवेदन किया है। अवगत कराया है कि पूर्व में आवेदन के समय ई-मित्र की गलती से ओबीसी-सीएल का वर्ष 2022 का प्रमाण पत्र भर दिया गया था। अभ्यर्थियां द्वारा वर्ष 2018, 2021 एवं 2023 का ओबीसी-एनसीएल जाति का प्रमाण पत्र संलग्न कर स्वयं को ओबीसी-एनसीएल का लाभ देकर प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने 231 दिवस का सीएचए का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
48	LAXMI CHOUHAN	NO156176	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के द्वारा आवेदन करते समय त्रुटिवश अनारक्षित वर्ग से आवेदन करना बताया है जिसके कारण डॉक्यूमेन्ट वैरिफिकेशन में सम्मिलित नहीं होने से अवगत कराया है। परिवेदना के साथ दिनांक 03.10.2023 को जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न कर स्वयं को ईडब्ल्यूएस श्रेणी का लाभ देकर डॉक्यूमेन्ट वैरिफिकेशन कराने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है जिसमें इनके प्राप्तांक प्रतिशत 66.520 बनते हैं जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में अनारक्षित श्रेणी में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत 68.610 से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। इन्होंने ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र 03.10.2023 का जारी संलग्न किया है जो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है। स्पष्ट है कि आवेदन के समय अभ्यर्थिया ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं थी। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.22 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है व आवेदन के समय सम्बन्धित जाति वर्ग में नहीं थे, त्रुटि संशोधन के नाम पर उनका जाति वर्ग परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः अभ्यर्थिया को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार एवं डी.बी.अपील सं 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार के अनुसार आवेदित श्रेणी में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	अभ्यर्थी ने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है जिसमें इनके प्राप्तांक प्रतिशत 66.520 बनते हैं जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में अनारक्षित श्रेणी में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत 68.610 से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। इन्होंने ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र 03.10.2023 का जारी संलग्न




					<p>किया है जो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है। स्पष्ट है कि आवेदन के समय अभ्यर्थिया ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं थी। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.22 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है व आवेदन के समय सम्बन्धित जाति वर्ग में नहीं थे, त्रुटि संशोधन के नाम पर उनका जाति वर्ग परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः अभ्यर्थिया को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार एवं डी.बी. अपील सं 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार के अनुसार आवेदित श्रेणी में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।</p>
49	MOHINI	NO100576	<p>अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है जो निम्न प्रकार है:- अभ्यर्थी ओबीसी जाति वर्ग की है जो ईडब्ल्यूएस के अन्तर्गत भी सम्मिलित है। ओबीसी महिला वर्ग की कटऑफ 62.63 प्रतिशत है तथा ईडब्ल्यूएस की 60.62 प्रतिशत है जबकि अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक 65.66 प्रतिशत है। अभ्यर्थी ने प्रथम आवेदन ओबीसी जाति वर्ग से किया था। अतः यदि अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग में सम्मिलित किया जाता है तो अभ्यर्थी पात्र है। अभ्यर्थी ने जाति वर्ग की सही प्रविष्टि करने हेतु निवेदन किया है।</p>	<p>अभ्यर्थिया ने सामान्य श्रेणी वर्ग में आवेदन किया है। एवं परिवेदना के साथ कार्यालय तहसीलदार सदर मथुरा उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 3.09.2011 का अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जिसके आधार पर अभ्यर्थी को जातिगत आरक्षण का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।</p>	<p>परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।</p>
50	NIKHIL TRIVEDI	NO139336	<p>अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया है:- 1. अभ्यर्थी ने सामान्य वर्ग में आवेदन किया था, जिसे बदलकर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में परिवर्तित करने हेतु</p>	<p>अभ्यर्थी के ईन्टर्नशिप के अंको सहित कुल प्राप्तांक 62.583 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (सामान्य) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 75.517 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। अभ्यर्थी ने स्वयं की श्रेणी सामान्य से ईडब्ल्यूएस करने हेतु निवेदन किया है (जिसकी कटऑफ 72.336 है) जबकि इन्होंने</p>	<p>अभ्यर्थी के ईन्टर्नशिप के अंको सहित कुल प्राप्तांक 62.583 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी</p>


			<p>दस्तावेज सत्यापन के समय निवेदन किया गया था, जिसे परिवर्तित करने हेतु निवेदन किया है (ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र दिनांक 12.10.2023 की प्रति संलग्न की है)</p> <p>2. अनुभव प्रमाण पत्र के बिन्दु संख्या 6.2 में हां/नहीं को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा के पत्रांक 1048 दिनांक 04.10.2023 के अनुसार हां माने जाने हेतु निवेदन किया है।</p> <p>3. अभ्यर्थी द्वारा ईन्टरशिप के नम्बर जोड़े जाने हेतु निवेदन किया है।</p>	<p>आवेदन सामान्य श्रेणी में ही किया था एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान भी ईडब्ल्यूएस श्रेणी परिवर्तन हेतु ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध होता हो कि आवेदन के समय ये ईडब्ल्यूएस श्रेणी में पात्र थे। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना 17.10.2022 के अनुसार यदि अभ्यर्थी ने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है एवं आवेदन के समय आरक्षित श्रेणी में नहीं थे तो त्रुटि संशोधन के नाम पर श्रेणी परिवर्तन नहीं किया जा सकता के अनुसार कार्यवाही की गई है। अभ्यर्थिया ने परिवेदना के साथ 12.10.2023 को जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिससे स्पष्ट है कि अभ्यर्थी आवेदन के समया ईडब्ल्यूएस श्रेणी में पात्र नहीं था। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.2022 के अनुसार इन्हे आरक्षण का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।</p>	<p>श्रेणी (सामान्य) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 75.517 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। अभ्यर्थी ने स्वयं की श्रेणी सामान्य से ईडब्ल्यूएस करने हेतु निवेदन किया है (जिसकी कटऑफ 72.336 है) जबकि इन्होंने आवेदन सामान्य श्रेणी में ही किया था एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान भी ईडब्ल्यूएस श्रेणी परिवर्तन हेतु ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध होता हो कि आवेदन के समय ये ईडब्ल्यूएस श्रेणी में पात्र थे। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना 17.10.2022 के अनुसार यदि अभ्यर्थी ने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है एवं आवेदन के समय आरक्षित श्रेणी में नहीं थे तो त्रुटि संशोधन के नाम पर श्रेणी परिवर्तन नहीं किया जा सकता के अनुसार कार्यवाही की गई है। अभ्यर्थिया ने परिवेदना के साथ 12.10.2023 को जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिससे स्पष्ट है कि अभ्यर्थी आवेदन के समया ईडब्ल्यूएस श्रेणी में पात्र नहीं था। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.2022 के अनुसार इन्हे आरक्षण का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।</p>
--	--	--	---	---	---



51	PRAMILA	NO172832	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि स्वयं का आरएनसी रजिस्ट्रेशन निरस्त हो गया था। अभ्यर्थिया ने न्यू रजिस्ट्रेशन की फीस रसीद एवं शपथ पत्र संलग्न कर प्रक्रियाधीन होना बताया है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मध्यप्रदेश राज्य का ओबीसी प्रमाणपत्र संलग्न किया है। जिसमें इन्हे मध्यप्रदेश का निवासी दर्शाया गया है। अतः राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र नहीं होने व मध्यप्रदेश का निवासी होने के कारण ओबीसी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। समान प्रकरण चित्रा देवी सरकार एवं रंजना बनाम सरकार में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अन्य राज्य के निवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिये जाने के निर्णय को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। अभ्यर्थिया के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में आर.एन.सी. से प्राप्त सूचना के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
52	RINA KUNWAR RAJPUT	NO187387	अभ्यर्थिया ने डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन के समय पिता के नाम से जारी ईडब्ल्यूएस जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया था अब दिनांक 13.10.2023 का जारी पति का नाम का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पिता के नाम सहित जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी का लाभ प्रदान नहीं किया जाकर अनारक्षित वर्ग में सम्मिलित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका संख्या 8425/2013 रंजना बनाम सरकार एवं डीबी सिविल याचिका संख्या 1960/2018 में अन्य राज्य से जारी जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर आरक्षण की मांग को खारिज किया जा चुका है। अब अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 13.10.2023 का पति के नाम सहित राजस्थान राज्य का जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसे इस भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन दिनांक 05.05.2023 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 के अनुसार ईडब्ल्यूएस आरक्षण केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	अभ्यर्थिया द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पिता के नाम सहित जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी का लाभ प्रदान नहीं किया जाकर अनारक्षित वर्ग में सम्मिलित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका संख्या 8425/2013 रंजना बनाम सरकार एवं डीबी सिविल याचिका संख्या 1960/2018 में अन्य राज्य से जारी जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर आरक्षण की मांग को खारिज किया जा चुका है। अब अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 13.10.2023 का पति के नाम सहित राजस्थान राज्य का जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसे इस भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन दिनांक 05.05.2023 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.02.



					2019 के अनुसार ईडब्ल्यूएस आरक्षण केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।
53	SANJAY SINGH SODHA	NO178974	अभ्यर्थी ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल दिनांक 01.11.2022 का जारी ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जबकि आवेदन में ईडब्ल्यूएस वर्ग भरा हुआ है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन किया गया तथा दस्तावेज सत्यापन के दौरान दिनांक 07.12.2022 को जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 71.702 प्रतिशत बनते हैं जो कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 72.336 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अब अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ दिनांक 01.11.2022 का जारी ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें अभ्यर्थी की जाति रावणा राजपूत का उल्लेख किया गया है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.2022 के क्रम में प्राप्त निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थी का श्रेणी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार एवं डी.बी. अपील सं 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार में पारित निर्णयानुसार अनुसार आवेदित श्रेणी में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन किया गया तथा दस्तावेज सत्यापन के दौरान दिनांक 07.12.2022 को जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 71.702 प्रतिशत बनते हैं जो कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 72.336 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अब अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ दिनांक 01.11.2022 का जारी ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें अभ्यर्थी की जाति रावणा राजपूत का उल्लेख किया गया है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.2022 के क्रम में प्राप्त निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थी का श्रेणी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार एवं डी.बी. अपील सं 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार में पारित निर्णयानुसार अनुसार



					आवेदित श्रेणी में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।
54	SELOT SARMILABEN	NO143736	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज अनुभव प्रमाण पत्र एवं विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थिया द्वारा जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से जारी नहीं होने के कारण जातिगत आरक्षण का लाभ नहीं प्रदान किया गया। फलस्वरूप अभ्यर्थिया के प्राप्तांक अनारक्षित महिला श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	अभ्यर्थिया द्वारा जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से जारी नहीं होने के कारण जातिगत आरक्षण का लाभ नहीं प्रदान किया गया। फलस्वरूप अभ्यर्थिया के प्राप्तांक अनारक्षित महिला श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।
55	SONALI JAIN	NO134212	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी द्वारा भूलवश ईडब्ल्यूएस वर्ग के स्थान पर सामान्य वर्ग में आवेदन किया गया। अतः अभ्यर्थी ने आवेदन को सामान्य के स्थान पर ईडब्ल्यूएस में परिवर्तित कर दस्तावेज सत्यापन तथा अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा सामान्य श्रेणी में आवेदन किया गया था। दस्तावेज सत्यापन के समय ईडब्ल्यूएस में होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.8.2024 में लिये निर्णयानुसार दस्तावेज सत्यापन तक ही त्रुटि सुधार किया जाना संभव है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना 17.10.2021 के अनुसार सामान्य श्रेणी में आवेदन करने व इसके उपरान्त 2 बार त्रुटि संशोधन का अवसर प्रदान कर दिये जाने तथा दस्तावेज सत्यापन तक भी त्रुटि सुधार नहीं करवाये के जाने के कारण अभ्यर्थी को अब ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं माना जा सकता। उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में न्यायालय द्वारा जारी डिक्री प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण विच्छिन्न विवाह वर्ग के आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
56	TARUN JAIN	NO169765	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र दिनांक 13.06.2023 प्रस्तुत किया है।	अभ्यर्थी ने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है जिसमें इनके प्राप्तांक प्रतिशत 74.705 बनते हैं जो कि अनारक्षित श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत 75.517 से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। इन्होंने ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र 13.06.2023 का जारी संलग्न किया है जो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है। स्पष्ट है कि आवेदन के समय अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं थे। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.22 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है व आवेदन के समय सम्बन्धित जाति वर्ग में नहीं थे, त्रुटि संशोधन के नाम पर उनका जाति वर्ग परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः अभ्यर्थिया को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार एवं डी.बी. अपील सं 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार के अनुसार आवेदित श्रेणी में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
57	VARSAT GEETABEN	NO200144	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 63.210 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक	अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से जारी नहीं होने के कारण जातिगत आरक्षण का लाभ नहीं प्रदान किया गया। फलस्वरूप अभ्यर्थिया के प्राप्तांक अनारक्षित महिला श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ गुजरात राज्य द्वारा जारी	अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से जारी नहीं होने के कारण जातिगत आरक्षण का लाभ

			प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 237 दिवस का सीएचए पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अनुसूचित जनजाति वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। अन्य राज्यों के निवासियों को जातिगत आरक्षण का लाभ देने सम्बन्धी याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्तर से खारिज हो चुकी है। अतः अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 63.208 प्रतिशत अनारक्षित सामान्य महिला श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 69.245 प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	नहीं प्रदान किया गया। फलस्वरूप अभ्यर्थिया के प्राप्तांक अनारक्षित महिला श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ गुजरात राज्य द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। अन्य राज्यों के निवासियों को जातिगत आरक्षण का लाभ देने सम्बन्धी याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्तर से खारिज हो चुकी है। अतः अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 63.208 प्रतिशत अनारक्षित सामान्य महिला श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 69.245 प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।
58	AKASH JOSHI	NO178163	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनीसएल जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 70.87 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 70.21 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम सूची में किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
59	ANAR SINGH MEENA	NO202874	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
60	ASHA KANWAR	NO192951	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कोविड अवधि के बोनस अंकों को जोड़कर इंडब्ल्यूएस फिनेल श्रेणी में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.520 होने एवं स्वयं के कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर द्वारा 201 दिवस का एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुंझुनू द्वारा 402 दिवस कुल 603 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिनमें अभ्यर्थी का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।








			का उल्लेख कर अंतिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप उप स्वास्थ्य केन्द्र/हैल्थ वेलनेस सेन्टर पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. को अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
61	BIRJU KUMAR SANKHALA	NO175585	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर 67.72 है जो कि अनुसूचित जाति मेल सामान्य कट ऑफ 65.27 से अधिक है। दस्तावेज सत्यापन के समय कोविड अवधि में कार्य करने पर बोनस के रूप में 15 प्रतिशत का लाभ भी पहले दिया गया था जो प्रोविजनल सूची में बिना कारण से हटा दिया गया है अतः बोनस अंको का लाभ देते हुये प्रोजेक्शनल सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
62	CHETNA KANWAR RATHORE	NO181791	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर EWS कटेगरी में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.93 होने के उपरान्त भी स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन करने का उल्लेख कर अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा जारी कुल 401 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसमें अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सी.एच.ओ. के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप उप स्वास्थ्य केन्द्र/हैल्थ वेलनेस सेन्टर पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. को अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
63	DEEPAK KUMAR DHAKAR	NO195163	परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं है परन्तु दस्तावेज संलग्न (अनुभव पद-सी.एच.ओ.)	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
64	DEEPIKA KUMARI	NO203409	अभ्यर्थियां ने परिवेदना प्रस्तुत कर 10 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.40 जो की एमबीबीएस एनसीएल महिला वर्ग की कट ऑफ 58.666 प्रतिशत से ज्यादा होने का उल्लेख कर अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर द्वारा जारी कुल 402 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसमें अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सी.एच.ओ. के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।



				नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप उप स्वास्थ्य केन्द्र/हैल्थ वेलनेस सेन्टर पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. को अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
65	DIKSHA MEHATA	NO153510	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.630 जो की ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग की कट ऑफ 54 प्रतिशत से ज्यादा होने का उल्लेख कर चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर तदनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
66	DINESH GURJAR	NO187147	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर कोविड अवधि में सीएचओ के पद पर कार्य किये जाने का उल्लेख कर 15 बोनस अंको का लाभ देकर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा 199 दिवस का एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा 402 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिनमें अभ्यर्थी का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर/उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप उप स्वास्थ्य केन्द्र/हैल्थ वेलनेस सेन्टर पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. को अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
67	DURGA SAINI	NO180201	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कोविड अवधि में कार्य करने पर 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर कुल प्राप्तांक 71.610 प्रतिशत जो की ओबीसी एनसीएल सामान्य श्रेणी की कुल कट ऑफ 66.41 से ज्यादा होने का उल्लेख कर बोनस अंको का लाभ देकर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा जारी कुल 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसमें अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप उप स्वास्थ्य केन्द्र/हैल्थ वेलनेस सेन्टर पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. को अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।



68	GEETA SHARMA	NO164251	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ईडब्ल्यूएस महिला श्रेणी की कट ऑफ 55.5 से ज्यादा 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 62.190 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़ चुरु द्वारा जारी कुल 371 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसमें अनुभव उप स्वास्थ्य केन्द्र, हंसियाबास राजगढ़ चुरु पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंको का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप उप स्वास्थ्य केन्द्र/हेल्थ वेलनेस सेन्टर पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. को अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। किन्तु अभ्यर्थी को अनुभव के आधार पर दी गई राशि भुगतान दिवसों से भुगतान दर के आधार पर मिलान नहीं होने के कारण अनुभव पुर्नसत्यापन के आधार पर देय बोनस अंको का लाभ प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
69	GOVIND RAM RAIGAR	NO194415	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति वर्ग की कट ऑफ 65.27 प्रतिशत से ज्यादा स्वयं के 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.72 होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
70	HEENA KANWAR	NO173274	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग महिला में 63.57 प्रतिशत कट ऑफ अंक 55.84 से ज्यादा अंक प्राप्त होने के पश्चात् भी सूची में नाम नहीं आया एवं बोनस अंक का लाभ देने में त्रुटि हुई है। अतः अभ्यर्थिया द्वारा पुनः बोनस अंक की जांच कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
71	HEMLATA SHARMA	NO161693	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
72	JYOTIBA CHANDOLIYA	NO187708	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 68.760 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 196 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।		
73	KARTIK TAILOR	NO208683	अभ्यर्थी ने ओबीसी-एनसीएल पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 70.690 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने 84 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
74	KHEMCHAND MEGHVANSHI	NO186492	अभ्यर्थी ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 174 दिवस एवं 396 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
75	KIRAN	NO183007	अभ्यर्थी ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं को कोविड काल में कार्य करने के अनुभव का लाभ देने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी ने 197 दिवस एवं 402 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा जारी कुल 599 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें अनुभव सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप उप स्वास्थ्य केन्द्र/हैल्थ वेलनेस सेन्टर पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. को अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
76	KRISHNA GURJAR	NO197336	अभ्यर्थी ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 337 एवं 126 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
77	KRISHNA KUMARI KOLI	NO106748	अभ्यर्थी ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 66.38 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने 197 एवं 402 दिवस	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर द्वारा 197 दिवस एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा द्वारा 402 दिवस कुल 599 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें अनुभव उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप उप स्वास्थ्य केन्द्र/हैल्थ वेलनेस सेन्टर पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. को अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
78	KUNVAR SINGH	NO187015	अभ्यर्थी ने एमबीबीसी-एनसीएल पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 70.92 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने 197 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
79	LAXMAN DASS	NO102109	अभ्यर्थी ने ओबीसी-एनसीएल वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 71.20 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने 599 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
80	MAMTA MEENA	NO184623	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 62.350 अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग की कटऑफ 62.05 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अनुभव के आधार पर बोनस अंकों का लाभ देते हुए अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टॉक द्वारा जारी कुल 395 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसमें अभ्यर्थी का अनुभव उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप उप स्वास्थ्य केन्द्र/हैल्थ वेलनेस सेन्टर पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. को अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
81	MS.SHALU	NO187567	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी वाइमेर	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं

	SHARMA		अभ्यर्थी को 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाकर ईडब्ल्यूएस वर्ग में कुल प्राप्तांक 63.60 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस वर्ग की कटऑफ लगभग 55 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	द्वारा जारी 189 दिवस का एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा जारी 364 दिवस का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनमें अभ्यर्थी का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रू. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप उप स्वास्थ्य केन्द्र/हैल्थ वेलनेस सेन्टर पर रू. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. को अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
82	nisha verma	NO217979	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा जारी 561 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनमें अभ्यर्थी का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रू. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप उप स्वास्थ्य केन्द्र/हैल्थ वेलनेस सेन्टर पर रू. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. को अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
83	PHOOL CHAND VERMA	NO201301	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में सीएचओ (603 दिवस, 25000 दर) का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 68.660 प्रतिशत होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी के समान अंक वाले अभ्यर्थी का चयन अंतरिम सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
84	POOJA KUMARI RANAWAT	NO191522	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में सीएचओ पद का अनुभव प्रमाण पत्र (पेमेंट रेट 25000) की प्रति संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है जबकि अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः	अभ्यर्थी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक द्वारा जारी उपस्वास्थ्य केन्द्र सीतारामपुरा पर 25000/- प्रतिमाह वेतन पर सीएचओ के पद पर नर्सिंग कार्य का 365 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।



			अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप उप स्वास्थ्य केन्द्र/हैल्थ वेलनेस सेन्टर पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. को अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
85	PRAMOD KUMAR	NO203006	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर बोनस अंक जोड़कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
86	PRIYANKA VERMA	NO210188	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर तदनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
87	RAJESH BHASKAR	NO192503	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
88	RAJESH KUMAR MEENA	NO197417	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि 63.260 प्रतिशत होने पर भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अनुसूचित जनजाति मेल कट ऑफ 63 प्रतिशत तक गई है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ 2 अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं जिसमें एक प्रमाणपत्र 28.3.2022 का चिकित्सा अधीक्षक आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अंजीत, बाड़मेर द्वारा जारी है जो निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा वर्तमान भर्ती हेतु जारी नहीं किया गया है। फलस्वरूप यह प्रमाणपत्र बोनस अंकों का लाभ देने हेतु मान्य नहीं है। समान प्रकरणों रिट याचिका संख्या 5346/20116 कविता पवार बनाम सरकार एवं डीवी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा अनुभव प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने के कारण राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। दूसरा प्रमाणपत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर द्वारा ग्राम पंचायत सूरजपुरा पर सीएचओ के पद पर 25000/- प्रतिमाह वेतन पर 29.03.2022 से 32.03.2023 तक 368 दिवस का कोविड अवधि के बाद का नर्सिंग कार्य का है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। कोविड अवधि के उपरान्त सीएचओ द्वारा हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर जॉब चार्ट के अनुसार कार्य संपादित किया गया है जो नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण इन्हे बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
89	RAKESH VERMA	NO174475	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है 15 बोनस अंक जोड़कर 68.77 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अनुसूचित	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			जाति पुरुष की कट ऑफ 65.277 पर अन्तिम अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर बोनस अंक जोड़कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।		
90	RAMNA DEVI	NO194690	अभ्यर्थियों द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
91	RAMSWAROOP GOCHER	NO199206	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के एमबीसी एनसीएल जाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 65.370 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 64 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम वरियता सूची में अभ्यर्थी का चयन नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
92	SAJJAN KUMAR	NO184697	अभ्यर्थी ने एमबीसी एनसीएल पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 64.24 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। परिवेदना के साथ अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं किये हैं। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बुलुनू द्वारा 402 दिवस एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा 87 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं। अभ्यर्थी का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर चिकित्सोपचार हेतु संस्थान (अस्पताल) नहीं हैं। राजकीय सेवा में कार्यरत एक संविदा नर्सिंग कर्मी अपनी सेवाएं अस्पताल (यथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, मेडिकल कालेज चिकित्सालय) में प्रदान करता है। नर्सिंग ऑफिसर के जॉब चार्ट से स्पष्ट है कि इसकी सेवाएं केवल अस्पताल में ही प्रदान की जा सकती हैं हैल्थ वेलनेस सेन्टर में नहीं। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप उप स्वास्थ्य केन्द्र/हैल्थ वेलनेस सेन्टर पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. को अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
93	SAVITA KUMARI	NO203070	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति वर्ग में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.100 होने के बाद भी चयन नहीं होने एवं प्रार्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्राविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

94	SAVITRI SAINI	NO145810	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज 10वीं 12वीं की अंकतालिका, अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, जीएनएम कोर्स की अंकतालिका एवं आरएनसी रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
95	SHARMILA	NO160902	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 66.640 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 66.41 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
96	SUMAN CHOUDHARY	NO173431	अभ्यर्थियां द्वारा स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.520 जो की ओबीसी एनसीएल वर्ग की कट ऑफ 66 प्रतिशत से अधिक होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा जारी कुल 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनमें अभ्यर्थी का अनुभव हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप उप स्वास्थ्य केन्द्र/हेल्थ वेलनेस सेन्टर पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. को अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
97	SUNITA DEVTHIYA	NO189901	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 64.950 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 197 एवं 402 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर सीएचओ पद क अनुभव का लाभ देकर प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने वावत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
98	SUPRIYA KUMARI	NO177417	अभ्यर्थिया ने ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 70.330 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 197	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।



			दिवस (25000 प्रतिमाह दर) का सीएचओ पद का अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न किये हैं। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।		
99	SURYA KANT	NO166058	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में बोनस अंक का लाभ दिया जाकर कुल औसत प्राप्तांक 72.810 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 65.27 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
100	SURYA PRAKASH	NO200374	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 71.93 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 65.27 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़ चुरू द्वारा जारी 196 दिवस एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर द्वारा 402 दिवस जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनमें अभ्यर्थी का अनुभव हैल्थ एवं वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्हीं सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः हैल्थ एवं वेलनेस सेन्टर पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण इन्हे बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
101	TWINKLE	NO181094	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के मापदण्डों के अनुसार कुल औसत प्राप्तांक 69.400 प्रतिशत बनते हैं। अभ्यर्थी का अनुभव प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर के द्वारा जारी किये जाने के उपरांत भी बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक 63.31 प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
102	URMILA BARANDA	NO203863	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 63.410 प्रतिशत है जो कि अंतरिम कटऑफ 62.05 प्रतिशत से अधिक है। अभ्यर्थी को अनुभव	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डूंगरपुर द्वारा जारी कुल 402 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनमें अभ्यर्थी का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।



			प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंको का लाभ नहीं दिया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्य हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप उप स्वास्थ्य केन्द्र/हेल्थ येलनेस सेन्टर पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. को अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
103	URMILA DEVI GURJAR	NO159755	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
104	UTTAM	NO184304	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में बोनस अंको सहित कुल औसत प्राप्तांक 72.550 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
105	UTTAM KUNWAR	NO167366	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
106	VIJENDRA KUMAR JATAV	NO197504	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई केवल स्वयं के दस्तावेज एवं सीएचओ पद पर जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
107	VISHVENDRA SINGH	NO104137	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी एससी जातिवर्ग में कोविड के 15 बोनस जोड़कर प्राप्तांक 70.420 होने एवं कटऑफ से ज्यादा होने के उपरान्त भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं आया। संलग्न अंकतालिकाएं, एवं सीएचओ का अनुभव प्रमाण पत्र	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
108	MANISHA DEVI	NO163614	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 64.85 प्रतिशत है, जो ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग की कटऑफ 55.55 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है, जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

			किया गया है। अभ्यर्थी ने कोरोना काल के अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने का उल्लेख करते हुए अनुभव के आधार पर बोनस अंक दिये जाकर ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया गया है।		
109	ARTI KUMARI TANWAR	NO125496	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर आईडी नम्बर NO169967 व NO164122 दोनों अभ्यर्थी की जाति गर्ग एवं यादव है जबकि इनका सलेक्शन अनुसूचित जाति वर्ग में होना बताया है साथ ही सम्मत कुमारी रेवास आईडी नम्बर NO168790 एवं NO201318 इसका एक ही नाम से दो आईडी में सलेक्शन होने का उल्लेख कर चयन सूची की पुनः जांचकर फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर कर इनके खिलाफ कार्यवाही किये जाने हेतु निवेदन किया है।	एक ही अभ्यर्थी द्वारा दो आवेदन होने पर चयन होने की स्थिति में परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है। अतः वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
110	DEVRAJ ACHARYA	NO141421	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निम्न तथ्यों की जांच करने हेतु निवेदन किया है:- 1. विभिन्न कारणों से परिणाम रोके जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दस्तावेज सत्यापन सूची के नाम नहीं होने के उपरान्त भी अंतरिम वरियता सूची में निम्न अभ्यर्थियों का नाम अंकित है जिनका विवरण निम्नानुसार है:- क्रम संख्या 37 (NO106194), 119 (119207), 244 (136629), 272 (139209), 326 (141312), 370 (142821), 455 (145177), 613 (149755), 798 (154985), 920 (158493), 1125 (164798), 1236 (167605), 1265 (168479), 1323 (170384), 1512 (178125), 1595 (182421), 1607 (182933), 2239 (212973), 2250 (217823), 2258 (217968), 2259 (217990) इसके अतिरिक्त सूची में लगभग 150 नाम अंकित है। 2. कुछ अभ्यर्थी की लोधा जाति है, जो ओबीसी की श्रेणी में आती है परन्तु उनको बिना ईडब्ल्यूएस की जांच किये बिना ही उनको ईडब्ल्यूएस श्रेणी से चयन किया गया है। क्रम संख्या 1572 (179289), 1743 (106194), 2233 (137536) इसके अतिरिक्त सूची में 30 नाम अंकित है। 3. उक्त भर्ती में एम्स व निजी हॉस्पिटल में कार्यरत कार्मिकों को सम्मिलित नहीं किया गया था परन्तु वरियता सूची में ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जो	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

एम्स व निजी हॉस्पिटल में कार्यरत थे जिनका विवरण निम्नानुसार है:- क्रम संख्या 946 (147346), (204838) जो लगभग 30 से 40 नाम अंकित है।

4. कुछ अभ्यर्थी अन्य पदों पर कार्यरत हैं तथा ऐसे अभ्यर्थी हैं जो न ही किसी पद पर कार्य किया है एवं तथा उनको भी 30 प्रतिशत अनुभव प्रमाण दिया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:- क्रम संख्या 267 (194966), 1740 (194966), 2024 (155457), 2101 (198045), 1743 (187760), 854 (156619), 594 (209174), 1045 (169792), (202546) आदि अभ्यर्थियों ने नर्सिंग पद का फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस भर्ती में सम्मिलित होते हुए और बिना अनुभव प्रमाण पत्र की जांच किये अंतरिम वरियता सूची में शामिल कर लिया गया। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 140-150 है।

5. उक्त भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन की सूची में प्रतिशत बदलाव किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:- (196764) डी0वी0 77.83 प्रतिशत- पीवी 82.68 प्रतिशत, (160077) डीवी 81.07 - पीवी 82.77 प्रतिशत

6. उक्त भर्ती में जिनका परिणाम रोक दिया गया है इनमें ज्यादातर ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र में प्रस्तुत किया गया है जो अन्तिम तिथि के बाद का है एवं उनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेजों का सत्यापन करवा लिया गया, जिनका चयन वरियता सूची में कर लिया गया है, जो नियमों के विरुद्ध है।

7. कुछ अभ्यर्थियों द्वारा खेल की श्रेणी से आदेश किया गया था, परन्तु उनका चयन खेल श्रेणी से नहीं होकर अन्य श्रेणी से कर दिया गया है उनके द्वारा न तो गिरवेन्स पोर्टल पर अपडेट किया गया और उनको अन्तिम वरियता सूची में श्रेणी परिवर्तन कैसे हो गया, जो संदेहजनक एवं नियमों के विरुद्ध है।

8. जयपुर प्रथम व द्वितीय एवं सीएमएचओ झालावाड़ व डूंगरपुर एवं उदयपुर के अनुभव प्रमाण पत्रों की पीएफ आई0डी0 से गहनता से जांच करवाई जावे। इसमें फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं।

9. जीवीके 108 कम्पनी के द्वारा जितने भी 1 माह से लेकर 1 वर्ष तक के अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं उनके पीएफ आई0डी0 से गहनता की जांच

→

17

21 24 28 31

			करवाई जावें। इसमें लगभग सम्पूर्ण वरियता सूची में 500-600 फर्जी अभ्यर्थी पाये जाने की संभावना है। अतः अभ्यर्थी द्वारा उक्त बिन्दुओं की गहनता से जांच करवाई जावें ताकि अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित हो सके।		
111	HARCHAND RAM	NO150604	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 13 अभ्यर्थियों की गहनता से जांच कर उनको एमबीसी वर्ग से बाहर निकालकर अंतिम चयन सूची जारी करने का उल्लेख किया है एवं जिन 13 अभ्यर्थियों का गलत चयन होने का उल्लेख किया है उनका विवरण निम्नानुसार है:-NO137129, NO193280, NO199544, NO144849, NO195925, NO191025, NO167707, NO190024, NO193071, NO136498, NO186862, NO165672, NO179929	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल शिकायत प्रस्तुत की है जिस पर जांच कर ली गई है। परिवेदना में प्रस्तुत अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान एमबीसी एनसीएल वर्ग के जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये है जिसके आधार पर इन्हे एमबीसी एनसीएल वर्ग में माना गया है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
112	JAI PRAKASH SHARMA	NO126083	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 के अन्तर्गत दस्तावेज सत्यापन की सूची में कुछ अभ्यर्थियों का नाम सम्मिलित नहीं था, ना ही किसी परिवेदना में सम्मिलित था परन्तु अंतिम वरियता सूची में सम्मिलित किया गया है जिससे अभ्यर्थी का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने निम्नलिखित तथ्यों की जांच करने हेतु निवेदन किया है:- 1. क्रम संख्या 37 (NO106194), 119 (119207), 244 (136629), 272 (139209), 326 (141312), 370 (142821), 455 (145177), 613 (149755), 798 (154985), 920 (158493), 1125 (164798), 1236 (167605), 1265 (168479), 1323 (170384), 1512 (178125), 1595 (182421), 1607 (182933), 2239 (212973), 2250 (217823), 2258 (217968), 2259 (217990) इसके अतिरिक्त सूची में लगभग 150 नाम अंकित है। 2. कुछ अभ्यर्थी की लोधा जाति है, जो ओबीसी की श्रेणी में आती है परन्तु उनको बिना ईडब्ल्यूएस की जांच किये बिना ही उनको ईडब्ल्यूएस श्रेणी से चयन किया गया है। क्रम संख्या 1572 (179289), 1743 (106194), 2233 (137536) इसके अतिरिक्त सूची में 30 नाम अंकित है। 3. उक्त भर्ती में एम्स व निजी हॉस्पिटल में कार्यरत	अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है वलिक शिकायत प्रस्तुत की है। परिवेदना में अंकित तथ्यों के संबंध में लेख है नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 में अन्तर्गत चयन सूची में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के दस्तावेजों जैसे शैक्षणिक/ व्यावसायिक योग्यता, अनुभव, पंजीयन एवं पात्रता आदि के संबंध में गहनता से जांच करवाये जाने के उपरान्त ही यथासंभव पात्र अभ्यर्थियों को अन्तिम चयन सूची में सम्मिलित किया जा रहा है। चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में विभाग द्वारा नियुक्ति आदेशों में स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि इसके उपरान्त भी यदि किसी आवेदक के संबंध में प्रकरण ध्यान में लाया जायेगा तो इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

कार्मिकों को सम्मिलित नहीं किया गया था परन्तु वरियता सूची में ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जो एम्स व निजी हॉस्पिटल में कार्यरत थे जिनका विवरण निम्नानुसार है:- क्रम संख्या 946 (147346), (204838) जो लगभग 30 से 40 नाम अंकित है।

4. कुछ अभ्यर्थी अन्य पदों पर कार्यरत हैं तथा ऐसे अभ्यर्थी हैं जो न ही किसी पद पर कार्य किया है एवं तथा उनको भी 30 प्रतिशत अनुभव प्रमाण दिया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:- क्रम संख्या 267 (194966), 1740 (194966), 2024 (155457), 2101 (198045), 1743 (187760), 854 (156619), 594 (209174), 1045 (169792), (202546) आदि अभ्यर्थियों ने नर्सिंग पद का फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस भर्ती में सम्मिलित होते हुए और बिना अनुभव प्रमाण पत्र की जांच किये अंतरिम वरियता सूची में शामिल कर लिया गया। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 140-150 है।

5. उक्त भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन की सूची में प्रतिशत बदलाव किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:- (196764) डी0वी0 77.83 प्रतिशत- पीवी 82.68 प्रतिशत, (160077) डीवी 81.07 - पीवी 82.77 प्रतिशत

6. उक्त भर्ती में जिनका परिणाम रोक दिया गया है इनमें ज्यादातर ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र में प्रस्तुत किया गया है जो अन्तिम तिथि के बाद का है एवं उनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेजों का सत्यापन करवा लिया गया, जिनका चयन वरियता सूची में कर लिया गया है, जो नियमों के विरुद्ध है।

7. कुछ अभ्यर्थियों द्वारा खेल की श्रेणी से आवेदन किया गया था, परन्तु उनका चयन खेल श्रेणी से नहीं होकर अन्य श्रेणी से कर दिया गया है उनके द्वारा न तो गिरवेन्स पोर्टल पर अपडेट किया गया और उनको अन्तिम वरियता सूची में श्रेणी परिवर्तन कैसे हो गया, जो संदेहजनक एवं नियमों के विरुद्ध है।

8. जयपुर प्रथम व द्वितीय एवं सीएमएचओ झालावाड व डूंगरपुर एवं उदयपुर के अनुभव प्रमाण पत्र की पीएफ आई0डी0 से गहनता से जांच करवाई जावे। इसमें फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं।

9. जीवीके 108 कम्पनी के द्वारा जितने भी 1 माह से

			लेकर 1 वर्ष तक के अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये गये है उनके पीएफ आई0डी0 से गहनता की जांच करवाई जावे। इसमें लगभग सम्पूर्ण वरियता सूची में 500-600 फर्जी अभ्यर्थी पाये जाने की संभावना है। अतः अभ्यर्थी द्वारा उक्त बिन्दुओं की गहनता से जांच करवाई जावे ताकि अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित हो सके।		
113	JITENDRA VERMA	NO171852	<p>अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में हैल्थ एडवाइजरी ऑफिसर, हैल्थ एडवाइजरी सर्विसेज पदनाम का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुभव पदनाम के समान अन्य अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित है जबकि अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>क्रमांक 1366, आई0डी0 163056, हेतराम पुत्र श्री ब्रजलाल, जन्म दिनांक 25.06.1991, प्रतिशत 77.589, सामान्य</li> <li>क्रमांक 1422, आई0डी0 169174, महेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री जगदीश प्रसाद यादव, जन्म दिनांक 01.09.1992, प्रतिशत 77.413, सामान्य</li> <li>क्रमांक 2053, आई0डी0 129041, देवेन्द्र पुत्र श्री विजय, जन्म दिनांक 19.09.1988, प्रतिशत 75.504, अनुसूचित जाति</li> <li>क्रमांक 2120, आई0डी0 139315, खुशीराम चौधरी पुत्र श्री नेनुमल चौधरी, जन्म दिनांक 04.01.1994, प्रतिशत 75.235, ओबीसी एनसीएल</li> <li>क्रमांक 2710, आई0डी0 143576, कमलेश टेलर पुत्र श्री रामदयाल टेलर, जन्म दिनांक 06.05.1985, प्रतिशत 73.272, ओबीसी एनसीएल</li> <li>क्रमांक 455, आई0डी0 105536, संजय कुमार पुत्र श्री नायक गोपाल लाल, जन्म दिनांक 08.11.1991, प्रतिशत 80.502, सामान्य</li> <li>क्रमांक 2477, आई0डी0 159126, जितेन्द्र कुमार गौड़ पुत्र श्री भरत लाल शर्मा, जन्म दिनांक 02.09.1987, प्रतिशत 74.093, इंडब्ल्यूएस</li> </ol> <p>नर्सिंग भर्ती 2018 में भी श्रीमती कोमल शर्मा पुत्री श्री पूरणमल शर्मा, जिनका अनुभव हैल्थ एडवाइजरी ऑफिसर पद का था, को नियुक्ति दी जा चुकी है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।</p>	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

24

7


31

114	LALA RAM	NO145638	<p>अभ्यर्थी ने निम्न बिन्दुओं में परिवेदना प्रस्तुत की है- अनारक्षित से ओबीसी वर्ग में सम्मिलित लोगों को हटाया जाये जिनकी आईडी निम्न है- 116502,129602,144444,146227,147407,149656,153805,166505,176818,155509,163459,165523,16991,172562,1822771</p> <p>2) आयुसीमा में छूट दी गई है तो ओबीसी वर्ग में सम्मिलित लोगों को अनारक्षित वर्ग में क्यों सम्मिलित नहीं किया गया- सीरियल नंबर 102 धर्मवीर कुमार, 287 मोहन सिंह, 579 धनरूप रावल</p> <p>3) सीएचए, सीएचओ को बोनस अंक का लाभ दिया जाये।</p> <p>4) स्वयं को प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।</p>	<p>अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।</p>	<p>प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।</p>
115	MAHESH KUMAR JANGID	NO159974	<p>अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि</p> <p>1. जनरल एवं ओबीसी में सम्मिलित निम्न अभ्यर्थियों को हटाया जावे</p> <p>1. 116502 2. 129602 3. 144444 4. 146227 5. 147407 6. 149656 7. 153805 8. 166505 9. 176818 10. 155509 11. 163459 12. 165523 13. 169991 14. 172562 15. 182771</p> <p>2. ओबीसी की आरक्षण की अनुपालना की जावे।</p> <p>3. आयु सीमा छूट दी गई है तो ओबीसी कैटेगरी में सम्मिलित लोगों को जनरल कैटेगरी में क्यों सम्मिलित नहीं किया गया</p> <p>1. क्रम संख्या 102 पर धर्मवीर कुमार 2. क्रम संख्या 287 पर मोहन सिंह 3. क्रम संख्या 579 पर धन रूप रावल 4. समरूप कार्य के अनुसार बोनस दिये जाये, सीएचए, सीएचओ को बोनस अंक नहीं दिये जावे। 5. अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है क्योंकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का नाम होल्ड लिस्ट में है:- 1. 143271 2. 165145 3. 166127 4. 195849</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है बल्कि शिकायत प्रस्तुत की है। परिवेदना में अंकित तथ्यों के संबंध में लेख है नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 में अन्तरिम चयन सूची में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के दस्तावेजों जैसे शैक्षणिक/ व्यावसायिक योग्यता, अनुभव, पंजीयन एवं पात्रता आदि के संबंध में गहनता से जांच करवाये जाने के उपरान्त ही यथासंभव पात्र अभ्यर्थियों को अन्तिम चयन सूची में सम्मिलित किया जा रहा है। चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में विभाग द्वारा नियुक्ति आदेशों में स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि इसके उपरान्त भी यदि किसी आवेदक के संबंध में प्रकरण ध्यान में लाया जायेगा तो इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी के प्रतिशत प्राप्तांक 69.981 है जो ओबीसी एनसीएल के अन्तिम चयनित अभ्यर्थी की कटआफ प्रतिशत 70.188 से कम होने के कारण चयन से वंचित है।</p>	0
116	MAHESH KUMAR	NO140179	<p>अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निम्न तथ्यों की जांच करने हेतु निवेदन किया है:-</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है बल्कि शिकायत प्रस्तुत की है। परिवेदना में अंकित तथ्यों के संबंध में लेख है नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 में अन्तरिम</p>	<p>प्रस्तावानुसार अनुमोदित।</p>



MOONDRA	<p>1. विभिन्न कारणों से परिणाम रोके जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दस्तावेज सत्यापन सूची के नाम नहीं होने के उपरांत भी अंतरिम वरियता सूची में निम्न अभ्यर्थियों का नाम अंकित है जिनका विवरण निम्नानुसार है:- क्रम संख्या 37 (NO106194), 119 (119207), 244 (136629), 272 (139209), 326 (141312), 370 (142821), 455 (145177), 613 (149755), 798 (154985), 920 (158493), 1125 (164798), 1236 (167605), 1265 (168479), 1323 (170384), 1512 (178125), 1595 (182421), 1607 (182933), 2239 (212973), 2250 (217823), 2258 (217968), 2259 (217990) इसके अतिरिक्त सूची में लगभग 150 नाम अंकित है।</p> <p>2. कुछ अभ्यर्थी की लोधा जाति है, जो ओबीसी की श्रेणी में आती है परन्तु उनको बिना ईडब्ल्यूएस की जांच किये बिना ही उनको ईडब्ल्यूएस श्रेणी से चयन किया गया है। क्रम संख्या 1572 (179289), 1743 (106194), 2233 (137536) इसके अतिरिक्त सूची में 30 नाम अंकित है।</p> <p>3. उक्त भर्ती में एम्स व निजी हॉस्पिटल में कार्यरत कार्मिकों को सम्मिलित नहीं किया गया था परन्तु वरियता सूची में ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जो जिनका विवरण निम्नानुसार है:- क्रम संख्या 946 (147346), (204838) जो लगभग 30 से 40 नाम अंकित है।</p> <p>4. कुछ अभ्यर्थी अन्य पदों पर कार्यरत हैं तथा ऐसे अभ्यर्थी हैं जो न ही किसी पद पर कार्य किया है एवं तथा उनको भी 30 प्रतिशत अनुमति प्रमाण दिया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:- क्रम संख्या 267 (194966), 1740 (194966), 2024 (155457), 2101 (198045), 1743 (187760), 854 (156619), 594 (209174), 1045 (169792), (202546) आदि अभ्यर्थियों ने नर्सिंग पद का फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस भर्ती में सम्मिलित होते हुए और बिना अनुभव प्रमाण पत्र की जांच किये अंतरिम वरियता सूची में शामिल कर लिया गया। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 140-150 है।</p> <p>5. उक्त भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन की सूची में प्रतिशत बदलाव किया गया है</p>	<p>चयन सूची में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के दस्तावेजों जैसे शैक्षणिक/ व्यावसायिक योग्यता, अनुभव, पंजीयन एवं पात्रता आदि के संबंध में गहनता से जांच करवाये जाने के उपरान्त ही यथासंभव पात्र अभ्यर्थियों को अन्तिम चयन सूची में सम्मिलित किया जा रहा है। चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में विभाग द्वारा नियुक्ति आदेशों में स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि इसके उपरान्त भी यदि किसी आवेदक के संबंध में प्रकरण ध्यान में लाया जायेगा तो इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।</p>
---------	--	--

			<p>जिनका विवरण निम्नानुसार है:- (196764) डी0वी0 77.83 प्रतिशत- पीवी 82.68 प्रतिशत, (160077) डीवी 81.07 - पीवी 82.77 प्रतिशत</p> <p>6. उक्त भर्ती में जिनका परिणाम रोका गया है इनमें ज्यादातर ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र में प्रस्तुत किया गया है जो अन्तिम तिथि के बाद का है एवं उनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेजों का सत्यापन करवा लिया गया, जिनका चयन वरियता सूची में कर लिया गया है, जो नियमों के विरुद्ध है।</p> <p>7. कुछ अभ्यर्थियों द्वारा खेल की श्रेणी से आदेश किया गया था, परन्तु उनका चयन खेल श्रेणी से नहीं होकर अन्य श्रेणी से कर दिया गया है उनके द्वारा न तो गिरवेन्स पोर्टल पर अपडेट किया गया और उनको अन्तिम वरियता सूची में श्रेणी परिवर्तन कैसे हो गया, जो संदेहजनक एवं नियमों के विरुद्ध है।</p> <p>8. जयपुर प्रथम व द्वितीय एवं सीएमएचओ झालावाड व डूंगरपुर एवं उदयपुर के अनुभव प्रमाण पत्र की पीएफ आई0डी0 से गहनता से जांच करवाई जायें। इसमें फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये गये है।</p> <p>9. जीवीके 108 कम्पनी के द्वारा जितने भी 1 माह से लेकर 1 वर्ष तक के अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये गये है उनके पीएफ आई0डी0 से गहनता की जांच करवाई जायें। इसमें लगभग सम्पूर्ण वरियता सूची में 500-600 फर्जी अभ्यर्थी पाये जाने की संभावना है। अतः अभ्यर्थी द्वारा उक्त बिन्दुओं की गहनता से जांच करवाई जायें ताकि अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित हो सके।</p>		
117	MAHESH KUMAR PAREEK	NO145348	<p>अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निम्न तथ्यों की जांच करने हेतु निवेदन किया है:-</p> <p>1. विभिन्न कारणों से परिणाम रोके जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दस्तावेज सत्यापन सूची के नाम नहीं होने के उपरान्त भी अंतरिम वरियता सूची में निम्न अभ्यर्थियों का नाम अंकित है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-</p> <p>क्रम संख्या 37 (NO106194), 119 (119207), 244 (136629), 272 (139209), 326 (141312), 370 (142821), 455 (145177), 613 (149755), 798 (154985), 920 (158493), 1125 (164798), 1236 (167605), 1265 (168479), 1323 (170384), 1512</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है वल्कि शिकायत प्रस्तुत की है। परिवेदना में अंकित तथ्यों के संबंध में लेख है नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 में अन्तरिम चयन सूची में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के दस्तावेजों जैसे शैक्षणिक/ व्यावसायिक योग्यता, अनुभव, पंजीयन एवं पात्रता आदि के संबंध में गहनता से जांच करवाये जाने के उपरान्त ही यथासंभव पात्र अभ्यर्थियों को अन्तिम चयन सूची में सम्मिलित किया जा रहा है। चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में विभाग द्वारा नियुक्ति आदेशों में स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि इसके उपरान्त भी यदि किसी आवेदक के संबंध में प्रकरण ध्यान में लाया जायेगा तो इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।</p>	प्रस्तावानुसार अनुमोदित ।



(178125), 1595 (182421), 1607 (182933), 2239 (212973), 2250 (217823), 2258 (217968), 2259 (217990) इसके अतिरिक्त सूची में लगभग 150 नाम अंकित है।

2. कुछ अभ्यर्थी की लोधा जाति है, जो ओबीसी की श्रेणी में आती है परन्तु उनको बिना ईडब्ल्यूएस की जांच किये बिना ही उनको ईडब्ल्यूएस श्रेणी से चयन किया गया है। क्रम संख्या 1572 (179289), 1743 (106194), 2233 (137536) इसके अतिरिक्त सूची में 30 नाम अंकित है।

3. उक्त भर्ती में एम्स व निजी हॉस्पिटल में कार्यरत कार्मिकों को सम्मिलित नहीं किया गया था परन्तु वरियता सूची में ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जो एम्स व निजी हॉस्पिटल में कार्यरत थे जिनका विवरण निम्नानुसार है:- क्रम संख्या 946 (147346), (204838) जो लगभग 30 से 40 नाम अंकित है।

4. कुछ अभ्यर्थी अन्य पदों पर कार्यरत हैं तथा ऐसे अभ्यर्थी हैं जो न ही किसी पद पर कार्य किया है एवं तथा उनको भी 30 प्रतिशत अनुभव प्रमाण दिया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:- क्रम संख्या 267 (194966), 1740 (194966), 2024 (155457), 2101 (198045), 1743 (187760), 854 (156619), 594 (209174), 1045 (169792), (202546) आदि अभ्यर्थियों ने नर्सिंग पद का फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस भर्ती में सम्मिलित होते हुए और बिना अनुभव प्रमाण पत्र की जांच किये अंतरिम वरियता सूची में शामिल कर लिया गया। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 140-150 है।

5. उक्त भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन की सूची में प्रतिशत बदलाव किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:- (196764) डी0वी0 77.83 प्रतिशत- पीवी 82.68 प्रतिशत, (160077) डीवी 81.07 - पीवी 82.77 प्रतिशत

6. उक्त भर्ती में जिनका परिणाम रोकना गया है इनमें ज्यादातर ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र में प्रस्तुत किया गया है जो अन्तिम तिथि के बाद का है एवं उनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेजों का सत्यापन करवा लिया गया, जिनका चयन वरियता सूची में कर लिया गया है, जो नियमों के विरुद्ध है।

7. कुछ अभ्यर्थियों द्वारा खेल की श्रेणी से आदेश

			<p>किया गया था, परन्तु उनका चयन खेल श्रेणी से नहीं होकर अन्य श्रेणी से कर दिया गया है उनके द्वारा न तो गिरवेन्स पोर्टल पर अपडेट किया गया और उनको अन्तिम वरियता सूची में श्रेणी परिवर्तन कैसे हो गया, जो संदेहजनक एवं नियमों के विरुद्ध है।</p> <p>8. जयपुर प्रथम व द्वितीय एवं सीएमएचओ झालावाड व डूंगरपुर एवं उदयपुर के अनुभव प्रमाण पत्र की पीएफ आई0डी0 से गहनता से जांच करवाई जावे। इसमें फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये गये है।</p> <p>9. जीवीके 108 कम्पनी के द्वारा जितने भी 1 माह से लेकर 1 वर्ष तक के अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये गये है उनके पीएफ आई0डी0 से गहनता की जांच करवाई जावे। इसमें लगभग सम्पूर्ण वरियता सूची में 500-600 फर्जी अभ्यर्थी पाये जाने की संभावना है। अतः अभ्यर्थी द्वारा उक्त बिन्दुओं की गहनता से जांच करवाई जावे ताकि अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित हो सके।</p>	
118	MONIKA KUMARI	NO203733	<p>अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी ने सीएचए पद के अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव दिनांक में संशोधन कर पुनः संशोधन अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर 15 प्रतिशत अनुभव का लाभ दिये जाने हेतु निवेदन किया है।</p>	<p>अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ कोविड अवधि का 167 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। जिसके आधार पर अभ्यर्थिया को कुल 15 बोनस अंक पूर्व में ही दिये जा चुके हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।</p>
119	MUKESH KUMAR SHARMA	NO141886	<p>अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निम्न बिन्दुओं के संबंध में जांच कर परिवेदना का निराकरण करने हेतु निवेदन किया है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों की जांच हो तथा वार्षिक आय, भूमि का ब्यौरा लेकर अयोग्य अभ्यर्थियों को बाहर किया जावे।</li> <li>2. अभ्यर्थी, जिनको सीएचओ पद का अनुभव का लाभ दिया गया है, उन सभी अयोग्य अभ्यर्थियों को बाहर किया जावे।</li> <li>3. कोविड महामारी में कार्यरत कार्मिक, जिनका 15 प्रतिशत बोनस अंक दिये गये है, चाहे 01 दिवस ही कार्य किया है, की समय सीमा 100 दिवस की जावे तथा 15 प्रतिशत बोनस दिये जावे। सभी अभ्यर्थियों की पीएफ एवं सैलेरी स्लिप की जांच की जावे।</li> <li>4. अभ्यर्थी ने अभ्यर्थियों की सूची संलग्न कर जांच किये जाने हेतु निवेदन किया है।</li> </ol>	<p>अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है बल्कि शिकायत प्रस्तुत की है। परिवेदना में अंकित तथ्यों के संबंध में लेख है नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 में अन्तरिम चयन सूची में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के दस्तावेजों जैसे शैक्षणिक/ व्यावसायिक योग्यता, अनुभव, पंजीयन एवं पात्रता आदि के संबंध में गहनता से जांच करवाये जाने के उपरान्त ही यथासंभव पात्र अभ्यर्थियों को अन्तिम चयन सूची में सम्मिलित किया जा रहा है। चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में विभाग द्वारा नियुक्ति आदेशों में स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि इसके उपरान्त भी यदि किसी आवेदक के संबंध में प्रकरण ध्यान में लाया जायेगा तो इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में कोविड अवधि में बोनस अंक दिए जाने के संबंध में मनीय न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।</p>
120	RAJENDRA	NO155968	<p>अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्न अभ्यर्थी</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है बल्कि शिकायत प्रस्तुत की है।</p>

	PRASAD ROJ		जिनके नाम व ऐप्लिकेशन संख्या (महेश यादव पुत्र नन्दाराम यादव NO189729 मेल ओबीसी एनसीएल, अमित कुमार वर्मा पुत्र मदन लाल वर्मा NO196338 मेल एससी) है इन्होंने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के माध्यम से फार्म भरा है जिससे इनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम जोड़ा गया है का उल्लेख कर इनके दस्तावेजों की पुनः जांच की जाकर प्रोविजनल सूची से नाम हटाने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी परिवेदना में उल्लेखित आईडी के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनःसत्यापन अनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	
121	RAJESH KANWAR	NO181361	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कि जो निम्न है:- 1. यूआर अनरिजर्व से ओबीसी में सम्मिलित लोगों को हटाया जावे। 2. ओबीसी फीमेल की आरक्षण की अनुपालना करवाने बाबत। 3. समरूप कार्य के अनुसार बोनस अंक दिये जाये सीएचए, सीएचओ को बोनस अंक नहीं दिये जायें। 4. प्रार्थिया ने अवगत कराया है कि उसकी आईडी प्रोविजनल सूची एवं होल्ड दोनों में सम्मिलित नहीं है एवं फर्जी लोगों की वजह से मेरा नम्बर नहीं आया एव ओबीसी महिला में मेरे सीट 920 है जोकि आपके द्वारा 700 में लगभग दी गई। इसमें ओबीसी एनसीएल महिला के पदों की संख्या बढ़ाकर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करे।	अभ्यर्थी ने कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है बल्कि एक शिकायती मांगपत्र प्रस्तुत किया है। अन्तरिम वरियता सूची कार्मिक विभाग द्वारा आयुसीमा में दी गई छूट के आधार पर नियमानुसार जारी की गई है। जिसमें ओबीसी महिला के विज्ञापित पदों के अनुसार चयन किया गया है। बोनस अंकों के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में दिए गए निर्देशानुसार कार्यवाही की जा रही है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
122	RAKHI	NO127210	अभ्यर्थिया ने अवगत कराया है कि 55.57 प्रतिशत प्राप्तांक पर भी नाम सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि 55.54 प्रतिशत (NO152476) वाले अभ्यर्थी का होल्ड लिस्ट में नाम है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन किया है। अभ्यर्थिया क प्रतिशत प्राप्तांक 55.573 है जो ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग में अन्तिम चयनित अभ्यर्थी के प्रतिशत प्राप्तांक 55.841 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
123	SANJAY MITTAL	NO148991	अभ्यर्थी ने ईडब्ल्यूएस पुरुष वर्ग में आवेदन किया है। परिवेदना प्रस्तुत आईडी संख्या एनओ101182 पर अंकित कुमार गर्ग नामक अभ्यर्थी ने फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र बनवाया हुआ है जिसकी अच्छे से बोर्ड के द्वारा जांच चाही है। यह अभ्यर्थी गाड़ी चला लेता है और अभी पीएचडी कर रहा है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस वर्ग के बहुत से पीएच प्रमाण पत्र फर्जी होने से अवगत कराया है। इन सबकी जांच करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। अभ्यर्थी ने आईडी संख्या 101182 पर अंकित कुमार गर्ग के दिव्यांगता की जांच करने हेतु लिखा है जिस पर मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
124	SANTOSH DEVI	NO145369	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर प्रोविजनल सूची में शामिल एमबीसी वर्ग के 13 अभ्यर्थियों की गहनता	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना में उल्लेखित अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्रों की जांच किये जाने पर सभी अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र एमबीसी एनसीएल वर्ग के है। अतः	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

	GURJAR		से जांच कर उनको एमबीसी वर्ग से बाहर निकालकर अंतिम चयन सूची जारी करने के संबंध में निवेदन किया है। 13 अभ्यर्थियों की सूची NO137129, NO193280, NO199544, NO144849, NO195925, NO191025, NO167707, NO190024, NO193071, NO136498, NO186862, NO186862, NO165672, NO179929	अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत शिकायत तथ्यहीन है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
125	SHIV NANDAN GAUTAM	NO191976	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर सभी अनुभव प्रमाण पत्र की जांच कर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थियों को भर्ती से बाहर किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है वल्कि शिकायत प्रस्तुत की है। परिवेदना में अंकित तथ्यों के संबंध में लेख है नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 में अन्तरिम चयन सूची में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के दस्तावेजों जैसे शैक्षणिक/ व्यावसायिक योग्यता, अनुभव, पंजीयन एवं पात्रता आदि के संबंध में गहनता से जांच करवाये जाने के उपरान्त ही यथासंभव पात्र अभ्यर्थियों को अन्तिम चयन सूची में सम्मिलित किया जा रहा है। चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में विभाग द्वारा नियुक्ति आदेशों में स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि इसके उपरान्त भी यदि किसी आवेदक के संबंध में प्रकरण ध्यान में लाया जायेगा तो इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
126	SONU	NO189528	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दस्तावेज सत्यापन में अभ्यर्थी से कम नम्बर वाले अभ्यर्थियों की जांच कर योग्य अभ्यर्थियों को ही अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी से कम नम्बर वाले अभ्यर्थी निम्न प्रकार है:- 1. क्रम संख्या 21 आई0डी0 संख्या 103022 2. क्रम संख्या 424 आई0डी0 संख्या 174641 3. क्रम संख्या 1664 आई0डी0 संख्या 150808 4. क्रम संख्या 2507 आई0डी0 संख्या 189487 5. क्रम संख्या 3281 आई0डी0 संख्या 185574 6. क्रम संख्या 4127 आई0डी0 संख्या 185583 7. क्रम संख्या 6770 आई0डी0 संख्या 143565 8. क्रम संख्या 9623 आई0डी0 संख्या 187841 9. क्रम संख्या 10288 आई0डी0 संख्या 210616 10. क्रम संख्या 10769 आई0डी0 संख्या 179127 11. क्रम संख्या 10883 आई0डी0 संख्या 151661 12. क्रम संख्या 10897 आई0डी0 संख्या 185855 13. क्रम संख्या 12092 आई0डी0 संख्या 172674	अभ्यर्थी ने ओबीसी एनसीएल वर्ग में आवेदन किया था। अभ्यर्थी के प्रतिशत प्राप्तांक 66.287 है जो ओबीसी एनसीएल वर्ग में अन्तिम चयनित अभ्यर्थी के प्रतिशत प्राप्तांक 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित है।	अभ्यर्थी ने कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। अभ्यर्थी की शिकायत के संबंध में कार्यवाही किया जाना इस समिति के कार्यक्षेत्र में नहीं है।
127	SURENDRA SINGH RATHORE	NO145811	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निम्न तथ्यों की जांच करने हेतु निवेदन किया है:- 1. विभिन्न कारणों से परिणाम रोके जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दस्तावेज सत्यापन सूची के	अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है वल्कि शिकायत प्रस्तुत की है। परिवेदना में अंकित तथ्यों के संबंध में लेख है नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 में अन्तरिम चयन सूची में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के दस्तावेजों जैसे शैक्षणिक/ व्यावसायिक योग्यता, अनुभव, पंजीयन एवं पात्रता आदि के संबंध में गहनता से जांच करवाये जाने के	अभ्यर्थी ने कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। अभ्यर्थी की शिकायत के संबंध में कार्यवाही किया

		<p>नाम नहीं होने के उपरांत भी अंतरिम वरियता सूची में निम्न अभ्यर्थियों का नाम अंकित है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-  क्रम संख्या 37 (NO106194), 119 (119207), 244 (136629), 272 (139209), 326 (141312), 370 (142821), 455 (145177), 613 (149755), 798 (154985), 920 (158493), 1125 (164798), 1236 (167605), 1265 (168479), 1323 (170384), 1512 (178125), 1595 (182421), 1607 (182933), 2239 (212973), 2250 (217823), 2258 (217968), 2259 (217990) इसके अतिरिक्त सूची में लगभग 150 नाम अंकित है।  2. कुछ अभ्यर्थी की लोधा जाति है, जो ओबीसी की श्रेणी में आती है परन्तु उनको बिना ईडब्ल्यूएस की जांच किये बिना ही उनको ईडब्ल्यूएस श्रेणी से चयन किया गया है। क्रम संख्या 1572 (179289), 1743 (106194), 2233 (137536) इसके अतिरिक्त सूची में 30 नाम अंकित है।  3. उक्त भर्ती में एम्स व निजी हॉस्पिटल में कार्यरत कार्मिकों को सम्मिलित नहीं किया गया था परन्तु वरियता सूची में ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जो एम्स व निजी हॉस्पिटल में कार्यरत थे जिनका विवरण निम्नानुसार है:- क्रम संख्या 946 (147346), (204838) जो लगभग 30 से 40 नाम अंकित है।  4. कुछ अभ्यर्थी अन्य पदों पर कार्यरत है तथा ऐसे अभ्यर्थी है जो न ही किसी पद पर कार्य किया है एवं तथा उनको भी 30 प्रतिशत अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:- क्रम संख्या 267 (194966), 1740 (194966), 2024 (155457), 2101 (198045), 1743 (187760), 854 (156619), 594 (209174), 1045 (169792), (202546) आदि अभ्यर्थियों ने नर्सिंग पद का फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस भर्ती में सम्मिलित होते हुए और बिना अनुभव प्रमाण पत्र की जांच किये अंतरिम वरियता सूची में शामिल कर लिया गया। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 140-150 है।  5. उक्त भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन की सूची में प्रतिशत बदलाव किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:- (196764) डी0वी0 77.83 प्रतिशत- पीकी 82.68 प्रतिशत, (160077) डीकी</p>	<p>उपरान्त ही यथासंभव पात्र अभ्यर्थियों को अन्तिम चयन सूची में सम्मिलित किया जा रहा है। चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में विभाग द्वारा नियुक्ति आदेशों में स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि इसके उपरान्त भी यदि किसी आवेदक के संबंध में प्रकरण ध्यान में लाया जायेगा तो इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।</p>	<p>जाना इस समिति के कार्यक्षेत्र में नहीं है।</p>
--	--	---	---	---

1

2

3

4

5

			<p>21.07 - पीवी 82.77 प्रतिशत</p> <p>6. उक्त भर्ती में जिनका परिणाम रोक़ा गया है इनमें ज्यादातर ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र में प्रस्तुत किया गया है जो अन्तिम तिथि के बाद का है एवं उनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेजों का सत्यापन करवा लिया गया, जिनका चयन वरियता सूची में कर लिया गया है, जो नियमों के विरुद्ध है।</p> <p>7. कुछ अभ्यर्थियों द्वारा खेल की श्रेणी से आदेश किया गया था, परन्तु उनका चयन खेल श्रेणी से नहीं होकर अन्य श्रेणी से कर दिया गया है उनके द्वारा न तो गिरवेन्स पोर्टल पर अपडेट किया गया और उनको अन्तिम वरियता सूची में श्रेणी परिवर्तन कैसे हो गया, जो संदेहजनक एवं नियमों के विरुद्ध है।</p> <p>8. जयपुर प्रथम व द्वितीय एवं सीएमएचओ झालावाड व डूंगरपुर एवं उदयपुर के अनुभव प्रमाण पत्र की पीएफ आई0डी0 से गहनता से जांच करवाई जावे। इसमें फर्जी अनुभव, प्रमाण पत्र जारी किये गये है।</p> <p>9. जीवीके 108 कम्पनी के द्वारा जितने भी 1 माह से लेकर 1 वर्ष तक के अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये गये है उनके पीएफ आई0डी0 से गहनता की जांच करवाई जावे। इसमें लगभग सम्पूर्ण वरियता सूची में 500-600 फर्जी अभ्यर्थी पाये जाने की संभावना है। अतः अभ्यर्थी द्वारा उक्त बिन्दुओं की गहनता से जांच करवाई जावे ताकि अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित हो सके।</p>		
128	VIVEK KUMAR MENARIYA	NO200487	<p>अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस वर्ग में 71.983 अंक प्राप्त किये है, और ईडब्ल्यूएस वर्ग की कटऑफ 72.36 रही है, जो इतनी नहीं होनी चाहिए। फर्जी दस्तावेजों से विद्यार्थियों का नाम प्रोविजनल सूची में है। पुनः दस्तावेज सत्यापन करवाकर ऐसे अभ्यर्थियों को अप्राप्त घोषित किया जावे। और जो पात्र अभ्यर्थी है उनके पुनः दस्तावेज सत्यापन करवाकर उन्हे सूची में सम्मिलित किया जावे। अभ्यर्थी को कुछ पॉइंट से वंचित रखा गया है इसलिये अभ्यर्थी का पुनः दस्तावेज सत्यापन कर अन्तिम चयन सूची में सम्मिलित किया जावे। संलग्न दस्तावेज यथा अंकतालिकाएं, अनुभव प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है वलिक शिकायत प्रस्तुत की है। परिवेदना में अंकित तथ्यों के संबंध में लेख है नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 में अन्तरिम चयन सूची में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के दस्तावेजों जैसे शैक्षणिक/ व्यावसायिक योग्यता, अनुभव, पंजीयन एवं पात्रता आदि के संबंध में गहनता से जांच करवाये जाने के उपरान्त ही यथासंभव पात्र अभ्यर्थियों को अन्तिम चयन सूची में सम्मिलित किया जा रहा है। चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में विभाग द्वारा नियुक्ति आदेशों में स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि इसके उपरान्त भी यदि किसी आवेदक के संबंध में प्रकरण ध्यान में लाया जायेगा तो इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।</p>	<p>अभ्यर्थी ने कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। अभ्यर्थी की शिकायत के संबंध में कार्यवाही किया जाना इस समिति के कार्यक्षेत्र में नहीं है।</p>



129	YOGENDRA KUMAR SHARMA	NO160164	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अनुभव प्रमाण पत्रों का गहनता से जांच करवाई जावे। अभ्यर्थी के अनुसार पीपीपी मोड योजना में उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर 01 एएनएम का पद स्वीकृत है, जबकी एनजीओ द्वारा वहां पर जीएनएम स्टाफ लगाकर कार्य करवाया गया और अब पीएचसी के नाम से अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिये गये। एमओयू अनुसार पीएचसी पर 2 जीएनएम के पद स्वीकृत है, किन्तु एनजीओ द्वारा एक ही पीएचसी पर 5-5 अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिये गये है। अतः समस्त पीपीपी मोड के अनुभवों को उपस्थिति रजिस्टर से मिलान किये जावे की कार्मिक में पीएचसी पर कार्य किया है या उप स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्य किया है।	अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है .वल्कि शिकायत प्रस्तुत की है। परिवेदना में अंकित तथ्यों के संबंध में लेख है नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 में अन्तरिम चयन सूची में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के दस्तावेजों जैसे शैक्षणिक/ व्यावसायिक योग्यता, अनुभव, पंजीयन एवं पात्रता आदि के संबंध में गहनता से जांच करवाये जाने के उपरान्त ही यथासंभव पात्र अभ्यर्थियों को अन्तिम चयन सूची में सम्मिलित किया जा रहा है। चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में विभाग द्वारा नियुक्ति आदेशों में स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि इसके उपरान्त भी यदि किसी आवेदक के संबंध में प्रकरण ध्यान में लाया जायेगा तो इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	अभ्यर्थी ने कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। अभ्यर्थी की शिकायत के संबंध में कार्यवाही किया जाना इस समिति के कार्यक्षेत्र में नहीं है।
130	YOGENDRA SINGH	NO155805	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत की है कि कई लोग फर्जी तरीके से घुसने के कारण अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 69.60 प्रतिशत होने के बाद भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं है। अभ्यर्थी ने उल्लेख किया है कि :- 1. सीएचओ को बाहर करों। 2. Aims के जो Nsg Office से है उनको Ex. Servise कोटे में नहीं ले। 3. जो रिजर्व पद है, जो खाली रहते है, उनको भी जोड़े जाये। 4. डीपीसी के पद भी जोड़े जाये।	अभ्यर्थी ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन किया है एवं प्रतिशत प्राप्तांक 69.604 प्रतिशत है जो ईडब्ल्यूएस वर्ग में अन्तिम चयनित अभ्यर्थी के प्रतिशत प्राप्तांक 72.336 से कम होने के कारण चयन से वंचित है। भूतपूर्व सैनिक वर्ग में पात्रता पूर्ण करने पर ही इस वर्ग का लाभ देय है। योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार पद रिक्त रखने/नहीं रखने की कार्यवाही की जाती है।	अभ्यर्थी ने कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। अभ्यर्थी की शिकायत के संबंध में कार्यवाही किया जाना इस समिति के कार्यक्षेत्र में नहीं है।
131	ANIL KUMAR SHARMA	NO151197	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र दिनांक 05.09.2023 एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में माता का नाम सहवन से कान्ती बाई दर्ज है जबकि सही नाम चन्द्रकान्ता है, जिसे संशोधित करवाकर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।	चयन की स्थिति में संशोधन की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
132	ANKITA SINGH	NO199965	अभ्यर्थिया द्वारा स्वयं की जन्म दिनांक 09.07.1991 के स्थान पर 07.09.1991 संशोधन करने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थिया ने अपनी जन्म दिनांक 09.07.1991 से 07.09.1991 संशोधित कराने बाबत निवेदन किया है जिसे चयन होने की स्थिति में संशोधित कर दिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
133	BHAWNA YADAV	NO170687	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर जीएनएम प्रथम वर्ष की अंकतालिका में कुल प्राप्तांक 600 में से 436 के स्थान पर 900 में से 706 सही अंक दर्ज करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया को उनके द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत अंकतालिकाओंके आधार पर कुल 1441/1900 प्रदान किये गये हैं जो सही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

134	BHIMA RAM SAINI	NO132977	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम भीमा राम सैनी के स्थान पर भीवा राम सैनी को सत्य व स्पष्ट मानते हुये सुधार करने जिसके लिये प्रार्थी ने अपनी 10वीं अंकतालिका, शपथ पत्र, आधार कार्ड भी संलग्न किया है का उल्लेख कर नाम में संशोधन कर भीवा राम सैनी करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के आधार पर चयन की स्थिति में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
135	CHANDRIKA GARG	NO160068	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर आवेदन फार्म में सहवस से जेण्डर मेल के स्थान पर फिमेल होने पर मेल के स्थान पर फिमेल करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा त्रुटिवश पुरुष वर्ग में आवेदन किया गया है जबकि दस्तावेज सत्यापन के दौरान इनका लिंग परिवर्तन कर महिला किया गया किन्तु सॉफ्टवेयर की त्रुटि के कारण पुरुष वर्ग से महिला वर्ग नहीं हो पाया। इस प्रकार अब अभ्यर्थिया का लिंग पुरुष से महिला किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
136	DINESH KUMAR	NO156842	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में स्वयं की जन्म तिथि में 10 जुलाई 1991 संशोधन करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने अपनी जन्म दिनांक 10 जुलाई 1991 संशोधित कराने बाबत निवेदन किया है जिसे चयन होने की स्थिति में संशोधित कर दिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
137	MANESH KANWAR	NO197628	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर आवेदन में जन्मदिनांक में सुधार कर 10.10.1994 के स्थान पर 10.08.1994 किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने अपनी जन्म दिनांक 10 अमस्त 1994 संशोधित कराने बाबत निवेदन किया है जिसे चयन होने की स्थिति में संशोधित कर दिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
138	MANISHA	NO177054	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के पिता के नाम के स्थान पर माता का नाम अंकित हो गया है जिसे दुरुस्त कर पिता का नाम अंकित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी के चयन की स्थिति में मूल दस्तावेजों से मिलान के उपरान्त वांछित सुधार कर दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
139	MONIKA SHARMA	NO129940	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के आवेदन पत्र में निम्नानुसार संशोधन किये जाने हेतु निवेदन किया है:- 1. अभ्यर्थी ने स्वयं की जन्मतिथि 17.10.1987 के स्थान पर 17.10.1983 किये जाने हेतु निवेदन किया है। 2. अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र में 1900 में से 1342 के स्थान पर 1900 में से 1378 किये जाने हेतु निवेदन किया है। 3. अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र में राजस्थान राजकीय सेवा में कार्यरत को नहीं के स्थान पर हां किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का अंतरिम चयन कर परिणाम जारी किया जा चुका है। अभ्यर्थी द्वारा चाहे गये संशोधन चयन होने की स्थिति में कर दिये जायेंगे। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
140	RAJU GURJAR	NO167219	अभ्यर्थिया ने अवगत कराया है कि ऑन लाईन आवेदन करते समय गलती से जन्म दिनांक 07.10.1992 अंकित की जबकि वास्तविक जन्म दिनांक 07.10.1989 है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जन्म दिनांक में संशोधन करें।	अभ्यर्थिया ने अपनी जन्म दिनांक 07.10.1992 से 07.10.1989 संशोधित कराने बाबत निवेदन किया है जिसे चयन होने की स्थिति में संशोधित कर दिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
141	RAMEHS	NO142024	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम की	अंतिम चयन सूची में चयन होने की स्थिति में अभ्यर्थी का नाम Ramehs Kumar	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

	KUMAR YADAV		स्पेलिंग RAMEHS KUMAR YADAV के स्थान पर RAMESH KUMAR YADAV संशोधन करने के संबंध में निवेदन किया है।	Yadav के स्थान पर Ramesh Kumar Yadav संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।	
142	SANU PAL	NO186862	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम डॉक्यूमेंट लिस्ट में अंकित सानू पाल के स्थान पर संजू पाल करने बाबत निवेदन किया है। इस हेतु शपथ पत्र पूर्व में भी देने से अवगत कराया है एवं परिवेदना के साथ संलग्न है।	अभ्यर्थिया का चयन अंतिम वरीयता सूची में होने की स्थिति में सही नाम की पुष्टि संलग्न दस्तावेजों से किया जाकर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
143	SHYAM SINGH CHUNDAWAT	NO152730	अभ्यर्थी द्वारा बीएससी नर्सिंग की मार्कशीट के नंबर अपलोड किये थे जो मार्कशीट के अनुसार फर्स्ट ईयर की मार्कशीट में कंप्यूटर साईस के नंबर डालना भूल गया और जो कंप्यूटर साईस के नंबर आल ओवर पूर्णांक में काउंट होते है तो उक्त नंबर काउंट किये जाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत की है साथ ही बीएससी नर्सिंग की अंकतालिका भी संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा त्रुटि संशोधन हेतु परिवेदना प्रस्तुत की गई है। अभ्यर्थी के पास दो बार त्रुटि संशोधन हेतु आवसर प्राप्त था इसके अतिरिक्त उसके पास दस्तावेज सत्यापन के दौरान भी अकों की सही गणना करवा सकने का अवसर था किन्तु अभ्यर्थी द्वारा इन अवसरों का लाभ नहीं उठाया गया। अतः अब अंतरिम चयन सूची के प्रकाशन उपरान्त त्रुटि संशोधन की परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
144	BUDDHI PRAKASH PAREEK	NO179097	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर इडब्ल्यूएस श्रेणी में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 76.11 होने के बाद भी चयन नहीं होने एवं अनुभव प्रमाण पत्र माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के रिट पिटीशन संख्या 8415/2023 के अनुसार प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख कर प्रोजिवनल सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
145	KAMLESH GARASIYA	NO138317	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 71.75 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोजिवनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने एसबी 1020/23 दायर कर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने बाबत रिट दायर की हुई है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोजिवनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने माननीय न्यायालय में रिट याचिका संख्या 1020/2023 में पारित निर्णय नर्सिंग भर्ती 2022 के संबंध में दिया गया था। नर्सिंग भर्ती 2022 को निरस्त किया जा चुका है। अभ्यर्थी द्वारा वर्तमान विज्ञप्ति के क्रम में निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है जिसके कारण उसे समरूप कार्य के आधार पर अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
146	MAHENDRA KUMAR BHATI	NO142589	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में याचिका संख्या 9389/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.07.2023 की प्रति संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को अनुभव प्रमाण पत्र एवं माननीय न्यायालय में दर्ज प्रकरण में निर्णय होने तक अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित रखा जावे।	अभ्यर्थी द्वारा माननीय न्यायालय में रिट याचिका सं. 9389/2023 दायर की हुई है जिसपर निर्णय लम्बित है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ 2 अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं जिसमें 1 प्रमाणपत्र ईएम.टी. के कार्य का 1020 दिवस का है जिसका 20 बोनस अंकों का लाभ दिया जा चुका है। दूसरा प्रमाणपत्र काउन्सिलर के कार्य का है जिसकी योग्यता समाज शास्त्र में स्नातक है अतः स्पष्ट है कि यह अनुभव नर्सिंग कार्य का नहीं हो सकता। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

				प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
147	MOHAMMED SAKER	NO202488	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को माननीय न्यायालय, जोधपुर में दायर याचिका संख्या 8315/2023 के क्रम में जारी अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 09.6.2023 के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर कुल औसत प्राप्तांक 76.60 प्रतिशत बनते हैं। इसके उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाणपत्र रिट याचिका संख्या 8315/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम निर्देशों के क्रम में जारी किया गया है जो कि जारीकर्ता के अधीन कार्य सम्पादन का नहीं होने से सत्यापन योग्य नहीं है। अतः इसमें दिये गये तथ्यों के आधार पर अभ्यर्थी को बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया जा सकता। अभ्यर्थी ने मिश्रीमल बाफना परमार्थ चिकित्सालय में कार्य सम्पादन किया है जो एक निजी क्षेत्र का संस्थान है। अतः नियमानुसार अभ्यर्थी को अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 6.12.2023 को प्रकरण निस्तारित कर दिया गया है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
148	NIRMALA VERMA	NO179579	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल याचिका संख्या 19416/2022 की प्रति एवं अन्य दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा जारी एफआरएचएस संस्थान में नर्स के पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का संस्थान होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 19290/2022 जोगेश सिंह चौहान बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा आदेश दिनांक 4.1.2023 जारी कर निर्णय लिया गया कि एफआरएचएस संस्था में कार्यरत कर्मियों को बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। अतः बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी अनुसूचित जाति महिला वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका को आदेश दिनांक 1.2.2023 द्वारा निस्तारित कर दिया गया है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
149	NISHA YADAV	NO149033	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी ने ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में ऑनलाइन आवेदन किया गया था परन्तु अभ्यर्थी अन्य राज्य हरियाणा से होने के कारण सामान्य वर्ग में शामिल करने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। अभ्यर्थी द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। न्यायालय के आदेश द्वारा पूर्व में भी अभ्यर्थी को बोनस अंकों का लाभ दिया गया था परन्तु न्यायालय का निर्णय देरी से होने के कारण पोस्टिंग नहीं दी गई थी। अभ्यर्थी ने उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी हरियाणा राज्य की मूल निवासी है एवं अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ हरियाणा राज्य का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो मान्य नहीं है। फलस्वरूप अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही है। अभ्यर्थी का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। अतः माननीय न्यायालय के निर्णयोपरान्त अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
150	AKIB JAVED	NO208580	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में ओबीसी एनसीएल जाति प्रमाण पत्र जारी दिनांक 20.06.2011 एवं 13.09.2023 तथा अन्य दस्तावेज संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनीसएल	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			जाति वर्ग में 30 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 73.312 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 70.21 प्रतिशत से अधिक होने के उपरान्त भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
151	ARUNA KUMARI LABANA	NO201468	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर एमबीसी एनसीएल महिला श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी की कट ऑफ 58.666 प्रतिशत से ज्यादा स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 59.499 होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को त्रुटि संशोधन के दौरान ओबीसी एनसीएल के स्थान पर एमबीसी एनसीएल वर्ग में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। इनके द्वारा जनवरी 2023 का जारी ओबीसी एनसीएल प्रमाणपत्र संलग्न किया गया जिसमें इनकी जाति लबाना दर्शायी गई है जो कि एमबीसी श्रेणी में आती है। अतः अभ्यर्थियां को एम.बी.सी. एन.सी.एल.माने जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना है।	चूंकि अभ्यर्थियां द्वारा त्रुटि संशोधन के अवसर के दौरान दिए गए अभ्यावेदन के कम में इन्हें एमबीसी एनसीएल वर्ग में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया है। अतः इनके द्वारा प्रस्तुत परिवेदना पर तदनुसार कार्यवाही की जाकर इन्हें अपने वर्ग की मेरिट में यथा स्थान सम्मिलित किया जाये।
152	DHEERAJ GAUTAM	NO204291	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर आवेदन के समय माननीय भूल के कारण आवेदित पद की श्रेणी ईडब्ल्यूएस से सामान्य श्रेणी हो जाने का उल्लेख कर दस्तावेज सत्यापन के समय ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं सामान्य श्रेणी से ईडब्ल्यूएस श्रेणी में जाति परिवर्तन करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन अनारक्षित वर्ग से किया गया है एवं परिवेदना के साथ दिनांक 12.01.2023 का जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र एवं 11.06.2023 का जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.2022 एवं प्राप्त निर्देशानुसार माने जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।	अभ्यर्थी द्वारा सामान्य श्रेणी में आवेदन किया गया है एवं त्रुटि संशोधन का दो बार अवसर प्राप्त होने के उपरान्त भी त्रुटि के संशोधन हेतु प्रयास नहीं किया। अतः अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त श्रेणी परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।
153	HIRENDER GOUTAM	NO185801	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं का ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन होना बताया है एवं यह भी अवगत कराया है कि दस्तावेज सत्यापन के समय अनारक्षित श्रेणी से ईडब्ल्यूएस श्रेणी में परिवर्तन करवाया गया था। किन्तु प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न कर श्रेणी अपडेट कराने व प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के दौरान अनारक्षित श्रेणी में आवेदन किया है तथा त्रुटि संशोधन का दो बार अवसर प्राप्त होने के उपरान्त भी त्रुटि के संशोधन हेतु प्रयास नहीं किया। अतः अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त श्रेणी परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है।	अभ्यर्थी द्वारा सामान्य श्रेणी में आवेदन किया गया है एवं त्रुटि संशोधन का दो बार अवसर प्राप्त होने के उपरान्त भी त्रुटि के संशोधन हेतु प्रयास नहीं किया। अतः अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त श्रेणी परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।

154	JITENDRA CHHANGANI	NO176496	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि सीएमएचओ नागौर एवं सुर्यवंत निदेशक अजमेर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र में टंकण त्रुटि द्वारा कॉलम 8 विलोपित हो गया है। अतः संशोधित कर अनुभव प्रमाण पत्र (03 वर्ष 04 माह) पुनः संलग्न है। अभ्यर्थी के 30 बोनस के साथ 79.270 प्रतिशत प्राप्तांक है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर बोनस अंक जोड़कर अन्तिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
155	KRISHAN KUMAR	NO190674	अभ्यर्थी ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
156	MAMATA BAI	NO122529	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में डिक्री व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के विच्छिन्न विवाह वर्ग में कुल प्राप्तांक प्रतिशत 40.700 है जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत 38 वालों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित है। अतः अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में एवं दस्तावेज सत्यापन के समय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री प्रस्तुत नहीं की जिस कारण इन्हे विच्छिन्न विवाह आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सका। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.12.2017 को जारी डिक्री संलग्न की है जिसके आधार पर इन्हे विच्छिन्न विवाह श्रेणी में माना जाये अथवा नहीं परिवेदना समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है।	परिवेदना समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र के आधार पर इन्हे विच्छिन्न विवाह श्रेणी में माना जाये।
157	MANISHA KUMARI HAGAVANIYA	NO190110	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के एमबीसी एनसीएल महिला वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 63.44 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ओबीसी एनसीएल वर्ग में आवेदन किया था। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान एमबीसी एनसीएल श्रेणी का प्रमाण प्रस्तुत किया जिसके आधार पर दस्तावेज सत्यापन के दौरान इन्हे एमबीसी एनसीएल श्रेणी में माना गया। किन्तु सम्भवतया अभ्यर्थी की श्रेणी एमबीसी एनसीएल के स्थान पर एमबीसी सीएल(अनारक्षित) दर्ज हो जाने के कारण एमबीसी एनसीएल श्रेणी लाभ देय नहीं हो सका जो अब दिया जाना प्रस्तावित है।	चूंकि अभ्यर्थी को त्रुटि संशोधन का अवसर दिया जाने के उपरान्त एमबीसी वर्ग में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया जिसे तकनीकी त्रुटि के कारण एमबीसी एनसीएल नहीं किया जा सका। अतः अब दुरुस्त किया जाकर एमबीसी एनसीएल वर्ग का माना जाये।
158	MONIKA JANGID	NO158087	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में ओबीसी एनसीएल जाति प्रमाण पत्र जारी दिनांक 16.05.2023 की प्रति संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी की जाति ओबीसी एनसीएल के स्थान पर ओबीसी सीएल अंकित कर दी गई है जबकि अभ्यर्थी का जाति वर्ग ओबीसी एनसीएल है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं की जाति श्रेणी ओबीसी एनसीएल करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ओबीसी सीएल वर्ग में आवेदन किया था। अभ्यर्थी सामान्य महिला वर्ग में चयनित है। अतः 16.05.2023 के ओबीसी प्रमाण पत्र के आधार पर इनका जाति वर्ग ओबीसी एनसीएल किये जाने पर निर्णय लिया जाना है।	अभ्यर्थी ने ओबीसी की नी लेयर श्रेणी में आवेदन किया था। अंतरिम चयन सूची में अभ्यर्थी का चयन अनारक्षित वर्ग में किया जा चुका है। अतः वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।
159	NEELU	NO200543	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया गया	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 13.09.2023 से 19.09.2023 के दौरान दी गई परिवेदना के आधार	चूंकि अभ्यर्थी को त्रुटि


	KUNWAR SISODIYA		है कि अभ्यर्थिया का ई-मित्र के त्रुटिवश आवेदन के समय ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया जबकि अभ्यर्थिया के पास ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी दिनांक 26.07.2021 तथा नया आवेदन रसीद संख्या 23563069579 दिनांक 18.09.2023 उपलब्ध था। साथ ही अभ्यर्थिया के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 59.99 ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग की कटऑफ 55.54 प्रतिशत से अधिक है। अतः अभ्यर्थिया ने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को स्वीकार करते हुए अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया। अभ्यर्थिया द्वारा 26.07.2021 का जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर कार्मिक विभाग के निर्देशानुसार अभ्यर्थी आवेदन के समय ईडब्ल्यूएस श्रेणी में पात्र थी। अतः अभ्यर्थी को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में मानते हुये भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	संशोधन का अवसर दिया जाने के उपरान्त ईडब्ल्यूएस वर्ग में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया जिसे तकनीकी त्रुटि के कारण ईडब्ल्यूएस वर्ग नहीं किया जा सका। अतः अब दुरुस्त किया जाकर ईडब्ल्यूएस वर्ग का माना जाये।
160	POOJA RANI	NO152792	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में डीक्री दिनांक 02.08.2022, अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल विच्छिन्न विवाह श्रेणी में बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 59.73 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 43.10 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने ऑनलाइन आवेदन के साथ माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 02.08.2022 को जारी डिक्री की पूर्ण प्रति संलग्न की है जिसके आधार पर इन्हे विच्छिन्न विवाह श्रेणी में माना जाकर भर्ती प्रक्रिया में यथा स्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
161	POOJA SEN	NO202906	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर सीएचए पद का अनुभव के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 71.760 है। सीएमएचओ उदयपुर के द्वारा मूलवश प्रार्थी के अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव अवधि बिन्दु संख्या में 17.08.22 से 31.03.23 कर दिया गया जो कि टाईपिंग गलती की वजह से हुआ जिसको संशोधित करवाकर 17.08.21 से 31.03.2022 करवाया गया है जिसका प्रमाण पत्र परिवेदना के साथ संलग्न किये जाने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर द्वारा जारी 227 दिवस का सीएचए पद का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसमें अनुभव अवधि 17.8.2022 से 31.03.2023 दी गई है जिसके आधार पर इन्हे नियमानुसार बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना के साथ अभ्यर्थिया ने संशोधित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें अनुभव अवधि 17.08.2021 से 31.03.2022 है। अभ्यर्थिया के पास त्रुटि सुधार हेतु 2 बार अवसर जिसका उनके द्वारा लाभ नहीं उठाया गया। अब अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त नवीन दस्तावेज स्वीकार किया जाना विज्ञप्ति की शर्तों के विपरीत होगा। अतः परिवेदना समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।	परिवेदना समिति द्वारा निर्धारित किया गया कि अब अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त नवीन दस्तावेज स्वीकार किया जाना विज्ञप्ति की शर्तों के विपरीत होगा।
162	POONAM TAILOR	NO179767	अभ्यर्थिया ने अवगत कराया है कि फॉर्म भरते समय गलती से जनरल श्रेणी में आवेदन किया गया मया है, जबकि अभ्यर्थिया की श्रेणी ओबीसी-एनसीएल है। (संलग्न-जाति प्रमाण पत्र) अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर श्रेणी परिवर्तन करते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने यदि गलती से सामान्य श्रेणी में आवेदन किया था तो उसके पास त्रुटि संशोधन हेतु दो अवसर प्राप्त थे जिनका लाभ अभ्यर्थिया द्वारा नहीं उठाया गया। अभ्यर्थिया विच्छिन्न विवाह श्रेणी में आवेदन किया है। दस्तावेज सत्यापन तक अभ्यर्थिया अनारक्षित महिला श्रेणी में थी। इसके उपरान्त अनारक्षित विच्छिन्न विवाह श्रेणी में अंतरिम चयन सूची में चयन नहीं होने पर अभ्यर्थिया ने स्वयं को ओबीसी एनसीएल विच्छिन्न विवाह श्रेणी में पात्र माने जाने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की है जो परिणाम जारी होने के उपरान्त स्वीकार्य नहीं है। समान प्रकरण डीबी याचिका संख्या 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने परिणाम जारी होने के बाद विच्छिन्न विवाह श्रेणी का लाभ देने की याचना को खारिज कर दिया है। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ दिनांक 07.06.2023 को जारी ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।	परिवेदना समिति द्वारा निर्धारित किया गया कि अब अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त श्रेणी परिवर्तन किया जाना "प्रीज्यूडिस" कहा जायेगा। अतः अभ्यर्थिया की मांग स्वीकार योग्य नहीं है।

				एवं आवेदन दिनांक 04.06.2023 को किया गया है। अतः परिवेदना समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है कि अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र को मान्य किया जावे अथवा नहीं?	
163	RATAN KUMARI	NO202907	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 62.960 प्रतिशत है परन्तु अभ्यर्थी का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि वरियता सूची के क्रम संख्या 5542, 5739, 5904, 5931, 5942, 5948, 5975, 5980, 6336, 6341, 6343, 6356, 6369, 6374, 6377, 6387 पर अंकित अभ्यर्थियों के अनुसूचित जनजाति वर्ग में टीएसपी क्षेत्र में कम प्राप्तांक प्रतिशत होने पर भी वरियता सूची में चयन किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 62.957 प्रतिशत है जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (अनुसूचित जनजाति महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 62.049 प्रतिशत से अधिक होने के बावजूद चयन से वंचित रही है क्योंकि इनका जाति प्रमाणपत्र पति के नाम से जारी जबकि जाति का सम्बन्ध पिता से होता है। अब अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ पिता के नाम से दिनांक 15.09.2023 का जारी अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत जिसके आधार पर प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन अनुसूचित जनजाति में कन्सीडर किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना है।	विज्ञप्ति की शर्तों में स्पष्ट अंकित था कि जाति प्रमाण पत्र केवल पिता के नाम का जारी ही मान्य होगा। अतः अभ्यर्थिया को आवेदन करने से पूर्व ही विज्ञप्ति में दिये अनुसार अपना जाति प्रमाणपत्र बनवा कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना चाहिये था अब अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने उपरान्त अभ्यर्थिया द्वारा जाति परिवर्तन की मांग को मान्य किया जाना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः परिवेदना खारिज की जाती है।
164	AFSANA BANO MEWATI	NO191597	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग की विच्छिन्न विवाह श्रेणी में कुल औसत प्राप्तांक 55 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 43 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय 2017 का जारी ओबीसी एनसीएल प्रमाणपत्र संलग्न किया गया जो कार्मिक विभाग के नियमानुसार नॉन कमीलेयर श्रेणी हेतु मान्य नहीं है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान 8.9.2023 का जारी ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया किन्तु न तो ऑनलाईन आवेदन के साथ न ही दस्तावेज सत्यापन के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी डिक्री प्रस्तुत की जिसके कारण अभ्यर्थिया को सामान्य महिला माना गया है। फलस्वरूप सामान्य महिला वर्ग में अंतिम चयनित महिला अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
165	ANKITA SHARMA	NO200790	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर इंडब्ल्यूएस विवाह विच्छेद श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 37.940 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया की परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा है कि विच्छिन्न विवाह श्रेणी में पात्रता हेतु आवेदन की अंतिम दिनांक तक जारी डिक्री ही मान्य होगी। अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ दिनांक 06.07.2023 को जारी डिक्री प्रस्तुत की है जिसके आधार पर अभ्यर्थिया को विच्छिन्न विवाह वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। श्रेणी परिवर्तन के प्रकरणों रिट याचिका संख्या 13409/2019 निरमा बनाम सरकार, रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार डीबी याचिका सं. 7840/2019 सोनल त्यागी आदि में याचिकाकर्ता की मांग को को माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
166	BABITA	NO127484	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 47.29 होने का उल्लेख कर विवाह विच्छिन्न कटेगरी में न्यायालय का निर्णय आने तक समय देने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया की परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा है कि विच्छिन्न विवाह श्रेणी में पात्रता हेतु आवेदन की अंतिम दिनांक तक जारी डिक्री ही मान्य होगी। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान डिक्री प्रस्तुत नहीं की गई जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को विच्छिन्न विवाह वर्ग का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। श्रेणी परिवर्तन के प्रकरणों रिट याचिका संख्या 13409/2019 निरमा बनाम सरकार, रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार डीबी याचिका सं.	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।



				7840/2019 सोनल त्यागी आदि में याचिकाकर्ता की मांग को को माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है।	
167	BIDAM KUMARI	NO162410	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल श्रेणी में आवेदन कर स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन विवाह विच्छिन कटेगरी में होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन विच्छिन विवाहित श्रेणी में नहीं किया गया है। अभ्यर्थिया को आवेदन की अंतिम दिनांक तक जारी डिक्री प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण विच्छिन विवाह महिला आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं करते हुए इनकी श्रेणी ओबीसी एनसीएल महिला माना गया जिसमें इनके प्राप्तांक 65.665 प्रतिशत अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 66.419 प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
168	CHAMPA KUMARI DAMOR	NO117137	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति तलाकशुदा श्रेणी में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 39.860 से कम 36 प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा आवेदन की दिनांक तक जारी डिक्री प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण इन्हे विच्छिन विवाह श्रेणी का आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः अनुसूचित जाति महिला वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम प्राप्तांक रहने के कारण अभ्यर्थिया चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
169	HEMLATA	NO155906	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि विच्छिन विवाहित से 43.93 प्रतिशत प्राप्तांक है एवं डिक्री संलग्न की है। अभ्यर्थिया द्वारा अंतरिम वरियता सूची से नाम reject करने का कारण बताने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने परिवेदना के साथ दिनांक 16.09.2023 को जारी डिक्री प्रस्तुत की है, जिससे स्पष्ट है कि अभ्यर्थिया के पास ऑनलाइन आवेदन के समय डिक्री नहीं थी। अतः अभ्यर्थिया की डिक्री ऑनलाइन आवेदन की तिथि के पश्चात की जारी होने के कारण अभ्यर्थिया को विवाह विच्छिन श्रेणी का लाभ देय नहीं है। जिसके कारण अभ्यर्थिया को विवाहित श्रेणी में ही माना गया है। अभ्यर्थिया के प्राप्तांक के औसत 43.975 प्रतिशत इनकी श्रेणी (अनुसूचित जाति महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.612 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
170	JAI LALITA MEENA	NO146071	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित जनजाति में तलाक श्रेणी में आवेदन किया है एवं 57.40 प्रतिशत प्राप्तांक होने के बावजूद भी चयन सूची में नाम नहीं है, जबकि कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का चयन होना बताया है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने परिवेदना के साथ दिनांक 02.08.2023 को जारी डिक्री प्रस्तुत की है, जिससे स्पष्ट है कि अभ्यर्थिया के पास ऑनलाइन आवेदन के समय डिक्री नहीं थी। अतः अभ्यर्थिया की डिक्री ऑनलाइन आवेदन की तिथि के पश्चात की जारी होने के कारण अभ्यर्थिया को विवाह विच्छिन श्रेणी में सम्मिलित नहीं करते हुए विवाहित श्रेणी में माना गया है। इस प्रकार अभ्यर्थी के प्राप्तांक के औसत 57.397 प्रतिशत बनते है, जो इनकी श्रेणी (अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
171	JAINA	NO125404	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थिया ने परिवेदना के साथ दिनांक 09.09.2023 को जारी डिक्री प्रस्तुत की है, जिससे स्पष्ट है कि अभ्यर्थिया के पास ऑनलाइन आवेदन के समय डिक्री नहीं थी। अतः अभ्यर्थिया की डिक्री ऑनलाइन आवेदन की तिथि के पश्चात की जारी होने के कारण अभ्यर्थिया को विवाह विच्छिन श्रेणी में सम्मिलित नहीं करते हुए विवाहित श्रेणी में माना गया है। इस प्रकार अभ्यर्थी के प्राप्तांक के औसत 49.456 प्रतिशत बनते है, जो इनकी श्रेणी (अनुसूचित जाति महिला वर्ग) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
172	MANESH KUMARI	NO145271	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 74.170 है तथा ओबीसी एनसीएल महिला जाति वर्ग की कट ऑफ 66.41 प्रतिशत है। साथ ही अभ्यर्थी की तलाक की डिक्री आवेदन फार्म से 02 माह पश्चात की है। अतः	अभ्यर्थी ने अनुभव के संबंध में निजी संस्थान का विवरण दिया है जिसके कारण नियमानुसार इन्हे अनुभव आधारित बोनस अंकों को लाभ देय नहीं है। बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 44.903 प्रतिशत ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 66.419 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। अभ्यर्थी डिक्री के अभाव में आवेदन के समय विच्छिन विवाह श्रेणी में पात्र नहीं	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	थी। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
173	MONIKA KATARA	NO156693	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के परित्यक्ता श्रेणी में 45.780 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम विच्छिन्न विवाह श्रेणी में अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री प्रस्तुत नहीं की है जिसके अभाव में इन्हे विच्छिन्न विवाह श्रेणी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 45.574 प्रतिशत है। जो इनकी श्रेणी अनुसूचित जाति महिला में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
174	Nazia Parveen	NO125103	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल डिक्री जारी दिनांक 06.09.2023 की प्रति एवं अन्य दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थिया द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री प्रस्तुत नहीं की है जिसके अभाव में इन्हे विच्छिन्न विवाह श्रेणी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 49.050 प्रतिशत है। जो इनकी श्रेणी अनारक्षित महिला वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही है। अभ्यर्थी द्वारा आर.एन.सी. पंजीयन प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
175	NIRMALA MEENA	NO210810	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में डिक्री दिनांक 25.08.2023 एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति विच्छिन्न विवाह श्रेणी में कुल प्राप्तांक प्रतिशत 41.250 होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जनजाति विच्छिन्न विवाह श्रेणी की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन में न्यायालय द्वारा पारित डिक्री प्रस्तुत नहीं की जिस कारण इन्हे विच्छिन्न विवाह आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सका। अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.08.2023 को जारी डिक्री संलग्न की है जिसके अधार पर इन्हे विच्छिन्न विवाह श्रेणी के आरक्षण का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
176	PINKU KUMARI DHAKAR	NO117120	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में विवाह विच्छेद इकरारनामा (शपथ पत्र) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के आबीसी एनसीएल वर्ग की विच्छिन्न विवाह श्रेणी में कुल औसत प्राप्तांक 47.730 प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है, जबकि अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा विच्छिन्न विवाह श्रेणी में आवेदन किया गया किन्तु आवेदन की अंतिम दिनांक तक माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री प्रस्तुत नहीं करने के कारण इन्हे विच्छिन्न विवाह श्रेणी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनके जातिवर्ग में चयनित सामान्य महिला अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम प्राप्तांक रहने के कारण चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
177	PINKY MEENA	NO121255	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में डिक्री दिनांक 05.09.2023 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग की विच्छिन्न विवाह श्रेणी में कुल औसत प्राप्तांक 59.060 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 39.96 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित	अभ्यर्थी द्वारा विच्छिन्न विवाह श्रेणी में आवेदन किया गया किन्तु आवेदन की अंतिम दिनांक तक माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री प्रस्तुत नहीं करने के कारण इन्हे विच्छिन्न विवाह श्रेणी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनके जातिवर्ग में चयनित सामान्य महिला अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम प्राप्तांक रहने के कारण चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।



			नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
178	POONAM	NO161380	अभ्यर्थिया द्वारा तलाक श्रेणी में आवेदन किया है एवं 82.140 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है।(संलग्न-डिक्री) अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न किये गये 2 अनुभव प्रमाण पत्र निजी क्षेत्र के हैं। जिनका अनुभव का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थिया द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय माननीय न्यायालय द्वारा जारी डिक्री उपलब्ध कराई हैं जो 18.8.2023 को अर्थात् आवेदन की अंतिम दिनांक के बाद की जारी है। अतः नियमानुसार विच्छिन्न विवाह महिला आरक्षण का लाभ देय नहीं है। डीबी याचिका संख्या 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने परिणाम जारी होने के बाद विच्छिन्न विवाह श्रेणी का लाभ देने की याचना को खारिज कर दिया है। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 की विज्ञापित में स्पष्ट था कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जारी दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। डीबी याचिका संख्या 254/2020 सरकार बनाम जैबा को माननीय न्यायालय ने इस आधार पर खारिज किया है कि आवेदन की अंतिम दिनांक तक समस्त अर्हताएं पूर्ण होनी चाहिये। समान प्रकरण रिट याचिका संख्या 13409/2019 निरमा कुमारी धाकड़ बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने आवेदक के आवेदन की अंतिम तिथि के स्टेटस को ही मान्य किया है। इस प्रकार परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
179	POONAM BARWAR	NO123345	अभ्यर्थिया ने अवगत कराया है कि दस्तावेज अपलोड करते समय डिक्री अपलोड होने से वंचित रह गई।	अभ्यर्थिया का कथन कि दस्तावेज अपलोड करते समय डिक्री अपलोड होने से वंचित रह गई मिथ्या प्रतीत होता है। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ जिला एवं सेशन न्यायालय झन्डुनू से जारी ऑर्डर शीट संलग्न की है जिसमें अभ्यर्थिया का प्रकरण दर्ज कर पक्षकारों को दिनांक 18.09.2023 को पेश होने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। यदि अभ्यर्थिया के पास आवेदन की तिथि को माननीय न्यायालय द्वारा जारी डिक्री उपलब्ध थी, जिसे वह गलती से ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड नहीं कर पाई, तो दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत कर सकती थी। अभ्यर्थिया द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय भी माननीय न्यायालय द्वारा जारी ऐसी कोई डिक्री उपलब्ध नहीं कराई गई जिससे स्पष्ट है कि अभ्यर्थिया के पास आवेदन के समय डिक्री उपलब्ध नहीं थी। अतः आवेदन की अंतिम दिनांक तक माननीय न्यायालय द्वारा जारी डिक्री नहीं होने के कारण अभ्यर्थिया को विच्छिन्न विवाह आरक्षण का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
180	PREETI SHARMA	NO103692	अभ्यर्थिया द्वारा डिक्री संलग्न कर तलाक श्रेणी में आवेदन किया जाना बताया है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ डीबी याचिका सं. 2671/2019 में पारित निर्णय दिनांक 16.3.2021 के मुख्य पृष्ठ की प्रति संलग्न की थी एवं दस्तावेज सत्यापन में भी उक्त निर्णय की प्रति ही प्रस्तुत की। जिस कारण से अभ्यर्थिया को विच्छिन्न विवाह श्रेणी में आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया गया। परिवेदना के साथ अभ्यर्थिया द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री दिनांक 30.05.2019 की प्रति संलग्न की है। जिसके आधार पर अभ्यर्थिया को विच्छिन्न विवाह श्रेणी में आरक्षण का लाभ दिया जाये अथवा नहीं पर निर्णय लिया जाना है।	अभ्यर्थी द्वारा विच्छिन्न विवाह श्रेणी में आवेदन किया गया है। जिसकी डिक्री की अधूरी प्रति संलग्न करने के कारण अभ्यर्थिया को विच्छिन्न विवाह श्रेणी आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया गया। अभ्यर्थिया द्वारा डिक्री की पूर्ण प्रति संलग्न कर दी गई है जिसमें डिक्री पारित होने की दिनांक 30.05.2019 है। अतः प्रदत्त डिक्री के आधार पर

					अभ्यर्थिया को विच्छिन्न विवाह श्रेणी आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाये।
181	PYARI KUMARI MEENA	NO169187	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थिया द्वारा विच्छिन्न विवाह श्रेणी में आवेदन किया है किन्तु दस्तावेज सत्यापन में डिक्री के स्थान पर आपसी सहमति से विवाह विच्छिन्न होने का प्रमाणपत्र संलग्न किया जिसके आधार पर इन्हे विच्छिन्न विवाह आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप स्वयं के जातिवर्ग अनुसूचित जनजाति महिला में अंतिम चयनित अभ्यर्थिया के प्राप्तांकों से कम प्राप्तांक रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
182	RAJNEESH KUMARI	NO166605	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति वर्ग में तलाक श्रेणी में आवेदन किया है एवं 15 बोनस अंक जोड़कर 59.492 प्रतिशत प्राप्तांक पश्चात् भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि कम प्रतिशत वालों का नाम सम्मिलित है। साथ ही 26 सितम्बर 2023 को जारी डिक्री संलग्न की है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर, पुनः जांच कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान के साथ विच्छिन्न विवाह वर्ग से संबंधित डिक्री प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण अभ्यर्थिया को विच्छिन्न विवाह वर्ग के आरक्षण का लाभ देय नहीं है। परिवेदना के साथ संलग्न डिक्री आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात जारी होने के कारण मान्य नहीं की जा सकती। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
183	REENA PATIDAR	NO148993	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल ओबीसी एनसीएल जाति प्रमाण पत्र दिनांक 02.07.2018 की प्रति संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में दस्तावेज सत्यापन के दौरान विच्छिन्न विवाहित की न्यायालय द्वारा डिक्री प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में अभ्यर्थिया को विच्छिन्न विवाह वर्ग के आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
184	REKHA BERWA	NO116007	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में डिक्री दिनांक 12.09.2023 की प्रति एवं अन्य पत्रादि संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति विच्छिन्न विवाह श्रेणी में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 46.75 प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम वरियता सूची में किया गया है जबकि अभ्यर्थी का चयन अंतरिम वरियता सूची में नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत डिक्री आवेदन की अंतिम तिथि के बाद की जारी होने के कारण अभ्यर्थी को आवेदन के समय विच्छिन्न विवाह श्रेणी में नहीं होने से इस श्रेणी के आरक्षण हेतु पात्र नहीं माना गया। इस प्रकार अभ्यर्थी के प्राप्तांक अनुसूचित जाति महिला वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों 63.612 प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
185	REKHA CHARPOTA	NO168044	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल डिक्री दिनांक 14.07.2023 एवं अन्य दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत डिक्री आवेदन की अंतिम तिथि के बाद की जारी होने के कारण अभ्यर्थी को आवेदन के समय विच्छिन्न विवाह श्रेणी में नहीं होने से इस श्रेणी के आरक्षण हेतु पात्र नहीं माना गया। इस प्रकार अभ्यर्थी के प्राप्तांक अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 62.049 प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं। ऐसे ही समान प्रकरण रिट याचिका संख्या 13409/2019 निरमा बनाम राज्य सरकार एवं डीबी याचिका सं 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदित श्रेणी की पात्रता नहीं होने के कारण याचिका को खारिज कर दिया है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

186	REKHA KUMARI MEENA	NO132089	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में विवाह विच्छेद घोषणा दिनांक 11.10.2023 की, प्रति संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति विच्छिन्न विवाह वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 43.480 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान के साथ विच्छिन्न विवाह वर्ग से संबंधित डिक्री प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण अभ्यर्थिया को विच्छिन्न विवाह वर्ग के आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
187	SEETA	NO105778	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग के तलाकशुदा श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 43.950 होने के बाद भी चयन नहीं होने साथ ही दस्तावेज सत्यापन के समय डिक्री की अज्ञानता के कारण डिक्री होते हुये भी नहीं दिखा पाने जो की फार्म भरने की तिथि से पूर्व दिनांक 13.08.2021 को जारी थी का उल्लेख कर सूची में संशोधन कर स्वयं का नाम वरियता सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है। अभ्यर्थिया द्वारा दिनांक 13.08.2021 को जारी डिक्री की प्रतिलिपि भी संलग्न की है।	अभ्यर्थिया ने विच्छिन्न विवाह महिला के रूप में आवेदन किया है किन्तु दस्तावेज सत्यापन के दौरान वह डिक्री नहीं दिखा पाई न ही ऑनलाइन आवेदन अथवा परिवेदना के साथ कोई डिक्री संलग्न की है। अभ्यर्थिया ने आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व की माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री प्रस्तुत की है। अतः विच्छिन्न विवाह श्रेणी में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	अभ्यर्थिया द्वारा विच्छिन्न विवाह श्रेणी में आवेदन किया गया है एवं अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत डिक्री के आधार पर विच्छिन्न विवाह श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है।
188	SHAHIN BANO	NO156327	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल तलाकशुदा श्रेणी में आवेदन कर स्वयं का चयन नहीं होने एवं समान प्रतिशत कट ऑफ वाले उम्मीदवारों का चयन होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ विच्छिन्न विवाह होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कि डिक्री नहीं है। अतः डिक्री के अभाव में विच्छिन्न विवाह आरक्षण का लाभ देय नहीं होने से अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
189	SHARDA VISHNOI	NO137719	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल विच्छिन्न विवाह श्रेणी में औसत प्राप्तांक प्रतिशत 42.070 है। इस सूची में कई तलाकशुदा महिलाओं की डिक्री फर्जी तरीके से बनवाई गई है जबकि पति पत्नी सहपरिवार साथ रह रहे है तथा उनका जन आधार कार्ड में भी पति का नाम दर्ज हुआ है और इन महिलाओं का भी इस चयन सूची में चयन हुआ है जो कि अनुचित है। अतः अभ्यर्थी ने तलाकशुदा महिलाओं के जनआधार कार्ड की गहनता से जांच कर अंतरिम चयन सूची में योग्य अभ्यर्थी का चयन किया जावे।	अभ्यर्थी ने कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। अभ्यर्थी ने तलाकशुदा महिलाओं के जनआधार कार्ड की गहनता से जांच करने की मांग की है किन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
190	Sita	NO166899	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल डिक्री दिनांक 13.10.2023 व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के समय डिक्री नहीं होने के कारण इस भर्ती हेतु विच्छिन्न विवाह श्रेणी में पात्र नहीं थी। अब परिवेदना के साथ दिनांक 13.10.2023 को पारित डिक्री संलग्न की जो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद की होने के कारण मान्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

191	Somi kumari	NO140973	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल याचिका संख्या 1481/2021 का निर्णय दिनांक 01.04.2022 की प्रति एवं अन्य दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी ने विच्छिन्न विवाह श्रेणी में आवेदन किया था किन्तु आवेदन की अंतिम दिनांक तक जारी डिक्री संलग्न नहीं करने के कारण अभ्यर्थी को विवाहित श्रेणी में माना जाकर कार्यवाही की गई है। जिसके अनुसार अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
192	SUMAN KUMARI INDAWAT	NO194165	अभ्यर्थियां ने परित्यक्ता वर्ग में आवेदन किया है एवं डाक्यूमेन्ट वैरिफिकेशन के समय परित्यक्ता से संबंधित डिक्री प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने से अवगत कराया है। अब स्वयं के विवाह विच्छेद से संबंधित दिनांक 04.07.2023 का जारी डिक्री प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रोविजल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने विच्छिन्न विवाह महिला के रूप में आवेदन किया है किन्तु आवेदन की अंतिम तिथि तक माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के अभाव में अभ्यर्थिया को विच्छिन्न विवाह आरक्षण का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.269 प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम महिला अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.612 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
193	SUMITRA	NO191193	अभ्यर्थिया ने डॉक्यूमेन्ट वैरिफिकेशन के समय विच्छिन्न विवाह वर्ग का लाभ देने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। अब पुनः 45 दिवस के अन्दर डिक्री उपलब्ध करवाने बाबत शपथ पत्र संलग्न कर विच्छिन्न विवाह वर्ग का लाभ देने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने विच्छिन्न विवाह महिला के रूप में आवेदन किया है किन्तु आवेदन की अंतिम तिथि तक माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के अभाव में अभ्यर्थिया को विच्छिन्न विवाह आरक्षण का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
194	SUMITRA TANWER	NO206218	अभ्यर्थियां ने परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न कर दिनांक 16.09.2023 की जारी डिक्री प्रमाण पत्र संलग्न कर विच्छिन्न विवाह वर्ग का लाभ देने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने विच्छिन्न विवाह महिला के रूप में आवेदन किया है किन्तु आवेदन की अंतिम तिथि तक माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के अभाव में अभ्यर्थिया को विच्छिन्न विवाह आरक्षण का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
195	SUNIL KUMARI SAMRIYA	NO127610	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं जिनमें दिनांक 12.05.2023 का जारी विवाह विच्छेद का आदेश संलग्न किया है किन्तु डिक्री संलग्न नहीं की है।	अभ्यर्थिया ने विच्छिन्न विवाह महिला के रूप में आवेदन किया है किन्तु आवेदन की अंतिम तिथि तक माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के अभाव में अभ्यर्थिया को विच्छिन्न विवाह आरक्षण का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
196	SUNITA KHATIK	NO162316	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति विच्छिन्न विवाह महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 47.56 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने दिनांक 20.06.2018 का जारी डिक्री प्रमाण पत्र संलग्न कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने विच्छिन्न विवाह महिला के रूप में आवेदन किया है किन्तु आवेदन की अंतिम तिथि तक माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के अभाव में अभ्यर्थिया को विच्छिन्न विवाह आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया गया। परिवेदना के साथ अभ्यर्थिया द्वारा 20.06.2018 को जारी डिक्री संलग्न है जबकि ऑनलाइन आवेदन के साथ केवल माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति संलग्न की थी। अतः अभ्यर्थिया को विच्छिन्न विवाह आरक्षण का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना है।	अभ्यर्थी द्वारा विच्छिन्न विवाह श्रेणी में आवेदन किया गया है। जिसकी डिक्री की प्रति के स्थान पर माननीय न्यायालय के निर्णय की प्रति संलग्न करने के कारण अभ्यर्थिया को विच्छिन्न विवाह श्रेणी आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया गया। अभ्यर्थिया द्वारा डिक्री की प्रति संलग्न कर दी गई है जिसमें डिक्री पारित होने की दिनांक 20.

					06.2018 है। अतः प्रस्तुत की गई डिक्री के आधार पर अभ्यर्थिया को विच्छिन्न विवाह श्रेणी आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाये।
197	TARA MEGHWAL	NO197343	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में डिक्री दिनांक 05.09.2023 एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति विच्छिन्न विवाह वर्ग में बोनस सहित कुल औसत प्राप्तांक 61.33 प्रतिशत बनते हैं जो कि अंतरिम कटऑफ 38.00 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंको का लाभ प्रदान करते हुए अनुसूचित जाति विच्छिन्न विवाह श्रेणी की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के संलग्न की गई डिक्री दिनांक 05.09.2023 की होने के कारण आवेदन के समय विच्छिन्न विवाह श्रेणी में नहीं होने के कारण इस श्रेणी का लाभ नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
198	PAYAL KUMARI	NO161366	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सुमेरपुर, जिला पाली द्वारा प्रकरण संख्या 32/2022 में पारित विवाह विच्छेद आदेश दिनांक 17.10.2022 की प्रति संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस विच्छिन्न विवाह श्रेणी में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 48.470 अंतरिम कटऑफ 41.432 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ दिनांक 17.12.2022 को जारी डिक्री का अंतिम पृष्ठ संलग्न किया था। सम्भवतया इस कारण से अभ्यर्थिया को तत्समय विच्छिन्न विवाह श्रेणी में कंसीडर नहीं किया गया। अभ्यर्थिया ने परिवेदना के साथ सम्पूर्ण पृष्ठों के साथ जारी डिक्री की प्रति संलग्न की जिसके आधार पर अभ्यर्थिया को विच्छिन्न विवाह श्रेणी में माना जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमादित।
199	Aasha Ninama	NO199644	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में जिला एवं राज्य स्तरीय खेल प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर कोरोना अवधि में कार्यरत अनुभव का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में आवेदन ही नहीं किया है एवं परिवेदना में उल्लेखित राज्य स्तरीय खेल प्रमाण पत्र नियमानुसार मान्य नहीं है। अभ्यर्थिया के पास दो बार त्रुटि संशोधन हेतु अवसर प्राप्त था जिसमें वह कोरोना अवधि का अनुभव प्राप्ति हेतु प्रयास कर सकती थी किन्तु अभ्यर्थिया द्वारा इस अवसर का लाभ नहीं उठाया गया। अतः अब प्रोवीजनल सूची जारी हो जाने के उपरान्त त्रुटि संशोधन नहीं किया जा सकता। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
200	AFSANA BANU	NO206461	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र 2020-21, शपथ पत्र एवं सीएचए पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।	अभ्यर्थिया ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन ही नहीं किया है एवं परिवेदना में संलग्न ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वर्ष 2023-24 हेतु मान्य नहीं है। अभ्यर्थिया के पास दो बार त्रुटि संशोधन हेतु अवसर प्राप्त था जिसमें वह कोरोना अवधि का अनुभव प्राप्ति हेतु प्रयास कर सकती थी किन्तु अभ्यर्थिया द्वारा इस अवसर का लाभ नहीं उठाया गया। अतः अब प्रोवीजनल सूची जारी हो जाने के उपरान्त त्रुटि संशोधन नहीं किया जा सकता। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
201	AJITA SHARMA	NO196771	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय सहवन से ईडब्ल्यूएस	अभ्यर्थिया ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन ही नहीं किया है। अभ्यर्थिया के पास दो बार त्रुटि संशोधन हेतु अवसर प्राप्त था। किन्तु अभ्यर्थिया द्वारा इस अवसर का लाभ नहीं	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर



			के स्थान पर सामान्य श्रेणी में आवेदन किया गया है जिसे संशोधित किये जाने हेतु निवेदन किया है। साथ ही सीएचए अनुभव का लाभ दिये जाने हेतु लिखा गया है। अभ्यर्थी को ईडब्ल्यूएस वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 59 प्रतिशत बनते हैं जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक 55.84 प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित है। अतः अभ्यर्थी ने उक्त परिवेदना का निस्तारण कर दस्तावेज सत्यापन की सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	उठाया गया। अतः अब प्रोवीजनल सूची जारी हो जाने के उपरान्त श्रेणी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। श्रेणी परिवर्तन के प्रकरणों रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार व डीबी याचिका सं. 7840/2019 सोनल त्यागी आदि में याचिकाकर्ता की मांग को माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	निस्तारित की जाती है।
202	AMAN KUMAR	NO169082	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के पास दो बार त्रुटि संशोधन हेतु अवसर प्राप्त था जिसमें वह कोरोना अवधि का अनुभव प्राप्ति हेतु प्रयास कर कर सकती थी किन्तु अभ्यर्थिया द्वारा इस अवसर का लाभ नहीं उठाया गया। अतः अब प्रोवीजनल सूची जारी हो जाने के उपरान्त त्रुटि संशोधन नहीं किया जा सकता। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
203	AMIT KUMAR SEN	NO169387	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर 25 प्रतिशत बोनस अंक दिये जाने हेतु निवेदन किया है।	राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय स्वयं को दिये गये 15 अंक सही हैं जिसके आधार पर इनके प्रतिशत प्राप्तांक 61.680 दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन से वंचित रहे हैं। माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत निर्णय पारित कर शपथपत्र भी प्रस्तुत करवाया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
204	ANIL KUMAR	NO154054	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल राजस्थान खो खो एसोसिएशन अजमेर द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की है।	अभ्यर्थिया ने उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में आवेदन ही नहीं किया है एवं परिवेदना में संलग्न राज्य स्तरीय खेल प्रमाण पत्र नियमानुसार मान्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
205	ANITA DEVI	NO192278	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र दिनांक 05.09.2023 एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर स्वयं के औसत प्राप्तांक 65.304 अंतरिम कटऑफ 55.84 से अधिक होने का उल्लेख कर भर्ती में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने अनारक्षित श्रेणी में आवेदन किया था। अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार इनके कुल प्राप्तांक 65.310 प्रतिशत इनकी अनारक्षित महिला श्रेणी में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 68.610 प्रतिशत से कम रहने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ संलग्न ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र 5.9.2023 का जारी है जो इस भर्ती हेतु आवेदन के पश्चात का है अतः कार्मिक विभाग के निर्देशानुसार मान्य नहीं किया जा सकता। डीबी याचिका संख्या 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार को, श्रेणी परिवर्तन की मांग अस्वीकार करते हुए, राज्य पक्ष में निस्तारित किया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
206	ANITA VERMA	NO199549	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर आवेदन के समय अन्य गतिविधि का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करने पर अब परिवेदना के साथ अन्य गतिविधि का प्रमाण पत्रसंलग्न कर उसके उचित मार्क्स देने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डेटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.040 प्रतिशत बनते हैं जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 64.570 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। इनके द्वारा अन्य गतिविधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय गायत्री परिवार का भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसका कोई लाभ इन्हे प्रदान नहीं किया जा सकता। कोई	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।




				कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
207	ASHA KUMARI TABIYAD	NO107430	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.80 प्रतिशत होने के बावजूद भी लिस्ट में नाम नहीं आने एवं स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 38.260 है एवं अनुभव संबंधी कोई जानकारी आवेदन पत्र में नहीं भरी गई है। अतः दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अन्तिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 61.100 से कम होने के कारण अभ्यर्थिया को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थिया द्वारा स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत के संबंध में किस प्रकार गणना की गई के संबंध में स्पष्ट नहीं किया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
208	Ashish jat	NO165279	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
209	ASHISH KUMAR MEENA	NO201803	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति वर्ग में आवेदन कर स्वयं के 12वीं में 61.80 प्रतिशत, बीएससी नर्सिंग में 66 प्रतिशत अंक एवं कोविड अवधि में कार्य करने पर 15 बोनस अंक एवं सीएचओ पद का एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 10 प्रतिशत बोनस अंक जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70 जो की कट ऑफ 69.73 से अधिक होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम चयनित सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 59.730 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित जनजातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 62.110 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.04.2023 को जारी परिपत्र अनुसार कोविड अवधि में कार्य के आधार पर 15 बोनस अंक प्रदान करने का प्रावधान तय किया है। राज्य सरकार उक्त परिपत्र के अनुसार कोविड अवधि का पृथक से 15 बोनस अंक दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में उक्त तथ्य की पुष्टि करते हुये विभाग द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
210	ASHUTOS PAREEK	NO197603	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थी द्वारा ईडब्ल्यूएस वर्ग से आवेदन किया गया है अभ्यर्थी द्वारा भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर कुल प्राप्तांक 66.010 प्रतिशत बनते है जो दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
211	ASHWINI	NO155902	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति वर्ग में आवेदन कर स्वयं की योग्यता एवं कोविड स्वास्थ्य सहायक पद का अनुभव होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग से आवेदन किया गया है अभ्यर्थी द्वारा भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर 15 बोनस अंक सहित कुल प्राप्तांक 62.470 प्रतिशत बनते है जो दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
212	BHAWANA CHOUHAN	NO176162	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कोविड अवधि में कार्य करने पर 15 बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.557 होने के बावजूद चयन नहीं किया गया है जबकि प्रार्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी जिसकी आईडी NO167763 है का चयन कर लिया गया है का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अनुभव संबंधित कोई प्रविष्टि अंकित नहीं की गई है। अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर द्वारा जारी कोविड ड्यूटी प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर बोनस अंको का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है क्योंकि अनुभव का लाभ केवल संविदाकार्मिको को ही देय है। अभ्यर्थिया द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर गणना किये जाने पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 54.560 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 61.600 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना में प्रेषित शिकायत के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।



213	BHAWANA DHAKAR	NO190207	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर उत्कृष्ट खिलाड़ी का लाभ देकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग से नहीं किया गया है। विभाग द्वारा दो बार त्रुटि सुधार का अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा अवसर का लाभ नहीं उठाया गया। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ 23वीं मेन एवं 19वीं वूमैन सीनियर नेशनल अत्या पत्या चैम्पियनशिप 2008-09 का जारी खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि कार्मिका विभाग अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार एवं इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा सम्बद्ध संस्थान नहीं होने के कारण मान्य नहीं किया जा सकता है। दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
214	BHAWNA	NO195962	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम चयनित सूची में नाम नहीं आने तथा स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी जिनकी आईडी राधिका पारीक NO167763 है का चयन होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा अध्ययनरत रहते हुए कोविड 19 में कार्य सहयोग प्रदान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ संविदा कार्मिकों को ही देय है। अभ्यर्थिया एक संविदा कार्मिक नहीं है अतः इन्हे अनुभव का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
215	BHOJ RAJ DHANWANT	NO179900	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर दुर्घटना होने के कारण सीएचए पद का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाने के कारण चयन नहीं होने का उल्लेख कर सीएचए पद का अनुभव प्रमाण पत्र को पुनः जारी करने हेतु स्वीकृति देने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी है कि वह समस्त आवश्यक दस्तावेज स्वयं प्राप्त कर आवेदन के साथ संलग्न करे। अभ्यर्थी को दो बार त्रुटि संशोधन का अवसर भी प्रदान किया था जिसका उपयोग अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न करने में किया जा सकता था। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
216	BHOOR SINGH GURJAR	NO196673	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर एमबीसी एनसीएल वर्ग में आवेदन कर 12वीं में 61 प्रतिशत व बीएससी नर्सिंग में 71.82 प्रतिशत होने एवं सीएचओ पद का अनुभव प्रमाण पत्र का लाभ नहीं दिया जाने का उल्लेख कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 61.490 प्रतिशत हैं जो इनकी श्रेणी (एमबीसी एनसीएल) में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 62.970 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
217	CHAMPA RAM	NO207106	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अस्पताल में भर्ती होने के कारण दस्तावेज सत्यापन में शामिल नहीं हो पाने का उल्लेख कर पुनः दस्तावेज सत्यापन हेतु स्वीकृति देने के संबंध में निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। नीति निर्धारण समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अब और अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
218	CHETNA KUMARI MEENA	NO211927	अभ्यर्थियों द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में आवेदन ही नहीं किया गया। अभ्यर्थी को 2 बार त्रुटि संशोधन हेतु अवसर प्रदान किया गया था जिसका उनके द्वारा लाभ नहीं उठाया गया। अभ्यर्थी द्वारा अब परिवेदना के साथ कबड्डी खेलकूद प्रतियोगिता का प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसका लाभ कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार प्रदान नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर कुल प्राप्तांक 58.740 बनते हैं जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.100 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

219	DALIP KUMAR	NO133373	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में आवेदन ही नहीं किया गया। अभ्यर्थी को 2 बार ट्रुटि संशोधन हेतु अवसर प्रदान किया गया था जिसका उनके द्वारा लाभ नहीं उठाया गया। अभ्यर्थी द्वारा अब परिवेदना के साथ ऑल इंडिया यूथ चैम्पियनशिप का प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसका लाभ कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार प्रदान नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर कुल प्राप्तांक 62.200 बनते हैं जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
220	DEEPAK KUMAR SAINI	NO149370	अभ्यर्थी द्वारा बीसीएमओ के अंडर में कोविड अनुभव प्रमाण पत्र में बीसीएमओ ने कॉलम संख्या 6.2 में हां किया और 7.1 में सीधा कार्मिक से किया है और भरतपुर सीएमएचओ ने अनुभव प्रमाण पत्र में कॉलम संख्या 6.2 में नहीं किया है और 7.1 में निल किया है इस कारण अभ्यर्थी को 15 बोनस अंक नहीं मिला है इसलिये 15 बोनस अंक देते हुये चयन सूची में शामिल करने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर कुल प्राप्तांक 60.300 बनते हैं जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.230 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
221	DEEPIKA BHATI	NO188222	अभ्यर्थियां ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.27 जो की अनुसूचित जाति महिला वर्ग की कट ऑफ लगभग 63.61 प्रतिशत से ज्यादा होने का उल्लेख कर अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में कोविड अवधि में कार्य करने के कॉलम में 'नो' अंकित किया गया जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 10 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान करते हुये कुल 61.280 प्रतिशत अंक बनते हैं जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थी को ट्रुटि सुधार करने के दो अवसर प्रदान किये जा चुके हैं जिनका लाभ अभ्यर्थी द्वारा नहीं उठाया गया। अतः अब अंतरिम वरीयता सूची जारी किये जाने के उपरान्त कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
222	DHANWANTI PANWAR	NO170473	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में कोविड अवधि में कार्य करने के कॉलम में 'नो' अंकित किया गया जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 10 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान करते हुये कुल 61.530 प्रतिशत अंक बनते हैं जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा दिनांक 26.01.2023 का सीएचए पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो इस भती हेतु जारी विज्ञापित से पूर्व का होने के कारण एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
223	DHARM CHAND	NO159787	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.002 होने का उल्लेख कर चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डाटा के अनुसार इनके कुल प्राप्तांक 64.230 प्रतिशत बनते हैं जो कि श्रेणी में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 64.240 प्रतिशत से कम रहने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
224	DILEEP KUMAR BAIRWA	NO141778	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर कुल प्राप्तांक 63.880 बनते हैं जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर



				अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	निस्तारित, की जाती है।
225	DIMPAL	NO162166	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के 12वीं कक्षा में 62.67 एवं तकनीकी योग्यता में 68.56 के हैं 48.42 होते हैं व 15 बोनस अंक सीएचसी व एक वर्ष अस्पताल का अनुभव जोड़कर कुल 73.420 होने के बावजूद स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर चयन सूची में नाम जुड़वाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने अंकों की गणना सही नहीं की है। अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार वास्तविक प्राप्तांक 46.530 + 15 कुल 61.530 प्रतिशत हैं जो इनके जातिवर्ग अनुसूचित महिला में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 61.600 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित नहीं है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
226	DINESH CHANDRA ROAT	NO195266	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 12वीं जीएनएम को जोड़कर 62.473 प्रतिशत बताते हुये कोविड अवधि के दौरान किये गये कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ देने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डूंगरपुर द्वारा सी.एच.ए. पद के जारी 2 अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनमें अनुभव अवधि एक समान है। जबकि आवेदन पत्र दो अलग अलग प्रमाण पत्रों का विवरण भरा है जिनकी कुल अनुभव अवधि 2 वर्ष से कम है। अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर इनके कुल बोनस अंक 15 प्रतिशत बनते हैं जो प्रदान किये जा चुके हैं। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 59.700 प्रतिशत हैं जो इनकी श्रेणी अनुसूचित जनजाति में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.110 से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
227	DIVYA MALI	NO110645	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल श्रेणी में आवेदन कर 12वीं में 54.20 एवं जीएनएम में 84.31 प्रतिशत होने का उल्लेख कर सीएचए में कार्य किये जाने पर 15 बोनस अंक का लाभ देकर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.480 प्रतिशत हैं जो इनकी श्रेणी ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के अंकों से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
228	GANESH KUMAR MEENA	NO104234	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर कोविड अवधि में कार्य करने पर बोनस अंकों का लाभ देकर अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित जन जाति वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये डेटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 58.300 प्रतिशत बनते हैं जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित जनजातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 62.110 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
229	GANGA KUMARI	NO200806	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग की कट ऑफ 61.1 से ज्यादा स्वयं के कुल प्राप्तांक 62.1205 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार इनके कुल प्राप्तांक 46.870 प्रतिशत इनकी अनुसूचित जनजाति महिला श्रेणी में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 61.100 प्रतिशत से कम रहने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में 1 अनुभव प्रमाणपत्र का विवरण भरा है जिनकी कुल अनुभव अवधि 276 दिवस अर्थात एक वर्ष से कम है तथा कोविड अवधि में कार्य सम्पादन हेतु 'नहीं' अंकित किया है जिस कारण अभ्यर्थी को एक वर्ष से कम अनुभव होने के कारण बोनस का लाभ नहीं दिया गया। अभ्यर्थी के पास आवेदन की अंतिम तिथि उपरान्त एवं दस्तावेज सत्यापन की सूची जारी होने के उपरान्त दो बार त्रुटि संशोधन का अवसर प्राप्त था जिसका उसके द्वारा लाभ नहीं उठाया गया। अब अंतरिम चयन सूची जारी होने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन की परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

230	GANGA KUMARI MEENA	NO205240	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर पूर्व में जाति व मूल प्रमाण पत्र में गंगा देवी भीणा जो कि ओरिजनल दस्तावेज में संशोधित करवाकर गंगा कुमारी भीणा अपलोड कर रही हूँ जो सही है साथ ही 12वीं में 66, जीएनएम में 78.53 व कोविड का अनुभव प्रमाण पत्र में 15 प्रतिशत देय है कुल प्राप्तांक 65.53 होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार इनके कुल प्राप्तांक 50.630 प्रतिशत इनकी अनुसूचित जनजाति महिला श्रेणी में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 61.100 प्रतिशत से कम रहने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में 1 अनुभव प्रमाणपत्र का विवरण भरा है जिनकी कुल अनुभव अवधि 227 दिवस अर्थात एक वर्ष से कम है तथा कोविड अवधि में कार्य सम्पादन हेतु 'नहीं' अंकित किया है जिस कारण अभ्यर्थी को एक वर्ष से कम अनुभव होने के कारण बोनस का लाभ नहीं दिया गया। अभ्यर्थी के पास आवेदन की अंतिम तिथि उपरान्त एवं दस्तावेज सत्यापन की सूची जारी होने के उपरान्त दो बार त्रुटि संशोधन का अवसर प्राप्त था जिसका उसके द्वारा लाभ नहीं उठाया गया। अब अंतरिम चयन सूची जारी होने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन की परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
231	GAURAV SINGH	NO123448	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी का अनुभव निजी संस्थान हैल्थ एंड हाइजीन नर्सिंग एजुकेशन संस्थान का होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। अतः इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम प्राप्तांक होने के कारण अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
232	GAURAV SONI	NO124444	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव प्रमाण जो एक वर्ष तक की अवधि से ज्यादा का है का लाभ देने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का अनुभव निजी संस्थान शरणम सुखम विकास संस्थान का होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। अतः इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम प्राप्तांक होने के कारण अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
233	GAYATRI SAINI	NO178372	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर सीएचए पद पर कार्य किये जाने पर 15 बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार कुल प्राप्तांक 61.170 प्रतिशत हैं जो इनकी श्रेणी ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के अंकों 64.570 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
234	GOPAL RAM	NO184583	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर उत्कृष्ट खिलाड़ी का लाभ देकर दस्तावेज सत्यापन सूची में नाम शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में आवेदन ही नहीं किया है। अतः अब श्रेणी परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
235	GOVIND RAM MEENA	NO207455	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर उत्कृष्ट खिलाड़ी का लाभ देकर दस्तावेज सत्यापन सूची में नाम शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में आवेदन ही नहीं किया है। अतः अब श्रेणी परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
236	HEMANT KUMAR	NO172520	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि कोविड-19 के अनुभव 15 बोनस अंक जोड़ने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा भरे गये डेटा के आधार पर अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 15 बोनस अंक सहित 62.310 प्रतिशत हैं जो दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में इनकी श्रेणी (अनुसूचित जाति पुरुष) में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
237	HEMLATA PURBIA	NO156698	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा भरे गये डेटा के आधार पर अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 61.400 प्रतिशत हैं जो दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में इनकी श्रेणी (अनारक्षित महिला) में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 68.610 प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
238	HITESH KUMAR MEENA	NO154235	अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आवेदन किया है एवं स्वयं 15 बोनस अंक जोड़कर कुल	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गये डेटा के आधार पर उनके कुल प्राप्तांक 61.830 (46.83 + 15 बोनस) प्रतिशत हैं जो दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			औसत प्राप्तांक स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में नाम ना होने का कारण स्पष्ट करते हुए सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	की सूची में इनकी श्रेणी (अनुसूचित जनजाति पुरुष) में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 62.110 प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है। इसी कारण यह चयन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
239	INDRA PRAKASH	NO134492	अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति में आवेदन किया है एवं बोनस अंक जोड़कर 66.33 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गये डेटा के आधार पर उनके कुल प्राप्तांक 64.080 (49.080 + 15 बोनस) प्रतिशत हैं जो दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में इनकी श्रेणी (अनुसूचित जाति पुरुष) में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है। इसी कारण यह चयन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
240	JAYA SONGARA	NO170996	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि उससे कम प्रतिशत वाली अभ्यर्थिया राधिका पारीक (छल67763) का चयन हुआ है साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा अध्ययनरत रहते हुए कोविड 19 में कार्य सहयोग प्रदान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ संविदा कार्मिकों को ही देय है। अभ्यर्थी एक संविदा कार्मिक नहीं है अतः इन्हें अनुभव का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
241	JETHU SINGH	NO212791	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में अनुभव प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रपत्र में नहीं), अंकतालिकाएं एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी द्वारा वेबसाइट व अन्य समस्या के कारण खेल कोटे से आवेदन नहीं किया जा सका। इस संबंध में अभ्यर्थी द्वारा निदेशक महोदय को भी अवगत करवाया गया। अतः अभ्यर्थी ने अनुभव का लाभ दिया जाने तथा स्वयं का नाम स्पोर्ट्स कैटेगरी की दस्तावेज सत्यापन एवं अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार इनके कुल प्राप्तांक 55.270 प्रतिशत इनकी ईडब्ल्यूएस श्रेणी में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों 67.900 प्रतिशत से कम रहने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में 1 अनुभव प्रमाणपत्र का विवरण भरा है जिसकी कुल अनुभव अवधि 409 दिवस है किन्तु कोविड अवधि में कार्य सम्पादन हेतु 'नहीं' अंकित किया है जिस कारण अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक एवं दो वर्ष से कम अनुभव होने के कारण 10 बोनस का लाभ दिया गया। अभ्यर्थी के पास आवेदन की अंतिम तिथि उपरान्त एवं दस्तावेज सत्यापन की सूची जारी होने के उपरान्त दो बार त्रुटि संशोधन का अवसर प्राप्त था जिसका उसके द्वारा लाभ नहीं उठाया गया। अतः अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग से नहीं कर पाने हेतु दिया गया कारण इस प्रकार मान्य नहीं है। नही किया गया अब अंतरिम चयन सूची जारी होने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन की परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है
242	JYOTI DEVI	NO144419	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कोविड काल के सीएचए पद के बोनस अंक का लाभ देते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गये डेटा के आधार पर उनके कुल प्राप्तांक 60.640 (45.640 + 15 बोनस) बनते हैं जो उनकी श्रेणी (अनारक्षित वर्ग महिला) में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों, 68.610 प्रतिशत, से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
243	JYOTI VARMA	NO192279	अभ्यर्थी ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं के विवाह विच्छेद से संबंधित दिनांक 13.09.2023 को जारी डिक्री	अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन में इनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये डेटा के आधार पर आमंत्रित किया गया था। किन्तु अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहा है। अनुपस्थित अभ्यर्थियों को पुनः दस्तावेज सत्यापन कराये जाने का अवसर प्रदान किया	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	जा चुका है जिस अवसर का लाभ अभ्यर्थिया द्वारा नहीं लिया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
244	KALLA RAM MEENA	NO102812	अभ्यर्थियां ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 41.800 प्रतिशत हैं जो इनकी श्रेणी अनुसूचित जनजाति में अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 62.110 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
245	KALPANA KUMARI PATIDAR	NO189263	अभ्यर्थिया ने ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के द्वारा आवेदन के समय अनुभव प्रमाण पत्र के कॉलम में नहीं अंकित कर दिया गया था जिसे त्रुटि संशोधन के समय सही करने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 259 दिवस का सीएचए पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर 15 बोनस अंको का लाभ देकर प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार इनके कुल प्राप्तांक 46.600 प्रतिशत इनकी ओबीसी एनसीएल महिला श्रेणी में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 64.570 प्रतिशत से कम रहने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में 1 अनुभव प्रमाणपत्र का विवरण भरा है जिनकी कुल अनुभव अवधि 259 दिवस अर्थात एक वर्ष से कम है तथा कोविड अवधि में कार्य सम्पादन हेतु 'नहीं' अंकित किया है जिस कारण अभ्यर्थी को एक वर्ष से कम अनुभव होने के कारण बोनस का लाभ नहीं दिया गया। अभ्यर्थी के पास आवेदन की अंतिम तिथि उपरान्त एवं दस्तावेज सत्यापन की सूची जारी होने के उपरान्त दो बार त्रुटि संशोधन का अवसर प्राप्त था जिसका उसके द्वारा लाभ नहीं उठाया गया। अब अंतरिम चयन सूची जारी होने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन की परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
246	KAMLESH KUMAR	NO210727	अभ्यर्थी ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में प्राइवेट संस्थान का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी के प्राप्तांक 45.00 प्रतिशत दस्तावेज सत्यापन हेतु ओबीसी एनसीएल श्रेणी में अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाणपत्र निजी संस्थान का होने कारण बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया जा सकता। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
247	Kavita	NO172622	अभ्यर्थियां ने परिवेदना देकर स्वयं को अविवाहित से विधवा श्रेणी में परिवर्तन हते निवेदन किया है। इस हेतु दिनांक 13.09.2023 को परिवेदना प्रस्तुत की गयी से अवगत कराया है। विधवा पेंशन से संबंधित दस्तावेज संलग्न किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा 13.09.2023 को कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। ऑनलाइन पोर्टल पर मात्र 14.10.2023 को डाली गई परिवेदना उपलब्ध है जिसमें वर्ष 2013 में पेंशन स्वीकृति के आदेश संलग्न किये हैं। अभ्यर्थिया द्वारा अविवाहित श्रेणी में आवेदन किया गया एवं परिवेदना के साथ भी ना तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र संलग्न किया ना ही मृतक की पत्नी होने का कोई प्रमाण पत्र संलग्न किया। माननीय न्यायालय द्वारा एस.बी. याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार बनाम सरकार एवं डी.बी. याचिका 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार को, श्रेणी परिवर्तन की मांग अस्वीकार करते हुए, राज्य पक्ष में निस्तारित किया है। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। फलस्वरूप अभ्यर्थिया की परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
248	Khemshankar tiwari	NO174763	अभ्यर्थी ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 37 दिवस का सीएचए पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र एवं दिनांक 02.09.2023 का जारी आर्थिक पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई अनुभव प्रमाण संलग्न नहीं किया ना ही अनुभव संबंधी कोई विवरण भरा। अब परिवेदना के साथ खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 17.01.2023 का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो न तो निर्धारित प्रारूप में है न ही सक्षम अधिकारी द्वारा इस भर्ती हेतु जारी किया गया है जिसे अब स्वीकार नहीं किया जा सकता। समान प्रकरणों रिट याचिका सं. 5346/2016, कविता पवार बनाम सरकार व डी.बी याचिका सं. 351/2020, संतोष चौधरी बनाम सरकार को समान कारण से माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
249	KISHOR	NO103301	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का प्रतिशत	अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार इनके प्राप्तांक 44.100 प्रतिशत हैं जो	कोई कार्यवाही आवश्यक

	KIRONWAL		अंक सही कर दस्तावेज सत्यापन कराने हेतु निवेदन किया है।	इनके जाति वर्ग ओबीसी एनसीएल में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	नहीं है।
250	KRISHNA SHARMA	NO117367	अभ्यर्थिया ने अनारक्षित महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 59.38 प्रतिशत बताते हुए स्वयं को डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन में बुलाने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने दिनांक 28.07.2023 का जारी ईडब्ल्यूएस जाति प्रमाण पत्र एवं 27 दिवस का सीएचए/जीएनएम पद का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन कथाने हेतु निवेदन किया है। रिट संख्या 7868/2023 संलग्न	अभ्यर्थिया द्वारा सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है। अभ्यर्थिया यदि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में थी तो त्रुटि संशोधन हेतु दो बार अवसर प्रदान किये जाने पर उसे अपने जातिवर्ग में संशोधन करा लेना चाहिये था। अभ्यर्थिया द्वारा 28.7.2023 का जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिससे स्पष्ट है कि अभ्यर्थिया आवेदन के समय ईडब्ल्यूएस वर्ग में नहीं थी। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना 17.10.2022 एव प्राप्त दिशा निर्देशानुसार अब त्रुटि संशोधन नहीं किया जा सकता। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
251	KULWINDER SINGH	NO170905	अभ्यर्थी ने परिवेदना के साथ अपनी जीएनएम की सभी वर्ष की अंकतालिकाएँ संलग्न कर जीएनएम इंटरनशिप के अंको का जोड़ने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर कुल प्राप्तांक 63.470 बनते हैं जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
252	MADAN LAL	NO143330	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में प्राइवेट संस्था द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर अनुभव का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अनुभव के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया अतः इनके कुल प्राप्तांक 37.210 अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थी द्वारा अब निजी संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र परिवेदना के साथ संलग्न कर दस्तावेज सत्यापन हेतु निवेदन किया है जिसका अनुभव का लाभ देय नहीं है। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
253	MADHUMALA VERMA	NO170764	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं की योग्यता एवं अनुभव के आधार पर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 61.260 प्रतिशत हैं जो कि इनकी श्रेणी (अनुसूचित जाति महिला) में अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 61.600 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
254	MAMTA	NO171673	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में कोविड ड्यूटी प्रमाण पत्र संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है जबकि अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने जी.एन.एम. प्रशिक्षु के रूप में अध्ययनरत रहते हुए कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी हैं न कि एक संविदा कार्मिक के रूप में। नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस का लाभ राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग के अधीन संस्थानों में कार्यरत एक संविदा कार्मिक को ही देय है। इस अवधि में इनका आर.एन.सी. में पंजीयन भी नहीं हुआ था। रिट याचिका सं. 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने पंजीयन से पूर्व के अनुभव को अमान्य करने के राज्य सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। अतः बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 54.010 प्रतिशत ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों 64.570 प्रतिशत से कम होने के कारण इन्हें दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
255	MAMTA JOSHI	NO138494	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 48.810 प्रतिशत हैं जो इनकी श्रेणी ओबीसी एनसीएल में अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 64.570 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
256	mamta kumari meena	NO154732	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय प्रथम वर्ष के पूर्णांक	अभ्यर्थिया ने 15.09.2023 को ऑनलाइन पोर्टल पर अंको में संशोधन हेतु अपनी परिवेदना प्रस्तुत की थी। अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार गणना करने पर इनके कुल	प्रस्तावानुसार अनुमोदित




			500 में से प्राप्तांक 338 एवं तृतीय वर्ष के पूर्णांक 600 में से 456 अंकित कर दिये जाने से अभ्यर्थी का चयन दस्तावेज सत्यापन हेतु नहीं हुआ। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः दस्तावेज सत्यापन हेतु आवेदन पत्रों में सुधार हेतु परिवेदना पोर्टल शुरू किया गया है जिस हेतु अभ्यर्थी के त्रुटि पूर्ण अंकों के स्थान पर प्रथम वर्ष सप्लीमेंट्री के पूर्णांक 500 में से प्राप्तांक 346 अंकित कर दिया जावे तथा अंतिम वर्ष के पूर्णांक में इन्टर्नशिप पूर्णांक 300 जोड़ने से अंतिम वर्ष का कुल पूर्णांक 900 में से अंतिम वर्ष के प्राप्तांक 456 में इन्टर्नशिप प्राप्तांक 288 जोड़ने से कुल 744 अंक अंकित कर दिये जाते हैं तो अभ्यर्थी का चयन दस्तावेज सत्यापन हेतु हो सकेगा। अतः अभ्यर्थी द्वारा अंक सुधार कर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	प्राप्तांक 61.686 प्रतिशत बनते हैं जो इनके जातिवर्ग (अनुसूचित जनजाति) में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से अधिक हैं किन्तु अंतरिम चयन सूची में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों 62.049 से कम हैं। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	
257	MANISHA KUMARI DODIYAR	NO140940	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 63.8 प्रतिशत कटऑफ 62.5 प्रतिशत से अधिक होने के उपरान्त भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 43.510 प्रतिशत हैं जो इनकी श्रेणी अनुसूचित जनजाति में अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 61.100 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
258	MANISHA KUMARI MEENA	NO122266	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के प्राप्तांक एवं अनुभव के आधार पर अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार गणना करने पर इनके कुल प्राप्तांक 61.723 प्रतिशत बनते हैं जो इनके जातिवर्ग (अनुसूचित जनजाति) में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से अधिक हैं किन्तु अंतरिम चयन सूची में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों 62.049 से कम हैं। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
259	MANJU MEENA	NO195177	अभ्यर्थी ने कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में स्वयं के द्वारा डेटा भरा था जिसमें उसने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर द्वारा 228 दिवस का कोविड अवधि का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया किन्तु कोविड अवधि के सम्मुख 'नो' अंकित कर दिया जिसके फलस्वरूप इन्हे तत्समय अनुभव का लाभ नहीं दिया जा सका एवं दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित नहीं किया गया। 17.06.2023 से एवं 13.09.2023 से 19.09.2023 तक दो बार त्रुटि संशोधन का अवसर दिया जा चुका है किन्तु उसके द्वारा इन अवसरों का लाभ नहीं उठाया गया। अतः अब कोई और अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
260	MANJULA NINAMA	NO172526	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय इन्टर्नशिप के नम्बर अपलोड नहीं किये गये थे, जिस हेतु अभ्यर्थी द्वारा ऑफलाइन परिवेदना प्रस्तुत की गई थी परन्तु अभ्यर्थी का नाम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। साथ ही अभ्यर्थी ने कोरोना काल के	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में स्वयं के द्वारा डेटा भरा था जिसमें उसने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 259 दिवस का कोविड अवधि का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जिसका 15 बोनस प्रदान करने के उपरान्त अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 60.960 प्रतिशत बनते हैं जो अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार है। अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि के उपरान्त 17.06.2023 से एवं 13.09.2023 से 19.09.2023 तक दो बार त्रुटि संशोधन का अवसर दिया जा चुका है किन्तु उसके द्वारा	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

			अनुभव प्रमाण पत्र में बिन्दु संख्या 6.2 में हां/नहीं में हां माना जाने हेतु निवेदन किया है जिससे अभ्यर्थी के अनुभव के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक जोड़े जाकर कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 62.290 प्रतिशत बनते हैं जो कि अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग की कटऑफ प्रतिशत 62.05 प्रतिशत से अधिक है एवं अभ्यर्थी ने कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत में ईन्टरनेशिप के नम्बर जोड़े जाकर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	इन अवसरों का लाभ नहीं उठाया गया। अतः अब कोई और अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
261	MEENAKSHI NAGDA	NO157169	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी की श्रेणी सामान्य से बदलकर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में परिवर्तित कर कुल प्राप्तांक 63.730 प्रतिशत के आधार पर दस्तावेज सत्यापन सूची में नाम सम्मिलित किया जावे।	अभ्यर्थिया द्वारा सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है। अभ्यर्थिया यदि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में थी तो त्रुटि संशोधन हेतु दो बार अवसर प्रदान किये जाने पर उसे अपने जातिवर्ग में संशोधन करा लेना चाहिये था। अभ्यर्थिया द्वारा ना तो दस्तावेज सत्यापन हेतु ना ही वर्तमान परिवेदना के साथ स्वयं के ईडब्ल्यूएस श्रेणी में पात्र होने का कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया। स्पष्ट है कि अभ्यर्थिया आवेदन के समय ईडब्ल्यूएस श्रेणी में पात्र नहीं थी। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना 17.10.2023 एवं प्राप्त दिशानिर्देशानुसार यदि अभ्यर्थी ने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है और आवेदन के समय आरक्षित श्रेणी में पात्र नहीं थे, तो त्रुटि संशोधन के नाम पर इनका श्रेणी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
262	MOH SAJID KHAN	NO203828	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल याचिका की प्रति संलग्न की है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
263	MOHAMMED AFSAN	NO142896	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन में केवल अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया एवं इन्होंने स्वयं अनुभव दिवसों की संख्या 699 भरी। अतः उपरोक्त के आधार पर इन्हे 15 बोनस अंक दिये गये जिससे अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार इनके प्राप्तांक 59.200 प्रतिशत बने जो इनके जाति वर्ग ओबीसी एनसीएल में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई। अतः अब परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
264	MOHAN LAL	NO147577	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की है।	अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार इनके प्राप्तांक 64.020 प्रतिशत हैं जो इनके जाति वर्ग अनुसूचित जाति में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 64.420 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
265	Ms. BIMLA KUMARI	NO209077	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी जाति वर्ग में कुल प्राप्तांक 73.795 प्रतिशत ओबीसी महिला वर्ग की कटऑफ प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम घयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम ओबीसी महिला वर्ग की अंतरिम घयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन में इनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये डेटा के आधार पर आमंत्रित किया गया था। किन्तु अभ्यर्थिया दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रही है। अनुपस्थित अभ्यर्थियों को पुनः दस्तावेज सत्यापन कराये जाने का अवसर प्रदान किया जा चुका है जिस अवसर का लाभ अभ्यर्थिया द्वारा नहीं लिया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

266	NANAJI RAM CHAUDHARY	NO132941	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 40.800 प्रतिशत हैं जो इनकी श्रेणी ओबीसी एनसीएल में अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
267	NARESH KUMAR	NO128219	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर जीएनएम प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के अंक क्रमशः 332/500, 477/700 एवं 310/400 तथा जन्मतिथि 05.11.1998 संशोधित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के पास त्रुटि संशोधन हेतु पर्याप्त अवसर होने के उपरान्त भी त्रुटि संशोधन हेतु प्रयास नहीं किया गया। ना ही दस्तावेज सत्यापन हेतु कोई परिवेदना प्रस्तुत की गई अतः अब त्रुटि संशोधन नहीं किया जा सकता। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
268	NAVIN KUMAR KARAR	NO102625	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 55.900 प्रतिशत हैं जो इनकी श्रेणी ओबीसी एनसीएल में अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
269	NEETU	NO106518	अभ्यर्थिया ने परिवेदना के संलग्नक में ओबीसी एनसीएल जाति प्रमाण पत्र दिनांक 27.07.2023 की प्रति प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 52.110 प्रतिशत हैं जो इनकी आवेदित श्रेणी ओबीसी सीएल (अनारक्षित) में अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
270	NIRMAL Kaur	NO149592	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन में स्वयं के द्वारा डेटा भरा था जिसमें उसने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर द्वारा 296 दिवस का कोविड अवधि का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया किन्तु कोविड अवधि के सम्मुख 'नो' अंकित कर दिया जिसके फलस्वरूप इन्हे तत्समय अनुभव का लाभ नहीं दिया जा सका एवं दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित नहीं किया गया। 17.06.2023 से एवं 13.09.2023 से 19.09.2023 तक दो बार त्रुटि संशोधन का अवसर दिया जा चुका है किन्तु उसके द्वारा इन अवसरों का लाभ नहीं उठाया गया। अतः अब कोई और अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
271	NIRMALA	NO103998	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 72.55 होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में स्वयं का नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 50.170 प्रतिशत हैं जो इनकी श्रेणी अनुसूचित जाति में अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 61.600 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
272	NIRMALA AHARI	NO118713	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में खेल प्रमाण पत्र (जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता, डूंगरपुर) की प्रतियां संलग्न कर अनुसूचित जनजाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत एवं खेल प्रमाण पत्र के आधार पर अंतरिम चयन सूची में स्वयं का नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ जिला स्तरीय खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिका विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के मान्य नहीं है। अतः उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
273	NIRMALA KUMARI BARANDA	NO138207	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 73.68 प्रतिशत होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 41.570 प्रतिशत हैं जो इनकी श्रेणी अनुसूचित जनजाति में अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 61.100 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			में किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
274	Nirmala Prajapat	NO192425	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर ईन्टरनशिप के अंक जोड़े जाने हेतु निवेदन किया है।	समस्त अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के आधार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। यदि अभ्यर्थिया से डेटा में कोई त्रुटि रह गई थी तो इसे सुधारने हेतु अभ्यर्थिया के पास 2 बार अवसर था। अभ्यर्थिया द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु कोई परिवेदना भी नहीं दी गई। अतः अब त्रुटि सुधार संभव नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
275	PARVEEN	NO106340	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा भरे गये डेटा के आधार पर उनके प्राप्तांको के औसत 41.060 प्रतिशत बनते हैं, जो इनकी श्रेणी (अन्य पिछड़ा पुरुष वर्ग) में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में स्थान बना पाने में असफल रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
276	POOJA CHOUDHARY	NO192462	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 68.47 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 66.41 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार इनके कुल प्राप्तांक 63.680 प्रतिशत इनकी श्रेणी ओबीसी एनसीएल महिला में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको 64.570 प्रतिशत से कम रहने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
277	POOJA SALVI	NO207087	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.29 जो की अनुसूचित जाति फिमेल, श्रेणी की कट ऑफ प्रतिशत से अधिक होने के बावजूद चयन सूची में नाम नहीं आने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार इनके कुल प्राप्तांक 49.430 प्रतिशत इनकी श्रेणी में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम रहने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में 2 अनुभव प्रमाणपत्रों का विवरण भरा है जिनकी कुल अनुभव अवधि 334 दिवस अर्थात एक वर्ष से कम है तथा कोविड अवधि में कार्य सम्पादन हेतु 'नहीं' अंकित किया है जिस कारण अभ्यर्थी को एक वर्ष से कम अनुभव होने के कारण बोनस का लाभ नहीं दिया गया। अभ्यर्थी के पास आवेदन की अंतिम तिथि उपरान्त एवं दस्तावेज सत्यापन की सूची जारी होने के उपरान्त दो बार त्रुटि संशोधन का अवसर प्राप्त था जिसका उसके द्वारा लाभ नहीं उठाया गया। अब अंतरिम चयन सूची जारी होने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन की परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
278	POONAM CHAND	NO182323	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 60.830 प्रतिशत हैं जो दस्तावेज सत्यापन हेतु इनकी श्रेणी (अनुसूचित जाति) में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
279	POONAM RANI	NO146533	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 63.200 प्रतिशत हैं जो दस्तावेज सत्यापन हेतु इनकी श्रेणी (अनारक्षित महिला) में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 68.610 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
280	PRAKASH CHAND DHAKAR	NO109437	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 53.860 प्रतिशत हैं जो दस्तावेज सत्यापन हेतु इनकी श्रेणी (ओबीसी एनसीएल) में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।



281	PRATEEK KAUSHIK	NO199924	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 60.740 प्रतिशत हैं जो दस्तावेज सत्यापन हेतु इनकी श्रेणी (ईडब्ल्यूएस) में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
282	PRAVEEN BANO	NO202462	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर बोनस अंक जोड़कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 15 बोनस अंक सहित 55.160 प्रतिशत हैं जो दस्तावेज सत्यापन हेतु इनकी श्रेणी (अनारक्षित महिला) में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 68.610 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
283	PREMENDRA CHOUDHARY	NO178867	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 15 बोनस अंक जोड़कर 75 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन-प्रीमी लेयर की कट ऑफ 72 प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 15 बोनस अंक सहित 64.960 प्रतिशत हैं जो दस्तावेज सत्यापन हेतु इनकी श्रेणी (ओबीसी एनसीएल) में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
284	PRIYA ACHARYA	NO140181	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 63.460 प्रतिशत हैं जो दस्तावेज सत्यापन हेतु इनकी श्रेणी (ओबीसी एनसीएल महिला) में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 64.570 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
285	PRIYANKA DAMOR	NO142945	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आवेदन करते समय इन्टरशिप से सम्बंधित दस्तावेज अपलोड नहीं किये गये थे। अतः इन्टरशिप मार्क जोड़ते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार कुल प्राप्तांक 60.850 प्रतिशत हैं जो दस्तावेज सत्यापन में इनकी श्रेणी (अनुसूचित जाति महिला) में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 61.100 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन से वंचित रही हैं। अभ्यर्थिया को दो बार त्रुटि संशोधन का अवसर प्राप्त था जिसका अभ्यर्थिया द्वारा लाभ नहीं उठाया गया। अतः अब त्रुटि संशोधन नहीं किया जा सकता। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
286	PRIYANKA KUSHWAH	NO161916	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 66.44 प्रतिशत होने पर भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन-प्रीमी लेयर महिला कट ऑफ 64 प्रतिशत तक गई है। अतः अभ्यर्थिया ने अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार इनके कुल प्राप्तांक 50.690 प्रतिशत हैं जो दस्तावेज सत्यापन में इनकी श्रेणी (ओबीसी एनसीएल महिला) में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 64.570 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन से वंचित रही हैं। अभ्यर्थिया द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु परिवेदना भी नहीं दी गई। अतः अब त्रुटि संशोधन नहीं किया जा सकता। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
287	RAHUL KUMAR	NO157595	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि फॉर्म भरते समय त्रुटिवश जीएनएम तृतीय वर्ष के 200 में से 144 अंक भर दिये गये, जबकि सही अंक 600 में से 425 है। अतः अभ्यर्थी ने अंक दर्ज करने व 01 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र भी दर्ज करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन में अनुभव के सम्बंध में कोई विवरण नहीं भरा है। अतः अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार कुल प्राप्तांक 46.750 प्रतिशत हैं जो दस्तावेज सत्यापन में इनकी श्रेणी (अनुसूचित जाति) में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन से वंचित रहे हैं। अभ्यर्थी को दो बार त्रुटि संशोधन का अवसर प्राप्त था जिसका अभ्यर्थी द्वारा लाभ नहीं उठाया गया। अतः अब त्रुटि संशोधन नहीं किया जा सकता। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
288	RAJENDRA SINGH	NO205008	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि ईएमटी-108 आपातकालीन सेवा में राजस्थान सरकार द्वारा संचालित उदयपुर में सेवार्य दी है, जिसका अनुभव	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन में 108 एम्प्लोईमेंट में कार्य का 918 दिवस का अनुभव भरा है जो वर्ष 2013 का जारी है व निर्धारित प्रपत्र में नहीं है जिसका बोनस अंकों का लाभ देया नहीं है। अतः अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार कुल प्राप्तांक 62.	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

	CHOUHAN		प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव को देखते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	690 प्रतिशत हैं जो दस्तावेज सत्यापन में इनकी श्रेणी (सामान्य अनारक्षित) में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 74.490 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन से वंचित रहे हैं। अभ्यर्थीको दो बार त्रुटि संशोधन का अवसर प्राप्त था जिसका अभ्यर्थी द्वारा लाभ नहीं उठाया गया। अतः अब त्रुटि संशोधन नहीं किया जा सकता। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
289	RAJNI	NO147968	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थिया के स्वयं के द्वारा आवेदन पत्र में भरे गये डेटा के अनुसार कुल प्राप्तांक 47.860 प्रतिशत हैं जो इनकी श्रेणी अनुसूचित महिला वर्ग में दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के अंकों 61.600 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
290	RAVI PATHAK	NO155177	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम चयनित सूची में नहीं आने एवं प्रार्थी द्वारा आवेदन करते समय टेक्नीकल एरर की वजह से ईडब्ल्यूएस नहीं जोडा गया का उल्लेख कर दिनांक 12.10.2023 को जारी ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र संलग्न कर सीएचए पद का अनुभव के आधार पर बोनस अंक देते हुये चयनित सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार इनके कुल प्राप्तांक 51.860 प्रतिशत इनकी आवेदित सामान्य श्रेणी में अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 74.490 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.22 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है व आवेदन के समय सम्बन्धित जाति वर्ग में नहीं थे, त्रुटि संशोधन के नाम पर उनका जाति वर्ग परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः अभ्यर्थी को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं माना जा सकता। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में 260 दिवस का सीएचए के अनुभव का प्रमाणपत्र संलग्न किया है तथा कोविड अवधि में कार्य सम्पादन हेतु 'नहीं' अंकित किया है जिस कारण अभ्यर्थी को एक वर्ष से कम अनुभव होने के कारण बोनस का लाभ नहीं दिया गया। अभ्यर्थी के पास आवेदन की अंतिम तिथि उपरान्त एवं दस्तावेज सत्यापन की सूची जारी होने के उपरान्त दो बार त्रुटि संशोधन का अवसर प्राप्त था जिसका उसके द्वारा लाभ नहीं उठाया गया। अब अंतरिम चयन सूची जारी होने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन की परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
291	RAVI VERMA	NO176863	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र में नाम परिवर्तन करवा कर परिवेदना प्रस्तुत की गई थी परन्तु अभ्यर्थी का नाम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना में 1095 दिवस का जीएनएम संविदा पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। जबकि ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई प्रमाणपत्र संलग्न नहीं है। अतः अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार कुल प्राप्तांक 44.000 प्रतिशत हैं जो दस्तावेज सत्यापन में इनकी श्रेणी (ओबीसी एनसीएल) में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन से वंचित रहे हैं। अभ्यर्थी को दो बार त्रुटि संशोधन का अवसर प्राप्त था जिसका अभ्यर्थी द्वारा लाभ नहीं उठाया गया। अतः अब त्रुटि संशोधन नहीं किया जा सकता। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
292	RAVINDRA BHATI	NO171485	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर क्रमशः ईएमटी पद का 418 दिवस का 10 प्रतिशत एवं सीएचए पद का 112 दिवस का 15 प्रतिशत कुल 25 प्रतिशत बोनस अंक दिये जाने हेतु निवेदन किया है।	राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः अभ्यर्थी को 530 दिवस के 15 बोनस अंक ही देय हैं। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।
293	REKHA KUMARI ROAT	NO150024	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल आरएनसीप्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया। अतः इनके स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार इनके कुल प्राप्तांक 42.570 प्रतिशत इनकी श्रेणी अनुसूचित जनजाति महिला में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

				प्राप्तांकों 61.100 प्रतिशत से कम रहने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
294	RINKU	NO160318	अभ्यर्थिया ने पूर्व में भूतपूर्व सैनिक कोटे में आवेदन करना भूलवश नहीं किया था। अतः अब भूतपूर्व सैनिक के दस्तावेज संलग्न कर स्वयं को भूतपूर्व सैनिक कोटे का लाभ देकर ESM कोटे का लाभ दिया जाये।	अभ्यर्थिया ने परिवेदना के साथ कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है जिससे उसका भूतपूर्व सैनिक होना सिद्ध होता हो। अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त त्रुटि संशोधन नहीं किया जा सकता। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
295	SABINA BANU	NO149466	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल 312 दिवस का जीएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर गणना किये जाने पर अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44.260 प्रतिशत बनते हैं जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ 02.04.2018 से 03.03.2019 तक कुल 312 दिवस एक वर्ष से कम अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
296	SAEEM KHAN	NO211838	अभ्यर्थी ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल प्राइवेट हॉस्पिटल का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर गणना किये जाने पर अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 42.470 प्रतिशत बनते हैं जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र निजी संस्थान एवं निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने से नियमानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
297	SALMAN KHAN	NO106516	अभ्यर्थी ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर गणना किये जाने पर अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 42.310 प्रतिशत बनते हैं जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
298	SAMPATI SUTHAR	NO164063	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के 10वीं में 55.17 प्रतिशत, 12वीं में 66.15 प्रतिशत, जीएनएम में 75.10 प्रतिशत अंके एवं 210 दिवस के सीएचए पद के अनुभव के आधार पर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर गणना किये जाने पर अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.440 प्रतिशत बनते हैं जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में ओबीसी एनसीएल श्रेणी में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
299	SANGEETA KUMARI	NO113324	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में राज्य स्तरीय खेल कूद प्रमाण पत्र भी संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी ने उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में आवेदन ही नहीं किया। फलस्वरूप अभ्यर्थी के स्वयं के भरे डेटा के आधार पर अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित नहीं है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।


300	SANJU GURJAR	NO159669	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.98 प्रतिशत बताते हुये अंतरिम वरीयता सूची में नाम नियमानुसार जोड़ने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार इनके कुल प्राप्तांक 48.990 प्रतिशत इनकी आवेदित श्रेणी में अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में 283 दिवस का सीएचए के अनुभव का प्रमाणपत्र संलग्न किया है तथा कोविड अवधि में कार्य सम्पादन हेतु 'नहीं' अंकित किया है जिस कारण अभ्यर्थी को एक वर्ष से कम अनुभव होने के कारण बोनस का लाभ नहीं दिया गया। अभ्यर्थी के पास आवेदन की अंतिम तिथि उपरान्त एवं दस्तावेज सत्यापन की सूची जारी होने के उपरान्त दो बार त्रुटि संशोधन का अवसर प्राप्त था जिसका उसके द्वारा लाभ नहीं उठाया गया। अब अंतरिम चयन सूची जारी होने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन की परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
301	SANJU JALOUTHARIYA	NO106854	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर सीएचओ पद का कार्यानुभव के आधार पर बोनस अंक देने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डेटा के आधार पर गणना किये जाने पर अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 47.320 प्रतिशत बनते हैं जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने से नियमानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
302	SANTOSH KUMAR	NO178313	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डेटा के आधार पर गणना किये जाने पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.170 प्रतिशत बनते हैं जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
303	SAPNA RANI	NO142070	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर सीएचओ पद के अनुभव प्रमाण पत्र के बोनस अंकों का लाभ देकर प्रविजनल चयन सूची में नाम सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा सामान्य वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डेटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 67.420 प्रतिशत बनते हैं जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनारक्षित वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 68.610 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
304	SARITA BAI MEENA	NO204033	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 64.50 प्रतिशत बताते हुए स्वयं का नाम डीबी लिस्ट की सूची में नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 129 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम डीबी लिस्ट की सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के आधार पर इनके प्राप्तांक 59.330 प्रतिशत हैं। जो इनकी श्रेणी में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। त्रुटि संशोधन हेतु दो बार अवसर दिया गया था किन्तु अभ्यर्थी द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया गया। अब त्रुटि सुधार की परिवेदना प्रस्तुत की है जो अंतरिम चयन सूची जारी होने के बाद स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
305	saroj kumari	NO179619	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.15 जो की ओबीसी महिला वर्ग	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार



			में 66.41 से अधिक होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर दस्तावेज सत्यापन के लिये बुलाये जाने हेतु निवेदन किया है।	उचित होगा।	कार्यवाही की जावे।
306	SHAHANAJ BANO	NO141955	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर एक वर्ष के अनुभव के 10 प्रतिशत बोनस एवं कोविड अवधि में किये गये कार्य के अतिरिक्त 15 बोनस अंक मिलाकर कुल 25 बोनस अंकों का लाभ दिये जाने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी ने कोई अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं किये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
307	SHAHROKH KHAN ABBASI	NO134134	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.39 होने के बाद भी चयन नहीं होने जबकी ओबीसी एनटीएसपी वर्ग में 56.50 तक के अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया एवं कोविड अवधि में कार्य संपादन के सम्मुख 'नहीं' अंकित किया जिसके कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम प्राप्तांक रहने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अब अंतरिम चयन सूची जारी होने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन हेतु परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
308	SHAVEZ UDDIN QURESHI	NO164145	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जाने का कारण स्पष्ट किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया। अतः इनके स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार इनके कुल प्राप्तांक 43.920 प्रतिशत इनकी श्रेणी ओबीसी एनसीएल में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों 67.320 प्रतिशत से कम रहने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
309	SHER SINGH GURJAR	NO160485	अभ्यर्थी ने कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी ने एम.बी.सी. एन.सी.एल. श्रेणी में आवेदन किया। अभ्यर्थी के प्राप्तांक 56.820 प्रतिशत हैं जो कि इनकी श्रेणी एम.बी.सी. में अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 62.970 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
310	SHWETA KUMARI DWIVEDI	NO199824	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है। अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार इनके प्राप्तांक 62.710 प्रतिशत हैं जो इनके अनारक्षित महिला वर्ग में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 68.610 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
311	SHWETA KUMARI VAISHNAV	NO115925	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 78.00 प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है जबकि अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया। अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार इनके बोनस के अभाव में इनके कुल प्राप्तांक 46.270 प्रतिशत इनकी श्रेणी अनारक्षित महिला में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों 68.610 प्रतिशत से कम रहने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
312	SITA RAM GURJAR	NO142740	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी कार्यालय जिला कलक्टर, सीकर में कनिष्ठ सहायक के रूप में कार्यरत है। अभ्यर्थी ने कोरोना काल में जिला कलक्टर एवं जिला आपदा कार्यालय सीकर में कार्य किया है जिस हेतु अभ्यर्थी भी बोनस	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अनुभव के कॉलम में कोई प्रविष्टि अंकित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में उनके जाविर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थी ने स्वयं को कनिष्ठ सहायक के पद पर जिला कलक्टर सीकर के कार्यालय में कार्यरत होना बताया है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			अंक का हकदार है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंकों का लाभ प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया है।	बोनस अंकों का लाभ केवल संविदा कार्मिकों को विज्ञापित पद के समान कार्य का अनुभव होने पर नियमानुसार देय है। अभ्यर्थी द्वारा कनिष्ठ सहायक पद पर संपादित कार्य न तो नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान है न ही ये संविदा कार्मिक है। अतः बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
313	SUGNA KUMARI MEENA	NO149788	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.39 होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया एवं कोविड अवधि में कार्य संपादन के सम्मुख 'नहीं' अंकित किया जिसके कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम प्राप्तांक रहने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। त्रुटि संशोधन हेतु दो बार अवसर दिया गया था किन्तु अभ्यर्थी द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया गया। अब अंतरिम चयन सूची जारी होने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन हेतु परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
314	SUKH RAJ KAUR	NO149590	अभ्यर्थी द्वारा सीएचए पद का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर चयन सूची में नाम नहीं आने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा जारी 298 दिवस का सीएचए पद का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है किन्तु कोविड अवधि में कार्य के सम्मुख 'नहीं' अंकित करने के कारण 298 दिवस के अनुभव के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया जा सका। अतः दस्तावेज सत्यापन हेतु इनकी श्रेणी में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया से कम प्राप्तांक रहने के कारण इन्हे दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थिया के पास त्रुटि सुधार हेतु 2 बार अवसर था जिसका उनके द्वारा लाभ नहीं उठाया गया। अब अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन हेतु परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
315	SUMAN	NO183805	अभ्यर्थी द्वारा प्रोईवेट हॉस्पिटल द्वारा प्रमाणित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर सूची में नाम सम्मिलित करने एवं प्रमाण पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार इनके कुल प्राप्तांक 47.270 प्रतिशत इनकी ओबीसी एनसीएल महिला श्रेणी में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों 64.570 प्रतिशत से कम रहने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। त्रुटि संशोधन हेतु दो बार अवसर दिया गया था किन्तु अभ्यर्थी द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया गया। अब अंतरिम चयन सूची जारी होने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन हेतु परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। निजी अस्पताल का अनुभव प्रमाण पत्र नियमानुसार मान्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
316	SUMAN LATA	NO176622	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 63.041 प्रतिशत बताते हुए डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन लिस्ट में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 12वीं में स्वयं के 500 में से 295 अंक देकर डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है। अभ्यर्थिया ने 130 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार इनके कुल प्राप्तांक 45.150 प्रतिशत इनकी अनुसूचित जनजाति महिला श्रेणी में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों 63.100 प्रतिशत से कम रहने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थिया के पास त्रुटि संशोधन हेतु 2 बार अवसर प्राप्त था जिसका उसके द्वारा लाभ नहीं उठाया गया। अतः अब अंतरिम मेरिट सूची जारी हो जाने के उपरान्त त्रुटि संशोधन हेतु परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
317	SUMAN PATEL	NO204726	अभ्यर्थिया ने ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है।	अभ्यर्थिया द्वारा अध्ययनरत रहते हुए कोविड 19 में कार्य सहयोग प्रदान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ संविदा कार्मिकों को ही देय है। अभ्यर्थिया एक संविदा कार्मिक नहीं है अतः इन्हे अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव इनके कुल प्राप्तांक इनकी ओबीसी एनसीएल	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			अभ्यर्थिया ने 345 दिवस का बिना सक्षम अधिकारी एवं अन्य फॉर्मेट का प्रमाण पत्र संलग्न संलग्न कर बोनस अंको का लाभ देने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थिया ने एक अन्य अभ्यर्थिया राधिका पारीक (आईडी संख्या 167763) से अधिक प्राप्तांक होने के बावजूद भी स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में नहीं होने से अवगत कराया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	महिला में अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम रहने के कारण दस्तावेज से वंचित रही हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
318	SUMIT DAVE	NO122853	अभ्यर्थी ने कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। केवल 922 दिवस का जीएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
319	SUMITA	NO178789	अभ्यर्थिया ने ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 66.950 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 296 दिवस का सीएचए पद का कोविड अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न किये हैं। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार इनके कुल प्राप्तांक 46.100 प्रतिशत इनकी ओबीसी एनसीएल महिला श्रेणी में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों 64.570 प्रतिशत से कम रहने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में 296 दिवस का सीएचओ पद का अनुभव भरा है अर्थात एक वर्ष से कम है तथा कोविड अवधि में कार्य सम्पादन हेतु 'नहीं' अंकित किया है जिस कारण अभ्यर्थी को एक वर्ष से कम अनुभव होने के कारण बोनस का लाभ नहीं दिया गया। अभ्यर्थी के पास आवेदन की अंतिम तिथि उपरान्त एवं दस्तावेज सत्यापन की सूची जारी होने के उपरान्त दो बार त्रुटि संशोधन का अवसर प्राप्त था जिसका उसके द्वारा लाभ नहीं उठाया गया। अब अंतरिम चयन सूची जारी होने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन की परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
320	SUMITRA RAJAK	NO187439	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 231 दिवस का सीएचए पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार इनके कुल प्राप्तांक 59.660 प्रतिशत इनकी अनुसूचित जाति महिला श्रेणी में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों 61.600 प्रतिशत से कम रहने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
321	SUNIL KUMAR SAINI	NO195839	अभ्यर्थी ने भर्ती प्रक्रिया में सीएचओ पद के अभ्यर्थियों को अनुभव का लाभ देकर उनका डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन करने से अवगत कराया है जिसमें 1000 फर्जी अभ्यर्थी बताये हैं किन्तु प्रोविजनल चयन सूची में सीएचओ पद के अभ्यर्थियों को बोनस अंको का लाभ नहीं दिया गया जिसके कारण मेरा नाम डीवी लिस्ट में नहीं आ पाया था। अभ्यर्थी ने राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र को भर्ती से संबंधित 02 खबर अपलोड की है एवं 1000 अभ्यर्थियों के फर्जी दस्तावेज एवं 148 अभ्यर्थी फर्जी होने से अवगत	अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार इनके कुल प्राप्तांक 65.420 प्रतिशत इनकी ओबीसी एनसीएल श्रेणी में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों 67.320 प्रतिशत से कम रहने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। वर्तमान भर्ती हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के समस्त प्रमाणपत्रों की गहन जाँच करवाई जा रही है जिसके अनुसार ही भर्ती में अभ्यर्थियों की पात्रता सुनिश्चित की जायेगी। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।



			कराया है किन्तु कोई साक्ष्य एवं आईडी नंबर प्रस्तुत नहीं किये हैं। उक्त फर्जी अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाये जिससे प्रार्थी का नाम प्राविजनल चयन सूची में सम्मिलित किया जा सके हेतु निवेदन किया है।		
322	SUNIL SOLANKI	NO184863	अभ्यर्थी ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल आवेदन फार्म एवं 292 दिवस का सीएचए पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार इनके कुल प्राप्तांक 46.380 प्रतिशत इनकी अनुसूचित जाति श्रेणी में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 64.240 प्रतिशत से कम रहने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में 1 अनुभव प्रमाणपत्र का विवरण भरा है जिसकी कुल अनुभव अवधि 292 दिवस अर्थात एक वर्ष से कम है तथा कोविड अवधि में कार्य सम्पादन हेतु 'नहीं' अंकित किया है जिस कारण अभ्यर्थी को एक वर्ष से कम अनुभव होने के कारण बोनस का लाभ नहीं दिया गया। अभ्यर्थी के पास आवेदन की अंतिम तिथि उपरान्त एवं दस्तावेज सत्यापन की सूची जारी होने के उपरान्त दो बार त्रुटि संशोधन का अवसर प्राप्त था जिसका उसके द्वारा लाभ नहीं उठाया गया। अब अंतरिम चयन सूची जारी होने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन की परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
323	SUNITA KHARADI	NO197868	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हेतु निवेदन किया है। स्वयं से संबंधित जीएनएम एवं 12वीं के दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार इनके कुल प्राप्तांक 44.240 प्रतिशत इनकी अनुसूचित जनजाति महिला श्रेणी में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 61.100 प्रतिशत से कम रहने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में 2 अनुभव प्रमाणपत्रों का विवरण भरा है जिनकी कुल अनुभव अवधि 336 दिवस अर्थात एक वर्ष से कम है तथा कोविड अवधि में कार्य सम्पादन हेतु 'नहीं' अंकित किया है जिस कारण अभ्यर्थी को एक वर्ष से कम अनुभव होने के कारण बोनस का लाभ नहीं दिया गया। अभ्यर्थी के पास आवेदन की अंतिम तिथि उपरान्त एवं दस्तावेज सत्यापन की सूची जारी होने के उपरान्त दो बार त्रुटि संशोधन का अवसर प्राप्त था जिसका उसके द्वारा लाभ नहीं उठाया गया। अब अंतरिम चयन सूची जारी होने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन की परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
324	SURESH	NO171184	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
325	SWETA DINESH	NO113401	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा भरे गये डेटा के आधार पर गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 46.920 प्रतिशत बनते हैं जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं की गई। अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र निजी संस्थान का है व निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने से नियमानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
326	UMESH KATARIA	NO144583	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार इनके प्राप्तांक 59.530 प्रतिशत हैं जो इनके अनुसूचित जाति वर्ग में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

				64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
327	VANDANA TELI	NO146718	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल जीएनएम की अंकतालिकाएं संलग्न की ह।	अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार इनके कुल प्राप्तांक 64.520 प्रतिशत इनकी ओबीसी एनसीएल महिला श्रेणी में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों 64.570 प्रतिशत से कम रहने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
328	VIJAY RAJ KHETRA	NO201578	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के द्वारा कोरोना काल जैसी विषम परिस्थितियों में कार्य किये जाने पर 05 और नम्बर देकर अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को कोविड अवधि के दौरान कार्य करने के आधार पर 15 बोनस अंक प्रदान किये जा चुके हैं। अभ्यर्थी द्वारा भरे गये डेटा के आधार पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.350 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
329	VINOD SHARMA	NO197675	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ईडब्ल्यूएस सामान्य श्रेणी में आवेदन कर चयनित सूची में नाम नहीं आने का उल्लेख कर कोविड अवधि में किये गये कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ देकर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ कोविड अवधि के बाद के 2 अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं। जिनकी अवधि 1 वर्ष से कम होने के कारण नियमानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार इनके कुल प्राप्तांक 53.050 प्रतिशत इनकी ईडब्ल्यूएस श्रेणी में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों 67.900 प्रतिशत से कम रहने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
330	virender singh kachhawa	NO112847	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी ने फॉर्म भरने में गलती से जीएनएम प्रथम वर्ष में 336 की जगह 250 अंक भर दिये थे। अतः उक्त गलती सुधारने का निवेदन किया है। संलग्न जीएनएम प्रथम वर्ष अंकतालिका	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया एवं कोविड अवधि में कार्य संपादन के सम्मुख 'नहीं' अंकित किया। अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार इनके कुल प्राप्तांक 36.190 प्रतिशत इनकी ओबीसी एनसीएल श्रेणी में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों 67.320 प्रतिशत से कम रहने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। त्रुटि संशोधन हेतु दो बार अवसर दिया गया था किन्तु अभ्यर्थी द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया गया। अब अंतरिम चयन सूची जारी होने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन हेतु परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
331	KANCHAN SAINI	NO143781	अभ्यर्थिया ने ओबीसी-एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो निर्धारित प्रारूप में नहीं है एवं एसबी रिट 14476/2023(रिनु कुमारी) संलग्न की है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा अध्ययनरत रहते हुए कोविड 19 में कार्य सहयोग प्रदान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ संविदा कार्मिकों को ही देय है। अभ्यर्थिया एक संविदा कार्मिक नहीं है अतः इन्हे अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव इनके कुल प्राप्तांक इनकी श्रेणी ओबीसी एनसीएल महिला में अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम रहने के कारण दस्तावेज सत्यापन से वंचित रही हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
332	KESHAV KUMAR BHARDWAJ	NO159939	अभ्यर्थी ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है। बिना निर्धारित प्रारूप का अनुभव प्रमाण पत्र एवं एसबी रिट 14476/2023 सं संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा अध्ययनरत रहते हुए कोविड 19 में कार्य सहयोग प्रदान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ संविदा कार्मिकों को ही देय है। अभ्यर्थी एक संविदा कार्मिक नहीं है अतः इन्हे अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव इनके कुल प्राप्तांक इनकी श्रेणी ईडब्ल्यूएस में अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम रहने के कारण दस्तावेज सत्यापन से वंचित रहे हैं।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

333	MAHAVIR SINGH MEENA	NO150400	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में याचिका संख्या 14876/2023 की प्रति एवं अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी द्वारा मोबाईल मेडीकल यूनिट में 02 वर्ष से अधिक कार्य किया गया था, जिसका अनुभव तकनीकी कारणों से जारी नहीं हो पाया था, जिस हेतु याचिका माननीय न्यायालय में विचारधीन है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
334	Neelam Bagadi	NO170559	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल याचिका संख्या 14535/2023 की प्रति एवं अन्य दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 43.520 प्रतिशत हैं जो इनकी श्रेणी अनुसूचित जाति में अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 61.600 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
335	SURENDRA GAUR	NO212863	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में याचिका संख्या 14448/2023 में पारित निर्णय दिनांक 13.10.2023 की प्रति एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर अनुभव प्रमाण पत्रों को वैध कर नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अनुभव संबंधी कोई प्रविष्टि अंकित नहीं की गई है इस प्रकार अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये डाटा के आधार पर अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 46.580 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग में दस्तावेज, सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ अगस्त 2023 के कारुन्सलर पद के जारी अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं जो कि आवेदन करने की अंतिम दिनांक के बाद एवं नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य के नहीं होने के कारण मान्य नहीं किये जा सकते हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
336	AASHEESH KUMAR	NO168965	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं से कम प्राप्तांक 70.211 प्रतिशत वाले अभ्यर्थी श्री श्याम सुन्दर पुत्र श्री रामचन्द्र (आई०डी० क्रमांक 181073) का अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने का उल्लेख करते हुए स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा वैक्सीनेटर पद पर जिला चिकित्सालय गंगापुर सिटी में वैक्सीनेशन कार्य सम्पादित किया गया जो नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
337	ABHISHEK SHARMA	NO173489	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल हैल्थ एडवाइजरी ऑफिसर एवं हैल्थ एडवाइजरी ऑफिसर (ईएमटी) पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
338	ABHISHEK SINSINWAR	NO150833	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल आरएनसी रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट दिनांक 18.09.2020 की प्रति संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ दिसम्बर 2022 में पंजीयन होने का प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर रजिस्ट्रेशन से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ 18.09.2020 में पंजीयन हेतु आवेदन किये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है किन्तु इससे अभ्यर्थी को पंजीयन के अभाव में नर्सिंग कार्य करने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की सकती। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
339	AISHWARYA SHUKLA	NO185680	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में मध्यप्रदेश राज्य का अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन	अभ्यर्थी का अनुभव अन्य राज्य का होने से अनुभव का लाभ देय नहीं है। विशेष अनुमति याचिका सं 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता की मांग को अन्य राज्य का अनुभव होने के आधार पर	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

340	AKANSHA KIRAD	NO178121	सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज यथा अंकतालिकाएं, अनुभव प्रमाण पत्र इत्यादि संलग्न किये हैं।	खारिज कर दिया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं हैं। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ जुलाई 2018 का बलॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं है अतः मान्य नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों रिट याचिका 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डी.बी. यचिका 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा राज्य पक्ष में निर्णित किया जा चुका है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
341	ALKA YADAV	NO120476	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में वर्धमान महावीर मेडीकल कॉलेज एवं सफदरगंज अस्पताल द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर बोनस अंको का लाभ दिये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ अधीक्षक सफदरगंज अस्पताल नई दिल्ली द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागीर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
342	AMIT KUMAR NAGAR	NO142207	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल हैल्थ एडवाइजरी ऑफिसर पदनाम के अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रतियां संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा एसटीएस पद पर टीवी कार्य का 2235 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। ऐसा ही एक अन्य प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा जारी ऑन काल हैल्थ एडवाइजरी सर्विसेज कार्य का संलग्न किया है। दोनों ही कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान कार्य का नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णित किया है। एक अन्य डीबी रिट याचिका संख्या 356/2020 कुलदीप बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय से राज्य पक्ष में स्थगन प्राप्त है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
343	AMIT VARMA	NO197964	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र दिनांक 20.09.2023 एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 74.950 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
344	ANIL KUMAR	NO131658	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में एसटीएस पद का अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर द्वारा जारी एसटीएस पद पर जॉब चार्ट के अनुसार सम्पादित कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर

38

37

36

35

34

			निवेदन किया है कि पूर्व में भर्ती 2018 में अभ्यर्थी योगेश कुमार एवं दुर्गेश चौहान, एसटीएस पद पर कार्यरत, को नियुक्ति दी जा चुकी है। अतः अभ्यर्थी ने अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर अनुभव का लाभ प्रदान कर संशोधित अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	संलग्न किया है। एसटीएस का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान कार्य का नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। एक अन्य डीबी रिट याचिका संख्या 356/2020 कुलदीप बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय से राज्य पक्ष में स्थगन प्राप्त है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	निस्तारित की जाती है।
345	Anjali	NO197892	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में स्वयं के प्राप्तांक 68.890 प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर जाति वर्ग में ओबीसी सीएल से ओबीसी एनसीएल वर्ग में परिवर्तन करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में दो अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये जिनमें से एक अनुभव प्रमाण पत्र सीके बिड़ला हॉस्पिटल द्वारा जारी किया गया है जो कि निजी संस्थान का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है तथा द्वितीय अनुभव प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू द्वारा कोविड अवधि में 186 का जारी किया गया जिसके आधार पर अभ्यर्थिया को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किया जा चुके है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 64.156 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग (ओबीसी सीएल) में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 69.245 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
346	Anju	NO131002	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम पात्र अभ्यर्थियों तथा रोके गये अभ्यर्थियों की किसी भी सूची में नाम नहीं आने का उल्लेख कर प्रार्थी का नाम किस सूची में है की स्थिति स्पष्ट करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का अनुभव निजी संस्थान का है व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 51.042 प्रतिशत बनते है जो कि अनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 69.245 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	डुप्लिकेट
347	ankita	NO120150	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति महिला वर्ग में स्वयं के कुल प्राप्तांक 64.580 प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का अनुभव निजी संस्थान का है व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 45.297 प्रतिशत बनते है जो कि अनुसूचित जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.612 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
348	ANUJ SINGH PARMAR	NO163045	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर द्वारा दिनांक 07.06.2018 से 31.03.2021 तक कुल 1028 दिवस का एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस कुल 1158 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये। अभ्यर्थी का पंजीयन राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल में दिनांक 16.12.2022 को हुआ है। अतः रिट याचिका संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय के अनुरूप पंजीयन से पूर्व की संविदा अवधि के बोनस अंक देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 47.940 प्रतिशत बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्रतिशत प्राप्तांक 55.841 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।




349	ANUP KUMAR CHOUHAN	NO162367	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
350	ARUN BHARDWAJ	NO167092	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर सामान्य श्रेणी की कट ऑफ से ज्यादा अनुभव के आधार पर 30 बोनस अंक जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 76.210 प्रतिशत होने का उल्लेख कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा काऊन्सलर का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थी का काऊन्सलर के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। अतः इन्हे नर्सिंग ऑफिसर के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 46.209 उनके जातिवर्ग अनारक्षित में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 75.517 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
351	ARUN KUMAR PAREEK	NO203679	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ईडब्ल्यूएस श्रेणी की कट ऑफ 72 प्रतिशत से ज्यादा स्वयं के कुल प्राप्तांक 76.210 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
352	ARUN SHARMA	NO132432	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 79.120 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का अनुभव निजी संस्थान का है व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है न ही इनकी सेवार् चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 49.139 प्रतिशत बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 72.336 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
353	ARVIND INKHIYA	NO170655	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी शधीका पारीक जिसकी एप्लिकेशन आईडी NO167763 का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अनुभव संबंधित कोई प्रविष्टि अंकित नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर द्वारा जारी कोविड ड्यूटी प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर गणना किये जाने पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 53.888 प्रतिशत बनते है जो कि अनुसूचित क्षेत्र में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 65.275 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना में वर्णित आईडी क्रमांक NO167763 के संबंध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
354	ASHISH KUMAR TRIVEDI	NO159564	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।




355	ASHWINI PAREEK	NO188962	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 79.210 होने के बावजूद भी चयन सूची में नाम नहीं आने का उल्लेख कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
356	ATAL BIHARI MEENA	NO175779	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर एसटीएस पद के 4 साल के अनुभव का लाभ देने एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में आरएनटीसीपी में कार्यरत 02 एसटीएस को नियुक्ति दिये जाने का उल्लेख किया है जबकि एसटीएस एवं नर्सिंग का कार्य पूर्णतया समान है अतः प्रार्थी का नाम योग्यता सूची में शामिल करके संशोधित अंतरिम वरीयता सूची जारी करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा एस.टी.एस. पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थी का एस.टी.एस. के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। एक अन्य डीबी रिट याचिका संख्या 356/2020 कुलदीप बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय से राज्य पक्ष में स्थगन प्राप्त है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44.395 उनके जातिवर्ग अनुसूचित जनजाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.061 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन से वंचित रहे हैं। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना में उल्लेखित दो अभ्यर्थी जिन्हें एसटीएस पद पर अनुभव प्राप्त उन्हें नियुक्ति माननीय न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 7778/2020 में दायर अवमानना प्रकरण 128/2021 के मध्यनजर विभाग द्वारा दायर होने वाली डीबी के अध्याधीन किया गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
357	BABALOO TYAGI	NO163864	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में केन्द्रीय सरकार द्वारा परिव्योजना में उत्तर प्रदेश में काम किया है अन्तरिम वरीयता सूची में प्रार्थी का नाम कहीं भी नहीं आया जबकि राजस्थान में इस ही परियोजना में काम करते हुए कार्मिकों को बोनस का लाभ दिया गया है एवं अन्तरिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित भी किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अतः अन्तरिम वरीयता सूची निकालने से पहले परिवेदना पर कार्यवाही करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का अनुभव अन्य राज्य का होने से अनुभव का लाभ देय नहीं है। विशेष अनुमति याचिका सं 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता की मांग को अन्य राज्य का अनुभव होने के आधार पर खारिज कर दिया है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 48.048 ईडब्ल्यूएस श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्रतिशत प्राप्तांकों 72.336 से कम होने के चयन से वंचित हैं अतः कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
358	BABITA KUMARI	NO210510	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति वर्ग में आवेदन कर सीएचए पद पर कार्य करने पर 15 बोनस अंकों को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.22 प्रतिशत होने पर भी चयन सूची में नाम नहीं आने का उल्लेख करते हुये प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

359	BALBEER CHOUHRY	NO130569	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव का लाभ देकर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 75.16 जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग की कट ऑफ 70 प्रतिशत से अधिक होने के बावजूद चयन नहीं होने का उल्लेख कर प्रोविजनल लिस्ट में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जाये।
360	BHAG CHAND KANAV	NO208313	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 30 बोनस अंको को जोड़कर 72.72 प्रतिशत होने के बावजूद चयन नहीं होने का उल्लेख कर बोनस अंको का लाभ देकर अन्तिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का अनुभव निजी संस्थान का है व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 42.728 प्रतिशत बनते हैं जो कि अनुसूचित जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक 65.275 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
361	BHANU PRAKASH SHARMA	NO166712	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 74.750 होने के बावजूद चयन नहीं होने एवं स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा साइबर टेक संस्थान जो एक निजी संस्थान है से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसका निजी क्षेत्र का होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। दूसरा प्रमाण पत्र आरवीआरएस मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा का जारी है जो मल्टी टास्किंग वर्कर के कार्य का होने से समान कार्य के नियमानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं है। तीसरा प्रमाण पत्र चिकित्सा अधिकारी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांगानेर भीलवाड़ा का जारी है जो निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के प्राप्तांक स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण चयन नहीं हुआ है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
362	BHARAT SINGH JHALA	NO213049	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर नर्सिंग ट्यूटर के पद के अनुभव का लाभ देने एवं माननीय न्यायालय में दायर याचिका के संबंध में फेसला आने तक पद सुरक्षित रखते हुये उचित कार्यवाही कर चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा नर्सिंग ट्यूटर का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थी का नर्सिंग ट्यूटर के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। अतः इन्हे नर्सिंग ऑफिसर के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। समान प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा डी0बी0 याचिका संख्या 63/2022 में राज्य पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 43.098 उनके जातिवर्ग अनारक्षित में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 72.336 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
363	BHARTI MEENA	NO186918	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.038 जो की अनुसूचित जनजाति की कट ऑफ 62.05 से अधिक होने के बावजूद चयन नहीं होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में	अभ्यर्थी का अनुभव निजी संस्थान का है व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 37.032 प्रतिशत बनते हैं जो कि	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।


			नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अनुसूचित जनजाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक 62.049 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	
364	BHAWANI SINGH CHOUHAN	NO207641	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 03 वर्ष के अनुभव के बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 73.010 जो कि ओबीसी मेल वर्ग की कट ऑफ 70.21 प्रतिशत से अधिक होने का उल्लेख कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी नर्सिंग ट्यूटर पद का जी.एन.एम.टी.सी. पर कार्य सम्पादन का जिसका कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण 30 बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। राजकीय सेवा में कार्यरत एक संविदा नर्सिंग कर्मी अपनी सेवायें अस्पताल (यथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय) में प्रदान करता है। नर्सिंग ऑफिसर के जॉब चार्ट से स्पष्ट है कि इसकी सेवायें केवल अस्पताल में ही प्रदान की सकती है प्रशिक्षण संस्थान में नहीं। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने मर्ती 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान है जिसका संबंध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। समान प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा डी0बी0 याचिका संख्या 63/2022 में राज्य पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक उनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
365	BHOODEV SINGH	NO102062	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कोविड काल में कार्य करने पर अन्य राज्य के अनुभव प्रमाण पत्र का लाभ दिये जाने का उल्लेख कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ चिकित्सा निदेशक, रेलवे अस्पताल, मुम्बई द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
366	BHOOPENDRA SINGH	NO140867	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में केन्द्रीय सरकार द्वारा परिव्योजना में उत्तर प्रदेश में काम किया है अन्तरिम वरीयता सूची में प्रार्थी का नाम कहीं भी नहीं आया जबकि राजस्थान में इस ही परियोजना में काम करते हुए कर्मियों को बोनस का लाभ दिया गया होने का उल्लेख कर स्वयं को अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ चीफ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेंट, जिला अस्पताल, आगरा/झांसी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
367	BIJU LAL	NO202896	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अन्य पिछड़े वर्ग में आवेदन कर 3 साल का अनुभव के आधार पर बोनस जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 71.149 होने के बाद भी चयन नहीं होने एवं स्वयं से कम प्रतिशत	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ अधीक्षक सुन्दर सिंह भंडारी अस्पताल, उदयपुर द्वार जारी ईसीजी टेक्नीशियन पद पर ईसीजी करने का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने मर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।



			वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। अतः ईसीजी टैक्नीशियन पद का समान कार्य नहीं होने के कारण अभ्यर्थी को बोनस अंकों लाभ देय नहीं है।	
368	BINDIYA SHARMA	NO110537	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में नहीं आने के कारण ईडब्ल्यूएस श्रेणी की संशोधित चयन सूची जारी करवाने के संबंध में निवेदन किया है।	ऑनलाइन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 07.02.2023 का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालौर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। अनुभव जारी करने हेतु निर्धारित परिशिष्ट 'अ' में स्पष्ट अंकित है कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
369	BOBY NAI	NO147188	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल श्रेणी में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 74.075 होने के उपरान्त भी चयन नहीं होने एवं स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
370	Brijesh kumar verma	NO165435	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि प्रोविजनल परिणाम सूची में प्रार्थी के 12वीं एवं डिप्लोमा/डिग्री के प्राप्तांकों तथा अनुभव अंकों का सही तरह से योग नहीं करने से प्रार्थी को वंचित कर दिया गया है साथ ही सूची में चयनित अभ्यर्थियों का अनुभव अवधि के आधार पर बोनस अंकों का सही अवलोकन ना कर प्रार्थी से कम प्रतिशत अंक वाले अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ दिया गया है। अतः प्रार्थी के 12वीं एवं डिप्लोमा/डिग्री के प्राप्तांकों तथा अनुभव अंकों का सही तरह से योग किया जाकर एवं अनुभव अवधि के आधार पर बोनस अंकों का सही से अवलोकन कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांकों का पुनः योग कर लिया गया है जो सही पाया गया। अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा नर्सिंग द्यूटर के पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। नर्सिंग द्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। समान प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा डीबी0 याचिका संख्या 63/2022 में राज्य पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया है। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है। साथ ही प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा नर्सिंग द्यूटर के पद पर कार्यरत व्यक्ति से नर्सिंग कर्मी जिसका वेतन 7900/- प्रतिमाह है, का कार्य किस कारण लिया गया बाबत स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया जाये एवं सम्बन्धित नर्सिंग द्यूटर कार्मिक को प्रतिमाह 14000/- वेतन प्रदान कर राजकोष को हानि पहुँचाने बाबत ऑडिट जॉच कराये



					जाने की भी समिति द्वारा अनुशांषा की जाती है।
371	CHANDRA BHAN	NO150902	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में केन्द्रीय सरकार द्वारा परिवयोजना में उत्तर प्रदेश में काम किया है अन्तरिम वरियता सूची में प्रार्थी का नाम कही भी नहीं आया जबकि राजस्थान में इस ही परिवयोजना में काम करते हुए कार्मिको को बोनस का लाभ दिया गया होने का उल्लेख कर स्वयं को अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रमुख अधीक्षक, जिला पुरुष चिकित्सालय, झांसी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
372	CHANDRA PRAKASH KALYAN	NO180434	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति वर्ग में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 83.150 होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किया है। केवल अधीक्षक गोविन्द बल्लभ पंत संस्थान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र संलग्न किया है। अन्य राज्य का अनुभव होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है जिसके अभाव में अभ्यर्थी के प्राप्तांक 53.152 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 65.275 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
373	Chandra vati	NO110769	परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं है परन्तु दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थी का अनुभव निजी संस्थान का है व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46.908 प्रतिशत बनते है जो कि एमबीबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46.908 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
374	DAKHU PATEL	NO206674	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल महिला श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 78.220 होना बताते हुये स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का अनुभव निजी संस्थान का है व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 48.219 प्रतिशत बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 66.419 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
375	DAMODAR LAL	NO159898	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक कट ऑफ से ज्यादा होने का उल्लेख कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 46.094 बनते है जो ओबीसी एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.188 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।



376	Dana ram	NO148568	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 76.96 प्रतिशत बताते हुये अनुभव के आधार पर 30 बोनस अंक देने का उल्लेख कर चयन हेतु पात्र मानते हुये अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
377	DAYARAM JATAV	NO116058	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर भारत सरकार सफदरजंग अस्पताल का 4 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होने का उल्लेख कर अनुभव का लाभ देने हेतु निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अंतिम प्रतिशत अंकों की गणना अभ्यर्थी द्वारा भरे गये डाटा के अनुसार की गई थी जिसके उपरान्त दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों के डाटा का संशोधन उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कर अंतरिम वरीयता सूची जारी की गई है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य से नहीं होकर अन्य राज्य द्वारा जारी किया गया है जिसके आधार पर बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 45.772 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.275 से कम होने के कारण अभ्यर्थी का अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। अन्य राज्य के अनुभव के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी सं 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राज्य सरकार को खारिज किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा अनुभव जारी किया हुआ नहीं होने के कारण माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 5436/2016 कविता पंवार बनाम सरकार व डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
378	DEEPAK BARSIWAL	NO144779	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति वर्ग में आवेदन कर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 73.750 होने का के बाद भी स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ श्री कल्याण चिकित्सालय, सीकर द्वारा स्टाफ नर्स (Phlebotomist) पद पर मुख्यमंत्री जॉब योजना के अन्तर्गत श्री कृष्णा डायग्नोस्टिक सेन्टर पर जॉब कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थी का फ्लेबोटोमिस्ट के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44.999 उनके जातिवर्ग अनुसूचित जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 65.275 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन से वंचित रहे है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
379	DEEPMALA	NO104108	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव के आधार पर बोनस अंक जोड़कर अनुसूचित जाति वर्ग में कुल 65.87 प्रतिशत प्राप्तांक होने के बावजूद चयन सूची में नाम नहीं होने पर स्वयं के सभी दस्तावेजों की दोबारा से सही प्रकार से जांच करके चयन सूची	अभ्यर्थी का अनुभव निजी संस्थान का है व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 45.868 प्रतिशत बनते है जो कि अनुसूचित जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 63.612 प्रतिशत से कम	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।




			में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	
380	DEVANTI KALASUA	NO105323	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति वर्ग की कट ऑफ 61 प्रतिशत से स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत ज्यादा 77.670 होने का उल्लेख कर प्रोविजनल व फाईनल लिस्ट में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का अनुभव निजी संस्थान का है व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
381	DHARMENDRA CHAWLA	NO196918	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों एवं अन्य कारणों से जिन अभ्यर्थियों का परिणाम रोक रखा गया है उनकी सूची पृथक रूप से जारी की है यह कि उक्त सूची में प्रार्थी का नाम सम्मिलित नहीं है के संबंध में उल्लेख किया है। रिट संख्या 8418/2023	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
382	DHARMENDRA KUMAR PARIHAR	NO165667	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति वर्ग में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 78.780 होने के बावजूद अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर अंतरिम सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा टीबीएचवी पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थी का टीबीएचवी के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णय किया है। अतः अभ्यर्थी को बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
383	Dharmendra Kumar Sharma	NO137022	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में केन्द्रीय सरकार द्वारा परिव्ययोजना में उत्तर प्रदेश में काम किया है अन्तरिम वरीयता सूची में प्रार्थी का नाम कहीं भी नहीं आया जबकि राजस्थान में इस ही परियोजना में काम करते हुए कार्मिको को बोनस का लाभ दिया गया होने का उल्लेख कर स्वयं को अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अंतिम प्रतिशत अंकों की गणना अभ्यर्थिया द्वारा भरे गये डाटा के अनुसार की गई थी जिसके उपरान्त दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों के डाटा का संशोधन उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कर अंतरिम वरीयता सूची जारी की गई है। अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य से नहीं हांकर अन्य राज्य द्वारा जारी किया गया है जिसके आधार पर बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक उनके वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांको से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। अन्य राज्य के अनुभव के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी सं 1422/2022 सत्यदेव बगौर बनाम राज्य सरकार को खारिज किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा अनुभव जारी किया हुआ नहीं होने के कारण माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 5436/2016 कविता पंवार बनाम सरकार व डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।






384	DHEERAJ KUMAR	NO131161	परिवेदना प्रार्थना पत्र सलंगन नहीं है परन्तु सूची सलंगन	अभ्यर्थी का अनुभव निजी संस्थान का है व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
385	DHERINDRA SINGH SHEKHAWAT	NO189954	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 72.160 जो की ओबीसी एनसीएल श्रेणी की कट ऑफ 70.21 प्रतिशत से ज्यादा होने का उल्लेख कर पुराने अनुभव प्रमाण पत्र के स्थान पर नये फार्मेट के अनुसार प्रमाण पत्र जारी करवाकर मुख्य चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 42.162 बनते हैं जो ओबीसी एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.188 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
386	DILEEP SINGH	NO143063	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 78.560 प्रतिशत होने का उल्लेख कर वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा पीएचएस पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें अभ्यर्थी द्वारा पीएचएस का कार्य सम्पादित किया जाना दर्शाया गया है एवं इसी प्रपत्र के बिन्दु संख्या 6.2 में सम्पादित कार्य विज्ञापित पद के समान नहीं दर्शाया गया है। नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णय किया है। अतः अभ्यर्थी को बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
387	DINESH JASAWAT	NO160196	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर आवेदन करते समय ई मित्र कियोस्क की भूल की वजह से इंटरशीप की मार्कशीट के अंक नहीं जोड़ने का उल्लेख कर इंटरशीप के नम्बर जोड़ने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का अनुभव निजी संस्थान का है व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 42.667 प्रतिशत बनते हैं जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 72.336 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
388	Dinesh Kumar	NO146612	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के ओबीसी मेल श्रेणी की कट ऑफ से ज्यादा 74.28 प्रतिशत होने का उल्लेख कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।




389	DINESH KUMAR CHAUHAN	NO211184	अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के पश्चात अंतरिम सूची में नाम नहीं आने पर जोधपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्राचार्य झालावाड़ नर्सिंग कॉलेज, झालावाड़ द्वारा जारी झालावाड़ नर्सिंग कॉलेज, झालावाड़ पर नर्सिंग ट्यूटर के पद पर शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। जो एक चिकित्सोपचार हेतु संस्थान (अस्पताल) नहीं है। राजकीय सेवा में कार्यरत एक संविदा नर्सिंग कर्मी अपनी सेवायें अस्पताल (यथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय) में प्रदान करता है। नर्सिंग ऑफिसर के जॉब चार्ट से स्पष्ट है कि इसकी सेवायें केवल अस्पताल में ही प्रदान की सकती है प्रशिक्षण संस्थान में नहीं। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान है जिसका संबंध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। समान प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा डी0बी0 याचिका संख्या 63/2022 में राज्य पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
390	DINESH SINGH GURJAR	NO205136	अभ्यर्थी द्वारा निम्नानुसार परिवेदना प्रस्तुत की है:- 1. राज्य परिवार कल्याण संस्थान जयपुर द्वारा जारी दस्तावेज सत्यापन सूची दिनांक 29.08.23 में कम संख्या 5907 जिसका सत्यापन दिनांक 05.09.23 को कराया गया। जारी सूची में मेरे कुल 76.63 प्रतिशत बताया जा गया है। जिसमें 30 प्रतिशत एनएचएम सेवा के बोनस अंक भी सम्मिलित थे। 2. अभी जारी अंतरिम सूची दिनांक 07.10.23 को 76.63 प्रतिशत में मेरा चयन नहीं किया गया। 3. मेरे संज्ञान के अनुसार मुझे विभाग में कार्य के अनुभव का लाभ नहीं दिया जाना प्रतित हो रहा है। विभाग में अनुभव अंक दिये जाने हेतु निम्नलिखित राज्य आदेश जारी किये गये जिनकी प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है:- 1. परियोजना निदेशक, एनएचएम निदेशालय जयपुर द्वारा जारी पत्रांक 884 दिनांक 26.05.23 से अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी को दक्षता मेंटर को नर्सिंग ऑफिसर भर्ती हेतु विभाग में किये गये कार्य के लिये अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश प्रदान किये गये। जिसकी पालना में कार्यालयाध्यक्ष एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने उनके पत्रांक 65 दिनांक 24.05.23 एवं सयुक्त निदेशक जोन भरतपुर के पत्रांक 4279 दिनांक 29.05.23 से कुल 1056 दिवस एवं कार्यालयाध्यक्ष एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।



			<p>अधिकारी कोटा ने उनके पत्रांक 6945 दिनांक 07.06.23 से कुल 650 दिवस का जारी किया गया ।</p> <p>2. दक्षता मॅटर को बोनस अंक का लाभ दिये जाने के संबंध में संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद योग व प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्धा एवं होम्योपैथी विभाग के पत्र क्रमांक 01221 जयपुर दिनांक 04.8.23 से स्वीकृति पश्चात दक्षता मॅटर के पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों का चयन आयुर्वेद होम्योपैथी अर्थात् उन्हें बोनस अंक योग्य मानते हुए चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थापन कर दिया गया है।</p> <p>3. एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 8406/23 निर्णय दिनांक 31.5.23 और 7470/2023 निर्णय दिनांक के बिन्दू संख्या 9 में बोनस अंक दिये जाने हेतु निर्देशित किया है। अतः चिकित्सा विभाग में कार्यरत होने पर जारी अनुभव प्रमाण पत्र अनुसार अधिकतम 30 बोनस अंक का लाभ देकर वरियता सूची में शामिल किया जावे।</p>		
391	DINESH SINGH GURJAR	NO120068	<p>अभ्यर्थी द्वारा निम्नानुसार परिवेदना प्रस्तुत की है:-</p> <p>1. राज्य परिवार कल्याण संस्थान जयपुर द्वारा जारी दस्तावेज सत्यापन सूची दिनांक 29.08.23 में क्रम संख्या 1534 जिसका सत्यापन दिनांक 02.09.23 को कराया गया। जारी सूची में मेरे कुल 73.54 प्रतिशत बताया जा गया है। जिसमें 30 प्रतिशत एनएचएम सेवा के बोनस अंक भी सम्मिलित थे।</p> <p>2. अभी जारी अंतरिम सूची दिनांक 07.10.23 को 73.54 प्रतिशत में मेरा चयन नहीं किया गया।</p> <p>3. मेरे संज्ञान के अनुसार मुझे विभाग में कार्य के अनुभव का लाभ नहीं दिया जाना प्रतित हो रहा है। विभाग में अनुभव अंक दिये जाने हेतु निम्नलिखित राज्य आदेश जारी किये गये जिनकी प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है:-</p> <p>1. परियोजना निदेशक, एनएचएम निदेशालय जयपुर द्वारा जारी पत्रांक 884 दिनांक 26.05.23 से अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी को दक्षता मॅटर को नर्सिंग ऑफिसर भर्ती हेतु विभाग में किये गये कार्य के लिये अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश प्रदान किये गये। जिसकी पालना में कार्यालयाध्यक्ष एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां ने उनके पत्रांक 344 दिनांक 29.05.23 से कुल 1682 दिवस का जारी किया गया ।</p>	<p>अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।</p>	<p>प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।</p>



			<p>2. दक्षता मेंटर को बोनस अंक का लाभ दिये जाने के संबंध में संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद योग व प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्धा एवं होम्योपैथी विभाग के पत्र क्रमांक 01221 जयपुर दिनांक 04.8.23 से स्वीकृति पश्चात दक्षता मेंटर के पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों का चयन आयुर्वेद होम्योपैथी अर्थात् उन्हें बोनस अंक योग्य मानते हुए चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थापन कर दिया गया है।</p> <p>3. एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 8406/23 निर्णय दिनांक 31.5.23 और 7470/2023 निर्णय दिनांक के बिन्दु संख्या 9 में बोनस अंक दिये जाने हेतु निर्देशित किया है। अतः चिकित्सा विभाग में कार्यरत होने पर जारी अनुभव प्रमाण पत्र अनुसार अधिकतम 30 बोनस अंक का लाभ देकर वरियता सूची में शामिल किया जावे।</p>		
392	DINESH SINGH GURJAR	NO161041	<p>अभ्यर्थी द्वारा निम्नानुसार परिवेदना प्रस्तुत की है:-</p> <p>1. राज्य परिवार कल्याण संस्थान जयपुर द्वारा जारी दरस्तावेज सत्यापन सूची दिनांक 29.08.23 में क्रम संख्या 2318 जिसका सत्यापन दिनांक 04.09.23 को कराया गया। जारी सूची में मेरे कुल 71.390 प्रतिशत बतयाया जा गया है। जिसमें 30 प्रतिशत एनएचएम सेवा के बोनस अंक भी सम्मिलित थे।</p> <p>2. अभी जारी अंतरिम सूची दिनांक 07.10.23 को 71.390 प्रतिशत में मेरा चयन नहीं किया गया।</p> <p>3. मेरे संज्ञान के अनुसार मुझे विभाग में कार्य के अनुभव का लाभ नहीं दिया जाना प्रतित हो रहा है। विभाग में अनुभव अंक दिये जाने हेतु निम्नलिखित राज्य आदेश जारी किये गये जिनकी प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है:-</p> <p>1. परियोजना निदेशक, एनएचएम निदेशालय जयपुर द्वारा जारी पत्रांक 884 दिनांक 26.05.23 से अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी को दक्षता मेंटर को नर्सिंग ऑफिसर भर्ती हेतु विभाग में किये गये कार्य के लिये अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश प्रदान किये गये। जिसकी फालना में कार्यालयाध्यक्ष एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने उनके पत्रांक 15 एवं संयुक्त निदेशक जोन उदयपुर के पत्रांक 6161 दिनांक 01.06.2023 से कुल 1738 दिवस का जारी किया गया।</p> <p>2. दक्षता मेंटर को बोनस अंक का लाभ दिये जाने</p>	<p>अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।</p>	<p>प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।</p>




			<p>के संबंध में संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद योग व प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्धा एवं होम्योपैथी विभाग के पत्र क्रमांक 01221 जयपुर दिनांक 04.8.23 से स्वीकृति पश्चात दक्षता मॅटर के पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों का चयन आयुर्वेद होम्योपैथी अर्थात् उन्हें बोनस अंक योग्य मानते हुए चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थापन कर दिया गया है।</p> <p>3. एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 8406/23 निर्णय दिनांक 31.5.23 और 7470/2023 निर्णय दिनांक के बिन्दू संख्या 9 में बोनस अंक दिये जाने हेतु निर्देशित किया है। अतः चिकित्सा विभाग में कार्यरत होने पर जारी अनुभव प्रमाण पत्र अनुसार अधिकतम 30 बोनस अंक का लाभ देकर वरियता सूची में शामिल किया जावे।</p>		
393	DURG SINGH	NO212141	<p>अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 72.380 होने के साथ एसटीएस के 15 वर्ष 9 माह 20 दिवस के अनुभव होना बताते हुये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में आरएनटीसीपी में कार्यरत 2 एसटीएस को नर्सिंग भर्ती 2018 में नियुक्ति दी जा चुकी है जिनके नाम है योगेश कुमार (कोटा), दुर्गेश चौहान (एसटीएस) केकडी एसटीएस एवं नर्सिंग का कार्य पूर्णतया समान है और जो टर्म ऑफ रेफरेंस भी समान है और प्रार्थी के पास जीएनएम की योग्यता होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम योग्यता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा 15 वर्ष से अधिक अवधि का एस.टी.एस पद का अनूनाव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसके बिन्दु संख्या 6.2 में इनका कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होना दर्शाया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। एक अन्य डीबी रिट याचिका संख्या 356/2020 कुलदीप बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय से राज्य पक्ष में स्थगन प्राप्त है। अतः एस.टी.एस. का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।</p>	<p>परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।</p>
394	GANESH KUMAR	NO132023	<p>अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति वर्ग में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 76 बताते हुये सांविदा पर नर्सिंग ट्यूटर पर एएनएमटीसी दौसा में कार्य करने जिसका अनुभव प्रमाण पत्र इस पद पर सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्ण जांच के उपरान्त जारी किया गया है का लाभ देते हुये अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा द्वारा जारी महिला स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, दौसा पर नर्सिंग ट्यूटर के पद पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान है जिसका संबंध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। समान प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा डीबी0 याचिका संख्या 63/2022 में राज्य पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।</p>	<p>परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।</p>
395	GAURANG VYAS	NO172592	<p>अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं की पात्रता मान्य होने एवं दस्तावेज संलग्न कर जांच करने का उल्लेख कर प्राविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने</p>	<p>अभ्यर्थी का अनुभव निजी संस्थान का है व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। इस प्रकार</p>	<p>परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।</p>

			हेतु निवेदन किया है।	बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 44.418 प्रतिशत बनते है जो कि अनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 75.517 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	
396	GAURAV SHARMA	NO143987	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम न आने का कारण पूछने पर मौखिक रूप से बताया गया कि संविदा नर्सिंग ट्यूटर को बोनस अंक देय नहीं किया गया है जबकि अंतरिम वरियता सूची में समान अभ्यर्थी जो कि संविदा नर्सिंग ट्यूटर के पद पर कार्यरत है जिनको कि अंतरिम वरियता सूची में कम संख्या 2027 मुकुल चौधरी एवं कम संख्या 1520 मुक्ति कुमारी को वरियता सूची में शामिल किया होने का उल्लेख कर स्वयं को भी नर्सिंग ट्यूटर के पद पर कार्य करने पर अनुभव का लाभ दिया जाकर अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
397	GOVIND SINGH	NO113540	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल पुरुष श्रेणी की कट ऑफ 70.21 प्रतिशत से ज्यादा स्वयं के कुल प्राप्तांक 73.460 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का अनुभव निजी संस्थान का है व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 43.526 प्रतिशत बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 66.419 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
398	HANUMAN PRASAD SHARMA	NO134306	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों में उल्लेखित अवधि राजस्थान नर्सिंग कॉलेज में पंजीकरण से पूर्व की हाने के कारण बोनस अंका का लाभ प्रदान नहीं किया गया। अतः रिट याचिका संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय के अनुरूप पंजीयन से पूर्व की संविदा अवधि के बोनस अंक देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
399	HARVENDRA MAHOR	NO160285	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अभ्यर्थी ने जिला पुरुष चिकित्सालय झॉसी, (यूपी) द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति लगाते हुए बताया है कि राजस्थान में इस ही परियोजना में काम करते हुए कार्मिकों को बोनस का लाभ दिया गया है और उनके नाम अन्तरिम वरियता सूची में शामिल किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने इस आवेदन पत्र द्वारा बोनस अंक देते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ जिला पुरुष चिकित्सालय झॉसी (यूपी)/गौतम बुद्ध नगर द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
400	HITESH KUMAR PANCHAL	NO176839	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर कटेगिरी में	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ एसोसिएट डायरेक्टर, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, जयपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर

			73.720 प्रतिशत प्राप्तांक है, लेकिन कट ऑफ 70.21 प्रतिशत होने पर भी नाम सूची में नहीं है। अतः अभ्यर्थिया ने अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	खारिज की जाती है।
401	HUKAM RAJ	NO111395	अभ्यर्थी ने प्रार्थना पत्र एवं कुल 3 साल का नर्स ग्रेड का कार्य अनुभव प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 19.12.2022 का मथुरादास माधुर अस्पताल जोधपुर द्वारा 907 दिवस एवं 177 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र एवं दिनांक 15.12.2022 का सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर द्वारा 15 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में /सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार में खारिज कर दिया है। अनुभव जारी करने हेतु निर्धारित परिशिष्ट 'अ' में स्पष्ट अंकित है कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अतः रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप उक्त प्रमाण पत्रों की अमर्तबपजल प्रमाणित नहीं होने के कारण उक्त अनुभव प्रमाण पत्रों को अमान्य किया जाना प्रस्तावित है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
402	INDIRA PARIHAR	NO129810	अभ्यर्थिया द्वारा आर्थिक पिछड़ा वर्ग में 63.480 प्रतिशत प्राप्तांक है, लेकिन कट ऑफ 55.56 प्रतिशत होने पर भी नाम सूची में नहीं है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ गोविन्दम मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल एण्ड ट्रोमा सेन्टर द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थी के प्राप्तांको के औसत 43.479 प्रतिशत बनते हैं, जो इनकी श्रेणी (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
403	INDIRA TABIYAR	NO129659	अभ्यर्थिया द्वारा मंत्री महोदय के माध्यम से परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अंतरिम वरियता सूची में नाम नहीं है, जबकि प्राप्तांक कट ऑफ से ज्यादा है। अतः अभ्यर्थिया ने अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 19.07.2018 का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बासंवाड़ा द्वारा 02 वर्ष 04 माह 10 दिवस का एएनएम पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि अन्य पद एवं निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार में खारिज कर दिया है। इस प्रकार अभ्यर्थी के प्राप्तांको के औसत 43.767 प्रतिशत बनते हैं, जो इनकी श्रेणी (अनुसूचित जनजाति वर्ग) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
404	JABARA RAM	NO185104	अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति में आवेदन किया है एवं 65.73 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि 65.27 वाले अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	ऑनलाइन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 26.01.2023 का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा 129 दिवस का सीएचओ पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में /सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार में खारिज कर दिया है। अतः रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप उक्त प्रमाण पत्र की veracity प्रमाणित नहीं होने के कारण उक्त अनुभव प्रमाण पत्रों को अमान्य किया जाना प्रस्तावित है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ एक अन्य अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालौर द्वारा सीएचओ पद का 240 दिवस का जारी है। जिसमें अनुभव अवधि दिनांक 29.03.2022 से दिनांक 23.11.2022 अंकित है। उक्त अनुभव प्रमाण पत्र के 01 वर्ष से कम होने एवं कोविड अवधि का नहीं होने के कारण अभ्यर्थी को बोनस अंक देय नहीं है। अभ्यर्थी के प्राप्तांको के औसत 50.733 प्रतिशत बनते हैं, जो इनकी श्रेणी (अनुसूचित जाति वर्ग) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
405	JAGDISH KUMAR	NO152662	अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति में आवेदन किया है एवं 74.320 प्रतिशत प्राप्तांक होने के पश्चात्भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव प्रमाण पत्र जोड़कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 25.06.2022 का राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय पाली द्वारा मल्टी टास्क वर्कर पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि अन्य पद एवं निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में /सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार में खारिज कर दिया है। इस प्रकार अभ्यर्थी के प्राप्तांको के	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।





				औसत 44.320 प्रतिशत बनते हैं, जो इनकी श्रेणी (अनुसूचित जाति वर्ग) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
406	JAYPRAKASH	NO126301	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि 76.700 प्रतिशत प्राप्तांक के पश्चात् भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि कट ऑफ 70.21 प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अन्तिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 01.02.2018 का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर द्वारा नर्सिंग स्टॉफ पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में /सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार में खारिज कर दिया है। इस प्रकार अभ्यर्थी के प्राप्तांक के औसत 47.213 प्रतिशत बनते हैं, जो इनकी श्रेणी (अन्य पिछड़ा वर्ग) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निरस्तारित की जाती है।
407	JITENDRA KUMAR	NO212278	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि नर्सिंग ट्यूटर के पद के अनुभव के आधार पर बोनस अंक प्रदान करते हुए कुल औसत प्राप्तांक के आधार पर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ प्राचार्य झालावाड़ नर्सिंग कॉलेज झालावाड़ द्वारा जारी नर्सिंग ट्यूटर के पद पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। समान प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा डी0बी0 याचिका संख्या 63/2022 में राज्य पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया है। अतः नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने के कारण अभ्यर्थी को उनके नर्सिंग ट्यूटर के पद के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर उन्हें 15 बोनस अंक प्रदान किये गये हैं। इस प्रकार अभ्यर्थी के प्राप्तांक के औसत 57.169 (42.169 + 15 बोनस) प्रतिशत बनते हैं, जो इनकी श्रेणी (अन्य पिछड़ा पुरुष वर्ग) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निरस्तारित की जाती है।
408	JITENDRA KUMAR SHARMA	NO206206	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि 73.15 प्रतिशत प्राप्तांक पर वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ केआर मेमोरिअल हॉस्पिटल चौमू जयपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थी के प्राप्तांक के औसत 43.147 प्रतिशत बनते हैं, जो इनकी श्रेणी (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
409	JOGESH SINGH CHOUHAN	NO204283	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में एफआरएचस इण्डिया द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र (प्राइवेट),	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार



		<p>याचिका संख्या 8412/2023 की प्रति, माननीय न्यायालय के निर्णय के अधधीन जारी अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 80.760 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है। अभ्यर्थी के साथ एफआरएचएस में कार्यरत अन्य अभ्यर्थियों को अनुभव का लाभ दिया गया है जिनमें वरियता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की सूची निम्न प्रकार है:-</p> <p>अंतिम वरियता सूची में चयनित</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. निठु लाल ढाकर, क्रमांक 2434, प्रतिशत 74.240, ओबीसी एनसीएल, आई0डी0 155079</li> <li>2. ममता बैरवा, क्रमांक 5030, प्रतिशत 64.450, अनुसूचित जाति-महिला, आई0डी0 204235</li> <li>3. दिनेश नागोरा, क्रमांक 2545, प्रतिशत 73.859, अनुसूचित जाति-पुरुष, आई0डी0 183892</li> </ol> <p>याचिका संख्या 19419/2022 के तहत एफआरएचएसआई (मैरी स्टाप्स) साथीगण जिनका वरियता सूची में नाम अंकित है, का विवरण निम्न है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. रिकु कुमार सेनी, क्रमांक 1493, प्रतिशत 77.205, सामान्य, आई0डी0 156141</li> <li>2. दीपक योगी, क्रमांक 1997, प्रतिशत 75.657, सामान्य, आई0डी0 177342</li> <li>3. कामिनी, क्रमांक 4312, प्रतिशत 66.541, अनुसूचित जाति-महिला, आई0डी0 197738</li> </ol> <p>याचिका संख्या 19416/2022 के तहत एफआरएचएसआई (मैरी स्टाप्स) साथीगण जिनका वरियता सूची में नाम अंकित है, का विवरण निम्न है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. बाबुलाल बैरवा, क्रमांक 2753, प्रतिशत 73.097, अनुसूचित जाति-पुरुष, आई0डी0 186665</li> </ol> <p>रोके गये परिणाम</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 192717</li> <li>2. 187156</li> <li>3. 196651</li> <li>4. 181124</li> <li>5. 192026</li> </ol> <p>अंतिम वरियता सूची में यदि उक्त सभी साथीगण अनुभव प्रमाण पत्र एवं वरियता सूची में चयन किया गया है तो अभ्यर्थी का भी चयन करने हेतु निवेदन</p>	<p>उचित होगा।</p>	<p>कार्यवाही की जाये।</p>
--	--	--	-------------------	---------------------------

— ५

17

५ ७ ४ ५

			किया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
410	JUBER BAGWAN	NO104307	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर में 76.330 प्रतिशत प्राप्तांक है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर की कट ऑफ 70.40 प्रतिशत होने पर भी वरियता सूची में नाम नहीं है। अतः अभ्यर्थी ने अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
411	JUBER KHAN	NO218152	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ केआर बिलीव सोल्यूशन सर्विस द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के औसत 43.234 प्रतिशत बनते हैं, जो इनकी श्रेणी (अन्य पिछड़ा वर्ग) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
412	JYOTI	NO196145	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में अनुभव प्रमाण पत्र (पदनाम जीएनएम 370 दिवस, सीएचए 247 दिवस) एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में 20 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 66.830 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 63.61 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा संलग्न प्रमाण पत्रों में एक प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा जारी सीटीपीपी योजनान्तर्गत छबड़ा थर्मल पॉवर प्लांट पर 09.08.2020 से 20.08.2022 तक नर्सिंग कार्मिक के अनुभव का है। नियमानुसार केवल राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.5.2022 में उल्लेखितानुसार योजनाओं में कार्यरत को ही बोनस अंकों का लाभ देय है। अतः उक्त प्रमाण पत्र का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
413	KAJAL RANI	NO201405	अभ्यर्थियां ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थिया का अनुभव निजी संस्थान का है अतः नियमानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 48.267 प्रतिशत बनते हैं जो कि ईडब्ल्यूएस महिला जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 55.841 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
414	KAMAL SINGH	NO159453	अभ्यर्थी ने ओबीसी-एनसीएल पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 76.290 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने 262 दिवस का ईएमटी	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों में से एक अनुभव प्रमाणपत्र निःशुल्क सेवा दिये जाने का है। अनुभव की गणना हेतु केवल अभ्यर्थी को दिया गया वेतन ही प्रमाणिक माना जा सकता है। अतः निःशुल्क सेवा दिये जाने का अनुभव का लाभ नहीं दिया जा सकता। समान प्रकरणों को माननीय न्यायालय ने आदेश पारित कर खारिज कर दिया है। फलस्वरूप अभ्यर्थी के प्राप्तांक 61.291 प्रतिशत ओबीसी एनसीएल श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			पद, 345 दिवस का निशुल्क नर्सिंगकर्मी पद एवं 295 दिवस का सीएचए पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
415	KAMLESH Kaur	NO154148	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 64.160 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 980 दिवस का पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ पद का ओल्ड फार्मेट 7.8 पाईन्टर का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने एवं निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने के कारण बोनस अंको का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। रिट याचिका 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार एवं डी. बी. याचिका सं. 1660/2018 कविता पवार बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी अनुभव प्रमाण पत्र के अभाव में खारिज कर दिया है। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग से किया गया था। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 44.155 बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम महिला अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.612 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
416	KAPIL KUMAR	NO148650	अभ्यर्थी ने ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 30 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 77.720 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने 1921 दिवस का नर्सिंग ट्यूटर पद का कोविड अवधि सहित का प्रमाण पत्र एवं 8971/2023 रिट संख्या संलग्न की है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर द्वारा जारी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर पर नर्सिंग ट्यूटर के पद पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। नर्सिंग ट्यूटर पद का कार्य नर्सिंग आफिसर के समान नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान है जिसका संबंध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। समान प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा डी0बी0 याचिका संख्या 63/2022 में राज्य पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
417	KARAMJEET SINGH	NO145232	अभ्यर्थी ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल ओल्ड फार्मेट में जारी ईएमटी पद अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी पंजाब द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव वागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
418	KHUSHBOO PANDYA	NO160615	अभ्यर्थिया ने अनारक्षित महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 30 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 73.05 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा जारी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, बांसवाड़ा पर नर्सिंग ट्यूटर के पद पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। नर्सिंग ट्यूटर पद का कार्य नर्सिंग आफिसर के समान नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती 1965 के नियम 19 की सख्ती से	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			कराया है। अभ्यर्थिया ने 1758 दिवस का पब्लिक हेल्थ नर्स पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र एवं रिट संख्या 8971/2023 संलग्न की है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	पालना के निर्देश प्रदान है जिसका संबंध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। समान प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा डी0बी0 याचिका संख्या 63/2022 में राज्य पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
419	KIRAN BALA	NO147507	अभ्यर्थिया ने अनारक्षित महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं को कुल 03 वर्ष से अधिक अनुभव के आधार पर 30 बोनस अंक देने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थिया ने बिना निर्धारित प्रारूप का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा टीबीएचवी पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो कि निर्धारित प्रपत्र में भी नहीं है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थी का टीबीएचवी के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णित किया है। अतः अभ्यर्थी को बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
420	KIRAN CHOUDHARY	NO133759	अभ्यर्थिया ने ओबीसी-एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 75.530 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने इससे संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किये हैं। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का अनुभव निजी संस्थान का है व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है न ही इनकी सेवारं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 45.951 प्रतिशत बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 66.419 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
421	KISHOR SHARMA	NO172104	अभ्यर्थी ने आर्थिक पिछड़ा पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 79.520 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने 4412 दिवस का स्टाफ नर्स पद का कोविड अवधि सहित का प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा भुगतान व अन्य कॉलम में रिकार्ड उपलब्ध नहीं अंकित किया गया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है। रिट संख्या 1962/2023 संलग्न		
422	KOMAL CHOUHAN	NO183206	अभ्यर्थियों ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। अभ्यर्थिया ने 409,365 एवं 304 दिवस का ईसीजी टेक्नीशियन पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है	अभ्यर्थी द्वारा ईसीजी टेक्नीशियन का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञापि में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थी का ईसीजी टेक्नीशियन के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। अतः इन्हे नर्सिंग ऑफिसर के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 45.124 उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 66.419 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
423	KRISHNA KUMAR NAGAR	NO191216	अभ्यर्थी ने ओबीसी-एनसीएल पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के नर्सिंग ट्यूटर अनुभव के बोनस अंक जोड़कर स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्राचार्य झालावाड़ नर्सिंग कॉलेज, झालावाड़ द्वारा जारी झालावाड़ नर्सिंग कॉलेज, झालावाड़ पर नर्सिंग ट्यूटर के पद पर शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग आफिसर के समान नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान है जिसका संबंध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। समान प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा डी0बी0 याचिका संख्या 63/2022 में राज्य पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
424	KULDEEP VADERA	NO182284	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 30 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 72.50 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 1926 दिवस का नर्सिंग ट्यूटर पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द द्वारा जारी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, राजसमन्द पर नर्सिंग ट्यूटर के पद पर क्लिनिकल इन्स्ट्रक्टर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग आफिसर के समान नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान है जिसका संबंध समान कार्य के अनुभव से है। समान प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा डी0बी0 याचिका संख्या 63/2022 में राज्य पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया है। अतः नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
425	KUM. RADHA KUMARI	NO107301	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का ईडब्ल्यूएस वर्ग का लाभ देने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का अनुभव निजी संस्थान का है व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञापि की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर

	SHARMA		इस संबंध में दिनांक 28.06.2022 का जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 39.842 प्रतिशत बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 55.841 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	निस्तारित की जाती है।
426	Lalita Kumari	NO159907	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है। कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।	अभ्यर्थिया का अनुभव निजी संस्थान का है अतः नियमानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 43.726 प्रतिशत बनते है जो कि अनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 69.245 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
427	LALITA KUMARI MEENA	NO122033	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 70.390 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया का अनुभव निजी संस्थान का है व निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने से नियमानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 41.374 प्रतिशत बनते है जो कि अनुसूचित जनजातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 62.049 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
428	LALITA RAO	NO156023	अभ्यर्थिया ने ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है। स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। आरएनसी रजिस्ट्रेशन संलग्न कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का अनुभव निजी संस्थान का है व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 43.050 प्रतिशत बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
429	latika anand	NO136991	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 1758 दिवस का क्लीनिकल इंस्ट्रक्टर पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी द्वारा क्लीनिकल इंस्ट्रक्टर पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थी का क्लीनिकल इंस्ट्रक्टर के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। समान प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा डी0बी0 याचिका संख्या 63/2022 में राज्य पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 39.966 उनके जातिवर्ग अनारक्षित में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 69.245 प्रतिशत से कम होने के	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।



430	LAXMIKANT NAGAR	NO189441	अभ्यर्थी ने ओबीसी-एनसीएल पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 83.950 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने मेल स्टॉफ नर्स पद पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें रिकार्ड उपलब्ध नहीं अंकन है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है एवं एसबी सिविल रिट 2110/2023 संलग्न की है।	कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन से वंचित रहे है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अभ्यर्थी ने रिट पिटी सं. 2110/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पालना में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वितीय द्वारा महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है। अनुभव जारीकर्ता द्वारा अनुभव संबंधी रिकार्ड उपलब्ध नहीं होना अंकित किया है। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
431	LOKESH KUMAR	NO187482	अभ्यर्थी ने अनारक्षित पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 30 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 78.51 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने 2533 दिवस का मेल स्टॉफ नर्स पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें रिकार्ड उपलब्ध नहीं अंकन है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है एवं एसबी सिविल रिट 2110/2023 संलग्न की है।	अभ्यर्थी ने रिट पिटी सं. 2110/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पालना में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वितीय द्वारा महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है। अनुभव जारीकर्ता द्वारा अनुभव संबंधी रिकार्ड उपलब्ध नहीं होना अंकित किया है। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
432	LOKESH KUMAR JAIN	NO164218	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थी द्वारा 25.09.2008 से 31.03.2023 तक राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसायटी के तहत परामर्शदाता पद पर कार्य सम्पादन का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा 24.5.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसायटी के तहत परामर्शदाता का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है जिसके अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 48.539 बनते हैं जो दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों, 74.490 प्रतिशत, से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता। अभ्यर्थी ने 2018 की भर्ती में भी आई.डी. सं. 3274835 से आवेदन किया था एवं उपरोक्त कारण से तत्समय भी इन्हे दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से नर्सिंग कार्य सम्पादन का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये जाने बाबत स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये।
433	LOKESH SHRIMALI	NO189122	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में टीबीएचवी पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के 30 बोनस अंक जोड़े जाकर ईडब्ल्यूएस वर्ग में कुल प्राप्तांक 79.21 प्रतिशत है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग की कटऑफ 72.33 से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने 30	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।



			बोनस अंकों का लाभ प्रदान करते हुए अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
434	MAHENDRA KUMAR CARPENTER	NO173473	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर बोनस अंकों का लाभ देते हुए अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
435	MAHENDRA KUMAR LODHA	NO170490	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 70.680 का उल्लेख करते हुए अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ सर्वोदय ग्राम विकास संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो एक निजी संस्थान होने से अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक इनके जाति वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
436	MAHENDRA SINGH RAJPUT	NO126576	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन की सूची में ईडब्ल्यूएस वर्ग में कुल प्राप्तांक प्रतिशत 73.210 है। दिनांक 07.10.2023 को जारी सूची में ईडब्ल्यूएस पुरुष श्रेणी की अंतिम मेरिट 72.527 दर्शायी गयी है। अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले 26 अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में हुआ है जबकि अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	ऑनलाइन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 15.12.2022 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा 1491 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया था। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। अनुभव जारी करने हेतु निर्धारित परिशिष्ट 'अ' में स्पष्ट अंकित है कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
437	Mahesh Kumar Meena	NO135521	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में याचिका संख्या 9291/2018 में जारी आदेश दिनांक 28.08.2018 की प्रति संलग्न कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जावें।	अभ्यर्थी द्वारा रिट याचिका संख्या 9291/2018 सत्यदेव बागोर बनाम राज्य सरकार का हवाला देते हुए स्वयं का चयन किये जाने का निवेदन किया किन्तु उक्त रिट याचिका में पारित निर्णय को माननीय न्यायालय द्वारा खण्डपीठ के निर्णय द्वारा खारिज किया जा चुका है जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका 1422/2022 भी खारिज की जा चुकी है अतः कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
438	MAHESH KUMAR SHARMA	NO201475	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाणपत्रों में एक कोविड स्वास्थ्य सहायक का है जो कोविड अवधि का है जिसका 15 बोनस अंकों का लाभ अभ्यर्थी को देय है। एक अन्य प्रमाण पत्र जो खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 19.09.2022 को एडोलेसेन्ट हेल्थ काउन्सलर पद का जारी किया है जो न तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है ना ही निर्धारित प्रपत्र में है और इस भर्ती हेतु जारी नहीं किया गया है का अनुभव का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 63.728 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस श्रेणी में अंतिम चयनित	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				अभ्यर्थी के प्राप्तांक 72.336 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
439	MAHIMA BHATI	NO213094	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	ऑनलाइन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 07 फरवरी 2023 का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर द्वारा 130 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार में खारिज कर दिया है। उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर द्वारा जारी 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें अभ्यर्थी का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण इन्हें बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
440	MAHIPAL BALDWAL	NO140669	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय निजी क्षेत्र का अनुभव प्रमाण पत्र (गीतांजली मल्टी स्पेशलटी हॉस्पिटल) संलग्न किया जिसके अनुभव का लाभ देय नहीं है। अतः इनके कुल प्राप्तांक 44.545 प्रतिशत अंतिम चयन सूची में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण चयनित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
441	MANISH KUMAR	NO143376	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी द्वारा गलती से अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जो परिवेदना के साथ संलग्न कर अपलोड करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अनुभव के संबंध में कोई प्रविष्टि अंकित नहीं की है। जिसके कारण अभ्यर्थी को बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्रकूट द्वारा जारी, अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।


				करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
442	MANISHA CHOUHARY	NO121332	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थिया ऑनलाइन आवेदन के साथ मेहता अस्पताल व सोनी अस्पताल से जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जो निजी क्षेत्र के अस्पताल होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। नियमानुसार केवल राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थानों में कार्य का अनुभव होने पर ही बोनस अंकों का लाभ देय है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
443	Manju Choudhary	NO166419	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ओबीसी एनसीएल परित्यक्ता श्रेणी में अभ्यर्थी के सीएचए पद के अनुभव के 15 प्रतिशत बोनस अंक जोड़े जाकर औसत प्राप्तांक प्रतिशत कटऑफ से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अनुभव सम्बन्धी कोई विवरण नहीं दिया न ही कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया। अब परिवेदना के साथ 19.5.2023 को चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, यू.पी.एच.सी., बालाजी कालेज के पास, जयपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों रिट याचिका 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डी.बी. याचिका 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा राज्य पक्ष में निर्णीत किया जा चुका है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है। साथ ही समिति चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, यू.पी.एच.सी., बालाजी कालेज के पास, जयपुर से सक्षम अधिकारी नहीं होते हुए भी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने बाबत स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने की अनुशंसा करती है।
444	MANJU KUMARI	NO138623	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 68.920 ओबीसी एनसीएल वर्ग की कटऑफ 66 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन में निजी क्षेत्र का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
445	Manju sharma	NO119604	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस महिला श्रेणी में कुल औसत प्राप्तांक 60.92 प्रतिशत है जो कि कटऑफ 55 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं है। अतः अभ्यर्थी ने कोरोना काल में सीएचए पद के अनुभव के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा 9.02.2023 का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। अनुभव जारी करने हेतु निर्धारित परिशिष्ट 'अ' में स्पष्ट अंकित है कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
446	MANJULA RATHORE	NO105449	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के परित्यक्ता श्रेणी में 15 प्रतिशत बोनस अंक जोड़े जाकर कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 64.580 है जो कि सामान्य वर्ग की कटऑफ 62 प्रतिशत	अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र निजी संस्थान का है जिसके आधार पर इन्हे अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			से अधिक है, जिसके उपरान्त भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाकर सामान्य वर्ग की परित्यक्ता श्रेणी की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।		
447	MANOHAR LAL YADAV	NO163570	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर रेलवे द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मेडिकल डायरेक्टर, भारत रत्न डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल, बायकला, मुंबई/सेन्ट्रल रेलवे द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवारं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
448	MANOJ KUMAR MOURYA	NO147085	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर टीबीएचवी पद के अनुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 78.250 प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जाति वर्ग की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
449	MANOJ SHARMA	NO191395	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के 03 वर्ष की अनुभव अवधि के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाकर कुल प्राप्तांक 73.82 प्रतिशत है जो कि कटऑफ प्रतिशत से अधिक है परन्तु अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी जी.एन.एम.टी.सी. पर नर्सिंग ट्यूटर के पद पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है, नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। समान प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा डी0बी0 याचिका संख्या 63/2022 में राज्य पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया है। अतः नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
450	MAONOO KUMAR JINDAL	NO175748	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है जो निम्न प्रकार है:- 1. अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस श्रेणी में 73.022 प्रतिशत अंक होने के बावजूद अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि क्रम संख्या 2905 पर अंकित राज कुमार तिवारी पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह तिवारी जिसके ईडब्ल्यूएस श्रेणी में प्राप्तांक 72.336 है, जो अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक है, को अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। 2. अभ्यर्थी विगत 11 वर्ष से एफआरएचएस इण्डिया	अभ्यर्थी का अनुभव एफ.आर.एच.एस. का है जो एक निजी संस्थान है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.05.2022 के अनुसार केवल राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थानों व उल्लेखित कार्यक्रमों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को ही बोनस अंको का लाभ देय है। अभ्यर्थी न तो राज्य सरकार से वित्त पोषित संविदा कार्मिक है न ही वह राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत रहा है। अतः बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा उल्लेखित आईडी क्रमांक वाले अभ्यर्थियों को यदि एफआरएचएस में कार्य के बोनस अंक प्रदान किये गये हैं तो इस पर अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमादित।



			<p>एनजीओ में कार्यरत है। अभ्यर्थी के साथ अन्य आवेदक भी इस भर्ती में शामिल थे, जिसमें से कुछ आवेदकों का नाम अस्थाई चयन सूची में सम्मिलित है। अभ्यर्थी द्वारा माननीय न्यायालय में याचिका संख्या 19416/2022 दायर की है जिसमें पारित आदेश की अनुपालना में अभ्यर्थी एवं अन्य आवेदकों को बोनस अंक प्रमाण पत्र जारी किये गये थे जिनका विवरण निम्न है:- 1. नरेन्द्र रैगर पुत्र श्री राम स्वरूप रैगर</p> <p>2. मनु कुमार जिन्दल पुत्र गिराज प्रसाद गुप्ता</p> <p>3. मनसिरा खान पुत्री जुम्मा खां</p> <p>4. निर्मला वर्मा पुत्री श्री मालीराम वर्मा</p> <p>5. बाबुलाल बैरवा पुत्र श्री सीताराम बैरवा</p> <p>6. सोमेन्द्र व्यास पुत्र श्री गजेन्द्र प्रसाद व्यास</p> <p>7. पूनम धामनिया पुत्री श्री रमेश चन्द</p> <p>उपरोक्त वर्णित सभी आवेदकों को जो सभी एक ही एनजीओ में कार्यरत है, को रिट 19416/2022 के तहत समान बोनस प्रमाण पत्र जारी किये गये थे। रिट में शामिल क्रम संख्या 5 पर अंकित बाबूलाल बैरवा पुत्र श्री सीताराम बैरवा का नाम अंतरिम चयन सूची में क्रम संख्या 2753 पर अंकित है जिनकी आई0डी0 संख्या 192642 है तथा अन्य 3 आवेदक 1. मनसिरा खान पुत्री जुम्मा खां आई0डी0 186377 2. सोमेन्द्र व्यास पुत्र श्री गजेन्द्र प्रसाद व्यास आई0डी0 196651 3. पूनम धामनिया पुत्री श्री रमेश चन्द आई0डी0 202772 को होल्ड किया गया है। इन सभी आवेदकों को, जो रिट संख्या 19416/2022 में सम्मिलित है, के पास समान दस्तावेज उपलब्ध थे लेकिन चयन सूची में रिट में शामिल 7 अभ्यर्थियों में 03 अभ्यर्थियों के नाम अस्थाई चयन सूची में सम्मिलित है जबकि अभ्यर्थी मनु कुमार जिन्दल पुत्र श्री गिराज प्रसाद गुप्ता, आई0डी 175748 का नाम अस्थाई चयन सूची में और होल्ड सूची में शामिल नहीं है। अभ्यर्थी ने नियमानुसार उचित कार्यवाही कर न्याय दिलवाने हेतु निवेदन किया है।</p>		
451	MARUTI BAI MEENA	NO120298	<p>अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परियोजना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाणपत्र मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गौतम बुद्ध नगर (नोयडा कोविड चिकित्सालय) द्वारा जारी किया गया है जो विज्ञप्ति की शर्तानुसार राजस्थान के चिकित्सा संस्थानों में सम्पादित कार्य का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने से अनुभव का लाभ देय नहीं है। अन्य राज्यों के अनुभव</p>	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

				संबंधी विशेष अनुमति याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागोर बनाम राजस्थान राज्य को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया है। निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं होने संबंधी याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को भी राज्य पक्ष में निर्णीत किया जा चुका है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
452	MAYA JOSHI	NO217900	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	ऑनलाइन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 3 फरवरी 2023 का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर द्वारा 09.06.2021 से 31.03.2022 तक 249 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। अनुभव जारी करने हेतु निर्धारित परिशिष्ट 'अ' में स्पष्ट अंकित है कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ 25.07.2021 से 31.03.2022 तक 167 दिवस 26.05.2023 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर द्वारा नवीन प्रपत्र में जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जिसके जारी किए जाने की तिथि संदेहास्पद है क्योंकि अभ्यर्थिया द्वारा दिनांक 10.6.2023 को ऑनलाइन आवेदन किया गया है यदि अभ्यर्थिया के पास तत्समय उक्त अनुभव प्रमाण पत्र उपलब्ध थे तो ऑनलाइन आवेदन के साथ अथवा दस्तावेज सत्यापन के समय संलग्न क्यों नहीं किया? अतः ऐसा प्रतीत होता है कि अभ्यर्थिया द्वारा उक्त अनुभव प्रमाण पत्र किसी प्रकार से आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त कर स्वयं द्वारा आवेदन करने की तिथि इस प्रमाण पत्र पर अंकित करवा ली गई है। अतः रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप उक्त प्रमाण पत्रों की veracity प्रमाणित नहीं होने के कारण उक्त अनुभव प्रमाण पत्रों को अमान्य किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित साथ ही सभिति द्वारा इस प्रकार से जारी अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यता की जाँच करवाये जाने की अनुशंसा की गई।
453	MENKA KUMARI ROAT	NO121061	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न किये गये अनुभव प्रमाणपत्र निजी क्षेत्र के हैं। अतः अनुभव का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 45.170 प्रतिशत इनके जातिवर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
454	MINAKASHI	NO203306	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल महिला जाति वर्ग में कुल प्राप्तांक 77.50 प्रतिशत बनते हैं परन्तु अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा राष्ट्रीय भेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत वार्ड असिस्टेंट का कार्य किया है जिसकी योग्यता 12वीं पास व एक वर्ष का स्वास्थ्य विभाग का अनुभव मात्र है एवं जिसका कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने से अनुभव का लाभ नहीं दिया गया। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य से है। अतः अभ्यर्थी द्वारा सम्पादित वार्ड असिस्टेंट का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।



455	MINTU KUMARI	NO145134	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल महिला जाति वर्ग में कुल प्राप्तांक 77.92 प्रतिशत बनते हैं परन्तु अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
456	mithilesh joshi	NO206438	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को याचिका संख्या 8406/2023 में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2023 एवं याचिका संख्या 7470/2023 में पारित निर्णय के बिन्दु संख्या 09 के आधार पर एवं जारी अनुभव प्रमाण पत्र में दक्षता मेंटर के पद के कार्य के अनुभव के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंक दिये जाने पर अभ्यर्थी के सामान्य महिला जाति वर्ग में कुल प्राप्तांक 75.08 प्रतिशत बनते हैं परन्तु अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि अभ्यर्थी को बोनस अंको का लाभ नहीं दिया गया है। दक्षता मेंटर को बोनस अंक का लाभ दिये जाने के संबंध में संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, आयुष विभाग के पत्र दिनांक 04.08.2023 से स्वीकृति पश्चात दक्षता मेंटर के पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों को बोनस अंक योग्य मानते हुए चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थापन कर दिया गया है। अतः अभ्यर्थी ने दक्षता मेंटर के पद के कार्य के अनुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
457	MOHAMMAD SHOAIB FAROOQUI	NO156557	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रमुख चिकित्सक, जिला चिकित्सालय, झांसी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

458	MOHAN VATI	NO116799	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को सीएचए पद के अनुभव के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर कुल औसत प्राप्तांक 59.420 प्रतिशत होने के उपरांत भी एमबीसी एनसीएल जाति वर्ग में अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी यथा 1. क्रम संख्या 5911 पर अंकित वंदना बंजारा, प्रतिशत 58.666 2. क्रम संख्या 5909 पर अंकित ममता कुमारी, प्रतिशत 58.816 3. क्रम संख्या 5907 पर अंकित श्वेता कुमारी, प्रतिशत 58.834 का नाम एमबीसी एनसीएल की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम एमबीसी एनसीएल जाति वर्ग की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	ऑनलाइन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 7.02.2023 का खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी सेवर, भरतपुर द्वारा 260 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है किन्तु जारीकर्ता सक्षम अधिकारी नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में /सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार में खारिज कर दिया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। अनुभव जारी करने हेतु निर्धारित परिशिष्ट 'अ' में स्पष्ट अंकित है कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना में उल्लेखित अभ्यर्थियों के संबंध में पृथक से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
459	MONIKA	NO156735	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में अनुभव के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिये जाने हेतु कुल औसत प्राप्तांक 78.510 ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग की कटऑफ 67.50 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि राजकीय एएनएमटीसी पर कार्यरत संविदा पब्लिक हेल्थ नर्स का अनुभव मान्य कर दिया गया है परन्तु संविदा नर्सिंग ट्यूटर व संविदा पब्लिक हेल्थ नर्स का राजकीय एएनएमटीसी पर कार्य समान है, जिसके संदर्भ में माननीय न्यायालय, जयपुर में याचिका संख्या 8971/2023 लम्बित है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा जारी ए.एन.एम.टी.सी. पर नर्सिंग ट्यूटर के पद पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है, नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग आफिसर के समान नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। समान प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा डी0बी0 याचिका संख्या 63/2022 में राज्य पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया है। अतः नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
460	MONIKA TOMAS	NO107045	अभ्यर्थी ने कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। केवल ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ निजी क्षेत्र का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसका बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। अतः ईडब्ल्यूएस वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
461	MUKESH KUMAR	NO213864	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ दिल्ली राज्य में अनुभव का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं है एवं अन्य राज्य का होने से अनुभव का लाभ देय नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अन्य राज्य में प्राप्त अनुभव का बोनस दिये जाने की मांग विषयक विशेष अनुमति याचिका 1422/2022 सत्यदेव बागोर बनाम राजस्थान/राज्य को खारिज कर दिया है। परिवेदना स्वीकार योग्य	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।



462	MUKESH KUMAR SHARMA	NO191095	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी ने एसटीएस के कुल 3133 के अनुभव दिवस के साथ ऑनलाईन आवेदन किया था। अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 72.920 प्रतिशत है परन्तु अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि एनएचएम में आरएनटीसीपी में कार्यरत 2 अभ्यर्थी 1. योगेश कुमार 2. दुर्गेश चौहान को नर्सिंग भर्ती 2018 में नियुक्ति दी जा चुकी है। एनटीएस एवं नर्सिंग का कार्य पूर्णतया समान है तथा अभ्यर्थी जीएनएम योग्यता रखता है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	नहीं है। ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी द्वारा एक अनुभव प्रमाणपत्र 01.10.2014 से 30.04.2023 तक एस.टी.एस. पद पर कार्य सम्पादन का संलग्न किया है। एस.टी.एस. पद पर सम्पादित इनका कार्य टी.बी. ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र का दर्शाया गया— giving treatment to MDR-XDR patients, Supervision, to provide dots medicine, patient counselling and monitoring record, assist DTO, जो नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। जिसके अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 42.924 प्रतिशत बनते हैं जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों, 72.336 प्रतिशत, से कम होने के कारण अंतरिम चयन सूची में चयन से वंचित रहे हैं। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य से है। एक अन्य डीबी रिट याचिका कुलदीप बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय से राज्य पक्ष में स्थगन प्राप्त है। अतः अभ्यर्थी द्वारा सम्पादित एस.टी.एस. पद का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता। दुर्गेश चौहान व योगेश कुमार को अवमानना याचिका की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रकरण में विभाग द्वारा की जाने वाली अपील पर माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन नियुक्ति प्रदान की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
463	NARENDRA KUMAR	NO186618	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी ने एसटीएस के कुल 07 वर्ष के अनुभव दिवस के साथ ऑनलाईन आवेदन किया था। अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 73.070 प्रतिशत है परन्तु अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि एनएचएम में आरएनटीसीपी में कार्यरत 2 अभ्यर्थी 1. योगेश कुमार 2. दुर्गेश चौहान को नर्सिंग भर्ती 2018 में नियुक्ति दी जा चुकी है। एनटीएस एवं नर्सिंग का कार्य पूर्णतया समान है तथा अभ्यर्थी जीएनएम योग्यता रखता है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
464	NARENDRA KUMAR VERMA	NO187072	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ एसोसिएट डायरेक्टर, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, जयपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
465	NARENDRA RAIGAR	NO197027	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है जो निम्न प्रकार है:- 1. अभ्यर्थी को बोनस अंकों का लाभ दिया जाने पर	अभ्यर्थी का अनुभव एफ.आर.एच.एस. का है जो एक निजी संस्थान है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.05.2022 के अनुसार केवल राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थानों व उल्लेखित कार्यक्रमों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को ही बोनस अंकों का लाभ	प्रस्तावानुसार अनुमादित।

		<p>कुल प्राप्तांक प्रतिशत 73.85 है जबकि अनुसूचित जाति वर्ग में अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम सम्मिलित है।</p> <p>2. अभ्यर्थी विगत 04 वर्ष से एफआरएचएस इण्डिया एनजीओ में कार्यरत है। अभ्यर्थी के साथ अन्य आवेदक भी इस भर्ती में शामिल थे, जिसमें से कुछ आवेदकों का नाम अस्थाई चयन सूची में तथा कुछ आवेदकों के नाम होल्ड वाली सूची में सम्मिलित है। अभ्यर्थी द्वारा माननीय न्यायालय में याचिका संख्या 19416/2022 दायर की है जिसमें पारित आदेश की अनुपालना में अभ्यर्थी एवं अन्य आवेदकों को बोनस अंक प्रमाण पत्र जारी किये गये थे जिनका विवरण निम्न है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. नरेन्द्र रैगर पुत्र श्री राम स्वरूप रैगर</li> <li>2. मोनू कुमार जिन्दल पुत्र गिराज प्रसाद गुप्ता</li> <li>3. मंशीरा खान पुत्री जुम्मा खां</li> <li>4. निर्मला वर्मा पुत्री श्री मालीराम वर्मा</li> <li>5. बाबुलाल बैरवा पुत्र श्री सीताराम बैरवा</li> <li>6. सोमन्द्र व्यास पुत्र श्री गजेन्द्र प्रसाद व्यास</li> <li>7. पूनम धामनिया पुत्री श्री रमेश चन्द</li> </ol> <p>उपरोक्त वर्णित सभी आवेदकों को जो सभी एक ही एनजीओ में कार्यरत है, को रिट 19416/2022 के तहत समान बोनस प्रमाण पत्र जारी किये गये थे। रिट में शामिल क्रम संख्या 5 पर अंकित बाबूलाल बैरवा पुत्र श्री सीताराम बैरवा का नाम अंतरिम चयन सूची में क्रम संख्या 2753 पर अंकित है जिनकी आई0डी0 संख्या 192642 है तथा अन्य 3 आवेदक 1. मनसिरा खान पुत्री जुम्मा खां आई0डी0 186377 2. सोमन्द्र व्यास पुत्र श्री गजेन्द्र प्रसाद व्यास आई0डी0 196651 3. पूनम धामनिया पुत्री श्री रमेश चन्द आई0डी0 202772 को होल्ड किया गया है। इन सभी आवेदकों को, जो रिट संख्या 19416/2022 में सम्मिलित है, के पास समान दस्तावेज उपलब्ध थे लेकिन चयन सूची में रिट में शामिल 7 अभ्यर्थियों में 03 अभ्यर्थियों के नाम अस्थाई चयन सूची में सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त एफआरएचएस इण्डिया में अन्य अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है जो निम्न प्रकार है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. रिकु कुमार सैनी, आई0डी0 156141</li> <li>2. मिटठू लाल धाकड़, आई0डी0 155079</li> </ol>	<p>देय है। अभ्यर्थी न तो राज्य सरकार से वित्त पोषित संविदा कार्मिक है न ही वह राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत रहा है। अतः बोनस अंकों लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा उल्लेखित आईडी कमांक वाले अभ्यर्थियों को यदि एफआरएचएस में कार्य के बोनस अंक प्रदान किये गये हैं तो इस पर अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।</p>	
--	--	--	--	--

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

			<p>3. ममता बैरवा, आई0डी0 204235  4. दीपक कुमार योगी, आई0डी0 177342  5. कामिनी, आई0डी0 197738  6. बाबूलाल बैरवा, आई0डी0 192642  अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।</p>		
466	NARESH MEGHVAL	NO130609	<p>अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को अनुभव प्रमाण पत्र में बिन्दु संख्या 8 प्रदर्शित नहीं होने के कारण 15 प्रतिशत बोनस का लाभ नहीं दिया गया। यदि अभ्यर्थी को बोनस का लाभ दिया जाता है तो अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 65.63 प्रतिशत बनते हैं जो कि अनुसूचित जाति की कटऑफ 65.27 प्रतिशत से अधिक है। अभ्यर्थी ग्रामीण क्षेत्र का होने के कारण सूचना के अभाव में नया अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनवाया गया। अतः अभ्यर्थी ने निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्र को वैध करें अथवा आवश्यक कार्यवाही कर नया अनुभव प्रमाण पत्र बनवाये जाने का मौका दें ताकि अभ्यर्थी भर्ती की पात्रता से वंचित ना हो सके।</p>	<p>ऑनलाइन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 29.01.2023 का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर द्वारा 207 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। अनुभव जारी करने हेतु निर्धारित परिशिष्ट 'अ' में स्पष्ट अंकित है कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।</p>	<p>परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।</p>
467	Neeta kumari labana	NO128644	<p>अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल अनुभव प्रमाण पत्र जारी करवाकर जमा करवाने हेतु शपथ पत्र एवं दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में 16.1.2023 को ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीमलवाडा द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों रिट याचिका 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डी.बी. यचिका 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा राज्य पक्ष में निर्णय किया जा चुका है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।</p>	<p>परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।</p>
468	NITIN KUMAR JAKHAR	NO112198	<p>अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।</p>	<p>अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।</p>	<p>प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।</p>
469	OM PRAKASH	NO141142	<p>अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल अंकतालिका की प्रति संलग्न की है।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ सप्रा मल्टीस्पेशियलटी अस्पताल हिसार द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो अन्य राज्य का व निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार जारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।</p>	<p>परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।</p>
470	OM PRAKASH BRAHMBHATT	NO162757	<p>अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ सोशल सर्विस सोसायटी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार जारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में</p>	<p>परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।</p>

				दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
471	OM PRAKASH JAISWAL	NO190945	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को कोरोना काल के अनुभव के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 75.96 अंतरिम कटऑफ 70.21 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी जी.एन.एम.टी.सी. पर नर्सिंग ट्यूटर के पद पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है, नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग आफिसर के समान नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। समान प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा डी0बी0 याचिका संख्या 63/2022 में राज्य पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया है। अतः नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
472	OM PRAKASH SALVI	NO191232	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को कोरोना काल के अनुभव के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 66.04 अंतरिम कटऑफ 65.27 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी जी.एन.एम.टी.सी. पर नर्सिंग ट्यूटर के पद पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है, नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग आफिसर के समान नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। समान प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा डी0बी0 याचिका संख्या 63/2022 में राज्य पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया है। अतः नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
473	OM RAJ MEENA	NO115852	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर ईन्टरनशिप के अंकों की सही गणना कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मरुधर हॉस्पिटल द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार जारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
474	OMPRAKASH MEGHWAL	NO143343	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर व्यावसायिक योग्यता के अंकों की सही गणना कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का अनुभव लैब टेक्नीशियन पद का है जिसके आधार पर बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। जिसका कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य से है। एक अन्य डीबी रिट याचिका कुलदीप बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय से राज्य पक्ष में स्थगन प्राप्त है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। अतः अभ्यर्थी द्वारा सम्पादित लैब टेक्नीशियन पद का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता। व्यावसायिक योग्यता के अंकों की गणना सही की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
475	PADMESH SHARMA	NO191032	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित	नियमानुसार नर्सिंग स्टाफ ऑन एम्बुलेन्स (ई.एम.टी.) को बोनस अंकों का लाभ देय है। अभ्यर्थी ने इमरजेन्सी मैनेजमेंट एक्जीक्यूटिव (ई.एम.ई.) के रूप में कार्य किया है जिसका	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर

			करने हेतु निवेदन किया है।	अनुभव प्रमाणपत्र में कार्य ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज दर्शाया गया है जो नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। अतः अभ्यर्थी को बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	खारिज की जाती है।
476	PANKAJ KUMAR NAGAR	NO154788	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ 3 अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं जिसमें पदनाम हैल्थ एडवाइजरी ऑफिसर है एवं सम्पादित कार्य ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट अथवा ऑन काल हैल्थ एडवाइजरी सर्विसेज दिया हुआ है जो नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। अतः उक्त प्रमाणपत्रों के आधार पर अनुभव का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान 171 दिवस का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा कोविड हैल्थ सहायक के कार्य का 19.05.2023 को जारी एक अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका 15 बोनस अंकों का लाभ अभ्यर्थी को दिया जा चुका है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
477	PAPPU LAL DHAKAR	NO195076	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि 03 वर्ष के बोनस अंक जोड़कर 76.47 प्रतिशत प्राप्तांक है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन-क्रीमी-लेयर मेल की कट ऑफ 70.21 प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना में बोनस अंक जोड़कर अन्तिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सामान्य चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी नर्सिंग ट्यूटर के पद पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है, जिसके अनुसार अभ्यर्थी द्वारा जी.एन.एम. ट्रेनिंग सेन्टर चित्तौड़गढ़ में नर्सिंग ट्यूटर के पद पर कार्य किया है। नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। समान प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा डीबी0 याचिका संख्या 63/2022 में राज्य पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया है। अतः नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने के कारण अभ्यर्थी को उनके नर्सिंग ट्यूटर के पद के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के औसत 46.747 प्रतिशत बनते हैं, जो इनकी श्रेणी (अन्य पिछड़ा पुरुष वर्ग) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
478	PARIDHI KUMARI PUROHIT	NO195819	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सामान्य चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी नर्सिंग ट्यूटर के पद पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है, जिसके अनुसार अभ्यर्थी द्वारा जी.एन.एम. ट्रेनिंग सेन्टर चित्तौड़गढ़ में नर्सिंग ट्यूटर के पद पर कार्य किया है। नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।



				सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। समान प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा डी0बी0 याचिका संख्या 63/2022 में राज्य पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया है। अतः नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने के कारण अभ्यर्थी को उनके नर्सिंग ट्यूटर के पद के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के औसत 45.052 प्रतिशत बनते हैं, जो इनकी श्रेणी (अनारक्षित महिला वर्ग तलाकशुदा श्रेणी) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
479	PAVAN KUMAR VAISHNAV	NO183614	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में नर्सिंग ट्यूटर/क्लिनिकल इन्सट्रक्टर पद का 1924 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र, याचिका संख्या 8971/2023 के आदेश दिनांक 03.07.2023 की प्रति संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन में 30 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 79.650 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अनुभव प्रमाण पत्र एवं याचिका संख्या 8971/2023 के आदेश दिनांक 03.07.2023 के संदर्भ में बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां द्वारा जारी ए.एन.एम.टी.सी. पर नर्सिंग ट्यूटर/क्लिनिकल इन्सट्रक्टर के पद पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है, नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। समान प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा डीबी0 याचिका संख्या 63/2022 में राज्य पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया है। अतः नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
480	PAYAL KALASUA	NO131429	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल निजी हॉस्पिटल द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ आचार्य श्री महाप्रज्ञ नेत्र चिकित्सालय द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है। न ही इनकी सेवाएं राजस्थान सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
481	PHOOLWATI	NO156781	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 67.070 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 63.61 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ संत सुखदेव शाह शिक्षा संस्थान से जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है न ही इनकी सेवाएं राजस्थान के अधीन चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
482	PIYUSH SUKHWAL	NO194985	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल नर्सिंग ट्यूटर पदनाम का अनुभव प्रमाण पत्र, याचिका संख्या 9189/2018 की प्रति एवं अन्य दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी जी.एन.एम.टी.सी. पर नर्सिंग ट्यूटर के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। समान प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा डी0बी0 याचिका संख्या 63/2022 में राज्य पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया है। अतः नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
483	Pooja	NO133654	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल निजी हॉस्पिटल द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ श्री राम च्यूरो एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल से जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है। न ही इनकी सेवाएं राजस्थान सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है
484	POOJA CHAUDHARY	NO125667	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के औसत प्राप्तांक 75.310 प्रतिशत का उल्लेख करते हुए अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/निम्स मेडिकल कॉलेज से जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है। न ही इनकी सेवाएं राजस्थान सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है
485	POOJA KARWA	NO201901	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में एफआरएचएस इण्डिया द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र (प्राईवेट), अंकतालिकाएं एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 78.3 प्रतिशत होने के उपरान्त भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है। अभ्यर्थी के साथ एफआरएचएस में कार्यरत अन्य अभ्यर्थियों को अनुभव का लाभ दिया गया है जिनमें वरियता सूची में सम्मिलित एवं रोके गये परिणाम की सूची निम्न प्रकार है:- अंतिम वरियता सूची में चयनित 1. रिकु कुमार सेनी, क्रमांक 1493, प्रतिशत 77.205, सामान्य 2. मिटु लाल ढाकर, क्रमांक 2434, प्रतिशत 74.240, ओबीसी एनसीएल 3. ममता वैरवा, क्रमांक 5030, प्रतिशत 64.450, अनुसूचित जाति-महिला 4. दीपक योगी, क्रमांक 1997, प्रतिशत 75.657, सामान्य 5. कामिनी, क्रमांक 4312, प्रतिशत 66.541, अनुसूचित	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			<p>जाति-महिला रोके गये परिणाम</p> <p>1. मंसीरा खान, आई0डी0 क्रमांक 186377, प्रतिशत 72.790, ओबीसी एनसीएल</p> <p>2. सोमेन्दर व्यास, आई0डी0 क्रमांक 196651, प्रतिशत 78.820, सामान्य</p> <p>3. रिशिराज पारिक, आई0डी0 क्रमांक 148158, प्रतिशत 69.710, ईडब्ल्यूएस</p> <p>4. पूनम कुमारी ढामनिया, आई0डी0 क्रमांक 202772, प्रतिशत 70.910, ओबीसी एनसीएल</p> <p>5. ताजुदीन मोमिन, आई0डी0 क्रमांक 181124, प्रतिशत 73.270, ओबीसी एनसीएल</p> <p>अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।</p>		
486	POOJA NAKRA	NO145621	<p>अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में अनुभव प्रमाण पत्र (पदनाम नर्सिंग ट्यूटर, निर्धारित प्रपत्र में नहीं) की प्रति संलग्न कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के समान कार्यरत अन्य अभ्यर्थी यथा मुकुल चौधरी पुत्री श्री कौशल सिंह बहोर, आई0डी0 135484 क्रमांक 2027 एवं मुक्ति कुमारी पुत्री बनेसिंह, आई0डी0 196427 क्रमांक 1520 का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है जबकि अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी को बोनस अंको का लाभ दिया जाकर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 82.090 होने के उपरांत भी अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।</p>	<p>अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।</p>	<p>प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।</p>
487	pooja singh	NO163939	<p>अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 72.10 पर भी चयन नहीं होने जबकि ईडब्ल्यूएस फिमेल की कट ऑफ 55.84 प्रतिशत होने और अन्य अभ्यर्थी जिसकी आईडी क्रमांक 161491 के प्राप्तांक 62.54 प्रतिशत पर चयन हुआ है जो कि प्रार्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के बाद भी चयन होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ सुधा हॉस्पिटल व देवांशी अस्पताल से जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है। इनकी सेवाएं राजस्थान सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थान में नहीं दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।</p>	<p>परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।</p>
488	POONAM KUMARI	NO196402	<p>अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 66.87 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित</p>	<p>अभ्यर्थिया का राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में रजिस्ट्रेशन दिनांक 08.06.2023 को हुआ है। इससे पूर्व के अनुभव का लाभ देय नहीं है। अतः आर.एन.सी. पंजीयन के उपरान्त की</p>	<p>परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर</p>



			नहीं है, जबकि अभ्यर्थिया से कम और बराबर प्रतिशत वालों का चयन सूची में नाम सम्मिलित है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अवधि का अनुभव नियमानुसार नहीं होने के कारण अभ्यर्थिया को बोनस अंक देय नहीं हैं। समान प्रकरणों माधव सिंह बनाम सराकर को इसी आधार पर राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के प्राप्तांक इनकी श्रेणी ओबीसी एनसीएल महिला में अंतिम चयनित अभ्यर्थिया से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	निस्तारित
489	PRADEEP KUMAR	NO212341	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 73.320 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन-क्रीमी लेयर पररुष की कट ऑफ से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर नाम ना आने का कारण बताते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का अनुभव निजी संस्थान का है अतः नियमानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं हैं। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।
490	PRADEEP KUMAR JAJORIYA	NO135241	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर सफदर जंग अस्पताल, नई दिल्ली का अनुभव मानते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ सफदरजंग अस्पताल में कार्य का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञापित की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
491	PRAMILA KUMARI MEENA	NO155082	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 69.950 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर बोनस अंक जोड़कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी इंदुन्डा द्वारा जारी आशासुपरवाइजर का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों रिट याचिका 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डी.बी. याचिका 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा राज्य पक्ष में निर्णीत किया जा चुका है। जारी अनुभव प्रमाण पत्र आशा सुपरवाइजर पद का है जिसका कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं है। रिट याचिका सं. 14080/2023 में माननीय न्यायालय ने नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश दिये हैं। डीबी याचिका संख्या 26/2023 सुखराम बनाम सरकार को अन्य पद का अनुभव होने के कारण राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। अतः अनुभव का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
492	PRAMOD KUMAR	NO152046	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि 70.010 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अनुसूचित जाति की कट ऑफ लगभग 65.27 प्रतिशत पर कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

493	PREM	NO116981	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 15 बोनस अंक जोड़कर 64.14 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि कट ऑफ लगभग 58 प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
494	PREMLATA SALVI	NO109825	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर बोनस अंक देकर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 3 अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं जो निजी क्षेत्र के हैं। एवं सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं है। अतः राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थानों में कार्य नहीं किया होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
495	PRIYANKA CHOUDHARY	NO144825	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि 73.800 प्रतिशत पर भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि उससे कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का है। अतः अभ्यर्थिया ने अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
496	PRIYANKA PARMAR	NO124816	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ परियोजना अधिकारी स्वच्छ परियोजना डूंगरपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है। यह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थानों पर विज्ञापित पद के समान कार्य हेतु जारी किया हुआ नहीं है। अतः बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। समान प्रकरणों रिट याचिका संख्या 5346/20116 कविता पवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा अनुभव प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने के कारण राज्यपक्ष में निर्णय किया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
497	RACHANA KUMARI	NO107789	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 78.37 प्रतिशत होने के बाद भी चयन नहीं होने एवं प्रार्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम अंतिम वरियता सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ राजस्थान हॉस्पिटल से जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञापित की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है। इनकी सेवाएं राजस्थान सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थान में नहीं दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
498	RAJENDRA CHOUDHARY	NO152709	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज 10वीं 12वीं की अंकतालिका, जाति प्रमाण पत्र, आरएनसी रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि एवं जीएनएम की अंकतालिका संलग्न की है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
499	RAGHUVEER SINGH CHOUHAN	NO166844	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 76.630 होने के बाद भी चयन नहीं होने एवं आरएनटीसीपी में कार्यरत दो एस्टीएस को नर्सिंग	अभ्यर्थी का अनुभव एन.टी.एस. का है जिसका कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं है। अतः बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा उल्लेखित कार्मिकों को माननीय न्यायालय में दायर अवमानना याचिका के कारण दायर की जाने वाली डीबी के निर्णय के अध्याधीन नियुक्ति दी गई है। समान प्रकरण डीबी याचिका, सरकार बनाम	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।


			भर्ती 2018 में नियुक्ति दिये जाने जिनके नाम है योगेश कुमार (एसटीएस कोटा), दुर्गेश चौहान (एसटीएस केकडी) का उल्लेख कर योग्यता सूची में शामिल करने के संबंध में निवेदन किया है।	कमलेश में माननीय न्यायालय के आदेश को स्टे कर दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
500	RAGHUVIR SINGH	NO195245	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि 73.005 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि आर्थिक पिछड़ा वर्ग की कट ऑफ 72.036 है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर कारण बताते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट पीपीएम कोऑर्डिनेटर के पद पर पीपीएम व एसीएसएम गतिविधियों का सम्पादन किया है जो नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य नहीं है। अतः अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 44.014 प्रतिशत इनकी आवेदित श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांकों से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
501	RAHUL LAKHOTIYA	NO180585	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 75.63 होने के बाद भी चयन नहीं होने एवं आरएनटीसीपी में कार्यरत दो एसटीएस को नर्सिंग भर्ती 2018 में नियुक्ति दिये जाने एवं आरएनटीसीपी में कार्यरत संविदा कर्मियों को समान कार्य के आधार पर बोनस देने का प्रावधान होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम योग्यता सूची में शामिल करके संशोधित अन्तिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का अनुभव एस.टी.एस. का है जिसका कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं है। अतः बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा उल्लेखित कर्मियों को माननीय न्यायालय में दायर अद्यमान याचिका के कारण दायर की जाने वाली डीबी के निर्णय के अध्याधीन नियुक्ति दी गई है। समान प्रकरण डीबी याचिका, सरकार बनाम कमलेश में माननीय न्यायालय के आदेश को स्टे कर दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
502	RAJ KUMAR JAJORIYA	NO126583	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल सूची संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, अजमेर द्वारा जारी वर्ष 2018 का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। रिट याचिका 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डी.बी. याचिका 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा राज्य पक्ष में निर्णीत किया जा चुका है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। एक अन्य प्रमाण पत्र अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल, दिल्ली द्वारा जारी है जो अन्य राज्य का अनुभव होने के कारण मान्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
503	RAJ KUMARI	NO137517	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 84.45 होने के बाद भी चयन नहीं होने एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी में प्रार्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रार्थी के शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर कुल प्रतिशत की पुनः गणना करते हुए संशोधित अन्तरिम चयन	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ निदेशक होप हॉस्पिटल द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है। इनकी सेवाएं राजस्थान सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थान में नहीं दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			सूची जारी करने के संबंध में निवेदन किया है।		
504	rajendra kumar rawat	NO138005	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है, केवल कोर्ट दस्तावेज संलग्न किया है।	अभ्यर्थी द्वारा रामनोहर लोहिया अस्पताल का जारी अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया है। जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
505	RAJESH BHATI	NO148434	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्रप्तांक प्रतिशत 75.770 होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर अनुभव के आधार पर बोनस अंको को जोड़कर अंतरिम घरीयता सूची में स्वयं का नाम जोड़ने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
506	RAJESH KUMAR	NO204188	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल आवेदन पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ निदेशक एचएन हॉस्पिटल द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है। इनकी सेवाएं राजस्थान सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थान में नहीं दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
507	RAKESH kumar kuri	NO185576	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ सफदरजंग अस्पताल में कार्य का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
508	RAM KANYA SHARMA	NO153543	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर संशोधित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर ईडब्ल्यूएस श्रेणी की अंतरिम चयन सूची में स्वयं का नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा संविदा हेल्पर पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थी का संविदा हेल्पर के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। अतः अभ्यर्थी को बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। बोनस	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				अंको के अभाव में अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
509	RAM PRASAD MALI	NO162346	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 30 प्रतिशत बोनस अंक जोड़ते हुये स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 72.100 होने के बाद भी चयन नहीं होने एवं स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा वेक्सीनेटर पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थी का वेक्सीनेटर के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णित किया है। अतः अभ्यर्थी को बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
510	RAMANDEEP KAUR	NO199105	अभ्यर्थियां द्वारा स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत फट ऑफ से अधिक होने के उपरान्त भी अन्तरिम चयन सूची में नाम नहीं आने पर परिवेदना प्रस्तुत कर अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गंगानगर द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अभ्यर्थिया का अनुभव निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा समान कार्य का जारी नहीं होने से नियमानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं हैं। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
511	RANJEET SAINI	NO188887	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
512	RANJEET SINGH RAWAT	NO101565	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 70.21 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का चयन अंतरिम वरीयता सूची में किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ 4 अनुभव. प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है। जिसमें एक अनुभव प्रमाणपत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द द्वारा 161 दिवस का कोविड अवधि का 31.05.2023 का जारी है जिसका 15 बोनस अंकों का लाभ अभ्यर्थी को दिया जा चुका है। शेष 3 अनुभव प्रमाण पत्र निजी क्षेत्र के जारी किये गये हैं जिनका बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार देय नहीं है। फलस्वरूप 15 बोनस अंकों के साथ अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 58.125 प्रतिशत इनकी श्रेणी ओबीसी एनसीएल सामान्य में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 70.188 से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
513	RASHI GAUTAM	NO119527	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस सहित कुल औसत प्राप्तांक 69.530 प्रतिशत बनते है। अभ्यर्थी का अनुभव प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ अधीक्षक जेके लोन चिकित्सालय कोटा द्वारा दिनांक 17.12.2022 को जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया। जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			समय नये प्रारूप में नहीं था, जिसे अभ्यर्थी द्वारा नये प्रारूप में ऑनलाईन परिवेदना के साथ संलग्न कर दिया है किन्तु नये प्रारूप में बिन्दु संख्या 8 में हां के स्थान पर नहीं अंकित हो गया है, जिस कारण अभ्यर्थी को 15 प्रतिशत बोनस अंक नहीं दिया गया है। अतः अभ्यर्थी ने 10 अथवा 15 प्रतिशत बोनस अंक का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। अनुभव जारी करने हेतु निर्धारित परिशिष्ट 'अ' में स्पष्ट अंकित है कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थियों के प्राप्तांक 54.534 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस महिला श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 55.884 प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही है। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ नवीन प्रपत्र में 18.9.2023 का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो कि अब मान्य नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
514	RATAN KUMARI BILWAAL	NO189084	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में 30 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 70.21 प्रतिशत है। अभ्यर्थी को 832 एवं 870 दिवस का अनुभव प्राप्त है। अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द द्वारा जारी 2 अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं जिनमें पदनाम एल.एच.वी. एवं सम्पादित कार्य एल.एच.वी. के जॉब चार्ट अनुसार दर्शाया गया है जो नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं है। अतः इन्हे बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
515	RAVI KUMAR	NO209319	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ सफ़दरजंग अस्पताल में कार्य का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
516	RAVI KUMAR MAHAWAR	NO165866	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बिजनौर उत्तरप्रदेश द्वारा सीएचओ पद जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।
517	RAVI SHARMA	NO191401	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं

			अभ्यर्थी के इंडब्ल्यूएस वर्ग में 30 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 79.27 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 72.33 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	जी.एन.एम.टी.सी. पर नर्सिंग ट्यूटर के पद पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग आफिसर के समान नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। समान प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा डी0बी0 याचिका संख्या 63/2022 में राज्य पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया है। अतः नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
518	REENA BANU SORGAR	NO154301	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में बोनस अंक सहित कुल प्राप्तांक प्रतिशत अंतरिम कटऑफ प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र सचिव शिशु एवं मातृसेवा संस्थान द्वारा जारी किया गया जो निर्धारित प्रपत्र में नहीं है व जारीकर्ता अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है। न ही अनुभव राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थान में कार्य सम्पादन का है। अतः निजी क्षेत्र का अनुभव होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
519	REKHA DAMOR	NO203330	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन के दौरान कुल औसत प्राप्तांक 63.950 प्रतिशत अंकित थे, जिसमें अभ्यर्थी के व्यावसायिक योग्यता के इन्टरनशिप के अंक सम्मिलित नहीं किये गये थे। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत की गई थी। व्यावसायिक योग्यता के इन्टरनशिप के अंक सम्मिलित किये जाने पर अभ्यर्थी का कुल औसत प्राप्तांक 64.44 प्रतिशत होता है। अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में दस्तावेज सत्यापन के दौरान कुल औसत प्राप्तांक 63.950 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 62.055 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ माया क्लिनिक एंड होम्योपैथिक अस्पताल द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में नहीं दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में इनके प्राप्तांक अनुसूचित जाति महिला वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
520	REKHA DENDOR	NO136891	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं होने के कारण पुनः दस्तावेज सत्यापन करवाने जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का दस्तावेज सत्यापन हो चुका है। पुनः दस्तावेज सत्यापन कराये जाने की आवश्यकता नहीं है, न ही ही ऐसा कोई प्रावधान है। अभ्यर्थी द्वारा पर्सिफिक मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी ने विवाहित श्रेणी में आवेदन किया है। फलस्वरूप इनके प्राप्तांक अनुसूचित जनजाति सामान्य महिला वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
521	REKHA RANI	NO116977	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई	अभ्यर्थी का अनुभव निजी संस्थान का है अतः नियमानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं



			है।	हैं। प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
522	REKHA RANI SHARMA	NO116683	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस वर्ग में 30 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 76.200 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 55.83 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
523	RENU KUMARI MEENA	NO162226	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ दिये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
524	RENU SHARMA	NO106371	अभ्यर्थिया ने इडब्ल्यूएस महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 67.9 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने दिनांक 06.09.2023 को जारी ईडब्ल्यूएस वर्ग का प्रमाण पत्र संलग्न किया है अन्य दस्तावेज परिवेदना के साथ संलग्न नहीं है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया का अनुभव निजी संस्थान का है अतः नियमानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 47.926 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
525	RISHI SHARMA	NO156246	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अन्य राज्य का अनुभव प्रमाण संलग्न कर अनुभव का लाभ देने देकर अंतरिम चयन सूची में शामिल किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ जिला चिकित्सालय, झांसी उत्तरप्रदेश द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो विज्ञप्ति की शर्त एवं नियमानुसार राज्य सरकार के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थान नहीं है एवं अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता सक्षम अधिकारी नहीं है। अन्य राज्यों एवं भारत सरकार के तहत एनएचएम में अन्य राज्यों में कार्यरत कार्मिकों को बोनस का लाभ देने की माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका संख्या याचिका सं 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राज्य सरकार को खारिज किया जा चुका है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीवी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
526	RISHIKESH JATAV	NO102001	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर रेल्वे विभाग द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर कोविड काल के 15 बोनस अंक देने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ चिकित्सा निदेशक, मध्य रेल द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो विज्ञप्ति की शर्त एवं नियमानुसार राज्य सरकार के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थान नहीं है एवं अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता सक्षम अधिकारी नहीं है। अन्य राज्यों एवं भारत सरकार के तहत एनएचएम में अन्य राज्यों में कार्यरत कार्मिकों	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।



				को बोनस का लाभ देने की माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका संख्या याचिका सं 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राज्य सरकार को खारिज किया जा चुका है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंकित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
527	RITA KUMARI ROAT	NO128227	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 71.030 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का विवाह विच्छेद होने संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं किन्तु डिक्री संलग्न नहीं है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया का अनुभव निजी संस्थान का है अतः नियमानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंकित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
528	RITU KUMARI	NO105737	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 68.30 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन के समय स्वयं के द्वारा प्राईवेट का अनुभव संलग्न करना बताया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया का अनुभव निजी संस्थान का है अतः नियमानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंकित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
529	SAJAN SINGH RANAWAT	NO182758	अभ्यर्थी ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल डीबी लिस्ट से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा एस.टी.एस. पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थी का एस.टी.एस. के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। एक अन्य डीबी रिट याचिका संख्या 356/2020 कुलदीप बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय से राज्य पक्ष में स्थगन प्राप्त है। अतः अभ्यर्थी	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				को बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
530	SAJAUDDIN ANSARI	NO156347	अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन करवाया गया है किन्तु प्रोविजनल लिस्ट में नाम नहीं होने का कारण आरटीआई के माध्यम से जानना चाहा है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो विज्ञप्ति की शर्त एवं नियमानुसार राज्य सरकार के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थान नहीं है एवं अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता सक्षम अधिकारी नहीं है। अन्य राज्यों एवं भारत सरकार के तहत एनएचएम में अन्य राज्यों में कार्यरत कर्मिको को बोनस का लाभ देने की माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका संख्या याचिका सं 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राज्य सरकार को खारिज किया जा चुका है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंकित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
531	SAMPAT LAL MEENA	NO199099	अभ्यर्थी ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। परिवेदना के साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है केवल अखबार की एक कटिंग संलग्न है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का अनुभव निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने से नियमानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंकित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
532	SANDEEP CHOUDHARY	NO210377	अभ्यर्थी ने आबीसी एनसीएल पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 30 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 75.560 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने 1337 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्रकूट उत्तरप्रदेश द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो विज्ञप्ति की शर्त एवं नियमानुसार राज्य सरकार के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थान नहीं है एवं अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता सक्षम अधिकारी नहीं है। अन्य राज्यों एवं भारत सरकार के तहत एनएचएम में अन्य राज्यों में कार्यरत कर्मिको को बोनस का लाभ देने की माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका संख्या याचिका सं 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राज्य सरकार को खारिज किया जा चुका है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
533	SANDEEP TIWARI	NO189855	अभ्यर्थी ने इंडब्ल्यूएस पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के एसटीएस पद के 8 साल के अनुभव के	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार

			आधार पर 30 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 74.67 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है जबकि 02 अन्य अभ्यर्थी योगेश कुमार (एसटीएस कोटा), दुर्गेश चौहान (एसटीएस केकड़ी) को एसटीएस पद का अनुभव देकर चयन सूची में सम्मिलित होने से अवगत कराया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को भी एसटीएस पद का लाभ देकर नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	उचित होगा।	कार्यवाही की जावें।
534	sangeeta kumari	NO172253	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित प्राइवेट हॉस्पिटल का अनुभव संलग्न किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ निजी क्षेत्र का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। जिसका अनुभव का लाभ देय नहीं है। नियमानुसार केवल राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थानों में कार्य के अनुभव का लाभ देय है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निरस्तारित की जाती है।
535	SANJAY KHAN	NO179592	अभ्यर्थी ने ओबीसी एनसीएल पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं को आरएनटीसीपी कार्यक्रम में टीबीएचवी पद पर 07 साल से कार्य करने से अवगत कराया है। स्वयं का प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है जबकि 02 अन्य अभ्यर्थी योगेश कुमार (एसटीएस कोटा), दुर्गेश चौहान (एसटीएस केकड़ी) को एसटीएस पद का अनुभव देकर चयन सूची में सम्मिलित होने से अवगत कराया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को भी टीबीएचवी पद का लाभ देकर नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावें।
536	SANJU BALA	NO107765	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 75.370 जो की ओबीसी फिमेल की कट ऑफ लगभग 66.41 प्रतिशत से अधिक होने एवं स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावें।
537	SANTOSH KUMARI	NO144620	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के बोनस अंक सहित कुल प्राप्तांक 74.130 प्रतिशत होने के उपरान्त भी अभ्यर्थिया का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का चयन किया गया है अतः अभ्यर्थी ने स्वयं को बोनस अंको का लाभ देते हुये चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावें।
538	SATISH CHAND	NO202364	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर राष्ट्रीय आयुर्वेद	अभ्यर्थी द्वारा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में नर्स (मॉडर्न) के पद पर कार्य का अनुभव	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं

	SHARMA		संस्थान जयपुर में कोविड केयर सेन्टर, कोविड वेक्सीनेशन सेन्टर, जननी सुरक्षा योजना एवं शिशु टीकाकरण योजना में कार्य करने का उल्लेख कर बोनस अंको लाभ दिलाकर अंतिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो 1965 के भर्ती नियमानुसार राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थानों में अथवा कार्यक्रमों में नर्सिंग कार्य का नहीं है। यह प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं है। समान प्रकरणों रिट याचिका 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डी.बी. याचिका 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा राज्य पक्ष में निर्णीत किया जा चुका है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने व अन्य संस्थान का होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
539	SATISH CHANDRA AMETA	NO200775	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर इंडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन कर 30 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 74.570 होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर सरकारी चिकित्सालय संस्थान पीपीपी मोड राजसमंद जिले में कुल 1553 दिवस अनुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ देकर स्वयं का नाम अंतिम वरीयता सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
540	SATYENDRA KUMAR SAIMAL	NO116902	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर जीएनएम इन्टर्नशीप मार्कशीट, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं कोविड अवधि में किये गये उत्कृष्ट कार्य प्रमाण पत्र संलग्न कर चयन सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ नई दिल्ली के संस्थानों से जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
541	SAVITA MANMIYA	NO193143	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर तीन वर्ष के अनुभव के बोनस अंक जोड़ते हुए स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 73.69 प्रतिशत जो की इंडब्ल्यूएस महिला वर्ग की फट ऑफ 55 प्रतिशत से अधिक होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी जी.एन.एम.टी.सी. पर नर्सिंग ट्यूटर के पद पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। अतः नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। समान प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा डीबी याचिका संख्या 63/2022 में राज्य पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
542	SEEMA LODHA	NO199349	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 82.22 होने के बाद भी चयन नहीं हो पाने का उल्लेख कर स्वयं का नाम अंतिम वरीयता सूची में सम्मिलित करने के संबंध में	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			निवेदन किया है।		
543	SEEMA VYASH	NO108860	अभ्यर्थियों द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल सूची संलग्न की है।	अभ्यर्थियों द्वारा सितम्बर 2015 से नवम्बर 2021 तक स्टाफ नर्स कार्य का प्रमुख चिकित्सा अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा 30.11.2015 का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं है। अतः बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। एक अन्य प्रमाण पत्र निजी क्षेत्र का है जिसका नियमानुसार बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
544	SEETA MASAR	NO196218	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति वर्ग में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 71.930 होने के बाद भी चयन नहीं होने जबकि प्रार्थी से कम प्रतिशत 62.5 पर भी चयन होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ एप्पल इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ से जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है। इनकी सेवाएं राजस्थान सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थान में नहीं दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
545	SHAMBHU RAM	NO115588	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल वर्ग में आवेदन कर अनुभव के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंकों को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 84.803 होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में 28.12.2022 का अधीक्षक, उम्मेद अस्पताल द्वारा 1191 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। अनुभव जारी करने हेतु निर्धारित परिशिष्ट 'अ' में स्पष्ट अंकित है कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। एक तथ्य यह भी है कि माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 5.01.2023 में अनुभव प्रमाणपत्रों की प्रमाणिकता की जांच हेतु प्रतिवादी को अधिकार प्रदान किया है। अभ्यर्थी द्वारा संलग्न किये गये अनुभव प्रमाण पत्र में भुगतान नहीं होना दर्शाया गया है जबकि अनुभव अवधि की प्रमाणिकता का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण भुगतान ही है। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
546	SHANKAR LAL MALI	NO179981	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 75.08 होने के बाद भी चयन नहीं होने एवं दिनांक 05.09.2023 को जारी अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र संलग्न कर ओबीसी सीएल से ओबीसी एनसीएल की सूची में जोड़ने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
547	SHANTI CHOWDHARY	NO172755	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ अधीक्षक जिला चिकित्सालय बाडमेर द्वारा जारी राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसायटी के तहत स्वीकृत पद पर आई.सी.टी.सी काउंसलर के कार्यानुभव का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। जिसका कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने से रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः आई.सी.टी.सी काउंसलर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।


548	SHANTI MEENA	NO127680	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। ऑनलाइन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 22.01.2023 का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। अनुभव जारी करने हेतु निर्धारित परिशिष्ट 'अ' में स्पष्ट अंकित है कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
549	SHILPA	NO125566	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:- 1. लक्ष्मी सक्सेना पुत्री प्रकाश बाबू सक्सेना, जन्म दिनांक 20.06.1986, आई0डी0 संख्या 125235 2. ममता कंवर पुत्री रतन सिंह, जन्म दिनांक 07.07.1992, आई0डी0 संख्या 209893 अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत उक्त अभ्यर्थियों से अधिक है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम विच्छिन्न विवाह श्रेणी की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जारी ए.एन.एन. पद के कार्य का 23.01.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा समान पद का वर्तमान भर्ती हेतु जारी नहीं है। अतः इन्हें बोनस का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप बोनस के अभाव में इनके कुल प्राप्तांक 45.485 प्रतिशत इनकी श्रेणी विच्छिन्न विवाह महिला अनारक्षित में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 60.936 प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
550	SHIMALA KUMARI REGAR	NO123797	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 77 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 45 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ डॉ. वीरेन्द्र लेजर एंड फको सेंटर का एवं रूंगटा अस्पताल का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
551	SHOBHA RAM	NO160225	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा एस. टी.एस. पद का राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत एस.टी.एस. के कार्य सन्पादन का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। राजकीय सेवा में कार्यरत एक संविदा नर्सिंग कर्मी अपनी सेवाएं अस्पताल (यथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, मेडिकल कालेज चिकित्सालय) में प्रदान करता है। जबकि एस.टी.एस. का कार्य सुपरवाइजरी है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की संख्डी से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				डीबी याचिका संख्या 26/2023 सुखराम बनाम राज्य सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा समान पद का कार्य नहीं होने के आधार पर राज्यपक्ष में निस्तारित किया है। एक अन्य डीबी रिट याचिका संख्या 356/2020 कुलदीप बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय से राज्य पक्ष में स्थगन प्राप्त है। अतः एस.टी.एस.का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
552	SHOIB KHAN	NO208191	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंकों का लाभ प्रदान कर कुल प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, झांसी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
553	SHYAM SUNDAR SHARMA	NO165079	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को सचिव, मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी, राजकीय यज्ञनारायण जिला चिकित्सालय, अजमेर द्वारा अस्थाई रूप से जीएनएम के पद पर बिना किसी वेतन इस शर्त पर नियुक्त किया गया था कि अभ्यर्थी को किये गये कार्य के एवज में अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा परन्तु राजकीय यज्ञनारायण जिला चिकित्सालय, अजमेर द्वारा अभ्यर्थी को दिनांक 01.10.2015 से 01.11.2019 तक की अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं किया गया। इस संबंध में अभ्यर्थी द्वारा माननीय न्यायालय में याचिका संख्या 15528/2023 भी दायर की गई है जो वर्तमान में विचाराधीन है। अतः अभ्यर्थी ने सचिव, मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी, राजकीय यज्ञनारायण जिला चिकित्सालय, अजमेर को अभ्यर्थी को दिनांक 01.10.2015 से 01.11.2019 तक की अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में जारी किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने हेतु निवेदन किया है ताकि अभ्यर्थी को अनुभव के आधार पर बोनस अंकों का लाभ मिल सके एवं अभ्यर्थी अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित हो सके।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
554	SOMI KUMARI KHANT	NO211205	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में 30 प्रतिशत बोनस सहित कुल औसत प्राप्तांक 70.690 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ से अधिक होने के उपरांत भी	अभ्यर्थीया द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सहायक निदेशक शिशुगृह, बाल अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है। न ही प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में इस भर्ती हेतु जारी है और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/ चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्वास्थ्य संस्थानों पर कार्य	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।


			अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। साथ ही अभ्यर्थी ने ईन्टरनशिप के अंक जोड़ने तथा अनुभव के स्थान पर दूसरा अनुभव स्कैन करवाया गया, का उल्लेख किया है। अभ्यर्थी से स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	सम्पादन का भी नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों रिट याचिका 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डी.बी. याचिका 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा राज्य पक्ष में निर्णीत किया जा चुका है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
555	SONAL	NO194210	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर कुल अनुभव अर्थात् 1917 दिवस के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
556	SUBHASH CHANDRA AMETA	NO210694	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 79.020 जो क सामान्य श्रेणी कट ऑफ लगभग 75.51 से अधिक होने के बाद भी चयन नहीं होने साथ ही FRHSI (मेरी स्टॉप्स) में कार्य करने वाले अन्य अभ्यर्थियों को बोनस अंकों का लाभ देकर अंतिम वरियता सूची में चयन होने का उल्लेख कर चयनित सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एसबीसिविल रिट पिटिशन संख्या 14624/2023 की प्रतिलिपि भी संलग्न की है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
557	SUDESH SHARMA	NO152101	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 74.19 होने के बाद भी चयन नहीं होने एवं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में प्रार्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ भगवान महावीर कैंसर अस्पताल नर्सिंग कॉलेज, जयपुर से जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है। इनकी सेवाएं राजस्थान सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थान में नहीं दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
558	SUDHEER SHARMA	NO142538	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 74.60 होने के बाद भी चयन नहीं होने जबकी ईडब्ल्यूएस श्रेणी में प्रार्थी से कम 72.336 प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
559	SUKHDEV REGAR	NO155115	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ 4 अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये जिनमें से 3 प्रमाणपत्र एएनएम पद पद एएनएम के कार्य के हैं जिसका कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने से अनुभव का लाभ अभ्यर्थी को प्रदान नहीं किया गया। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। एक अन्य प्रमाण	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।




				पत्र कोविड अवधि के दौरान सीएचए के पद पर कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप अनुभव पुनर्सत्यापन के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है जो पूर्व में ही दिया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
560	SUMAN KUMARI	NO149508	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 30 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 69.890 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 1765 दिवस का नर्सिंग ट्यूटर पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर नर्सिंग ट्यूटर पद को पीएचएन के समान मानकर बोनस अंक प्रदान कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा जारी ए.एन.एम.टी.सी. पर नर्सिंग ट्यूटर के पद पर नर्सिंग ट्यूटर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग आफिसर के समान नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीवी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णित किया है। समान प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा डी0बी0 याचिका संख्या 63/2022 में राज्य पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया है। अतः नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निरस्तारित की जाती है।
561	SUMAN KUMARI KUMAWAT	NO208710	अभ्यर्थिया ने ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं कुल औसत प्राप्तांक 69.47 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं के एफआरएचएस (मेरी स्टोप्स) संस्था में कार्य करने के अनुभव का लाभ नहीं देने से अवगत कराया है जबकि इसी संस्था में अभ्यर्थिया के साथ काम करने वाले अन्य अभ्यर्थियों को इसी संस्था का बोनस अंकों का लाभ देकर वरियता सूची में सम्मिलित करने से अवगत कराया है। जो निम्नानुसार है:- सारणी 1) अंतिम वरियता सूची में सम्मिलित- रिंकु कुमारी सैनी (मेरिट संख्या 1493), मिटू लाल ढाकर (मेरिट संख्या 2434), ममता बैरवा (मेरिट संख्या 5030), दीपक योगी (मेरिट संख्या 1997), कामिनी (मेरिट संख्या 4312)	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
			सारणी 2) रोके गये परिणाम -		



			मंसीरा खान (आईडी संख्या NO186377), सोमेन्द्र व्यास (आईडी संख्या एनओ196651), रिशिराज पारीक (आईडी संख्या एनओ148158), पूनम कुमार दामनिया (आईडी संख्या एनओ202772), ताजुदीन मोमिन (आईडी संख्या एनओ181124)		
562	SUMER SINGH	NO119535	अभ्यर्थी ने ओबीसी एनसीएल पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 71.720 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने परिवेदना के साथ केवल आवेदन फार्म संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का पंजीयन 24.07.2016 को हुआ है। अतः रिट याचिका संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय के अनुरूप पंजीयन से पूर्व की संविदा अवधि के बोनस अंक देय नहीं है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुसार पंजीयन से पूर्व के अनुभव को गणना में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। अतः अभ्यर्थी के अनुभव की गणना पंजीयन की तिथि से की गई है जिसके अनुसार 20 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
563	SUNIL YADAV	NO188417	अभ्यर्थी ने ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है। स्वयं के 72.66 प्रतिशत बताते हुए ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग की अंतिम कटऑफ लगभग 65 प्रतिशत से अधिक होने के बावजूद स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची एवं होल्ड सहित किसी भी सूची में नहीं होने से अवगत कराया है। प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र 1835 दिवस का एएनएम के पद पर आगनबाड़ी व सरकारी विद्यालयों में स्क्रीनिंग का कार्य सम्पादन का है जिसका कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीवी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
564	SUNITA SUMAN	NO186382	अभ्यर्थी ने ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 30 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 74.760 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने 134 दिवस का सीएचए पद का एवं 1814 दिवस का एएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा जारी उपकेन्द्र खैरुला पर ए.एन.एम. कार्य का 1814 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ए.एनएम का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण इन्हे बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरण डीवी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। शेष अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर अभ्यर्थी को 15 बोनस अंकों का लाभ दिया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
565	SURENDRA KUMAR GUPT	NO176169	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस श्रेणी में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 72.400 होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा वैक्सीनेशन (टीकाकरण) का कार्य किया है जबकि नर्सिंग ऑफिसर का कार्य ओपीडी आईपीडी में रोगोपचार हेतु मरीजों की सम्पूर्ण देखभाल करना है। अतः वैक्सीनेटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने से अनुभव का लाभ नहीं दिय गया। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल में माननीय	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।



			चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य से है। अतः अभ्यर्थी द्वारा सम्पादित वैकसीनेटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
566	SURENDRA KUMAR SHARMA	NO169966	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 72.750 प्रतिशत से कम 72.336 प्रतिशत वाले अभ्यर्थी राजकुमार तिवारी, क्रमांक 2905, आई0डी0 संख्या 202990 का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है परन्तु अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में किया गया है।	अभ्यर्थी ने 8.09.2023 को जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत किया। अभ्यर्थी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा जारी वैकसीनेटर पद अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जिसमें सम्पादित कार्य वैकसीनेशन का दर्शाया गया है जो नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं है। अतः इन्हे अनुभव का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
567	SURESH KUMAR MEENA	NO167060	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में अनुभव के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिये जाने हेतु कुल औसत प्राप्तांक 70.47 अंतरिम कटऑफ 64.00 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी को 1645 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा द्वारा जारी किया गया है, जो नर्सिंग ट्यूटर पद का जारी किया गया है। विभिन्न राजकीय एएनएमटीसी पर कार्यरत पब्लिक हेल्थ नर्स का अनुभव मान्य कर दिया गया है जबकि नर्सिंग ट्यूटर का नहीं परन्तु संविदा नर्सिंग ट्यूटर व संविदा पब्लिक हेल्थ नर्स का राजकीय एएनएमटीसी पर कार्य समान है, जिसके संदर्भ में माननीय न्यायालय, जयपुर में याचिका संख्या 8971/2023 लम्बित है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा द्वारा जारी ए.एन.एम.टी.सी. पर नर्सिंग ट्यूटर के पद पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है, जो एक चिकित्सोपचार हेतु संस्थान (अस्पताल) नहीं है। राजकीय सेवा में कार्यरत एक संविदा नर्सिंग कर्मी अपनी सेवाएं अस्पताल (यथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, मेडिकल कालेज चिकित्सालय) में प्रदान करता है। नर्सिंग ऑफिसर के जॉब चार्ट से स्पष्ट है कि इसकी सेवाएं केवल अस्पताल में ही प्रदान की जा सकती हैं प्रशिक्षण संस्थान में नहीं। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
568	SURESH KUMAR NAGAR	NO114319	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 05.12.2022 का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा जारी आशा सुपरवाइजर पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसका कार्य आशा सुपरवाइजर का दर्शाया गया है, जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।



				करने के दिशा-निर्देश दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। अनुभव जारी करने हेतु निर्धारित परिशिष्ट 'अ' में स्पष्ट अंकित है कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य से है। एक अन्य डीबी रिट याचिका कुलदीप बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय से राज्य पक्ष में स्थगन प्राप्त है। दिया है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। अतः अभ्यर्थी द्वारा सम्पादित लैब टैक्नीशियन पद का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
569	SUSHEEL KUMAR	NO131551	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी मैनपुरी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
570	TANVEER AHAMAD CHHIPA	NO151016	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल अनुभव प्रमाण पत्र एवं याचिका संख्या 8971/2023 कपिल कुमार बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.07.2023 की प्रति संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा जारी ए.एन.एम.टी.सी. पर नर्सिंग ट्यूटर के पद पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है, नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। समान प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा डीबी याचिका संख्या 63/2022 में राज्य पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया है। अतः नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
571	TARUN CHOUHAN	NO175762	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर एमटीएस पद के अनुभव का लाभ प्रदान करते हुए कुल औसत प्राप्तांक 83 प्रतिशत के आधार पर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय पाली द्वारा जारी एम.टी.एस. पद का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसमें कार्यस्थल राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय व कार्य प्रधानाचार्य द्वारा आवंटित समस्त कार्य दर्शाया गया है। अतः इनके द्वारा संपादित कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने से अनुभव का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।



572	TRILOK NAGAR	NO159237	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में बोनस अंक सहित कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.43 अंतरिम कटऑफ 70.211 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी द्वारा एक अनुभव प्रमाणपत्र से 23.01.2014 से 31.12.2019 तक एस.टी.एस. पद पर कार्य सम्पादन का संलग्न किया है। एस.टी.एस. पद की योग्यता स्नातक व सीनियर सैकेन्डरी, बैचलर डिग्री इन साइंस और आर्ट्स एवं इस पद पर सम्पादित इनका कार्य टी.बी. ट्रीटमेंट सुपरवाइजर का दर्शाया गया है जो नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। जिसके अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 40.426 प्रतिशत बनते हैं जो आबीसी एनसीएल श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों, 70.188 प्रतिशत, से कम होने के कारण अंतरिम चयन सूची में चयन से वंचित रहे हैं। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्वन्ध समान कार्य से है। एक अन्य डीबी रिट याचिका संख्या 356/2020 कुलदीप बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय से राज्य पक्ष में स्थगन प्राप्त है। अतः अभ्यर्थी द्वारा सम्पादित एस.टी.एस. पद का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
573	UMA SALVI	NO191161	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के दौरान जानकारी में आया कि अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र पुराना है जो कि मान्य नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा नया जाति प्रमाण पत्र बनवाया गया जो कि अभ्यर्थी द्वारा जमा करवाया नहीं जा सका, जिस कारण अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में सम्मिलित कर लिया गया। अभ्यर्थी ने नया जाति प्रमाण पत्र दिनांक 13.10.2023 प्रस्तुत कर सामान्य श्रेणी के स्थान पर वास्तविक श्रेणी में सम्मिलित कर अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मध्यप्रदेश राज्य का जारी अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसमें इन्हे मन्दसौर, मध्यप्रदेश का निवासी दर्शाया गया है। अभ्यर्थी द्वारा अब अंतरिम चयन सूची जारी होने के उपरान्त परिवेदना प्रस्तुत कर दिनांक 13.10.2023 का जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न कर स्वयं को अनुसूचित जाति में पात्र मानने का निवेदन किया है जो कार्मिक विभाग के दिशा निर्देशों अनुसार मान्य नहीं किया जा सकता। साथ ही एक ही व्यक्ति का दो राज्यों का मूल निवासी होना भी अभ्यर्थी की पात्रता को संदिग्ध बनाता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
574	USHA KUMARI	NO115303	अभ्यर्थी ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 70.250 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने निजी संस्थान द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ नीरा व एचएलएफपीपीटी से जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र के हैं एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
575	VIJAY KUMAR DHOLPURIA	NO147141	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत नर्सिंग ऑफिसर पद पर दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में स्वयं के 72.190 प्रतिशत बताते हुये अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ अधीक्षक, राजकीय डी.बी. चिकित्सालय, चुरु द्वारा 1705 दिवस का डायलिसिस नर्स कम टेक्नीशियन पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। डायलिसिस कम नर्स का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
576	VIJENDRA SINGH	NO211635	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत स्वयं के द्वारा भारत सरकार के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थान में किये गये कार्य के आधार पर बोनस अंक प्रदान किये जाकर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
577	VIKAS BHATI	NO149716	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के द्वारा राजकीय वांगड चिकित्सालय पाली में नर्सिंग ट्यूटर के पद पर किये गये कार्य के आधार पर बोनस अंक प्रदान किये जाकर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
578	VIKAS SABAL	NO102037	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत स्वयं के द्वारा भारत सरकार के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थान में किये गये कार्य के आधार पर बोनस अंक प्रदान किये जाकर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ सफदरगंज चिकित्सालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
579	VIKRAM SINGH MAHAWAR	NO140109	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी परियोजना में उत्तर प्रदेश में स्टॉफ नर्स पद पर कार्य किये जाने पर बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, झांसी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
580	VIKRAM SINGH MORYA	NO162204	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति वर्ग में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.77 होने के बाद भी चयन नहीं होने जबकि प्रार्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर द्वारा जारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हमीरपुर पर सीएचए के पद पर नर्सिंग कार्य का 283 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। जिसमें अनुभव अवधि 22.06.2021 से 31.03.2022 है। अभ्यर्थी का आरएनसी पंजीयन 10.10.2022 को हुआ है। अतः रिट याचिका संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय के अनुरूप पंजीयन से पूर्व की संविदा अवधि के बोनस अंक देय नहीं है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुसार पंजीयन से पूर्व के अनुभव को गणना में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
581	VINOD KUMAR SAINI	NO131663	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 77.91 होने के बाद भी चयन नहीं होने का कारण स्पष्ट करने का उल्लेख कर	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ इटरनल हॉस्पिटल से जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।


			प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
582	VIPIN DAMOR	NO127100	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज अंकतालिकाएं, आरएनसी एवं प्राईवेट संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ आचार्य महाप्रज्ञ नेत्र चिकित्सालय एवं कलिथा इंजीनियरिंग से जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जो निजी क्षेत्र के हैं एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
583	VISHVNATH MUDGAL	NO152597	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के फुल प्राप्तांक 77.450 अंक होने के उपरान्त भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं है। अतः पुनः जांच कर मेरा नाम प्रोविजनल सूची में जुड़वाये। संलग्न प्रोविजनल सूची।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ लेंडी हार्डिंग अस्पताल नई दिल्ली व कैंट्स 102 एम्बुलेंस पर दिल्ली में अनुभव के प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं। जिनका नियमानुसार बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
584	VISHWA MOHAN DAHIYA	NO174214	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज यथा अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली द्वारा जारी सीएचए के पद पर नर्सिंग कार्य का 439 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। जिसमें अनुभव अवधि 14.05.2010 से 31.07.2011 है। अभ्यर्थी का आरएनसी पंजीयन 16.01.2023 को हुआ है। अतः रिट याचिका संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय के अनुरूप पंजीयन से पूर्व की संविदा अवधि के बोनस अंक देय नहीं है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुसार पंजीयन से पूर्व के अनुभव को गणना में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
585	YASHWANT KUMAR AYRA	NO122362	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी ने एससी जाति वर्ग में बोनस अंक जोड़कर 73.700 अंक प्राप्त करने के उपरान्त प्रोविजनल सूची में नाम नहीं है। संलग्न दस्तावेज यथा अंक तालिका एवं पीएओ का अनुभव प्रमाण पत्र (किन्तु Proper format में नहीं है।)	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र वर्ष 2015 का एवं सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है। अतः नियमानुसार बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
586	YAVAN KUMAR NAGAR	NO183803	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में 30 प्रतिशत बोनस अंक जोड़ने के उपरान्त 75.450 प्राप्तांक करने के उपरान्त भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं सम्मिलित है। अतः अभ्यर्थी ने नर्सिंग ट्यूटर पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर उल्लेख किया है कि नर्सिंग ट्यूटर एवं संविदा पब्लिक हेल्थ नर्स का समान कार्य होने के बावजूद पब्लिक हेल्थ नर्स को अनुभव का लाभ दिया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां द्वारा जारी ए.एन.एम.टी.सी. पर नर्सिंग ट्यूटर/क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के पद कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। नर्सिंग ट्यूटर पद का कार्य नर्सिंग आफिसर के समान नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। समान प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा डी0बी0 याचिका संख्या 63/2022 में राज्य पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया है। अतः नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
587	YOGESH	NO124348	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संस्थापन की सूची संलग्न की	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार

	KUMAR		है।	उचित होगा।	कार्यवाही की जावे।
588	AAFRIN BEE	NO192790	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में सीएचओ पद का अनुभव प्रमाण पत्र एवं आरएनसी रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न कर ईडब्ल्यूएस वर्ग में स्वयं के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 62.150 प्रतिशत का उल्लेख कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
589	AAKANSHA CHAUHAN	NO173332	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना संलग्न नहीं की गई है। केवल दस्तावेज यथा सीएचओ पद का अनुभव प्रमाण पत्र, अंकतालिकाएं इत्यादि संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
590	AARTI PITAMBER	NO209386	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को जीएनएम पद का 498 दिवस एवं सीएचओ पद का 120 दिवस का अनुभव प्राप्त है। अभ्यर्थी को जीएनएम पद के अनुभव का लाभ दिये जाने पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 59.90 श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को 498 दिवस के जीएनएम पद के अनुभव के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने प्रस्तावित है। उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झूगरपुर द्वारा 402 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनमें अभ्यर्थी का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण इन्हे बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
591	AARTI ROUTELLA	NO145287	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को कोरोना अवधि में कार्यरत अनुभव का लाभ दिया जाकर 15 प्रतिशत बोनस सहित कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 68.56 ईडब्ल्यूएस वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है ना ही इसका कोई कारण बताया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।



592	AASHIMA SHARMA	NO179652	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल अंकतालिका एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न की है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
593	ABHISHEK KUMAR MALHOTRA	NO143792	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के 30 प्रतिशत बोनस अंक सहित अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 68 प्रतिशत होने के उपरांत तभी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अलयर द्वारा एएलएस एम्बुलेंस (एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस) में नर्सिंग स्टाफ के कार्य के 5 वर्ष से अधिक के अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 30 बोनस अंकों का लाभ देय है। अतः अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
594	ADITI SAINI	NO146501	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में सीएचओ पद को अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 68.850 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
595	AFRIN KHAN	NO203929	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के तय मापदण्ड अनुसार अंक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
596	AFSANA	NO102486	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 69.460 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 66 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य करवाया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
597	AJAY KUMAR	NO141278	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 69.550 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 65.27 प्रतिशत से अधिक होने के	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
598	AJAY KUMAR YADAV	NO146246	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 74.30 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 70 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
599	AJIT SINGH RATHORE	NO119988	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडल्यूएस श्रेणी में 30 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 73.130 प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी राजकुमार तिवारी जिनका औसत प्राप्तांक 72.336 है, का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है जबकि अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा जारी 3327 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 30 प्रतिशत बोनस अंक देय हैं। अतः अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्त्यापन के आधार पर 30 बोनस अंक दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमादित।
600	AKANSHA CHOUDHARY	NO159762	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 67.430 प्रतिशत बनते हैं जिसके उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
601	ALKA KUMARI GURJAR	NO166706	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमादित।
602	ALKA PANWAR	NO202302	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल प्राप्तांक 65.59 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 63.61 प्रतिशत से	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।




			अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	३	
603	AMAN SONI	NO201984	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
604	AMARU	NO155241	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल जीएनएम ईन्टरशिप अंकतालिका की प्रति संलग्न की है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
605	AMIT DHOBI	NO171433	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 68.380 प्रतिशत का उल्लेख कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
606	AMIT INNOCENT	NO198649	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी ने स्पोर्ट्स कैटेगरी में आवेदन किया था, जिसके संबंध में जानकारी नहीं होने के कारण राज्य स्तरीय खेल प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न की थी। अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 73.640 प्रतिशत है जो कि अंतरिम कटऑफ 72.336 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना पर उचित कार्यवाही किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
607	AMIT KUMAR DABRIYA	NO173106	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल प्राप्तांक 68.77 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 65.277 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
608	AMIT KUMAR MANDIWAL	NO165334	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

609	AMIT MEENA	NO194199	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में 20 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 66.86 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 63.06 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
610	AMRITA BARVAD	NO206622	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 64.56 प्रतिशत से कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है जबकि अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं को अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
611	AMRITA BHAWARIYA	NO164025	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 70.17 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 66.41 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम सूची में नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
612	ANAMIKA DEVATWAL	NO193754	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 65.4 प्रतिशत होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम सूची में नहीं किया गया है जबकि अन्य अभ्यर्थी का चयन 63 प्रतिशत पर हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
613	ANAMIKA KANWAR	NO187000	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 62.270 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 55.84 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम सूची में नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
614	ANCHI DEEGWAL	NO166545	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 73.020 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 63.61	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में से एक दिनांक 16.12.2022 का जारी है जो इस भर्ती हेतु जारी नहीं किया गया है। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम सूची में नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	जारी दिशा-निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञापित हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञापित निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञापित के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। अनुभव जारी करने हेतु निर्धारित परिशिष्ट 'अ' में स्पष्ट अंकित है कि विज्ञापित जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
615	ANIL KUMAR	NO161000	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 65.170 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाईन आवेदन के साथ 29.05.2021 से 4.05.2023 तक यूटीबी पर नर्सिंग कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें कोविड अवधि सम्मिलित है। जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 15 बोनस अंकों का लाभ देय है। अतः अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन के आधार बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
616	ANIL KUMAR BUJADIA	NO185368	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के एमबीबीएस एनसीएल वर्ग में 30 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 72.320 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाईन आवेदन के साथ तीन अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनकी कुल अवधि 1415 दिवस है। जिसके आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंकों लाभ देय है। अतः अभ्यर्थी को पूर्व में दिये गये 20 प्रतिशत बोनस अंकों के स्थान पर 30 प्रतिशत बोनस अंक दिये जाकर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा चुका है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
617	ANIL KUMAR DHAKAR	NO202226	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुभव की गणना 26 दिवस के आधार पर किये जाने के कारण अनुभव अवधि 3 वर्ष से कम हो गई है जबकि अभ्यर्थी को कुल 03 वर्ष 04 दिवस का अनुभव है। इस संबंध में पीएमओ निम्बाहेडा द्वारा अनुभव का संशोधन कर अनुभव अवधि 03 वर्ष 04 दिवस कर दी गई है। अतः अभ्यर्थी ने 30 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने परिवेदना के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी पत्र दिनांक 12.10.2023 संलग्न किया है जिसके अनुसार अभ्यर्थी के कार्य दिवसों की संख्या हेतु 312 के स्थान पर एक वर्ष एवं माह की गणना 26 के स्थान पर 30/31 दिवस मानी जाने हेतु निवेदन किया है। अतः अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर बोनस अंकों पर निर्णय लिया जायेगा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
618	ANIL KUMAR GURJAR	NO147553	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में सीएचओ पद का अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के एमबीबीएस एनसीएल जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 67.350 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 64 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरांत वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

				प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
619	Anil Kumar Meena	NO192808	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में सीएचओ पद का अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 64.190 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 62.20 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
620	ANIL NANOMA	NO186438	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल आवेदन पत्र की प्रति संलग्न की है।	अभ्यर्थी को आरएनसी पंजीयन के उपरान्त का ही बोनस अंकों कस लाभ देय है। इस प्रकार अभ्यर्थी को पूर्व में दिये गये 15 प्रतिशत बोनस अंको के स्थान पर 20 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। समान प्रकरणों माधव सिंह बनाम सरकार को इसी आधार पर राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित
621	ANITA	NO213648	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में सीएचओ पद (7900 दर) का अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 66.70 अंतरिम कटऑफ 66.41 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
622	ANITA	NO161311	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में सीएचओ पद का अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के एमबीसी एनसीएल वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 63.090 अंतरिम कटऑफ 58.666 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
623	ANITA CHOUDHARY	NO159176	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल अनुभव प्रमाण पत्र (जीएनएम एवं सीएचए पदनाम), डीक्री दिनांक 11.01.2019 एवं अन्य दस्तावेज संलग्न किये हैं। (डीक्री में अभ्यर्थी का नाम अनिता पति का नाम राजेश अंकित है जबकि अभ्यर्थी के पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र (जन्म दिनांक 13.04.2014) जारी दिनांक 04.01.2023 में पिता का नाम दया राम अंकित है।)	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत डिक्री (जारी दिनांक 11.01.2019) में अभ्यर्थीया के पति का नाम राजेश अंकित है जबकि पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र (जारी दिनांक 04.01.2023) में पिता का नाम दया राम अंकित है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अभ्यर्थीया ने पुनर्विवाह कर लिया है। यदि ऐसा है तो अभ्यर्थीया को विच्छिन्न विवाह श्रेणी का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता। अतः अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न किये गये अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर 15 बोनस अंकों का लाभ प्रदान करते हुए चयन की स्थिति में पति के नाम व वैवाहिक स्थिति के सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोक जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।


624	ANITA CHOUDHARY	NO171152	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में सीएचओ पद (7900 दर) का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 68.010 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
625	ANITA GURJAR	NO152906	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में सीएचओ पदनाम का अनुभव प्रमाण पत्र (7900 दर) एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के एमबीसी एनसीएल जाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 65.170 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 58.6 प्रतिशत से अधिक है। अभ्यर्थी को अंतरिम चयन सूची में बोनस का लाभ नहीं दिया गया है जिसका कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
626	ANITA GURJAR	NO197708	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में सीएचओ पदनाम का अनुभव प्रमाण पत्र (7900 दर, 25000 दर) एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के एमबीसी एनसीएल जाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 63.150 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 58.6 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम, अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
627	ANITA KUMARI	NO147340	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में सीएचओ पदनाम का अनुभव प्रमाण पत्र (7900 दर, 25000 दर) एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 67.530 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 66 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।



628	ANITA KUMARI	NO185885	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में सीएचओ पदनाम का अनुभव प्रमाण पत्र (7900 दर) एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 64.970 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 63.61 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
629	ANITA KUMARI	NO158744	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में सीएचओ पदनाम का अनुभव प्रमाण पत्र (7900 दर) एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 69.900 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
630	ANITA KUMARI	NO185202	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में सीएचओ पदनाम का अनुभव प्रमाण पत्र (7900 दर) एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 67.700 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 66.41 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
631	ANITA KUMARI KHAIRWA	NO208654	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में सीएचओ पदनाम का अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज (सही रूप से अपलोड नहीं है) संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में 20 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 70.200 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 66 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।



632	ANITA KUMARI MEENA	NO160852	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में सीएचओ अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 62.410 प्रतिशत बन रही है जिसके उपरांत भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम सूची में हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
633	anita latta	NO187307	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर सीएचओ पद के कार्यानुभव के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक जोड़कर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.680 प्रतिशत है जो की न्यूनतम कैटेगरी कट ऑफ से ज्यादा होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
634	anita manat	NO202122	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कार्यानुभव के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक जोड़कर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.280 प्रतिशत है से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
635	ANITA MEENA	NO199338	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
636	ANITA MEENA	NO196544	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति महिला श्रेणी की कट ऑफ 62.05 प्रतिशत से ज्यादा स्वयं के कुल प्राप्तांक 63.670 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।




637	ANITA MEENA	NO175385	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 12वीं के प्राप्तांक 64.92 तथा जीएनएम के प्राप्तांक 75.10 तथा कोविड महामारी के दौरान किये गये कार्य हेतु 15 बोनस अंक होने के बावजूद चयन सूची में नाम नहीं आया जबकि प्रार्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन हुआ है इसलिये दस्तावेजों की पुनः गहनता से जांच करवा कर उचित प्राये जाने पर चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा कोविड अवधि का 52 दिवस का जीएनएम पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः अनुभव प्रमाण पत्र के पुनःसत्यापन के अनुसार बोनस अंक प्रदान किये जाने प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
638	ANITA VAISHNAV	NO198208	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कोविड अवधि में कार्य किये जाने पर बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 68.390 प्रतिशत होने के बावजूद प्रार्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
639	ANJANA KUMARI	NO196677	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर एमबीसी एनसीएल महिला वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 61.910 प्रतिशत होने के बावजूद 58.66 प्रतिशत कम वाले अभ्यर्थियों का चयन किये जाने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
640	ANJU BALA	NO151036	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओवीसी एनसीएल श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 68.30 प्रतिशत होने के बावजूद स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
641	ANJU GOSWAMI	NO206343	अभ्यर्थियों द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
642	ANJU GURJAR	NO186711	अभ्यर्थियों द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
643	ANJU KUMARI	NO177666	अभ्यर्थियों द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।




				द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
644	ANJU KUMARI	NO179463	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल वर्ग की कट ऑफ 66.40 से ज्यादा स्वयं के कुल प्राप्तांक 68.310 प्रतिशत होने का उल्लेख कर स्वयं को प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
645	ANKITA	NO157563	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल श्रेणी में स्वयं के प्राप्तांक 70.69 प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
646	ANKITA GURJAR	NO157703	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
647	ANKITA PATHAK	NO158466	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
648	ANKITA SHARMA	NO166190	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर इंडब्ल्यूएस महिला श्रेणी की चयनित सूची में अन्तिम चयनित अभ्यर्थी की कट ऑफ 55.84 से ज्यादा 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 61.880 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
649	ANKITA SHARMA	NO178429	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल वर्ग में स्वयं के कुल प्राप्तांक 69.53 प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
650	ANNU BANSHIWAL	NO167078	अभ्यर्थियों द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल सीएचओ पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
651	ANTIMA MAHAWAR	NO106619	अभ्यर्थियों द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
652	Anupama Arora	NO150601	अभ्यर्थियों द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल सीएचओ पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
653	ANURADHA UPADHYAY	NO151444	अभ्यर्थियों द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी में स्वयं के कुल प्राप्तांक 61.950 प्रतिशत होने के बावजूद स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
654	ANUSHA PANCHAL	NO179234	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल सामान्य की कट ऑफ लगभग 66 प्रतिशत पर अंतिम चयनति अभ्यर्थी से ज्यादा स्वयं के कुल प्राप्तांक 71.460 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्य हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
655	ARADHANA	NO187246	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति महिला वर्ग की कट ऑफ लगभग 63.61 प्रतिशत से ज्यादा स्वयं के कुल प्राप्तांक 67.280 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
656	ARJUN GARI	NO198515	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर एमबीसी वर्ग की प्रतिशत 64.24 से ज्यादा अनुभव के आधार पर बोनस अंक जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 64.280 प्रतिशत होने का उल्लेख कर अनुभव का लाभ देकर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
657	ARPITA DADHICH	NO165470	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग की कट ऑफ 55.84 प्रतिशत से ज्यादा 15 प्रतिशत कोविड अनुभव को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 67.19 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।



			किया है।		
658	ARVIND KUMAR PARISH	NO119147	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति मेल वर्ग में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.68 जो कि अनुसूचित जाति मेल सामान्य वर्ग की कट ऑफ 65.27 प्रतिशत से अधिक होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित होने का उल्लेख कर चयन सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
659	ARVINDA KUMARI	NO196284	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कोविड अवधि के बोनस अंकों को जोड़कर ओबीसी जाति वर्ग में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.270 जो कि ओबीसी फिमेल जाति वर्ग की कट ऑफ लगभग 66.41 प्रतिशत से अधिक होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित होने का उल्लेख कर चयन सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
660	ASHA CHOUDHARY	NO185284	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.547 प्रतिशत जो कि ओबीसी कैटेगरी में फिमेल की कट ऑफ 66.41 प्रतिशत से ज्यादा होने पर भी चयन सूची में नाम नहीं आने का का उल्लेख कर चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांकों की गणना अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सैकण्डरी परीक्षा में 500 में 424 अंकों की अंकित किये गये थे जिन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान 650 में 424 संशोधित किया गया है। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक द्वारा कोविड अवधि का कोविड स्वास्थ्य सहायक पद का 318 दिवस का जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। जिसके आधार पर अभ्यर्थिया को अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर 15 बोनस अंका प्रदान कर वरीयता सूची में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
661	ASHA KUMAWAT	NO167303	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कोविड अवधि के बोनस अंकों को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.040 होने बावजूद भी चयन नहीं होने एवं स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
662	ASHOK KUMAR MEENA	NO189119	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति वर्ग में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.31 होने के बावजूद स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
663	AYAZ AHMED	NO202306	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर इंडल्यूएस श्रेणी में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 74.490 जबकि प्रार्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन हुआ है साथ ही प्रार्थी ने 02 अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये थे जिनका लाभ भी नहीं दिया गया है जबकि अन्य अभ्यर्थी जिनके पास हेल्थ एडवाइजरी ऑफिसर का	अभ्यर्थी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर द्वारा 1048 दिवस का जीएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंको सहित भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है एवं एक अन्य अनुभव प्रमाण पत्र हेल्थ एडवाइजरी ऑफिसर पद का प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञापित में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।




			अनुभव प्रमाण पत्र था उन्हें वरीयता सूची में सम्मिलित किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:- हेतराम NO163056, महेंद्र कुमार यादव NO169174, देवेंद्र सिंह NO129041, खुशीराम चौधरी NO139315 कमलेश टेलर NO143576, संजय कुमार जेडीवाल NO105536, जितेंद्र कुमार गौड़ NO159126 सूची में दिये गए अभ्यर्थी का अनुभव हेल्थ एडवाइजरी ऑफिसर के पद का है। अतः इन अभ्यर्थियों की तरह प्रार्थी को भी हेल्थ एडवाइजरी ऑफिसर के पद के अनुभव का लाभ देकर संशोधित अंतिम वरीयता सूची में सम्मिलित किये जाने के संबंध में निवेदन किया है।	लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थी का हेल्थ एडवाइजरी ऑफिसर के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। इस प्रकार 20 बोनस अंको सहित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.419 उनके जातिवर्ग ईडब्ल्यूएस में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 72.336 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन से वंचित रहे है। परिवेदना में उल्लेखित आईडी क्रमांक NO169174, NO129041, NO139315, NO143576, NO159126 के अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच की गई जिसमें उक्त अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र हेल्थ एडवाइजरी ऑफिसर पद के है जिसके अनुसार बोनस अंको को अंतिम चयन सूची में संशोधित कर दिया जावेगा।	
664	BABITA KUMARI	NO153012	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कोविड में कार्य करने पर 15 बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.75 जो कि अनुसूचित जाति फिमेल श्रेणी की कट ऑफ 63.61 से अधिक होने का उल्लेख कर अनुभव की गणना कर बोनस अंको का लाभ देते हुये प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
665	BABITA MEENA	NO166905	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.300 जो कि अनुसूचित जनजाति फिमेल श्रेणी की कट ऑफ 62.050 से अधिक होने का उल्लेख कर प्रोविजनल लिस्ट व फाइनल लिस्ट में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
666	BABLU KHINCHI	NO180348	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.24 जो कि अनुसूचित जाति फिमेल श्रेणी की कट ऑफ 63.61 से अधिक होने का उल्लेख कर प्रोविजनल लिस्ट में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
667	BAHADUR MEENA	NO212999	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंको का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

668	BALA KUMARI	NO159084	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति वर्ग में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.790 होने के बावजूद चयन नहीं होने एवं प्रार्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर कोविड अवधि में कार्य करने पर बोनस अंको का लाभ देकर वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
669	BALI DEVI	NO191585	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कोविड अवधि में कार्य करने पर 15 बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.65 होने का उल्लेख किया है जबकि ओबीसी श्रेणी की कट ऑफ लगभग 66.14 प्रतिशत पर अन्तिम अभ्यर्थी चयनित हुआ है। अतः बोनस अंको का लाभ देते हुये प्रोविजनल सूची में नियमानुसार नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
670	BASNTI DEIWAL	NO197199	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 मे रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंको का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
671	BAYLA MEGHWAL	NO195410	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.03 जो कि अनुसूचित जाति फिमेल वर्ग की कट ऑफ लगभग 63.61 से अधिक है का उल्लेख कर बोनस अंको का लाभ देकर अंतिम वरियता सूची में नाम शामिल करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
672	BEENA JAT	NO200992	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर परित्यक्ता श्रेणी का लाभ देकर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में न्यायालय द्वारा जारी डिक्री प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण विच्छिन्न विवाह वर्ग के आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थिया ने ऑनलाईन आवेदन पत्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा कोविड अवधि का जारी 227 दिवस कोविड स्वास्थ्य सहायक पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। जिसका बोनस 15 अंक बनता है। अभ्यर्थिया को 15 बोनस अंक दिये जाकर वरियता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
673	BHAGWANTI BALAI	NO186497	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कोविड अवधि में कार्य करने पर 15 प्रतिशत बोनस अंक जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.64 जो अनुसूचित जाति फिमेल वर्ग की कट ऑफ 63.61 प्रतिशत से	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			अधिक होने के बावजूद चयन सूची में नाम नहीं आने का उल्लेख कर अन्तिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
674	BHAGYASHREE MAHERA	NO178585	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 15 प्रतिशत बोनस अंक जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.460 जो सामान्य फिमेल श्रेणी की कट ऑफ 69.24 प्रतिशत से अधिक होने के बावजूद चयन सूची में नाम नहीं आने का उल्लेख कर अन्तिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
675	BHANU SHARMA	NO177525	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर प्रोविजनल सूची में सामान्य वर्ग में अन्तम चयनित अभ्यर्थी से स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 75.74 अधिक होने का उल्लेख कर अन्तिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ साइकिएट्रिक नर्स पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। साइकिएट्रिक नर्स का कार्य नर्सिंग ऑफिसर पद के समान नहीं है। साइकिएट्रिक नर्स का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष रखे जाने वाले एजेण्डे में सम्मिलित है। नीति निर्धारण समिति द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अनुरूप कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
676	BHARAT DEWASI	NO167352	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर एमबीबीएस एनसीएल श्रेणी में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.080 से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर अंतरीम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
677	BHARAT KUMAR MEGHWAL	NO198071	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जाये।
678	BHARAT LAL BAIRWA	NO170066	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 78.050 होने का उल्लेख कर ESIC Hospital Gurugram द्वारा जारी अनुभव पत्र को मान्य कर बोनस अंको का लाभ दिया जाकर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया का अनुभव अन्य राज्य का होने से अनुभव का लाभ देय नहीं है। विशेष अनुमति याचिका सं 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता की मांग को अन्य राज्य का अनुभव होने के आधार पर खारिज कर दिया है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य अनुभव प्रमाण पत्र जो कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर द्वारा कोविड अवधि का 31 दिवस का जारी किया गया है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 15 बोनस अंक प्रदान किये जा चुके हैं। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.786 बनते हैं जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्रतिशत प्राप्तांकों 65.275 से कम होने के चयन से वंचित है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
679	BHAVESH	NO202067	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।




	MEGHWAL		वर्ग की कट ऑफ से अधिक अंक होने एवं सीएचओ के पद का अनुभव होने के बावजूद चयन नहीं होने का उल्लेख कर अंतिम चयन सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
680	BHAWANA KUMARI	NO173667	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 15 प्रतिशत बोनस अंकों को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.09 जो कि अनुसूचित जाति फिमेल श्रेणी की कट ऑफ 63.61 से अधिक होने का उल्लेख कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
681	BHAWANA SHARMA	NO158059	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 58.130 होने के बावजूद भी चयन नहीं हुआ है जबकि प्रार्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
682	BHAWANA KUMARI	NO152937	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर बोनस अंकों लाभ नहीं दिये जाने के कारण चयन नहीं होने का उल्लेख कर बोनस अंकों का लाभ देकर चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
683	BHOP RAJ JAT	NO192981	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि विभाग के द्वारा नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2018 निकाली गयी जिसमें पर्याप्त योग्यता एवं अनुभव होने पर भी विभाग द्वारा प्रार्थी को भर्ती प्रक्रिया से वंचित रखा गया जिसके उपरान्त प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रघुनन्दन पुरोहित एवं अन्य बनाम सरकार सिविल याचिका प्रस्तुत की गयी जिसके क्रमांक 9189/2018 है जिसका अंतरिम निस्तारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09.03.2021 को प्रार्थी के पक्ष में किया गया जिसके पश्चात विभाग द्वारा उक्त निर्णय के विपक्ष में उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष विशेष अपील याचिका सरकार बनाम रघुनन्दन पुरोहित एवं अन्य जिसके क्रमांक 523/2022 प्रस्तुत	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ सामान्य चिकित्सालय, चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी जीएनएम ट्रेनिंग सेन्टर पर नर्सिंग ट्यूटर के पद पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। नर्सिंग ट्यूटर पद का कार्य नर्सिंग आफिसर के समान नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान है जिसका संबंध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। समान प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा डी0बी0 याचिका संख्या 63/2022 में राज्य पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा कोविड अवधि का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 15 बोनस अंक प्रदान किये जा चुके हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।




			की गयी जो की अभी भी विचाराधीन है। न्यायालय के समक्ष उपरोक्त प्रकरण अभी भी विचाराधीन होने से प्रार्थी को नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 की भर्ती प्रक्रिया से वंचित किया जाना न्योयोचित नहीं है। अतः न्यायालय के अंतिम निर्णय तक प्रार्थी को भर्ती प्रक्रिया से वंचित ना किया जाकर चयनित सूची सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
684	BIMLA RANWAN	NO196118	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.58 जो कि ओबीसी एनसीएल फिमेल श्रेणी की कट ऑफ 66.41 से अधिक होने का उल्लेख कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
685	BINDU SHARMA	NO189488	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में ईडब्ल्यूएस फिमेल श्रेणी में प्रार्थी को 10 अंक बोनस स्वरूप दिये गये जिससे प्रार्थिया के कुल प्राप्त प्रतिशत 64.433 हो रहे है जबकि प्रार्थी को कोरोना अवधि में कार्य करने के कारण 15 बोनस अंक देय है। अतः प्रार्थिया को 10 बोनस के स्थान पर 15 बोनस अंक देकर वरियता संशोधित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ के साथ 2 वर्ष से कम अवधि के कुल दो अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं, जिनमें से एक कोविड अवधि का होने से 15 बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
686	BIRBAL KASHWAN	NO194876	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल 1204 दिवस का कार्यानुभव होने के बाद भी बोनस अंको का लाभ नहीं दिये जाने का उल्लेख कर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
687	BIRBAL NAHALIYA	NO180525	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.410 होने के उपरान्त भी चयन नहीं होने एवं स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
688	BRIJ KISHOR	NO161602	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 76.780 जो की ईडब्ल्यूएस श्रेणी की कट ऑफ 72 प्रतिशत से अधिक होने के बावजूद चयन नहीं होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
689	BRIJRAJ NAMDEV	NO181041	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 75.560 जो कि ओबीसी एनसीएल	अभ्यर्थी को अनुभव प्रमाण पत्र के बिन्दु संख्या 8 में नहीं अंकित होने के कारण बोनस अंको का लाभ नहीं दिया जा सका। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ कुल 1208	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			की कट ऑफ 70 प्रतिशत से अधिक होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल लिस्ट व फाईनल लिस्ट में जोड़ने के संबंध में निवेदन किया है।	दिवस अनुभव दिवसों के प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं। अतः अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
690	BUDDHI PRAKASH MEENA	NO147115	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 74.150 जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की कट ऑफ 63.06 प्रतिशत से अधिक होने का उल्लेख कर अनुभव का लाभ देते हुये स्वयं का नाम प्रोविजनल लिस्ट में जोड़ने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
691	BUGLI DEVI	NO186844	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.340 जो कि एमबीसी एनसीएल वर्ग की कट ऑफ 58 प्रतिशत से अधिक होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल लिस्ट में जोड़ने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
692	BULKESH	NO176856	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.630 जो कि ओबीसी फिमेल श्रेणी वर्ग की कट ऑफ 66.41 प्रतिशत से अधिक होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल लिस्ट में जोड़ने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
693	BULKESH	NO197479	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
694	CHANCHAL DEORA	NO153868	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
695	CHANCHAL GUPTA	NO205041	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर सीएचओ पद के कार्यानुभव के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक जोड़कर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.64 प्रतिशत होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर सीएचओ पद का अनुभव के आधार पर बोनस अंक देते हुये प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
696	CHANDA GURJAR	NO159460	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 15 प्रतिशत बोनस अंक जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.425 जो की एमबीसी एनसीएल फिमेल श्रेणी की कट ऑफ 58.66 प्रतिशत से अधिक होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।



697	CHANDRA BHAN	NO164761	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा जारी 6 वर्ष 8 माह 3 दिवस का 108 एम्बुलेंस पर नर्सिंग कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जिस कारण से इन्हें 30 बोनस अंकों का लाभ देय है जबकि अभ्यर्थी को कोविड अवधि का ही लाभ प्रदान किया गया है। अतः अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर 30 बोनस अंकों का लाभ प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
698	CHANDRA KANWAR	NO217666	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 15 प्रतिशत बोनस अंक जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67 जो की ईडब्ल्यूएस महिला श्रेणी की कट ऑफ लगभग 55 प्रतिशत से अधिक होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	ऑनलाइन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 10.01.2023 का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। अनुभव जारी करने हेतु निर्धारित परिशिष्ट 'अ' में स्पष्ट अंकित है कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
699	CHANDRA KUMARI	NO201465	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.480 होने के उपरान्त भी चयन नहीं होने एवं स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
700	CHANDRA PRAKASH VERMA	NO148187	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 30 प्रतिशत बोनस अनुभव के आधार पर जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 71.120 जो की अनुसूचित जाति श्रेणी की कट ऑफ 65.277 प्रतिशत से अधिक होने के उपरान्त भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में स्वयं का नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
701	CHAVALI MEENA	NO177009	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति श्रेणी में स्वयं के प्राप्तांक प्रतिशत 15 प्रतिशत के अनुभव को जोड़कर कुल प्राप्तांक 62.870 प्रतिशत होना बताते हुये अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग की कट ऑफ 62.05 प्रतिशत से ज्यादा होने का उल्लेख करते हुये प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
702	CHETAN LAL DODA	NO197748	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति श्रेणी में अनुभव के आधार पर 20 बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 67.320	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			प्रतिशत होना बताते हुये अनुसूचित जनजाति सामान्य वर्ग की कट ऑफ 63.061 प्रतिशत से ज्यादा होने का उल्लेख करते हुये प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
703	CHETANA	NO179102	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल श्रेणी में अनुभव के आधार पर 15 बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 71.840 प्रतिशत होना बताते हुये ओबीसी एनसीएल वर्ग की कट ऑफ 66.44 प्रतिशत से ज्यादा होने का उल्लेख करते हुये प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
704	CHHAYA KUMARI MEGHWAL	NO188743	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति वर्ग में स्वयं के कुल प्रतिशत प्राप्तांक 63.92 जो कि अनुसूचित जाति महिला वर्ग की कट ऑफ 63.61 प्रतिशत से अधिक होने के उपरान्त भी अन्तरिम चयन सूची में नाम नहीं आने पर अनुभव का लाभ देते हुये नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने ऑनलाईन आवेदन पत्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा कोविड अवधि का जारी 241 दिवस का कोविड स्वास्थ्य सहायक पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। जिसका बोनस 15 अंक बनता है। अभ्यर्थिया के अनुभव प्रमाणपत्रों के पुनर्सत्यापन के आधार पर 15 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
705	DANISH KHAN	NO168310	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर जनरल ईडब्ल्यूएस श्रेणी में स्वयं के कुल प्राप्तांक 74.400 प्रतिशत होना बताते हुये सामान्य ईडब्ल्यूएस श्रेणी की कट ऑफ 72.33 से ज्यादा होने का उल्लेख कर स्वयं का प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने ऑनलाईन आवेदन पत्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ द्वारा जारी 1126 दिवस जीएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। जिसका बोनस 30 अंक बनता है। अभ्यर्थिया को 30 बोनस अंक के स्थान पर 15 बोनस अंक प्रदान किये गये हैं। अभ्यर्थिया के अनुभव प्रमाणपत्रों के पुनर्सत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को पूर्व में दिये गये 15 बोनस अंकों के स्थान पर 30 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
706	DANISH KHAN	NO144562	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल श्रेणी में स्वयं के 30 प्रतिशत बोनस अंक जोड़ते हुये कुल प्राप्तांक 82.840 प्रतिशत होना बताते हुये ओबीसी एनसीएल मेल श्रेणी की कट ऑफ 70.21 प्रतिशत से ज्यादा होने का उल्लेख कर स्वयं का प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने ऑनलाईन आवेदन पत्र में एसआरजी चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज झालावाड़ द्वारा जारी 1725 दिवस जीएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। जिसका बोनस 30 अंक बनता है। अभ्यर्थिया को अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर 30 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
707	DAYA GURJAR	NO161712	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के एमबीसी एनसीएल श्रेणी की कट ऑफ 58.816 से ज्यादा कुल प्रतिशत प्राप्तांक 59.660 होना बताते हुये अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
708	DEENDAYAL MEENA	NO212732	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।



				केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
709	DEEP SHRI SHARMA	NO212707	अभ्यर्थी द्वारा कोविड काल में कार्य किये जाने पर 15 बोनस अंक जोड़ते हुये स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.110 बताया है जो ईडब्ल्यूएस महिला श्रेणी की कट ऑफ 55.84 प्रतिशत से ज्यादा होने का उल्लेख करते हुये प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य विकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर द्वारा जारी कुल 531 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसमें अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण इन्हें बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन के अनुसार बोनस अंको पर निर्णय लिया जायेगा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
710	DEEPAK	NO198730	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी श्रेणी की कट ऑफ 70.21 प्रतिशत से स्वयं के प्राप्तांक प्रतिशत 76.61 ज्यादा बताते हुये प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। साथ ही उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय संख्या 7921/2023 की प्रति संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा ईसीजी टेक्नीशियन का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञापित में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थी का ईसीजी टेक्नीशियन के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। अतः इन्हें नर्सिंग ऑफिसर के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा 03 और जारी अनुभव प्रमाण पत्र कोविड अवधि के कुल 494 दिवस के प्रस्तुत किये गये जिनके आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.607 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
711	DEEPAK REGAR	NO180738	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।



712	DEEPIKA	NO195550	अभ्यर्थियों द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
713	deepika	NO156253	अभ्यर्थियों ने परिवेदना प्रस्तुत कर 15 प्रतिशत बोनस अंकों को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.920 जो की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ लगभग 55 प्रतिशत से ज्यादा होने का उल्लेख कर स्वयं को अनुभव का लाभ देते हुये अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
714	DEEPIKA KUMARI NAYAK	NO209446	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर 15 प्रतिशत बोनस अंकों को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.400 जो की एमबीसी एनसीएल सामान्य वर्ग की कट ऑफ 58 प्रतिशत से ज्यादा होने का उल्लेख कर अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
715	DEEPIKA KUMAWAT	NO190483	अभ्यर्थियों ने परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी वर्ग में स्वयं के कुल प्राप्तांक 65.350 प्रतिशत होने का उल्लेख कर अन्तरिम चयन सूची में अनुभव का लाभ देते हुये नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
716	DEEPIKA LOHAR	NO194751	अभ्यर्थियों ने परिवेदना प्रस्तुत कर 1122 दिवसों का विभिन्न सस्थानों से जारी अनुभव प्रमाण पत्रों का उल्लेख कर 30 बोनस अंक देते हुये अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ 3 अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं जिनकी कुल अवधि 488 235, 399 दिवस अर्थात 3 वर्ष से अधिक होने के कारण 30 बोनस अंकों का लाभ देय है। अतः अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर 30 बोनस अंक दिये जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
717	DEEPIKA SHARMA	NO188657	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव के आधार पर बोनस अंकों को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.750 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
718	DEEPIKA SONI	NO196325	अभ्यर्थियों ने परिवेदना प्रस्तुत कर 15 प्रतिशत बोनस	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति	पकरण में नीति निर्धारण

			अंक एवं जीएनएम इन्टरशिप मार्कशीट के नम्बर जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.126 है जो की ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग की कट ऑफ 66.41 प्रतिशत से ज्यादा होने का उल्लेख कर अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
719	DEEPMALA	NO190004	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग की कट ऑफ से ज्यादा होने का उल्लेख कर कोविड में किये गये कार्य का बोनस अंक जोड़कर चयन सूची में नाम जोड़ने के लिये निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में भाननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
720	DEEPTI KUMARI	NO156633	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 15 बोनस अंक जोड़ते हुये स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.080 बनने का उल्लेख कर अंतिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
721	DEEPU KUMARI	NO183485	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 15 बोनस अंक जोड़ते हुये ओबीसी एनसीएल वर्ग की कट ऑफ 66.43 प्रतिशत से स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.520 प्रतिशत ज्यादा होने का उल्लेख कर अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
722	DEV KARAN GURJAR	NO162945	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 12वीं कक्षा एवं जीएनएम के जोड़कर 49.57 प्रतिशत अंक में 15 बोनस अंक और जोड़कर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.57 प्रतिशत होने के बावजूद चयन सूची में नाम नहीं आया जबकि अभ्यर्थी ने कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन हुआ है इसलिये बोनस अंको का लाभ देते हुये चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
723	DEV NARAYAN GURJAR	NO130044	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर एमबीबीएस एनसीएल सामान्य की कट ऑफ लगभग 64 प्रतिशत से स्वयं के कुल प्राप्तांक 30 बोनस अंको को जोड़कर 73.650 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाईन आवेदन पत्र में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उप जिला चिकित्सालय, चाकसू जोधपुर द्वारा जारी 1119 दिवस जीएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। जिसका बोनस 30 अंक बनता है। अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाणपत्रों के पुनर्सत्यापन के आधार पर 30 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
724	DEVI LAL	NO178456	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरीयता सूची में कम संख्या 3502 पर प्रार्थी का चयन हुआ है जिसके अनुसार प्रार्थी के 68.918 अंक और अनुभव	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 108 एम्बुलेंस पर नर्सिंग कमी के कार्य का 1571 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर 30 बोनस अंको का लाभ देय है। अतः अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर 30 बोनस	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।




			के 15 अंक दर्शाये गये जो की सही नहीं है वास्तव में प्रार्थी के अनुभव के 30 बोनस अंक होने चाहिये जिसके अनुसार कुल प्राप्तांक प्रतिशत 83.92 होनी चाहिये का उल्लेख कर अंतरिम वरियता सूची में संशोधन करने हेतु निवेदन किया है।	अंक दिये जाना प्रस्तावित है।	
725	DEVPAL MEENA	NO195905	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचिज जनजाति की कट ऑफ लगभग 63.06 प्रतिशत से स्वयं के कुल प्राप्तांक 15 बोनस अंको को जोडकर 65.540 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
726	DHARMENDRA KHILERI	NO197842	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल श्रेणी में आवेदन कर 12वीं में 81.38 प्रतिशत तथा बीएससी नर्सिंग में 73.75 एवं कोविड के दौरान कार्य करने पर 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ देने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
727	DHARMENDRA KUMAR JATAV	NO107736	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचिज जाति वर्ग की कट ऑफ 65.27 प्रतिशत से ज्यादा स्वयं के 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोडकर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.860 होने का उल्लेख कर प्रोविजनल लिस्ट में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
728	DHARMENDRA NAGAR	NO189247	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल वर्ग की कट ऑफ 70.21 प्रतिशत से स्वयं के कुल प्राप्तांक 70.48 प्रतिशत ज्यादा होने का उल्लेख कर अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां द्वारा जारी 865 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसका 20 बोनस अंको का लाभ देय है। अतः अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर पूर्व में दिये गये 15 बोनस अंको के स्थान पर 20 बोनस अंक दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
729	DHEERAJ KUMAR JAIN	NO203467	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 72.510 होने पर भी चयन नहीं होने एवं स्वयं से कम प्रतिशत वाले	अभ्यर्थी ने ऑनलाईन आवेदन पत्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर द्वारा जारी 2228 दिवस जीएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। जिसका बोनस 30 अंक बनता है। अभ्यर्थी को 30 बोनस अंक के स्थान पर 15 बोनस	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अंक प्रदान किये गये हैं। अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाणपत्रों के पुनस्त्यापन के आधार पर अभ्यर्थियों को पूर्व में दिये गये 15 बोनस अंकों के स्थान पर 30 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	
730	DHRUV SINGH	NO172277	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव के आधार पर 30 बोनस अंक जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.50 जो की ओबीसी एनसीएल की कट ऑफ 70.21 प्रतिशत से ज्यादा होने का उल्लेख कर ओबीसी एनसीएल श्रेणी का नया प्रमाण पत्र का मान्य कर प्रोविजनल सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
731	DIKSHA SHARMA	NO185601	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग की श्रेणी में स्वयं के कुल प्राप्तांक 64.53 प्रतिशत होने का उल्लेख कर कोविड अवधि में कार्य करने पर अनुभव का लाभ 15 बोनस अंक देते हुये प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
732	DIMPAL KUMARI	NO198257	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल महिला श्रेणी की कट ऑफ 66.41 प्रतिशत से ज्यादा स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.73 होना बताते हुये स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
733	DIMPLE KUMARI ARYA	NO183727	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति महिला श्रेणी की कट ऑफ लगभग 60 प्रतिशत से ज्यादा स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.540 होना बताते हुये स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
734	DINESH CHAND JALWANIA	NO176623	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
735	DINESH KUMAR	NO185288	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
736	DINESH KUMAR GARG	NO171879	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक देने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
737	DINESH	NO204231	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति	प्रकरण में नीति निर्धारण

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

	PANCHAL		दस्तावेज संलग्न किये हैं।	निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
738	DIVYA MEENA	NO211219	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कोविड अवधि में कार्य करने पर 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर कुल प्राप्तांक 62.47 प्रतिशत जो की अनुसूचित जनजाति श्रेणी की कुल कट ऑफ 62.05 से ज्यादा होने का उल्लेख कर बोनस अंको का लाभ देकर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
739	DURGA KUMARI VYAS	NO207676	अभ्यर्थियों द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
740	DURGA SHANKAR NAGAR	NO209337	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल वर्ग में स्वयं के कुल प्राप्तांक 71 प्रतिशत होने का उल्लेख कर अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी 3 अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं। जिसमें से 2 प्रमाणपत्र 7900/- प्रतिमाह वेतन पर सी.एच.ओ./जी.एन.एम. पद पर कोविड के दौरान नर्सिंग कार्य के हैं। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। शेष एक अन्य अनुभव प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी कुल 278 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें अभ्यर्थी का अनुभव उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। तदनुसार निस्तारित किया जाता है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
741	EKTA	NO198546	अभ्यर्थियों ने परिवेदना प्रस्तुत कर इंडब्ल्यूएस श्रेणी में	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति	प्रकरण में नीति निर्धारण



	GAUTTAM		आवेदन कर अनुभव का लाभ देते हुये अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
742	FARZANA	NO192248	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग की कट ऑफ 66 प्रतिशत से स्वयं के ज्यादा कुल प्राप्तांक 68.20 प्रतिशत होने का के बावजूद चयन नहीं होने पर चयन सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
743	GAJENDRA SINGH PARMAR	NO197506	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर द्वारा जारी 21.05.2021 से 27.05.2021 तक 7 दिवस का अनुभव प्रमाण संलग्न किया जिसमें भुगतान शून्य दर्शाया गया है जिसका अनुभव सत्यापन योग्य नहीं होने के कारण अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। एक अन्य प्रमाण पत्र 172 दिवस का है जो कोविड अवधि के उपरान्त का एक वर्ष से कम का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। नीति निर्धारण समिति द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णयानुसार यदि भुगतान हो गया हो अथवा भुगतान योग्य हो तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा तदनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
744	GANESH LAL GUJAR	NO153017	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर एमबीबीएस वर्ग में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 74.01 होना बताते हुये सीएमएचओ भीलवाडा एवं जोइन्ट डायरेक्टर अजमेर द्वारा बिन्दु 6.2 क्या संपादित कार्य विज्ञापित पद के कार्य के समान है उक्त कॉलम में सीएमएचओ भीलवाडा एवं जोइन्ट डायरेक्टर द्वारा हां कर उसकी पुष्टि की गई लेकिन विभाग द्वारा प्रार्थी का चयन नर्सिंग ऑफिसर के पद पर प्रोविजनल सूची में सम्मिलित नहीं करने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
745	GARGEE	NO191625	अभ्यर्थियों ने परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति महिला वर्ग में 12वीं कक्षा में 66.80 तथा बीएससी नर्सिंग में प्रथम वर्ष 70.93 द्वितीय वर्ष 70.61 तृतीय वर्ष 77.86 एवं चतुर्थ वर्ष में 70.14 साथ ही कोविड अवधि में कार्य करने पर 15 बोनस अंक जोड़कर कुल 63.750 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
746	GAURAV GOSWAMI	NO162020	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 973 दिवसों को 3 वर्ष 1 माह 11 दिन मानते हुये बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर दस्तावेज सत्यापन हेतु डेढ गुना बुलाये गये अभ्यर्थियों की सूची में नाम सम्मिलित कराये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें अभ्यर्थी को किये गये भुगतान के अनुसार 973 दिवस की अवधि का अनुभव जारी किया गया है। जिसके अनुसार अभ्यर्थी को 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। अभ्यर्थी द्वारा 973 दिवस को 3 वर्ष का अनुभव माने जाने हेतु निवेदन किया है। अतः अनुभव पुनर्सत्यापन के आधार पर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।



747	GAYTRI SHARMA	NO158240	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग की कट ऑफ 55.84 प्रतिशत से ज्यादा स्वयं के कुल प्राप्तांक 70.100 प्रतिशत होने एवं स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर अंतरिम वरियता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
748	GAZALA KHANAM	NO209404	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.634 होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
749	GEETA DAMOR	NO211285	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति की कट ऑफ 62 प्रतिशत से ज्यादा 15 प्रतिशत बोनस अंको का जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 63.030 होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
750	Geeta Godara	NO174027	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंको का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
751	GEETA JAT	NO151092	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 3 वर्ष 3 माह 2 दिन अनुभव होने के कारण बोनस अंक 20 के स्थान पर 30 बोनस अंको का लाभ देकर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने ऑनलाईन आवेदन पत्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर द्वारा जारी 1186 दिवस जीएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। जिसका बोनस 30 अंक बनता है। अभ्यर्थिया को 30 बोनस अंक के स्थान पर 20 बोनस अंक प्रदान किये गये हैं। अभ्यर्थिया के अनुभव प्रमाणपत्रों के पुनर्सत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को पूर्व में दिये गये 20 बोनस अंको के स्थान पर 30 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
752	Geeta kumari	NO182078	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ईडब्ल्यूएस श्रेणी की कट ऑफ 55 प्रतिशत से ज्यादा 15 बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 60.79 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर द्वितीय द्वारा जारी कुल 467 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसमें अनुभव उप स्वास्थ्य केन्द्र, शयोरवाली पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंको का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।



				नियुक्त सी.एच.ओ. का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण इन्हे बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिया जायेगा।	
753	GEETA MOBARSA	NO152574	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.54 प्रतिशत से कम वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
754	GEETA RANWA	NO172266	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी महिला श्रेणी की कट ऑफ 66.41 प्रतिशत से ज्यादा इन्टर्नशिप के अंक जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 67.49 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
755	GEETIKA KUMARI	NO177923	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति श्रेणी की कट ऑफ 63.61 से ज्यादा 15 प्रतिशत बोनस अंकों को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 64.900 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनको नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
756	GIRIRAJ	NO146471	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल श्रेणी की कट ऑफ 70.211 से ज्यादा 30 प्रतिशत बोनस अंकों को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 75.060 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
757	GIRJA BARANDA	NO195489	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 15 प्रतिशत बोनस अंकों को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.180 जो कि न्यूनतम कैटेगरी कट ऑफ से ज्यादा है का उल्लेख कर अंतिम वरियता सूची में नाम शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
758	GITIKA SHEKHAWAT	NO184330	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.210 से कम अंक वाले अभ्यर्थी 55.864 प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का नाम चयन सूची में सम्मिलित करने का उल्लेख कर चयन सूची को संशोधित कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
759	GOURA DEVI	NO177944	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर एमबीसी	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति	प्रकरण में नीति निर्धारण



	GURJAR		एनसीएल महिला श्रेणी की कट ऑफ 58 प्रतिशत से ज्यादा स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.820 होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
760	GOVIND NARAYAN	NO212647	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव के आधार पर 20 बोनस अंक जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.49 होने के बावजूद स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
761	GOVIND SINGH	NO206379	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर एनबीसी एनसीएल श्रेणी की कट ऑफ 64.24 प्रतिशत से ज्यादा स्वयं के कुल प्राप्तांक 66.38 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
762	GYANPRAKASH SUTHAR	NO197190	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं कुल प्राप्तांक प्रतिशत 80.230 दिये गये जो की निम्नानुसार गणना की गयी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर मेट्रो मानस अरोग्य सदन एण्ड मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल मानसरोवर जयपुर में 720 दिवस कार्य किया गया, सीएचओ के पद पर कोविड रोकथाम तथा सीएचओ के पद पर नर्सिंग संबंधित एवं रिकार्ड संधारण कार्य एवं नेशनल हेल्थ कार्यक्रम के तहत समस्त कार्य संपादन हेतु 526 दिवस कार्य किया गया है जो कि कुल दिवस 1246 दिवस कार्य किया गया है जो कि नर्सिंग ऑफिसर पद के समान कार्य है का उल्लेख कर बोनस अंको का लाभ देते हुये प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
763	HANISH KHAN	NO149624	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल वर्ग में अनुभव के आधार पर 30 बोनस अंक जोड़कर कुल प्राप्तांक 76.36 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाईन आवेदन पत्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द द्वारा जारी 1103 दिवस का ईएमटी पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। जिसका बोनस 30 अंक बनता है। अभ्यर्थी को 30 बोनस अंक के स्थान पर 15 बोनस अंक प्रदान किये गये हैं। अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाणपत्रों के पुनर्सत्यापन के आधार पर अभ्यर्थी को पूर्व में दिये गये 15 बोनस अंकों के स्थान पर 30 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
764	HANISH KHAN	NO150585	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर इंडब्ल्यूएस वर्ग में अनुभव के आधार पर 20 बोनस अंक जोड़कर कुल प्राप्तांक 76.99 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाईन आवेदन पत्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली द्वारा जारी 836 दिवस जीएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। जिसका बोनस 20 अंक बनता है। अभ्यर्थी को 20 बोनस अंक के स्थान पर 15 बोनस अंक प्रदान किये गये हैं। अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाणपत्रों के पुनर्सत्यापन के आधार पर अभ्यर्थी को पूर्व में दिये गये 15 बोनस अंकों के स्थान पर 20 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

765	HANS RAJ GURJAR	NO189807	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर एमबीसी वर्ग की कट ऑफ 64.24 से ज्यादा 15 बोनस अंक जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 64.39 होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
766	HANSA	NO168752	अभ्यर्थियों द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
767	HANSA JAT	NO175877	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में स्वयं के कुल प्राप्तांक 75.870 प्रतिशत होने का उल्लेख कर स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने ऑनलाईन आवेदन पत्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर द्वारा जारी 640 दिवस एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा जारी 581 दिवस कुल 1221 दिवस का जीएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। जिसका बोनस 30 अंक बनता है। अभ्यर्थिया को 30 बोनस अंक के स्थान पर 15 बोनस अंक प्रदान किये गये हैं। अभ्यर्थिया के अनुभव प्रमाणपत्रों के पुनर्सत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को पूर्व में दिये गये 15 बोनस अंकों के स्थान पर 30 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
768	HANSA REDDY	NO133349	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति महिला वर्ग की कट ऑफ 63.61 से ज्यादा स्वयं के कुल प्राप्तांक 64.670 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
769	HARENDRA SINGH	NO146636	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर द्वारा जारी 730 दिवस का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसके अनुसार 20 बोनस अंकों का लाभ देय है। अतः अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
770	HARI KESH GURJAR	NO200015	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
771	HARI RAM BAIRWA	NO189132	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति वर्ग की कट ऑफ लगभग 65.27 प्रतिशत से ज्यादा स्वयं के कुल प्राप्तांक 65.830 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर द्वारा जारी कुल 602 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किय है जिनमें अभ्यर्थी का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार वेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक. 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच. ओ. का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण इन्हे बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
772	HARIMOHAN	NO199977	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।



	MEENA		जनजाति वर्ग की कट ऑफ 63.06 से ज्यादा स्वयं के कुल प्राप्तांक 64.260 प्रतिशत होने का उल्लेख प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
773	HARISH KUMAR	NO170833	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत अनुसूचित जाति वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी 65.27 प्रतिशत से ज्यादा 15 प्रतिशत बोनस अंक जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 69 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
774	HARISH PARALIYA	NO201673	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत अनुसूचित जनजाति जाति वर्ग की कट ऑफ 63.01 प्रतिशत से ज्यादा 15 प्रतिशत बोनस अंक जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 71.560 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
775	HARMAN SINGH MEENA	NO189875	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति वर्ग में आवेदन कर अनुभव का लाभ देकर स्वयं के कुल प्राप्तांक 63.490 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
776	HARVINDER KAUR	NO203367	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अभ्यर्थिया ने अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर केटेगरी में 66.55: प्राप्तांक होने के उपरान्त भी अन्तरिम वरियता सूची में नाम नहीं है जबकि अभ्यर्थिया से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम सम्मिलित है। अतः अभ्यर्थिया ने बोनस अंक की जांच कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
777	HEERA	NO152633	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि दस्तावेज सत्यापन लिस्ट के अनुसार 3 वर्ष का 30 अंक कार्य अनुभव दिया जाए या कोविड-19 में किये गये कार्य और रामेरिसो प्लेसमेंट एजेंसी में	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

BR

2

3

6

H. J.

			किये गये कार्य 702+कोविड 19= 832 दिवस 02 वर्ष का अनुभव बोनस का लाभ देने के साथ अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।		
778	HEMA PRAJAPAT	NO201804	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अभ्यर्थिया ने अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर केटेगरी में 66.55: प्राप्तांक कट ऑफ से ज्यादा होने के उपरान्त भी अन्तरिम वरियता सूची में नाम नहीं है। अतः अभ्यर्थिया ने अन्तिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
779	HEMA RAM	NO161364	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर पुरुष केटेगरी में 73.170: प्राप्तांक होने के पश्चात भी मेरा नाम अन्तरिम वरियता सूची में नहीं है। जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक वालों का नाम शामिल है। अतः अभ्यर्थी ने अन्तरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
780	HEMANT KUMAR JOSHI	NO182094	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर में 76.410 प्रतिशत 30 बोनस अंक जोड़ने के पश्चात् बन रहे है जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर सामान्य की कट ऑफ लगभग 70.21 प्रतिशत पर ओबीसी-एनसीएल सामान्य का अन्तिम अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने अन्तिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा 878 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है, जिसमें अनुभव अवधि दिनांक 14.09.2013 से दिनांक 30.10.2016 तक कुल 03 वर्ष 01 माह 17 दिवस है। अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन का कार्य वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। अतः अभ्यर्थी के उक्त अनुभव प्रमाण पत्र का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर से पुनर्सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर अभ्यर्थी को देय बोनस अंको के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
781	HEMANT KUMAR SHARMA	NO201781	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ 909 दिवस के नर्सिंग ऑफिसर पद के समान कार्य के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिनके आधार पर अभ्यर्थी को 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। शेष मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा जारी कुल 401 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये है जिनमें अभ्यर्थी का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंको का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण इन्हे	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

782	HEMLATA	NO140017	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अनुसूचित जाति में 66.030 प्रतिशत अंक प्राप्त होने के पश्चात् भी सूची में नाम नहीं है। अतः अभ्यर्थिया ने अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
783	HEMLATA GURJAR	NO203724	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अति पिछड़ा वर्ग-नॉन-क्रीमी लेयर केटेगरी में 65.760: कोविड के 15 बोनस सहित बन रही है, जबकि अति पिछड़ा वर्ग-नॉन-क्रीमी लेयर केटेगरी में कट ऑफ लगभग 55 प्रतिशत पर अन्तिम अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
784	HEMLATA SEN	NO156844	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में एएनएम पदनाम का अनुभव प्रमाण पत्र (1520 दिवस) एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में 30 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 73.प्रतिशत होने का उल्लेख कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
785	HEMLATA SODYA	NO199328	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
786	HEMRAJ	NO187954	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अनुसूचित जनजाति केटेगरी में 64.420 प्रतिशत प्राप्तांक है, लेकिन कट ऑफ 63.06 प्रतिशत होने पर भी नाम सूची में नहीं है। अतः अभ्यर्थिया ने अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
787	HEMWATI SHARMA	NO184318	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर आर्थिक पिछड़ा वर्ग महिला में 64.68 प्रतिशत बोनस अंक सहित बन रही है, जबकि आर्थिक पिछड़ा वर्ग महिला कट ऑफ 55.84 प्रतिशत होने पर भी वरियता सूची में नाम नहीं है। अतः अभ्यर्थिया ने अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

8

81

7

8 Jan

				के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
788	HESMITA PRAJAPAT	NO183428	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर महिला में 71.030 प्रतिशत बोनस अंक सहित बन रही है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर महिला की कट ऑफ 69.24 प्रतिशत होने पर भी वरियता सूची में नाम नहीं है। अतः अभ्यर्थिया ने अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
789	HIMANSHU DOSI	NO186700	अभ्यर्थी द्वारा आर्थिक पिछड़ा वर्ग में आवेदन किया है एवं इएमटी पद का कोविड का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने बावत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डूंगरपुर द्वारा दिनांक 03.01.2022 से दिनांक 30.04.2023 तक कुल 482 दिवस का इएमटी पद का अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 15 बोनस अंक प्रदान किये गये हैं एवं अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ एक अन्य अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो डॉ० बी.आर.व्यास द्वारा निजी संस्थान का जारी अनुभव है, जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञापित की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थी के प्राप्तांको के औसत 57.184 प्रतिशत उनके जातिवर्ग (ईडब्ल्यूएस) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक 72.336 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
790	Himmat Teji	NO149397	अभ्यर्थी द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर में आवेदन किया है एवं स्वयं 30 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 74 प्रतिशत से ज्यादा होने पर भी चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने बावत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
791	HITESH MEENA	NO203423	अभ्यर्थी ने अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आवेदन किया है एवं स्वयं 15 बोनस जोड़ने के पश्चात् 64.420 बन रहे हैं जबकि कट ऑफ लगभग 63.01 प्रतिशत पर अन्तिम अभ्यर्थी चयनित हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने वरियता सूची में नाम ना आने का कारण स्पष्ट कराते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
792	HITESH SAHU	NO197605	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलावर द्वारा जीएनएम पद का 910 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है, जिसके	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

793	IMRAN ALI	NO162395	अभ्यर्थी ने अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर में आवेदन किया है एवं स्वयं 30 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 75.230 प्रतिशत से ज्यादा होने बताते हुए यह भी अवगत कराया है कि अनुभव प्रमाण पत्र में कॉलम 8 में सहवन से विभागीय गलती के कारण 'नहीं' अंकित हो गया है। अतः अभ्यर्थी ने निवेदन किया है कॉलम 8 में 'हाँ' मानते हुए प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करें।	आधार पर अभ्यर्थी को 20 बोनस अंक दिये जाने प्रस्तावित है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ जे.के.लोन. मातृ एवं शिशु चिकित्सालय कोटा द्वारा संविदा नर्स ग्रेड द्वितीय पद का 1461 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है, जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 30 बोनस अंक दिये जाने प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
794	INDIRA KUMARI RAIDAS	NO178354	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अनुसूचित जाति कटेगिरी में 64.590 प्रतिशत प्राप्तांक है, लेकिन कट ऑफ 63.61 प्रतिशत होने पर भी नाम सूची में नहीं है। अतः अभ्यर्थी ने अनुभव का लाभ देते हुए अन्तिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
795	INDIRA MEENA	NO187539	अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जनजाति में 66.120 प्रतिशत 20 बोनस अंक जोड़ने के पश्चात् बन रहे है जबकि अनुसूचित जनजाति महिला सामान्य की कट ऑफ लगभग 62.05 प्रतिशत पर अन्तिम अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
796	INDIRA KUMARI MEENA	NO199780	अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जनजाति में 62.570 प्रतिशत 15 बोनस अंक जोड़ने के पश्चात् बन रहे है जबकि अनुसूचित जनजाति महिला सामान्य की कट ऑफ लगभग 62.05 प्रतिशत पर अन्तिम अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
797	ISHU KUMARI BOSE	NO176971	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि उससे कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों का चयन सूची में नाम है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर 15 बोनस अंक का लाभ देते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
798	JAGDISH MEENA	NO184573	अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति में आवेदन किया है एवं 65.73 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि 65.27 वाले	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।


			अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।		
799	JAISA RAM	NO126586	अभ्यर्थी द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन-क्रीमी लेयर में आवेदन किया है एवं 73.210 प्रतिशत प्राप्तांक होने के बावजूद भी चयन सूची में नाम नहीं है, जबकि कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का चयन होना बताया है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
800	Jasoda	NO196457	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित जनजाति में 66.814 प्रतिशत 15 बोनस अंक जोड़ने के पश्चात् बन रहे है जबकि 66.430 तक वाले अभ्यर्थी को अन्तरिम वरियता सूची में शामिल किया गया है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर बोनस अंक जोड़कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
801	JASVEER RAIKA	NO103762	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
802	JASWANT KUMAWAT	NO195471	अभ्यर्थी द्वारा अनुभव पत्र संलग्न कर अवगत कराया है कि अनुभव की गणना मासिक आधार पर की जानी थी, किन्तु पीएमओ, निम्बहेड़ा द्वारा अनुभव की गणना 26 दिवस के आधार किये जाने के कारण अनुभव 03 वर्ष से कम की गई, जबकि अनुभव 03 वर्ष 04 दिन का है। अतः अभ्यर्थी ने अनुभव अवधि में संशोधित करते हुए प्रति संलग्न कर परिवेदना प्रस्तुत कर बोनस अंक जोड़कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी निम्बहेड़ा चित्तौड़गढ़ द्वारा 940 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है, जिसमें अनुभव अवधि दिनांक 01.05.2020 से दिनांक 04.05.2023 तक कुल 1099 दिवस अंकित है। अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन का कार्य वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। अतः अभ्यर्थी के उक्त अनुभव प्रमाण पत्र का संबंधित जारीकर्ता से पुनर्सत्यापन रिपोर्टके आधार पर अभ्यर्थी को देय बोनस अंको के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
803	JAYA KAYAT	NO202038	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में 68.640 प्रतिशत प्राप्तांक है, लेकिन कट ऑफ 62 प्रतिशत होने पर भी सूची में नाम नहीं है। अतः अभ्यर्थिया ने अन्तिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
804	JEETPAL MEENA	NO148328	अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जनजाति में 64.25 प्रतिशत 15 बोनस अंक जोड़ने के पश्चात् बन रहे है जबकि अनुसूचित जनजाति सामान्य की कट ऑफ लगभग 63.06 प्रतिशत पर अन्तिम अभ्यर्थी का चयन हुआ है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
805	jeevi kharadi	NO199016	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ पेंसिफिक मेडिकल कॉलेज, उदयपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत अन्य अनुभव प्रमाण पत्र जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर द्वारा सीएचए पद का जारी किया गया है, के आधार पर अभ्यर्थी को 15 बोनस अंक देय है। इस प्रकार अभ्यर्थी के प्राप्तांको के औसत 58.183 प्रतिशत बनते हैं, जो इनकी श्रेणी (अनुसूचित जनजाति वर्ग) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
806	JHUMA DEVI GURJAR	NO171636	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 60.76 प्रतिशत होने पर भी अन्तिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर बोनस अंक जोड़कर अन्तिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
807	Jitendra Kumar Meena	NO177201	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि स्वयं के 64.770 प्रतिशत 20 बोनस अंक जोड़कर प्राप्तांक है, जबकि कट ऑफ 63.061 प्रतिशत पर अंतिम अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
808	JOGENDRA SINGH	NO170585	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
809	JUSTEE JOHN	NO116482	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा किया गया कार्य साइकेट्रिक नर्स का है। नीति निर्धारण समिति में लिए जाने वाले निर्णय अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
810	JYOTI	NO153279	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित जाति में 64.96 प्रतिशत 15 बोनस अंक जोड़ने के पश्चात् बन रहे हैं जबकि अनुसूचित जाति महिला की कट ऑफ लगभग 63.61 प्रतिशत पर अन्तिम अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

811	JYOTI	NO149825	<p>अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि अनुभव के आधार पर 15 बोनस अंक जोड़ने के पश्चात् भी प्रोविजनल लिस्ट में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि श्रीमती सीमा ओझा पारीक (छल67763) का 20 बोनस अंक जोड़कर प्रोविजनल लिस्ट में नाम सम्मिलित है।</p> <p>अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर 15 बोनस अंक जोड़कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।</p>	<p>अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।</p>	<p>प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।</p>
812	JYOTI DEVI BUNKAR	NO155023	<p>अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि अनुसूचित जाति में 20 बोनस अंक जोड़कर 66.90 प्रतिशत प्राप्तांक है, जबकि अनुसूचित जाति महिला की कट ऑफ 63.61 प्रतिशत होने पर भी वरियता सूची में नाम नहीं है एवं अभ्यर्थिया ने 851 दिवस का अनुभव होना भी बताया है।</p> <p>अतः अभ्यर्थिया ने अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।</p>	<p>अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।</p>	<p>प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।</p>
813	JYOTI KULDEEP	NO167192	<p>अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि अनुसूचित जाति में 65.88 प्रतिशत प्राप्तांक है, जबकि अनुसूचित जाति महिला की कट ऑफ 63.61 प्रतिशत होने पर भी वरियता सूची में नाम नहीं है।</p> <p>अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर 15 बोनस अंक जोड़कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।</p>	<p>अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।</p>	<p>प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।</p>
814	JYOTI KUMARI DAMOR	NO198475	<p>अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 65.720 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 130 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने का निवेदन किया है।</p>	<p>अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।</p>	<p>प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।</p>
815	JYOTI MEENA	NO197139	<p>अभ्यर्थिया ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 130 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।</p>	<p>अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।</p>	<p>प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।</p>



816	JYOTI SHARMA	NO204981	अभ्यर्थिया ने इंडब्ल्यूएस महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 57.742 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 130 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र एवं 455 दिवस का सीएचओ पद का अन्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
817	KAILASH CHANDRA DAMOR	NO201822	अभ्यर्थी ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 131 एवं 398 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
818	KAILASH CHANDRA MEENA	NO147038	अभ्यर्थी ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 1222 दिवस का जीएनएम संविदा पद का कोविड अवधि सहित प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थिया ने ऑनलाईन आवेदन पत्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा द्वारा जारी 1222 दिवस जीएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। जिसका बोनस 30 अंक बनता है। अभ्यर्थिया को 30 बोनस अंक के स्थान पर 20 बोनस अंक प्रदान किये गये हैं। अभ्यर्थिया के अनुभव प्रमाणपत्रों के पुनर्सत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को पूर्व में दिये गये 20 बोनस अंकों के स्थान पर 30 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
819	KAILASH DUKIA	NO183955	अभ्यर्थी ने अनुसूचित ओबीसी-एनसीएल पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 67.29 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने परिवेदना के साथ कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं किये हैं। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
820	KAJAL BHANAT	NO192091	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 63.280 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 130 एवं 398 दिवस के सीएचओ पद के कोविड अवधि सहित 02 अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।



			परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।		
821	KAJAL KUMARI MEENA	NO169532	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 64.89 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 528 दिवस के सीएचओ पद के कोविड अवधि सहित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।-अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
822	KAJOL SINGH SHEKHAWAT	NO199944	अभ्यर्थिया ने ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 59.882 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 130 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
823	KALAWATI	NO172167	अभ्यर्थिया ने ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 69.300 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 128 दिवस का सीएचओ पद का एवं 488 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर/यूटीबी जीएनएम पद का कोविड अवधि सहित का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्य हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
824	KALI MEENA	NO161571	अभ्यर्थिया ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये है। दस्तावेजों में 527 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
825	KALLO BAI MEENA	NO169533	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार



			जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 62.233 प्रतिशत (व्यवसायिक योग्यता के ईटनशिप अंक नहीं जोड़े गये) बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 130 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर व्यवसायिक योग्यता में ईटनशिप के अंको को जोड़कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	उचित होगा।	कार्यवाही की जावे।
826	KALPESH AD	NO188699	अभ्यर्थी ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 127 दिवस का जीएनएम पद, 260 दिवस का सीएचए पद का एवं 375 दिवस का जीएनएम पद का 1 कोविड अवधि सहित का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थिया ने ऑनलाईन आवेदन पत्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा जारी 762 दिवस जीएनएम/कोविड स्वास्थ्य सहायक पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। जिसका बोनस 20 अंक बनता है। अभ्यर्थिया को 20 बोनस अंक के स्थान पर 15 बोनस अंक प्रदान किये गये हैं। अभ्यर्थिया के अनुभव प्रमाणपत्रों के पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को पूर्व में दिये गये 15 बोनस अंकों के स्थान पर 20 बोनस अंक दिये जाकर बरीयता सूची में यथारथान सम्मिलित किया जना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
827	KALURAM KATARA	NO202033	अभ्यर्थी ने अनुसूचित जनजाति सामान्य वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 66.420 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने 130 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
828	KAMAYANI VEERWAL	NO198403	अभ्यर्थी ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 62.200 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने 130 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
829	KAMLESH KUMAR BUNKAR	NO186963	अभ्यर्थी ने अनुसूचित जाति पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 66.490 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने 128 दिवस एवं 398 दिवस का कोविड अवधि सहित का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।		
830	KAMLESH KUMAR KHARADI	NO202674	अभ्यर्थी ने अनुसूचित जनजाति पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 63.970 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने 130 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
831	KAMLESH NALIYA	NO186274	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 66.180 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 129 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
832	KAMLESH SHARMA	NO160067	अभ्यर्थिया ने आर्थिक पिछड़ा महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 59.230 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 122 दिवस एवं 402 दिवस का सीएचओ पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
833	KANCHAN	NO190742	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 67.580 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

			जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 128 दिवस एवं 402 दिवस का सीएचओ पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।		
834	kanchan kasana	NO171064	अभ्यर्थिया ने एमबीसी-एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 60.82 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 532 दिवस का सीएचओ पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
835	KANNU BOYAL	NO194079	अभ्यर्थिया ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 128 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
836	KANTA KUMARI	NO210629	अभ्यर्थिया ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 130 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
837	KANTA SHARMA	NO201371	अभ्यर्थिया ने अनारक्षित महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 70.900 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
838	KARAN PAL NIMORIYA	NO189914	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार

			औसत प्राप्तांक 66.180 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 130 दिवस एवं 402 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि सहित का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	उचित होगा।	कार्यवाही की जायें।
839	KARISHMA DAMOR	NO195845	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 62.544 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 237 दिवस का सीएचए पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने ऑनलाईन आवेदन पत्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर द्वारा कोविड अवधि का जारी 237 दिवस कोविड हेल्थ सहायक पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। जिसका बोनस 15 अंक बनता है। अभ्यर्थिया के अनुभव प्रमाणपत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर 15 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथारथान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
840	KARISHMA MEHAR	NO147536	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 65.97 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 125 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जायें।
841	KARMA JAT	NO147628	अभ्यर्थिया ने ओबीसी-एनसीएल परित्यक्ता वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 57.580 प्रतिशत बताते हुए परित्यक्ता वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 130 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र एवं दिनांक 20.12.2022 को जारी डिप्टी प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्य हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
842	KARMJEET	NO161513	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति	प्रकरण में नीति निर्धारण

	KAUR		किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 64.820 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 128 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
843	KAUSHAR JAHAN	NO147985	अभ्यर्थिया ने ओबीसी-एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 67.91 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 130 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
844	KAUSHLYA MEENA	NO165308	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है। अभ्यर्थिया ने आवेदन के समय जीएनएम तृतीय वर्ष + ईटनशिप के कॉलम में 600 में से 498 अंक भर दिये थे जिसे डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन के समय 900 में 756 सही करवा दिये से अवगत कराया है तत्पश्चात् भी स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 124 दिवस एवं 398 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि सहित का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
845	KAVITA	NO168786	अभ्यर्थिया ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये है। दस्तावेजों में 121 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
846	KAVITA KUMARI	NO167608	अभ्यर्थिया ने ओबीसी-एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 72.20 प्रतिशत बताते	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signatures)*


			हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 87 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।		
847	KAVITA KUMARI	NO185925	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 30 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 81.160 प्रतिशत बताते हुए डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन में सम्मिलित होना बताया है। अभ्यर्थिया ने प्रोविजनल लिस्ट में स्वयं को 20 बोनस अंक देकर कुल औसत प्राप्तांक 71.160 प्रतिशत प्राप्त होना बताया है। अभ्यर्थिया ने 158 दिवस एवं 1056 दिवस का जीएनएम पद का कोविड अवधि सहित के 02 प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के 20 बोनस अंक के स्थान पर 30 बोनस अंक देने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने ऑनलाईन आवेदन पत्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर द्वारा 1056 एवं 158 दिवस कुल 1214 दिवस का जीएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। जिसका बोनस 30 अंक बनता है। अभ्यर्थिया को 30 बोनस अंक के स्थान पर 20 बोनस अंक प्रदान किये गये हैं। अभ्यर्थिया के अनुभव प्रमाणपत्रों के पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को पूर्व में दिये गये 20 बोनस अंकों के स्थान पर 30 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथारथान सम्मिलित किया जना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
848	KAVITA KUMARI	NO192284	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 63.33 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 129 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
849	KAVITA KUMARI KUMAWAT	NO114803	अभ्यर्थिया ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 131 दिवस एवं 402 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
850	KAVITA MEENA	NO141599	अभ्यर्थिया ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 129 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
851	KAVITA NAGAR	NO151325	अभ्यर्थिया ने ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 30 बोनस अंक	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार



			जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 76.79 प्रतिशत बताते हुए डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन में सम्मिलित होना बताया है। अभ्यर्थियां ने प्रोविजनल लिस्ट में स्वयं को 20 बोनस अंक देकर कुल औसत प्राप्तांक 66.79 प्रतिशत के आधार पर परिणाम रोके गये सूची में अपना नाम सम्मिलित होना बताया है। अभ्यर्थिया ने 1069 दिवस का जीएनएम पद का कोविड अवधि सहित प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अभ्यर्थियां ने रिट संख्या 13879/2023 संलग्न कर 30 अथवा 31 दिवस के स्थान पर 26 दिवस को पूर्ण माह मानते हुए कुल बोनस दिवसों की संख्या 1249 मानते हुए 30 बोनस अंक देने हेतु निवेदन किया है। परिवेदना में रिट पिटीशन संख्या 2577/2020 महिपाल लेखेरा का हवाला भी दिया गया है।	उचित होगा।	कार्यवाही की जावें।
852	KAVITA PATHAK	NO197793	अभ्यर्थिया ने आर्थिक पिछड़ा महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 63.430 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 130 दिवस एवं 397 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावें।
853	KAVITA PRAJAPAT	NO186607	अभ्यर्थियां ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये है। दस्तावेजों में 402 दिवस एवं 129 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावें।
854	KAVITA TUNDWAL	NO155940	अभ्यर्थियां ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये है। दस्तावेजों में 128 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
855	Khamosh Meena	NO181882	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार

			जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 62.600 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 131 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	उचित होगा।	कार्यवाही की जावे।
856	KHEMRAJ SINGH	NO132145	अभ्यर्थी ने ओबीसी-एनसीएल पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 30 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 77.980 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने 1705 दिवस का जीएनएम/ईएमटी नर्सिंगकर्म का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों के अनुसार इन्हें 30 बोनस अंकों का लाभ देय है। अतः अनुभव प्रमाणपत्रों के पुनर्सत्यापन के आधार पर अभ्यर्थी को पूर्व में दिये गये 20 प्रतिशत बोनस अंकों के स्थान पर 30 बोनस अंकों का लाभ प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
857	KHINVRAJ PANNU	NO184323	अभ्यर्थी ने अनुसूचित जाति पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 65.520 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने 128 दिवस एवं 401 का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्हीं सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
858	khushabu sharma	NO175823	अभ्यर्थिया ने ओबीसी-एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 67.470 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 260 दिवस का सीएचए पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र एवं रिट संख्या 14461/2023 संलग्न की है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने ऑनलाईन आवेदन पत्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा कोविड अवधि का जारी 260 दिवस का कोविड स्वास्थ्य सहायक पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। जिसका बोनस 15 अंक बनता है। अभ्यर्थिया के अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को 15 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
859	KHUSHBU	NO193030	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति	प्रकरण में नीति निर्धारण

			किया है एवं स्वयं के बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 73.19 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने परिवेदना के साथ 02 अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न किये हैं जो पठन योग्य नहीं है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
860	KHUSHBU KUMARI MEGHWAL	NO199695	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 66.860 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 422 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
861	KHUSHBU PANWAR	NO196578	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 65.030 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 129 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
862	KHUSHI RAM MEENA	NO195916	अभ्यर्थी ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 130 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
863	KHUSHWANT SINGARIYA	NO151713	अभ्यर्थी ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार



			औसत प्राप्तांक 67.760 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 130 दिवस का सीएचओ जीएनएम पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	उचित होगा।	कार्यवाही की जावे।
864	KIRAN CHHAPARWAL	NO154237	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 64.250 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 131 दिवस एवं 398 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
865	Kiran choudhary	NO203240	अभ्यर्थिया ने ओबीसी-एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 66.620 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 94 दिवस सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
866	KIRAN KUMAR BEDI	NO166060	अभ्यर्थी ने ओबीसी-एनसीएल पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 30 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 74.74 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने 479 दिवस का ईएमटी पद एवं 653 दिवस का नर्स का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
867	KIRAN KUMARI GURJAR	NO153295	अभ्यर्थिया ने एमबीसी-एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार


			जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 68.34 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थियां ने 125 दिवस का सीएचओ पद एवं 484 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर-2 का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	उचित होगा।	कार्यवाही की जाएं।
868	KIRAN MEENA	NO208142	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 69.380 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 129 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जाएं।
869	KIRAN MEHRA	NO186643	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 64.050 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 130 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जाएं।
870	KIRAN YADAV	NO198344	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 65.510 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 131 दिवस, 302 दिवस एवं 100 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जाएं।
871	KIRTI SHARMA	NO139153	अभ्यर्थिया ने आर्थिक पिछड़ा महिला वर्ग में आवेदन	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति	प्रकरण में नीति निर्धारण

*(Handwritten marks)*

*(Handwritten signatures)*

			किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 66.490 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 128 दिवस एवं 368 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
872	KOKILA KUMARI KHARADI	NO207269	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 63.260 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 128 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
873	KOMAL GAUTAM	NO124758	अभ्यर्थिया ने इंडब्ल्यूएस महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 60.860 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 132 एवं 395 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि सहित का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
874	KOMAL MALOVA	NO143956	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 66.52 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 128 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
875	KOMAL	NO102447	अभ्यर्थिया ने ओबीसी-एनसीएल महिला वर्ग में	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति	प्रकरण में नीति निर्धारण

	NITHARWAL		आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 68.11 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 131 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
876	KRANTI SHARMA	NO172984	अभ्यर्थिया ने ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 62.790 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 130 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
877	KRIPA BAI GURJAR	NO200121	अभ्यर्थिया ने एमबीसी महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 67.280 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 126 दिवस एवं 338 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
878	KRISHAN GOPAL MEENA	NO145217	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 30 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 67.940 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 518 दिवस का ईएमटी पद एवं 129 दिवस एवं 402 दिवस का सीएचओ का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।



879	KRISHAN RAJ PARGI	NO209252	अभ्यर्थी ने अनुसूचित जनजाति पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 66.670 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने 129 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
880	KRISHANA BAI	NO153454	अभ्यर्थी ने एमबीसी-एनसीएल पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 59.09 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने 529 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
881	KRISHNA GURJAR	NO170356	अभ्यर्थियां ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 131 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
882	KRISHNA YADAV	NO167862	अभ्यर्थियां ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल अंतिम वर्ष की जीएनएम अंकतालिका, 12वीं कक्षा की अंकतालिका एवं 131 दिवस का सीएचओ पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न की है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
883	KRITI MEHTA	NO189920	अभ्यर्थिया ने अनारक्षित महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 62.603 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने दिनांक 15.09.2023 का	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



			जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न कर ईडब्ल्यूएस जाति का लाभ देने एवं 182 दिवस का सीएचए पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।		
884	KUEYA RAM	NO205367	अभ्यर्थी ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 30 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 72.930 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने 326, 842 दिवस का हायर एएनएम पद का एवं 261 दिवस का सीएचए पद का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है। रिट संख्या 264/2023 संलग्न।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली द्वारा कोविड अवधि में 261 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके हैं। शेष हायर एएनएम के पद पर जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थी का हायर एएनएम के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। अतः अभ्यर्थी को बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
885	KUSHLA	NO199000	अभ्यर्थिया ने ओबीसी-एनसीएल पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 66.35 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 128 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
886	Kusum Kanwar	NO166741	अभ्यर्थिया ने ओबीसी-एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 69.75 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 530 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

श

श

			का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।		
887	KUSUM LATA MEENA	NO199976	अभ्यर्थियों ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 131 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
888	LAHARI DEVI	NO176728	अभ्यर्थियों ने ओबीसी-एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 67.976 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 128 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
889	LAKSHMI CHOUDHARY	NO165495	अभ्यर्थियों ने ओबीसी-एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 70.020 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 402 एवं 130 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
890	LALI RAJPUT	NO210098	अभ्यर्थियों ने ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 65.070 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 130 एवं 398 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

व

४४

४४ @ ४/४/४

			निवेदन किया है।		
891	LALIT KUMAR SHARMA	NO173260	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर 613 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर पद का 10 प्रतिशत एवं 255 दिवस का सीएचए पद के अनुभव का 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ पृथक-पृथक देकर कुल बोनस 25 प्रतिशत अंक देने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
892	LALITA DEEWAN	NO189897	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 65.340 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 131 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
893	LALITA KUMARI	NO187980	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 20 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 76.81 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 1001 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर पद का मेट्रो मानस आरोग्य सदन का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में मेट्रोमानस चिकित्सालय, जयपुर द्वारा 1001 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर पद का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़ चुरू द्वारा कोविड अवधि में 128 कुल 1129 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं जिसके पुनर्सत्यापन के आधार पर 30 बोनस अंक देय हैं। अतः अभ्यर्थी को 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान करते हुये भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
894	LALITA NAGDA	NO209167	अभ्यर्थिया ने इडब्ल्यूएस महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 64.23 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 131 एवं 398 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र एवं दिनांक 07.10.2020 एवं 20.09.2023 का जारी जाति प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज संलग्न किये हैं। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
895	LALITA SHARMA	NO152791	अभ्यर्थिया ने इडब्ल्यूएस महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 70.160 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किये है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
896	LALITA SUTHAR	NO187127	अभ्यर्थिया ने ओबीसी-एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 66.97 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 130 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जायें।
897	LALITA VERMA	NO200008	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 64.31 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 130 एवं 401 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
898	LATA	NO169366	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 70.510 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 129 एवं 402 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जायें।
899	LATIKA	NO191126	अभ्यर्थिया ने ओबीसी-एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 68.74 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

श

श

			प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 128 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
900	LAXMAN LAL MEGHWAL	NO195749	अभ्यर्थी ने कोई परिवेदना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 84 दिवस का सीएचए एवं 1060 दिवस का एएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
901	LAXMI DEVI	NO154859	अभ्यर्थी ने अनूसूचित जाति वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 65.580 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 124 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
902	LAXMI GURJAR	NO170767	अभ्यर्थिया ने एमबीबीसी-एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 61.980 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 402 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
903	LAXMI KUMARI	NO169420	अभ्यर्थिया ने ओबीसी-एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 30 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 82.47 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 869 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर पद एवं 131 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में मैट्रोमानस चिकित्सालय, जयपुर द्वारा 869 दिवस का एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय द्वारा 131 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिनके पुनर्सत्यापन के आधार पर 20 बोनस अंक दिया जाना प्रस्तावित है साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक द्वारा जारी कुल 395 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें अभ्यर्थी का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी. एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान	प्रस्तावानुसार अनुमोदित

			नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्य हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण इन्हे बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
904	LAXMI KUMHAR	NO176794	अभ्यर्थिया ने ओबीसी-एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 69.34 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 127 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
905	LAXMI MEENA	NO155636	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 63.950 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने ..... दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्य हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
906	LEELA	NO194363	अभ्यर्थिया ने ओबीसी-एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 66.440 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 129 एवं 402 दिवस का सीएचओ पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
907	Leela Kumari	NO198432	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 64.790 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 130 दिवस का सीएचओ पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।		
908	LEELA KUMARI MEENA	NO202147	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 63.470 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 131 एवं 398 दिवस का सीएचओ पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
909	LEELAM DEVI GURJAR	NO156296	अभ्यर्थिया ने परिवेदना के साथ 125 दिवस का सीएचओ पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर स्वयं अवधि के कार्यानुभव के आधार पर 15 बोनस अंक दकर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
910	LOKENDRA	NO189870	अभ्यर्थी ने कोई परिवेदना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 130 एवं 368 दिवस का सीएचओ पद का अनुभव प्रमाण पत्र भी संलग्न किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
911	LOKESH GARG	NO199337	अभ्यर्थी ने अनारक्षित पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 20 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 69.976 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने 276 दिवस का स्टाफ नर्स, 129 एवं 402 दिवस का सीएचओ पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
912	LOKESH	NO137722	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति	प्रकरण में नीति निर्धारण

	KUMAR MEENA		है। केवल सीएचओ अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
913	Lokesh verma	NO141818	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में सीएचओ पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के बोनस अंक जोड़े जाकर अनुसूचित जाति वर्ग में कुल प्राप्तांक 67.67 प्रतिशत है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग की कटऑफ 65.50 से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंको का लाभ प्रदान करते हुए अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
914	MADHU UPADHYAY	NO191650	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक जोड़े जाकर कुल प्राप्तांक 61.35 प्रतिशत है जो की कटऑफ प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं है। अतः अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
915	MAHAVEER MEGHWAL	NO183760	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
916	MAHENDRA CHHABA	NO131486	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में याचिका संख्या 12888/2023 की प्रति संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी द्वारा जीडीके 108 में दिनांक 27.04.2020 से 02.10.2020 तक नर्सिंग स्टाफ के पद पर 159 दिवस तक कार्य किया जिसमें 19 दिवस की अलग-अलग अनुपस्थिति बताई गई है जबकि अभ्यर्थी 19 अनुपस्थित दिवस में से 16 दिवस मेडीकल लीव/आकस्मिक अवकाश पर था, जो उच्चाधिकारियों द्वारा स्वीकृत था। इसके पश्चात राजस्थान एड्स सोसाईटी में दिनांक 03.10.2020 से 04.05.2023 तक नर्सिंग स्टाफ के पद पर 942 दिवस तक (156+942=कुल 1098 दिवस) कार्य किया है जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा कुल 30 बोनस अंक प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस आधार पर अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 75.61 बनते हैं। अतः अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने 2 अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनकी कुल अवधि 1082 दिवस के आधार पर 20 बोनस अंको का लाभ दिया जा चुका है। अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन उपरान्त अग्रिम कार्यवाही किया जाना एवं माननीय न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
917	MAHENDRA	NO163535	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल प्राप्तांक	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।



	KUMAR BAIRWA		प्रतिशत 65.060 है जो कि कटऑफ प्रतिशत से अधिक होने के कारण अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
918	MAHENDRA KUMAR GURJAR	NO144830	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के एमबीबीसी-एनसीएल जाति वर्ग में 30 बोनस अंक जोड़े जाकर कुल प्राप्तांक 80.340 प्रतिशत बनती है जबकि अभ्यर्थी के 20 बोनस अंक जोड़े जाकर 70.33 प्रतिशत प्राप्तांक बन रहे हैं। अतः अभ्यर्थी ने अनुभव के 30 बोनस अंक जोड़े जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ 2 अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं। जिसमें से एक 396 दिवस का एम.एम.वी. पर नर्स का एवं दूसरा 704 दिवस का प्रमाणपत्र प्र.स्वा.केन्द्र पर नर्स के कार्य का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर द्वारा जारी किया गया है। दोनों प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा वर्तमान भर्ती 2023 हेतु जारी किये गये हैं। अतः अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर बोनस अंकों का निर्धारण कर लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
919	MAHENDRA SINGH	NO147133	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 65.260 एमबीबीसी एनसीएल जाति वर्ग की कटऑफ 64.240 प्रतिशत से अधिक होने के उपरान्त भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी द्वारा अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
920	MAHENDRA SINGH MEENA	NO194438	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के कोरोना काल के अनुभव के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक दिये जाने पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.720 है जो कि अनुसूचित जनजाति की कटऑफ 62.20 प्रतिशत से अधिक है जबकि अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं है। अतः अभ्यर्थी ने कोरोना काल के अनुभव का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
921	MAHENDRA SOLANKI	NO131458	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी-एनसीएल जाति वर्ग में कुल प्राप्तांक प्रतिशत 73.910 ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 73.910 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक होने के उपरान्त भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
922	MAHENDRA TIRDIYA	NO184338	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार

			किया है।	उचित होगा।	कार्यवाही की जावे।
923	MAHESH KUMAR AHARI	NO204245	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के 15 प्रतिशत बोनस अंक जोड़े जाकर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.770 अनुसूचित जनजाति वर्ग की कटऑफ 62.20 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
924	MAHESH KUMAR GAWARIYA	NO185320	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 76.540 प्रतिशत है जिससे कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है जबकि अभ्यर्थी का चयन नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में 2 अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनमें 1083 दिवस के अनुभव प्रमाण पत्र का भुगतान सत्यापित हैं किन्तु दूसरे 495 दिवस के अनुभव प्रमाण पत्र का भुगतान सत्यापित नहीं होने के कारण इस प्रमाण पत्र का अनुभव का लाभ नहीं दिया गया। अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन के दौरान यदि उक्त भुगतान सत्यापित हो जाता है तो तदनुसूचित बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
925	MAHESH PATIDAR	NO186873	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
926	MAINA DEVI	NO177506	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी-एनसीएल जाति वर्ग में कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.97 ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 66.41 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं है। अतः अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
927	MAMATA KUMARI DHOBI	NO187441	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक 64.240 प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है जबकि अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत अधिक होने के उपरांत भी नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्य हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
928	MAMTA	NO198323	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के बोनस अंको को जोड़कर औसत प्राप्तांक 68.21 प्रतिशत ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग की कट ऑफ 66.41 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			गया है। अतः अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
929	MAMTA	NO173245	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के बोनस अंको को जोड़कर औसत प्राप्तांक 68.180 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग की कट ऑफ से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम चयन सूची में सम्मिलित है। अतः अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
930	MAMTA BAI MEENA	NO195656	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में दस्तावेज एवं अंकतालिका संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अंतरिम चयन सूची में अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में औसत प्राप्तांक प्रतिशत 69.060 प्रतिशत से कम कर 64.064 कर दिये गये हैं जिसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक दिये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को सी.एच.ओ. पद का अनुभव होने के कारण इस अवधि को गणना में नहीं लिया जाकर केवल स्टाफ नर्स के कार्य की अवधि का ही कोविड अवधि सम्मिलित करते हुए 15 बोनस अंकों का लाभ प्रदान किया गया। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी वौसा द्वारा जारी कुल 368 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें अभ्यर्थी का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण इन्हे बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
931	MAMTA BAIRWA	NO124114	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के 15 प्रतिशत बोनस अंक जोड़े जाकर कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 65.29 जाति वर्ग में चयनित अंतिम महिला अभ्यर्थी की औसत प्राप्तांक 63.69 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी द्वारा कोरोना काल में कार्य किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

932	MAMTA CHANWALA	NO199475	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
933	MAMTA CHOUDHARY	NO143336	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 67.50 ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग की कटऑफ 66.41 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अनुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ देते हुए अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
934	MAMTA DEVI JAT	NO157839	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 68.290 ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग की कटऑफ 66.41 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अनुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ देते हुए अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
935	MAMTA KUMARI	NO184091	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 72.850 ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग की कटऑफ 66.41 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अनुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ देते हुए अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
936	MAMTA KUMARI GODA	NO196290	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 62.810 अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग की कटऑफ 62.05 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अनुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ देते हुए अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
937	MAMTA MEENA	NO161528	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 62.600 अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग की कटऑफ 62.05	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अनुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ देते हुए अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
938	MAMTA MEENA	NO146836	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 66.630 अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग की कटऑफ 62.05 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अनुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ देते हुए अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को सी.एच.ओ. पद का अनुभव होने के कारण इस अवधि को गणना में नहीं लिया जाकर केवल स्टाफ नर्स के कार्य की अवधि का ही कोविड अवधि सम्मिलित करते हुए 15 बोनस अंकों का लाभ प्रदान किया गया। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली द्वारा जारी कुल 367 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें अभ्यर्थी का अनुभव हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण इन्हे बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
939	MAMTA MEGHWAL	NO210079	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में 15 प्रतिशत अंक बोनस जोड़े जाकर 65.220 प्रतिशत औसत प्राप्तांक है जो कि अंतिम कटऑफ 63 प्रतिशत पर चयनित अंतिम अभ्यर्थी से अधिक है। इसके उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
940	MAMTA TAK	NO145952	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर 3 वर्ष से अधिक के अनुभव के आधार पर बोनस अंक दिये जाकर अंतरिम चयन सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.149 में सुधार कर कुल प्राप्तांक 77.150 प्रतिशत किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय अलवर द्वारा जारी नर्सिंग ऑफिसर पद के 4 अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं जिनकी कुल अवधि 3 वर्ष से अधिक होने के कारण 30 बोनस अंकों का लाभ देय है। अतः आर.एन.सी. पंजीयन एवं अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर बोनस सम्बन्धी कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित

941	MAMTA TANAWAD	NO177960	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
942	MANEESH KUMAR	NO207032	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुभव के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक जोड़े जाकर कुल प्राप्तांक 71.010 प्रतिशत बनते हैं जिसके उपरांत भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है जबकि ओबीसी एनसीएल पुरुष वर्ग में अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने कोरोना काल में कार्य के अनुभव के आधार पर बोनस अंक दिये जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
943	MANGLI SAINI	NO187103	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 69.00 ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग की कटऑफ 66.41 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
944	MANISHA	NO171667	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.98 है जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी जिनकी प्रतिशत 66.41 है, को सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी से स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
945	MANISHA	NO170418	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के एमबीसी एनसीएल महिला वर्ग में अनुभव अवधि को सम्मिलित कर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.170 है जबकि एमबीसी महिला वर्ग में 58 प्रतिशत पर अंतिम अभ्यर्थी को सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी से स्वयं का नाम एमबीसी वर्ग की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
946	MANISHA	NO172666	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 67.870 प्रतिशत है। इसके उपरांत भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है जबकि	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में 66.41 प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्य हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
947	MANISHA	NO208801	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति महिला वर्ग में बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 66.00 प्रतिशत है। इसके उपरांत भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग की अंतरिम चयन सूची में स्वयं का नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
948	MANISHA CHOUDHARY	NO156184	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अभ्यर्थी के बोनस अंको को जोड़कर औसत प्राप्तांक प्रतिशत 68.670 ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग की कटऑफ 66.41 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
949	MANISHA DAMOR	NO206132	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 63.570 प्रतिशत है जिसके उपरांत भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम चयन सूची में सम्मिलित है। अतः अभ्यर्थी ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
950	MANISHA DAMOR	NO209073	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 62.150 प्रतिशत है, जो अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग की कटऑफ 62.055 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है। अभ्यर्थी ने कोरोना काल के अनुभव का उल्लेख करते हुए अनुभव के आधार पर बोनस अंक दिये जाकर अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

38

28 @ 17/8/2020

951	MANISHA KUMARI	NO192865	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर सीएचओ पद के अनुभव का लाभ दिया जाकर कुल ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
952	MANISHA KUMARI	NO173348	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
953	Manisha Kumari	NO171471	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
954	MANISHA ROAT	NO196906	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर कोरोना काल में कार्य के अनुभव के आधार पर बोनस अंको की गणना कर बोनस अंको को जोड़कर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
955	MANITA	NO144844	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंको के आधार पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.410 है, जिसके उपरांत भी अभ्यर्थी का चयन ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग की अंतरिम चयन सूची में नहीं हुआ है जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत 66.00 प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में हुआ है। अतः अभ्यर्थी से स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
956	MANITA MEENA	NO205526	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
957	MANJITA BAI	NO204250	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 67.77 एमबीसी	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार



			महिला वर्ग की कटऑफ 58.60 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	उचित होगा।	कार्यवाही की जावे।
958	MANJU	NO160177	अभ्यर्थी ने कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
959	MANJU	NO144510	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को दिनांक 31.12.2019 से 04.05.2023 तक 1221 दिवस का अनुभव है जिसमें से बिना वेतन अवकाश के 91 दिवस कम किये जाने पर 1130 दिवस होते हैं जिसके अनुसार अभ्यर्थी को 30 प्रतिशत बोनस अंक देय है जबकि अभ्यर्थी को 10 प्रतिशत बोनस अंक कम कर दिये गये हैं जिससे अभ्यर्थी की औसत प्राप्तांक 81.510 के स्थान पर 71.512 प्रतिशत ही बन रही है। अतः अभ्यर्थी ने कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक 30 प्रतिशत दिये जाकर औसत प्राप्तांक प्रतिशत दुरुस्त किये जाकर 81.512 प्रतिशत किया जावे।	अभ्यर्थी को दिनांक 31.12.2019 से 04.05.2023 तक 1221 दिवस का अनुभव है जिसमें से बिना वेतन अवकाश के 91 दिवस कम किये जाने पर 1130 दिवस होते हैं जिसके अनुसार अभ्यर्थी को 30 प्रतिशत बोनस अंक देय है। अतः अनुभव प्रमाणपत्रों के पुनर्सत्यापन के आधार पर 30 बोनस अंक दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
960	MANJU DEVI	NO149295	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के कोरोना काल के अनुभव के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक दिये जाने पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.690 है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग की कटऑफ से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
961	MANJU DEVI YADAV	NO164923	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
962	MANJU JAKHAR	NO197820	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 67.380 ओबीसी एनसीएल की कटऑफ लगभग 66 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
963	MANJU JANGID	NO183111	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।


5

31

			अभ्यर्थी के कोरोना काल के अनुभव के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक दिये जाने पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.34 है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग की कटऑफ 66.41 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	याधिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
964	MANJU KANWAR	NO169279	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस श्रेणी में 69.910 प्रतिशत अंक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
965	MANJU KUMAWAT	NO188884	अभ्यर्थी ने कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याधिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
966	MANJU MALI	NO177915	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के कोरोना काल की अवधि के अनुभव के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 66.420 प्रतिशत बनते है जबकि अभ्यर्थी के बोनस अंक नहीं जोड़ते हुए अंतरिम चयन सूची से नाम पृथक कर दिया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
967	MANJU PUROHIT	NO209457	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर कोरोना काल में कार्य के अनुभव के आधार पर बोनस अंको की गणना कर बोनस अंको को जोड़कर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा कुल 5 अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये है जिनमें से एक 15.06.2021 से 31.03.2022 तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर द्वारा 4.1.2023 का जारी है जो निर्धारित प्रपत्र में नहीं है एवं इस भर्ती हेतु जारी नहीं किया गया है। अतः इसका अनुभव का लाभ देय नहीं है। दो अनुभव प्रमाण पत्र निजी संस्थान के होने से अनुभव का लाभ देय नहीं है। शेष दो अनुभव प्रमाण पत्र जिनकी कुल अवधि, कोविड अवधि सहित, 2 वर्ष से कम है, निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैं। अतः अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर 15 बोनस अंक दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

968	MANJU RAIDAS	NO201010	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुभव के आधार पर बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 65.780 प्रतिशत बनते हैं जो अनुसूचित जाति वर्ग की कटऑफ 63.60 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
969	MANOHARI	NO175951	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन सूची में अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 69.830 है। अंतरिम चयन सूची में अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
970	MANOJ DUDI	NO200810	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के बोनस अंक जोड़े जाकर कुल औसत प्राप्तांक 67.870 प्रतिशत ओबीसी एनसीएल की कटऑफ 66.40 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अनुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ दिया जाकर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
971	MANOJ KUMAR	NO140625	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के कोरोना काल की अवधि के अनुभव के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 68.910 प्रतिशत अनुसूचित पुरुष वर्ग की कट ऑफ 65.27 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंको का लाभ दिया जाकर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
972	MANOJ KUMAR	NO193119	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के कोरोना काल की अवधि के अनुभव के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक जोड़कर कुल	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			औसत प्राप्तांक 67.010 प्रतिशत अनुसूचित पुरुष वर्ग की कट ऑफ 65.27 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंको का लाभ दिया जाकर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
973	MANOJ KUMAR TAILOR	NO165092	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल पुरुष वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 81.300 प्रतिशत है जो कि कटऑफ 70.21 प्रतिशत से अधिक है। अभ्यर्थी का आरएनसी रजिस्ट्रेशन दिनांक 07.06.2010 को जारी किया गया था, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2014 तक थी। इसके पश्चात अभ्यर्थी द्वारा आरएनसी रिन्यु वैधता दिनांक 31.12.2019 तक किया गया था। इसके पश्चात अभ्यर्थी द्वारा आरएनसी रजिस्ट्रेशन रिन्यु हेतु दिनांक 02.03.2020 को आवेदन किया गया था (प्रति संलग्न है) परन्तु आरएनसी द्वारा रिन्यु नहीं किया गया जिस संबंध में माननीय न्यायालय में याचिका संख्या 1201/2020 दायर की गई है (प्रति संलग्न है)। अभ्यर्थी द्वारा बार बार आरएनसी में सम्पर्क किया लेकिन अभ्यर्थी को नया रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहा गया, जिसके क्रम में आरएनसी द्वारा नया रजिस्ट्रेशन करवाया गया। अभ्यर्थी ने प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में जे.के. लोन चिकित्सालय, जयपुर द्वारा 2660 दिवस का जीएनएम पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। दस्तावेजों के पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थी को बोनस अंक प्रदान किये जाने का निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
974	Manoj Kumari	NO182504	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के कोरोना काल में कार्यरत अनुभव अवधि के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाकर कुल प्राप्तांक 67.10 प्रतिशत है परन्तु अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
975	MANPRAKASH JATOLIA	NO176440	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुभव अवधि के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाकर कुल प्राप्तांक 66.63 प्रतिशत है जो कि अनुसूचित जाति की कटऑफ	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।





			लाभ दिया जाकर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.060 ईडब्ल्यूएस वर्ग की कटऑफ 55.84 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम ईडब्ल्यूएस वर्ग की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
982	MAYA VERMA	NO148475	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.55 अनुसूचित जाति वर्ग की कटऑफ 63.61 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अनुसूचित वर्ग की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
983	MEENA KUMARI	NO155811	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी में ऑनलाईन आवेदन किया गया था। अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग में कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.67 ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग की कटऑफ 55.84 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम ईडब्ल्यूएस वर्ग की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
984	MEENA KUMARI MEENA	NO203472	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
985	MEENA SAIN	NO166356	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा केवल डिग्री एवं अन्य दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
986	meenakshi meena	NO205439	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति महिला जाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाकर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.57 बनते हैं परन्तु अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
987	MEENU	NO154223	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर कोरोना काल में	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

	KUMARI JARWAL		कार्य अनुभव के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिये जाने हेतु निवेदन किया है।	याधिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
988	MEENU SAMOTA	NO159078	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
989	MEERA ACHERA	NO149552	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग का प्रमाण पत्र जारी दिनांक 08.06.2023 प्रस्तुत किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याधिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
990	meera bai gurjar	NO199078	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के एमबीसी एनसीएल महिला वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 65.300 प्रतिशत एमबीसी एनसीएल महिला वर्ग की कटऑफ 58.66 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
991	MEETA MAHIYA	NO179627	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को कोरोना काल की अवधि में कार्य अनुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ दिया जाकर कुल प्राप्तांक 67.50 प्रतिशत होने के उपरांत भी ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याधिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
992	MEGHA CHOUHAN	NO184928	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को कुल 1217 दिवस के अनुभव के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ 2 अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये हैं जिनकी कुल अवधि 3 वर्ष से अधिक है। अतः अनुभव प्रमाणपत्र पुनर्सत्यापन के आधार पर अभ्यर्थी के बोनस अंकों का निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			चाहिये परन्तु अभ्यर्थी को केवल 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया गया है, जिसके आधार पर अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक 82.550 प्रतिशत के स्थान पर 67.545 प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थी ने अनुभव के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस के स्थान पर 30 प्रतिशत बोनस अंक दिये जाने हेतु निवेदन किया है।		
993	MEGHA GAUR	NO201175	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाने पर ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 70.030 प्रतिशत है जो ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग की कटऑफ 55.8 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
994	MEWA BAI	NO170322	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के एमबीसी एनसीएल महिला जाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाने पर कुल प्राप्तांक 64.29 प्रतिशत बनते हैं परन्तु अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
995	MITHLESH GOAR	NO119420	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
996	MOHAN LAL MEENA	NO212645	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 63.40 कटऑफ से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरांत बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
997	Mohan lal meena	NO196320	अभ्यर्थी ने कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।



998	MOHANI LOMROD	NO144006	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 73.700 प्रतिशत होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने 03 वर्ष से अधिक के अनुभव आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा 25.05.2023 को जारी नर्स श्रेणी द्वितीय पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसकी अवधि 3 वर्ष से अधिक होने के कारण 30 बोनस अंकों का लाभ देय है। अतः अनुभव प्रमाणपत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
999	MOHIT KUMAR OJHA	NO145570	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा नर्सिंग ऑफिसर पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र क्रमशः जारी दिनांक 01.06.2023 (07.05.2021 से 31.03.2023 कुल 694 दिवस) एवं दिनांक 07.10.2023 (दिनांक 01.06.2023 से 21.08.2023 तक कुल 82 दिवस) के आधार पर अनुभव का लाभ दिया जावे।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रधानाचार्य राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय पाली द्वारा 694 दिवस का कोविड अवधि का जी.एन.एम. पद का कोविड कार्य हेतु दिनांक 01.06.2023 को जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया जिसका अनुभव का 15 बोनस अंकों का लाभ अभ्यर्थी को दिया जा चुका है। अभ्यर्थी ने परिवेदना के साथ एक अन्य प्रमाणपत्र 7.10.2023 का जारी प्रस्तुत किया है जिसमें अनुभव अवधि 1.06.2023 से 21.08.2023 तक दर्शायी गई है जो इस भर्ती हेतु आवेदन के बाद की अवधि है एवं अनुभव प्रमाण पत्र भी अंतरिम चयन सूची के बाद जारी कराया गया है जो मान्य नहीं है। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति में स्पष्ट अंकित है कि अनुभव की गणना ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पूर्व तक की जायेगी। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
1000	MONESH KUMAR PACHAURI	NO181028	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर कुल औसत प्राप्तांक 72.890 प्रतिशत है जबकि अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर द्वारा 740 दिवस का जीएनएम का एवं 130 दिवस सीएचओ पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न जिसके आधार पर अभ्यर्थी को पूर्व में ही 20 प्रतिशत बोनस अंका का लाभ प्रदान किया जा चुका है। उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर द्वारा जारी कुल 368 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनमें अभ्यर्थी का अनुभव उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः उप स्वास्थ्य केन्द्र पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण इन्हें बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1001	MONIKA	NO154393	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1002	MONIKA ACHARYA	NO164138	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस श्रेणी में औसत प्राप्तांक 61.330 कटऑफ 56 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
1003	MONIKA SHARMA	NO163111	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के सामान्य वर्ग में परित्यक्ता श्रेणी में 61.250 प्रतिशत होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी ने सभी जाति वर्ग में परित्यक्ता श्रेणी में रिजर्व पदों का उल्लेख किया है। अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत से कम कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का परित्यक्ता श्रेणी में अन्य जाति वर्गों में अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1004	MONIKA SUMAN	NO172245	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में कुल प्राप्तांक 70.800 प्रतिशत ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग की कटऑफ 66.41 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1005	MONU SHARMA	NO192070	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर इंडब्ल्यूएस वर्ग में कुल प्राप्तांक 65.530 प्रतिशत इंडब्ल्यूएस वर्ग की कटऑफ लगभग 55 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1006	MOOLA RAM	NO201833	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में कुल प्राप्तांक 71.67 प्रतिशत होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक 70 प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
1007	MOTI KUMARI MEENA	NO212525	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1008	MOUSAMI GURJAR	NO157955	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के एमबीसी एनसीएल जाति वर्ग में कुल प्राप्तांक 62.150 प्रतिशत एमबीसी एनसीएल महिला वर्ग की कटऑफ 58.66 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम एमबीसी एनसीएल महिला वर्ग की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1009	MS REENA KATARA	NO198747	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में कुल प्राप्तांक 63.93 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग की कटऑफ 62.05 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1010	MUKESH KUMAR	NO211476	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल वर्ग में कुल प्राप्तांक 74.520 प्रतिशत ओबीसी एनसीएल वर्ग की कटऑफ लगभग 70 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंकों का लाभ देते हुए स्वयं का नाम ओबीसी एनसीएल वर्ग की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा 508 दिवस का जीएनएम पद का कोविड अवधि का जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर 15 बोनस अंकों का लाभ प्रदान किया जा चुका है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा जारी कुल 240 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें अभ्यर्थी का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण इन्हे बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
1011	MUKESH KUMAR	NO144962	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल प्राप्तांक 71.760 प्रतिशत होने के उपरान्त भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अनुसूचित जाति वर्ग में कटऑफ लगभग 65.277 प्रतिशत पर अनुसूचित जाति वर्ग के अंतिम अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अनुसूचित जाति वर्ग की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1012	MUKESH KUMAR MEENA	NO206395	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में कुल प्राप्तांक 64.340 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग की कटऑफ लगभग 63 प्रतिशत से अधिक होने के उपरान्त भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंको का लाभ देते हुए स्वयं का नाम अनुसूचित जनजाति वर्ग की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1013	MUKESH LAL MEENA	NO183141	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1014	MUKESH LOVEVANSHI	NO203004	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में याचिका संख्या 13879/2023 की प्रति संलग्न कर निवेदन किया है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड एवं अधीक्षक, श्रीमती हीरा कुंवर बा महिला चिकित्सालय, झालावाड द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र में 26 कार्य दिवस का 01 माह माना जाकर अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है जबकि सिफू द्वारा अनुभव अवधि की गणना 30 अथवा 31 दिवस मानकर की गयी है। अभ्यर्थी के 20 बोनस अंक	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			जोड़कर कुल प्राप्तांक 67.40 प्रतिशत के आधार पर दस्तावेज सत्यापन सूची में नाम सम्मिलित किया गया है जबकि अभ्यर्थी को 03 वर्ष 24 दिवस के अनुभव के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना चाहिए। अतः अभ्यर्थी ने माननीय न्यायालय, जयपुर के आदेश की पालना में 26 कार्य दिवस के स्थान पर 30 या 31 दिवस का 01 माह मानकर 30 प्रतिशत बोनस अंक दिये जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
1015	MUKTA PRASAD GURJAR	NO167029	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को कोरोना काल की अवधि में कार्य अनुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ दिया जाकर कुल प्राप्तांक 65.81 प्रतिशत होने के उपरांत भी एमबीसी एनसीएल महिला वर्ग की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अनुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1016	MUNNI MEGHWAL	NO189442	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति में कुल प्राप्तांक 63.714 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अनुसूचित जाति की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंको का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1017	MUZIBUR RAZA	NO113182	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी ने द्वितीय वर्ष में कुल 400 में से 326 के स्थान पर 500 पूर्णांक में से 326 किये जाने हेतु निवेदन किया गया था, जिसके आधार पर अभ्यर्थी का 30 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाकर कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 71.783 है, जो ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग की कटऑफ 70.21 प्रतिशत से ज्यादा है जिसके उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के द्वितीय वर्ष के प्राप्तांक दस्तावेज सत्यापन उपरान्त 500 में से 326 ही जोड़े गये हैं। अभ्यर्थी द्वारा 01.10.2008 से 11.01.2010 तक की अवधि का जारी अनुभव प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र में एवं इस भर्ती हेतु जारी नहीं होकर वर्ष 2018 का जारी है। अतः इस अनुभव प्रमाणपत्र का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इन्हें 20 बोनस अंक प्रदान किये गये हैं जिस कारण इनके कुल प्राप्तांक 61.785 प्रतिशत इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 70.188 प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1018	NADIA HASAN	NO169846	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			अभ्यर्थी के औबीसी एनसीएल महिला वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 68.850 औबीसी एनसीएल महिला वर्ग की कटऑफ 66 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अनुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंको का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
1019	NAINEE DEVI	NO195406	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक 67.630 प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है परन्तु अभ्यर्थी ने का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंको का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1020	NAJMEEN KHAN	NO173390	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी द्वारा कोविड-19 में कार्य किये जाने के उपरांत भी अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर बोनस अंको का लाभ नहीं दिया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंको का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1021	nanak ram	NO160174	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1022	NANDA KUMARI	NO197746	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 63.200 प्रतिशत है, जिसके उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

X

31/07/24

			में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंको को लाभ दिया जाकर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
1023	NARAYANEE NATH YOGI	NO190378	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत कटऑफ से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में श्रेणी सुधार की ऑनलाईन परिवेदना प्रस्तुत की गई थी। साथ ही अभ्यर्थी द्वारा संविदा पर 629 दिवस कार्य किया है परन्तु प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अनुभव की गणना 26 दिवस के आधार पर किये जाने के कारण अनुभव अवधि 02 वर्ष से कम की गई है जिसे प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक 2265 दिनांक 01.09.2023 के द्वारा संशोधित कर 30 दिवस के आधार पर अनुभव अवधि 02 वर्ष कर दी गई है। अतः अभ्यर्थी ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने परिवेदना के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 01.09.2023 को जारी एक पत्र संलग्न किया है जिसमें वर्ष की गणना हेतु 312 दिवस के अनुभव को 365 दिवस का माना जाने एवं 1 माह को 26 दिवस के स्थान पर 30/31 दिवस का माना जाने हेतु लिखा है। अतः उक्त पत्र को ध्यान में रखते हुए अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर अनुभव अवधि को यदि आवश्यक हो तो दुरुस्त किया जाना प्रस्तावित है। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में आवेदकों के अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनर्सत्यापन कार्य प्रक्रियाधीन है। अतः अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अपनुमोदित।
1024	NARENDRA KUMAR	NO197478	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को अनुसूचित जाति वर्ग में अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंको का लाभ दिया जाकर कुल औसत प्राप्तांक 70.820 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1025	NARENDRA KUMAR BAIRWA	NO198929	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को अनुसूचित जाति वर्ग में अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंको का लाभ दिया जाकर कुल औसत प्राप्तांक 65.900 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंको का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1026	NARENDRA KUMARI MALI	NO218036	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

				जाने के उपरान्त वृद्ध समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
1027	NARENDRA SINGH	NO192109	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 79.600 ओबीसी एनसीएल वर्ग की कटऑफ 70.21 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ जेएलएन चिकित्सालय अजमेर द्वारा 2097 दिवस नर्स श्रेणी द्वितीय पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके पुनर्सत्यापन के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंक दिये जाने प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1028	NARENDRA SINGH SEERVI	NO190800	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को बोनस अंको का लाभ दिया जाने पर ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में औसत प्राप्तांक प्रतिशत 71.950 ओबीसी एनसीएल वर्ग की कटऑफ प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1029	NARESH KUMAR	NO167100	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 70.850 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग की कटऑफ लगभग 65 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोंही द्वारा जारी 2 अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं जिनका कुल अनुभव अवधि 3 वर्ष से अधिक है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 30 प्रतिशत बोनस अंक देय हैं जबकि इन्हें 15 प्रतिशत ही बोनस अंक दिये गये हैं जिसके कारण इनके कुल प्राप्तांक 70.851 प्रतिशत के स्थान पर 55.851 रह जाने से चयन से वंचित रहे हैं। अतः अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के आधार पर 30 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथा स्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1030	NARESH KUMAR MAHALA	NO161796	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1031	NARESH KUMARI PANDAY	NO152738	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1032	NAVEEN KUMAR ARYA	NO170920	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1033	NAVEEN KUMAR	NO171005	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में बोनस अंको	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ 2 अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं जिसमें 1 प्रमाणपत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर द्वारा जारी 368 दिवस का व	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।



	MEENA		का लाभ दिया जाकर कुल औसत प्राप्तांक 77.450 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा जारी 850 दिवस का है। दोनो प्रमाण नर्स पद के कार्य के निर्धारित प्रापत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी है जिसका अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन के आधार पर 30 बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
1034	NAVEEN PANWAR	NO189977	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1035	NAVIN KUMAR MEENA	NO193743	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 64.010 कटऑफ से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का 63.06 प्रतिशत पर चयन किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1036	NAYNA MEENA	NO204057	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 62.540 कटऑफ 62.05 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1037	NAZMEEN BANO	NO171151	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु.	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

				7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
1038	NEELAM	NO201034	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 67.130 कटऑफ 66.41 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1039	NEELAM BAIRWA	NO204321	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति महिला वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 65.570 से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है जबकि अभ्यर्थी का चयन अंतरिम-चयन सूची में नहीं किया गया है ना ही संकेत गये परिणाम की सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1040	NEELAM CHOUDHARY	NO200591	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के कोरोना काल में कार्यरत अनुभव अवधि के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाकर कुल प्राप्तांक 69.190 प्रतिशत है परन्तु अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं को बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1041	NEELAM MEENA	NO157437	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1042	NEELAM PANDAYA	NO182457	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग में बोनस अंको का	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			लाभ दिया जाकर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 58.870 होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत 55.841 प्रतिशत पर ईडब्ल्यूएस महिला अभ्यर्थी पर चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
1043	NEELAM PANDETA	NO170897	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग में कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.460 होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत 55 प्रतिशत पर ईडब्ल्यूएस महिला अभ्यर्थी का चयन हुआ है। साथ ही अभ्यर्थी ने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी दिनांक 13.10.2023 की प्रति संलग्न कर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1044	NEELAM TRIPATHI	NO181224	अभ्यर्थिया ने कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। केवल दरतावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1045	NEELU DHAKER	NO166434	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 1140 दिनांक 23.05.2023 में कुल दिवस 970 एवं पत्रांक 2252 दिनांक 31.08.2023 में वर्णितानुसार 312 दिवस को 01 वर्ष एवं 26 दिवस को 01 माह माना गया है। अतः अनुभव अवधि 970 दिवस को 03 वर्ष 01 माह 08 दिवस मानते हुए बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने परिवेदना के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी एक पत्र संलग्न किया है जिसमें वर्ष की गणना हेतु 312 दिवस के अनुभव को 365 दिवस का माना जाने एवं 1 माह को 26 दिवस के स्थान पर 30/31 दिवस का माना जाने हेतु लिखा है। अतः उक्त पत्र को ध्यान में रखते हुए अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर अनुभव अवधि को यदि आवश्यक हो तो दुरुस्त किया जाना प्रस्तावित है। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में आवेदकों के अनुभव प्रमाण पत्रों का पुर्नसत्यापन कार्य प्रक्रियाधीन है। अतः अभ्यर्थिया के अनुभव प्रमाणपत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1046	NEETA KUMARI NINAMA	NO186577	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 70.210 अंतरिम कटऑफ 62.05 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं को अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			अंको का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया गया है।		
1047	NEETU KHOKHAR	NO111338	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में औसत प्राप्तांक 70.670 प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है जबकि अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1048	Neetu Kumari	NO198126	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति महिला वर्ग में बोनस अंको का लाभ दिया जाकर कुल औसत प्राप्तांक 64.91 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ प्रतिशत 63.61 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1049	NEETU MAHAVER	NO195580	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति महिला वर्ग में बोनस अंको का लाभ दिया जाकर कुल औसत प्राप्तांक 65.670 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ प्रतिशत 63 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1050	NEETU MEENA	NO195306	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में बोनस अंको का लाभ दिया जाकर कुल औसत प्राप्तांक 63.090 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ प्रतिशत 62.05 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1051	NEETU MEENA	NO171948	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में बोनस अंको का लाभ दिया जाकर कुल औसत प्राप्तांक 63.69 प्रतिशत होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है जिससे प्रतीत होता है कि अभ्यर्थी को बोनस अंको का लाभ नहीं दिया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं को बोनस अंको का लाभ दिया जाकर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंको का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
1052	NEHA KUMARI SHARMA	NO189583	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग में बोनस अंको का लाभ दिया जाकर कुल औसत प्राप्तांक 58.110 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ प्रतिशत 55.83 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1053	NEHA KUMARI SHARMA	NO198721	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 64.410 प्रतिशत होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1054	NEHA SALVI	NO148428	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 66.280 अंतरिम कटऑफ प्रतिशत 63.61 से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने कोरोना काल में कुल 528 दिवस के कार्य के अनुभव का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1055	NEHA SINGH	NO127215	अभ्यर्थी ने कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। केवल अनुभव प्रमाण पत्र एवं अंकतालिका की प्रति प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1056	NEMI	NO144816	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाकर कुल औसत प्राप्तांक 68.40 प्रतिशत होने के उपरांत भी	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

*(Handwritten marks)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

			अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
1057	NIKITA KUMARI	NO203937	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में बोनस अंको का लाभ दिया जाकर कुल औसत प्राप्तांक 65.280 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 62.05 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1058	NIKITA SHARMA	NO162147	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग में बोनस अंको का लाभ दिया जाकर कुल औसत प्राप्तांक 66.68 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 55 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1059	NIKKU KUMPAWAT	NO148487	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 63.20 प्रतिशत है जो कि ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग की चयन सूची में आता है जबकि अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है ना ही अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्र के नम्बर सम्मिलित किये गये है। अतः अभ्यर्थी ने ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग में बोनस अंको का लाभ दिया जाकर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1060	NILESH JOSHI	NO199041	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को 30 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाकर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 77.100 अंतरिम कटऑफ 75.51 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1061	NILOFAR BANU	NO195440	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पूर्व में जारी अनुभव प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी के अनुभव	अभ्यर्थी ने परिवेदना के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा दिनांक 12.10.2023 को जारी एक पत्र संलग्न किया है जिसमें वर्ष की गणना हेतु 312 दिवस के अनुभव	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			की गणना 26 दिवस के आधार पर किये जाने के कारण अनुभव अवधि 03 वर्ष से कम की गई जबकि विज्ञप्ति जारी दिनांक तक अभ्यर्थी का अनुभव 03 वर्ष 04 दिवस का है, जिसके संबंध में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक 1949 दिनांक 12.10.2023 द्वारा अनुभव अवधि को संशोधित करते हुए अनुभव अवधि 03 वर्ष 04 दिवस कर दी गई है। अतः अभ्यर्थी ने 30 बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में स्वयं का नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	को 365 दिवस का माना जाने एवं 1 माह को 26 दिवस के स्थान पर 30/31 दिवस का माना जाने हेतु लिखा है। अतः उक्त पत्र को ध्यान में रखते हुए अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर अनुभव अवधि को यदि आवश्यक हो तो दुरुस्त किया जाना प्रस्तावित है। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में आवेदकों के अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनर्सत्यापन कार्य प्रक्रियाधीन है। अतः अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	
1062	NIRAJ KUMAR	NO179355	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर कुल औसत प्राप्तांक 73.52 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 70.21 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर द्वारा जारी 2 अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनकी अवधि 864 क्रमशः व 207(कुल 71) दिवस है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 30 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ देय है। अतः अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर अभ्यर्थी को अनुभव अंकों का लाभ देते हुए अंतिम वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
1063	NIRBHAY SHEKHAWAT	NO168847	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 68.960 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 65.24 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ 3 अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिसकी कुल अवधि 3 वर्ष से अधिक है। अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाणपत्रों के पुनर्सत्यापन उपरान्त बोनस अंकों का निर्धारण कर तदनुसृत कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1064	NIRMA	NO186852	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर कुल औसत प्राप्तांक 67.710 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्य हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1065	NIRMA	NO193085	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के मापदण्डों के अनुसार कुल प्राप्तांक प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

1066	NIRMA BAI MEENA	NO205906	हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 64.542 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 62 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1067	NIRMA DEVI	NO160989	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के इंडब्ल्यूएस महिला वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 60.36 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 55.84 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंको का लाभ दिया जाकर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1068	NIRMA KUMARI NINAMA	NO201741	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थीया द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ दो अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं जो निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैं। जिनकी कुल अवधि 1111 दिवस है। अतः 3 वर्ष से अधिक अवधि होने के कारण अनुभव पुनर्सत्यापन के आधार पर अभ्यर्थीया को पूर्व में दिये गये 15 बोनस अंकों के स्थान पर 30 प्रतिशत बोनस अंक दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1069	NIRMA VISHNOI	NO202693	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को बोनस अंको का लाभ नहीं दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में स्वयं का नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंको का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1070	NIRMAL KUMAR MEENA	NO200324	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में बोनस अंको का लाभ दिया जाकर कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 63.150 अंतरिम कटऑफ प्रतिशत 63.063 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंको का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1071	NIRMAL SINGH	NO169650	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई	अभ्यर्थी ने अधीक्षक पी.बी.एम. अस्पताल बीकानेर द्वारा 01.06.2023 को जारी यू.टी.बी. पर	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।



			है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	नर्स पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसकी अवधि 2 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष से कम होने के कारण 20 बोनस अंकों का लाभ देय है। अतः आर.एन.सी. पंजीयन एवं अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	
1072	NIRMALA KHYALIA	NO200943	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 66.80 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 66.40 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1073	NIRMALA KUMARI SHARMA	NO158319	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1074	NIRUTMA MAHAWAR	NO182658	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 64.34 अंतरिम कटऑफ 63.61 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1075	NISHA BANSAL	NO201859	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 67.470 अंतरिम कटऑफ 55.06 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं के अनुभव प्रमाण पत्रों का उल्लेख करते हुए बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1076	NISHA BHARDWAJ	NO178122	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

				प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
1077	NISHA KUMARI MEENA	NO205668	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अनुसूचित जनजाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 62.410 अंतरिम कटऑफ 62.05 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1078	NISHA MEENA	NO190183	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर इन्टर्नशिप के अंक जोड़े जाकर अनुसूचित जनजाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 62.045 प्रतिशत के आधार पर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर द्वारा जारी 532 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें अभ्यर्थी का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रू. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर रू. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण इन्हें बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। अनुभव प्रमाण पत्र में दर्शायी गई भुगतान की दर के अनुसार इन्हे नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। किन्तु भुगतान दर कुल भुगतान से मेल नहीं खाने के कारण अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1079	NISHA MEENA	NO164038	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में बोनस अंको का लाभ दिया जाकर कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 65.320 अंतरिम कटऑफ 62.05 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रू. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1080	NISHA SHAKYWAL	NO201552	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 64.65 अंतरिम कटऑफ 63.61 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रू. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

				के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
1081	NISHA SINGH RATHORE	NO197794	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 63.020 अंतरिम कटऑफ 55.84 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिन्होंने नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1082	NUSHRAT BANO	NO161967	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 69.99 अंतरिम कटऑफ 64.4 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अनुभव का लाभ प्रदान करते हुए अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1083	NUTAN KUMARI JATAV	NO176921	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 65.120 अंतरिम कटऑफ 63 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1084	OM PRAKASH	NO200731	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 70.500 होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों को अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1085	ONKAR MAL JAT	NO151260	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में 30 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 70.490 अंतरिम कटऑफ 70.21 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़ द्वारा जारी 4790 दिवस का 108 एम्बुलेंस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके पुनर्सत्यापन के आधार पर इन्हें बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

			गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
1086	PADMA KUMARI GURJAR	NO201971	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के एनबीसी एनसीएल जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 62.19 अंतरिम कटऑफ 58 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1087	PADMA KUMAWAT	NO166564	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाकर कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 66.760 अंतरिम कटऑफ 66.41 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंको का लाभ दिया जाकर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1088	PANKAJ KUMAR	NO103826	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1089	PANKAJ KUMAR JINGAR	NO177141	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 65.42 होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक 65.27 प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंको का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1090	PAPITA KUMARI	NO172584	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि कम्प्यूटर ऑपरेटर की गलती की वजह से कोविड कॉलम में 'ही' के स्थान पर 'नहीं' हो गया था। जिसके कारण 15 बोनस अंक नहीं जुड़ सके। अतः अभ्यर्थी द्वारा 15 बोनस अंक जोड़कर अन्तिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंको का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1091	PARBHDEEP	NO213706	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है स्वयं के 69.75 प्रतिशत	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति	प्रकरण में नीति निर्धारण

	KAUR		प्राप्तांक है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन-क्रीमी-लेयर महिला की कट ऑफ 64.75 प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना में पुनः अनुभव प्रमाण पत्र का बोनस अंक जोड़कर अन्तिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1092	PARMESHWAR LAL MEENA	NO164184	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1093	PARMESHWARI KUMARI	NO165583	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 15 बोनस अंक जोड़कर 68.24 प्रतिशत प्राप्तांक होने पर भी अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम सूची में है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1094	PARUL TANWAR	NO192883	अभ्यर्थिया द्वारा ईडब्ल्यूएस महिला में 65.17 प्रतिशत प्राप्तांक होने पर भी अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि ईडब्ल्यूएस महिला कट ऑफ 54.841 प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1095	PAWAN KUMAR	NO153283	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1096	PAWAN KUMAR	NO186090	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में ईएमटी पद का 1595 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 73.950 अंतरिम कटऑफ 72.336 प्रतिशत से अधिक होने के उपरान्त भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूच में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जारी ईएमटी पद का 1595 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर इन्हे 30 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ देय है। अतः अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

1097	PAWAN MALI	NO145381	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि 78.56 प्राप्तांक के पश्चात् भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर बोनस अंक जोड़कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1098	PINKI GURJAR	NO184488	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में अनुभव प्रमाण पत्र (सीएचओ 25000 दर, 7900 दर एवं अन्य दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के एमबीसी एनसीएल जाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 64.860 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 58.00 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1099	PINKI KUMARI	NO209235	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में अनुभव प्रमाण पत्र (जीएनएम 488 दिवस, सीएचओ 402 दिवस (25000 दर) एवं 130 दिवस (7900 दर) एवं अन्य दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में 20 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 70.490 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 63.61 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1100	PINKI KUMARI	NO209988	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में सीएचओ प्रमाण पत्र एवं अंकतालिकाओं की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 65.810 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 63.61 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1101	PINKI MEENA	NO203158	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल अनुभव प्रमाण पत्र (पदनाम सीएचओ, दर 7900) की प्रति प्रस्तुत की गई है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

				07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
1102	PINKY SHARMA	NO186811	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में सीएचओ अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1103	PINKY VERMA	NO149580	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में सीएचओ अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 66.380 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 63.61 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1104	POOJA	NO163315	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में सीएचओ अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के एमबीसी एनसीएल जाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 63.250 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 58.66 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1105	POOJA	NO201979	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में सीएचओ अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के तय मापदण्ड अनुसार अंक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			निवेदन किया है।		
1106	POOJA ALRIA	NO172997	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में सीएचओ अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 66.650 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 63.61 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1107	POOJA BAIRWA	NO186740	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल अनुभव प्रमाण पत्र (पदनाम सीएचओ, दर 7900) एवं अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये हैं।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1108	POOJA BLOREYA	NO163690	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में सीएचओ अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 68.850 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 55.840 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1109	POOJA CHHANGANI	NO194073	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में सीएचओ अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 63.780 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 56 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1110	POOJA CHOUDHARY	NO211283	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र दिनांक 05.10.2023, सीएचओ अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।




			निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 69.420 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 66 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
1111	POOJA KUMARI	NO207204	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में सीएचओ पद का अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 6.150 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 62.5 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1112	POOJA KUMARI	NO190635	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल अनुभव प्रमाण पत्र (पदनाम सीएचओ, दर 7900) एवं अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1113	POOJA KUMARI	NO187153	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में सीएचओ पद का अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति वर्ग में बोनस अंको का लाभ दिया जाकर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंको का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1114	POOJA KUMARI	NO168224	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल अनुभव प्रमाण पत्र (पदनाम सीएचओ, दर 7900) एवं अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1115	POOJA KUMARI DHOBI	NO153993	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में सीएचओ पद का अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 65.530 प्रतिशत का उल्लेख करते हुए स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1116	POOJA KUMARI GADRI	NO149620	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में सीएचओ पद (128 दिवस, 7900 दर) का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के मापदण्ड अनुसार औसत प्राप्तांक प्रतिशत होने के उपरांत भी	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
1117	POOJA KUMARI KHATEEK	NO197680	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में सीएचओ पद का अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 64.710 प्रतिशत का उल्लेख करते हुए स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1118	POOJA KUMARI MEENA	NO176382	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 65.870 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 62.5 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1119	POOJA KUMARI SAINI	NO170076	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर श्री कल्याण आरोग्य सदन, सीकर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र (प्राईवेट) को मान्य कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा दो अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये जिसमें से एक अनुभव प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू द्वारा कोविड अवधि का 186 दिवस का जारी किया गया जिसके आधार पर 15 बोनस अंक प्रदान किये जा चुके हैं। शेष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कल्याण आरोग्य सदन सीकर का जारी प्रमाण पत्र निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है। इनकी सेवाएं राजस्थान सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थान में नहीं दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1120	POOJA MEENA	NO199227	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 65.340 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 62.5 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1121	POOJA REGAR	NO155371	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.30 जो की अनुसूचित जाति	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार

			फिमेल श्रेणी की कट ऑफ 63.61 प्रतिशत से अधिक होने के बावजूद चयन सूची में नाम नहीं आने का उल्लेख कर प्रोविजनल एवं फाईनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	उचित होगा।	कार्यवाही की जावे।
1122	POOJA SHARMA	NO201427	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.990 जो की ईडब्ल्यूएस श्रेणी की प्रतिशत लगभग 55 से अधिक होने के बावजूद चयन सूची में नाम नहीं आने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1123	POOJA SHARMA	NO180836	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.110 होने के बाद भी चयन नहीं होने जबकि ईडब्ल्यूएस श्रेणी की सामान्य कट ऑफ लगभग 55 प्रतिशत पर ईडब्ल्यूएस का अंतिम अभ्यर्थी चयनित होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1124	POOJA SHRINGI	NO199745	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.780 होने के बाद भी चयन नहीं होने जबकि ईडब्ल्यूएस श्रेणी की कट ऑफ लगभग 55.84 प्रतिशत पर ईडब्ल्यूएस का अंतिम अभ्यर्थी चयनित होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1125	POOJA VERMA	NO164060	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 15 बोनस अंक जोड़कर 65.150 प्रतिशत होने पर भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अनुसूचित जाति महिला की कट ऑफ लगभग 63 प्रतिशत पर अंतिम अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंको का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1126	POOJA YADAV	NO170449	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 66.24 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन-क्रीमी लेयर की कट ऑफ से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर बोनस अंक	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			जोड़कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।		
1127	POONAM	NO187967	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 65.340 प्रतिशत होने पर भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अनुसूचित जाति की कट ऑफ लगभग 63.61 प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1128	POONAM	NO110865	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 64.510 प्रतिशत होने पर भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि प्रतिशत कट ऑफ से ज्यादा है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को उसके द्वारा भरे गये डेटा के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। दस्तावेज सत्यापन के दौरान पाया गया कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये अनुभव प्रमाण पत्रों में से एक अनुभव प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुन्डुनू द्वारा जारी सीएचए पद का एवं एक अन्य अनुभव प्रमाण पत्र निजी अस्पताल द्वारा जारी है। नियमानुसार निजी संस्थान के अनुभव का लाभ देय नहीं है। अतः मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुन्डुनू द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र के 15 बोनस अंक देय है। इस प्रकार अभ्यर्थी के प्रतिशत प्राप्तांक 60.670 है जो उनके जाति वर्ग में अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 63.612 से कम होने के कारण चयनित नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1129	POONAM KUMARI	NO202259	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 64.53 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अति पिछड़ा वर्ग-नॉन-क्रीमी लेयर की कट ऑफ 58.66 गई है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1130	POONAM KUMARI	NO196147	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 15 बोनस अंक जोड़कर 63.630 प्रतिशत होने पर भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अनुसूचित जनजाति महिला की कट ऑफ लगभग 62.05 प्रतिशत पर अंतिम अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर पुनः जाँच कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1131	POONAM VYAS	NO204190	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 15 बोनस अंक जोड़कर 65.980 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि आर्थिक पिछड़ा वर्ग की कट ऑफ 55.84 गई है एवं	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 2 अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं। जिसमें एक प्रमाण पत्र सी.एच.ए. पद का कोविड. अवधि में 259 दिवस के कार्य का है। दूसरा प्रमाण पत्र अधीक्षक जगन्नाथ पहाडिया मेडिकल कॉलेज से नर्सिंग कार्य का 290 दिवस का जारी है। अतः अनुभव पुनर्सत्यापन के आधार पर 15 बोनस अंकों का लाभ देय है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।



			मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कॉलम 6.2 में नाम लिखा गया है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।		
1132	PRABHA SISODIYA	NO187283	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 15 बोनस अंक जोड़कर 70.120 प्रतिशत होने पर भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अनुसूचित जाति महिला की कट ऑफ लगभग 63.61 प्रतिशत पर अंतिम अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1133	PRADEEP	NO156815	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1134	PRADEEP KUMAR CHOPDAR	NO141582	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 30 बोनस अंक जोड़कर 76.80 प्रतिशत होने पर भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अनुसूचित जाति की कट ऑफ लगभग 66 प्रतिशत है एवं अनुभव प्रमाण पत्र में त्रुटि वश सीएचओ अंकित होने से मेरा नाम अंतरिम वरियता सूची में नहीं आना सम्भावित है। अभ्यर्थिया द्वारा त्रुटि को जारीकर्ता द्वारा सुधार करवाकर पूर्व में परिवेदना में भी संलग्न की है। (संलग्न-अनुभव प्रमाण पत्र एवं निरन्तर सेवा व भुगतान का प्रमाण पत्र) अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1135	PRADEEP KUMAR JHAROTIYA	NO165351	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि 71.450 प्रतिशत होने पर भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अनुसूचित जाति पुरुष की कट ऑफ लगभग 65.277 प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ कोविड अवधि का 624 दिवस जीएनएम पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ प्रदान किया जा चुका है। उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर द्वारा जारी कुल 562 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनमें अभ्यर्थी का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्हीं सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रू. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				कार्य हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण इन्हे बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
1136	PRAGATI DASHORA	NO201368	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि अंतरिम वरियता सूची में उससे कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1137	PRAGYAA SHARMA	NO209464	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 15 बोनस अंक जोड़कर 62.880 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर बोनस अंक जोड़कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1138	PRAKASH MISHRA	NO158533	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि 75.30 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन हुआ है एवं अनुभव प्रमाण पत्र में 'त्रुटि' से कॉलम 6.2 में 'ना' लिखा गया है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी वीकानेर द्वारा जारी 734 दिवस एवं नागौर द्वारा जारी 277 दिवस के अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं जिनकी कुल अवधि 1011 दिवस है। जिसके आधार पर इन्हे 20 प्रतिशत बोनस अंक देय हैं जो प्रदान किये जा चुके हैं। एक अन्य प्रमाण पत्र पत्र ईएमआरआई ग्रीन का जारी किया हुआ संलग्न किया है जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों रिट याचिका 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डी. बी. यचिका 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा राज्य पक्ष में निर्णित किया जा चुका है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1139	Pramesh Kumar Verma	NO208156	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि 68.990 प्रतिशत होने पर भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अनुसूचित जाति पुरुष की कट ऑफ लगभग 65.27 प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1140	PRAMILA	NO156372	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 15 बोनस अंक जोड़कर 67.470 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग-नोंन-श्रीमी लेयर की कट ऑफ 66.41 पर अन्तिम अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर बोनस अंक जोड़कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			करने का निवेदन किया है।		
1141	PRAMOD BANGARWA	NO185543	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा किया गया कार्य साईकेट्रिक नर्स का है। नीति निर्धारण समिति में लिए जाने वाले निर्णय अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1142	PRAMOD KUMAR MEENA	NO189044	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि 64.810 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1143	PREETI RANI	NO118115	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 15 बोनस अंक जोड़कर 58.500 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अति पिछड़ा वर्ग-नॉन-क्रीमी लेयर की कट ऑफ 58 प्रतिशत पर अन्तिम अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1144	PREM MEENA	NO200146	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि 15 बोनस अंक जोड़कर 64.170 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अनुसूचित जनजाति की कट ऑफ लगभग 62.05 प्रतिशत पर अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1145	PREM PRAKASH	NO187863	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि 15 बोनस अंक जोड़कर 67.840 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अनुसूचित जाति की कट ऑफ लगभग 65.27 प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1146	PRITI KUMARI	NO190826	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1147	PRIYA	NO172191	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार

	DADHICH		वरियता सूची में सम्मिलित किया गया है एवं साथ ही अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	उचित होगा।	कार्यवाही की जावे।
1148	PRIYA GOUR	NO115510	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 69.930 प्रतिशत कोविड के 15 बोनस अंक जोड़कर प्राप्तांक है, जबकि आर्थिक पिछड़ा वर्ग महिला की कट ऑफ 55.84 प्रतिशत पर अंतिम अभ्यर्थी का चयन हुआ। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत निवेदन किया है कि नाम सम्मिलित ना होने का कारण बताते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का श्रम करें।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1149	PRIYA KUMARI DHAKER	NO165017	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि फॉर्म भरते समय इन्टरशीप के प्रतिशत नहीं जोड़े गये थे, किन्तु दस्तावेज सत्यापन के समय जुड़वा दिये गये थे और अभ्यर्थिया के 70.73 प्रतिशत इन्टरशीप के अंक जोड़कर बन रहे है जबकि ओबीसी-महिला की कट ऑफ 66.41 है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1150	PRIYA KUMARI MEGHWAL	NO197146	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1151	PRIYA MICHEAL	NO164344	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि उससे कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों का चयन सूची में नाम है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1152	PRIYA SAHU	NO206896	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 15 बोनस अंक जोड़कर 70.740 प्रतिशत होने पर भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन-क्रीमी लेयर महिला की कट ऑफ लगभग 64.57 प्रतिशत पर अंतिम अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर पुनः जाँच	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु.	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।



			कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
1153	PRIYADARSHA NI PAL	NO203751	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 66.420 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अति पिछड़ा वर्ग-नॉन-क्रीमी लेयर महिला की कट ऑफ लगभग 66.420 प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1154	PRIYANKA	NO175120	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 15 बोनस अंक जोड़कर 66.75 प्रतिशत होने पर भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन-क्रीमी लेयर में 64.41 प्रतिशत पर अंतिम अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1155	PRIYANKA	NO164676	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि अनुसूचित जनजाति श्रेणी में 63.270 प्रतिशत अंक, जिसमें इन्टर्नशिप के अंक वृटिवंश सम्मिलित नहीं थे। परन्तु दस्तावेज सत्यापन में सुधार पश्चात् अनुभव अंक जोड़ते हुए 63.6204 प्रतिशत अंक होते हुए भी मेरे से कम प्रतिशत अंक वाले अनुसूचित जनजाति श्रेणी के सामान्य व महिला अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1156	PRIYANKA	NO186874	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 15 बोनस अंक जोड़कर 72.410 प्रतिशत होने पर भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन-क्रीमी लेयर महिला कट ऑफ 64.41 प्रतिशत पर अंतिम अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर नाम सम्मिलित न होने के कारण बताते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1157	Priyanka	NO217765	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति	प्रकरण में नीति निर्धारण

			है अभ्यार्थिया द्वारा कोविड-19 से सम्बंधित नियंत्रण कार्य (नर्सिंग सम्बंधित) किए गए जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिन है और यह भी बताया है कि उससे कम प्रतिशत वाले अभ्यार्थी का चयन हुआ है। अतः बोनस अंक जोड़कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1158	PRIYANKA BAJAD	NO173739	अभ्यार्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1159	PRIYANKA CHOUDHARY	NO116003	अभ्यार्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उसके प्राप्तांक कट ऑफ से ज्यादा है और उससे कम प्रतिशत वाले अभ्यार्थी का नाम सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यार्थिया ने अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1160	PRIYANKA CHOUDHARY	NO159225	अभ्यार्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 15 बोनस अंक जोड़कर 67.760 प्रतिशत होने पर भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन-क्रीमी लेयर महिला कट ऑफ 64.41 प्रतिशत पर अंतिम अभ्यार्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यार्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर नाम सम्मिलित न होने के कारण बताते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1161	PRIYANKA DAMOR	NO197575	अभ्यार्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अनुसूचित जनजाति कैटेगिरी में 62.130 प्रतिशत प्राप्तांक है, लेकिन कट ऑफ 62.05 प्रतिशत होने पर भी नाम सूची में नहीं है। अतः अभ्यार्थिया ने बोनस अंक जोड़कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1162	PRIYANKA KUMARI	NO193537	अभ्यार्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 15 बोनस अंक जोड़कर 70.080 प्रतिशत होने पर भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन-क्रीमी लेयर महिला कट ऑफ 64.41 प्रतिशत पर अंतिम अभ्यार्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यार्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर नाम सम्मिलित न होने के कारण बताते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।



			किया है।		
1163	PRIYANKA KUMARI	NO178351	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 15 बोनस अंक जोड़कर 71.67 प्रतिशत होने पर भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग-नोंन-श्रीमी लेयर महिला कट ऑफ 64.41 प्रतिशत पर अंतिम अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर नाम सम्मिलित न होने के कारण बताते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1164	PRIYANKA KUMARI	NO195877	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1165	PRIYANKA KUMARI MEENA	NO198473	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अनुसूचित जनजाति केटेगिरी में 64.220 प्रतिशत प्राप्तक है, लेकिन अनुसूचित जनजाति महिला कट ऑफ 62 प्रतिशत होने पर भी नाम सूची में नहीं है। अतः अभ्यर्थिया ने अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1166	PRIYANKA MEENA	NO209562	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1167	PRIYANKA MEENA	NO155317	अभ्यर्थिया ने अवगत कराया है कि 15 बोनस अंक जोड़कर 62.52 प्रतिशत अंक होने पर भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का है। अतः अभ्यर्थिया ने अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1168	PRIYANKA MEGHWAL	NO136159	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 15 बोनस अंक जोड़कर 66.110 प्रतिशत होने पर भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अनुसूचित जाति महिला कट ऑफ 62 प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।		
1169	PRIYANKA PAYAK	NO152019	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1170	Priyanka Singhal	NO198427	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल अनुभव प्रमाण -पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1171	PRIYANKA SOUNKARIA	NO203320	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अभ्यर्थिया के 64.200 प्रतिशत प्राप्तांक है, जबकि अनुसूचित जनजाति महिला कट ऑफ 63.61 प्रतिशत होने पर भी नाम सूची में नहीं है। अतः अभ्यर्थिया ने अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1172	PRIYANKA TANK	NO192905	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 15 बोनस अंक जोड़कर 67.72 प्रतिशत होने पर भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन-क्रीमी लेयर महिला कट ऑफ 66.41 प्रतिशत पर अन्तिम अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थिया ने नाम ना आने का कारण बताते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्य हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1173	PRIYANKA YADAV	NO165689	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि 15 बोनस अंक जोड़कर 66.41 प्रतिशत प्राप्तांक होने पर भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अभ्यर्थिया से कम प्रतिशत वाले का सूची में नाम सम्मिलित है। अतः अभ्यर्थिया ने बोनस अंक को जोड़ते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1174	PUJA KUMARI	NO193096	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 68.150 प्रतिशत होने पर भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन-क्रीमी लेयर महिला कट ऑफ 66.41 प्रतिशत रही है। अतः अभ्यर्थिया ने अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1175	PUJA MATHUR	NO190344	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।



1176	Pulkit Nagar	NO103790	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1177	PUNEET KUMAR	NO141553	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अभ्यर्थी के 66.660 प्रतिशत प्राप्तांक है, जबकि अनुसूचित जाति पुरुष कट ऑफ 65.277 प्रतिशत होने पर भी नाम सूची में नहीं है। अतः अभ्यर्थिया ने अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1178	PURAN KUMARI MEENA	NO167477	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 62.77 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अनुसूचित जनजाति महिला की कट ऑफ लगभग 62.05 प्रतिशत पर अन्तिम अभ्यर्थिया का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1179	PUSHPENDRA SINGH	NO187129	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 64.950 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अति पिछड़ा वर्ग-नॉन-क्रीमी लेयर की कट ऑफ 64.24 प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्हीं सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1180	PUSHVENDRA KAUR	NO170370	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि दस्तावेज सत्यापन की सूची में भेरे प्रतिशत 64.440 लिखे हैं, जोकि गलत है। प्रतिशत सुधार के लिए मैंने पूर्व में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं के प्रतिशत 68.994 होना बताया है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन-क्रीमी लेयर महिला प्रतिशत 66.410 है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1181	RACHNA GURJAR	NO144841	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 65.620 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अति पिछड़ा वर्ग-नॉन-क्रीमी लेयर की कट ऑफ 58.66 प्रतिशत है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।		
1182	RADHA BAGHEL	NO188368	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 15 बोनस अंक जोड़कर 64.34 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अति पिछड़ा वर्ग-नॉन-क्रीमी लेयर महिला की कट ऑफ 58.66 प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1183	RADHA KUMARI MEENA	NO145641	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज 10वीं 12वीं की अंकतालिका एवं दिनांक 28.12.2022 को पिता के नाम से जारी अनुसूचित जनजाति श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द द्वारा जारी जीएनएम पद पर क्लिनिकल कार्य का 1214 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ देय है। अतः अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1184	RADHA MEENA	NO173555	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 63.280 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अनुसूचित जनजाति महिला की कट ऑफ 61.05 है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1185	RADHA RANI KHATIK	NO171186	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 15 बोनस अंक जोड़कर 66.030 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अनुसूचित जाति महिला की कट ऑफ 63.61 पर अन्तिम अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1186	RADHIKA BAIRWA	NO180050	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 15 बोनस अंक जोड़कर 64.96 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अनुसूचित जाति महिला की कट ऑफ 63.61 पर अन्तिम अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।		
1187	RAGHURAJ SINGH	NO152053	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि 15 बोनस अंक जोड़कर 69.42 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अनुसूचित जाति महिला की कट ऑफ 65.27 पर अन्तिम अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर कारण बताते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1188	Rahul Kumar Meena	NO195674	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि 15 बोनस अंक जोड़कर 64.320 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर बोनस अंक जोड़ते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1189	RAHUL KUMAR UDAY	NO135399	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है 68.77 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अनुसूचित जाति पुरुष की कट ऑफ 65.277 है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1190	RAHUL MEENA	NO190759	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है 63.390 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अनुसूचित जनजाति पुरुष की कट ऑफ 63.06 है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1191	RAINU	NO165363	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी को 20 बोनस अंको का लाभ प्रदान करते हुए अंतरिम चयन किया जा चुका है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ कुल 1278 दिवस के 3 अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं। अतः अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन के आधार 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1192	RAJANI CHOUDHARY	NO166327	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि 68.480 प्रतिशत होने पर भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन-क्रीमी लेयर	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			महिला कट ऑफ 64.41 प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।		
1193	RAJBALA	NO202478	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है, केवल अनुभव प्रमाण पत्रों को संलग्न किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1194	RAJEENA JOYAS	NO189695	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 62.680 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि आर्थिक पिछड़ा वर्ग महिला की कट ऑफ 55.84 है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1195	RAJENDRA BURDAK	NO176362	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 30 प्रतिशत बोनस अंकों को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 78.560 होने के बाद भी चयन नहीं होने जबकि ओबीसी एनसीएल की कट ऑफ लगभग 70.21 प्रतिशत पर अंतिम अभ्यर्थी का चयन होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची व अंतिम सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर द्वारा जारी ईएमटी पद का 1784 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1196	RAJESH KUMAR MEENA	NO196213	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि 15 बोनस अंक जोड़कर 63.65 प्रतिशत होने पर भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अनुसूचित जनजाति कट ऑफ 63.05 सामान्य पर अंतिम अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1197	RAJESH MEENA	NO158171	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि 15 बोनस अंक जोड़कर 64.880 प्रतिशत होने पर भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अनुसूचित जनजाति मेल कट ऑफ 63.08 गइ है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1198	RAJHANS JATAV	NO140807	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि 30 बोनस अंक जोड़कर 75.680 प्रतिशत होने पर भी वरियता सूची में	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर द्वारा जारी 1216 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।



			नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अनुसूचित जाति मेल सामान्य की कट ऑफ 65.27 प्रतिशत पर अन्तिम अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	30 प्रतिशत बोनस अंक देय हैं। अतः अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्त्यापन के आधार पर 30 बोनस अंक दिया जाना प्रस्तावित है।	
1199	RAJIRAM PRAJAPAT	NO194993	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा किया गया कार्य साइकेट्रिक नर्स का है। नीति निर्धारण समिति में लिए जाने वाले निर्णय अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1200	RAJKUMARI MEENA	NO165553	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि कोविड में 129 दिवस कार्य सम्पादन किया है एवं 62.250 प्रतिशत प्राप्तांक होने पर भी सूची में नाम नहीं है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1201	RAJNEE KUMARI	NO130026	अभ्यर्थियो ने अवगत कराया है कि ऑन लाईन आवेदन करते समय ईमित्र संचालक द्वारा मेरे फार्म में गलती से आरएनसी रजि. दिनांक 31.12.2019 अंकित कर दी थी, उक्त गलती को मैंने बाद में त्रुटि संशोधन में सही कर आरएनसी रजि. दिनांक 30.10.2015 अंकित करवा दी थी एवं 82.730 प्रतिशत प्राप्तांक पश्चात् भी वरियता सूची में नाम नहीं है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्डुनू द्वारा 1338 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा नर्सिंग कार्य का जारी है। अतः 3 वर्ष से अधिक अवधि होने के कारण अनुभव पुनर्सत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को 30 प्रतिशत बोनस अंक दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1202	RAJPAL KAUR SANDHU	NO168850	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1203	RAJU KUMAR GURJAR	NO189238	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 65.310 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अति पिछड़ा वर्ग-नॉन-क्रीमी लेयर की में 64 प्रतिशत प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर कारण बताते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1204	RAKESH	NO198991	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि दस्तावेज सत्यापन के समय 30 बोनस अंक 75.630 प्रतिशत के	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा द्वारा सविदा नर्स द्वितीय के पद पर कोविड अवधि का 627 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

	KUMAR MEENA		<p>साथ सत्यापन किया गया था, परन्तु फिर भी प्रोविजनल सूची में नाम जारी नहीं किया गया है। अनुसूचित जाति की कट ऑफ 63.01 है। अभ्यर्थी ने निम्न तरिके से बोनस अंक देने के लिए निवेदन किया है:-</p> <p>1. अभ्यर्थी ने एनएचएम से स्टाफ नर्स का 627 दिन व कोविड-19 में 196 दिन कार्य किया है, जो 02 वर्ष से अधिक है। अतः अभ्यर्थी ने 20 अंक देने का निवेदन किया है।</p> <p>2. अभ्यर्थी ने एनएचएम से स्टाफ नर्स का 627 दिन व संविदा में सीएचओ पद पर 398 दिन कार्य किया है, जो 02 वर्ष से अधिक है। अतः अभ्यर्थी ने 20 अंक देने का निवेदन किया है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर चयन ना होने का कारण अवगत कराने का निवेदन किया है।</p>	<p>संलग्न किया है जिसके पुनर्सत्यापन के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने प्रस्तावित है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी 398 दिवस एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर द्वारा 196 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें अभ्यर्थी का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर/उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण इन्हे बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है।</p>	
1205	RAKESH PALIWAL	NO203323	<p>अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि 1237 दिवस का कार्य किया है, जो नर्सिंग ऑफिसर पद के समान कार्य है और बीकानेर संभाग के जॉइंट डायरेक्टर तथा बीकानेर सीएमएचओ द्वारा प्रमाणित किया है। लेकिन विभाग द्वारा जारी अंतरिम वरियता सूची में बोनस अंक का लाभ नहीं दिया गया है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर सीएचओ के पद पर किये कार्य का बोनस देकर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।</p>	<p>अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।</p>	<p>प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।</p>
1206	RAKHEE	NO208266	<p>अभ्यर्थीया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर द्वारा संविदा नर्स द्वितीय के पद पर कोविड अवधि का 495 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके पुनर्सत्यापन के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान दिये जा चुके हैं। शेष 02 अनुभव प्रमाण पत्र उप स्वास्थ्य केन्द्र, बालवाड़ एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र, घस्सीपुरा सीकर जो एक हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर है, पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर नर्सिंग ऑफिसर एवं चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य उपकेन्द्र चिकित्सोपचार हेतु संस्थान (अस्पताल) नहीं है। इस प्रकार स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर खेले गये हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर भी चिकित्सोपचार हेतु संस्थान (अस्पताल) नहीं हैं। राजकीय सेवा में कार्यरत एक संविदा नर्सिंग कर्मी अपनी सेवाएं अस्पताल (यथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय) में प्रदान करता है। नर्सिंग ऑफिसर के जॉब चार्ट से स्पष्ट है कि इसकी सेवाएं केवल अस्पताल में ही प्रदान की जा सकती हैं हैल्थ वेलनेस सेन्टर में नहीं। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को</p>	<p>परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।</p>

				बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर रु. 25000 प्रतिमाह पर नियुक्त सी.एच.ओ. का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण इन्हे बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
1207	RAKHEE MEENA	NO185256	अभ्यर्थिया ने अवगत कराया है कि दो अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर कुल 1218 दिवस (03 वर्ष 08 माह) का बोनस अंक 30 प्रतिशत होना चाहिए। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर 30 बोनस अंक अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर जोड़कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में 1221 दिवस का जीएनएम पद के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिनके पुर्नसत्यापन के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस दिये जाने है। इस प्रकार पूर्व में दिये गये 15 बोनस अंको के स्थान पर 30 प्रतिशत बोनस अंको सहित भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1208	RAKHI BHATI	NO203261	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1209	RAM GOPAL MUNDEL	NO198583	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1210	RAM RAKHI BAIRWA	NO145006	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 15 प्रतिशत बोनस अंक जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.14 जो की अनुसूचित जाति वर्ग की कट ऑफ 63.61 प्रतिशत से अधिक होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1211	RAM SINGH YADAV	NO130077	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 74.020 जो की ओबीसी एनसीएल वर्ग की कट ऑफ 70.21 प्रतिशत से अधिक होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर अनुभव के	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			आधार पर बोनस अंको का लाभ देने एवं स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।		
1212	RAM SWAROOP	NO132227	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव के आधार पर बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 83.286 होने के बावजूद स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में कोविड स्वास्थ्य सहायक प्रद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके हैं। अब अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना के साथ स्वास्थ्य मार्गदर्शन पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थी का स्वास्थ्य मार्गदर्शक के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। अतः अभ्यर्थी को बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1213	RAMA GURJAR	NO176704	अभ्यर्थियों द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1214	RAMESH CHAND PRAJAPAT	NO144387	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी ने परिवेदना के साथ 03 वर्ष 03 माह 22 दिवस के जीएनएम पद के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं। जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 30 बोनस अंक देय है। अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थी को पूर्व में दिये गये 20 बोनस अंको के स्थान पर 30 बोनस अंक दिये जाने प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1215	RAMESH CHANDRA REGAR	NO147715	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1216	RAMESH KUMAR	NO147391	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.740 जो कि एमबीसी एनसीएल वर्ग की कट ऑफ लगभग 64.243 से अधिक होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्राविजनल सूची में	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ 2 अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं। जिनमें से एक अनुभव प्रमाण पत्र 497 दिवस का कोविड अवधि का संविदा नर्स ग्रेड द्वितीय पद का जारी किया गया है जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को पूर्व में ही 15 बोनस अंक प्रदान किये जा चुके हैं।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	दूसरा प्रमाणपत्र एचडब्ल्यूसी अचलपुर सांचोर, जिला जालौर जो एक हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर है, पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर नर्सिंग ऑफिसर एवं चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य उपकेन्द्र चिकित्सोपचार हेतु संस्थान (अस्पताल) नहीं है। इस प्रकार हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर भी चिकित्सोपचार हेतु संस्थान (अस्पताल) नहीं हैं। राजकीय सेवा में कार्यरत एक संविदा नर्सिंग कर्मी अपनी सेवाएं अस्पताल (यथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, मेडिकल कालेज चिकित्सालय) में प्रदान करता है। नर्सिंग ऑफिसर के जॉब चार्ट से स्पष्ट है कि इसकी सेवाएं केवल अस्पताल में ही प्रदान की जा सकती हैं हेल्थ वेलनेस सेन्टर में नहीं। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर रु. 25000 प्रतिमाह पर नियुक्त सी.एच.ओ. का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण इन्हे बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
1217	RAMESH KUMAR SUKARIYA	NO168344	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 15 प्रतिशत बोनस अंकों को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.45 जो कि अनुसूचित जाति भेल सामान्य वर्ग की फट ऑफ 65.27 प्रतिशत से अधिक होने का उल्लेख कर कोविड अवधि में कार्य करने पर बोनस अंकों का लाभ देने एवं स्वयं का नाम प्राविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1218	RAMGHANI GURJAR	NO186123	अभ्यर्थियों द्वारा एमबीबीसी वर्ग का नया जाति प्रमाण पत्र एवं जीएनएम के तीनों वर्षों की अंकतालिका और इन्टर्नशिप के अंकों में सुधार चाहने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1219	RAMRAJ BAIRWA	NO202653	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 67.37 प्रतिशत है। अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक 65.27 प्रतिशत पर अनुसूचित जाति वर्ग में अन्य अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

ब ४

४

४

				के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
1220	RANJANA	NO205564	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 65.99 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 63.61 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम वरियता सूची में अभ्यर्थी का चयन नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1221	RANJANA BAIRWA	NO175315	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1222	RANJEET VALMIKI	NO180560	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के मापदण्ड अनुसार अंक होने के उपरांत भी अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1223	RASHID MOHAMMED	NO168651	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में 30 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 79.060 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 70.21 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1224	RASHMI GURJAR	NO176499	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के एमबीसी एनसीएल जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 64.43 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 58.81 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1225	RASHMI MEENA	NO153853	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 64.340	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 62.05 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
1226	RASHMI MEENA	NO156174	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 63.370 प्रतिशत है परन्तु अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अन्य सीएचओ अभ्यर्थी यथा बुद्धराम मेघवाल, आई0डी0 191834, सीमा ओझा, आई0डी0 169598 को अंतरिम वरियता सूची में क्रमशः 20 प्रतिशत, 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया गया है। अभ्यर्थी को सीएचओ पद के अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंको का लाभ दिये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1227	RATAN JOKSON	NO171470	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 76.760 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी ने स्वयं के अनुभव प्रमाण पत्रों का उल्लेख करते हुए अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों में एक सी.एच.ए. के रूप में कोविड महामारी नियंत्रण कार्य का है एवं दूसरा कोविड अवधि के बाद का स्टाफ नर्स के कार्य का जिनकी सम्मिलित रूप से अवधि 2 वर्ष से कम होने के कारण 15 बोनस अंक देय है। एक अन्य प्रमाण पत्र एसोसिएट प्रोफेसर, न.भू.रा. अस्पताल द्वारा इन्फेन्ट असेसमेंट रोटा वायरस प्रोजेक्ट में कार्य का है जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में समान कार्य जारी नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। अतः 15 बोनस अंकों के साथ अभ्यर्थी के प्राप्तांक 61.760 प्रतिशत इनकी श्रेणी अनुसूचित जाति महिला वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों 63.612 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निरस्तारित की जाती है।
1228	RATANA RAM	NO107274	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1229	RAVEENA BAIRWA	NO204668	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 70.930 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 65 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1230	RAVI KUMAR DAYMA	NO166903	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार

				उचित होगा।	कार्यवाही की जावे।
1231	RAVI KUMAR MEENA	NO164830	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 63.95 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 63.06 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1232	RAVI PARASHAR	NO147969	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस में कुल औसत प्राप्तांक 74.090 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 72.33 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1233	RAVI PRAKASH JAT	NO140708	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 71.17 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 70.23 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1234	RAVINA CHOUDHARY	NO147802	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1235	RAVINDRA KUMAR	NO142939	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल वर्ग में 30 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 73.610 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 70 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा किया गया कार्य साइकोट्रिक नर्स का है। नीति निर्धारण समिति में लिए जाने वाले निर्णय अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1236	RAVINDRA KUMAR	NO151276	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन में बोनस सहित कुल औसत प्राप्तांक 74.76 प्रतिशत है। दस्तावेज सत्यापन	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ 3 अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं। जिसमें एक अनुभव प्रमाणपत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर द्वारा 260 दिवस का कोविड अवधि का 29.05.2023 का जारी है जिसका 15 बोनस अंकों का लाभ	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।



	SHARMA		के दौरान अनुभव के 30 अंकों को नहीं जोड़े जाने पर अभ्यर्थी द्वारा माननीय न्यायालय, जयपुर में रिट दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.09.2023 को जारी आदेश के तहत अनुभव के अंकों को जोड़ते हुए अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को देय है। शेष 2 अनुभव प्रमाण पत्र निजी क्षेत्र के जारी किये गये हैं जिनका बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार देय नहीं है। फलस्वरूप 15 बोनस अंकों के साथ अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 59.756 प्रतिशत इनकी श्रेणी ओबीसी एनसीएल सामान्य में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 70.188 से कम होने के कारण चयन संभव नहीं है। अभ्यर्थी को 15 बोनस अंक देते हुए वरियता सूची में यथास्थान रखा जाना एवं दायर रिट याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	
1237	REENA BAIRWA	NO104079	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल प्राप्तांक 66.180 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1238	REENA MEGHWAL	NO201315	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल प्राप्तांक 64.140 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 63.61 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1239	REENA RANI	NO172387	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में बोनस अंक सहित कुल प्राप्तांक 69.480 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम वरियता सूची में किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1240	REENA SAINI	NO201875	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1241	REENA SHARMA	NO205245	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत में कोरोना काल में दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 तक कुल 128 दिवस कार्यरत के अनुभव के आधार पर बोनस अंक तथा व्यावसायिक योग्यता में इन्टर्नशिप के	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			नम्बर जोड़कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
1242	REENA SHARMA	NO188415	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुभव के आधार पर बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 65.53 प्रतिशत बनते हैं किन्तु अभ्यर्थी का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1243	REENA TYAGI	NO185370	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस वर्ग में कुल प्राप्तांक 70.44 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस वर्ग में चयनित अन्य अभ्यर्थियों के प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंको का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1244	REENKA PANANI	NO186282	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के मापदण्ड अनुसार अंक होने के उपरांत भी अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1245	REENU YADAV	NO197119	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंको का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1246	REHANA BANU ANSARI	NO204816	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल याचिका संख्या 1480/2020 एव अन्य दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1247	REKHA BAI	NO201429	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति	पकरण में नीति निर्धारण

	GURJAR		अभ्यर्थी के एमबीसी एनसीएल वर्ग में कुल प्राप्तांक 63.240 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 56 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1248	REKHA BAJROLIYA	NO177513	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल वर्ग में कुल प्राप्तांक 67.430 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 66.410 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा कोविड अवधि के दौरान कार्य सम्पादन का 2 वर्ष से कम अवधि का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसका 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ देय है। एक अन्य प्रमाण पत्र एच.आर. मैनेजर गुरुकृपा अस्पताल द्वारा जारी निजी संस्थान के कार्यानुभव का है जिसका राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थान का अनुभव नहीं होने से बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनकी श्रेणी ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 66.419 प्रतिशत से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1249	REKHA JANGID	NO152787	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल वर्ग में कुल प्राप्तांक 66.63 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 66.42 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1250	REKHA JOSHI	NO178250	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1251	REKHA KHARADI	NO212192	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल प्राप्तांक 63.130 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 62.05 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी को अंतरिम वरियता सूची में बोनस अंको का लाभ नहीं दिया गया है। अतः अभ्यर्थी ने नियमानुसार स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1252	REKHA KUMARI KHATI	NO151912	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल वर्ग में कुल प्राप्तांक 68.19 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 66.41 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
1253	REKHA KUMARI MEENA	NO199276	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1254	Rekha Kumari Meena	NO158507	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1255	REKHA KUMARI SHARMA	NO168600	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल प्राप्तांक 65.72 प्रतिशत बनते हैं परन्तु अभ्यर्थी को 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ नहीं दिया जाकर अंतरिम वरियता सूची में नाम पृथक कर दिया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1256	REKHA MEENA	NO207089	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 62.600 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 62.05 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंको का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1257	RENU ACHARYA	NO135382	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल वर्ग में 20 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 67.140 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 66.419 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंको का लाभ दिया जाकर स्वयं का नाम अंतरिम वरियता	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर द्वारा सी.एच.ए. पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसका 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ देय है। एक अन्य प्रमाण पत्र शिशुरोग विभाग में रोटा वायरस ए. एन.एम. फील्ड वर्कर योजनान्तर्गत फील्ड वर्क सम्पादन का जो नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थी को 15 बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
1258	RENU KUMARI SHARMA	NO169759	अभ्यर्थिया ने इडब्ल्यूएस महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 60.980 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 129 एवं 398 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1259	RENU RASGANIYA	NO141684	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 65.218 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 128 एवं 401 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1260	RENUKA SAULANKI	NO185156	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 496 एवं 546 दिवस का जीएनएम पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र भी संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन में 1042 दिवस का जीएनएम पद के अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं जिनके पुनर्सत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाकर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1261	RENUKA UJANIYA	NO180160	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 65.354 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 131, 402 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1262	RESHMA CHOUDHARY	NO207918	अभ्यर्थिया ने ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 67.32 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 131 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अभ्यर्थियों ने डीपी के समय पुराना जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया था जिसे बाद में नया बन जाने पर परिवेदना के साथ जमा कराने बाबत निवेदन किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।		
1263	RINKU DHANKHAR	NO202729	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 127 एवं 460 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र भी संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जाये।
1264	RINKU GURJAR	NO155089	अभ्यर्थिया ने आबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्तरों के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 59.620 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 129 एवं 402 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1265	RINKU KANWAR	NO178455	अभ्यर्थिया ने अनारक्षित महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 68.750 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 131 एवं 401 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1266	RINKU SHARMA	NO162462	अभ्यर्थिया ने इंडब्ल्यूएस महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 64.96 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 131 एवं 402 दिवस का	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जाये।


			सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।		
1267	RITU KUMARI	NO153375	अभ्यर्थिया ने ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 65.950 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 127 एवं 402 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1268	RITU SHARMA	NO206616	अभ्यर्थिया ने इंडब्ल्यूएस महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 59.640 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 130 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1269	RIYANKA GURJAR	NO159259	अभ्यर्थिया ने एमबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 64.747 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 131 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1270	ROHIT KUMAR MEENA	NO176214	अभ्यर्थी ने अनुसूचित जनजाति पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 67.90 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 130 दिवस का	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।		
1271	ROMI KUMARI JAIN	NO188790	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 1223 दिवस का नर्स ग्रेड द्वितीय/जीएनए पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र भी संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा नर्स द्वितीय पद का 1223 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को 30 प्रतिशत बोनस अंक देय है। इस प्रकार पूर्व में दिये गये 15 प्रतिशत बोनस अंको के स्थान पर 30 प्रतिशत बोनस अंक दिये जाकर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1272	ROSHAN LAL	NO164550	अभ्यर्थी ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 190 दिवस का सीएचए पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र भी संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू द्वारा कोविड अवधि का 190 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके पुर्नसत्यापन के अध्याधीन अभ्यर्थी को 15 बोनस अंक प्रदान किये जा चुके हैं। उक्त के अतिरिक्त एक और अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने के कारण बोनस अंको का लाभ प्रदान नहीं किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंको की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातियर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1273	Saba Parveen	NO157975	अभ्यर्थिया ने ओबीसी एनसीएल पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 66.95 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 131 एवं 402 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1274	SACHIN KUMAR MEENA	NO196524	अभ्यर्थी ने अनुसूचित जनजाति पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 67.990 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 126 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंको का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।



1275	SACHIN KUMAR SHARMA	NO173701	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 909 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर एवं 255 दिवस का सीएचए पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र भी संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में मैट्रोमानस आरोग्य सदन एण्ड मल्टी स्पेशियलिटी, मानसरोवर जयपुर द्वारा नर्सिंग ऑफिसर पद 909 दिवस का एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर द्वारा सीएचए पद का 255 कुल 1164 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं जिनके आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंक देय है। अतः अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर पूर्व में दिये गये 20 प्रतिशत बोनस अंकों के स्थान पर 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाकर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1276	SADHANA GURJAR	NO176286	अभ्यर्थिया ने एमबीबीएस एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 63.77 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 128 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1277	SADHANA KUMARI	NO168995	अभ्यर्थिया ने ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 69.200 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 132, 402 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1278	SADHANA KUMARI	NO160678	अभ्यर्थिया ने ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 20 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 71.180 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 473, 546 दिवस का जीएनएम पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जीएनएम पद पर 473 दिवस एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा नर्स द्वितीय पद पर 546 दिवस कुल 1019 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं जिसके आधार पर 20 प्रतिशत बोनस देय है। अतः अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन के आधार पर पूर्व में दिये गये 15 प्रतिशत बोनस अंकों के स्थान पर 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाकर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1279	SAHEB SINGH GURJAR	NO151180	अभ्यर्थी ने एमबीबीएस एनसीएल पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 65.470 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने 128, 398 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।		
1280	SAMEE	NO190853	अभ्यर्थिया ने ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 66.520 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 128 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1281	SAMESHTA	NO141714	अभ्यर्थिया ने ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 66.410 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 127 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1282	SANDEEP KUMAR	NO170081	अभ्यर्थी ने ओबीसी एनसीएल पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 72.850 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने 297 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कोविड अवधि में 297 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर 15 बोनस अंक प्रदान किये जा चुके हैं। शेष संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने से नियमानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1283	SANDEEP MEENA	NO204297.	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 65.170 प्रतिशत बताते	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।



			हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 398, 131 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।		
1284	SANGEETA CHOUDHARY	NO188137	अभ्यर्थिया ने ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 68.090 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 128 एवं 402 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1285	SANGEETA KUMARI	NO192487	अभ्यर्थिया ने ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 68.89 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 128 एवं 398 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1286	SANGEETA SHARMA	NO195682	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 524 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र भी संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1287	SANGITA MEENA	NO147197	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 402 एवं 126 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र भी	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			संलग्न किये हैं।		
1288	SANJAY KUMAR GURJAR	NO157566	अभ्यर्थी ने एमबीसी एनसीएल पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 70.52 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 111 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1289	SANJU	NO170371	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.75 जो की ओबीसी फिनेल की कट ऑफ लगभग 66.41 प्रतिशत से अधिक होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1290	SANJU	NO152994	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.99 जो की ओबीसी एनसीएल फिनेल की कट ऑफ लगभग 66.41 प्रतिशत से अधिक होने का उल्लेख कर कोविड अवधि में कार्य करने पर 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ देने एवं स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1291	SANJU CHAUHAN	NO189123	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.51 जो की अनुसूचित जनजाति वर्ग की कट ऑफ लगभग 62.05 प्रतिशत से अधिक होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंको का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1292	SANJU CHOUDHARY	NO136647	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.73 जो की ओबीसी एनसीएल की कट ऑफ 66.41 प्रतिशत से अधिक होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1293	SANJU DEVI	NO169597	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर एमबीसी	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति	प्रकरण में नीति निर्धारण

	GURJAR		एनसीएल श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.970 प्रतिशत होने के बाद भी चयन नहीं होने एवं स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर अंतरीम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1294	SANJU KANWAR	NO199980	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.110 होने के बाद भी चयन नहीं होने एवं स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1295	SANJU KANWAR	NO190441	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.559 होने के बाद भी चयन नहीं होने एवं स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1296	SANJU MEENA	NO210005	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.12 जो की अनुसूचित जनजाति फिमेल श्रेणी की कट ऑफ लगभग 62.05 से अधिक होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1297	SANTOSH	NO137107	अभ्यर्थियों द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर स्वयं को बोनस अंको का लाभ दिये जाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1298	SANTOSH	NO193211	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.280 होने के उपरान्त भी चयन नहीं होने एवं स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर अंतरीम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1299	SANTOSH BHADU	NO137433	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 80.190 होने के उपरान्त भी चयन नहीं होने एवं स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर अंतरीम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर द्वारा जीएनएम पद का 1221 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 30 प्रतिशत बोनस अंक देय है। अतः अभ्यर्थी को पूर्व में दिये गये 15 बोनस अंको के स्थान पर 30 बोनस अंक दिये जाकर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1300	SANTOSH GHINTALA	NO156958	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.520 होने के उपरान्त भी चयन नहीं होने	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			एवं स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।		
1301	SANTOSH GURJAR	NO140222	अभ्यर्थियों द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1302	santosh jagrwal	NO153658	अभ्यर्थियों द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1303	SANTOSH KUMARI RAIDAS	NO192683	अभ्यर्थियों ने अनुसूचित जाति वर्ग में आवेदन स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.230 होने के बाद भी चयन नहीं होने एवं अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर कोविड काल में कार्य करने पर बोनस अंको का लाभ देकर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1304	SANTOSH MEENA	NO199171	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 15 प्रतिशत बोनस अंक जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.710 जो की अनुसूचित जनजाति वर्ग की कट ऑफ लगभग 62.05 प्रतिशत पर अंतिम अभ्यर्थी चयनित हुआ होने का उल्लेख कर कोविड अवधि में कार्य करने पर बोनस अंको का लाभ देकर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंको का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1305	SANTOSH MEENA	NO189794	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.550 जो की अनुसूचित जनजाति फिमेल वर्ग की कट ऑफ 62.05 से अधिक होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में जोड़ने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1306	SANTOSH MEENA	NO164493	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव के आधार पर बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.160 जो की अनुसूचित जनजाति वर्ग की कट ऑफ से अधिक होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1307	SANTRA	NO189826	अभ्यर्थियों ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 65.940 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़ चुरु द्वारा 529 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें अनुभव हैल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 529 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण इन्हे बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। अनुभव प्रमाण पत्र में दर्शायी गई भुगतान की दर के अनुसार इन्हे नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन के अनुसार बोनस अंक दिया जाना प्रस्तावित है।	
1308	SANTRA	NO179108	अभ्यर्थिया ने ओबीसी-एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 67.490 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 107 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1309	SANTRA KUMARI	NO208264	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 129 एवं 398 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र भी संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1310	SAPANA KUMARI	NO162379	अभ्यर्थिया ने ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 20 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 72.83 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 480 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर पद का एवं 367 एवं 130 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है। एसबी रिट संख्या	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			14384 / 2023 संलग्न		
1311	SAPNA	NO193410	अभ्यर्थिया ने ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 62.60 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 127 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1312	SAPNA KOLI	NO168899	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 72.150 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 129 एवं 402 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1313	SAPNA KUMARI SHARMA	NO205721	अभ्यर्थिया ने ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 59.530 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 132 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1314	SAPNA MEENA	NO187183	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 66.640 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 129 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।



			बाबत निवेदन किया है।		
1315	Saransh Mathur	NO210330	अभ्यर्थी ने ईडब्ल्यूएस पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 74.360 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 131 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1316	SARITA GUPTA	NO163097	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 131 एवं 398 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र भी संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1317	SARITA KUMARI	NO199519	अभ्यर्थिया ने ओबीसी-एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 68.480 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने परिवेदना के साथ कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1318	SARITA KUMARI	NO197134	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 70.390 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 128 दिवस एवं 402 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

38

39

40

41

42

43

1319	SARITA MEEL	NO171521	अभ्यर्थिया ने ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 66.84 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 128 दिवस एवं 403 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1320	SARITA PATEL	NO198004	अभ्यर्थिया ने ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 67.630 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 129 दिवस एवं 402 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1321	SARITA REWAR	NO192145	अभ्यर्थिया ने ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 74.100 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 128 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1322	SAROJ	NO155213	अभ्यर्थियों द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज 10वीं 12वीं की अंकतालिका, दिनांक 30.12.2022 को पिता के नाम से जारी अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र, आरएनसी रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि, अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि एवं जीएनएम की अंकतालिका संलग्न की है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1323	SAROJ DEVI MEENA	NO160848	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल 10वीं 12वीं की अंकतालिका, अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र, जीएनएम की अंकतालिका संलग्न की है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

1324	SAROJ GURJAR	NO166362	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल 10वीं 12वीं की अंकतालिका, अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, दिनांक 10.09.2023 को जारी राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र, जीएनएम की अंकतालिका संलग्न की है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1325	saroj gurjar	NO198943	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कोविड अवधि में कार्य करने पर 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ देकर अन्तिम सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1326	SAROJ KUMARI YADAV	NO205414	अभ्यर्थियों द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल 12वीं की अंकतालिका, अनुभव प्रमाण पत्र एवं जीएनएम की अंकतालिका संलग्न की है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1327	SAROJ VERMA	NO177761	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 76.47 होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर मेट्रो मानस आरोग्य सदन एण्ड मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल मानसरोवर जयपुर में किये गये कार्य 782 दिन का अनुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ देकर अन्तिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1328	SATISH KUMAR	NO169808	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 71.280 होने के बाद भी चयन नहीं होने जबकि एमबीसी एनसीएल सामान्य की कट ऑफ लगभग 64 प्रतिशत पर अन्तिम अभ्यर्थी चयनित हुआ होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1329	SATYA NARAYAN	NO175546	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 71.130 होने के बाद भी चयन नहीं होने एवं प्रार्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

	MALI		चयन होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल लिस्ट में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।		
1330	SAVITRI MEENA	NO185978	अभ्यर्थियों द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज 10वीं 12वीं की अंकतालिका, अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, जीएनएम कोर्स की अंकतालिका, मूल निवास प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र एवं आरएनसी रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1331	SAYAR RAM	NO194779	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.730 होने के बाद भी चयन नहीं होने जबकि एमबीसी एनसीएल सामान्य की कट ऑफ 64.243 प्रतिशत पर अन्तिम अभ्यर्थी चयनित हुआ होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1332	Seema	NO110219	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कोविड अवधि में कार्य करने पर 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.32 होने के बाद भी चयन नहीं होने जबकि अनुसूचित जाति फिमेल श्रेणी की कट ऑफ लगभग 63 प्रतिशत पर अन्तिम अभ्यर्थी चयनित हुआ होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1333	SEEMA BAI GURJAR	NO171906	अभ्यर्थियों द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज 10वीं 12वीं की अंकतालिका, अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, जीएनएम कोर्स की अंकतालिका, मूल निवास प्रमाण पत्र, दिनांक 09.01.2023 को जारी अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र एवं आरएनसी रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1334	SEEMA DARA	NO204502	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1335	SEEMA DEVI	NO173991	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 78.100 होने के बाद भी चयन नहीं होने एवं प्रार्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1336	SEEMA	NO206807	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 15 प्रतिशत	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति	पकरण में नीति निर्धारण

	GAUTAM		बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तोंक प्रतिशत 69.720 होने के बाद भी चयन नहीं होने जबकि सामान्य महिला वर्ग की कट ऑफ लगभग 69.245 प्रतिशत पर अन्तिम अभ्यर्थी चयनित हुआ होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1337	SEEMA GOCHAR	NO193929	अभ्यर्थियों द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज दिनांक 11.09.2023 को जारी अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र (गुर्जर जाति) की पतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंको का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1338	SEEMA GURJAR	NO186670	अभ्यर्थियों द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज 10वीं 12वीं की अंकतालिका, अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि, जीएनएम कोर्स की अंकतालिका, मूल निवास प्रमाण पत्र, दिनांक 28.12.2022 को जारी अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र (गुर्जर) एवं आरएनसी रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1339	SEEMA JAIN	NO157265	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तोंक प्रतिशत 62.42 होने के बाद भी चयन नहीं होने जबकि प्रार्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन हुआ होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम वरीयता सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंको का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1340	SEEMA KUMARI	NO196101	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तोंक प्रतिशत 62.420 होने के बाद भी चयन नहीं होने जबकि अनुसूचित जनजाति वर्ग की कट ऑफ लगभग 62.05 प्रतिशत पर अन्तिम अभ्यर्थी चयनित हुआ होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1341	SEEMA MEENA	NO173502	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			प्राप्तांक प्रतिशत 67.15 जो की अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग की प्रतिशत लगभग 62 प्रतिशत से अधिक होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
1342	SEEMA RAKHECHA	NO186528	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 71.460 होने के बाद भी चयन नहीं होने जबकि ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग की कट ऑफ लगभग 66.41 प्रतिशत पर अन्तिम अभ्यर्थी चयनित हुआ होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1343	SEETA BAI SHARMA	NO111570	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.09 जो की ईडब्ल्यूएस श्रेणी की कट ऑफ 55.84 प्रतिशत से अधिक होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1344	SHABANA BANO	NO186405	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.020 जो की ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग की प्रतिशत लगभग 66 से अधिक होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1345	SHAHIN AKHTAR	NO193033	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.360 होने के बाद भी चयन नहीं होने जबकि ईडब्ल्यूएस फिमेल वर्ग की कट ऑफ लगभग 55.84 प्रतिशत पर अन्तिम अभ्यर्थी चयनित हुआ होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1346	SHAHJAD HUSAIN	NO186222	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 71.650 होने के बाद भी चयन नहीं होने जबकि प्रार्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल	अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ कुल 2176 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है। अतः अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है। कृ		
1347	KESU CHOUDHARY	NO197451	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल वर्ग में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.91 होने के बाद भी चयन नहीं होने जबकि प्रार्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1348	SHALINA CHOUDHARY	NO181893	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल वर्ग में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.220 होने के बाद भी चयन नहीं होने जबकि प्रार्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1349	SHANKAR GURJAR	NO159960	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज 12वीं अंकतालिका, जीएनएम की अंकतालिका, अनुभव प्रमाण पत्र एवं दिनांक 04.09.2023 को जारी अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र संलग्न किये है	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो 1 वर्ष 11 माह का है। ये अनुभव प्रमाणपत्र टीकाकरण कर्मों के व टीकाकरण कार्य के हैं जो नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है एवं 1 अनुभव प्रमाण सीएचए पद का कोविड अवधि का जारी किया गया है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1350	SHANKER LAL GUJAR	NO146340	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कुल 1220 दिवस का अनुभव बोनस अंक जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 73.25 जो की एमबीबीएस एनसीएल वर्ग की प्रतिशत लगभग 68 से अधिक होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची व फाईनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भोलवाडा द्वारा 1.1.2020 से 4.5.2023 तक का जीएनएम पद पर नर्सिंग कार्य का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ देय है। अतः अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1351	SHANTA KUMARI	NO203478	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ 636 दिवस के कोविड अवधि के नर्सिंग ऑफिसर पद के समान कार्य के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली द्वारा जारी कुल 402 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये है जिनमें अभ्यर्थी का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रू. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण इन्हे बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
1352	SHARVAN KUMAR	NO193242	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के एमबीबीसी एनसीएल जाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 66.78 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 64.24 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1353	SHASHI KANWAR	NO207785	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1354	SHEELA KUMARI ROAT	NO195538	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 71.200 अंतरिम कटऑफ 62.55 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। साथ ही उल्लेख किया गया है कि अभ्यर्थी के पास पीपीपी मोड पर 1015 दिवस एवं सीएचओ पद का 402 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र है। अभ्यर्थी ने उक्त अनुभव के आधार पर बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 1015 दिवस का जीएनएम पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके पुर्नसत्यापन के आधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने प्रस्तावित है। शेष मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डूंगरपुर द्वारा जारी कुल 402 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें अभ्यर्थी का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण इन्हे बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1355	sheetal saini	NO192293	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु.	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।




				7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
1356	SHELJA PARASHAR	NO194898	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस वर्ग में कुल 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित औसत प्राप्तांक प्रतिशत 62.190 अंतरिम कटऑफ 55.8 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जाये।
1357	SHESHKARAN SINGH	NO164961	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 82.36 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों में एक अनुभव प्रमाणपत्र चिकित्सा अधीक्षक एम्स जोधपुर द्वारा जारी किया गया है जो अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही यह अनुभव राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थानों में कार्य का है अतः इस अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। शेष 2 अनुभव प्रमाण पत्रों में एक सी.एच.ए. पद का कोविड अवधि में कोविड नियंत्रण हेतु कार्य का एवं दूसरा स्टाफ नर्स का है जिनकी सम्मिलित अवधि 2 वर्ष से कम होने के कारण 15 बोनस अंक देय हैं। अतः 15 बोनस अंकों के साथ अभ्यर्थी के प्राप्तांक 61.060 प्रतिशत इनकी श्रेणी ईडब्ल्यूएस में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों 72.336 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
1358	SHIKHA KHEDIA	NO134202	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के औसत प्राप्तांक प्रतिशत का उल्लेख कर अनुभव का लाभ प्रदान कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ 2 अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनमें से एक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा कोविड अवधि सम्मिलित करते हुए 177 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसका 15 बोनस अंकों का लाभ दिया जा चुका है। दूसरा प्रमाण पत्र वर्ष 2020 में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय चिकित्सालय रैगर्स की कोठी, घाटगेट, जयपुर द्वारा डीडीसी हैल्पर पद का जारी किया हुआ संलग्न किया है जो निर्धारित प्रमत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा वर्तमान भर्ती हेतु जारी नहीं है और न ही डीडीसी हैल्पर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान अतः इसका बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1359	SHIMBHU DAYAL MEENA	NO168148	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1360	SHIMLA KUMARI MEENA	NO167152	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जाये।

1361	SHIVAM BAGHEL	NO188110	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के एमबीसी एनसीएल जाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 71.84 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 64.00 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1362	SHIVANI YADAV	NO200175	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 67.65 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 63 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1363	SHIVRAJ MEENA	NO198402	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 63.93 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 63.06 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1364	SHOBHA KUMARI	NO196647	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 65.060 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 63.61 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1365	SHOBHA MAHAWAR	NO157533	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में 30 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 78.450 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची	अभ्यर्थी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा द्वारा जारी 1213 दिवस का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है। जिनके आधार पर अभ्यर्थी को 30 बोनस अंकों का लाभ देय है। अतः अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर अभ्यर्थी को बोनस अंकों का लाभ प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।


			में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
1366	SHRAVAN RAM	NO153683	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में 25 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 70.710 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 70.21 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर द्वारा कोविड अवधि सम्मिलित करते हुए 314 दिवस का जी.एन.एम. कार्य का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर इन्हे 15 बोनस अंकों का लाभ दिया जा चुका है। एक अन्य अनुभव प्रमाण पत्र आचार्य सुलसी संस्थान का जारी किया हुआ है जिसका अनुभव का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1367	shubham soni	NO204181	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है।	अभ्यर्थी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी कुल 855 (608+247) दिवस के 2 अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं। जिसमें एक सी.एच.ए. पद का व दूसरा जी.एन.एम. पद का है। जिनके आधार पर अभ्यर्थी को 20 बोनस अंकों का लाभ देय है। अतः अनुभव प्रमाणपत्रों के सत्यापन के आधार पर अभ्यर्थी को तदनुसार बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1368	SHYAMO	NO194316	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1369	SILOCHANA	NO184596	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1370	SIMA CHOUDHARY	NO188980	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 67.130 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 66.41 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बून्दी द्वारा जारी 2 अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं जिनमें से एक अनुभव प्रमाणपत्र 27.09.2021 से 8.10.2021 तक 12 दिवस का है जिसका भुगतान नहीं किया जाना दर्शाया है। अतः भुगतान के अभाव में अनुभव प्रमाणपत्र सत्यापन योग्य नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ तत्समय नहीं दिया गया। एवं दूसरा प्रमाणपत्र 22 दिवस का कोविड अवधि के बाद का है। अतः इसका भी 365 दिवस से कम अवधि का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया गया अतः अनुभव प्रमाणपत्रों के पुनर्सत्यापन के आधार पर नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 05.04.2024 में लिये गये निर्णयानुसार यदि भुगतान हो गया हो अथवा भुगतान योग्य मान लिया गया हो तो भुगतान के अनुरूप बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1371	SINGH PREETIKANWAR	NO205535	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 67.380 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 55 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
1372	SINY GEORGE	NO155499	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में डीक्री दिनांक 16.02.2019 एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के सामान्य परित्यक्ता वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 59.250 प्रतिशत बनते हैं। निदेशक सिफू द्वारा सामान्य विच्छिन्न विवाह श्रेणी में 50 नियुक्ति दी गई है परन्तु अंतरिम सूची में सिर्फ 04 उम्मीदवार को नियुक्त किया गया है और 3 उम्मीदवार के परिणाम रोके गये हैं जिनकी प्रतिशत 47 तक है जबकि अभ्यर्थी के प्रतिशत 59.250 है। सामान्य विच्छिन्न विवाह श्रेणी में 50 नियुक्ति में से 43 नियुक्ति शेष है। साथ ही अभ्यर्थी को कोविड अवधि में दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक की अवधि का अनुभव प्राप्त है। अतः अभ्यर्थी ने 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ प्रदान कर विच्छिन्न विवाह श्रेणी की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1373	SITA SHARMA	NO149977	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1374	SITARA KUMARI MEENA	NO147264	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1375	SNEHLATA SAIN	NO201674	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 68.83 प्रतिशत होने के उपरान्त भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम वरियता सूची में नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1376	SOHAN LAL	NO171538	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में स्पोर्ट्स कैटेगरी में कुल औसत प्राप्तांक 62.87 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम वरियता सूची में किया गया है। अतः अभ्यर्थी से स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ टाईक्वायंडो चैम्पियनशिप का जारी खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कि इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्थान नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग के आरक्षण का लाभ देय नहीं है।	
1377	SOHAN PAL	NO173975	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस सहित कुल औसत प्राप्तांक 73.180 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम वरियता सूची में किया गया है। अतः अभ्यर्थी से स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1378	SOMPRABHA	NO155051	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1379	SONA KUMARI	NO153118	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का अनुभव 3 वर्ष से अधिक का बताते हुये 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान कर अन्तरिम वरीतया सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1380	SONIYA	NO195510	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 67.910 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 65 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी से स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1381	SONIYA RAWAT	NO168802	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी का नाम दस्तावेज सत्यापन सूची में बोनस अंक सहित नाम सम्मिलित था परन्तु अंतरिम वरियता सूची में बोनस अंको का लाभ नहीं दिया गया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।



			अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
1382	SONU	NO149864	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 62.67 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 62.05 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1383	SONU DASANIYA	NO162773	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल विच्छिन्न विवाह वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस सहित कुल औसत प्राप्तांक 57.56 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 43.24 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1384	SONU KULDEEP	NO157084	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 64.02 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 63.61 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंको का लाभ दिया जाकर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1385	SONU KUMAR	NO159962	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 68.720 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 65.27 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1386	SONU KUMARI	NO195548	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंको का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।



				के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
1387	SONU KUMARI	NO160006	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 69.820 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 66.41 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1388	SONU KUMARI	NO152737	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को मापदण्ड अनुसार अंक प्राप्त हुये हैं। अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम वरियता सूची में किया गया है जबकि अभ्यर्थी का नाम अंतरिम वरियता सूची में नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1389	Sonu Kumari Meena	NO180057	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1390	SONU MEENA	NO157457	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं ईन्टर्नशिप सहित कुल औसत प्राप्तांक 63.874 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 62.05 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के दौरान बोनस अंको का लाभ दिया गया था परन्तु वरियता सूची में बोनस अंको का लाभ नहीं दिया गया है। अतः अभ्यर्थी ने नियमानुसार स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1391	SONU SHARMA	NO178024	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति	प्रकरण में नीति निर्धारण

			अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 61.260 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 55.84 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1392	SONU SHARMA	NO153071	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 61.300 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 55.841 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनरो नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1393	SONU UPADHAYAY	NO186378	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1394	SRAWAN KUMAR	NO140259	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज 12वीं अंकतालिका, जीएनएम की अंकतालिका, आरएनसी रजिस्ट्रेशन, अनुभव प्रमाण पत्र एवं दिनांक 12.12.2022 को जारी अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर द्वारा जारी 30.12.2019 से 4.5.2023 तक का जीएनएम पद पर नर्सिंग कार्य का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसकी अवधि 3 वर्ष से अधिक होने के कारण 30 बोनस अंकों का लाभ देय है। अतः अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1395	SUBHASH CHANDRA MEENA	NO200671	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.810 जो की अनुसूचित जनजाति वर्ग की कट ऑफ 62.20 से अधिक होने के बाद भी चयन नहीं होन साथ ही कोविड अवधि में किये गये कार्य के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंको लाभ दिया जाने के संबंध में उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1396	SUBHITA	NO176438	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 20 प्रतिशत बोनस अंको को जाड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 73.080 जो की ओबीसी एनसीएल सामान्य की कट ऑफ 66.50 प्रतिशत से होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1397	SUDESH	NO151721	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.860 जो की ओबीसी एनसीएल फिमेल की कट ऑफ लगभग 66.41 प्रतिशत से	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।



			अधिक होने के बाद भी चयन नहीं हाने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।		
1398	SUDHA GURJAR	NO181255	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.490 जो की एमबीसी एनसीएल की कट ऑफ लगभग 58 प्रतिशत से अधिक होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1399	SUGANA DAMOR	NO207648	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कोविड अवधि में किये कार्य के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोडकर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.44 होने के बाद भी चयन नहीं होने जबकी अनुसूचित जनजाति की कट ऑफ लगभग 62.05 प्रतिशत पर अनुसूचित जनजाति वर्ग का अंतिम अभ्यर्थी चयनित हुआ होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1400	SUKHLESH JAT	NO184700	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज 12 वीं अंकतालिका, अनुभव प्रमाण पत्र एवं आरएनसी रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1401	SULOCHANA KUMARI DHAKAR	NO181953	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव और इन्टर्नशिप के अंक जोडकर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.27 जो की ओबीसी फिमेल श्रेणी की प्रतिशत 66.41 से अधिक होने का उल्लेख कर प्रोविजनल व फाईनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1402	SULTAN GURJAR	NO147285	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज 10वीं 12वीं की अंकतालिका, अनुभव प्रमाण पत्र, जीएनएम अंकतालिका, आरएनसी रजिस्ट्रेशन, मूल निवास प्रमाण पत्र दिनांक 04.09.2023 को जारी अन्य पिछडे वर्ग का प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1403	SUMAN	NO201422	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोडकर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 71.110 होने के बाद भी चयन नहीं होने जबकि ओबीसी महिला वर्ग की कट ऑफ लगभग 66.41 प्रतिशत पर अन्तिम अभ्यर्थी चयनित हुआ होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			संबंध में निवेदन किया है।		
1404	SUMAN	NO172215	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति वर्ग में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 71.130 होने के बाद भी चयन नहीं होने एवं प्रार्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1405	SUMAN	NO198818	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.30 होने के बाद भी चयन नहीं होने जबकि ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग की कट ऑफ लगभग 66.21 प्रतिशत पर अन्तिम अभ्यर्थी चयनित हुआ होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1406	SUMAN	NO195715	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.93 होने के बाद भी चयन नहीं होने जबकि ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग की कट ऑफ लगभग 66.41 प्रतिशत पर अन्तिम अभ्यर्थी चयनित हुआ होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1407	SUMAN	NO197771	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज 10वीं 12वीं की अंकतालिका, जाति प्रमाण पत्र, आरएनसी रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि एवं जीएनएम की अंकतालिका एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1408	SUMAN	NO192069	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.49 जो की ओबीसी एनसीएल वर्ग की कट ऑफ लगभग 66 प्रतिशत से अधिक होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1409	SUMAN	NO210800	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.67 होने के बाद भी चयन नहीं होने जबकी प्रार्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ फूमसे टाईक्वावडो चैम्पियनशिप का जारी खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कि इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्थान नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग के आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
1410	SUMAN	NO182514	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज 10वीं 12वीं की अंकतालिका, जीएनएम की अंकतालिका एवं अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1411	SUMAN	NO112311	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज 10वीं 12वीं की अंकतालिका, जीएनएम की अंकतालिका एवं अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1412	SUMAN BAI	NO164080	अभ्यर्थियां द्वारा स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.260 जो की एमबीसी एनसीएल की कट ऑफ 58.816 प्रतिशत से अधिक होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1413	SUMAN BISSU	NO188002	अभ्यर्थियां द्वारा स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.470 जो की ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग की कट ऑफ 66.470 प्रतिशत से अधिक होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1414	SUMAN CHOUDHARY	NO167395	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज 10वीं 12वीं की अंकतालिका, जीएनएम की अंकतालिका एवं अनुभव प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आरएनसी रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि एवं दिनांक 27.02.2023 को जारी अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1415	SUMAN DAYAMA	NO138889	अभ्यर्थियां द्वारा 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.845 जो की अनुसूचित जाति वर्ग की कट ऑफ 63 प्रतिशत से अधिक होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1416	SUMAN DEVI	NO192943	अभ्यर्थियां द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.610 होने के बाद	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार


			भी चयन नहीं होने एवं प्रार्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	उचित होगा।	कार्यवाही की जावे।
1417	SUMAN JAT	NO192610	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.180 होने के बाद भी चयन नहीं होने जबकि ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग की कट ऑफ लगभग 66.490 प्रतिशत पर अन्तिम अभ्यर्थी चयनित हुआ होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1418	SUMAN KALA	NO193748	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज 12वीं की अंकतालिका एवं अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1419	SUMAN KANWAR	NO199518	अभ्यर्थियां द्वारा सामान्य श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 73.670 होने के बाद भी चयन नहीं होने एवं प्रार्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1420	SUMAN KASANA	NO178252	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.540 जो की एमबीसी एनसीएल वर्ग की कट ऑफ 58 प्रतिशत से अधिक होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1421	SUMAN KUMARI	NO189804	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.630 होने के बाद भी चयन नहीं होने जबकि ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग की कट ऑफ लगभग 66.41 प्रतिशत पर अन्तिम अभ्यर्थी चयनित हुआ होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1422	SUMAN	NO146199	अभ्यर्थिया ने ओबीसी महिला वर्ग में आवेदन किया है	अभ्यर्थी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी हनुमानगढ़/जयपुर प्रथम द्वारा जारी अनुभव	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

	KUMARI		एवं स्वयं के अनुभव के आधार पर 15 बोनस अंक जोड़कर प्रोविजनल चयन सूची में नाम होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 507 एवं 533 दिवस कुल 1040 दिवस का जीएनएम पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर 1040 दिवस के बोनस अवधि के आधार पर 20 बोनस अंक देने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थिया को 15 बोनस अंक देकर पूर्व में चयन सूची में सम्मिलित किया हुआ है।	प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनकी कुल अवधि 1040 दिवस है जिसके आधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंक देय हैं। अतः अनुभव पुनर्सत्यापन के आधार पर आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	
1423	SUMAN MEENA	NO190288	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 65.020 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 128 दिवस (7900 प्रतिमाह) का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1424	SUMAN RAWANA RAJPUT	NO202969	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। केवल स्वयं सं संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 129 दिवस का (7900 प्रतिमाह दर) का सीएचओ पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1425	SUMAN SAINI	NO186949	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। केवल स्वयं सं संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 131 दिवस का (7900 प्रतिमाह दर) एवं 395 दिवस का (25000 प्रतिमाह दर) का सीएचओ पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1426	SUMAN YADAV	NO159086	अभ्यर्थिया ने ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 66.090 प्रतिशत बताते	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 371 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का 7.8 पाईन्टर का अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न किये हैं। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
1427	SUMANJEET KAUR	NO159657	अभ्यर्थिया ने ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 68.270 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 127 दिवस का सीएचओ पद (7900 प्रतिमाह) एवं 368 दिवस का सीएचओ पद (25000 प्रतिमाह) का कोविड अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न किये हैं। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1428	SUMRAN MEENA	NO197710	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 464 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर पद का, 130 (7900 प्रतिमाह) एवं 399 दिवस (25000 प्रतिमाह) का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र भी संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1429	Sunil kumar	NO210657	अभ्यर्थी ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल दस्तावेजों में 128 दिवस (7900 प्रतिमाह दर) एवं 402 दिवस (25000 प्रतिमाह दर) का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र भी संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1430	SUNIL KUMAR	NO172100	अभ्यर्थी ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 68.050 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 132 एवं 402 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।		
1431	SUNIL KUMAR PATIDAR	NO137504	अभ्यर्थी ने ओबीसी-एनसीएल पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 30 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 76.470 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 1457 दिवस का जीएनएम/नर्स द्वितीय पद का प्रमाण पत्र एवं स्वयं से संबंधित अन्य दस्तावेज लगाये हैं जिसमें दिनांक 23.03.2018 की जारी आरएनसी एवं रिनुअल संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाईन आवेदन के साथ चिकित्सा अधीक्षक झालावाड़ मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें अवधि 1457 दिवस है जिसके आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंक देय है। अतः अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1432	Sunil Kumari	NO174585	अभ्यर्थिया ने .एमबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 66.62 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 131 दिवस (7900 प्रतिमाह दर) का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्हीं सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1433	SUNITA	NO192750	अभ्यर्थिया ने ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है। स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 68.610 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 132 दिवस (7900 प्रतिमाह दर) का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जाये।
1434	SUNITA	NO165141	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 370 दिवस (25000 प्रतिमाह	अभ्यर्थिया द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़ द्वारा जारी उपस्वास्थ्य केन्द्र नरवासी पर 25000/- प्रतिमाह वेतन पर सीएचओ के पद पर नर्सिंग सम्बन्धित कार्य का 370 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें कोविड अवधि	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			दर) का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किये है।	सम्मिलित है। अनुभव प्रमाण पत्र में दर्शायी गई भुगतान की दर के अनुसार इन्हे नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन के अनुसार निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।	
1435	SUNITA DEVI GURJAR	NO165099	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 395 दिवस (25000 प्रतिमाह दर) एवं 131 दिवस (7900 प्रतिमाह दर) का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र भी संलग्न किये है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1436	SUNITA KUMARI	NO172505	अभ्यर्थिया ने एमबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 60.030 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। परिवेदना के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किये हैं। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1437	SUNITA KUMARI	NO186256	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 20 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 68.460 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 538 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर पद का एवं 402 दिवस (25000 प्रतिमाह दर) का सीएचओ पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1438	SUNITA MALAWAT	NO191033	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल 204 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र एवं 01 अन्य अनुभव निजी चिकित्सा संस्थान का संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया को ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न सी.एच.ओ. के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ प्रदान किया जा चुका है। अभ्यर्थिया द्वारा संलग्न एक अन्य प्रमाण पत्र पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑव मेडिकल साइन्सेज का है जो निजी क्षेत्र का होने के कारण अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1439	SUNITA REGAR	NO154272	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 66.070 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।





			जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 128 दिवस (7900 प्रतिमाह दर) का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।		
1440	SUPRIYA VAIDH	NO193048	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 125 दिवस (7900 प्रतिमाह) का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र भी संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1441	SURAJ MAL GAMETI	NO201820	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 30 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 72.020 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 1302 दिवस का जीएनएम सैकण्ड पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर द्वारा जारी कुल 1307 दिवस के अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिसके आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ देय है। अतः अनुभव प्रमाणपत्रों के पनर्सत्यापन के आधार पर आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1442	SURAJMUKHI UPADHYAYA	NO161797	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का चयन सामान्य विधवा श्रेणी में किया जा चुका है एवं यह दिव्यांग श्रेणी में भी चयन योग्य हैं। अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोकना गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1443	SURBHI TIWARI	NO189872	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस श्रेणी में औसत प्राप्तांक प्रतिशत 72.560 के स्थान पर 67.562 प्रतिशत है। अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जिससे प्रतीत होता है कि अभ्यर्थी को बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया गया है। अभ्यर्थी	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
1444	SUREKHA KUMARI	NO199799	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के एमबीसी एनसीएल जाति वर्ग में बोनस अंको का लाभ दिया जाकर कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 65.150 अंतरिम कटऑफ 58 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी को अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1445	SURENDRA JATAV	NO148994	अभ्यर्थी ने कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1446	SURENDRA KUMAR NIRMAL	NO166417	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 69.86 प्रतिशत होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1447	SURENDRA KUMAR NIRMAL	NO171012	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 66.77 प्रतिशत होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1448	SURESH	NO160620	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई	अभ्यर्थी द्वारा माननीय न्यायालय में रिट याचिका संख्या 8657/2023 दायर की हुई है	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।




	DOGIWAL		है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 23.08.2023 को अंतरिम आदेश पारित कर याचिकाकर्ताओं को ई.एम.टी. के रूप में कार्य करने के 30 बोनस अंक प्रदान करने के आदेश पारित किये हैं। अतः माननीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही करते हुए अभ्यर्थी का परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है।	
1449	SURESH KUMAR	NO155645	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 67.590 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है। अभ्यर्थी ने कोविड अवधि में कार्यरत अनुभव दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक कुल 128 दिवस के अनुभव जोड़ने तथा अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1450	SURESH KUMAR GURJAR	NO169639	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1451	SURESH KUMAR LONGESHA	NO189024	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 66.620 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है। अभ्यर्थी ने कोविड अवधि में कार्यरत अनुभव दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक कुल 129 दिवस के अनुभव जोड़ने तथा अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1452	SURYA KUMARI PARMAR	NO194230	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 68.830 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 62.05 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1453	SURYA PRAKASH	NO178837	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में बोनस अंको का लाभ दिया जाकर कुल औसत प्राप्तांक 66.090	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			प्रतिशत अंतरिम कटऑफ प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
1454	SUSHAMA CHAUHAN	NO153316	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 79.500 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है। अभ्यर्थी ने पीवीएम हॉस्पिटल द्वारा जारी 942 दिवस के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंको का लाभ प्रदान करते हुए अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1455	SUSHILA BAIRWA	NO171307	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 68.110 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 63.61 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1456	SUSHILA DEVI MEGHWAL	NO208284	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 63.71 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 63.61 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं को बोनस अंकों का लाभ प्रदान करते हुए स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1457	SUSHILA MAWLIYA	NO195722	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 68.07 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 66.41 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1458	SUSHMA TRIPATHI	NO202628	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

1459	SWATI SHARMA	NO162053	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंको सहित कुल औसत प्राप्तांक 64.65 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 55 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1460	SWETA KANWAR	NO184389	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1461	SWETA TAILOR	NO152795	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1462	SYED AJAM ALI	NO147987	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 78.37 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 72.33 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है। अभ्यर्थी का कुल अनुभव यदि आरएनसी पंजीकरण दिनांक के पश्चात भी जोड़ा जाता है तो यह 04 वर्ष से अधिक हो रहा है जिसके अनुसार अभ्यर्थी को 30 प्रतिशत बोनस अंक देय है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंको का लाभ दिया जाकर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ 1920 दिवस का ईएमटी पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं जिनके पुर्नसत्यापन के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंक दिये जाने प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1463	Tangam Sharma	NO151033	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस वर्ग में बोनस सहित कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.88 अंतरिम कटऑफ 55.00 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			करने हेतु निवेदन किया है।		
1464	TANU PRIYA GAUR	NO184774	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में बोनस सहित कुल प्राप्तांक प्रतिशत 71.070 अंतरिम कटऑफ 66.41 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1465	Tarun Kumar bairwa	NO152666	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1466	TEEJU	NO183597	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 65.080 प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है परन्तु अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1467	TEENA KUMARI MEENA	NO192338	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1468	TEENA KUMARI SHARMA	NO202890	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस वर्ग में कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.730 अंतरिम कटऑफ 55 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1469	TEJ PRAKASH	NO151228	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में याचिका संख्या 14384/2023 में पारित निर्णय दिनांक 12.09.2023 की प्रति, अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर 617 दिवस का जीएनएम पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न जिसके आधार पर अभ्यर्थी को पूर्व में ही 15 प्रतिशत बोनस अंका का लाभ प्रदान किया जा चुका है। उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			दस्तावेज सत्यापन के समय कुल 30 प्रतिशत बोनस अंक दिये गये थे जबकि अंतरिम चयन सूची में अभ्यर्थी को केवल 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं को 30 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है।	स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर द्वारा जारी कुल 568 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें अभ्यर्थी का अनुभव उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंको का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः उप स्वास्थ्य केन्द्र पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण इन्हे बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
1470	TRIPTI JOSHI	NO199993	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस वर्ग में बोनस अंक सहित कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.080 अंतरिम कटऑफ 55.080 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1471	TULSI GURJAR	NO171838	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के एमबीसी एनसीएल वर्ग में बोनस अंक सहित कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.69 अंतरिम कटऑफ 58.66 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1472	UGAM LAL REGAR	NO204151	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति वर्ग में स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 76.600 प्रतिशत का उल्लेख करते हुए अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा जारी कुल 669 दिवस का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो एन.एन.एम. पद के कार्य संपादन का है जिसका कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने से बोनस का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य 2 अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर इन्हे 15 बोनस अंको का लाभ प्रदान किया जा चुका है। फलस्वरूप इनके कुल प्राप्तांक 58.730 इनकी श्रेणी अनुसूचित जाति में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांको 65.275 प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन से वंचित रहे है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1473	UMA SHANKAR MEENA	NO180435	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।







			अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
1480	USHA KANWAR	NO159335	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस वर्ग में 20 प्रतिशत बोनस अंको सहित कुल औसत प्राप्तांक 72.240 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 55.00 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1481	USHA MEENA	NO206282	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंको सहित कुल औसत प्राप्तांक 66.42 प्रतिशत बनते हैं जबकि अभ्यर्थी को बोनस अंको का लाभ नहीं दिया गया है। अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग की अंतरिम कटऑफ 62.05 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1482	USHA NAYAK	NO187025	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 66.320 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1483	USHA RANI KHATIK	NO193455	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 61.74 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1484	VANDANA	NO141196	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1485	VANDANA	NO196023	अभ्यर्थी ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति	प्रकरण में नीति निर्धारण

	PACHHOLA		किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 65.300 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 130 दिवस (7900 प्रतिमाह दर) एवं 398 दिवस (25000 प्रतिमाह दर) का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1486	VANDNA KUMARI	NO155621	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 66.75 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 128 दिवस (7900 प्रतिमाह दर) एवं 398 दिवस (25000 प्रतिमाह दर) का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1487	VARSHA VERMA	NO165547	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 65.660 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 130 दिवस (7900 प्रतिमाह दर) एवं 395 दिवस (25000 प्रतिमाह दर) का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1488	VERSHA VERMA	NO204158	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 64.220 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 131 दिवस (7900 प्रतिमाह दर) एवं 397 दिवस (25000 प्रतिमाह दर) का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।		
1489	VIDHI AHARI	NO204039	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 64.950 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अदगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 129 दिवस (7900 प्रतिमाह) एवं 402 दिवस (25000 प्रतिमाह) का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1490	VIDHYA REGAR	NO192864	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 64.260 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अदगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 126 दिवस (7900 प्रतिमाह) एवं 402 दिवस (25000 प्रतिमाह) का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1491	VIDHYA SHARMA	NO187481	अभ्यर्थिया ने अनारक्षित महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 74.54 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अदगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 128 दिवस (7900 प्रतिमाह) का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1492	VIJAY LAXMI MEENA	NO211277	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत नर्सिंग ऑफिसर पद पर दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में स्वयं के 68.150 प्रतिशत बताते हुये अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

				केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
1493	VIJAY SHREE PURBIA	NO186620	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं जिसमें सीएचओ के पद पर कोविड अवधि में कार्य किये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र भी संलग्न किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंका का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1494	VIJAY SHUKLA	NO184914	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के द्वारा ऑनलाईन आवेदन संलग्न है। हेल्थ एडवाइजरी ऑफिसर के पद पर जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंकों का लाभ प्रदान किये जाकर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है। साथ निम्नलिखित आईडी जिन्हे हेल्थ एडवाइजरी ऑफिसर के पद पर अनुभव प्राप्त है, को अनुभव का लाभ दिये जाने के संबंध में उल्लेख किया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:- 163056, 169174, 129041, 139315, 143576, 105536, 159126 एवं एक अन्य अभ्यर्थी कोमल शर्मा पुत्री श्री पूरणमल शर्मा को हेल्थ एडवाइजरी ऑफिसर के पद पर अनुभव का लाभ प्रदान किया जाकर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है का उल्लेख किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1495	VIJETA	NO176665	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई केवल स्वयं के दस्तावेज एवं सीएचओ पद पर जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंका का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1496	VIKAS KUMAR	NO170932	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 2 अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं जिसमें एक प्रमाणपत्र पंजाब राज्य द्वारा जारी किया गया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागीर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। शेष मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा सीएचए पद का कोविड अयधि का जारी किया गया है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 15 प्रतिशत बोनस अंक दिये जा चुके हैं।	
1497	VIKRAM GURJAR	NO143018	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत नर्सिंग ऑफिसर पद पर दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में स्वयं के 65.280 प्रतिशत बताते हुये अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंका का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1498	VIMLA DEVI	NO202179	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज 12वीं की अंकतालिका, जीएनएम की अंकतालिका, अनुभव प्रमाण पत्र एवं दिनांक 01.09.2023 को जारी अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1499	VINITA MEENA	NO187485	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति वर्ग में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.800 होने के बाद भी चयन नहीं होने एवं कोविड काल में कार्य किये जाने के बाद भी बोनस अंको का लाभ नहीं दिये जाने का उल्लेख कर सीएचओ पद का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्नकर चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1500	VINOD DARAT	NO184150	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल दस्तावेज अनुभव प्रमाण पत्र पदनाम सीएचओ एवं सीएचओ चयन आदेश	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1501	VINOD KUMAR	NO168994	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर उल्लेख किया है कि ओबीसी-एनसीएल में 72.490 अंक प्राप्त करने के उपरान्त भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं आया,	अभ्यर्थी द्वारा किया गया कार्य साईकेट्रिक नर्स का है। नीति निर्धारण समिति में लिए जाने वाले निर्णय अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			अपितु अभ्यर्थी के समान योग्यता धारक व समान पद साइकेट्रिक नर्स संविदा आधारित पद पर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थी का चयन अंतरिम वरीयता सूची में है। संलग्न दस्तावेज यथा अंकतालिकाएं, आरएनसी एवं अनुभव पदनाम साइकेट्रिक नर्स		
1502	VINOD KUMAR GURJAR	NO193472	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 85.070 जो की एमबीसी एनसीएल मेल की कट ऑफ 63.91 प्रतिशत से अधिक होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1503	VINOD KUMAR MEENA	NO192875	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल दस्तावेज 12वीं की अंकतालिका, अनुभव प्रमाण पत्र, जीएनएम की अंकतालिका, मूल निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1504	VINOD KUMAR SAINI	NO149943	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि एवं आवेदन पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1505	VIPIN KUMAR	NO138882	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज यथा अनुभव प्रमाण पत्र पदनाम सीएचओ एवं अन्य दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1506	VIPIN KUMAR	NO141759	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज यथा अनुभव प्रमाण पत्र पदनाम सीएचओ एवं अन्य दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1507	VIRAMDEV ROAT	NO203390	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी एसटी जाति वर्ग में कुल प्राप्तांक 63.890 है जो एसटी जातिवर्ग की कटऑफ से ज्यादा है। अनुभव 02 वर्ष से अधिक है। सूची में नाम सम्मिलित करें। संलग्न अंकतालिकाएं, आरएनसी एवं जीएनएम एवं सीएचओ का अनुभव प्रमाण पत्र।	अभ्यर्थी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर एवं जूंगरपुर द्वारा जारी कुल 805 दिवस अवधि के 2 अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिसके आधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ देय है। अतः अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1508	VIRENDRA MEENA	NO192518	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी एसटी जाति वर्ग 73.630 प्रतिशत अंक है, जो एसटी की कटऑफ से ज्यादा होने के बावजूद	दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक प्रतिशतों की गणना उनके द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी। अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।


			अभ्यर्थी का नाम प्रोविजनल सूची नहीं है। संलग्न एपीकेशन फॉर्म एवं सीएचओ अनुभव प्रमाण पत्र	कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	
1509	VISHNU SHARMA	NO108047	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यू कैटेगरी कुल प्राप्तांक 75.410 अंक होने के उपरान्त भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं है। संलग्न दस्तावेज अंकतालिकाएँ, आरएनसी, जीएनएम पदनाम का 1222 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र	अभ्यर्थी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा 1222 दिवस का सामु.स्वा.केन्द्र अमरसर पर जीएनएम/नर्स ग्रेड 2 पद पर नर्सिंग कार्य का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसके पुनर्सत्यापन के आधार पर आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1510	Yogendra Kumar Meena	NO211120	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज यथा सीएचओ अनुभव प्रमाण पत्र, अंक तालिकाएँ एवं अन्य दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1511	YOGESH KUMAR	NO151252	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी एससी वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक जोड़ने के उपरान्त 68.720 प्राप्तांक करने के उपरान्त भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं सम्मिलित है। अतः अभ्यर्थी ने प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की है। संलग्न दस्तावेज यथा सीएचओ अनुभव प्रमाण पत्र।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1512	YOGESH KUMAR MEENA	NO208824	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी एसटी वर्ग में 20 प्रतिशत बोनस अंक जोड़ने के उपरान्त 64.220 प्राप्तांक करने के उपरान्त भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं सम्मिलित है। अतः अभ्यर्थी ने प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1513	YOGESH MEENA	NO206150	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी एसटी वर्ग में 68.420 प्राप्तांक करने के उपरान्त भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं सम्मिलित है। कोविड अवधि के 15 प्रतिशत बोनस नहीं दिया	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			गया है। अतः अभ्यर्थी ने प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की है।		
1514	YOGITA PARASHAR	NO193321	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस वर्ग में 30 प्रतिशत बोनस अंक जोड़ने पर 68.880 अंक प्राप्त किये हैं। किन्तु प्रोविजनल सूची में नाम नहीं है और ना ही कारण बताया गया है। जिसमें दस्तावेज यथा अनुभव प्रमाण पत्र पदनाम सीएचओ एवं अन्य दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1515	YOGITA SHARMA	NO167825	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज यथा अनुभव प्रमाण पत्र पदनाम सीएचओ एवं अन्य दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1516	Sangeeta Simar	NO165887	अभ्यर्थिया ने ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 67.244 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 532 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1517	AAKASH MARU	NO181196	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना संलग्न नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1518	AKASH	NO189378	अभ्यर्थी ने परिवेदन के संलग्नक में आरएनसी प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिनांक 13.10.2023, ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र 12.10.2023 संलग्न कर समस्त दस्तावेजों की जांच कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम आर.एन.सी. से पंजीयन के सत्यापन हेतु रोका गया है। आर.एन.सी. से पंजीयन सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1519	AKSHAY BOHRA	NO187299	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर जीएनएम के प्राप्तांको में सुधार किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1520	ALKA KUMARI RATHOR	NO210036	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र दिनांक 04.10.2023 की प्रति संलग्न की है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1521	ANITA SINGH SHAKHAWAT	NO156862	अभ्यर्थिया ने दस्तावेज सत्यापन के समय ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में पिता का नाम होने के कारण शपथ पत्र लगाया गया था जिसके कारण प्रार्थी का रिजल्ट	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।



			होल्ड कर रखा है अब ईडब्ल्यूएस में पिता के नाम की जगह पति का नाम जुड़वाने हेतु नया आवेदन किये जाने का उल्लेख कर रिजल्ट जारी करने हेतु निवेदन किया है।		
1522	ANJALI UPADHYAY	NO135540	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.41 होने के बाद भी प्रार्थी का परिणाम रोके जाने का उल्लेख कर परिणाम जारी करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1523	ANKITA	NO144702	अभ्यर्थियों द्वारा रोके गये परिणाम का उल्लेख कर रोके गये परिणाम का कारण स्पष्ट करने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1524	ARTI	NO113877	अभ्यर्थियों द्वारा रोके गये परिणाम का कारण स्पष्ट करने का उल्लेख कर परिणाम जल्द जारी करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1525	ASHA	NO163681	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति वर्ग में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 78.290 होने का उल्लेख कर रोके गये परिणाम को शीघ्र जारी करने एवं सूची में नाम सम्मिलित कर अंतिम घयन सूची जारी करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1526	ASHUTOSH SHARMA	NO121900	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया है:-प्रार्थी ने उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में आवेदन किया था चिकित्सा विभाग ने मुझे खिलाड़ी कोटे में नहीं माना। मैंने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट दायर की। माननीय उच्च न्यायालय को श्रीमान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा सूचित किया गया कि प्रार्थी का खेल प्रमाण पत्र संस्था से सत्यापित नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में नहीं माना जिस पर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने प्रार्थी को खेल खेल प्रमाण पत्र स्वन्धित संस्था से रिवेलिडेटेड करवाने का आदेश दिया जिस पर प्रार्थी ने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, आगरा से खेल प्रमाण पत्र सत्यापित करवाकर माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर क आदेश की पालना कर दी। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दिनांक 18.02.2021 को श्रीमान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को सूचित गया कि प्रार्थी के खेल प्रमाण पत्र स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से सत्यापित होकर प्राप्त हो चुके हैं जो कि सही पाये गये हैं। श्रीमान जी निवेदन है कि प्रार्थी	अभ्यर्थी का परिणाम खेल प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया है। खेल प्रमाण पत्र के सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जावेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			को उपनिदेशक (खेल कूद एवं शारीरिक शिक्षा) माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा रजत पदक जीतने पर 2500/- का इनाम दिया गया और श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा प्रशंसा पत्र भी दिया गया। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिनांक 31.01.2003 से दिनांक 05.02.2003 तक टेबल टेनिस की 48वीं नेशनल स्कूल गेम्स चैम्पीयनशिप गुलवर्गा में आयोजित की गई थी। उस समय स्कूल गेम्स फेडरेशन इंडिया का कार्यालय पटियाला में था माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 20.02.2020 को खेल प्रमाण पत्र संबंधित संस्था से रिवैलिडेटेड करवाने का आदेश दिया गया था उस समय स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया आगरा में थी माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशानुसार प्रार्थी ने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया आगरा से अपना खेल प्रमाण पत्र सत्यापित करवाया है, इसी खेल प्रमाण पत्र को सत्यापित मान लिया जावे।		
1527	BABITA KUMARI	NO140588	रिट संख्या 15057/2023, अनुभव का लाभ चाहने बाबत	अभ्यर्थिया का चयन सामान्य श्रेणी के विरुद्ध किया जा चुका है। परिवेदना का कारण स्पष्ट नहीं है। अभ्यर्थिया का परिणाम न्यायिक परिवाद के कारण रोका गया है। माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1528	BABITA VERMA	NO146884	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर दस्तावेज सत्यापन के समय सारे दस्तावेज प्रमाणित करवाने के बाद भी परिणाम रोके जाने का उल्लेख कर रोके गये परिणाम को जारी कर अंतरिम सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1529	BALVEER KASWAN	NO163783	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर परिणाम को होल्ड पर रखे जाने के कारण का निस्तारण कर परिणाम जारी करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1530	BALVEER SINGH RAJPUROHIT	NO142744	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम रोके गये परिणाम की सूची में से हटाकर अंतरिम सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1531	Bhagyawati	NO126602	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1532	CHANCHAL GAUTAM	NO114122	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन दिव्यांगजन प्रमाण पत्र परिवेदना लिंक के माध्यम से प्रस्तुत करने एवं वर्ष 2023-24 का ईडब्ल्यूएस श्रेणी का नया प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर स्वीकार करने के संबंध में परिवेदना	अभ्यर्थी का परिणाम दिव्यांगता प्रमाणपत्र पर मेडिकल बोर्ड की स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त करने के उद्देश्य से रोका गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।



			प्रस्तुत की है।		
1533	CHANCHAL SHARMA	NO164443	अभ्यर्थियों द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1534	CHAUDHARY SIMA PRABHURAM	NO202528	अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज संलग्न कर एवं आधार कार्ड में नाम संशोधन करवाया जाने से अवगत करवाते हुये प्रोविजनल सूची में रोके गये रिजल्ट को जारी कर अंतिम बरियता सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थिया का परिणाम आर.एन.सी. से सत्यापन के अध्याधीन रोका है। अतः सत्यापन की सूचना प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1535	DEEPAK KUMAR SHARMA	NO153753	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1536	DEEPAK KUMAR SHARMA	NO145472	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर EWS केटेगरी में स्वयं के कुल 74.29 प्रतिशत प्राप्तांक (30 अनुभव को जोड़ते हुये) होने के उपरान्त भी चयन को होल्ड में रखन का उल्लेख करते हुये रोके गये परिणाम को जारी कर अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1537	ELIZABETH VANDANA RAWAT	NO110036	अभ्यर्थियों ने अन्य पिछडा वर्ग प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराकर आवश्यक कार्यवाही हेतु परिवेदना के साथ संलग्न किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1538	GAYATRI KALAWAT	NO197098	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर जीएनएम प्रशिक्षण इरशाद मैमोरियल इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग एजुकेशन जयपुर से किये जाने का उल्लेख कर परिवेदना स्वीकार कर चयन सूची में नाम शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1539	GAYATRI KHAJJA	NO211964	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर रिन्युअल जाति प्रमाण संलग्न कर स्वीकार करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1540	GULNAZ BANO	NO203080	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 12वीं कक्षा में 48.40 जीएनएम में 81.70 प्रतिशत 15 बोनस अंक जोड़कर कुल प्राप्तांक 60.56 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1541	HARSHANA KUMARI PATIDAR	NO188621	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर आवेदन के समय पुराना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने का उल्लेख कर नया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर स्वीकार करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1542	JASMEENA	NO162738	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ जीएनएम द्वितीय	अभ्यर्थी का परिणाम उनके आरएनसी में पंजीयन के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने कारण	वर्तमान में कोई कार्यवाही

	BANO		की अंकतालिका संलग्न कर निवेदन किया है, अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन-क्रीमी लेयर में 68.200 प्रतिशत अंक के पश्चात् परिणाम होल्ड किया गया है। अतः अभ्यर्थिया ने परिणाम होल्ड के कारण बताते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	रोका हुआ है। उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर अभ्यर्थी के प्रकरण में तदनुसूचित कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।	आवश्यक नहीं।
1543	JAYSHREE CHOUBISA	NO103564	अभ्यर्थिया द्वारा परिणाम रोके जाने का कारण स्पष्ट कराने के लिए परिवेदना प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1544	JITENDER KUMAR	NO183033	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1545	KAILASH CHAND VAISHNAV	NO168426	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के द्वारा गलती से ओबीसी-एनसीएल पीएच श्रेणी में आवेदन करने से अवगत कराया है। परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं की पीएच श्रेणी को संशोधन करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को दिव्यांग श्रेणी में नहीं माना गया है। अभ्यर्थी का परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1546	KALPANA KUMARI PARMAR	NO140559	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 30 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 76.70 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम होल्ड सूची में होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 1190 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर पद का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम अंतिम वरियता सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1547	KAVITA KHATIK	NO174079	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम कविता खटीक रेगर के स्थान पर कविता खटीक पढ़े जाने एवं प्रोविजनल सूची में होल्ड किये गये परिणाम को मेरिट सूची में जोड़ने बाबत निवेदन किया है। परिवेदना के साथ 203 दिवस का सीएचए पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1548	KAVITA YADAV	NO203008	अभ्यर्थिया ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 235 दिवस का सीएचए पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1549	KISHAN SINGH	NO141840	अभ्यर्थी ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल 342 नंबर पर स्वयं की अंकित	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			आईडी सं संबंधित दस्तावेज संलग्न किया है।	जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	
1550	KRISHAN LAL SHARMA	NO150113	अभ्यर्थी ने ईडब्ल्यूएस पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 30 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 74.480 प्रतिशत बताते हुए स्वयं का नाम होल्ड की सूची में होना बताया है। अभ्यर्थी ने 4494 दिवस का जीएनएम पद का प्रमाण पत्र एवं आरएनसी प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम होल्ड सूची से मुख्य प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1551	LATA KUMARI	NO158083	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 64.539 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 128 दिवस का सीएचए पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1552	LATIKA SINDAL	NO179432	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 194 दिवस का सीएचए पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1553	LAXMAN RAM GHINTALA	NO117362	अभ्यर्थी ने भूतपूर्व सैनिक वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 65 प्रतिशत बताते हुए भूतपूर्व सैनिक वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी दिनांक 31.10.2023 को सैना से रिटायर हो रहा है एवं एनओसी हेतु आवेदन कर रखा है जिससे संबंधित दस्तावेज संलग्न है। अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम होल्ड सूची से हटाकर प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1554	LOKESH KUMAR SHARMA	NO151844	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर रोके गये परिणाम को जारी करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1555	LOKESHWAR PAREEK	NO161650	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर रोके गये परिणाम को जारी करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

				जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	
1555	MAHESH KUMAR	NO192053	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल ओबीसी एनसीएल जाति प्रमाण पत्र दिनांक 04.09.2023 प्रस्तुत किया है।	अभ्यर्थी का चयन दिव्यांग श्रेणी में किया जा चुका है किन्तु अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1557	MANISHA GURJAR	NO146651	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर वरीयता सूची में रोके गये परिणाम वाले अभ्यर्थियों का आक्षेप हटाकर आवेदन पत्र स्वीकार कर स्वयं का नाम एमबीसी एनसीएल महिला वर्ग की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1558	MANJEET KAUR	NO119732	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर रोके गये परिणाम को जारी करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1559	MANOHAR LAL	NO144588	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1560	MANOJ KUMAR SHARMA	NO162116	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर रोके गये परिणाम को जारी करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1561	MANOJ KUMAR VERMA	NO184555	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर रोके गये परिणाम को जारी करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1562	MEENAKSHI	NO168574	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम होल्ड सूची में रखे जाने का कारण स्पष्ट करते हुए होल्ड सूची से अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। जिसके सत्यापन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर द्वारा जारी कुल 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें अभ्यर्थी का अनुभव उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रु. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः उप स्वास्थ्य केन्द्र पर रु. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण इन्हे बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1563	MEENAKSHI PRAJAPATI	NO161110	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन के समय तकनीकी खराबी से जाति वर्ग सामान्य अंकित हो गया था जबकि अभ्यर्थी ओबीसी एनसीएल श्रेणी में आती है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन परिवेदना में ओबीसी	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।

			एनसीएल का पुराना एवं नया प्रमाण पत्र जमा करवा दिया गया था। अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन में ओबीसी एनसीएल का जाति प्रमाण पत्र जमा करवा दिया गया है परन्तु अभ्यर्थी का नाम रोके गये परिणाम की सूची में क्रम संख्या 981 पर अंकित है। अतः अभ्यर्थी ने ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग के आरक्षण का लाभ देते हुए रोके गये परिणाम को शीघ्र जारी करने हेतु निवेदन किया है।		
1564	MOHD AKRAM BEG	NO187508	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र की प्रति संलग्न की है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1565	MS.PUSHPA	NO194879	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पुष्पा उर्फ मिस पुष्पा दोनो नाम अभ्यर्थी से संबंधित है। अभ्यर्थी को चयन होने पर आज्ञा देने की निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने नाम संशोधन हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी का परिणाम अन्य राज्य से प्राप्त योग्यता के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1566	mukesh joiya	NO187888	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 65.37 प्रतिशत कटऑफ 65.27 से अधिक होने के उपरांत भी नाम होल्ड सूची में रखा गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम होल्ड सूची से अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1567	MUKESH KUMAR SEN	NO148301	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर परिणाम क्यों रोका गया है ? की सूचना चाही गयी है ताकि संबंधित वांछित दस्तावेज जमा करवा सके।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1568	MUKESH KUMARI	NO207719	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में रिट याचिका संख्या 15140/2023 में जारी आदेश दिनांक 04.10.2023 की प्रति संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनते ही प्रस्तुत कर देगी। अभ्यर्थी को ईडब्ल्यूएस का लाभ दिया जावे।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1569	NAGMA KHAN	NO172644	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र में कांट-छांट को सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित करवाकर संशोधित अनुभव प्रमाण पत्र जमा करवाये जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी का परिणाम रोका गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम रोके गये परिणाम की सूची से हटाकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1570	NEELAM SEN	NO146347	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल ओबीसी एनसीएल जाति प्रमाण पत्र दिनांक 11.10.2023, शपथ पत्र एवं विवाह प्रमाण पत्र	अभ्यर्थी का परिणाम उनके आर.एन.सी. में पंजीयन के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने कारण रोका हुआ है। उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर अभ्यर्थी के प्रकरण में तदनुरूप कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।

			की प्रति संलग्न की है।		
1571	NEELU MEGHWAL	NO191865	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर पूर्व में जारी अनुभव प्रमाण पत्र में कमी की पूर्ति करवाकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र क्रमांक 676 दिनांक 01.06.2023 एवं अन्य पत्रादि संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1572	NETRAM SOOD	NO135073	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के एमबीबीसी जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत अंतरिम कटऑफ से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया जाकर परिणाम रोक लिया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1573	Nikhil Jhajharia	NO100143	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर दिव्यांग श्रेणी में रोके गये परिणाम को जारी कर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम मेडिकल-बोर्ड से स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त हेतु रोका गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1574	OM PRAKASH	NO165479	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर रोके गये परिणाम को जारी करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1575	PANKAJ KUMAR SHARMA	NO172556	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि दस्तावेज सत्यापन अधिकारी द्वारा मौखिक रूप से बताया गया था की आरएनसी रजिस्ट्रेशन के पश्चात् का कार्यानुभव मान्य होगा, इस हिसाब से कार्यानुभव कम किया जायेगा। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी ने माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर में रिट पिटीशन संख्या 15856/2023 संलग्न है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.10.2023 में प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत कार्यानुभव प्रमाण-पत्र दिनांक 10.05.2023 के आधार पर प्रार्थी को 03 वर्ष (1227 वर्ष) का बोनस अंक देने से अवगत कराया है। अतः अभ्यर्थी ने अनुभव अंक जोड़कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1576	POOJA	NO146005	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी का नाम दस्तावेज सत्यापन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था, जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थी यथा क्रम संख्या 529 पर अंकित अंकित मेघवाल का नाम सम्मिलित था। तत्पश्चात् परिवेदना प्रस्तुत किये जाने पर	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।



			अभ्यर्थी का नाम दस्तावेज सत्यापन सूची में सम्मिलित किया गया है। इसके उपरांत अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में होल्ड रखा गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
1577	POOJA KUMARI VARMA	NO162160	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल अनुभव प्रमाण पत्र, अंकतालिका एवं रजिस्ट्रेशन प्रति संलग्न की गई है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1578	POOJA MEENA	NO108019	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल आवेदन पत्र की प्रति संलग्न की गई है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये जाने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है किन्तु अभ्यर्थी के द्वारा परिवेदना प्रस्तुत करने पर दस्तावेजों को पुनः जांच किये जाने पर पाया गया कि अभ्यर्थी द्वारा व्यावसायिक योग्यता श्री विनायक इन्सटीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जयपुर द्वारा उत्तीर्ण की गई है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। अतः तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1579	POONAM	NO149393	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का परिणाम उनके आरएनसी में पंजीयन के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने कारण रोका हुआ है। उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर अभ्यर्थी के प्रकरण में तदनुसार कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1580	POONAM KUMARI	NO197953	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि अंतरिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से प्राप्तांक काफी अधिक है एवं साथ ही परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम खेल प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया है। खेल प्रमाण पत्र के सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जावेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1581	PRAMILA	NO168340	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि ई-मित्र द्वारा गलती से जीएनएम तृतीय वर्ष और इन्टरशिप का योग 699 लिखा गया, जबकि दोना जोड़कर प्राप्तांक 694 है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर, पुनः जांच कर होल्ड का कारण बताते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम उनके आरएनसी में पंजीयन के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने कारण रोका हुआ है। उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर अभ्यर्थी के प्रकरण में तदनुसार कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1582	PREETI	NO208404	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर प्राप्तांक व अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर बोनस अंक देकर एवं रिजल्ट होल्ड का कारण बताते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम उनके आरएनसी में पंजीयन के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने कारण रोका हुआ है। उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर अभ्यर्थी के प्रकरण में तदनुसार कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1583	PREM KUMAR MENARIA	NO170325	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर रिजल्ट होल्ड का कारण बताते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये जाने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1584	PREM KUMAR MENARIA	NO144147	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर रिजल्ट होल्ड का कारण बताते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये जाने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1585	PREM KUMAR	NO168688	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये जाने के कारण	वर्तमान में कोई कार्यवाही

	MENARIA		है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	आवश्यक नहीं है।
1586	PREM KUMARI	NO113089	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि दिव्यांकता श्रेणी मल्टीपल डिसेबिलिटी में 48.810 प्राप्तांक पर भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि 38.42 प्रतिशत पर अभ्यर्थिया का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर परिणाम होल्ड का कारण बताते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया का परिणाम मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण रोका गया था। रिपोर्ट प्राप्ति पर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1587	PRITAM	NO194821	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का परिणाम उनके आरएनसी में पंजीयन के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने कारण रोका हुआ है। उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर अभ्यर्थी के प्रकरण में तदनुसूच कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1588	PUSHPLATA GEHLOT	NO166299	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि प्रार्थी का परिणाम रोका गया है। उसमें प्रार्थी द्वारा जो फार्म भरा गया था उसमें त्रुटीवश जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र का नाम नहीं लिखा गया था। प्रार्थी द्वारा जनरल नर्सिंग का प्रशिक्षण AMBASSY SCHOOL OF NURSING JAIPUR RAJASTAN से किया है एवं आरएनसी रजिस्ट्रेशन नम्बर 36127 होने का उल्लेख कर चयनित सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। किन्तु अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पाया गया कि अभ्यर्थी द्वारा व्यावसायिक योग्यता एम्बेसी स्कूल ऑफ नर्सिंग, जयपुर द्वारा उत्तीर्ण की है जिसकी अंकतालिकायें राजस्थान नर्सिंग कौंसिल द्वारा जारी की गई हैं। इस प्रकार तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1589	RAHUL GUPTA	NO142504	अभ्यर्थी के 30 वॉनस अंक जोड़कर 73.46 प्रतिशत है एवं अभ्यर्थी का परिणाम रोका दिया गया है। अतः अभ्यर्थी ने परिणाम जारी कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1590	Rajeshwary Yadav	NO131297	अभ्यर्थिया ने परिवेदना में केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1591	RAKESH KUMAR KASOTIYA	NO118386	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का परिणाम दिव्यांकता परीक्षण की जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के अध्याधीन रोका गया था। जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1592	RAKESH KUMAR RUNDLA	NO198748	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि उसका परिणाम रोका गया है, जबकि उसने सभी डिग्रीया राजस्थान से अर्जित की है एवं विकलांग सर्टिफिकेट श्री कल्याण राजकीय अस्पताल सीकर द्वारा जारी है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत परिणाम जारी करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम दिव्यांकता परीक्षण की जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के अध्याधीन रोका गया था। जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1593	RAVI KANT DHAKAR	NO167284	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को परिणाम रोके गये की सूची में रखा गया	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			है। अभ्यर्थी द्वारा जीएनएम केएसडीएनईबी बेंगलोर से वर्ष 2015 में पूर्ण की गई थी, जिसमें बोर्ड द्वारा भूलवश प्रीन्टिंग मिस्टेक की वजह से जीएनएम द्वितीय वर्ष में एमएसएन 1 में अनुपस्थित दर्शाया है लेकिन बोर्ड द्वारा कॉलेज को प्रस्तुत समेकित अंकतालिका में प्रार्थी को उपस्थित दर्शाया गया है। जिस हेतु अभ्यर्थी ने बोर्ड से सम्पर्क कर संशोधित ईकजाई जीएनएम द्वितीय वर्ष की अंकतालिका के लिए आवेदन कर दिया गया है जो अभ्यर्थी को प्राप्त होते ही सिफू को प्रस्तुत कर दी जावेगी, जिसकी रसीद की प्रति भी संलग्न है।	जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	
1594	RAVINA	NO141579	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर रोके गये परिणाम को जारी करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम उनके आरएनसी में पंजीयन के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने कारण रोका हुआ है। उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर अभ्यर्थी के प्रकरण में तदनुरूप कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1595	RITESH GOCHER	NO100467	अभ्यर्थी ने MBC-NCL कटेगरी में अधिक प्राप्तांक होने के उपरान्त भी अन्तरिम चयन सूची में नाम नहीं आने आने से अवगत कराया है। संलग्न दस्तावेजों में 777 दिवस का कोविड अवधि का नर्सिंग कर्मचारियों का सहयोगकर्ता पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का चयन अंतरिम वरीयता सूची में एमबीसी एनसीएल वर्ग में किया जा चुका है। अभ्यर्थी का परिणाम न्यायिक प्रकरण विचाराधीन होने के कारण रोका हुआ है। माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1596	ROOP SINGH SAINI	NO167630	अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरीयता सूची में होल्ड रखने से अवगत कराया है। परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अभ्यर्थी ने व्यावसायिक योग्यता ग्वालियर मध्यप्रदेश से उत्तीर्ण की है एवं दिनांक 23.07.2018 को आरएनसी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया उसके उपरान्त दिनांक 19.01.2023 का आरएनसी रिन्यू करवा ली गयी है। अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि आवेदन करते समय उनके द्वारा ओबीसी एनसीएल के स्थान पर एसटी श्रेणी त्रुटिवश भर गया था जिसे त्रुटि संशोधन तिथि के समय परिवेदना प्रस्तुत कर सही कर देना निवेदन किया गया था। अभ्यर्थी ने दिनांक 11.01.2023 को आरएनसी में प्रमाण पत्र संलग्न कर ओबीसी एनसीएल कटेगरी में नाम होल्ड सूची में हटाकर अंतरिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1597	SAMEER SHARMA	NO131354	अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरीयता सूची में होल्ड रखने से अवगत कराया है। परिवेदना प्रस्तुत	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			कर स्वयं का परिणाम होल्ड रखने का कारण बताने एवं होल्ड सूची से हटाकर अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	
1598	SANDEEP KOUR	NO153335	अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में होल्ड रखने से अवगत कराया है। परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का परिणाम होल्ड रखने का कारण बताने एवं होल्ड सूची से हटाकर अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम उनके आरएनसी में पंजीयन के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने कारण रोका हुआ है। उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर अभ्यर्थी के प्रकरण में तदनु रूप कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1599	SANDEEP KUMAR	NO209045	अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में होल्ड रखने से अवगत कराया है। परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का परिणाम होल्ड रखने का कारण बताने एवं होल्ड सूची से हटाकर अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम उनके आरएनसी में पंजीयन के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने कारण रोका हुआ है। उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर अभ्यर्थी के प्रकरण में तदनु रूप कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1600	SANDEEP KUMAR	NO175048	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर के अनुभव प्रमाण पत्र के कॉलम संख्या 7.6 में लिपिकीय त्रुटि के कारण एनेक्सर-ए टाईप कर दिया गया था जिसे प्रार्थी सही करवाकर दिनांक 22.11.2019 से 30.4.23 करवा दिया है, उक्त त्रुटि को सही करवाने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की है। परिवेदना के साथ 1255 दिवस का ईएमटी का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया था। अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जावेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1601	SANGEETA KUMARI DAMOR	NO188495	अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में होल्ड रखने से अवगत कराया है। परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का परिणाम होल्ड रखने का कारण बताने एवं होल्ड सूची से हटाकर अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1602	SANJU MEENA	NO174971	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के रोके गये परिणाम को जारी करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1603	SAPANA BHATT	NO190218	अभ्यर्थिया ने अनारक्षित महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 62.27 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 260 दिवस का सीएचए पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें बिन्दु संख्या 6 के 6.2 में हों/नहीं अंकित है। अभ्यर्थिया ने सीएमएचओं बांसवाड़ा के पत्र क्रमांक 1048 दिनांक 04.10.2023 का हवाला देकर अनुरोध किया है कि बिन्दु संख्या 6 के 6.2 में हों/नहीं के स्थान पर हों पढा जावे एवं सीएचए पद के 15	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।

			बोनस अंको का लाभ दिया जावे। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।		
1604	SARITA KUMARI	NO182441	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल दिनांक 16.10.2023 का जारी ओबीसी-एनसीएल जाति प्रमाण पत्र एवं दिनांक 11.10.2023 का जारी मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1605	SAROJ KUMARI	NO159905	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर किसी कारणवश परिणाम रोके जाने एवं अनुभव के आधार पर बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.43 होने जबकि अनुसूचित जाति फिमेल श्रेणी में 63.61 प्रतिशत पर भी अभ्यर्थी का चयन होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1606	SAROJ SHARMA	NO211421	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का रोके गये परिणाम का कारण बताने का उल्लेख कर स्वयं का नाम अंतरिम वरीयता सूची में जोड़ने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1607	SAVITA YADAV	NO142397	अभ्यर्थियों द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज 10वीं 12वीं की अंकतालिका, अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, जीएनएम कोर्स की अंकतालिका एवं आरएनसी रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी का परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। किन्तु अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पाया गया कि अभ्यर्थी द्वारा व्यावसायिक योग्यता जनरल हॉस्पिटल, अलवर द्वारा उत्तीर्ण की है जिसकी अंकतालिकायें राजस्थान नर्सिंग कॉलेज द्वारा जारी की गई है। इस प्रकार तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1608	SEEMA TANWAR	NO192377	अभ्यर्थियों द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र एवं ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न कर रोके गये परिणाम को जारी करने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1609	SEFUR RAHMAN	NO171727	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज अनुभव प्रमाण पत्र, आरएनसी रजिस्ट्रेशन, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं दिनांक 28.01.2022 को जारी अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी का परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1610	SHADAB HUSAIN	NO150440	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर रोके गये परिणाम को जारी करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। किन्तु अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पाया गया कि अभ्यर्थी द्वारा व्यावसायिक योग्यता राजस्थान राज्य से ही उत्तीर्ण की है जिसकी अंकतालिकायें राजस्थान विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई हैं। इस प्रकार तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1611	SHIV PRATAP SINGH	NO115907	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर परिणाम रोके जाने का कारण स्पष्ट किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम मेडिकल बोर्ड से स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण रोका गया है। रिपोर्ट प्राप्ति उपरान्त कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

1612	SHYAM TANK	NO164798	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के संलग्नक में अवमानना याचिका संख्या 599/2021 अन्तर्गत याचिका संख्या 6158/2021 श्याम टांक बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 31.07.2023 की प्रति एवं 03 अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आधार पर दिनांक 01.06.2021 से 21.07.2022 तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया जावे।	अभ्यर्थी का परिणाम उनके आर.एन.सी में पंजीयन के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने कारण रोका हुआ है। उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर अभ्यर्थी के प्रकरण में तदनुरूप कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1613	SUMAN DEVI	NO196830	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर रोके गये परिणाम को जारी कर अन्तिम सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1614	SUNITA KUMARI	NO124192	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर दिनांक 09.10.2023 का जारी नवीन जाति प्रमाण पत्र एवं जी.एन.एम परीक्षा की अंकतालिका संलग्न कर कुल अंक 1503 करने बाबत निवेदन किया है। उक्त अंकतालिकाएं संलग्न की है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1615	SURESH KUMAR	NO188235	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में स्वयं के औसत प्राप्तांक 70.390 प्रतिशत का उल्लेख करते हुए अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1616	SUSHMA YADAV	NO176473	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 68.170 प्रतिशत अंतरिम फटऑफ 66.41 प्रतिशत से अधिक होने के उपरान्त भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी का नाम गैर अनुसूचित क्षेत्र की विभिन्न कारणों से रोके गये परिणाम की सूची में क्रम संख्या 1471 पर अंकित है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1617	SUSHMITA LABANA	NO203911	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर रोके गये परिणाम सूची से अंतरिम चयन सूची में स्वयं का नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1618	TEENA DABGAR	NO186160	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर रोके गये परिणाम को जारी कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1619	UDAL	NO153306	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव आर.एन.सी में पंजीकरण दिनांक से एनओसी दिनांक 18.03.2023	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार

			तक माना जाकर अनुभव का लाभ दिये जाने हेतु निवेदन किया है।	उचित होगा।	कार्यवाही की जावे।
1620	VARSHA KUMARI	NO183347	अभ्यर्थियां ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन के समय किसी कारणवश मेरा जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया गया था जिसे मैने बाद में सीफू की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये है जिनमें दिनांक 25.11.2022 का जारी जाति प्रमाण पत्र, दिनांक 30.03.2021 की आरएनसी एवं 283 दिवस का सीएचए अनुभव प्रमाण पत्र भी संलग्न किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1621	VIKASH KUMAR MEENA	NO208653	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत रोके गये परिणाम को जारी किये जाने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1622	VIMALA KUMARI	NO186885	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का परिणाम रोकने का कारण स्पष्ट करने का उल्लेख कर जल्द परिणाम जारी करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम आर.एन.सी. पंजीयन के सत्यापन हेतु रोका गया है। सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
1623	Akshay Kumar Sharma	NO101989	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर विशेष योग्यजन श्रेणी में होल्ड किये गये परिणाम को जारी कर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण रोका गया है। रिपोर्ट प्राप्ति पर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1624	CHHEL KANWAR	NO149447	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर पीएच कोटे में आवेदन कर स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर पीएच कोटे में चयन किये जाने के संबंध में निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनकी दिव्यांगता (काइफोस्कोलियोसिस) होने के कारण भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.08.2022 के अनुरूप माननीय न्यायलय द्वारा रिट याचिका संख्या 12185/2024 नितिन कुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय अनुसार मेडिकल बोर्ड के परीक्षण अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1625	DASHRATH SINGH NATHAWAT	NO204356	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर आरएनसी रजिस्ट्रेशन की नई प्रति संलग्न कर भूतपूर्व सैनिक कोटे का लाभ दिये जाने का उल्लेख कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी की पात्रता आर.एन.सी. से प्राप्त सूचना के आधार पर पंजीयन नहीं होने के कारण निरस्त की गई। इस सम्बन्ध में आर.एन.सी. से पुनः सूचना चाही गई है। प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1626	DEEPAK KUMAR	NO132448	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

				सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनकी दिव्यांगता (काइफोस्कोलियोसिस) होने के कारण भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.08.2022 के अनुरूप माननीय न्यायलय द्वारा रिट याचिका संख्या 12185/2024 नितिन कुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय अनुसार मेडिकल बोर्ड के परीक्षण के अध्याधीन परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है।	
1627	DIMPAL PRAJAPATI	NO122401	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनकी दिव्यांगता (काइफोस्कोलियोसिस) होने के कारण भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.08.2022 के अनुरूप माननीय न्यायलय द्वारा रिट याचिका संख्या 12185/2024 नितिन कुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय अनुसार मेडिकल बोर्ड के परीक्षण के अध्याधीन परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1628	DIMPLE UCHENIYA	NO201463	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया है:- 1. प्रार्थी एससी वर्ग के विकलांग श्रेणी में आती हूँ और मेरे कुल 47.170 अंक प्राप्त किये है एवं प्रोविजनल सूची में एससी वर्ग की विकलांगता श्रेणी के अन्य प्रार्थियों का इससे कम अंक 38ए 39ए 40ए 41 प्रतिशत तक को भी शामिल कर लिया गया है एवं मुझे प्रार्थिया को सूची में शामिल नहीं किया गया है। 2. मेरा विकलांगता प्रमाण पत्र Government of Rajasthan, Department of Medical and Health (J.L.N. Ajmer/CMHO Ajmer) के द्वारा 42 प्रतिशत विकलांगता का बना हुआ है जो कि पूर्ण रूप से विभाग द्वारा मान्य है। 3. मेने मेरी पढाई 10वीं व 12वीं तथा नर्सिंग राजस्थान से ही की है जिसके अनुसार मेरे अंक 10वीं में 50.83 एवं 12वीं में 56.77 व जीएनएम में 78 प्रतिशत है उपरोक्त सभी योग्यताएं होने के उपरान्त भी एसएमएस मेडिकल बोर्ड जांच के द्वारा मुझे विशेष योग्यजन के श्रेणी में रखने के बावजूद मेरा नाम प्रोविजनल सूची में शामिल नहीं किया गया है अतः सभी दस्तावेजों की पूर्ण रूप से जांच करके प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत की है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनकी दिव्यांगता (काइफोस्कोलियोसिस) होने के कारण भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.08.2022 के अनुरूप माननीय न्यायलय द्वारा रिट याचिका संख्या 12185/2024 नितिन कुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय अनुसार मेडिकल बोर्ड के परीक्षण के अध्याधीन परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।



1629	KAMLESH KUMAR SEN	NO154681	अभ्यर्थी ने ओबीसी-एनसीएल पुरुष वर्ग में दिव्यांगजन श्रेणी में आवेदन किया है एवं स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 42.81 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की दिव्यांगजन श्रेणी की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनकी दिव्यांगता (काइफोस्कोलियोसिस) होने के कारण भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.08.2022 के अनुरूप माननीय न्यायलय द्वारा रिट याचिका संख्या 12185/2024 नितिन कुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय अनुसार मेडिकल बोर्ड के परीक्षण के अध्याधीन परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1630	KIRAN KUMARI	NO191601	अभ्यर्थियां ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में दिव्यांगजन श्रेणी में आवेदन किया है एवं स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 53.825 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की दिव्यांगजन श्रेणी की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थियां ने 129 दिवस का सीएचए पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनकी दिव्यांगता (काइफोस्कोलियोसिस) होने के कारण भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.08.2022 के अनुरूप माननीय न्यायलय द्वारा रिट याचिका संख्या 12185/2024 नितिन कुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय अनुसार मेडिकल बोर्ड के परीक्षण के अध्याधीन परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1631	MANJU SHARMA	NO158314	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस दिव्यांग श्रेणी में कुल औसत प्राप्तांक 73.320 प्रतिशत है जो कि दिव्यांग श्रेणी की कटऑफ 38 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनकी दिव्यांगता (काइफोस्कोलियोसिस) होने के कारण भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.08.2022 के अनुरूप माननीय न्यायलय द्वारा रिट याचिका संख्या 12185/2024 नितिन कुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय अनुसार मेडिकल बोर्ड के परीक्षण के अध्याधीन परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1632	PARMOD KUMAR	NO167722	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि 20 बोनस अंक जोड़कर 67.13 प्रतिशत प्राप्तांक होने पर भी अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि प्राप्तांक कट ऑफ से ज्यादा है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का मर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है किन्तु अभ्यर्थी के परिवेदना के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी का अंकतालिकाओं के आधार पर अभ्यर्थी की योग्यता बंसल स्कूल ऑफ नर्सिंग, हनुमानगढ़ का होना पाया गया है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है एवं इनकी अंकतालिकाये राजस्थान नर्सिंग कौंसिल द्वारा जारी की गई है। तदनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1633	POOJA RANI	NO142211	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के सामान्य दिव्यांग श्रेणी में कुल औसत प्राप्तांक 62.960 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 38 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनकी दिव्यांगता (काइफोस्कोलियोसिस) होने के कारण भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.08.2022 के अनुरूप माननीय न्यायलय द्वारा रिट याचिका संख्या 12185/2024 नितिन कुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय अनुसार मेडिकल बोर्ड के परीक्षण के अध्याधीन परिणाम रोक जाना प्रस्तावित है।	
1634	PUSHPA KUMARI RAWAT	NO200453	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 30 बोनस अंक जोड़कर 77.790 प्रतिशत जो अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन-क्रीमी लेयर पीएच श्रेणी की कट ऑफ से ज्यादा है और मेरे से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनकी दिव्यांगता (काइफोस्कोलियोसिस) होने के कारण भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.08.2022 के अनुरूप माननीय न्यायलय द्वारा रिट याचिका संख्या 12185/2024 नितिन कुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय अनुसार मेडिकल बोर्ड के परीक्षण के अध्याधीन परिणाम रोक जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1635	RAHUL SOMANI	NO110268	अभ्यर्थी ने परिवेदना में दिव्यांग प्रमाण पत्र संलग्न कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनकी दिव्यांगता (काइफोस्कोलियोसिस) होने के कारण भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.08.2022 के अनुरूप माननीय न्यायलय द्वारा रिट याचिका संख्या 12185/2024 नितिन कुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय अनुसार मेडिकल बोर्ड के परीक्षण के अध्याधीन परिणाम रोक जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1636	RUKHSANA	NO135492	अभ्यर्थिया ने ओबीसी-एनसीएल महिला वर्ग में दिव्यांगजन श्रेणी में आवेदन किया है एवं स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 43.970 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की दिव्यांगजन श्रेणी की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनकी दिव्यांगता (काइफोस्कोलियोसिस) होने के कारण भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.08.2022 के अनुरूप माननीय न्यायलय द्वारा रिट याचिका संख्या 12185/2024 नितिन कुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय अनुसार मेडिकल बोर्ड के परीक्षण के अध्याधीन परिणाम रोक जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1637	SAVITA ROAT	NO205027	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कल प्राप्तांक प्रतिशत 60.80 जो की अनुसूचित जनजाति पीएच श्रेणी की कट ऑफ 41.19 प्रतिशत से अधिक होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल लिस्ट व फाईनल लिस्ट में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनकी दिव्यांगता (काइफोस्कोलियोसिस) होने के कारण भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.08.2022 के अनुरूप माननीय न्यायलय द्वारा रिट याचिका संख्या .	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

				12185/2024 नितिन कुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय अनुसार मेडिकल बोर्ड के परीक्षण के अध्याधीन परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है।	
1638	SHAHZAD	NO103595	अभ्यर्थी द्वारा विकलांग कोटे में आवेदन कर चयन सूची में नाम नहीं आने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत की है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनकी दिव्यांगता (काइफोस्कोलियोसिस) होने के कारण भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.08.2022 के अनुरूप माननीय न्यायलय द्वारा रिट याचिका संख्या 12185/2024 नितिन कुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय अनुसार मेडिकल बोर्ड के परीक्षण के अध्याधीन परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1639	SHANKER LAL KOLI	NO197453	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के व्यावसायिक योग्यता में बीएससी नर्सिंग तृतीय वर्ष में 536/750 के स्थान पर 537/750 संशोधित किये जाने हेतु निवेदन किया है। साथ ही रोके गये परिणाम को जारी कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किये होने के कारण अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु रोका गया है किन्तु अभ्यर्थी के परिवेदना के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी का अंकतालिकाओं के आधार पर अभ्यर्थी की योग्यता एस.टेक. नर्सिंग कॉलेज, भीलवाड़ा का होना पाया गया है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है एवं इनकी अंकतालिकाये राजस्थान नर्सिंग कॉंसिल द्वारा जारी की गई है। अभ्यर्थी को बी.एस.सी. तृतीय वर्ष में 537 अंक ही प्रदान किये गये हैं। तदनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1640	SHEELA GURJAR	NO180810	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के एमबीसी एनसीएल दिव्यांग श्रेणी में कुल औसत प्राप्तांक 45.010 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 38.452 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले 33 अभ्यर्थियों के नाम सूची में सम्मिलित हैं। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनकी दिव्यांगता (काइफोस्कोलियोसिस) होने के कारण भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.08.2022 के अनुरूप माननीय न्यायलय द्वारा रिट याचिका संख्या . 12185/2024 नितिन कुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय अनुसार मेडिकल बोर्ड के परीक्षण के अध्याधीन परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1641	Shrimal	NO188454	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी की पात्रता आर.एन.सी. से प्राप्त सूचना के आधार पर पंजीयन नहीं होने के कारण निरस्त की गई। इस सम्बन्ध में आर.एन.सी. से पुनः सूचना चाही गई है। प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1642	SONU KANWAR RANAWAT	NO152907	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को दिव्यांग श्रेणी का 50 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसके उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। साथ ही अभ्यर्थी के ईन्ट्रान्शिप के नम्बर नहीं जोड़े गये हैं, जिस कारण अभ्यर्थी के 56.447 प्रतिशत के स्थान पर 55.370 प्रतिशत ही बन रहे हैं। अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत (55.841 प्रतिशत) वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम वरियता	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनकी दिव्यांगता (काइफोस्कोलियोसिस) होने के कारण भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.08.2022 के अनुरूप माननीय न्यायलय द्वारा रिट याचिका संख्या . 12185/2024 नितिन कुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय अनुसार मेडिकल बोर्ड के परीक्षण के अध्याधीन परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			सूची में किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने विभाग की ओर से की गई त्रुटि का समाधान कर अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।		
1643	SUDHANSHU	NO167604	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.460 होने के बाद भी चयन नहीं होने जबकि अनुसूचित जाति वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी 65.277 का चयन होने का उल्लेख कर साथ ही माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश अनुसार 15 प्रतिशत बोनस अंक का लाभ देकर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है। अभ्यर्थी द्वारा एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 14461/2023 एवं अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी संलग्न की है।	अभ्यर्थी की पात्रता आरएनसी पंजीयन नहीं होने के कारण निरस्त की गई है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ आरएनसी प्रोविजनल पंजीयन प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसमें इनका पंजीयन 30.06.2023 से दर्शाया गया है। परिवेदना के साथ अभ्यर्थी द्वारा मूल पंजीयन की फोटोप्रति संलग्न की गई है जो 30.06.2023 से वैध है। अभ्यर्थी द्वारा माननीय न्यायालय में रिट याचिका सं. 14461/2023 भी दायर की गई है जिसमें माननीय न्यायालय ने अभ्यर्थी को प्रोविजनली बोनस अंक देने के निर्देश प्रदान किये हैं। अतः अभ्यर्थी को 15 बोनस अंक देकर पात्र मानते हुए परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1644	AISHWARYA BHATI	NO103685	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में नाम नहीं होने के कारण पुनः दस्तावेजों का अवलोकन किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 51.722 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (ईडब्ल्यूएस महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 55.841 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1645	AMBRISH KUMAR SHARMA	NO172805	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में कुल औसत प्राप्तांक 71.460 प्रतिशत का उल्लेख कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 71.462 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (ईडब्ल्यूएस ) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 72.336 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1646	AMIT KUMAR	NO202845	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का चयन किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 69.621 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (ओबीसी एनसीएल) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1647	aneesh rangrej	NO193950	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है जो निम्न प्रकार है:- 1. अनारक्षित एवं ओबीसी श्रेणी से निम्न अभ्यर्थियों को हटाया जाये:- 1. 116502 2. 129602 3. 144444 4. 146227 5. 147407 6. 149656 7. 153805 8. 166505 9. 176818 10. 155509 11. 163459 12. 165523 13. 169991 14. 172562 15. 182771 2. ओबीसी आरक्षण की अनुपालना करवाने बाबत। 3. आयु सीमा छूट दी गई तो ओबीसी कैटेगरी में निम्नलिखित को जनरल कैटेगरी में क्यों सम्मिलित किया गया :- 1. क्रम संख्या 102 धर्मवीर कुमार, 82.29 ओबीसी एनसीएल, जन्म दिनांक 15.03.1973	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 68.724 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (ओबीसी एमसीएल) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना में उल्लेखित आईडी के संबंध में जाँच कर नियमानुसार कार्यवाही संपादित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			<p>2. क्रम संख्या 287 मोहन सिंह, 81.45 ओबीसी एनसीएल, जन्म दिनांक 15.11.1977</p> <p>3. क्रम संख्या 579 धनरूप रावल, 80.19 ओबीसी एनसीएल, जन्म दिनांक 15.03.1974</p> <p>4. समरूप कार्य के अनुसार बोनस दिये जायें, सीएचए एवं सीएचओ को बोनस अंक नहीं दिये जायें।</p> <p>5. 108 एम्बुलेन्स के अनुभव की जांच की जावें। ये महिने में 15 दिवस ही कार्य करते हैं। और इन्होंने 30 दिवस का कार्य अनुभव बनवाया हुआ है। इसकी जांच की जावें। जीवीके के द्वारा इसका दर्शाया गया है। एक वर्ष में 183 ही कार्य किया है जबकि 365 दर्शाया गया है।</p> <p>6. अभ्यर्थी का दस्तावेज सत्यापन हुआ था परन्तु अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया ना ही होल्ड सूची में। जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम ओबीसी एनसीएल की सूची में होल्ड किया गया है। अभ्यर्थी ने स्वयं के औसत प्राप्तांक 68.720 प्रतिशत का उल्लेख कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।</p>		
1648	ANITA KUMARI MAHAWAR	NO192566	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के औसत प्राप्तांक 63.160 प्रतिशत का उल्लेख कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में ही अनुभव का लाभ प्रदान किया जा चुका है जिसके उपरान्त अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 62.790 प्रतिशत अनुसूचित जाति महिला संवर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1649	ANITA KUMARI MEENA	NO192676	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 62.020 प्रतिशत बन रही है जिसके उपरान्त भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है जबकि अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में 62.05 प्रतिशत पर अंतिम अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.018 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग अनुसूचित जनजाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.049 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1650	ANITA MOURYA	NO175029	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कोविड सहायक का अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर अनुसूचित जाति महिला वर्ग में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.82 होने के बावजूद प्रोविजनल सूची (होल्ड) में भी सम्मिलित नहीं किया जबकि प्रार्थी से नीचे प्रतिशत वाले दस अभ्यर्थी होल्ड सूची में चयनित किये गये	अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक 62.822 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग (अनुसूचित जाति) में चयनित अंतिम अभ्यर्थियों के प्राप्तांक प्रतिशत 63.612 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रार्थना में स्वयं से कम प्रतिशत वाले चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में स्पष्ट सूचना अंकित नहीं की गई है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			है। अतः परिवेदना का निस्तारण कर प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
1651	ANJANA MAIDA	NO151480	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 61.479 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग (अनुसूचित जनजाति) में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 62.049 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1652	ANJANE SAINI	NO160631	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल वर्ग में किया गया है किन्तु अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान अन्य राज्य द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.929 प्रतिशत बनते हैं जो कि अनारक्षित महिला वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.245 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1653	ANJU KUMARI SHARMA	NO129289	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 55.850 प्रतिशत होने के बाद भी सूची में सम्मिलित नहीं करने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 55.611 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग (ईडब्ल्यूएस) में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 55.841 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1654	ANKITA GOYAL	NO208522	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर सामान्य वर्ग के तलाकशुदा श्रेणी में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 43.480 होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 43.484 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग (अनारक्षित विच्छिन्न विवाह) में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 60.936 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1655	Ankita Kumari	NO172353	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कोविड अवधि में किये गये कार्य के अनुभव के आधार पर बोनस अंकों को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 65.300 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 66.218 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग (ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग) में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 66.419 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1656	ARSIDA	NO104985	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर आवेदन के समय जाति ओबीसी नॉन कीमीलेयर के स्थान पर भूलवश ओबीसी कीमीलेयर कर दिये जाने साथ ही दस्तावेज सत्यापन के समय कीमीलेयर से नॉन कीमी लेयर सही करवाने हेतु शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया था का उल्लेख कर ओबीसी एनसीएल विच्छिन्न विवाह श्रेणी में स्वयं के कुल प्राप्तांक 40.170 बताते हुये प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 40.170 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1657	Arti tanwar	NO124497	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर एमबीसी एनसीएल विच्छिन्न विवाह श्रेणी की कट ऑफ 43.194 से ज्यादा स्वयं के कुल प्राप्तांक 48.110 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एमबीसी सीएल श्रेणी से किया गया तथा दस्तावेज सत्यापन के दौरान दिनांक 21.08.2023 का एमबीसी सीएल का जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 48.739 बनते हैं जो कि अनारक्षित विच्छिन्न विवाह वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.936 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

				कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
1658	ASHISH KUMAR JOSHI	NO193725	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर कोविड स्वास्थ्य सहायक के पद का अनुभव के आधार पर बोनस अंको को जोड़कर स्वयं का नाम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 64.374 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग (अनुसूचित जाति) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत 65.275 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1659	ASHISH KUMAR SHRINGI	NO210751	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव प्रमाण पत्र में पदनाम पीएचएम के स्थान पर पीएचएन करने एवं दो अनुभव प्रमाण पत्र को मान्य कर अनुभव का लाभ देने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 30 बोनस सहित 72.135 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग (ईडब्ल्यूएस) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत 72.336 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1660	ASHITA ELISHBA FRANCIS	NO114568	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के तलाकशुदा वर्ग में कुल प्राप्तांक प्रतिशत 43.780 बताते हुये स्वयं से कम प्रतिशत 41.430 वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम चयनित सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 43.780 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग (अनारक्षित विच्छिन्न विवाह) में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 60.936 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1661	ASHOK KATARA	NO202941	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति श्रेणी में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.320 होने का उल्लेख कर दस्तावेज सत्यापन के समय अंको की गणना में संशोधन किया गया जिसके अनुसार मेरे प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई जिसके अनुसार 12वीं का प्रतिशत 60.40 एवं व्यावसायिक नर्सिंग का प्रतिशत 80.66 के 70 प्रतिशत के हिसाब से 49.37 प्रतिशत हो रहा था ओर उसके साथ में कोविड का 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर 64.371 हो रहा है जबकि अनुसूचित जनजाति मेल श्रेणी की कटऑफ 63.06 गई है अतः मेरी परिवेदना को ध्यान में रखते हुये प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने की कृपा करें।	दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर सीनियर सैकण्डरी परीक्षा में 60.400 प्रतिशत एवं व्यावसायिक योग्यता में 76.200 प्रतिशत बनते हैं एवं सीनियर सैकण्डरी एवं व्यावसायिक योग्यता के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 68.332 बनते हैं जिनके 70 प्रतिशत गणना करने पर 47.832 प्रतिशत बनते हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त अभ्यर्थी के 62.832 प्रतिशत बनते हैं जो अनुसूचित जनजाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 63.061 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1662	ASHOK KUMAR BAIRWA	NO150778	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति वर्ग में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.250 जो कि अनुसूचित जाति वर्ग की कट ऑफ 65.27 से अधिक है का उल्लेख कर फर्जी स्टूडेंट को बाहर करके योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर मेरिट सूची में स्वयं का नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 65.245 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग (अनुसूचित जाति) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत 65.275 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1663	BABITA KUMARI	NO174804	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज सलग्न किये हैं।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 66.256 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग (ओबीसी एनसीएल) में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 66.419 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1664	BALU BARIYA	NO183152	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कोविड अवधि के 15 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल	दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अंतिम प्रतिशत अंको की गणना अभ्यर्थी द्वारा भरे गये डाटा के अनुसार की गई थी जिसके उपरान्त दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थी	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			प्राप्तांक प्रतिशत 63.600 होने के बावजूद चयन नहीं होने एवं प्रार्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	के डाटा का संशोधन उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कर अंतरिम वरीयता सूची जारी की गई है। अभ्यर्थी के 12वीं परीक्षा के कुल प्राप्तांक 54.923 प्रतिशत, व्यावसायिक योग्यता के प्राप्तांक 81.105 बनते हैं एवं 12वीं परीक्षा तथा व्यावसायिक योग्यता के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 68.014 बनते हैं जिनके 70 प्रतिशत की गणना करने पर 47.610 प्रतिशत बनते हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 15 बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 62.610 प्रतिशत बनते हैं जो अनुसूचित जनजाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.061 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
1665	BHARAT KUMAR	NO171124	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति श्रेणी में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.360 जो की अनुसूचित जनजाति की कट ऑफ 63.06 से अधिक है होने के बावजूद चयन नहीं होने एवं प्रार्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। कम प्रतिशत वाले चयनित अभ्यर्थी निम्नानुसार है:-NO191595, NO209812, NO191610, NO131894	नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अभ्यर्थी द्वारा भरे गये डाटा के अनुसार की गई थी किन्तु दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर सीनियर सैकण्डरी परीक्षा में 68.600 प्रतिशत एवं व्यावसायिक योग्यता में 64.912 प्रतिशत बनते हैं जिनके औसत प्राप्तांक प्रतिशत 66.756 बनते हैं जिनके 70 प्रतिशत गणना करने पर 46.729 प्रतिशत बनते हैं एवं 15 प्रतिशत बोनस अंको सहित अभ्यर्थी वास्तविक कुल प्राप्तांक 61.729 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग अनुसूचित जनजाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी कुल प्राप्तांक 63.061 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना में वर्णित अभ्यर्थी के संबंध में स्वयं से कम प्रतिशत होने की शिकायत प्रस्तुत की है जो तथ्यहीन है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1666	BHARTI KUMAWAT	NO160879	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थियां के कुल प्राप्तांक 56.758 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग (अनारक्षित) में चयनित अंतिम विच्छिन्न विवाहित अभ्यर्थियां के प्राप्तांक प्रतिशत 60.936 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1667	BHAVANA PARMAR	NO156694	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 74.850 जो की टीएसपी एसटी श्रेणी की कट ऑफ 74.850 प्रतिशत से अधिक है का उल्लेख कर चयन प्रक्रिया में सम्मिलित कर चयन सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांको की गणना अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी अभ्यर्थियां द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया। इस प्रकार अभ्यर्थियों को पूर्व में दिये गये 30 बोनस अंको को शून्य कर दिया गया है। अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 45.632 प्रतिशत बनते हैं जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थियां के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.049 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1668	CHANDA GHARU	NO144693	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति वर्ग में अधिक प्राप्तांक होने के उपरान्त भी स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने स्पष्ट नहीं किया है कि इनसे कम प्राप्तांक वाले किस अभ्यर्थी का चयन किया गया है। अभ्यर्थी के स्वयं के प्राप्तांक 62.644 प्रतिशत हैं जो इनके जातिवर्ग अनुसूचित जाति महिला में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.612 से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1669	CHANDA KUMARI DHAKAR	NO193203	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर चयन सूची में नाम नहीं आने एवं स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के स्वयं के प्राप्तांक 62.644 प्रतिशत हैं जो इनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल महिला में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 66.419 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1670	CHANDARKANT A DHAKER	NO119179	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44.800 होने के बावजूद स्वयं से	अभ्यर्थी के स्वयं के प्राप्तांक 42.980 प्रतिशत हैं जो इनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल विच्छिन्न विवाह में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 43.244 प्रतिशत से कम होने के	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।



			कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
1671	CHANESAR KHAN	NO195860	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर OBC-NCL कोटेगरी में स्वयं के अधिक प्राप्तांक होने के उपरान्त भी अन्तरिम चयन सूची में नाम नहीं आने पर नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों के अनुसार कुल अनुभव अवधि 2 वर्ष से कम होने के कारण 15 बोनस अंकों का ही लाभ देय है। जो पूर्व में दिया जा चुका है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1672	CHITRA SHARMA	NO144823	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 12वीं में 53.69, जीएनएम में 70.84 प्रतिशत एवं सीएचए में 287 दिन कार्यरत होना बताते हुये फार्म भरने पर इन्टर्नशीप के 263 अंक नहीं जोड़ने पर डीवी सूची में जनरल विवाह विच्छेद केटेगरी में जोड़ा गया जिसमें कुल 57.480 प्रतिशत अंक दिये जाने का उल्लेख कर अंको की जांच करवाकर अंतरिम चयन सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन सामान्य विच्छिन्न विवाह वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 58.587 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम विच्छिन्न विवाहित अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.936 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1673	DEEPESH KUMAR SUMAN	NO137723	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर एसआरजी चिकित्सालय झालावाड में नर्स 2 के पद कार्य करने का उल्लेख कर अनुभव का लाभ देकर चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर कुल प्राप्तांक 55.810 बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.230 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1674	DEEPIKA SHARMA	NO167881	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग में स्वयं के 12वीं में 74.600 जीएनएम प्रथम वर्ष में 74.600, द्वितीय वर्ष में 84.857 एवं तृतीय वर्ष में 86.833 प्रतिशत होने का उल्लेख कर चयन सूची में उपरी क्रम में रिजेक्ट आवेदकों के कारण स्वीकार कर अंतरिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 55.393 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग (ईडब्ल्यूएस) में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 55.841 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1675	dhapoo bai	NO201931	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर एमबीसी एनसीएल श्रेणी में 57.82 प्रतिशत 15 बोनस अंक सीएचए का अनुभव जोड़ते हुये बन रही है जबकि एमबीसी एनसीएल सामान्य की कट ऑफ लगभग 58.66 प्रतिशत पर एमबीसी एनसीएल सामान्य का अंतिम चयनित होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 57.826 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग (एमबीसी एनसीएल) में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 58.608 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1676	DIKSHA SOLANKI	NO174419	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 65.264 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग (ओबीसी एनसीएल) में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 66.419 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1677	DINESH KUMAR	NO189401	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन करने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची को संशोधित करते हुये स्वयं का चयन करने के	अभ्यर्थी द्वारा थर्मल पॉवर प्लांट मोतीपुरा छाबड़ा में कार्य किया गया है। जिसका नियमानुसार बोनस अंको का लाभ देय नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

	SHARMA		संबंध में निवेदन किया है।		
1678	EKTA SHARMA	NO160201	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर तलाकशुदा श्रेणी में स्वयं के कुल प्राप्तांक 59.945 प्रतिशत होने का उल्लेख कर अनुभव का लाभ देते हुये अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन सामान्य विच्छिन्न विवाह वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 59.945 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम विच्छिन्न विवाहित अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.936 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1679	FARISHTA TIWARI	NO146733	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 12.09.2022 से 04.05.2023 तक 234 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कि कोविड अवधि का नहीं होने के कारण बोनस अंका का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 37.337 प्रतिशत बनते है जो कि अनारक्षित विच्छिन्न विवाह वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.936 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1680	GANESH KHAROL	NO169476	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल श्रेणी की कट ऑफ 70 प्रतिशत से ज्यादा स्वयं के कुल प्राप्तांक 75.060 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1681	GANPAT SINGH	NO142683	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 71.09 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 71.095 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग (ईडब्ल्यूएस) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत 72.336 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1682	garima ameta	NO110448	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर सामान्य श्रेणी में तलाकशुदा श्रेणी में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44.667 होना बताया है साथ ही उल्लेख किया है कि प्रोविजनल लिस्ट में प्रार्थी का नाम और आवेदन नंबर और दूसरी किसी प्रकार की जानकारी नहीं पायी गयी। जबकि सामान्य विछन्न (तलाक) विवाह की 62 पोस्ट थी उसमे विछन्न (तलाक) विवाह श्रेणी के 44.667 के अनुसार 50 पोस्ट के अंदर मेरा नाम आ रहा था जबकि इस सूची में 54 महिलाये ही थी जिसमें से कुछ ईडब्ल्यूएस डिवांस थी और इनकी सीट के लिये अलग कोटा दिया गया था जिसमें 16 पोस्ट थी। सामान्य विछन्न (तलाक) विवाह से केवल 4 महिलाओं को लिया गया है। बाकि दूसरी श्रेणी की महिलाओं को लिया गया है जबकि डिवांस खुद एक कोटा है इसलिए जो जिस श्रेणी से है उन्हें उसी में अवसर देते हुये प्रार्थी का नाम चयन सूची में सम्मिलित करने की कपा करें।	नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में कार्मिका विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.01.2016 एवं 28.07.2017 के अनुसार कार्यवाही की गई है। जिसके अनुसार अनारक्षित कटऑफ से उपर अंक लाने आरक्षित वर्ग की महिलाओं को अनारक्षित वर्ग की महिलाओं हेतु आरक्षित पदों समायोजित किया जाना चाहिये, न कि आरक्षित पद की रिक्तियों के विरुद्ध। अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत अनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम विच्छिन्न विवाहित महिला से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1683	GARISHI	NO164268	अभ्यर्थियां द्वारा तलाकशुदा श्रेणी में आवेदन कर स्वयं	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 54.767 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग (अनारक्षित) में	कोई कार्यवाही आवश्यक

	SANADHYA		के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 54.470 होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	चयनित अंतिम विच्छिन्न विवाहित अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 60.936 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	नहीं है।
1684	GAZALA	NO101864	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर तलाकशुदा श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 72.33 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन अनारक्षित विच्छिन्न विवाह वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान विच्छिन्न विवाह हेतु जारी डिक्री प्रस्तुत नहीं की गई जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को विच्छिन्न विवाह वर्ग का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक 46.747 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम महिला अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.245 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1685	GEETA KUMARI GURJAR	NO122605	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर एमबीसी एनसीएल सामान्य की कट ऑफ लगभग 58.66 प्रतिशत से ज्यादा 15 प्रतिशत अंक अनुभव के आधार पर जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 59.32 होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये डाटा के अनुसार की गई थी किन्तु दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा मैट्रोमानस चिकित्सालय, जयपुर द्वारा दिनांक 07.04.2022 से 30.04.2023 तक 389 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है जिसके आधार पर अभ्यर्थिया को 10 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये गये हैं। इस प्रकार अभ्यर्थी वारतविक कुल प्राप्तांक 54.325 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग एमबीसी एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थी कुल प्राप्तांक 58.608 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन की श्रेणी में नहीं आती है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1686	GITANJALEE KRISHNAT HAJARE	NO217742	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 12वीं में 80.17 प्रतिशत तथा जीएनएम में 75.25 प्रतिशत एवं एनएचएम के अन्दर कार्यरत होने के कारण 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर सभी के अंक जोड़कर कुल प्राप्तांक 67.397 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ एसडीओ पन्हाला द्वारा भारत सरकार के अधीन नियुक्ति व शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से जारी अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो अन्य राज्य का होने के कारण मान्य नहीं है। अतः अभ्यर्थिया को सामान्य अनारक्षित महिला माना गया है। अतः इनके प्राप्तांक 67.396 प्रतिशत अनारक्षित महिला वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 69.245 प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही है।। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1687	GOPALI KUMAWAT	NO127850	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल तलाकशुदा श्रेणी में इन्टर्नशिप के अंक जोड़कर कुल प्राप्तांक 40.34 प्रतिशत होने का उल्लेख कर विवाह विच्छेद केटेगरी का लाभ देकर अंतरिम सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 40.351 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग (ओबीसी एनसीएल) में चयनित अंतिम विच्छिन्न विवाहित अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 43.244 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1688	GOVIND NAGAR	NO205391	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल की प्रतिशत लगभग 70 प्रतिशत से ज्यादा स्वयं के कुल प्राप्तांक 74.98 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1689	GUDDI	NO192813	अभ्यर्थिया द्वारा इन्टर्नशिप के अंक जोड़कर अंतरिम सूची में नाम सम्मिलित करवाने हेतु हेतु परिवेदना प्रस्तुत की है।	अंतरिम सूची तैयार करते समय अभ्यर्थी के इन्टर्नशिप के प्राप्तांक को जोड़कर गणना किये जाने के उपरान्त अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.942 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग (ओबीसी एनसीएल) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.419 प्रतिशत से कम होने के अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

1690	HANISH KHAN	NO130209	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल श्रेणी की कट ऑफ 70.21 से ज्यादा अनुभव के आधार पर 30 बेनस अंक जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 70.810 होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशतों की गणना उनके द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी किन्तु दस्तावेज सत्यापन में अभ्यर्थी के दस्तावेजों के अनुसार वास्तविक प्राप्तांकों की गणना किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.835 बनते हैं जो इनकी श्रेणी (ओबीसी एनसीएल) में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1691	HANSA DAMOR	NO144068	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति तलाकशुदा श्रेणी में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 40.050 से कम 36 प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनुसूचित जनजाति विच्छिन्न विवाह वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान विच्छिन्न विवाह हेतु जारी डिक्री प्रस्तुत नहीं की गई जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को विच्छिन्न विवाह वर्ग का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक 40.047 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम महिला अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.049 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1692	HARISINGH GURJAR	NO154701	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 65.10 प्रतिशत होने साथ ही जीएनएम की द्वितीय वर्ष की अंकतालिका में दस्तावेज सत्यापन करते समय 65 नम्बर कम कर दिये थे जब कि कुल 1455 नम्बर है (1900 में से 1455) का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशतों की गणना उनके द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी। किन्तु दस्तावेज सत्यापन में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के आधार पर वास्तविक प्राप्तांक प्रतिशतों की गणना की गई जिसमें अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.813 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1693	HEENA GARASIYA	NO137366	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि कम्प्यूटर ऑपरेटर की गलती की वजह से कोविड कॉलम में 'हों' के स्थान पर 'नहीं' हो गया था। जिसके कारण 15 प्रतिशत अनुभव अंक तथा तृतीय वर्ष के अंक मेरी मेरिट में नहीं जुड़ सके। अतः अभ्यर्थिया द्वारा पुनः अनुभव पत्र जांच कर अन्तिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 61.713 प्रतिशत हैं जो अंतरिम वरीयता सूची सूची में इनकी श्रेणी (अनुसूचित जनजाति महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 62.049 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1694	Hemlata Bairwa	NO150411	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि इन्टरशिप अंक 266 एवं कुल पूर्णांक 1900 से 1453 प्राप्त है। अतः अभ्यर्थिया द्वारा इन्टरशिप अंक जोड़ने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 63.197 प्रतिशत हैं जो अंतरिम वरीयता सूची सूची में इनकी श्रेणी (अनुसूचित जाति महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.612 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1695	INDRA BAI MEENA	NO165100	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित जनजाति में आवेदन किया है एवं 61.73 प्रतिशत प्राप्तांक होने के बावजूद भी चयन सूची में नाम नहीं सम्मिलित होना बताया है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 61.727 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (अनुसूचित जनजाति महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 62.049 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1696	INDRA KUMARI	NO202127	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में याचिका संख्या	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति	प्रकरण में नीति निर्धारण

			14348/2023, अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को सीएचए पद (255 दिवस) के अनुभव का 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया गया है परन्तु जीएनएम के पद के अनुभव प्रमाण पत्र (399 दिवस) के अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। अतः अभ्यर्थी ने माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.09.2023 की पालना में अनुभव का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1697	JAMNA KUMARI PARMAR	NO197188	अभ्यर्थी ने पूर्व सांसद द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अनुसूचित जनजाति में आवेदन किया है एवं 61.710 प्रतिशत प्राप्तांक होने के बावजूद भी चयन सूची में नाम नहीं है, जबकि कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का चयन होना बताया है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 61.707 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (अनुसूचित जनजाति महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 62.049 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1698	JITESH KUMAR PANDYA	NO203255	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी के प्राप्तांक के औसत 71.677 प्रतिशत बनते हैं, जो इनकी श्रेणी (इंडब्ल्यूएस) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक 72.336 प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1699	JYOTI RAJPUT	NO122837	अभ्यर्थियां ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं के विवाह विच्छेद से संबंधित दिनांक 28.02.2022 को जारी डिफ़ी प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 43.143 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग (ओबीसी एनसीएल-विच्छिन्न विवाह) में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 43.244 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1700	JYOTI SANWARIYA	NO175708	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 63.610 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 170 दिवस का सीएचए पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.606 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग (अनुसूचित जाति) में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 63.612 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1701	KAMLESH	NO155532	अभ्यर्थिया ने स्वयं को ओबीसी-एनसीएल विच्छिन्न विवाह श्रेणी में आवेदन होना बताया है एवं स्वयं के 43.064 प्रतिशत बताते हुए ओबीसी- एनसीएल विच्छिन्न विवाह श्रेणी की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। विच्छिन्न विवाह से संबंधित	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 43.066 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग (ओबीसी एनसीएल-विच्छिन्न विवाह) में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 43.244 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।



			कोई अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।		
1702	KAMLESH SAINI	NO164601	अभ्यर्थिया ने ओबीसी-एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 66.090 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं को सीएचए पद का कोविड अवधि का अनुभव होना बताया है किन्तु परिवेदना के साथ इससे संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किये हैं। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 66.089 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग (ओबीसी एनसीएल महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 66.419 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1703	KAMLESH VYAS	NO182009	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को जॉक्यूमेन्ट वैरिफिकेशन में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है। परिवेदना के साथ ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 70.700 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग (ईडब्ल्यूएस) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत 72.336 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1704	KARMVEER	NO177217	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के द्वारा पूर्व में 1 वर्ष पुराना एमबीसी-एनसीएल प्रमाण पत्र संलग्न किया गया बताया है। परिवेदना प्रस्तुत कर अब दिनांक 12.10.2023 का नया एमबीसी-एनसीएल प्रमाण पत्र संलग्न कर इसे मान्य करने बाबत निवेदन किया है। अभ्यर्थी ने संलग्न दस्तावेजों में 261 दिवस का सीएचए पद का अनुभव प्रमाण पत्र भी संलग्न किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 64.041 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग (एमबीसी एनसीएल) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत 64.199 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1705	KAUSHALESH SINGH	NO169185	अभ्यर्थी ने एमबीसी-एनसीएल पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 20 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 65.64 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। परिवेदना के साथ कोई दस्तावेज प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये हैं। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा कुल 721 दिवस का कोविड अवधि सहित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर 15 बोनस अंक देय है। इस प्रकार 15 बोनस अंको सहित अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 60.645 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग (एमबीसी एनसीएल) में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 64.199 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1706	KAVITA KUMARI MALAV	NO177975	अभ्यर्थिया ने ओबीसी-एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 66.190 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 66.189 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग (ओबीसी एनसीएल) में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 66.419 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 265 दिवस का सीएचए पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।		
1707	KAYANAT BANO	NO150260	अभ्यर्थिया ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 271 दिवस का सीएचए पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 64.984 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग (ओबीसी एनसीएल) में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 66.419 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1708	KRISHNA DEVI	NO143554	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 63.80 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किये हैं। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये डाटा के अनुसार की गई थी किन्तु दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर सैकण्डरी एवं व्यावसायिक योग्यता के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 69.400 बनते हैं जिनके 70 प्रतिशत गणना करने पर 48.580 प्रतिशत बनते हैं एवं अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 15 बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त अभ्यर्थी वास्तविक कुल प्राप्तांक 63.580 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग अनुसूचित जाति में चयनित अंतिम अभ्यर्थी कुल प्राप्तांक 63.612 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन की श्रेणी में नहीं आती है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1709	KRISHNA JAT	NO107918	अभ्यर्थिया ने ओबीसी-सीएल परित्यक्ता महिला वर्ग में आवेदन किया है। स्वयं की ओबीसी-सीएल परित्यक्ता वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने दिनांक 11.05.2022 को जारी डिफ़ी प्रमाण पत्र संलग्न कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन ओबीसी सीएल विच्छिन्न विवाह वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 60.796 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम विच्छिन्न विवाहित अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.936 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1710	KRISHNA KUMARI	NO172961	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 62.990 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने प्रार्थना पत्र के साथ अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किये हैं। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 62.987 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग (अनुसूचित जाति) में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 63.612 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1711	KRISHNA KUMARI	NO186642	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के इंटरनशिप के अंको को जोड़ने का निवेदन किया है। इंटरनशिप के अंको को जोड़कर के स्वयं के औसत प्राप्तांक 62.080 प्रतिशत के स्थान पर 62.97 प्रतिशत कर स्वयं	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 62.971 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग (अनुसूचित जाति) में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 63.612 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			को भविष्य में प्रतिष्ठा सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।		
1712	Krishna Salvi	NO195143	अभ्यर्थियां ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल अंतिम वर्ष की जीएनएम अंकतालिका एवं 12वीं कक्षा की अंकतालिका संलग्न की है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.569 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग (अनुसूचित जाति) में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 63.612 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1713	KUMKUM VAISHNAV	NO153891	अभ्यर्थियां ने परिवेदना प्रस्तुत कर आवेदन के समय 2 वर्ष 10 माह के अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया था एवं 6 माह का अनुभव प्रमाण पत्र लगाना भूल जाने से अवगत कराया है जिसके आधार पर 30 के स्थान पर 20 अंक देने से अवगत कराया है। इसके संबंध में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किये है। 30 बोनस अंक देकर प्रोविजनल मेरिट में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में 1031 दिवस का फ्लेबोटॉमिस्ट पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसका कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने के कारण अभ्यर्थिया को पूर्व में दिये गये 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रत्याहरित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1714	Lata Kumari	NO164278	अभ्यर्थिया ने ओबीसी-एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 65.940 प्रतिशत होते हुए भी स्वयं का डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन कराया जा चुका है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 65.940 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग (ओबीसी एनसीएल) में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 66.419 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1715	LAXMAN LAL MEGHWAL	NO200964	अभ्यर्थी ने अनुसूचित जाति पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 30 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 72.740 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी न कुल 532 दिवस का जीएनएम, 174 दिवस का सीएचए, 309 दिवस का जीएनएम, 848 दिवस एएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1716	LOKESH YADAV	NO173407	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी द्वारा जीएनएम एवं ईन्टर्नशिप में गलत अंक भर दिये गये है जबकि सही अंक 1900 में से 1313 है। अतः अभ्यर्थी ने सही अंक जोड़े जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को 1312 अंक प्रदान किये गये गये हैं जिसके आधार पर इनके कुल औसत प्राप्तांक का 70 प्रतिशत जिसकी जाँच कर ली गई एवं सही पाया गया है। अभ्यर्थी द्वारा संलग्न अनुभव प्रमाणपत्र निजी संस्थान का जारी किया हुआ है जिसका बोनस का लाभ देय नहीं है। अतः बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 43.391 प्रतिशत इनके जाति वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1717	MAHADEV	NO184259	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 64.994 प्रतिशत है जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी	कोई कार्यवाही आवश्यक



	MEGHWAL		है।	(अनुसूचित जाति) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 65.275 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	नहीं है।
1718	MAHENDRA PAREEK	NO186858	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत कटऑफ से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में भी दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनुभव में संशोधन किये जाने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की गई थी, जिसके क्रम में दस्तावेज सत्यापन किया गया था। अतः अभ्यर्थी द्वारा अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ दिनांक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा 3 वर्ष से अधिक का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके पुनर्सत्यापन के आधार पर देय बोनस अंकों का लाभ प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1719	MAMTA BAIRWA	NO147858	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 62.490 से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित है जबकि अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है कि इनसे कम प्राप्तांक वाले किस अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 62.960 प्रतिशत अंतिम चयन सूची में इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.612 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1720	MANISH KUMAR SOLANKI	NO165515	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 65.27 है जबकि चयन प्रक्रिया में उक्त अहर्ता प्राप्तकर्ता का चयन किया गया है। अभ्यर्थी को सिर्फ जन्मतिथि के आधार पर बाहर किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा प्रतिशत प्राप्तांकों की गणना 2 दशमलव अंकों तक की गई है जबकि वास्तव में इनके प्राप्तांक 65.274 प्रतिशत हैं जो कि इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 65.275 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1721	MANISHA KUMARI HAGAVANIYA	NO167681	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी पात्र होते हुए भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अंकों का पुनर्मूल्यांकन कर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का अंक तालिकाओं की पुनः जाँच कर ली है। इनके अंकों की गणना में कोई त्रुटि नहीं है। अभ्यर्थी के प्राप्तांक 65.294 प्रतिशत हैं जो कि इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 66.419 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1722	Manisha patel	NO100139	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 66.26 प्रतिशत है जबकि अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक की कुल गणना 66.04 प्रतिशत की गई है जो गलत है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं के औसत प्राप्तांक की सही गणना करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के प्राप्तांकों की पुनः गणना कर ली गई है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अंकतालिकाओं के औसत अंक सही जोड़े गये हैं। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.271 प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1723	MANISHA YADAV	NO170605	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंकों के आधार पर कुल प्राप्तांक	अभ्यर्थी के प्राप्तांक 65.831 प्रतिशत हैं जो कि इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 66.419 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			प्रतिशत 65.82 है, जिसके उपरान्त भी अभ्यर्थी का चयन ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग की अंतरिम चयन सूची में नहीं हुआ है जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में हुआ है। अतः अभ्यर्थी से स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
1724	MANJU KUMARI MEGHWAL	NO205078	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 63.310 प्रतिशत है जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (अनुसूचित जाति महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.612 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1725	MANJULA BHALAI	NO165646	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के 02 अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर कुल $10 + 15 =$ कुल 25 प्रतिशत बोनस अंक जोड़कर कुल प्राप्तांक 69.47 प्रतिशत बनते हैं जबकि अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 62.980 प्रतिशत ही दिये गये हैं। अतः अभ्यर्थी ने अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 25 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिये जाने हेतु निवेदन किया है।	राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः अभ्यर्थी को दिये गये 2 वर्ष के कार्यानुभव के 20 अंक सही हैं। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1726	MANOJ KUMAR DAVE	NO168133	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।	अभ्यर्थी के प्राप्तांक 69.001 प्रतिशत है जो कि इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 72.336 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1727	MANORAMA SHARMA	NO172472	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुभव अवधि के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाकर कुल प्राप्तांक 70.07 प्रतिशत है जो कि कटऑफ प्रतिशत से अधिक है परन्तु अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अंको की गणना निम्नानुसार है— $12^{\text{वीं}} \text{ परीक्षा के प्राप्तांक का प्रतिशत} = 82.800$ $\text{जी.एन.एम. के कुल प्राप्तांकों के योग का प्रतिशत} = 71.736$ $\text{अकादमिक व व्यावसायिक परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत. योग का औसत : } (82.800 + 71.736) / 2 = 77.268$ $\text{अकादमिक व व्यावसायिक परीक्षा के औसत प्राप्तांकों का } 70 \text{ प्रतिशत} = 54.088$ $\text{देय बोनस अंक (यदि कोई हो तो)} = 15$ $\text{कुल प्राप्तांक} = 54.088 + 15 = 69.088$ अभ्यर्थी के प्राप्तांक 69.088 प्रतिशत है जो कि इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 69.245 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1728	MAYA CHOUBISA	NO178998	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग में कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.440 ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग की कटऑफ 55.84 प्रतिशत से अधिक होने के उपरान्त भी चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1729	MAYA DEVI	NO153738	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि	ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 29.05.2023 का मुख्य चिकित्सा एवं	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं

			अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में कुल प्राप्तांक प्रतिशत 72 ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग की कटऑफ 66.410 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर द्वारा 260 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कोविड अवधि का होने के कारण 15 बोनस अंकों का लाभ प्रदान किया गया है। एक अन्य प्रमाणपत्र 29.06.2018 का जारी संलग्न किया है जो निर्धारित प्रपत्र में नहीं है एवं 2018 की भर्ती हेतु जारी किया गया है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञापित के कम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। अनुभव जारी करने हेतु निर्धारित परिशिष्ट 'अ' में स्पष्ट अंकित है कि विज्ञापित जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। फलस्वरूप 15 बोनस अंकों सहित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 57.000 प्रतिशत बनते हैं जो इनकी श्रेणी ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 66.419 प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1730	MEENA KUMARI REGAR	NO209272	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित महिला जाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.700 अनुसूचित महिला वर्ग की कटऑफ 61.60 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अनुसूचित महिला जाति वर्ग की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 61.697 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (अनुसूचित जाति महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.612 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1731	MEENAKSHI MEHRA	NO175240	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.34 अनुसूचित जाति वर्ग की कटऑफ से 0.3 प्रतिशत कम है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची अथवा 2ND सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 63.341 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (अनुसूचित जाति महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.612 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1732	MOHAMMED ARIF	NO188941	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर बोनस अंक 25 बनते हैं जिसके अनुसार अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक 72.98 प्रतिशत बनते हैं जबकि अभ्यर्थी को औसत प्राप्तांक 67.98 प्रतिशत ही बनते हैं। इस हेतु सूचना ऑनलाईन परिवेदना के माध्यम से दी गई थी परन्तु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः अभ्यर्थी ने उक्त गलती में सुधार कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर देय बोनस अंकों का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। शेष परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1733	MOINUDDIN	NO186024	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के औसत प्राप्तांक 68.470 प्रतिशत का उल्लेख करते हुए अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 68.469 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (ओबीसी एनसीएल सामान्य) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1734	MUKESH BHOI	NO158729	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थी की सूची में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशतों की	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं

			अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक 76.89 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जिसके क्रम में अभ्यर्थी द्वारा माननीय न्यायालय में याचिका संख्या 15129/2023 दायर की गई है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	गणना उनके द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अनुभव के संबंध में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, वे विज्ञप्ति की शर्तानुसार मान्य नहीं हैं। जिसके अभाव में अभ्यर्थी को बोनस का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1735	MUKESH KUMAR MEENA	NO146232	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम अनुसूचित जनजाति वर्ग की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 62.565 प्रतिशत अंतिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (अनुसूचित जनजाति) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.061 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1736	MUNNI	NO153802	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल श्रेणी में बोनस अंको का लाभ दिया जाकर स्वयं के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 72.230 का उल्लेख करते हुए अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 65.491 प्रतिशत अंतिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (ओबीसी एनसीएल) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 66.419 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1737	NAJARANA	NO190260	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा 361 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कोविड अवधि के बाद का व एक वर्ष से कम अवधि का होने से अनुभव आधारित बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। अतः बोनस के अभाव में इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1738	NAJIYA BANU MEWATI	NO152171	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी ने कोविड काल में सीएचए के पद पर 210 कार्य किया है जिसके उपरांत भी अनुभव प्रमाण पत्र में गलती की गई है जिसमें बिन्दु संख्या 8 में नहीं करके हाँ किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाकर कुल औसत प्राप्तांक 69.24 प्रतिशत के आधार पर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 69.239 प्रतिशत अंतिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (सामान्य महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 69.245 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1739	NARENDER KUMAR	NO158992	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किया गया।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1740	NARESH KUMAR KALAWAT	NO167483	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की है।	अभ्यर्थिया ने अत्या-पत्या फडरेशन ऑफ इंडिया का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1741	NATHU LAL	NO183479	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 63.043 प्रतिशत अंतिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (अनुसूचित	कोई कार्यवाही आवश्यक

	ASARI		वर्ग की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	जनजाति) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.061 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	नहीं है।
1742	NAVANIT KUMAR RATHORE	NO181405	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 71.840 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने द्वारा बताये गये स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 71.840 अकादमिक व व्यावसायिक योग्यता के कुल औसत प्राप्तांक हैं जिसका केवल 70 प्रतिशत ही वेटेज देय है जो 41.838 प्रतिशत होता है (30 प्रतिशत वेटेज बोनस अंकों का है) जिसमें 15 बोनस अंक जोड़ने के उपरान्त कुल प्राप्तांक 56.838 प्रतिशत होते हैं जो इनकी श्रेणी (ओबीसी एनसीएल) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1743	NAVITA PACHAURI	NO146123	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 63.310 अनुसूचित जाति वर्ग की अनुमानित कटऑफ 63 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 63.308 प्रतिशत हैं जो अंतिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (अनुसूचित जाति महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.612 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1744	NEHA AGARWAL	NO135805	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल विवाह विच्छेद याचिका संख्या 243/2023 में पारित निर्णय दिनांक 17.07.2023 एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।	अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 47.449 प्रतिशत है जो अनारक्षित विच्छिन्न विवाह श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थिया के प्राप्तांकों से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1745	NEHA MALI	NO146512	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 66.050 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 66 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 66.048 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (ओबीसी एनसीएल महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 66.419 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1746	NIRMALA BAI MEENA	NO158027	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 62.83 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 62.05 से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 61.668 प्रतिशत हैं जो अंतिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (अनुसूचित जनजाति) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 62.049 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1747	NIRMALA MEGHWAL	NO198231	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी कोविड अवधि में कार्यरत रही है व TSP में	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 62.029 प्रतिशत हैं जो अंतिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (अनुसूचित जाति महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.612 प्रतिशत से कम	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अनुभव का लाभ प्रदान करते हुए अनुसूचित जाति की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
1748	NISHANT MARU	NO164083	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 72.56 अंतरिम कटऑफ 70.21 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने द्वारा बताये गये स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 72.560 अकादमिक व व्यावसायिक योग्यता के कुल औसत प्राप्तांक हैं जिसका केवल 70 प्रतिशत ही वेटेज देय है जो 43.318 प्रतिशत होता है (30 प्रतिशत वेटेज बोनस अंकों का है) जिसमें 15 बोनस अंक जोड़ने के उपरान्त कुल प्राप्तांक 58.318 प्रतिशत होते हैं जो इनकी श्रेणी (ओबीसी एनसीएल) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1749	NOORI	NO140028	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के व्यावसायिक योग्यता के अंकों की सही गणना कर बोनस का लाभ प्रदान करते हुए औसत प्राप्तांक प्रतिशत 63.08 के स्थान पर 63.688 प्रतिशत संशोधित कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा दर्शाये गये 63.08 उसके स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के आधार पर दस्तावेज सत्यापन के हेतु आमंत्रण सूची में अंकित प्राप्तांक हैं। दस्तावेज सत्यापन उपरान्त अभ्यर्थी के अंक 63.226 प्रतिशत हैं जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.612 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1750	PANKAJ KUMAR BOYAT	NO101828	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 65.65 अंतरिम कटऑफ 65.27 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन उपरान्त अभ्यर्थी के शैक्षणिक व व्यावसायिक परीक्षाओं के कुल प्राप्तांकों के औसत का 70 प्रतिशत व बोनस जोड़कर कुल प्राप्तांक 64.453 प्रतिशत बनते हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (अनुसूचित जाति) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 65.275 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1751	PARIVESH BAIRAGI	NO205811	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है स्वयं के 76.11 प्रतिशत प्राप्तांक है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन-क्रीमी-लेयर की कट ऑफ लगभग 70 प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना में अन्तिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	पकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1752	PARMESHWARI	NO153220	अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति में 63.95 प्रतिशत 15 बोनस अंक जोड़ने के पश्चात् बन रहे हैं जबकि अनुसूचित जाति महिला की कट ऑफ लगभग 63.81 प्रतिशत है एवं अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक वाली महिला का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के प्राप्तांकों का औसत की गणना निम्न प्रकार है :- 12 वी के प्रतिशत अंक :- 64.92 जीएनएम प्रथम वर्ष :- 345/500 जीएनएम द्वितीय वर्ष :- 3456/500 जीएनएम तृतीय वर्ष :- 458/600 इन्टरशिप अंक :- 244/300 इस प्रकार जीएनएम कुल प्राप्तांक :- 1403/1900 बोनस अंक :- 15 उक्त के आधार पर अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के औसत प्रतिशत 63.568 बनते हैं। जो इनकी श्रेणी (अनुसूचित जाति महिला वर्ग) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				से कम होने के कारण अभ्यर्थी चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
1753	PAVANI	NO147477	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल केन्द्रीय विद्यालय बाडमेर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न की हैं।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 65.728 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (ओबीसी एनसीएल महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 66.419 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1754	PAWAN KUMAR JATAV	NO206546	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंक के स्थान पर कुल 35 प्रतिशत बोनस अंक दिये जाकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1755	PAYAL KUMARI SEN	NO125530	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 68.78 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 66 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 30.01.2023 का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। अनुभव जारी करने हेतु निर्धारित परिशिष्ट 'अ' में स्पष्ट अंकित है कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1756	PHOOL SINGH RANAWAT	NO201082	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के अंको एवं 30 प्रतिशत बोनस अंको का उल्लेख करते हुए निवेदन किया है कि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित है परन्तु अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 72.000 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (ईडब्ल्यूएस) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 72.336 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1757	PRADEEP KUMAR	NO195809	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि सीएचए का बोनस जोड़ा गया है, लेकिन आरएमआरएस का बोनस नहीं जुड़ा। 69.67 प्रतिशत प्राप्तांक में आरएमआरएस का बोनस जोड़ने पर अभ्यर्थी का प्रतिशत 74.67 बन रही है, जोकि कट ऑफ 70.12 प्रतिशत से ज्यादा है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर बोनस जोड़ते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.670 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं पाया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1758	PRAMOD KUMAR	NO148370	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि जीएनएम प्रथम वर्ष अंकतालिका में 400 अंको में से 274 अंक प्राप्त किए, जबकि त्रुटिक्स फॉर्म भरते समय 271 अंक	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 71.838 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (ईडब्ल्यूएस) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 72.336 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।



	SHARMA		दर्ज हो गए। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर, त्रुटि का निस्तारण करते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।		
1759	PRAVINDER Kaur	NO153585	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 63.35 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.348 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग अनुसूचित जाति में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 63.612 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं पाया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1760	PREM CHAND BHURADIYA	NO130307	अभ्यर्थिया द्वारा अवगत कराया है कि 15 बोनस अंक जोड़कर 65.78 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्तिम चयन सूची में प्राप्तांक 65.27 प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 63.612 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (अनुसूचित जाति) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 65.275 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1761	PRITI PAL SINGH CHOUHAN	NO162976	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर प्राप्तांक व प्रतिशत व श्रेणी वर्ग एवं बोनस अंको को ध्यान में रखते हुए वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 71.911 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (ईडब्ल्यूएस) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 72.336 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1762	PRIYANKA KASWAN	NO168328	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 65.828 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (ओबीसी एनसीएल महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 66.419 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1763	PRIYANKA SANKHALA	NO159042	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन-क्रीमी लेयर का रिन्वू प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 66.057 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (ओबीसी एनसीएल महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 66.419 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1764	PRIYANKA SARASWAL	NO149101	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि 62.95 प्रतिशत प्राप्तांक पर भी वरियता सूची में नाम नहीं है और साथ ही अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 62.957 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (अनुसूचित जाति महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.612 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1765	PUSHPA KUMARI	NO147189	अभ्यर्थिया ने 16.07.2021 से 31.03.2022 तक कुल 259 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर अनुभव के आधार पर अतिरिक्त अंक देने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 61.324 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (अनुसूचित जनजाति महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 62.049 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1766	PUSHPA SALVI	NO197583	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति वर्ग में आवेदन किया है एवं सीएचए के 15 बोनस मिलने पर भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर, पुनः जांच	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 61.632 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (अनुसूचित जाति महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.612 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।




			कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।		
1767	RAJENDRA	NO192585	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि 30 बोनस अंक जोड़कर 70.160 प्रतिशत होने पर भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन-क्रीमी लेयर सामान्य की कट ऑफ लगभग 70 प्रतिशत पर अन्तिम अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 70.156 प्रतिशत है जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (ओबीसी एनसीएल) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1768	RAM KISHAN VERMA	NO159469	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति वर्ग में आवेदन कर सीएचए पद का अनुभव के आधार पर 15 बोनस अंकों को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.090 होने के बाद भी चयन नहीं होने एवं स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है। कम प्रतिशत वाले चयनित अभ्यर्थियों की सूचना निम्नानुसार है:-NO147932, NO184106, NO154882, NO161194, NO172741, NO152723	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 65.094 प्रतिशत है जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (अनुसूचित जाति) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 65.275 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1769	RAMA SHARMA	NO125324	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को विवाह विच्छेद केटेगरी का लाभ देकर अंतरिम चयन सूची में नाम शामिल किये जाने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक 47.040 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग (अनारक्षित) में चयनित अंतिम विच्छिन्न विवाहित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक प्रतिशत 60.936 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1770	RAMESH KUMARI PARGEE	NO139398	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में कुल प्राप्तांकों की गणना अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी जिन्हे दस्तावेज सत्यापन उपरान्त वास्तविक प्राप्तांक प्रतिशतों से संशोधित किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 260 दिवस का कोविड अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंका प्रदान करते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.067 बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1771	RAMWATAR RUNDLA	NO140327	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी वर्तमान में ईएसआईसी मॉडल हॉस्पिटल, मुम्बई में कार्यरत है तथा अवकाश के अभाव में अभ्यर्थी नये प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनवा सका, जिस कारण दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी का अनुभव प्रमाण पत्र अस्वीकार कर दिया	अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुभव प्रमाणपत्र बनवाने हेतु समय मांगा है जो पूर्व में ही अभ्यर्थी को पर्याप्त रूप से उपलब्ध था। अभ्यर्थी को ओबीसी एनसीएल श्रेणी में सम्मिलित करते हुए ही मेरिट सूची में स्थान दिया है। बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के प्राप्तांक 54.138 रहे जो इनकी श्रेणी ओबीसी एनसीएल में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 70.188 से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			गया। अतः अभ्यर्थी ने नये प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने हेतु नियमानुसार समय देने तथा परिवेदना को स्वीकार करने तथा नये जाति प्रमाण को स्वीकार करने हेतु निवेदन किया है।		
1772	RAVINDRA KUMAR VIJAYVERGIYA	NO192212	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस वर्ग में बोनस अंक सहित कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.58 होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने सभी आवेदकों के अनुभव प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों के जांच कर स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के प्राप्तांक 70.583 प्रतिशत हैं जो कि इनकी श्रेणी ईडब्ल्यूएस में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 72.336 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1773	REKHA MAHAWAR	NO145136	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल प्राप्तांक 63.50 प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है, जबकि अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 63.506 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (अनुसूचित जाति महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.612 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1774	RENUKA	NO159654	अभ्यर्थिया ने ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 65.130 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 283 दिवस का सीएचए पद का कोविड अवाधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 65.129 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग (ओबीसी एनसीएल) में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 66.419 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1775	RIDMAL RAM	NO172297	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 70.059 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग (ओबीसी एनसीएल) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत 70.188 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1776	Rishiraj pareek	NO148158	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर द्वारा जारी एफआरएचएस संस्थान में नर्स के पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का संस्थान होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 19290/2022 जोगेश सिंह चौहान बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा आदेश दिनांक 4.1.2023 जारी कर निर्णय लिया गया कि एफआरएचएस संस्था में कार्यरत कर्मियों को बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। अतः बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के प्राप्तांक इनकी श्रेणी अनुसूचित जाति महिला	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।


				वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका को आदेश दिनांक 1.2.2023 द्वारा निस्तारित कर दिया गया है।	
1777	ROHIT MEENA	NO211575	अभ्यर्थी ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 31 दिवस का जीएनएम पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र भी संलग्न किये हैं।	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक प्रतिशतों की गणना उनके द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में कोविड अवधि के कॉलम हॉ अंकित किये जाने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में 15 प्रतिशत बोनस अंको सहित सम्मिलित किया गया था किन्तु दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच किये जाने पर अनुभव अवधि दिनांक 01.03.2022 से 31.03.2022 तक कुल 31 दिवस ही है जो कि कोविड अवधि का नहीं होने के कारण पूर्व में दिये गये 15 प्रतिशत बोनस अंको को प्रत्याहरित कर लिया गया है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1778	RONAK KHOKRIYA	NO171626	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 62.050 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने परिवेदना के साथ अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 62.049 प्रतिशत है। जो इनकी श्रेणी अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के बराबर हैं। अतः जन्म दिनांक के आधार अभ्यर्थिया अंतिम चयनित अभ्यर्थी से बाद का जन्म होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1779	RUCHIKA PUJARI	NO170677	अभ्यर्थिया ने अवगत कराया है कि आवेदन के समय ईमित्र की गलती से उनका वर्ग ईडब्ल्यूएस के स्थान पर अनारक्षित भर गया था। अभ्यर्थिया ने परित्यक्ता भी है। डॉक्यूमेन्ट वैरिफिकेशन समय ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जमा कराने हेतु अनुरोध किया गया था किन्तु अधिकारी द्वारा जमा नहीं करने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने दिनांक 08.09.2023 का जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, 207 दिवस का सीएचए अनुभव प्रमाण पत्र एवं दिनांक 14.09.2018 की जारी डिक्री संलग्न की है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को ईडब्ल्यूएस परित्यक्ता वर्ग का लाभ देकर प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने सामान्य विच्छिन्न विवाह श्रेणी में आवेदन किया है जिसमें इनके प्राप्तांक प्रतिशत 58.206 बनते हैं जो कि अनारक्षित श्रेणी में चयनित अंतिम विच्छिन्न विवाहित अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत 60.936 से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। इन्होंने ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र 08.09.2023 का जारी संलग्न किया है जो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है। स्पष्ट है कि आवेदन के समय अभ्यर्थिया ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं थी। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.22 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है व आवेदन के समय सम्बन्धित जाति वर्ग में नहीं थे, त्रुटि संशोधन के नाम पर उनका जाति वर्ग परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः अभ्यर्थिया को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार एवं डी.बी. अपील सं 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार के अनुसार आवेदित श्रेणी में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1780	SABIR HUSSAIN	NO168461	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि आवेदन के समय ईमित्र की गलती से उनका वर्ग ओबीसी एनसीएल के स्थान पर एमबीसी एनसीएल भर गया था। डॉक्यूमेन्ट वैरिफिकेशन समय ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			जमा कराने हेतु अनुरोध किया गया था जिसे जांच अधिकारी सही करने से अवगत कराया था। अभ्यर्थी ने दिनांक 22.11.2022 का जारी ओबीसी एनसीएल एवं 13.11.2018 का मूल निवास प्रमाण पत्र, 1406 दिवस का जीएनएम अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।		
1781	SANDEEP	NO173684	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 1264 दिवस का नर्स श्रेणी द्वितीय पद का अनुभव प्रमाण पत्र भी संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी का आर.एन.सी. पजीयन 14.09.2020 को हुआ है इससे पूर्व के अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अभ्यर्थी को 20 प्रतिशत बोनस अंक देय है। जिसके उपरान्त अभ्यर्थी के प्राप्तांक 67.836 प्रतिशत अनारक्षित श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1782	SANDEEP KAUR	NO151434	अभ्यर्थी ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं डीवी लिस्ट संलग्न की है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 64.846 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग (ओबीसी एनसीएल) में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 66.419 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1783	SANDEEP PAREEK	NO158054	अभ्यर्थी ने ईडब्ल्यूएस पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने 490 दिवस का ईएमटी पद, 269 दिवस का नर्स श्रेणी द्वितीय पद एवं 261 दिवस का सीएचए पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न कर उचित बोनस अंक देकर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 71.164 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग (ईडब्ल्यूएस श्रेणी) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत 72.336 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1784	SANDHYA NAMA	NO193600	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 240 दिवस का सीएचए पद का एवं 699 दिवस का जीएनएम पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र भी संलग्न किये हैं।	ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 02.01.2023 का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। अनुभव जारी करने हेतु निर्धारित परिशिष्ट 'अ' में स्पष्ट अंकित है कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1785	Sangeeta bhati	NO158815	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 61.940 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 61.944 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग (अनुसूचित जातिवर्ग) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत 63.612 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।


			भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 174 दिवस का सीएचए पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत् निवेदन किया है।		
1786	SANGEETA KUMARI	NO156675	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है। परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं से कम प्राप्तांक के टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के चयन होने से अवगत कराया है जिनके अंतरिम वरियता सूची क्रमांक निम्न है- 5542,5739,5904,5931,5942,5948,5975,5980,6336,6341,6343,6356,6369,6374,6377,6387। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत् निवेदन किया है। अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है।	अभ्यर्थी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा द्वारा 23.05.2023 को जारी कोविड स्वास्थ्य सहायक 259 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसका 15 बोनस अंकों का लाभ देय है। जिसके उपरान्त अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 61.366 प्रतिशत अभ्यर्थिया की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 62.049 प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1787	SANGEETA KUMARI BAIRWA	NO135025	अभ्यर्थी ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 62.540 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है जबकि इस जाति में एक अन्य अभ्यर्थी आईडी संख्या 179432 के औसत प्राप्तांक 62.480 प्रतिशत होते हुए भी अंतरित चयन सूची में होल्ड सूची में सम्मिलित होने से अवगत कराया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 62.542 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (अनुसूचित जाति महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.612 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। आई डी संख्या 179432 के प्रतिशत प्राप्तांक 64.280 प्रतिशत है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1788	SANJAY KUMAR CHOUHAN	NO129267	अभ्यर्थी ने ओबीसी एनसीएल पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 70.170 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की अंतिम कटऑफ 70.211 के नजदीक होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने निवेदन किया है कि आप द्वारा बहुत से अभ्यर्थियों को होल्ड सूची में डाला गया है जिनकी प्रतिशत नहीं बताई गई है अतः होल्ड सूची क्लीयर हाने के पश्चात् स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में नाम आने की संभावना व्यक्त की है। परिवेदना के साथ स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 70.171 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग (ओबीसी एनसीएल जाति) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत 70.188 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।



1789	SANJU KUMARI MEGHWAL	NO155573	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 15 प्रतिशत बोनस अंक जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.820 जबकि अनुसूचित जाति सामान्य श्रेणी की कट ऑफ लगभग 63.61 प्रतिशत पर अंतिम अभ्यर्थी चयनित हुआ होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.817 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग में चयनित अंतिम महिला अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1790	SANTOSH KUMARI	NO153917	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.826 होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में चयन नहीं होने का उल्लेख कर चयनित सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.826 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग में चयनित अंतिम महिला अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1791	SANTOSH KUMARI MEENA	NO169553	अभ्यर्थियां ने अनुसूचित जनजाति वर्ग में आवेदन स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.150 होने के बाद भी चयन नहीं होने एवं अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.159 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग में चयनित अंतिम महिला अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1792	SATYENDRA DADHICH	NO158565	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ईडब्ल्यूएस श्रेणी की कट ऑफ अंतिम वरीयता सूची में नाम नहीं आने का उल्लेख कर स्वयं के नाम पर पुनः विचार करते हुए सामान्य (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी में अन्तरिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 71.345 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (ईडब्ल्यूएस) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 72.336 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1793	SAVITA	NO211665	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 76.890 जो की ओबीसी एनसीएल की प्रतिशत लगभग 70 से अधिक होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल लिस्ट व फाईनल लिस्ट में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक प्रतिशतों की गणना उनके द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ द्वारा जारी 279 दिवस का सीएचएके पद का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है, जिसके आधार पर इन्हे 15 बोनस अंकों का लाभ प्रदान किया जा चुका है। 15 बोनस अंकों सहित अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 60.446 प्रतिशत बनते हैं जो इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थिया के प्राप्तांकों 66.419 प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1794	SAVITA KUMARI	NO155498	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति वर्ग में आवेदन कर सीएचए पद के अनुभव के आधार पर बोनस अंक जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.460 होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल लिस्ट में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	15 बोनस अंकों सहित अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 62.460 प्रतिशत बनते हैं जो इनकी श्रेणी अनुसूचित जाति महिला में अंतिम चयनित अभ्यर्थिया के प्राप्तांकों 63.612 प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1795	SAVITA SALVI	NO171687	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल आवेदन पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की है।	15 बोनस अंकों सहित अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 62.047 प्रतिशत बनते हैं जो इनकी श्रेणी अनुसूचित जाति महिला में अंतिम चयनित अभ्यर्थिया के प्राप्तांकों 63.612 प्रतिशत से	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।



				कम रहने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
1796	SEEMA CHOUDHARY	NO158354	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 74.98 होने के बाद भी चयन नहीं होने जबकि ओबीसी एनसीएल फिनेल श्रेणी की कट ऑफ लगभग 66.419 प्रतिशत पर अन्तिम अभ्यर्थी चयनित हुआ होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक प्रतिशतों की गणना उनके द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी। अभ्यर्थिया द्वारा संलग्न अनुभव प्रमाण पत्रों में दी गई कुल अवधि के आधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ देय है जो दिया जा चुका है। जिसके आधार पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 65.695 प्रतिशत बनते हैं जो ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 66.419 से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1797	seema kumari	NO157365	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर सीएचए पद पर कार्यानुभव के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा संलग्न अनुभव प्रमाण पत्रों में दी गई कुल अवधि के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ देय है जो दिया जा चुका है। जिसके आधार पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 65.761 प्रतिशत बनते हैं जो ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 66.419 से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1798	SEEMA KUMARI	NO138490	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज 10वीं 12वीं की अंकतालिका, अनुभव प्रमाण पत्र, आरएनसी रजिस्ट्रेशन, जीएनएम की अंकतालिका संलग्न की है।	अभ्यर्थिया द्वारा संलग्न अनुभव प्रमाण पत्रों में दी गई कुल अवधि के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ देय है जो दिया जा चुका है। जिसके आधार पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 61.982 प्रतिशत बनते हैं जो अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 62.049 से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1799	shabnam banu	NO150317	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44.45 होने के बाद भी चयन नहीं होने जबकि ओबीसी एनसीएल परित्यक्ता वर्ग की कट ऑफ लगभग 43.45 प्रतिशत पर अन्तिम अभ्यर्थी चयनित हुआ होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 44.454 प्रतिशत इनकी श्रेणी अन्तर्गत विच्छिन्न विवाह महिला में अंतिम चयनित अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 60.936 प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1800	SHAKUNTALA	NO143068	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति महिला वर्ग में सूची अनुसार 61.80 प्रतिशत दर्शाई गई है जबकि दस्तावेज सत्यापन के समय प्रार्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.105 थे अतः नियमानुसार त्रुटी को संशोधन कर चयन सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 62.124 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (अनुसूचित जाति महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.612 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1801	SHAMSHER SINGH	NO176255	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 72.12 होने के बाद भी चयन नहीं होने एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी की प्रतिशत लगभग 72.33 होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 72.124 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (ईडब्ल्यूएस) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 72.336 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1802	SHARDA BAI	NO181827	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 65.622 प्रतिशत हैं जो कि इनकी श्रेणी ओबीसी एनसीएल महिला में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 66.419 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1803	SHARMILA	NO202892	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं की योग्यता के	अभ्यर्थी का दस्तावेज सत्यापन हो चुका है। पुनः दस्तावेज सत्यापन कराये जाने की	कोई कार्यवाही आवश्यक



			आधार पर दिनांक 29.08.2023 को जारी डीवी लिस्ट में स्वयं का नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	आवश्यकता नहीं है, न ही ही ऐसा कोई प्रावधान है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 15 बोनस अंकों का लाभ भी प्रदान किया जा चुका है जिसके उपरान्त इनके प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों 66.419 से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	नहीं है।
1804	SHIBA KHAN	NO196204	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के औसत प्राप्तांक प्रतिशत का उल्लेख कर अनुभव का लाभ प्रदान कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा की दो प्रकार की अंक तालिकाएँ प्रस्तुत की हैं जिनमें एक में इनके प्रतिशत प्राप्तांक 52 प्रतिशत के लगभग हैं व दूसरी जो कि प्रायवेट तौर पर केवल तीन विषयों की परीक्षा की है के आधार पर इनके प्राप्तांक 55 प्रतिशत हैं। व्यावसायिक परीक्षा में इनके प्राप्तांक 55 प्रतिशत है। इस प्रकार नियमित इंटरमीडियेट के अंक जोड़ते हुए इनके प्राप्तांक 37.567 दिये गये हैं जिसमें 30 प्रतिशत बोनस अंक जोड़कर 67.567 प्रतिशत अंक होते हैं जो इनकी श्रेणी सामान्य महिला वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों 69.245 से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 28.02.2023 का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी फोटा द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। अनुभव जारी करने हेतु निर्धारित परिशिष्ट 'अ' में स्पष्ट अंकित है कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1805	SHIKHAR KUMAR DHARMAWAT	NO146332	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 71.125 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (ईडब्ल्यूएस) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 72.336 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1806	SHILPI SHARMA	NO151875	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल डीक्री दिनांक 13.05.2022 एवं अन्य दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	कुल प्राप्तांक 52.706 प्रतिशत इनकी श्रेणी विच्छिन्न विवाह महिला अनारक्षित में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों 60.936 प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1807	SHIVANI DEVI	NO151881	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में 15 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 77.722 प्रतिशत है। अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में रिक्त/द्वितीय सूची में आवेदन स्वीकार कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर द्वारा कोविड अवधि का 2 वर्ष से कम दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर नियमानुसार 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर इनके कुल प्राप्तांक 66.213 इनकी श्रेणी ओबीसी एनसीएल में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 66.419 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1808	SHOBHA PRAJAPET	NO165911	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।



1809	SHRIKANT S. PILLAI	NO150523	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस वर्ग में 30 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 71.600 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 71.596 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (ईडब्ल्यूएस) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 72.336 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1810	SHRIPAL KUMAR	NO187846	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 64.312 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (अनुसूचित जाति) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 65.275 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1811	SONAM SHAKYAWAL	NO189353	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.538 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग अनुसूचित जाति में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 63.612 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं पाया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1812	SONU	NO183127	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में छुट्टे हुये दस्तावेज प्रस्तुत कर उनकी जांच कर दस्तावेज के जो नम्बर थे, उनके नम्बर पुराने नम्बर में वृद्धि करने व योग्य होने की दशा में चयन करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनारक्षित विच्छिन्न विवाह वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम विच्छिन्न विवाहित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.936 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1813	SONU DAROGA	NO137547	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल विच्छिन्न विवाह वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 41.289 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 38 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 41.289 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (ओबीसी एनसीएल विच्छिन्न विवाह) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 43.244 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1814	SONU KANWAR	NO130336	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत (आई0डी0 संख्या 126762, 207662, 210042, 116045, 17993, 109260, 148415, 106526, 124382, 138104, 108725) वालों का चयन अंतरिम वरीयता सूची में किया गया है जबकि अभ्यर्थी का चयन अंतरिम वरीयता सूची में नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं के औसत प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में अंतिम प्राप्तांक प्रतिशतों की गणना अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी जिसमें अभ्यर्थी द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर 95.620 प्रतिशत अंक दर्शाये गये दस्तावेज सत्यापन उपरान्त अभ्यर्थी के वास्तविक प्राप्तांक का 70 प्रतिशत 46.987 होना पाया गया। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 46.987 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (ईडब्ल्यूएस महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 55.841 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1815	SUKSHAM	NO191320	अभ्यर्थी द्वारा ओबीसी फिमेल श्रेणी में स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 65.110 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (ओबीसी एनसीएल महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 66.419 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1816	SUMAN	NO200329	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति वर्ग में अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन होने का	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.245 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग अनुसूचित जाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.612 प्रतिशत	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			उल्लेख पुनः जांच करवाकर संशोधित सूची जारी करने हेतु निवेदन किया है।	से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
1817	SUMAN SEERVI	NO103349	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। केवल स्वयं सं संबंधित दिनांक 15.06.2022 की जारी डिफिकी प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 42.142 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (ओबीसी एनसीएल विच्छिन्न विवाह महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 43.244 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1818	SUNIL KUMAR SAINI	NO190098	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत की है कि नर्सिंग भर्ती 2023 की डीवी लिस्ट में ओबीसी एनसीएल वर्ग की अंतिम कटऑफ प्रतिशत 67.320 प्रतिशत गयी है जबकि अभ्यर्थी के 68.90 प्रतिशत होते हुए भी डीवी लिस्ट में नाम नहीं आया। स्वयं के सीएचए के 15 बोनस अंको के आधार पर डीवी कराने हेतु निवेदन किया है। एक अन्य परिवेदना संलग्न कर अवगत कराया है कि प्राविजनल चयन सूची में लगभग 2000 अभ्यर्थियों का परिणाम अन्य राज्य की अंकतालिकाओं के वैरिफिकेशन के कारण होल्ड किया गया है। यदि उक्त होल्ड सूची के अभ्यर्थी फर्जी पाये जाते है तो उनके स्थान पर प्रार्थी का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने की कया करे।	अभ्यर्थी को अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर 15 बोनस अंक प्रदान किये गये हैं व इंटरशिप के अंक जोड़े गये हैं। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 68.904 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (ओबीसी एनसीएल) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1819	SUNITA CHETWANI	NO148495	अभ्यर्थिया ने ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किये है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 54.401 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (ईडब्ल्यूएस महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 55.841 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1820	SUNITA MEENA	NO166747	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 61.660 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 94 एवं 87 दिवस का सीएचए पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया को ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न सी.एच.ए. के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ प्रदान किया जा चुका है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 61.665 प्रतिशत इनकी श्रेणी अनुसूचित जनजाति महिला में अंतिम चयनित अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 62.049 प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1821	Sunita Regar	NO147182	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 62.510 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 224 दिवस का सीएचए पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न	अभ्यर्थिया को ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न सी.एच.ए. के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ प्रदान किया जा चुका है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 62.508 प्रतिशत इनकी श्रेणी अनुसूचित जाति महिला में अंतिम चयनित अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 63.612 प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।		
1822	SURBHI DHABAI	NO171401	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर व्यावसायिक योग्यता में इंटरनशिप के नम्बर को सम्मिलित कर प्रतिशत की गणना कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के इंटरनशिप के प्राप्तांकों को जोड़कर कुल प्राप्तांक 1519/1900 अथवा 79.947 प्रतिशत हैं जिसके उपरान्त इनके प्रतिशत प्राप्तांक 66.297 ओबीसी एनसीएल महिला श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 66.419 प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1823	SURESH	NO183237	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है जबकि अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने स्की एण्ड स्नोबोर्ड फंडेशन ऑफ इंडिया का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किया गया।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1824	SURTA KUMARI DAMOR	NO194853	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 62.015 प्रतिशत कटऑफ 62.05 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 62.003 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (अनुसूचित जाति महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 62.049 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1825	TABSSUM BANU RANGREJ	NO180511	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के औसत प्राप्तांक बोनस सहित 65.51 प्रतिशत का उल्लेख करते हुए अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 65.517 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (ओबीसी एनसीएल महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 66.419 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1826	TARA VATI	NO181050	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 65.662 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (ओबीसी एनसीएल महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 66.419 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1827	UMA CHOUDHARY	NO125140	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 65.841 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (ओबीसी एनसीएल महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 66.419 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1828	USHA SOLANKI	NO157898	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में बोनस अंको सहित कुल औसत प्राप्तांक 63.070 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत एवं बिना बोनस अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 63.072 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (अनुसूचित जाति महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.612 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			सूची में किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
1829	VANDANA CHOUHAN	NO154661	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल अनुभव प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में 235 दिवस का ईएनटी एवं 136 दिवस का सीएचए पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र भी संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 65.146 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (ओबीसी एनसीएल महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 66.419 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1830	VEENA JANGID	NO200173	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर व्यावसायिक योग्यता में जीएनएम इंटरशिप के अंको को जोड़ने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी ने अंकतालिकाएं संलग्न की हैं।	अभ्यर्थिया के प्राप्तांकों में इंटरशिप के अंक जोड़े जा चुके हैं। तदुपरान्त ही अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 65.329 प्रतिशत इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1831	VIJAY PRAKASH MEENA	NO170644	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ तीन अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर अनुभव का लाभ प्रदान कर चयन किये जाने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 62.553 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग (अनुसूचित जाति) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत 63.061 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1832	VINITA PATIDAR	NO178268	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज आवेदन पत्र की प्रतिलिपि संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 66.273 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (ओबीसी एनसीएल महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 66.419 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1833	VINOD CHOUDHARY	NO150022	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी के 21 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से पुरुष अभ्यर्थिया के सभी पदों को भरने, स्वयं से कम प्रतिशत वाले आईडी क्रमांक 143271, 165145, 166127, 195849 का चयन होने, फर्जी अनुभवधारियों जिनके आईडी क्रमांक 164083, 188723 के अनुभव की जांच किये जाने, पीपीपी मॉड पर कार्यरत एएनएम को नर्सिंग ऑफिसर के पद का अनुभव लाभ दिये जाने, 108 एम्बुलेन्स योजना में अनुभव में हुये फर्जीवाड़े को दूर करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.775 प्रतिशत बनते हैं जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.188 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना में उल्लेखित शिकायत के संबंध में जांच की जाकर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1834	YASHODA CHOUDHARY	NO144155	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर कोविड काल के 15 प्रतिशत एवं इंटरशिप के प्राप्तांक जोड़ने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी ने दस्तावेज यथा अंकतालिकाएं, अनुभव प्रमाण पत्र, आरएनसी सर्टिफिकेट संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थिया को अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर 15 बोनस अंक प्रदान किये गये हैं व इंटरशिप के अंक जोड़े गये हैं। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 66.171 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (ओबीसी एनसीएल महिला) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 66.419 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1835	YOGESH BILKHIWAL	NO157349	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी-एनसीएल जाति वर्ग में 69.69 अंक प्राप्तांक का उल्लेख कर प्राविजनल चयन सूची में नाम जुड़वाने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ इसके चिकित्सालय, सीकर द्वारा 1348 दिवस का डायलिसिस नर्स कम टेक्नीशियन पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। डायलिसिस कम नर्स का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान नहीं होने के कारण बोनस अंको का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1836	INDU BALA JHA	NO160530	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में डिक्री दिनांक 31.07.2018 एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी तलाकशुदा वर्ग की 683 महिलाओं की सूची में 136 नम्बर पर अंकित थी।	नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 की विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि जी.एन.एम. एवं बी.एस. सी. दोनों कोर्स होने की स्थिति में केवल एक ही कोर्स का विवरण भरा जाना था। पोस्ट बेसिक बीएससी जीएनएम पश्चात अतिरिक्त योग्यता है। पूर्व में इस प्रकार के समान प्रकरणों को माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया है। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			अभ्यर्थी मेरिट अनुसार 25 से 30 नम्बर पर आती है। विभाग द्वारा नर्सिंग ऑफिसर की दिनांक 07.10.2023 को जारी की गई अंतरिम सूची में 6441 में क्रम संख्या 5885 व 5886 आशा गुजर व संतोष कुमारी के मध्य आती है। इस सूची में अभ्यर्थी का नाम अंकित नहीं है। अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन के समय मिडवाईफरी की अंकतालिका को सम्मिलित किया गया था। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग को सम्मिलित नहीं किया गया था। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	नहीं है।	
1837	AMAN PAL	NO144323	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर कुल औसत प्राप्तांक 65.020 प्रतिशत के स्थान पर 65.491 प्रतिशत संशोधित कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया को 65.020 प्रतिशत अंक प्रदान नहीं किये गये हैं। अतः संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 65.489 प्रतिशत है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1838	ANITA	NO170423	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 65.110 प्रतिशत में संशोधन कर 65.993 किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को को 65.994 अंक प्रदान किये गये हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1839	ASHOK KUMAR MEENA	NO143299	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति वर्ग में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 79.760 होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर अपलोड किये गये दस्तावेज में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर अंतिम सूची जारी करने से पूर्व अवगत करवाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1840	DEEPAK CHANDRA	NO184263	अभ्यर्थी द्वारा प्रोविजनल सूची में अनुसूचित जाति वर्ग के कोर्ट में से सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को हटाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत परिवेदना के अनुसार प्रोविजनल वरीयता सूची में अनुसूचित जाति वर्ग में सामान्य अभ्यर्थियों का चयन होने के संबंध में अवगत कराया है जबकि भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों के चयन में नियमानुसार कार्यवाही की गई है। यदि अभ्यर्थी द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जाति संवर्ग में किस सामान्य जातिवर्ग के अभ्यर्थी का चयन किया गया है तो नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। वर्तमान कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1841	KM RADHA SHARMA	NO124706	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत अंतरिम चयन सूची में नाम नहीं आने पर किसी अन्य अभ्यर्थी के स्थान पर प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	प्रतीक्षा सूची जारी किये जाने की कार्यवाही अंतिम चयन सूची जारी किये जाने उपरान्त की जाती है। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1842	LALITA CHANDEL	NO142027	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 67.736 प्रतिशत बताते हुए स्वयं का प्रोविजनल चयन सूची में नाम होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 264 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर एवं 266 दिवस का नर्स श्रेणी-2 पद का कोविड अवधि	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन में 658 दिवस का कोविड अवधि सम्मिलित करते हुये 3 अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.04.2023 को जारी परिपत्र अनुसार 15 बोनस अंक प्रदान करते हुये अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किया जा चुका है। राज्य सरकार उक्त परिपत्र के अनुसार कोविड अवधि का पृथक से 15 बोनस अंक दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में उद्यत	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल बोनस अंक 25-30 करने बाबत निवेदन किया है।	तथ्य की पुष्टि करते हुये विभाग द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
1843	MAN MOHAN	NO149873	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भर्ती से अनुचित अभ्यर्थियों की जांच कर बाहर किया जावे ताकि अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में हो सके।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है वरन् एक शिकायती मॉग पत्र प्रस्तुत किया है। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती नियमानुसार एवं पूर्ण पारदर्शिता तथा गहन जांच इत्यादि करवा कर सम्पादित की जा रही है।	अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी के शिकायती मॉगपत्र पर कार्यवाही किया जाना इस समिति के कार्यक्षेत्र में नहीं है।
1844	MANJU BALA	NO190887	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भर्ती में ओबीसी एनसीएल एवं जनरल वर्ग की अंतरिम चयन सूची की कटऑफ में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिससे प्रतीत होता है कि इस भर्ती में महिलाओं के दस्तावेजों की पारदर्शिता से जांच नहीं की गई है। महिलाओं द्वारा फर्जी ईडब्ल्यूएस, एमबीसी जाति के फर्जी प्रमाण पत्र बनवाये गये हैं। अतः अभ्यर्थी द्वारा महिलाओं के दस्तावेजों की गहनता से जांच कर फर्जी महिलाओं को बाहर किया जाकर योग्य महिलाओं को अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा कोई व्यक्तिगत परिवेदना नहीं दी है। केवल शिकायत स्वरूप मॉग पत्र प्रस्तुत किया है जिसके पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती नियमानुसार एवं पूर्ण पारदर्शिता तथा गहन जांच इत्यादि करवा कर सम्पादित की जा रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1845	NAHID	NO131507	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर बीएससी नर्सिंग के प्राप्तांक 2083/2850 संशोधित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को बीएससी नर्सिंग के 2083 अंक ही प्रदान किये गये हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं
1846	NITESH KUMAR	NO200549	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। किन्तु अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1847	PARAS KUMAR	NO165663	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है तथा अभ्यर्थी को अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1848	PRAMOD KUMAR	NO169739	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि 73.420 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरीयता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर बोनस अंक जोड़कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में कुल प्राप्तांकों की गणना अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी जिन्हें दस्तावेज सत्यापन उपरान्त वास्तविक प्राप्तांक प्रतिशत से संशोधित किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन एवं ऑनलाईन आवेदन में कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जिसके अभाव में अभ्यर्थी को पूर्व में दिये गये 30 प्रतिशत बोनस अंको को शून्य किया जाकर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1849	Priti Malik	NO118808	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि जीएनएम+इन्टरनशिप में से 1249 भर दिये गये थे, जबकि मार्कशीट के अनुसार सही अंक 1900 में से	अभ्यर्थी को 1525 अंक ही प्रदान किये गये हैं जिसके आधार पर इनके कुल प्राप्तांक 45.915 प्रतिशत हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			1525 है। अतः पोर्टल पर कक्षा 12 वी में 331, जीएनएम में 1525 व इन्टरशिप में 276 है। एवं अभ्यार्थिया द्वारा दूसरी परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि प्रार्थिया की नियुक्ति नसिंग ऑफिसर भर्ती 2023 के तलाक शुदा पर 50 पदों पर नियुक्ति हेतु सामान्य जाति के अन्तर्गत आदेशित हुआ था जिसकी सूची भी जारी हुई थी, जिसमें से केवल 04 नसिंग ऑफिसर की नियुक्ति हुई जबकि वर्तमान समय में अभी भी 46 पद रिक्त है, जिसमें प्रार्थिया भी नियुक्ति हेतु अधिकृत है नियमानुसार प्रार्थिया की नियुक्ति बचे सामान्य 46 पदों में रखे जाने हेतु आदेश दिया जाना न्यायसंगत होगा। अतः अभ्यार्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर पोर्टल पर सही अंक दर्ज कर नियुक्ति करने का निवेदन किया है।		
1850	RADHA KISHAN	NO114056	अभ्यार्थिया द्वारा ओबीसी का दिनांक 17.10.2023 का जारी नया जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम जारी किया जा चुका है। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1851	RAJEEV RAI	NO203319	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दिनांक 03.10.2023 को जारी अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी का अंतरिम परिणाम जारी किया जा चुका है। परिवेदना का कारण स्पष्ट नहीं है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1852	RAJESH KUMAR MEGHWAL	NO188720	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि 04.09.2021 से 31.03.2022 तक कुल 208 दिन की सेवाओं का बोनस अंक जोड़ने की कृपा करें। (संलग्न: अनुभव प्रमाण पत्र)	अभ्यर्थी ने परिवेदना 04.09.2021 से 31.03.2022 तक की सेवायें जोड़ने का निवेदन किया है जो स्वीकार योग्य है किन्तु जिसे जोड़ने के उपरान्त भी इन्हे 20 बोनस अंक ही देय है। अन्य कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
1853	RAMPAPPU	NO199083	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 72.20 है जबकि अंतरिम चयन सूची में औसत प्राप्तांक 73.20 प्रतिशत दर्शाया गया है जो गलत है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं के औसत प्राप्तांक प्रतिशत संशोधित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के प्राप्तांकों की पुनः गणना कर ली गई है। अभ्यर्थी को दिये गये प्राप्तांक 73.200 प्रतिशत सही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1854	RAVI KUMAR JEENGAR	NO166036	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल सैकेण्ड्री अंकतालिका संलग्न की गई है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1855	RAVIKANT MEENA	NO169525	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अपने गृह जिले के बकानी ब्लॉक में देवरी पंचायत के हॉस्पिटल में नव नियुक्ति देने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अपने गृह जिले के बकानी ब्लॉक में देवरी पंचायत के हॉस्पिटल में नव नियुक्ति देने हेतु निवेदन किया है जो इस समिति के कार्यक्षेत्र का विषय नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1856	REENKA PANANI	NO187101	अभ्यर्थी द्वारा सीमा के नाम से परिवेदना प्रस्तुत की गई है परिवेदना में दस्तावेज सीमा परानी एवं सीमा दोनो के दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1857	Santosh	NO184998	अभ्यार्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल	नसिंग ऑफिसर भर्ती 2023 के अन्तर्गत दिनांक 07.10.2023 को जारी अंतरिम बरीयता	कोई कार्यवाही आवश्यक

			प्राप्तांक प्रतिशत 68.51 जो की ओबीसी एनसीएल फिनेल श्रेणी में चयनित 66.41 प्रतिशत से अधिक होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	सूची में क्रम संख्या 3444 पर अभ्यर्थिया का परिणाम प्रकाशित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	नहीं है।
1858	SARDA	NO159630	अभ्यर्थी ने अनुसूचित जाति वर्ग से आवेदन किया है। परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के औसत प्राप्तांक 63.54 प्रतिशत एवं स्वयं की जाति वर्ग में महिला श्रेणी की अंतिम कटऑफ प्राप्तांक प्रतिशत 63.61 बताते हुए स्वयं का 0.7 प्रतिशत से प्रोविजनल चयन सूची में स्थान बनाने से वंचित होना बताया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर वेंटिंग सूची में नाम जोड़ने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा वेंटिंग लिस्ट जारी किये जाने बाबत निवेदन किया है। जिसके संबंध में वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1859	SAROJ	NO168414	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज 10वीं 12वीं की अंकतालिका, दिनांक 30.12.2022 को पिता के नाम से जारी अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र, आरएनसी रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि, अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि एवं जीएनएम की अंकतालिका संलग्न की है।	अभ्यर्थी का परिणाम जारी किया जा चुका है। परिवेदना का कारण स्पष्ट नहीं है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1860	SHABNAM BANO	NO210042	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज 10वीं की अंकतालिका एवं दिनांक 09.10.2023 को जारी ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न किया है।	अभ्यर्थिया का चयन दिव्यांग श्रेणी में किया जा चुका है। परिवेदना का कारण स्पष्ट नहीं है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1861	SHILPA RAIDAS	NO207518	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित जनजाति श्रेणी में किया जाकर भर्ती परिणाम जारी किया जा चुका है। परिवेदना का कारण स्पष्ट नहीं है। अतः कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1862	UMA DEVI	NO164438	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र में 01 वर्ष की गणना 312 दिवस ही की गई है जबकि अन्य संस्थानों द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र में 365 दिवस की गई है। अतः अभ्यर्थी ने उपयुक्त समय अनुभव अवधि की गणना करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का चयन इनके द्वारा आवेदित बोनस के साथ अनुसूचित जाति श्रेणी में किया जा चुका है। परिवेदना का कारण उचित नहीं होने से कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1863	YOGESH KHARADI	NO132143	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल एप्लीकेशन फॉर्म की प्रति संलग्न की है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.816 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.061 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1864	ABDUL RUB	NO154586	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर दिव्यांग श्रेणी की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञापित में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।







			रिपोर्ट में कौट छांट करके less than 40 प्रतिशत कर दिया ओर पीएच कटेगरी से बाहर कर दिया गया जबकी प्रार्थी का पूर्व में 40 प्रतिशत disability certificate बना हुआ है का उल्लेख कर रिमेडिकल करवाने हेतु निवेदन किया है।	किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांग सम्बन्धी कोई पमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई जिसके अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं देते हुये सामान्य अभ्यर्थी के रूप में माना गया है। अभ्यर्थी को अनुभव का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक इनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	निस्तारित की जाती है।
1874	ARBAZ NAQVI	NO109003	अभ्यर्थी द्वारा विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदन कर विशेष योग्यजन कोटे का लाभ देकर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांग सम्बन्धी कोई पमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई जिसके अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं देते हुये सामान्य अभ्यर्थी के रूप में माना गया है। अभ्यर्थी को अनुभव का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक इनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1875	CHANDA KUMARI NANOMA	NO125035	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 39.440 जो कि अनुसूचित जनजाति दिव्यांग महिला वर्ग की कट ऑफ 38 प्रतिशत से अधिक है का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं देते हुए सामान्य अभ्यर्थी माना गया है। अभ्यर्थी को अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1876	CHANDAN RAM GURJAR	NO108977	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर एमबीबीएस एनसीएल पीएच श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 49.350 होने के बाद भी चयन नहीं होने एवं मेडिकल बोर्ड से संबंधित उपस्थिति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं देते हुए सामान्य अभ्यर्थी माना गया है। अभ्यर्थी को अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1877	DILIP BANGRA	NO179185	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर दरतावेज वेरीफिकेशन एवं दिव्यांगजन मेडिकल बाबत चयन होने के उपरान्त मेडिकल के समय चिकित्सक टीम द्वारा कम समय सीमा होने के कारण मेडिकल पूर्ण पारदर्शिता के साथ नहीं होने का उल्लेख कर अभ्यर्थी को सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांग सम्बन्धी कोई पमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई जिसके अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं देते हुये सामान्य अभ्यर्थी के रूप में माना गया है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			मेडिकल के लिए अनुमति प्रदान करवाकर दिव्यांगन अभ्यर्थी को सम्बल प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को अनुभव का लाभ दिये जाने के उपरान्त अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक इनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
1878	GANPATLAL	NO117727	अभ्यर्थी द्वारा विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदन कर 36 प्रतिशत प्राप्त अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन होने एवं पीएच प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त होने एवं जयपुरिया चिकित्सालय में पीएच प्रमाण पत्र का सत्यापन करवाने जो की सही पाया गया है का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांग सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई जिसके अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं देते हुये सामान्य अभ्यर्थी के रूप में माना गया है। अभ्यर्थी को अनुभव का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक इनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1879	ISHWAR LAL KUMAWAT	NO197268	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन-क्रीमी-लेयर पीएच में 56.63 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त हुए है, जबकि पीएच कट ऑफ लगभग 40 प्रतिशत गई है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं देते हुए सामान्य अभ्यर्थी माना गया है। इस प्रकार अभ्यर्थी के प्राप्तांक के औसत 57.740 प्रतिशत बनते है, जो इनकी श्रेणी (अन्य पिछड़ा वर्ग) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी चयन से वंचित रहे है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1880	JASA RAM	NO197337	अभ्यर्थी द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि 61.10 प्रतिशत प्राप्तांक के पश्चात् भी चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं देते हुए सामान्य अभ्यर्थी माना गया है। इस प्रकार अभ्यर्थी के प्राप्तांक के औसत 61.100 प्रतिशत बनते है, जो इनकी श्रेणी (अन्य पिछड़ा वर्ग) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी चयन से वंचित रहे है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1881	KAMLESH SAINI	NO155057	अभ्यर्थी ने ओबीसी-एनसीएल पुरुष वर्ग में दिव्यांगजन श्रेणी में आवेदन किया है। परिवेदना के साथ पीएच सर्टिफिकेट संलग्न कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांग सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई जिसके अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं देते हुये सामान्य अभ्यर्थी के रूप में माना गया है। अभ्यर्थी को अनुभव का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक इनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1882	MANISH	NO194806	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं




	REGAR		के बाद भी नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि पीएच श्रेणी में 39.760, 42.954 एवं 43.050 प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं देते हुए सामान्य अभ्यर्थी माना गया है। फलस्वरूप अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1887	RAM NIVAS JATAV	NO196051	अभ्यर्थी द्वारा निम्नानुसार निवेदन किया है:- 1. क्या प्रार्थी के बोनस अंक अंतिम परिणाम में जोड़ दिये गये हैं। 2. प्रार्थी की विकलांगता प्रतिशत 40 प्रतिशत से अधिक होने के बाद भी चयन नहीं हुआ तो प्रार्थी द्वारा चाही गयी सूचना में कितने प्रतिशत विकलांगता को आधार माना गया। 3. प्रार्थी की नर्सिंग में 70.14 प्रतिशत अंक होने के बाद भी प्रार्थी से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन किया गया परन्तु प्रार्थी का नहीं तो प्रार्थी द्वारा निवेदन है कि किस अंक पद्धति के आधार पर अन्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया। अतः प्रार्थी द्वारा निवेदन है कि उपरोक्त शिकायत दर्ज करते हुए पूर्ण निस्तारण करने का श्रम करें।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई जिसके अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं देते हुए सामान्य अभ्यर्थी के रूप में माना गया है। अभ्यर्थी को अनुभव का लाभ दिये जाने के उपरान्त अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक इनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1888	RAMESH GEHLOT	NO180271	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.050 जो कि अनुसूचित जाति विशेष योग्यजन श्रेणी की कट ऑफ 38 प्रतिशत से अधिक होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1889	RAMGOPAL BAIRWA	NO134514	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1890	RAMNIWAS	NO157615	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है जबकि अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं देते हुए सामान्य अभ्यर्थी माना गया है। अभ्यर्थी को अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
1891	RANJANA GODARA	NO151273	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञापित में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं देते हुए सामान्य अभ्यर्थी माना गया है। अभ्यर्थी को अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1892	raveeta jatav	NO170269	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग की दिव्यांग श्रेणी में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 50.700 प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम वरियता सूची में किया गया है परन्तु अभ्यर्थी का चयन अंतरिम वरियता सूची में नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञापित में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं देते हुए सामान्य अभ्यर्थी माना गया है। अभ्यर्थी को अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1893	RAVI KANT	NO159745	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी ने दिव्यांग श्रेणी में आवेदन किया था। नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञापित में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं देते हुए सामान्य अभ्यर्थी माना गया है। फलस्वरूप इनकी श्रेणी अनुसूचित जाति श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 65.275 प्रतिशत से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1894	Ravindera kumar	NO207443	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल दिव्यांग श्रेणी में तकनीकी शिक्षा के अंको का प्रतिशत 59.220 प्रतिशत होने के उपरांत भी वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत यथा राधाकिशन, आई0डी0 114056, प्रतिशत 39.221, अनूप कुमार, आई0डी0 138036, प्रतिशत 40.933 का नाम वरियता सूची में सम्मिलित है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने दिव्यांग श्रेणी में आवेदन किया था। नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञापित में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं देते हुए अभ्यर्थी के वर्ग में माना गया है। फलस्वरूप इनकी श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 70.188 प्रतिशत से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।





			किया गया है जबकि अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा 40 प्रतिशत, कैटेगरी <b>ONE Leg (Right lower limb)</b> का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं को वॉनस अंकों का लाभ प्रदान करते हुए अनुसूचित जाति वर्ग में दिव्यांग श्रेणी की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं देते हुए सामान्य अभ्यर्थी माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
1900	ADIL MOHAMMAD	NO126109	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर विशेष योग्यजन श्रेणी की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जाने का कारण स्पष्ट करते हुए योग्यता अनुसार अंक जोड़कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1901	AKLESH KUMAR MEENA	NO169783	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के विशेष योग्यजन श्रेणी में कुल प्राप्तांक 42.23 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 38.42 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1902	ANJANA KUMARI DAMOR	NO184728	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति पीएस वर्ग में स्वयं के कुल प्राप्तांक 45.47 प्रतिशत से कम 38.452 प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1903	ANKIT KUMAR MEHAR	NO182429	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।



				अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
1904	ANOOP SINGH DESHWAL	NO200277	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1905	ARCHANA SHARMA	NO111142	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर विधवा श्रेणी में स्वयं के कुल प्राप्तांक 51.580 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थियां का पंजीकरण राजस्थान नर्सिंग कौंसिल नहीं होने के कारण अभ्यर्थियां को विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार अपात्रता की श्रेणी में माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। डी.बी. याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में माननीय न्यायालय ने आवेदन की दिनांक समस्त योग्यता पूर्ण होना आवश्यक माना है। इसी प्रकार एक अन्य डी.बी. रिट याचिका संख्या 349/2020 सुमन जाट बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा इसी आधार पर खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1906	ASHA KUMARI DAMOR	NO165853	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कोविड अवधि में कार्य करने पर 15 प्रतिशत बोनस अंकों को नहीं जोड़ने एवं 12वीं कक्षा में 46.80 प्रतिशत जीएनएम में 73.052, एवं दिव्यांगता के 44 प्रतिशत कुल अंकों को जोड़ने में त्रुटी होने का उल्लेख कर अंकों में पुनः सुधार करते हुये अंतिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1907	ASHA RAM KHEDAR	NO166693	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनारक्षित वर्ग में भूतपूर्व सैनिक कोटे का लाभ दिया जाकर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का पंजीकरण राजस्थान नर्सिंग कौंसिल नहीं होने के कारण अभ्यर्थियां को विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार अपात्रता की श्रेणी में माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। डी.बी. याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में माननीय न्यायालय ने आवेदन की दिनांक समस्त योग्यता पूर्ण होना आवश्यक माना है। इसी प्रकार एक अन्य डी.बी. रिट याचिका संख्या 349/2020 सुमन जाट बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा इसी आधार पर खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1908	ASHISH KATIJA	NO103868	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति वर्ग में पीएच कैटेगरी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44.60 जो की अनुसूचित जनजाति वर्ग की कट ऑफ 38.452 से अधिक होने का उल्लेख कर त्रुटी का समाधान कर अंतिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
1909	BEBI NEHA BEE	NO113429	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 43.84 होने के बावजूद चयन नहीं होने का उल्लेख किया है जबकि प्रार्थी के समान पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन हुआ है अतः प्रार्थी को भी पात्र माना जाकर फाइनल लिस्ट में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1910	BEENA KUMARI MEENA	NO192249	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने 12वीं परीक्षा BOARD OF HIGHER SECONDARY EDUCATION DELHI से उत्तीर्ण की है। विज्ञप्ति की शर्त व भर्ती नियम 1965 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार है— 1. सीनियर सेकेंडरी अथवा समकक्ष 2. राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से जी.एन.एम. कोर्स उत्तीर्ण अथवा समकक्ष 3. राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत नोट:— बिन्दु संख्या 1 के लिये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अनुसार समकक्षता होनी BOARD OF HIGHER SECONDARY EDUCATION DELHI को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अनुदेशिका 2020 के अनुसार समकक्षता प्राप्त नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1911	BHAVESH MEHTA	NO203766	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर सामान्य श्रेणी में पीएच कोटे में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.12 होने का उल्लेख कर स्वयं को चयन प्रक्रिया से बाहर करने के कारण स्पष्ट करने के संबंध में निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1912	CHANCHAL KUMARI SHARMA	NO189808	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 59.520 जो कि ओबीसी एनसीएल पीएच महिला श्रेणी की कट ऑफ 43.684 प्रतिशत से अधिक होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल लिस्ट में जोड़ने के संबंध में निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
1913	CHANCHALA GAUTAM	NO180888	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर सामान्य पीएच श्रेणी में आवेदन कर अनुभव के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंकों को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 79.090 होने के बाद भी चयन नहीं होने एवं स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1914	CHANDRA PRAKASH SEN	NO139314	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44.020 जो की ओबीसी एनसीएल पीएच श्रेणी की कट ऑफ 39.221 प्रतिशत से अधिक होने के उपरान्त भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में स्वयं का नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1915	DAYAWATI	NO126975	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर जो अभ्यर्थी जनरल पीएच से है उनका विवरण प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-NO20989, NO106558, NO155668, NO101478, NO183967	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1916	DEEKSHITH RATHORE	NO166239	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कोविड काल में कार्य करने पर बोनस अंक देने एवं स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर अंतरिम चयन सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने 12वीं परीक्षा GOVERNMENT OF KARNATAKA DEPARTMENT OF PRE UNIVERSITY EDUCATION से उत्तीर्ण की है। विज्ञप्ति की शर्त व भर्ती नियम 1965 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार है- 1. सीनियर सेक्रेटरी अथवा समकक्ष 2. राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से जी.एन.एम. कोर्स उत्तीर्ण अथवा समकक्ष 3. राजस्थान नर्सिंग कॉलेज में पंजीकृत नोट:- बिन्दु संख्या 1 के लिये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अनुसार समकक्षता होनी चाहिये। GOVERNMENT OF KARNATAKA DEPARTMENT OF PRE UNIVERSITY EDUCATION को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अनुदेशिका 2020 के अनुसार समकक्षता	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				प्राप्त नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
1917	DHARMENDRA KUMAR PRAJAPAT	NO155442	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर विकलांग कोटे में शामिल कर अंतरिम चयन सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1918	DHEERAJ KUMAR SOLNKI	NO126352	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी नोनकमिलेयर विकलांग कोटे में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 57.48 प्रतिशत होने एवं अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख किया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-no114056, no152797	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1919	DHEERENDRA SINGH	NO128868	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर एमबीबीएस एनसीएल श्रेणी में फिजिकल हैंडिकैप्ड कैटेगरी में 49.96 प्रतिशत होने के बावजूद भी स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्राविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1920	DINESH KUMAR	NO172859	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी ने 12वीं परीक्षा Board of Higher Secondary Education DELHI से उत्तीर्ण की है। विज्ञप्ति की शर्त व भर्ती नियम 1965 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार है— 1. सीनियर सेकेंडरी अथवा समकक्ष 2. राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से जी.एन.एम. कोर्स उत्तीर्ण अथवा समकक्ष 3. राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत नोट:- बिन्दु संख्या 1 के लिये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अनुसार समकक्षता होनी चाहिए। Board of Higher Secondary Education DELHI को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अनुदेशिका 2020 के अनुसार समकक्षता प्राप्त नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

1921	FANEY PRITAM	NO106610	अभ्यर्थियों द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी ने 12वीं परीक्षा BOARD OF HIGHER SECONDARY EDUCATION DELHI से उत्तीर्ण की है। विज्ञप्ति की शर्त व भर्ती नियम 1965 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार है- 1. सीनियर सेकेंडरी अथवा समकक्ष 2. राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से जी.एन.एम. कोर्स उत्तीर्ण अथवा समकक्ष 3. राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत नोट:- बिन्दु संख्या 1 के लिये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अनुसार समकक्षता होनी चाहिये। BOARD OF HIGHER SECONDARY EDUCATION DELHI को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अनुदेशिका 2020 के अनुसार समकक्षता प्राप्त नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1922	FIROZ KHAN KAYAMKHANI	NO192453	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल में पीएच श्रेणी की कट ऑफ लगभग 55 से 60 प्रतिशत से ज्यादा स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 71.347 होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1923	Gaurav meena	NO148757	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने एवं मेडिकल के समय ऑफलाईन विकलांगता प्रमाण आवेदन करने एवं अब नया प्रमाण पत्र बनने पर संलग्न कर विकलांगता जाति में ज्यादा प्रतिशत लाने पर भी नाम अन्तिम सूची में नहीं आने का उल्लेख कर नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का पंजीकरण राजस्थान नर्सिंग कौंसिल नहीं होने के कारण अभ्यर्थिया को विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार अपात्रता की श्रेणी में माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। डी.बी. याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में माननीय न्यायालय ने आवेदन की दिनांक समस्त योग्यता पूर्ण होना आवश्यक माना है। इसी प्रकार एक अन्य डी.बी. रिट याचिका संख्या 349/2020 सुमन जाट बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा इसी आधार पर खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1924	Gayatri devi	NO103557	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर चयन सूची में नाम नहीं आने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने 12वीं परीक्षा GOVERNMENT OF KARNATAKA DEPARTMENT OF PREUNIVERSITY EDUCATION से उत्तीर्ण की है। विज्ञप्ति की शर्त व भर्ती नियम 1965 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार है- 1. सीनियर सेकेंडरी अथवा समकक्ष 2. राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से जी.एन.एम. कोर्स उत्तीर्ण अथवा समकक्ष 3. राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत नोट:- बिन्दु संख्या 1 के लिये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अनुसार समकक्षता होनी चाहिये। GOVERNMENT OF KARNATAKA DEPARTMENT OF PREUNIVERSITY EDUCATION को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अनुदेशिका 2020 के अनुसार समकक्षता प्राप्त नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना गया है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

1925	GOPAL KRISHAN	NO183061	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ईडब्ल्यूएस श्रेणी की कट ऑफ 72.33 से ज्यादा स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 78.860 होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अभ्यर्थी ने 12वीं परीक्षा JANARDHAN RAI NAGAR RAJASTHAN VIDHYAPEETH से उत्तीर्ण की है। विज्ञप्ति की शर्त व भर्ती नियम 1965 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार है— 1. सीनियर सेकेंडरी अथवा समकक्ष 2. राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से जी.एन.एम. कोर्स उत्तीर्ण अथवा समकक्ष 3. राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत नोट:— विन्दु संख्या 1 के लिये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अनुसार समकक्षता होनी चाहिए। JANARDHAN RAI NAGAR RAJASTHAN VIDHYAPEETH को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अनुदेशिका 2020 के अनुसार समकक्षता प्राप्त नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1926	GOVIND SHARMA	NO144038	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया है— 1. प्रार्थी विशेष योग्य जन श्रेणी का अभ्यर्थी है। 2. प्रार्थी का नाम दस्तावेज सत्यापन सूची विशेष योग्यजन में क्र.सं. 142 पर अंकित है। तथा सूची में प्रार्थी का प्रतिशत 43.47 है। 3. आवेदन पत्र में तथा दस्तावेजी सूची में अभ्यर्थी की पारिवारिक वार्षिक आय के संबंधित विशेष कॉलम 8-में-स्थिति-दर्शायी-गई-है-कि-क्या-आवेदक-की-पारिवारिक वार्षिक आय 2.50 लाख से कम है ? लेकिन अल्प आय विशेष योग्य जन को सूची में कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है। 4. प्रोविजनल सूची पृथक-पृथक कैटेगरी अनुसार यथा पूर्व में जारी की गई भर्ती सीएचओ की सूची अनुरूप जारी करायी जावे, ताकि स्पष्टता आ सके।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1927	Gyan Singh Jogi	NO153630	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी श्रेणी में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 45.60 होने एवं स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया का पंजीकरण राजस्थान नर्सिंग कौंसिल नहीं होने के कारण अभ्यर्थिया को अपात्रता की श्रेणी में माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। डी.बी. याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में माननीय न्यायालय ने आवेदन की दिनांक समस्त योग्यता पूर्ण होना आवश्यक माना है। इसी प्रकार एक अन्य डी.बी. रिट याचिका संख्या 349/2020 सुमन जाट बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा इसी आधार पर खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1928	HANSRAJ BAJRWA	NO134038	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति वर्ग की विशेष योग्यजन कैटेगरी में स्वयं के कुल प्राप्तांक 45.190 प्रतिशत जो की अनुसूचित जाति वर्ग के अन्तर्गत विशेष योग्यजन कैटेगरी में अंतिम अभ्यर्थी का चयन हुआ है जिसके कुल अंक 39.760 प्रतिशत है से ज्यादा होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
1929	HEMLATA MARWAN	NO149080	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल अंकतालिकाओं की प्रति संलग्न की है।	अभ्यर्थिया आवेदन की दिनांक को आर.एन.सी. में पंजीयन नहीं होने कारण इस भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थी नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा 3.7.2023 को आर.एन.सी. से जारी अंकतालिका की अहस्ताक्षरित प्रति संलग्न की है जिससे स्पष्ट है कि अभ्यर्थिया आवेदन के समय आरएनसी में पंजीकृत नहीं थी। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1930	HIMTA RAM	NO150163	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी ने 12वीं परीक्षा इंदिरा गांधी उच्च विद्यालय और इंटरमीडिएट प्रमाणपत्र परीक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण की है। विज्ञप्ति की शर्त व भर्ती नियम 1965 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार है— 1. सीनियर सेकेन्डरी अथवा समकक्ष 2. राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से जी.एन.एम. कोर्स उत्तीर्ण अथवा समकक्ष 3. राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत नोट— बिन्दु संख्या 1 के लिये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अनुसार समकक्षता होनी चाहिए। इंदिरा गांधी उच्च विद्यालय और इंटरमीडिएट प्रमाणपत्र परीक्षा बोर्ड को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अनुदेशिका 2020 के अनुसार समकक्षता प्राप्त नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1931	IRFAN ALI	NO103330	अभ्यर्थिया द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन-क्रीमी लेयर में आवेदन किया है एवं 47.65 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि 39.22 प्रतिशत प्राप्तांक अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1932	JAGPAL SINGH	NO163486	अभ्यर्थी द्वारा आर्थिक पिछड़ा वर्ग में आवेदन किया है एवं 66.800 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का चयन होना बताया है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1933	JASA RAM	NO152522	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि 81.430 प्रतिशत प्राप्तांक के पश्चात् भी चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि प्राप्तांक कट ऑफ से ज्यादा है। अतः अभ्यर्थी ने दस्तावेज संलग्न कर अंतरिम	अभ्यर्थी ने 12वीं परीक्षा जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ से उत्तीर्ण की है। विज्ञप्ति की शर्त व भर्ती नियम 1965 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार है— 1. सीनियर सेकेन्डरी अथवा समकक्ष	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।



			वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	2. राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से जी.एन.एम. कोर्स उत्तीर्ण अथवा समकक्ष 3. राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत नोट:- बिन्दु संख्या 1 के लिये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अनुसार समकक्षता होनी चाहिए। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अनुदेशिका 2020 के अनुसार समकक्षता प्राप्त नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
1934	JASHODA KUMARI KATARA	NO130047	अभ्यर्थिया द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि 39.130 प्रतिशत प्राप्तांक के पश्चात् भी चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि 37.17 प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1935	Jaspal kour maan	NO117671	अभ्यर्थिया द्वारा दिव्यांग श्रेणी में आवेदन किया गया है, जिसमें प्रार्थी को 42.08 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त हुए, जोकि कट ऑफ से ज्यादा होना बताया है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1936	JEEJA KUMARI	NO139555	अभ्यर्थिया द्वारा दिव्यांग श्रेणी में 44.250 प्रतिशत प्राप्तांक के पश्चात् भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी (क्रमांक-6434) का 38.452 प्रतिशत पर वरियता सूची में चयन हुआ है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1937	JITENDRA KUMAR	NO204478	अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांग श्रेणी में 44.950 प्रतिशत प्राप्तांक के पश्चात् भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि पीएच कट ऑफ 38.42 प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर 15 बोनस अंक जोड़कर अन्तिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			करने का निवेदन किया है।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
1938	JOGENDER SINGH	NO159256	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में आर्मी हॉस्पिटल में कार्यरत अनुभव प्रमाण पत्र, आर्मी मेडीकल कार्पस सेन्टर एवं कॉलेज, लखनऊ में रजिस्ट्रेशन की प्रति एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी ने ओबीसी एनसीएल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में ऑनलाईन आवेदन किया था परन्तु अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी विज्ञापित नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु निर्धारित योग्यता नहीं रखता है। अतः इस भर्ती में आवेदन हेतु पात्र अभ्यर्थी नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1939	JYOTI KUMARI	NO140336	अभ्यर्थिया ने अनारक्षित महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 51.40 प्रतिशत एवं डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन में सम्मिलित होने से अवगत कराया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञापित में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1940	KAMAL KUMAR	NO170252	अभ्यर्थी ने अनुसूचित जनजाति पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने 261 दिवस का सीएचए पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने 12वीं परीक्षा Board of School & Technical Education C.G. से उत्तीर्ण की है। विज्ञापित की शर्त व भर्ती नियम 1965 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार है— 1. सीनियर सेकेंडरी अथवा समकक्ष 2. राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से जी.एन.एम. कोर्स उत्तीर्ण अथवा समकक्ष 3. राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत नोट:— बिन्दु संख्या 1 के लिये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अनुसार समकक्षता होनी चाहिये। Board of School & Technical Education C.G. को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अनुदेशिका 2020 के अनुसार समकक्षता प्राप्त नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1941	KARAN SINGH	NO122552	अभ्यर्थी ने ओबीसी-एनसीएल पुरुष वर्ग में दिव्यांगजन श्रेणी में आवेदन किया है एवं स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 46.25 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की दिव्यांगजन श्रेणी की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञापित में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
1942	KRISHNA KUMARI	NO167376	अभ्यर्थिया ने एमबीसी-एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 61.860 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 426 दिवस का फिनेल नर्सिंग पद का प्राईवेट संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया का पंजीकरण राजस्थान नर्सिंग कॉसिल नहीं होने के कारण अभ्यर्थिया को विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार अपात्रता की श्रेणी में माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। डी.बी. याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में माननीय न्यायालय ने आवेदन की दिनांक समस्त योग्यता पूर्ण होना आवश्यक माना है। इसी प्रकार एक अन्य डी.बी. रिट याचिका संख्या 349/2020 सुमन जाट बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा इसी आधार पर खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1943	LALIT CHARPOTA	NO125550	अभ्यर्थिया ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में पीएच प्रमाण पत्र भी संलग्न किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1944	LALIT KUMAR	NO165076	अभ्यर्थी ने ईडब्ल्यूएस पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 30 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 74.75 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 4655 दिवस का नर्स ग्रेड-2/जीएनएम पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने 12वीं परीक्षा National Open School, New Delhi से उत्तीर्ण की है। विज्ञप्ति की शर्त व भर्ती नियम 1965 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार है— 1. सीनियर सेकेन्दरी अथवा समकक्ष 2. राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से जी.एन.एम. कोर्स उत्तीर्ण अथवा समकक्ष 3. राजस्थान नर्सिंग कॉसिल में पंजीकृत नोट:- बिन्दु संख्या 1 के लिये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अनुसार समकक्षता होनी चाहिए। National Open School, New Delhi को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अनुदेशिका 2020 के अनुसार समकक्षता प्राप्त नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना गया है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1945	LAXMAN BHAMBU	NO189174	अभ्यर्थी ने दिव्यांग श्रेणी में आवेदन किया है एवं स्वयं के 43 प्रतिशत अंक होत हुए भी दिव्यांग श्रेणी में चयन नहीं होने से अवगत कराया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

1946	LAXMAN GARASIYA	NO161725	अभ्यर्थी ने अनुसूचित जाति दिव्यांग श्रेणी में आवेदन किया है एवं स्वयं के 44.450 प्रतिशत अंक होते हुए भी दिव्यांग श्रेणी में चयन नहीं होने से अवगत कराया है। परिवेदना प्रस्तुत कर प्रोविजनल चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1947	LOKESH KUMAR CHOUDHARY	NO149185	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति वर्ग में कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.75 अंतरिम चयन सूची की कटऑफ प्रतिशत 65.27 से अधिक होने के उपरांत भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है। अतः अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने 12वीं परीक्षा COUNCIL OF HIGHER SECONDARY EDUCATION DELHI से उत्तीर्ण की है। विज्ञप्ति की शर्त व भर्ती नियम 1965 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार है— 1. सीनियर सेकेंडरी अथवा समकक्ष 2. राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से जी.एन.एम. कोर्स उत्तीर्ण अथवा समकक्ष 3. राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत नोट:— बिन्दु संख्या 1 के लिये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अनुसार समकक्षता होनी चाहिए। COUNCIL OF HIGHER SECONDARY EDUCATION DELHI को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अनुदेशिका 2020 के अनुसार समकक्षता प्राप्त नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1948	LOKESH SHARMA	NO165650	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में पीएच प्रमाण पत्र, सीएचए अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य पत्रादि संलग्न कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1949	MAGH SINGH	NO169998	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के दिव्यांग श्रेणी में 47.140 प्रतिशत अंक है जो कि अन्य अभ्यर्थी मोहसिन अली क्रम संख्या 6226 पर अंकित के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 46.083 से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं है जबकि मोहसिन अली का नाम सम्मिलित है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम दिव्यांग श्रेणी की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।



1950	MAHENDRA KUMAR YOGEE	NO114293	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर पीएच प्रमाण पत्र एवं योग्यता के आधार पर ओबीसी एनसीएल दिव्यांग श्रेणी की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1951	MAHENDRA PARWAT	NO151274	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल पीएच प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1952	MAMTA TAILOR	NO150948	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अन्य राज्य मध्य प्रदेश में सीएचओ पद पर कार्यरत होने के अनुभव का लाभ देते हुए अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का अनुभव अन्य राज्य का होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी आवेदन के समय आर.एन.सी. में पंजीकृत नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की जा चुकी है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
1953	MANOJ GUPTA	NO152888	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ दिया जाकर कुल औसत प्राप्तांक 68.80 प्रतिशत के आधार पर ईडब्ल्यूएस दिव्यांग श्रेणी की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1954	MEERA	NO177488	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के औसत प्राप्तांक 55.33 प्रतिशत का उल्लेख करते हुए ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग की दिव्यांग श्रेणी की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।



				सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई थी। अभ्यर्थी की दोनो आँखों में निस्टैग्मस विद मोईक्रोपथेल्मस की शिकायत है एवं विजन 80 प्रतिशत 'लो' है। जिसे बोर्ड द्वारा बिन्दु संख्या 11 में दिव्यांगता की श्रेणी हेतु 'नहीं' लिखकर दर्शाया है।	
1960	NEERAJ SAINI	NO132082	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल दिव्यांग श्रेणी में औसत प्राप्तांक प्रतिशत 47.230 ओबीसी एनसीएल दिव्यांग श्रेणी की अंतरिम चयन सूची की कटऑफ 39.221 से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थी यथा आई0डी0 संख्या NO114056, 152797, 13836, 121593, 138313, 131629, 147113, 110881, 116305, 165842, 128329, 165970, 105752, 121628, 104205, 150010, 116401 वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम ओबीसी एनसीएल दिव्यांग श्रेणी की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1961	NIRMA KUMARI AHEER	NO200250	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल दिव्यांग श्रेणी में कुल औसत प्राप्तांक 46.670 प्रतिशत ओबीसी एनसीएल दिव्यांग श्रेणी की अंतरिम कटऑफ प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंको का लाभ दिया जाकर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1962	NISHANT KUMAR SHARMA	NO207546	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के दिव्यांग श्रेणी में कुल प्राप्तांक 52.493 प्रतिशत होने के उपरांत भी सामान्य दिव्यांग श्रेणी की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थी यथा श्रवण कुमार, रघुनन्दन करवा का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम सामान्य दिव्यांग श्रेणी की	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
1963	OM PRAKASH PRAJAPAT	NO112129	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थिया का पंजीकरण राजस्थान नर्सिंग कॉन्सिल नहीं होने के कारण अभ्यर्थिया को विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार अपात्रता की श्रेणी में माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। डी.बी. याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में माननीय न्यायालय ने आवेदन की दिनांक समस्त योग्यता पूर्ण होना आवश्यक माना है। इसी प्रकार एक अन्य डी.बी. रिट याचिका संख्या 349/2020 सुमन जाट बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा इसी आधार पर खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1964	PAWAN JAIPAL	NO135672	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता (टेट्राप्लेजिया) है। उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अभ्यर्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु पात्र अभ्यर्थी नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1965	PAWAN KUMAR VERMA	NO103067	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि अनुसूचित जाति श्रेणी में कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों का नाम अंकित है। जिसमें न्यूनतम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी के प्राप्तांक 39.76 प्रतिशत है, जबकि अभ्यर्थी के प्राप्तांक 46.94 प्रतिशत से कम है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1966	PINTU VERMA	NO141820	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अनुसूचित जाति पीएच में 60.750 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं, जबकि पीएच कट ऑफ 60.750 प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1967	PRADEEP KUMAR SHARMA	NO105979	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि 40.930 प्रतिशत के बाद भी नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि पीएच श्रेणी में 38.452, 39.221 एवं 40.102 प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।



			वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
1968	PRAKASH BAGRI	NO157989	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि 54.210 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि उससे कम प्रतिशत वाली अभ्यर्थिया राधा किशन (छा.14056) का चयन वर्ग ओबीसी तथा पीएच श्रेणी में हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विसंगति का संशोधन करते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करें।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1969	PRATAP SINGH	NO193846	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि 30 बोनस अंक जोड़कर 79.83 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि सामान्य कट ऑफ लगभग 75 प्रतिशत पर अन्तिम अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद से उत्तीर्ण की है। विज्ञप्ति की शर्त व भर्ती नियम 1965 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार 1. सीनियर सेक्रेण्डरी अथवा समकक्ष 2. राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से जी.एन.एम. कोर्स उत्तीर्ण अथवा समकक्ष 3. राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत नोट:- बिन्दु संख्या 1 के लिये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अनुसार समकक्षता होनी हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अनुदेशिका 2020 के अनुसार समकक्षता प्राप्त नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1970	PRAVENDRA KUMAR	NO103844	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1971	PRAVIN KUMAR MEENA	NO152368	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
1972	PRINCE KUMAR SHARMA	NO170970	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि दस्तावेज सत्यापन अधिकारी द्वारा मौखिक रूप से बताया गया था की आरएनसी रजिस्ट्रेशन के पश्चात् का कार्यानुभव मान्य होगा, इस हिसाब से	अभ्यर्थी ने माननीय न्यायालय में रिट याचिका सं 15856/2023 दायर की जिसमें माननीय न्यायालय के अंतरिम आदेशों के अनुरूप कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			कार्यानुभव कम किया जायेगा। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी ने माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर में रिट पिटीशन संख्या 15856/2023 संलग्न है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.10.2023 में प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत कार्यानुभव प्रमाण-पत्र दिनांक 10.05.2023 के आधार पर प्रार्थी को 03 वर्ष (1338 वर्ष) का बोनस अंक देने से अवगत कराया है। अतः अभ्यर्थी ने अनुभव अंक जोड़कर एवं रिजल्ट होल्ड का कारण बताते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।		
1973	PRIYANSHU JOSHI	NO121206	अभ्यर्थी ने आर्थिक पिछड़ा वर्ग-पीएच श्रेणी में आवेदन किया है और अवगत कराया है कि 62.82 प्रतिशत अंक बोनस जोड़कर प्राप्त होने पर भी प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों :छल06676ए छल01478ए छल37439 - छल06558द का नाम सम्मिलित किया है। अतः अभ्यर्थी ने अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1974	RADHA	NO197623	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1975	Radha Sirvi	NO168660	अभ्यर्थिया ने अवगत कराया है पहले मेडिकल जयपुरिया हॉस्पिटल विकलांग का मेडिकल हुआ था लेकिन न्यू ओदश जारी किया गया था, जिसमें जयपुरिया हॉस्पिटल से एसएमएस हॉस्पिटल रैफर कर दिया गया था। लेकिन दिनांक 29.09.2023 से 30.09.2023 में किसी कारणवश में उपस्थित नहीं हो सकी। अतः अभ्यर्थिया ने जांच करके अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1976	RAEES MOHAMMED	NO110897	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर

				किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	निस्तारित की जाती है।
1977	RAJ KUMAR BUJ	NO202051	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि 41.09 प्रतिशत प्राप्तांक होते हुए भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि अनुसूचित जनजाति पीएच की कट ऑफ 38.45 है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1978	RAJU RAM JAT	NO171196	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि 73.66 प्राप्तांक है एवं ऑन लाईन आवेदन करते समय असम बोर्ड की सीनियर सेकेण्डरी अंकतालिका 2013 की कॉपी अपलोड हो गई जबकि मैं प्रशिक्षण राज. मा. शिक्षा बोर्ड, अजमेर से सीनियर सेकेण्डरी 2004 में की है। अतः मेरी उ. मा. शिक्षा की अंक तालिका राज. बोर्ड 2004 की लगाते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करें।	अभ्यर्थी ने 12वीं परीक्षा AASAM HIGHER SECONDARY EDUCATION से उत्तीर्ण की है। विज्ञप्ति की शर्त व भर्ती नियम 1965 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार है— 1. सीनियर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष 2. राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से जी.एन.एम. कोर्स उत्तीर्ण अथवा समकक्ष 3. राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत नोट:- बिन्दु संख्या 1 के लिये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अनुसार समकक्षता होनी चाहिये। AASAM HIGHER SECONDARY EDUCATION को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अनुदेशिका 2020 के अनुसार समकक्षता प्राप्त नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1979	RAKESH KUMAR BAKOLIYA	NO140111	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि लोकोमोटर श्रेणी (One Arm) को सम्मिलित नहीं किया गया तथा आपको पूर्व में भी इस हेतु अवगत करवा दिया गया था। इससे मैंने व्यथित होकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका दायर की। (याचिका नं. 8082/2023) माननीय न्यायालय ने मुझे दिनांक 25.05.2023 को ऑफलाईन फार्म भरने का आदेश दिया। इस आदेश की पालना करवाने हेतु मैं दिनांक 29.05.2023 को आपके कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ। लेकिन आपने ऑफलाईन फार्म लेने से मना कर दिया। तो मैंने पुनः न्यायालय में अपील की तो उपरोक्त न्यायालय ने दिनांक 01.06.2023 को आदेश पारीत किया तो	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			इसके लेकर पुनः दिनांक 02.06.2023 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आपका कार्यालय में आदेश की पालना करवाने की कृपा करें। तो आपके द्वारा मौखिक कथनानुसार दिशा निर्देश दिया गया कि ऑन लाईन फार्म में विशेष योग्यजन की लोको मोटर श्रेणी M.D. (Multipal Disability) को भरकर उसका प्रिंट आउट निकालकर लोको मोटर M.D. (Multipal Disability) श्रेणी की जगह (संशोधित कर या बदलकर) अपनी विशेष योग्यजन की लोको मोटर श्रेणी O.A. (One Arm) को हाथ से लिखकर हमें ऑफ लाईन दिनांक 05.06.2023 को शीफ में जमा करवा दें। अतः मैं अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।		
1980	rakesh kumar denwal	NO109472	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेडिकल दो बार हुआ है 08.09.2023 को कावटिया हॉस्पिटल जयपुर में हुआ था उस के बाद मुझे रेफर कर दिया जो कि मेरा मेडिकल एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में हुआ दिनांक 30.09.2023 को। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर चयन ना होने का कारण अवगत कराने का निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का-परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांग सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता (हिमोफिलिया एवं मल्टिपल जोइन्ट इफेक्टेड) हेतु नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1981	RAKESH KUMAR YADAV	NO208917	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी का पंजीकरण राजस्थान नर्सिंग कौंसिल नहीं होने के कारण अभ्यर्थी को विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार अपात्रता की श्रेणी में माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। डी.बी. याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में माननीय न्यायालय ने आवेदन की दिनांक समस्त योग्यता पूर्ण होना आवश्यक माना है। इसी प्रकार एक अन्य डी.बी. रिट याचिका संख्या 349/2020 सुमन जाट बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा इसी आधार पर खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1982	RAKESH PAL MEENA	NO200779	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि उसका मेडिकल कॉवटिया अस्पताल में हुआ और 42.120 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त है, जबकि विकलांगता प्रतिशत 60 है। अभ्यर्थी से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का प्रोविजनल सूची में नाम है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1983	RAM BILAS BARAGI	NO203914	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 54.790 होने के उपरान्त चयन नहीं होने एवं स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।




			चयन होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
1984	RAM DAYAL SARAN	NO175950	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल विशेष योग्यजन संबंधी प्रमाण पत्र दस्तावेज संलग्न किये हैं।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1985	RAM GOPAL DHAKA	NO118538	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को भूतपूर्व सैनिक कोटे का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम शामिल किये जाने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का पंजीकरण राजस्थान नर्सिंग कौंसिल नहीं होने के कारण अभ्यर्थिया को विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार अपात्रता की श्रेणी में माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। डी.बी. याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में माननीय न्यायालय ने आवेदन की दिनांक समस्त योग्यता पूर्ण होना आवश्यक माना है। इसी प्रकार एक अन्य डी.बी. रिट याचिका संख्या 349/2020 सुमन जाट बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा इसी आधार पर खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1986	ram prakash bhadu	NO193809	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदन कर अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंकों को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 56.24 होने के बावजूद चयन नहीं होने एवं दिव्यांग श्रेणी की लगभग 38 प्रतिशत पर अन्तिम अभ्यर्थी का चयन होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1987	RAMESHWAR PATIDAR	NO164525	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 75.280 जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग की कट ऑफ लगभग 70 प्रतिशत से अधिक होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने 12वीं परीक्षा BOARD OF SECONDARY EDUCATION DELHI से उत्तीर्ण की है। विज्ञप्ति की शर्त व भर्ती नियम 1965 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार है— 1. सीनियर सेकेन्डरी अथवा समकक्ष 2. राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से जी.एन.एम. कोर्स उत्तीर्ण अथवा समकक्ष 3. राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत नोट:- बिन्दु संख्या 1 के लिये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अनुसार समकक्षता होनी चाहिये। BOARD OF SECONDARY EDUCATION DELHI को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अनुदेशिका 2020 के अनुसार समकक्षता प्राप्त नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।



			होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है जबकि इस जाति में एक अन्य अभ्यर्थी नेमी चन्द आईडी संख्या 128511 के औसत प्राप्तांक 39.760 प्रतिशत होत हुए भी अंतरित चयन सूची में सम्मिलित होने से अवगत कराया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
1993	SAID AHMED	NO134822	अभ्यर्थी ने ईडब्ल्यूएस पुरुष वर्ग में दिव्यांगजन श्रेणी में आवेदन किया है एवं स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 48.020 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की दिव्यांगजन श्रेणी की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है जबकि इस जाति में इसी श्रेणी में 02 अन्य अभ्यर्थी मोहसीन अली आईडी संख्या 137439 के औसत प्राप्तांक 46.083 प्रतिशत एवं अक्षय कुमार शर्मा आईडी संख्या 101989 के औसत प्राप्तांक 47.08 प्रतिशत स्वयं से कम होते हुए भी अंतरित चयन सूची में सम्मिलित होने से अवगत कराया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1994	SANDEEP KHATKAR	NO149169	अभ्यर्थी ने ओवीसी-एनसीएल पुरुष वर्ग में दिव्यांगजन श्रेणी में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 वोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 62.688 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की दिव्यांगजन श्रेणी की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने 295 दिवस का सीएचए पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1995	Sanjay Kumar Meena	NO196053	अभ्यर्थी ने अनुसूचित जनजाति पुरुष वर्ग में दिव्यांगजन श्रेणी में आवेदन किया है एवं स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 44.07 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की दिव्यांगजन श्रेणी की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1996	sanjay sikarwar	NO169113	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि दिनांक 19.09.	अभ्यर्थी ने 12वीं परीक्षा BOARD OF HIGHER SECONDARY EDUCATION	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं

			2023 का परिवेदना प्रस्तुत कर अपनी जाति अनारक्षित से ईडब्ल्यूएस करवायी गयी थी। दस्तावेज सत्यापन के दौरान के अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जमा कराने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 63.11 प्रतिशत बताते हुए ईडब्ल्यूएस वर्ग की अंतिम कटऑफ 55.84 प्रतिशत से अधिक होना बताया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को ईडब्ल्यूएस वर्ग का लाभ देकर प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	DELHI से उत्तीर्ण की है। विज्ञप्ति की शर्त व भर्ती नियम 1965 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार है— 1. सीनियर सेकेन्डरी अथवा समकक्ष 2. राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से जी.एन.एम. कोर्स उत्तीर्ण अथवा समकक्ष 3. राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत नोट:— बिन्दु संख्या 1 के लिये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अनुसार समकक्षता होनी चाहिए। BOARD OF HIGHER SECONDARY EDUCATION DELHI को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अनुदेशिका 2020 के अनुसार समकक्षता प्राप्त नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1997	SANTOSH KUMAR SHARMA	NO145146	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 37.910 होने के उपरान्त भी चयन नहीं होने एवं स्वयं से कम 37.790 प्रतिशत वाले अभ्यर्थी जिसकी आईडी NO149108 का चयन होने का उल्लेख कर स्वयं की दिव्यांगता की पुनः जांच कर दिव्यांग कोटे का लाभ देकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1998	SAPNA KUMARI DHAKER	NO137311	अभ्यर्थिया ने ओबीसी एनसीएल परित्यक्ता वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 44.20 प्रतिशत बताते हुए परित्यक्ता वर्ग की अंतिम कटऑफ प्रतिशत 43.69 से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया का पंजीकरण राजस्थान नर्सिंग कौंसिल नहीं होने के कारण अभ्यर्थिया को विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार अपात्रता की श्रेणी में माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। डी.बी. याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में माननीय न्यायालय ने आवेदन की दिनांक समस्त योग्यता पूर्ण होना आवश्यक माना है। इसी प्रकार एक अन्य डी.बी. रिट याचिका संख्या 349/2020 सुमन जाट बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा इसी आधार पर खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
1999	SARITA PARMAR	NO199641	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 64.730 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किये हैं केवल डीवी लिस्ट संलग्न की है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने 12वीं परीक्षा Jamia Urdu Aligarh से उत्तीर्ण की है। विज्ञप्ति की शर्त व भर्ती नियम 1965 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार 1. सीनियर सेकेन्डरी अथवा समकक्ष 2. राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से जी.एन.एम. कोर्स उत्तीर्ण अथवा समकक्ष 3. राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत नोट:— बिन्दु संख्या 1 के लिये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अनुसार समकक्षता होनी चाहिए। Jamia Urdu Aligarh को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अनुदेशिका 2020 के अनुसार समकक्षता प्राप्त नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2000	SARJEET SINGH	NO180576	अभ्यर्थिया ने ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं






	YADAV		आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 74.100 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने 128 दिवस का सीएचओ पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2001	SATYENDRA PAL SINGH	NO138216	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज जीएनएम की अंकतालिका संलग्न की है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2002	SHANKER LAL SUTHAR	NO150988	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 70.300 अंतरिम कटऑफ 70 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी की पात्रता विज्ञप्ति की शर्त एवं नियमानुसार 2 से अधिक संतान होने के कारण निरस्त की गई है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
2003	SHARDA	NO180780	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है जबकि अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2004	SHARWAN KUMAR KARWASRA	NO186455	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर परिणाम शेक जाने का उल्लेख किया गया है। अभ्यर्थी ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से (10+2)/इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है जिसको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा सम्बद्धता/मान्यता प्रदान की गई है, जिसकी प्रति संलग्न की गई है।	अभ्यर्थी ने 12वीं परीक्षा BIHAR INTERMEDIATE EDUCATION COUNCIL PATNA से उत्तीर्ण की है। विज्ञप्ति की शर्त व भर्ती नियम 1965 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार है— 1. सीनियर सेकेंडरी अथवा समकक्ष 2. राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से जी.एन.एम. कोर्स उत्तीर्ण अथवा समकक्ष 3. राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

				<p>नोट:- बिन्दु संख्या 1 के लिये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अनुसार समकक्षता हानी</p> <p>BIHAR INTERMEDIATE EDUCATION COUNCIL PATNA को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अनुदेशिका 2020 के अनुसार समकक्षता प्राप्त नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी को इस भर्ती हेतु अपात्र माना जाना प्रस्तावित है।</p>	
2005	SHIV RAM RANWA	NO166675	<p>अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल दिव्यांग श्रेणी में बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 58.140 अंतरिम कटऑफ 38.00 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम ओबीसी एनसीएल दिव्यांग श्रेणी की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।</p>	<p>नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।</p>	<p>परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।</p>
2006	Shivpankaj Vaishnav	NO115880	<p>अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में अदीब-ई-माहिर वर्ष 2009 अंकतालिका एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी-एनसीएल जाति वर्ग में 30 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 76.030 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।</p>	<p>अभ्यर्थी ने जामिया उर्दू अलीगढ़ की अदीब ए माहिर की अंकतालिका प्रस्तुत की है जो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं होने के कारण इस भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थी नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।</p>	<p>परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।</p>
2007	SHYAM BIHARI	NO133267	<p>अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल दिव्यांग श्रेणी में कुल औसत प्राप्तांक 64.520 प्रतिशत होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थी यथा क्रम संख्या 6386 पर अंकित अजय (131629), 6392 पर अंकित वाजिद खान (138313), 6398 पर अंकित घनश्याम सैनी (121593), 6416 पर अंकित अनूप कुमार (138036), 6426 पर अंकित मोती लाल (152797) एवं 6432 पर अंकित राधा किशन (114056) का चयन अंतरिम वरियता सूची में किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का चयन ओबीसी एनसीएल दिव्यांग श्रेणी की अंतरिम वरियता सूची में किये जाने हेतु निवेदन किया है।</p>	<p>नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।</p>	<p>परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।</p>
2008	SIMARJEET KAUR	NO170117	<p>अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है जो निम्न प्रकार है:-</p>	<p>अभ्यर्थी की पात्रता आर.एन.सी. से प्राप्त सूचना के आधार पर पंजीयन नहीं होने के कारण निरस्त की गई।</p>	<p>परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर</p>

			<p>1. अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 71.140 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित किया गया है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय सहवन से जाति वर्ग में ओबीसी नॉन-क्रीमिलेयर के स्थान पर ओबीसी क्रीमिलेयर अंकित हो गया था। अभ्यर्थी ओबीसी नॉन-क्रीमिलेयर श्रेणी में जिसका शपथ पत्र अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया था।</p> <p>3. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय नर्सिंग रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जिसका क्रमांक 131740 दिनांक 10.08.2022 को एसएस नगर मोहाली से जारी, जो कि इंस्टीट्यूट वीपीओ तूतावाली अबोहर पंजाब से है, के संबंध में दस्तावेज सत्यापन के समय शपथ पत्र दिया गया था। अभ्यर्थी द्वारा उक्त जारी प्रमाण पत्र को राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत करवा लिया है जिसकी आवेदन संख्या 7171 दिनांक 25.09.2023 है, तथा डिस्पेच संख्या 11510 दिनांक 04.10.2023 है।</p>		निस्तारित की जाती है।
2009	SOHAN LAL	NO187348	<p>अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति दिव्यांग श्रेणी में कुल औसत प्राप्तांक 59.110 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम वरियता सूची में किया गया है। अतः अभ्यर्थी से स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।</p>	<p>नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।</p>	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2010	SONU KUMAR MAHAWAR	NO111359	<p>अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है।</p>	<p>नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।</p>	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2011	SUNITA JATAV	NO154964	<p>अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में दिव्यांगजन श्रेणी में आवेदन किया है एवं स्वयं के</p>	<p>नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा</p>	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर



			कुल औसत प्राप्तांक 61.200 प्रतिशत 15 बोनस अंक मिलाकर बताते हुए स्वयं की दिव्यांगजन श्रेणी की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं जिनमें 238 दिवस का सीएचए पद का अनुभव प्रमाण पत्र एवं निशक्तजन प्रमाण पत्र भी संलग्न किये हैं। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	निस्तारित की जाती है।
2012	SURENDAR KUMAR	NO201199	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के एमबीबीएस एनसीएल जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 65.31 होने के उपरांत भी अभ्यर्थी को अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी की पात्रता आर.एन.सी. से प्राप्त सूचना के आधार पर पंजीयन नहीं होने के कारण निरस्त की गई। इस सम्बन्ध में आर.एन.सी. से पुनः सूचना चाही गई है। प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
2013	SURENDRA KUMAR MEENA	NO154984	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के विशेष योग्यजन श्रेणी में बोनस अंको का लाभ दिया जाकर कुल प्राप्तांक 75.860 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने बोनस अंको का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
2014	SURENDRA SUMAN	NO188382	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल विशेष योग्यजन श्रेणी में कुल औसत प्राप्तांक 61.910 प्रतिशत होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थी यथा क्रम संख्या 6426 पर अंकित 40.102 प्रतिशत, 6432 पर 49.21 प्रतिशत, 6416 पर 40.933 प्रतिशत, 6398 पर 42.273 प्रतिशत, 6386 पर 42.618 प्रतिशत का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
2015	SURESH	NO209202	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर

17


38

			संलग्न किये गये हैं।	किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	खारिज की जाती है।
2016	SURESH CHANDRA KHANT	NO144658	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के औसत प्राप्तांक 38.120 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ से अधिक होने के कारण अनुसूचित जनजाति श्रेणी में दिव्यांग विच्छिन्न विवाह श्रेणी की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
2017	TARA CHAND BHOI	NO207403	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर व्यावसायिक योग्यता के अंको की सही गणना करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने 12वीं परीक्षा BOARD OF HIGHER SECONDARY EDUCATION DELHI से उत्तीर्ण की है। विज्ञप्ति की शर्त व भर्ती नियम 1965 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार है— 1. सीनियर सेकेंडरी अथवा समकक्ष 2. राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से जी.एन.एम. कोर्स उत्तीर्ण अथवा समकक्ष 3. राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत नोट:— बिन्दु संख्या 1 के लिये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अनुसार समकक्षता होनी चाहिये। BOARD OF HIGHER SECONDARY EDUCATION DELHI को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अनुदेशिका 2020 के अनुसार समकक्षता प्राप्त नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2018	VED PAL	NO184624	अभ्यर्थी ने अनुसूचित जनजाति पुरुष वर्ग में दिव्यांगजन श्रेणी में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक मिलाकर कुल औसत प्राप्तांक 54.39 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की दिव्यांगजन श्रेणी की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2019	VIBHA BHAGORA	NO117832	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 43.4 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।		
2020	VIKAS KUMAR SHARMA	NO157380	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को विशेष योग्यजन श्रेणी में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांग सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2021	VIMLA CHOUDHARY	NO164245	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज 10वीं 12वीं की अंकतालिका, जीएनएम की अंकतालिका, अनुभव प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं दिनांक 04.07.2023 को जारी अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांग सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2022	VINOD KUMAR	NO142859	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज 12वीं की अंकतालिका, जीएनएम की अंकतालिका, आरएनसी रजिस्ट्रेशन, दिनांक 02.01.2023 को जारी अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांग सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2023	VINOD KUMAR MEENA	NO108465	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 42.250 जो की अनुसूचित जनजाति पीएच श्रेणी की कट ऑफ 38 प्रतिशत से अधिक होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांग सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2024	VINOD SINGH	NO162070	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी PH श्रेणी में है, तथा कुल 39.622 प्राप्तांक है। किन्तु दिव्यांगजन श्रेणी में कम संख्या 6432 पर अंकित अभ्यर्थी की प्राप्तांक 39.22 होने के बावजूद प्रोविजनल सूची में नाम है। संलग्न: अंकतालिका	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांग सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

2025	VIRENDRA SUMAN	NO196763	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभ्यर्थी PH कैटेगरी में प्राप्तांक 62.285 होने के बावजूद प्रोविजनल सूची में नाम नहीं है। प्राविजनल सूची में नाम नहीं आने का कारण स्पष्ट करें। संलग्न रिट संख्या 9621/2023 की प्रति एवं PH कैटेगरी	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञापित में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांग सम्बन्धी कोई पमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2026	vishvendra singh tanwar	NO113127	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी एससी जातिवर्ग एवं PH कैटेगरी में प्राप्तांक 42.860 होने एवं कटऑफ से ज्यादा होने के उपरान्त भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं आया। संलग्न अंकतालिकाएं, PH सर्टिफिकेट, आरएनसी सर्टिफिकेट दिनांक 28.07.2023 का।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञापित में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांग सम्बन्धी कोई पमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2027	VIVEKA NAND TIWARI	NO186427	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी PH श्रेणी में है, तथा वोनस के 30 प्रतिशत अंक जोड़कर 71.49 प्राप्तांक है। जबकि PH श्रेणी की कटऑफ लगभग 57 प्रतिशत होने के उपरान्त भी अभ्यर्थी का नाम प्राविजनल सूची में नहीं है। संलग्न दस्तावेज यथा अंकतालिकाएं, अनुभव प्रमाण पत्र, PH सर्टिफिकेट।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञापित में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2028	AAMIR NAQVI	NO134393	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के संलग्नक में टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर स्पोर्ट्स कैटेगरी की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2029	AASHISH PAREEK	NO154852	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के 15 प्रतिशत वोनस अंक सहित खेल श्रेणी में कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 55.800 है जिसके उपरान्त भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी के समान खेल प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थी का ओबीसी वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 40.640 प्रतिशत पर चयन किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं को अनुभव का लाभ दिया जाकर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने चतुर्थ भगवान महावीर क्यूरिंगी पूमसे ताइक्वांदो प्रतियोगिता में भाग लेने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध फेडरेशन का नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2030	ABDUL QUADIR	NO163696	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ बॉल बैडमिन्टन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं


			है। केवल बॉल बैडमिन्टन फ़ैडरेशन ऑफ इण्डिया का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2031	ABHISHEK GURJAR	NO112114	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में औसत प्राप्तांक 45.820 प्रतिशत है जिससे कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है जबकि अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का चयन अंतरिम चयन सूची में किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार मान्य नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2032	AJAY SINGH RANAWAT	NO128366	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में हैण्डबॉल फ़ैडरेशन ऑफ इण्डिया एवं ऑल इण्डिया इन्टर युनिवर्सिटी सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक 52.850 प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले 10 अभ्यर्थियों का नाम होल्ड सूची में रखे गये है जबकि अभ्यर्थी का नाम होल्ड सूची में नहीं है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ हैण्डबॉल फ़ैडरेशन ऑफ इंडिया एवं भूपाल नोबल्स यूनिवर्सिटी उदयपुर द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था/एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज द्वारा जारी नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2033	AJAYPAL SINGH RAJAWAT	NO181729	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में स्कूल गेम्स फ़ैडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं अन्य खेल प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर स्वयं का नाम स्पोर्ट्स कैटेगरी की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न किये गये खेल प्रमाण पत्र एसजीएफआई द्वारा जारी किये गये हैं जिनमें अभ्यर्थी विजेता भी दर्शाया गया है। अतः प्रथम दृष्टया अभ्यर्थी की परिवेदना उचित प्रतीत होती है। अतः अभ्यर्थी के प्रमाणपत्रों की एसजीएफआई से जाँच के अध्याधीन परिणाम रोकते हुए आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
2034	AJEET SINGH	NO182938	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में ऐथलेटिक फ़ैडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर स्वयं का नाम स्पोर्ट्स कैटेगरी की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ ऐथलेटिक्स फ़ैडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2035	ALMAN AKHTAR	NO176775	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल जूनियर नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैम्पियनशिप प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ टेनिस बाल क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2036	AMRAT SINGH	NO174246	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में थ्रो बॉल	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ थ्रो बॉल फ़ैडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा जारी	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं






			फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र, ओवीसी प्रमाण पत्र दिनांक 29.08.2023 एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओवीसी एनसीएल स्पोर्ट्स कैटेगरी में कुल औसत प्राप्तांक 62.830 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 50.270 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था द्वारा जारी नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2037	ANACH Kaur	NO207985	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज यथा ताइक्वान्डो फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ ताइक्वांडो फेडरेशन द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2038	ANIS RAJA TANWAR	NO144934	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल अंकतालिकाएं, 8वीं जूनियर एवं सीनियर नेशनल स्पीडबॉल चैम्पियनशिप 2016 की प्रति एवं अन्य दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा स्पीडबॉल फेडरेशन द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार एवं इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्थान नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2039	ANITA KUMARI	NO210427	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में स्की एवं स्नोबोर्ड ऑफ इण्डिया द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र, अंकतालिकाएं एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर स्वयं का नाम ओवीसी एनसीएल वर्ग स्पोर्ट्स कैटेगरी की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा स्की एंड स्नोबोर्ड फेडरेशन द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं होने के कारण कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.11.2019 के अनुसार मान्य नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2040	ANJU KUMARI	NO184270	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थियां ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2041	ANNU BAI	NO191485	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर उत्कृष्ट खिलाड़ी का लाभ देकर अंतरिम सूची में नाम शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थियां के कुल प्राप्तांक 62.856 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग (अनुसूचित जाति) में चयनित अंतिम अभ्यर्थियां के प्राप्तांक प्रतिशत 63.612 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। अभ्यर्थियां द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आवेदन नहीं किया गया। अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना के साथ प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2042	ARABAZ KHAN	NO191823	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं किया है	अभ्यर्थी ने टेनिस बॉल क्रिकेट चैम्पियनशिप 2021 का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं

			केवल खेल प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की है।	इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2043	ARIF KHAN	NO143546	अभ्यर्थी द्वारा ओबीसी एनसीएल वर्ग में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में स्वयं के कुल प्राप्तांक 60 प्रतिशत होने का उल्लेख कर परिणाम पर पुनः विचार करते हुये प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने इण्डो नैपाल इन्टरनेशनल चैम्पियनशिप 2021 का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है एवं 8वीं नेशनल गैम्स पंचायती युवा क्रिडा खेल अभियान का खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2044	ARSHAD KHAN	NO119484	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी ने राजस्थान शूटिंग बॉल चैम्पियनशिप 2022-23 का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2045	ARUNA	NO122609	अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया है:- 1. तकनीकी शिक्षा के अंकों का प्रतिशत 46.450 व प्रार्थीया ओबीसी जाति वर्ग से हैं जबकि ओबीसी जाति वर्ग की ही एक अभ्यर्थी अल्का चौधरी जिसका नाम अंतिम होल्ड सूची में कम संख्या 1022 पर दर्ज है जिसके तकनीकी शिक्षा में 46.410 प्रतिशत है उसका अंतिम होल्ड सूची में नाम है साथ ही अंतिम होल्ड सूची के कम संख्या 105 अमन योगी जो ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी है जिसके तकनीकी शिक्षा में 44.940 अंक है इनका भी अंतिम रूप से सलेक्शन हो गया है जबकि मैं प्रार्थीया ओबीसी जाति वर्ग की हूँ एवं मेरे तकनीकी शिक्षा में अंक भी उपरोक्त अंतिम अभ्यर्थियों से अधिक है इसके उपरान्त भी अंतिम होल्ड सूची में मेरा नाम नहीं आया है। 2. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इंडिया या इससे सम्बद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैम्पियनशिप/पैरा नेशनल चैम्पियनशिप या नेशनल गैम्स/नेशनल पैरा गैम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो। इस गाइडलाइन के अकोर्डिंग मेरा सर्टिफिकेट वैलिड है।	अभ्यर्थी ने इण्डियन रग्बी फुटबाल यूनियन का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।



			में इंडियन रग्बी फुटबॉल युनियन, इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए), एशिया रग्बी एण्ड वर्ल्ड रग्बी, रिकोगनाईज बाई मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफयर्स एण्ड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नेशनल पार्टिसिपेट हूँ। अतः अंतिम होल्ड सूची दिनांक 07.10.2023 को परिशोधित कर न्यायहित में प्रार्थियों का नाम सम्मिलित कर प्रोविजनल सूची जारी करने हेतु निवेदन किया है।		
2046	ASHA KATIRIYA	NO101931	अभ्यर्थियों द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थियों ने इण्डियन रोलर बास्केटबॉल फेडरेशन द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2047	AZAD KUMAR VYAS	NO163360	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर इंडियन एस श्रेणी में आवेदन कर उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में अनुभव के 30 बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 71.460 होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर प्रार्थी को राष्ट्रीय स्तरीय/राज्य/जिला स्तरीय उत्कृष्ट खिलाड़ी के प्रमाण पत्र के आधार पर खेल कोटे का लाभ देकर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2048	AZAJ MOHAMMED	NO105748	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 42.370 से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर खेल कोटे का लाभ देकर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
2049	AZMAL HUSSAIN KOHRI	NO176409	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.830 होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2050	BANSI LAL	NO163403	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में आवेदन कर अनुसूचित जाति वर्ग में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 56.820 होने के बावजूद चयन नहीं होने का उल्लेख कर स्वयं के दस्तावेजों को पुनः जांच कर उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे का लाभ देकर अंतरिम सूची में नाम शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने यूथ स्पोर्ट्स एवं फिजिकल फिटनेस फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2051	BRIJMOHAN	NO156197	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल	अभ्यर्थी द्वारा रे एंड के ताइक्वांदो फेडरेशन द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं




	SEN		प्राप्तांक प्रतिशत 41.37 होने के बाद भी चयन नहीं होने एवं स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होल्ड रिजल्ट में किया गया है जिनकी आईडी निम्नानुसार है:- NO163732, NO115978, NO106309, NO165333, NO160724 जबकि प्रार्थी के प्राप्तांक प्रतिशत इन सभी चयनित अभ्यर्थियों से अधिक है। अतः प्रार्थी का नाम प्रोजिवनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2052	CHANDRA BHAN JAT	NO191813	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थिया द्वारा जोन स्तरीय खेल प्रतियोगिता का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 40.851 प्रतिशत बनते हैं जो कि ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 66.419 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2053	CHHINDER PAL KOUR	NO121528	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर विभाग द्वारा खेल कोटे में ओलंपिक स्तर व स्कूल फेडरेशन स्तर पर खेल प्रमाण पत्र अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को ही आधार मानकर मेरिट जारी कर दी गई है जबकि अभ्यर्थी के पास खेल प्रमाण पत्र कॉलेज स्तर पर नेशनल पार्टिसिपेट का है जिसको नहीं माना गया है जब राज्य सरकार द्वारा अन्य भर्तियों में खेल प्रमाण पत्र की गणना की जाती है तो इस भर्ती में क्यों नहीं की गई है के संबंध में उल्लेख कर स्वयं के खेल प्रमाण पत्र को मान्य कर वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2054	DAYANAND	NO185691	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी ने नेशनल जापाग गोज रयू कराटे डो चैम्पियनशिप 2018 द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2055	DINESH KUMAR	NO188607	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति वर्ग में स्वयं के कुल प्राप्तांक 48.610 प्रतिशत बताते हुये स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के 2 राष्ट्रीय स्तरीय प्रमाण पत्र होने का उल्लेख कर चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2056	DURGA SHANKAR	NO116639	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर राष्ट्रीय सेवा योजना 2 स्तर का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रोजिवनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

	SHARMA			परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
2057	GAJANAND KUMAWAT	NO132653	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर उत्कृष्ट खिलाड़ी का लाभ देकर दस्तावेज सत्यापन सूची में नाम शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने इण्डियन गैम्स एवं फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2058	GAJEE SINGH	NO178264	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ स्की एंड रनोबोर्ड फेडरेशन द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2059	GOPAL MENARIA	NO107684	अभ्यर्थी द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी का लाभ देकर दस्तावेज सत्यापन सूची में नाम शामिल करने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की है।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2060	GOPI LAL	NO146413	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 46.49 प्रतिशत होने के बावजूद भी स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2061	HARISH JAJRA	NO140478	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अभ्यर्थी ने ओबीसी जाति वर्ग में स्पोर्ट्स श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन किया था परन्तु अभ्यर्थी का नाम होल्ड सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों यथा क्रम संख्या 105 पर अंकित अमन योगी, 2164 पर अंकित कृष्ण कान्त कापुरिया का नाम होल्ड सूची में रखा गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम ओबीसी जाति वर्ग की स्पोर्ट्स श्रेणी के होल्ड सूची में रखे जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने इण्डियन रग्बी फुटबॉल यूनियन द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2062	HIMANSHU JADOLIYA	NO134997	अभ्यर्थी द्वारा खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि वह प्रमाण पत्र वैध है एवं साथ ही प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ सेपकटेकरा फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के प्राप्तांको के औसत 48.541 प्रतिशत बनते हैं, जो इनकी श्रेणी (अनारक्षित वर्ग) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी चयन से वंचित रहे हैं। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2063	HUKMA RAM	NO151891	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ उपखण्ड अधिकारी सिणधरी बाड़मेर द्वारा दिनांक 27.01.2023 को जारी अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमिलेयर) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके आधार पर अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का प्रमाण पत्र	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पर उन्हें नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थी के प्राप्तांको के औसत 60.029 अनारक्षित पुरुष वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक 75.517 से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
2064	HUMAYU NAQVI	NO133910	अभ्यर्थी द्वारा खेल प्रमाण पत्र 23तक थकमतंजपवद बन्ध ज्मददपे ठंसस ब्पबामज बैचपवदौपच 2015 राजस्थान टीम में उतक च्पेजपवद आने क पश्चात् चयन नहीं हुआ जबकि अन्य अभ्यर्थी ने ज्मददपे ठंस ब्पबामज थकमतंजपवद व प्दकपं खेल प्रमाण लगाया का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने खेल प्रमाण पत्र संलग्न कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ 23 फेडरेशन कप क्रिकेट बॉल चैम्पियनशीप 2015 का डिस्ट्रीक्ट टेनेस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन सहारानपुर द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के प्राप्तांको के औसत 49.146 प्रतिशत बनते हैं, जो इनकी श्रेणी (अनारक्षित वर्ग) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी चयन से वंचित रहे हैं। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2065	IMRAN ALI	NO113278	अभ्यर्थी द्वारा आर्थिक पिछड़ा वर्ग से मैं उत्कृष्ट खिलाड़ी से आवेदन किया है एवं अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने दावत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ बॉल बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के प्राप्तांको के औसत 46.240 प्रतिशत बनते हैं, जो इनकी श्रेणी (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी चयन से वंचित रहे हैं। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2066	JAVED ALI	NO100802	अभ्यर्थी द्वारा कार्मिक विभाग के परिपत्र 21/11/2019 के नियम अन्तर्राष्ट्रीय सारणी कॉलम संख्या 06 एशियन चैम्पियनशिप प्रतियोगिता का खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जोकि ऑलम्पिक कॉन्सिल ऑफ एशिया से मान्यता प्राप्त है और खेल फेडरेशन ऑलम्पिक कॉन्सिल ऑफ एशिया अन्तर्राष्ट्रीय ऑलम्पिक समिति से मान्यता प्राप्त है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
2067	JAY RAM	NO212391	अभ्यर्थी द्वारा खेल श्रेणी में आवेदन किया गया है एवं 15 बोनस अंक जोड़कर 60.960 प्रतिशत प्राप्तांक होने के पश्चात् भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि खेल श्रेणी में कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का चयन होना बताया है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थी के प्राप्तांको के औसत 60.958 प्रतिशत बनते हैं, जो इनकी श्रेणी (अन्य पिछड़ा वर्ग) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2068	JITENDRA KUMAR	NO168588	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.11.2019 के	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है अतः खारिज की जाकर

			प्रस्तुत कर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	निस्तारित की जाती है
2069	JITENDRA KUMAR VARMA	NO147108	अभ्यर्थी ने खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आवेदन के समय नेशनल प्रमाण पत्र के स्थान पर प्री नेशनल प्रमाण पत्र लगा दिया गया था। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर पुनः खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ नेशनल राईफल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थी के प्राप्तांक के औसत 43.174 प्रतिशत बनते हैं, जो इनकी श्रेणी (अनुसूचित जाति पुरुष वर्ग) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2070	KAILASH CHOUHAN	NO178073	अभ्यर्थी ने अनुसूचित जाति पुरुष वर्ग में उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग से आवेदन किया है एवं स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 61.460 प्रतिशत बताते हुए स्वयं के उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने 888 दिवस का जीएनएम यूटीवी पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र एवं खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने आपन नेशनल टाईक्वान्डो चैम्पियनशिप 2009 का जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2071	KAMLA PRAJAPAT	NO189023	अभ्यर्थी ने ओबीसी-एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। कोई अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन ओबीसी एनसीएल उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में किया गया है। अभ्यर्थी ने शोबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन/पैरालिम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना 21.11.2019 के अनुसार प्रस्तुत किया गया खेल प्रमाणपत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण हेतु मान्य नहीं है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2072	KAMLESH	NO120484	अभ्यर्थी ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। प्राईवेट संस्थान के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2073	KAVITA KHATIK	NO187774	अभ्यर्थी ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग (उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग) में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 58.38 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने 172 दिवस का सीएचए पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र एवं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एण्ड	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			स्पोर्ट्स द्वारा जारी हॉकी खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।		
2074	KOMAL BAWARIYA	NO113009	अभ्यर्थियों ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2075	LALIT KUMAR CARPENTER	NO133600	अभ्यर्थी ने राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के खेल प्रमाण पत्र के आधार पर स्वयं का डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन कराने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग से नहीं किया गया है। विभाग द्वारा दो बार त्रुटि सुधार का अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा अवसर का लाभ नहीं उठाया गया। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ क्रिकेट 19 वर्ष छात्र प्रतियोगिता में भाग लेने का प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसका कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2076	LALITA KUMARI	NO164113	अभ्यर्थिया ने ओबीसी-एनसीएल महिला वर्ग में उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं को उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्की एण्ड स्नोबोर्ड ऑफ इंडिया का खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ स्की एंड स्नो बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2077	LEKH CHAND BHIL	NO166105	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन के समय स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट संलग्न नहीं किया गया था से अवगत कराया है जिसके बाद दिनांक 08.10.2023 से 17.10.2023 के मध्य स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट संलग्न किया गया। अभ्यर्थी ने साईकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग से नहीं किया गया था। अभ्यर्थी को विभाग द्वारा त्रुटि सुधार का अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आवेदन नहीं किया गया है अब अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ साईकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कि इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 62.788 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग अनुसूचित जनजाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.061 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2078	LICHMA INNANIYAN	NO218027	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल 12वीं की अंकतालिका संलग्न की है।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2079	LOKESH SHARMA	NO131292	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में खेल प्रमाण पत्र संलग्न कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ सीनियर नेशनल फेडरेशन कप शूटिंगबाल प्रतियोगिता का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।





				में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
2080	Madhu Sudan Nagar	NO102339	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर खेल प्रमाण पत्र के आधार पर खेल कोटे का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ ऑल इंडिया फुटबाल फेडरेशन द्वारा जारी यू-21 नेशनल फुटबाल चैम्पियनशिप में भाग लेने का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
2081	MAHIPAL BADIYASAR	NO184034	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा डिस्ट्रिक्ट अट्या पट्या फेडरेशन द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2082	MANJU	NO134949	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन के साथ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कि इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग के आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है अतः, अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
2083	MANJU JAT	NO202797	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल सीकर जिला कबड्डी एसोसिएसन द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ जिला स्तरीय खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
2084	Maya kumari rajput	NO135865	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय इन्टर्नशिप के अंक जुडवाये जाकर कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 74 है। अभ्यर्थी एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है तथा अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत कट ऑफ से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं है। अतः अभ्यर्थी ने योग्यता एवं खेल प्रमाण पत्र के आधार पर स्वयं का नाम स्पोर्ट्स कैटेगरी की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत खेल प्रमाणपत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2085	MEENA KUMARI	NO159093	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर स्वयं का नाम स्पोर्ट्स कैटेगरी की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में नहीं किया। परिवेदना के साथ क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता का प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।





			द्वारा जारी स्पोर्ट्स प्रमाण पत्र को मान्य मानते हुए स्पोर्ट्स कैटेगरी की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया जावे तथा जितने भी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है, के प्रतिशत अंक दर्शाये जावे।	से संबद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	निस्तारित की जाती है।
2101	MOHD SHAHABAN	NO200519	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की गई है।	अभ्यर्थी द्वारा तमिलनाडू टेनिसबाल क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2102	MOHD WASEEM	NO175265	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल हरियाणा स्टेट कबड्डी एसोसिएशन द्वारा जारी 14वीं सब-जूनियर नेशनल कबड्डी चैम्पियनशिप फॉर बॉयज एण्ड गर्ल्स 2002 का पार्टिसिपेशन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की गई है।	अभ्यर्थी द्वारा हरियाणा स्टेट कबड्डी एसोसिएशन द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2103	MOINUDDEN SHEKH	NO151241	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर खेल प्रमाण पत्र के आधार पर स्पोर्ट्स श्रेणी की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ पंचायत युवा कीड़ा खेल अभियान एवं ऑल इंडिया नेशनल टी.20 क्रिकेट चैम्पियनशिप व इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के खेल प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार मान्य नहीं होने कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2104	MUKESH DADHICH	NO180652	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के इंडब्ल्यूएस श्रेणी की स्पोर्ट्स कैटेगरी में औसत प्राप्तांक 61.990 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम इंडब्ल्यूएस श्रेणी की स्पोर्ट्स कैटेगरी की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ रॉकबाल अमेच्योर फेडरेशन अंड इंडिया का खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
2105	MUKESH KUMAR SAINI	NO120356	अभ्यर्थी ने कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। केवल स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आवेदन ही नहीं किया गया। अतः अब इस श्रेणी का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता। माननीय न्यायालय द्वारा श्रेणी परिवर्तन की मांग को रिट याचिका संख्या 13614/20190 जयेश कुमार बनाम सरकार व डी.बी याचिका संख्या 7840/20219 सोनल त्यागी बनाम सरकार में खारिज करते हुए राज्य पक्ष में निर्णय पारित किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र भी कार्मिक विभाग की अधिसूचना 21.11.2019 के अनुसार मान्य नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में नीजि संस्थान द्वारा जारी अनुभव प्रमाण संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2106	MUNAWWAR	NO161477	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में 48 नेशनल	अभ्यर्थी द्वारा डायरेक्टरेट अंड पब्लिक इंडस्ट्रेशन एम.पी. द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं

	HASAN		स्कूल गेम्स 2002 खेल प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर स्पोर्ट्स श्रेणी की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूना 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2107	MUNESH KUMAR	NO183080	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल स्पोर्ट्स कैटेगरी में कुल प्राप्तांक 58.700 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने ओबीसी एनसीएल स्पोर्ट्स कैटेगरी की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
2108	MUNESH KUMAR	NO182763	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल स्पोर्ट्स कैटेगरी में कुल प्राप्तांक 59.980 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने ओबीसी एनसीएल स्पोर्ट्स कैटेगरी की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
2109	NAINA RAM	NO156784	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है।	अभ्यर्थी ने टाईक्वॉडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 65.443 प्रतिशत है जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (ओबीसी एनसीएल) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2110	NARAYAN OJHA	NO133892	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थी द्वारा स्काउट एंड गाइड द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूना 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2111	NARESH KUMAR	NO173152	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में याचिका संख्या 14962/2023, खेल प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर स्वयं के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 39.960 का उल्लेख करते हुए निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत कटऑफ से अधिक है। अतः अभ्यर्थी का नाम स्पोर्ट्स श्रेणी की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया जावे।	अभ्यर्थी द्वारा एथलेटिक्स फेडरेशन ऑव इंडिया द्वारा जारी नेशनल फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भाग लेने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

2112	NAVED HASAN NAQVI	NO125419	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्पोर्ट्स श्रेणी की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ बॉल बैडमिन्टन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिका विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निरस्तारित की जाती है।
2113	NEERAJ JAIMAN	NO200269	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में अनुभव प्रमाण पत्र एवं खेल प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने टेनिस बाल क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा टेनिस बाल चैम्पियनशिप का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निरस्तारित की जाती है।
2114	NITISH MEENA	NO190175	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल खेल प्रमाण पत्र (Athletics federation of India) की प्रति संलग्न की है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिका विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं है। अतः उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
2115	NIZAMUDDIN	NO131494	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के औसत प्राप्तांक 63.25 प्रतिशत का उल्लेख करते हुए ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में उत्कृष्ट खिलाड़ी की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ रॉ पॉवर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
2116	OM PRAKASH	NO155815	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में खेल प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर स्पोर्ट्स कैटेगरी की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ टाइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिका विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं है। अतः उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
2117	ONKAR RAM	NO159493	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल तपोवन नशा मुक्ति एवं पुनर्वास संस्थान द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र एवं खेल प्रमाण पत्र (Youth Sports & Physical Fitness Fedration of india) की प्रति संलग्न की है।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में एवं परिवेदना के साथ प्रस्तुत विवरण अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
2118	Pankaj Sharma	NO141596	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि तकनीकी गलती की वजह से उत्कृष्ट खिलाड़ी की श्रेणी में आवेदन नहीं हो पाया। अतः अभ्यर्थी ने खेल प्रमाण पत्र संलग्न कर उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में आवेदन मानते हुए अंतरिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में आवेदन नहीं किया गया है एवं दो बार त्रुटि संशोधन का अवसर दिया गया था जिसका अभ्यर्थी ने लाभ नहीं उठाया। वर्तमान में उनकी आवेदित श्रेणी में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निरस्तारित की जाती है।
2119	PIYUSH RATNU	NO101128	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में स्कूल गैम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न कर अंतरिम चयन सूची में	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ स्कूल गैम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 60वीं राष्ट्रीय क्रिकेट चैम्पियनशिप में विजेता का प्रमाणपत्र संलग्न किया है अतः अभ्यर्थी के प्रमाणपत्रों की एसजीएफआई से जांच के अध्याधीन परिणाम रोकते हुए आवश्यक कार्यवाही	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	किया जाना प्रस्तावित है।	
2120	PRAFFUL SHERRING	NO160032	अभ्यर्थी ने खेल श्रेणी में आवेदन किया है एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी में 60.58 प्रतिशत होने पर भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग एवं ईडब्ल्यू एस श्रेणी को देखते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ टेनिस बाल क्रिकेट एसोसिएशन एवं उत्त्वांचल द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिता का प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2121	PRIYA KUMARI SUMAN	NO109215	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थिया ने ऑनलाइन आवेदन के साथ 2 खेल प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार मान्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। फलस्वरूप अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी ओबीसी एनसीएल महिला में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 66.419 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2122	PUKH RAJ	NO210665	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि अभ्यर्थी ने स्पोर्ट्स कंट्रोल से फॉर्म भरा था एवं उससे कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। (संलग्न-खेल प्रमाण पत्र) अतः अभ्यर्थी ने अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में आवेदन ही नहीं किया है अतः परिवेदना के साथ संलग्न प्रमाण पत्र के आधार पर उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। श्रेणी परिवर्तन की मांग को माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार को राज्य पक्ष में निस्तारित किया जा चुका है। अभ्यर्थी ने दिव्यांग श्रेणी में आवेदन किया है। नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञापित में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी दिव्यांगता परीक्षण हेतु बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अतः पूर्व में नीति निर्धारण समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार पात्रता निरस्त किया जाना प्रस्तावित है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2123	RADHESHYAM KEER	NO201022	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है, केवल खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी ने उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में आवेदन नहीं किया है। अतः अब इनका उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार में श्रेणी परिवर्तन की मांग को अस्वीकार करते हुए राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। इस प्रकार अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार कुल प्राप्तांक 60.110 प्रतिशत है जो दस्तावेज सत्यापन में इनकी श्रेणी (ओबीसी एनसीएल) में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन से वंचित रहे हैं। अभ्यर्थी को दो बार त्रुटि संशोधन का अवसर प्राप्त था जिसका अभ्यर्थी द्वारा लाभ नहीं उठाया गया। अतः अब इनका श्रेणी संशोधन नहीं किया जा सकता। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2124	RAHUL	NO106087	अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना के साथ खेल प्रमाण-पत्र संलग्न कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने यूथ रूलर गेम्स एसोसिएशन का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 49.467 प्रतिशत है जो कि उनके जातिवर्ग अनुसूचित जाति में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 65.275 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।


2125	RAHUL SHARMA	NO171090	अभ्यर्थी ने सामान्य एवं विशिष्ट उत्कृष्ट श्रेणी में आवेदन किया है एवं 45.660 प्रतिशत प्राप्त होने पर भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है जबकि प्रार्थी के कट ऑफ मार्क्स अन्य उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों से अधिक है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर प्राप्तांकों एवं विशिष्ट श्रेणी उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग को दृष्टिगत रखते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने स्की एंड स्नोबोर्ड इंडिया का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 45.662 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके अनारक्षित जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 75.517 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2126	RAJ KUMAR	NO175269	अभ्यर्थी ने उत्कृष्ट खिलाड़ी की श्रेणी में आवेदन किया है एवं अभ्यर्थी से कम प्रतिशत अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने स्की एंड स्नोबोर्ड इंडिया का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 66.984 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2127	RAJ KUMAR SHARMA	NO137313	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है, केवल खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी ने उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में आवेदन ही नहीं किया है अतः परिवेदना के साथ संलग्न प्रमाण पत्र के आधार पर उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। श्रेणी परिवर्तन की मांग को माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका सं. 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार में राज्य पक्ष में निर्णय किया है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 71.384 प्रतिशत हैं जो इनकी आवेदित श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांकों से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2128	RAJBALA SAHARAN	NO161440	अभ्यर्थियों ने अवगत कराया है कि कोविड के 15 बोनस अंक नहीं जोड़े गये हैं एवं अभ्यर्थिया से कम प्रतिशत वालों का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित किया है जबकि प्रार्थिया का नहीं। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने स्की एंड स्नोबोर्ड इंडिया का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। 15 बोनस अंक सहित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 64.671 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 66.419 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2129	RAJEEV RAWAT	NO151233	अभ्यर्थी द्वारा डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा राष्ट्रीय खेल में भाग लेने का, नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन तथा यूनिवर्सिटी ऑफ़ 2058 रू 2058 बीकानेर का खेल प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं जिनका कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 45.417 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता	अभ्यर्थी द्वारा डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा राष्ट्रीय खेल में भाग लेने का, नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन तथा यूनिवर्सिटी ऑफ बीकानेर का खेल प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं जिनका कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 67.319 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।



			सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।		
2130	RAJU RAM	NO148815	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान National sports federation of India (NSFOI) का विजेता का प्रमाण पत्र अपलोड किया था एवं 47.36 प्रतिशत प्राप्तांक जोकि अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन-क्रीमी लेयर की कट ऑफ से ज्यादा है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2131	RAKESH BISHNOI	NO213175	अभ्यर्थी ने ओबीसी नॉन क्रिमिलेश यव कैटेगरी उत्कृष्ट खिलाड़ी से आवेदन किया है एवं अभ्यर्थी की कैटेगरी व सब कैटेगरी के ओबीसी पुरुष जिसके प्रतिशत कम है उसका नाम अंतरिम सूची में संलग्न किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने 6वीं नेशनल सीनियर पूमसे टोईक्वांडो चैम्पियनशिप 2014 का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2132	RAQEEB HASHAMI	NO146753	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का खेल प्रमाण पत्र मान्य कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ टेनिस बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2133	ROHIT SHARMA	NO128354	अभ्यर्थी ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। दस्तावेजों में सॉफ्ट टेनिस चैम्पियनशिप का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी ने 11वीं सीनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैम्पियनशिप का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग के आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2134	ROHITASH	NO184070	अभ्यर्थी ने ओबीसी एनसीएल उत्कृष्ट खिलाड़ी पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 66.50 प्रतिशत बताते हुए उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने 292 दिवस का सीएचए पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने	अभ्यर्थी ने 7वां नेशनल सीनियर पूमसे टोईक्वांडो चैम्पियनशिप 2015 का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			बाबत निवेदन किया है।		
2135	RONAK DAVIVEDI	NO208609	अभ्यर्थी ने अनारक्षित उत्कृष्ट खिलाड़ी पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 43.100 प्रतिशत बताते हुए उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी का खेल कूद प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2136	RUPESH SHARMA	NO212048	अभ्यर्थी ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित टेनिस बॉल क्रिकेट चैम्पियनशिप का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी ने 33 वी सीनियर नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैम्पियनशिप का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2137	SADDAM HUSAIN	NO172949	अभ्यर्थी ने इंडियन एस उत्कृष्ट खिलाड़ी पुरुष वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 48.620 प्रतिशत बताते हुए उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने स्टेट लेवल कबड्डी का खेल कूद प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने 18वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैम्पियनशिप 2006 का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2138	Sameer sharma	NO102348	अभ्यर्थी ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित हैण्डबॉल खेल कूद से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी ने 38वा सीनियर हैंडबॉल नेशनल चैम्पियनशिप का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2139	SARITA KANWAR	NO170312	अभ्यर्थी ने ओबीसी एनसीएल महिला खिलाड़ी वर्ग में आवेदन किया है जिसमें इनके कुल औसत प्राप्तांक 64.860 प्रतिशत है। अभ्यर्थी ने स्वयं से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले महिला खिलाड़ी अभ्यर्थियों के चयन से अवगत कराया है जिनकी सूची निम्न है:- 196136 (53.460), 170326 (62.400), 199172 (49.240), 176725 (62.850), 163757 (60.080), 177075 (40.380)	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

			अभ्यर्थिया ने कबड्डी का खेल प्रमाण पत्र संलग्न कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।		
2140	SAROJ DEVI JAT	NO120220	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अन्य पिछड़ा वर्ग से खेल कोटे से आवेदन करने पर दरस्तावेज सत्यापन सूची के उपरान्त अंतरिम सूची में नाम नहीं आने का उल्लेख कर खेल कोटे का लाभ दिया जाकर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम व	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2141	SATYA PARKASH	NO155420	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 41.11 होने के बाद भी चयन नहीं होने एवं प्रार्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर इस विषय में त्वरित संज्ञान लेते हुए इस तकनीकी भूल में सुधार करते हुए प्रार्थी का नाम अंतरिम सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 201.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2142	SAYED YASIR ALI	NO158458	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल खेल प्रमाण पत्र संबंधित दरस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ अमेच्योर बेसबाल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 201.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2143	SHAHRAKH KHAN NAGORI	NO107061	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओवीसी सीएल उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में चयन नहीं होने एवं स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी जो की प्रार्थी के समान खेल में योग्यता रखते है जिनकी आईडी क्रमांक NO113973, NO161891 है का चयन होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ तमिलनाडू व कन्याकुमारी बेसबाल फेडरेशन द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 201.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2144	SHANAWAZ KHAN	NO121585	अभ्यर्थी द्वारा स्पोर्ट्स प्रमाण पत्र संलग्न कर स्वयं का चयन नहीं होने जबकि प्रार्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर खेल प्रमाण पत्र की जांच कर अंतिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ वोलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 201.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2145	SHARVAN	NO158293	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी ने स्पोर्ट्स कैटेगरी में ऑनलाइन आवेदन किया था। अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों के नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित है। अभ्यर्थी ने स्वयं के खेल	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ हैन्डबाल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।



			प्रमाण पत्र के आधार पर स्वयं का नाम स्पोर्ट्स कैटेगरी की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	
2146	SHARWAN KUMAR	NO157251	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के खेल प्रमाण पत्र के आधार पर स्पोर्ट्स कैटेगरी की अंतरिम चयन सूची में स्वयं का नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
2147	SHIV SHANKER SHARMA	NO170463	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन के समय स्पोर्ट्स कैटेगरी में बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 64.54 है। अभ्यर्थी को नेशनल लेवल का खेल प्रमाण पत्र तथा कोरोना अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अभ्यर्थी को बोनस का लाभ नहीं दिया गया है। इसके उपरांत भी अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक 49.54 प्रतिशत स्पोर्ट्स कैटेगरी की अंतरिम कटऑफ प्रतिशत से अधिक है। जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थी यथा नोमान अली (137374), प्रीति (170124) का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संग्रह किया जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2148	SIMTA KUMARI KACHHAWA	NO134913	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में स्पोर्ट्स कैटेगरी में स्वयं के औसत प्राप्तांक 52.730 प्रतिशत का उल्लेख करते हुए ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग की स्पोर्ट्स कैटेगरी की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ नवदेव विद्यालय समिति द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंकित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2149	SUNIL BARADA	NO135421	अभ्यर्थी ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल वर्ष 2018 का ताईकोण्डो खेल का कॉम्पीटीटर का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ राजस्थान ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2150	SUNIL KUMAR	NO153027	अभ्यर्थी ने ओबीसी एनसीएल उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आवेदन किया है। अभ्यर्थी ने नेशनल आईस हॉकी 2023 का खेल प्रमाण पत्र संलग्न कर उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।	प्रकरण में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
2151	SUNITA KUMARI	NO210551	अभ्यर्थी ने इंडियन एस उत्कृष्ट खिलाड़ी महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया जिसमें अभ्यर्थी द्वारा तृतीय स्थान प्राप्त किया गया है। अतः	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			44 प्रतिशत बताते हुए उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 49वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2003 एवं स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के हैण्डबॉल खेल कूद प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार मान्य होने के कारण खेल प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	
2152	SURAJ BAIRWA	NO113885	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति उत्कृष्ट खिलाड़ी महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग की प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने नेशनल स्कूल गेम्स 2011-12, 2012-13 में हैण्डबॉल खेल कूद प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ एसजीएफआई द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 201.11.2019 के अनुसार पदक विजेता का नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के फुल प्राप्तांक उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी से कम होन के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2153	SURBHI S NAIR	NO104278	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर खेल प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर जीएनएम प्रशिक्षण के अंको की गणना कर औसत प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर स्पोर्ट्स श्रेणी का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ वास्केटबाल फेडरेशन ऑव इंडिया, नेटबाल फेडरेशन ऑव इंडिया व निजि क्षेत्र के द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जो कार्मिका विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
2154	SURESH KUMAR JANI	NO164338	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में खेल प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर खेल प्रमाण पत्रों के आधार पर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ टाइक्वांडो फेडरेशन ऑव इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिका विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं है। अतः उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
2155	SURESH KUMAR YADAV	NO210715	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में खेल प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर खेल प्रमाण पत्रों के आधार पर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ अमेच्योर बेसबाल फेडरेशन ऑव इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिका विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं है। अतः उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
2156	SURESH PARJAPAT	NO182510	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी ने ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में स्पोर्ट्स कैटेगरी में आवेदन किया था, जिसमें अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक 59.250 प्रतिशत है। ओबीसी जाति वर्ग में अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों के नाम रोके गये परिणाम की सूची में सम्मिलित है जो निम्नानुसार है:-क्रम संख्या 1092 आई0डी0 संख्या 163958, 1134 आई0डी0 165061,	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ महाराजा गंगाराम यूनिवर्सिटी द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जो कार्मिका विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार न तो एसोसिएशन ऑव इंडियन यूनिवर्सिटीज है ना ही इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था। अतः उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

			1142 आई0डी0165333, 1194 आई0डी0166609, 1188 आई0डी0166453, 1230 आई0डी0 167496, 1291 आई0डी0 169631, 1081 आई0डी0 163732 एवं 1406 पर अंकित आई0डी0 173322 उक्त आई0डी0 में ओवीसी पुरुष वर्ग के 39.430 प्रतिशत तक वाले अभ्यर्थियों के नाम सम्मिलित किये गये हैं जबकि अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 59.250 प्रतिशत होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
2157	SURYA S NAIR	NO109611	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में खेल प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर स्वयं के औसत प्राप्तांक 46.37 प्रतिशत का उल्लेख करते हुए खेल प्रमाण पत्रों के आधार पर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ बास्केटबाल फेडरेशन ऑव इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जो कार्मिका विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
2158	SYED ASAD ALI	NO163146	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी ने उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में आवेदन किया था लेकिन अभ्यर्थी का नाम रोके गये परिणाम की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम रोके गये परिणाम की सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने 28वां सौनियर नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैम्पियनशिप 2017-2018 का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिका विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंकित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2159	SYED MOHD SHADAB NAQVI	NO105977	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी ने उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में आवेदन किया था। अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत स्पोर्ट्स कैटेगरी में 46.01 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम 45.59 प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ अमेच्योर सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जो कार्मिका विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
2160	TAHIR KHAN	NO149789	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल अनुभव प्रमाण पत्र एवं खेल प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिका विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी को अनुभव का लाभ 15 बोनस अंक दिया जा चुका है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

2161	TIPU SULTAN CHOUHAN	NO177549	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर भारत स्काउट एवं गाइड राज्यपाल पुरस्कार को खेल कोटे में सम्मिलित कर इसका परिणाम दिये जाने हेतु निवेदन किया है।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना में उल्लेखितानुसार ही उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय है। स्काउट एवं गाइड प्रमाण पत्र के आधार पर उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
2162	UTTAM SINGH	NO106909	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर खेल प्रमाण पत्र के आधार पर स्पॉर्ट्स कैटेगरी में अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ यूथ गेम्स फंडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2163	VAISHALI RAIPURIYA	NO107984	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2164	VASIM AKRAM	NO162113	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम स्पॉर्ट्स कोटे की चयनित सूची में नहीं आने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने टेनिस बॉल क्रिकेट प्रमाण पत्र संलग्न कर स्पॉर्ट्स कोटे का लाभ देने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ उत्तराखंड एवं जे. एंड के. टेनिस बॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2165	VEENA KUMARI	NO144892	अभ्यर्थी ने ओबीसी एनसीएल उत्कृष्ट खिलाड़ी महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 45.810 प्रतिशत बताते हुए उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने नेशनल स्कूल गेम्स टेबल टेनिस खेल कूद का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर खेल प्रमाण पत्र के वैरिफिकेशन हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.11.2019 के नियमानुसार नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2166	VIKAS KUMAR KURI	NO173776	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर परिवेदना के साथ स्कूल स्पॉर्ट्स एजुकेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रमाण पत्र संलग्न कर उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग का लाभ प्रदान करते हुये अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ रूरल गेम्स नेशनल महाकुंभ चैम्पियनशिप द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2167	VIKASH	NO143857	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग का लाभ प्रदान करते हुये अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने एथलेटिक्स फंडरेशन ऑफ इंडिया का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
2168	VIKRAM SANGER	NO191724	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में आवेदन कर ओबीसी वर्ग का पुराना जाति प्रमाण पत्र के स्थान पर दिनांक 12.10.2023 को जारी राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का नया प्रमाण पत्र संलग्न कर स्वीकार करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ वाईसीए क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार एवं इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा सम्बद्ध नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2169	VINOD KUMAR KUMHAR	NO108785	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 53.85 जो की ओबीसी स्पोर्ट्स कैटेगरी की कट ऑफ 53.85 प्रतिशत के समान होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ जिला स्तरीय खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.11.2019 के अनुसार मान्य नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2170	YASHWANT KUMAR	NO177197	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी एसटी जाति वर्ग एवं खिलाड़ी कोटे में 49 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के उपरान्त भी अभ्यर्थी से कब प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों का नाम प्राविजनल सूची में है एवं अभ्यर्थी का नाम नहीं है। संलग्न दस्तावेज एपीकेशन फॉर्म एवं दस्तावेज सत्यापन की सूची।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ राजस्थान काउंसिल फॉर स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2171	YOGENDRA YADAV	NO164322	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी-एनसीएल जाति वर्ग में खेल कोटे में 20 प्रतिशत बोनस अंक के साथ 55.450 अंक प्राप्तांक का उल्लेख कर प्राविजनल चयन सूची में नाम जुड़वाने का निवेदन किया है। संलग्न दस्तावेज यथा अनुभव प्रमाण पत्र, Urban games federation of India द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ अरबन गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2172	ANITA JAT	NO175318	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के प्राप्तांक प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम सूची में किये जाने का उल्लेख कर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा अध्ययनरत रहते हुए कोविड 19 में कार्य सहयोग प्रदान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ संविदा कार्मिकों को ही देय है। अभ्यर्थिया एक संविदा कार्मिक नहीं है अतः इन्हे अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव इनके कुल प्राप्तांक इनकी श्रेणी ओबीसी एनसीएल महिला में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2173	CHANCHAL CHHABA	NO191458	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया द्वारा अध्ययनरत रहते हुए कोविड 19 में कार्य सहयोग प्रदान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ संविदा कार्मिकों को ही देय है। अभ्यर्थिया एक संविदा कार्मिक नहीं है अतः इन्हे अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव इनके कुल प्राप्तांक इनकी श्रेणी ओबीसी एनसीएल महिला में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।



2174	JAYA SHARMA	NO144793	अभ्यर्थी द्वारा नर्सिंग ऑफिसर के पद पर अंतिम चयन पात्रता सूची से अभ्यर्थी को कोविड समरूप सेवा ड्यूटी प्रशिक्षण से पूरी किये जाने पर अतिरिक्त बोनस अंक नहीं मिलने से परिवेदना प्रस्तुत की गई है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ कोई अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किया न ही परिवेदना के साथ किया है। अभ्यर्थी की परिवेदना से प्रतीत होता है कि सम्भवतः अभ्यर्थी ने कोविड अवधि के दौरान प्रशिक्षणार्थी के रूप में सहयोग किया है। नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ संविदा कार्मिकों को ही देय है। अभ्यर्थिया एक संविदा कार्मिक नहीं है अतः इन्हे अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव इनके कुल प्राप्तांक इनकी श्रेणी ओबीसी एनसीएल महिला में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2175	JEETA RAM	NO102837	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि कट ऑफ से ज्यादा अंक प्राप्त करने के पश्चात् भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अन्तिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा अध्ययनरत रहते हुए कोविड 19 में कार्य सहयोग प्रदान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ संविदा कार्मिकों को ही देय है। अभ्यर्थिया एक संविदा कार्मिक नहीं है अतः इन्हे अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव इनके कुल प्राप्तांक इनकी श्रेणी ओबीसी एनसीएल महिला में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2176	JYOTI VERMA	NO180999	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़कर कुल औसत प्राप्तांक 68.690 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने परिवेदना के साथ कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा अध्ययनरत रहते हुए कोविड 19 में कार्य सहयोग प्रदान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ संविदा कार्मिकों को ही देय है। अभ्यर्थिया एक संविदा कार्मिक नहीं है अतः इन्हे अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव इनके कुल प्राप्तांक इनकी श्रेणी अनुसूचित जाति वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2177	KANCHAN KUMAR	NO149315	अभ्यर्थी ने परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है। बिना निर्धारित प्रारूप का अनुभव प्रमाण पत्र एवं एसबी रिट 14476/2023 संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा अध्ययनरत रहते हुए कोविड 19 में कार्य सहयोग प्रदान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ संविदा कार्मिकों को ही देय है। अभ्यर्थी एक संविदा कार्मिक नहीं है अतः इन्हे अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव इनके कुल प्राप्तांक इनकी श्रेणी अनुसूचित जाति में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2178	KAPILA	NO201037	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया है। परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं से कम प्राप्तांक के अभ्यर्थियों के चयन होने से अवगत कराया है जिनकी सूची निम्न है - आईडी संख्या एनओ186765 पूजा कुमारी मेघवाल (63.619), एनओ189498 रेनु मांडिया (63.639), एनओ172840 मिनू कुमारी (63.673), एनओ199315 प्रियका (63.700)। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अनुभव के संबंध में साथ महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर द्वारा जारी कोविड ड्यूटी प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके कारण पर अभ्यर्थी एक संविदा कार्मिक नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थिया द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर गणना किये जाने पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 54.211 प्रतिशत बनते हैं जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.612 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2179	NIKITA KUMARI	NO134148	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 71.85 होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं	अभ्यर्थिया द्वारा अध्ययनरत रहते हुए कोविड 19 में कार्य सहयोग प्रदान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ संविदा कार्मिकों को ही देय है। अभ्यर्थिया एक संविदा कार्मिक नहीं है अतः इन्हे अनुभव का लाभ देय नहीं	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

			किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव इनके कुल प्राप्तांक इनकी श्रेणी ओबीसी एनसीएल महिला में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
2180	PALAK KARWASHRA	NO156736	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 71.200 होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा अध्ययनरत रहते हुए कोविड 19 में कार्य सहयोग प्रदान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ संविदा कार्मिकों को ही देय है। अभ्यर्थी एक संविदा कार्मिक नहीं है अतः इन्हें अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव इनके कुल प्राप्तांक इनकी श्रेणी ओबीसी एनसीएल महिला में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
2181	POOJA VAISHNAV	NO125451	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थी ने अनुभव प्रमाण पत्र के स्थान पर जीएनएम प्रशिक्षणार्थी के रूप में कोरोना काल में डोर टू डोर सर्वे कार्य किया है। बोनस अंकों का लाभ केवल संविदा कार्मिक को देय है। अतः नियमानुसार बोनस अंक देय नहीं है। बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्रतिशत प्राप्तांक 54.581 प्रतिशत है जो इनके जाति वर्ग में चयनित अन्तिम अभ्यर्थी के प्रतिशत प्राप्तांक 66.419 से कम होने के कारण चयन नहीं हुआ है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
2182	SEEMA	NO203936	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कोविड काल में कार्य करने पर भी चयन नहीं होने जवकि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में अन्य अभ्यर्थी राधिका पारिक जिसकी आईडी क्रमांक 167763 है के कुल प्राप्तांक प्रतिशत प्रार्थी से कम होने के बाद भी चयन होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा अध्ययनरत रहते हुए कोविड 19 में कार्य सहयोग प्रदान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ संविदा कार्मिकों को ही देय है। अभ्यर्थी एक संविदा कार्मिक नहीं है अतः इन्हें अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव इनके कुल प्राप्तांक इनकी श्रेणी ओबीसी एनसीएल महिला में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2183	SHYANU KANWAR	NO159351	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में याचिका संख्या 14476/2023 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2023 की प्रति एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 71.40 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में अभ्यर्थी का चयन नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा अध्ययनरत रहते हुए कोविड 19 में कार्य सहयोग प्रदान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ संविदा कार्मिकों को ही देय है। अभ्यर्थी एक संविदा कार्मिक नहीं है अतः इन्हें अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव इनके कुल प्राप्तांक इनकी श्रेणी ओबीसी एनसीएल महिला में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं। अभ्यर्थी द्वारा माननीय न्यायालय में रिट याचिका दायर की है। जिसपर माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
2184	SUMAN	NO181919	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर चयन सूची में नाम नहीं आने एवं प्रार्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी जिनकी आईडी क्रमांक 167129 है का चयन होने का उल्लेख कर कोविड अवधि में किये गये कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ देकर प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा अध्ययनरत रहते हुए कोविड 19 में कार्य सहयोग प्रदान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ संविदा कार्मिकों को ही देय है। अभ्यर्थी एक संविदा कार्मिक नहीं है अतः इन्हें अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में इनके कुल प्राप्तांक इनकी श्रेणी ओबीसी एनसीएल महिला में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2185	SUNITA KHICHR	NO143740	अभ्यर्थी ने ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है एवं स्वयं कुल औसत प्राप्तांक 74.40 प्रतिशत बताते हुए स्वयं की जाति वर्ग की	अभ्यर्थी द्वारा अध्ययनरत रहते हुए कोविड 19 में कार्य सहयोग प्रदान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ संविदा कार्मिकों को ही देय है। अभ्यर्थी एक संविदा कार्मिक नहीं है अतः इन्हें अनुभव का लाभ देय नहीं	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव इनके कुल प्राप्तांक इनकी श्रेणी ओबीसी एनसीएल महिला में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
2186	SUSHILA	NO153612	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के औसत प्राप्तांक 73.16 प्रतिशत का उल्लेख करते हुए अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने जी.एन.एम. प्रशिक्षु के रूप में अध्ययनरत रहते हुए कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी हैं न कि एक संविदा कार्मिक के रूप में। नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस का लाभ राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग के अधीन संस्थानों में कार्यरत एक संविदा कार्मिक को ही देय है। इस अवधि में इनका आर.एन.सी. में पंजीयन भी नहीं हुआ था। अतः बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 58.018 प्रतिशत ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 64.570 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
2187	VISHNU VISHNOI	NO173278	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी ने कोविड काल दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के मध्य कार्य किया। अभ्यर्थी से कम प्रतिशत अंक वाले का प्रोविजनल सूची में नाम है। अतः अभ्यर्थी का नाम भी प्रोविजनल सूची में जोड़ने का निवेदन किया है। कोई दस्तावेज संलग्न नहीं।	अभ्यर्थी द्वारा अध्ययनरत रहते हुए कोविड 19 में कार्य सहयोग प्रदान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ संविदा कार्मिकों को ही देय है। अभ्यर्थी एक संविदा कार्मिक नहीं है अतः इन्हें अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में इनके कुल प्राप्तांक इनकी श्रेणी ओबीसी एनसीएल महिला में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

संयुक्त शासन सचिव  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3)  
विभाग

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राजस्थान

निदेशक  
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान  
जयपुर

संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)  
मुख्यालय

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
मुख्यालय

रजिस्ट्रार,  
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान,

उप विधि परामर्शी,  
चि. एवं स्वा. विभाग,  
शासन सचिवालय

रजिस्ट्रार,  
राजस्थान नर्सिंग काउंसिल

उप विधि परामर्शी,  
चि. एवं स्वा. विभाग,  
मुख्यालय

